



मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण

वर्ष - 2025-26



आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश



मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण

वर्ष - 2025-26

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश

प्राक्कथन

मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण: 2025-26 प्रदेश की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो विकसित मध्यप्रदेश @2047 के दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में अब तक की उपलब्धियों, संरचनात्मक परिवर्तनों एवं भावी प्राथमिकताओं का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। यह सर्वेक्षण उस कालखंड में प्रकाशित हो रहा है जब प्रदेश सतत, समावेशी और नवाचार-आधारित विकास की ओर निर्णायक रूप से अग्रसर है।

आर्थिक सर्वेक्षण प्रदेश का यह अंक की नीतियों और कार्यक्रमों को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ संरेखित करते हुए आर्थिक प्रगति को सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय संतुलन और संस्थागत सुदृढ़ता से जोड़ता है। इसमें राज्य की विकास रणनीति को गरीब कल्याण, युवाशक्ति, अन्नदाता एवं नारी सशक्तिकरण जैसे प्रमुख मिशन के साथ-साथ आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशन, पर्यावरणीय स्थिरता तथा सुशासन एवं संस्थागत दक्षता के व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। यह समग्र दृष्टिकोण वर्ष 2047 तक एक समृद्ध, आत्मनिर्भर एवं नागरिक-केंद्रित मध्यप्रदेश के निर्माण की दिशा में स्पष्ट मार्ग प्रशस्त करता है।

सर्वेक्षण में राज्य की आर्थिक वृद्धि, क्षेत्रीय विकास, कृषि एवं ग्रामीण प्रगति, औद्योगिक एवं अधोसंरचनात्मक विस्तार, मानव विकास, वित्तीय प्रबंधन, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सुशासन तथा सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था जैसे विषयों का तथ्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक विवेचन किया गया है। साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इसमें प्रमाणित आँकड़ों, विभागीय सूचनाओं एवं विश्वसनीय स्रोतों का समावेश किया गया है।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय तथा मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग के समन्वित प्रयासों से यह सर्वेक्षण एक सुसंगठित, पारदर्शी और विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन के रूप में तैयार हुआ है। मुझे विश्वास है कि यह प्रकाशन नीति-निर्माताओं, योजनाकारों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा तथा विकसित मध्यप्रदेश @2047 की दिशा में राज्य के प्रयासों को और गति प्रदान करेगा।



(श्रीमन् शुक्ला)

सचिव

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

आभारोक्ति

मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण: 2025-26 के संकलन एवं प्रकाशन में अनेक विभागों, संस्थानों एवं अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह आर्थिक सर्वेक्षण राज्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े विविध आयामों का समेकित विश्लेषण प्रस्तुत करता है एवं विभिन्न विभागों के सहयोग से संकलित आंकड़ों और विश्लेषण के माध्यम से प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का समग्र चित्र प्रस्तुत करता है, जो योजनाकारों, नीति-निर्माताओं एवं शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी संदर्भ के रूप में कार्य करेगा।

इस अवसर पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के दीर्घदर्शी दृष्टिकोण एवं विकसित मध्यप्रदेश @2047 की स्पष्ट परिकल्पना के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है, जिनके मार्गदर्शन में साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को निरंतर बल मिला है। साथ ही, मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रदान किया गया रणनीतिक नेतृत्व, अंतर्विभागीय समन्वय तथा परिणामोन्मुखी प्रशासनिक दिशा इस आर्थिक सर्वेक्षण के सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध निर्माण में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है।

इसके अतिरिक्त, इस सर्वेक्षण के निर्माण में नीति-दृष्टि, संस्थागत सहयोग तथा डाटा-आधारित कार्यप्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य के विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों / सचिवों एवं अधिकारियों द्वारा समय पर उपलब्ध कराए गए प्रमाणित एवं गुणवत्तापूर्ण आँकड़ों से इस दस्तावेज़ को व्यापकता, सुसंगतता एवं प्रामाणिकता प्राप्त हुई है।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय तथा मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग की टीम ने डेटा संकलन, विश्लेषण, अध्याय-निर्माण और समन्वय की जटिल प्रक्रिया को प्रतिबद्धता एवं दक्षता के साथ पूर्ण किया। शोधकर्ताओं, डेटा विश्लेषकों, विषय-विशेषज्ञों तथा संपादन एवं प्रकाशन से जुड़े सभी सहयोगियों की भूमिका इस प्रकाशन को समयबद्ध और विश्लेषणात्मक रूप देने में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।

हम माध्यम के उन सभी तकनीकी विशेषज्ञों एवं सहयोगी कर्मियों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने विभिन्न स्तरों पर इस दस्तावेज़ के निर्माण में योगदान दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह आर्थिक सर्वेक्षण प्रदेश के विकास विमर्श को समृद्ध करने में सहायक होगा।

(विकास मिश्रा)

आयुक्त

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

अनुक्रमणिका

अध्याय - 1		1
राज्य की अर्थव्यवस्था — एक समग्र परिदृश्य		1
1.1	आर्थिक वृद्धि एवं समग्र आर्थिक परिदृश्य	1
1.2	लोक वित्त, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान : स्थिरता, समावेशन और विस्तार	10
1.3	कृषि एवं ग्रामीण विकास: सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर	11
1.4	औद्योगिक विकास, एमएसएमई एवं अधोसंरचना विस्तार	12
1.5	व्यापार, निवेश एवं कनेक्टिविटी	14
1.6	नगरीय विकास: स्वच्छ, स्मार्ट एवं सतत् शहरों की दिशा	14
1.7	सामाजिक एवं आर्थिक विकास	15
1.8	स्वास्थ्य क्षेत्र: सार्वजनिक निवेश, सेवा-विस्तार और स्वास्थ्य परिणाम	15
1.9	शिक्षा एवं कौशल विकास: मानव पूंजी की सुदृढ़ आधारशिला	16
1.10	खेल एवं युवा सशक्तिकरण	16
1.11	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण	17
1.12	सामाजिक न्याय, समावेशन एवं सशक्तिकरण	17
1.13	सुशासन, ई-गवर्नेंस एवं सेवा प्रदाय	18
1.14	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार	18
1.15	सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था: धार्मिक पर्यटन, रोजगार एवं स्थानीय विकास का उभरता आयाम	19
अध्याय - 2		21
सार्वजनिक वित्त		21
2.1	प्राप्तियां	22
2.2	राज्य का कर राजस्व	23
2.3	राज्य का गैर-कर राजस्व	25
2.4	केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा	25
2.5	व्यय	25
2.6	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना	27
2.7.	राजकोषीय अनुशासन	29

अध्याय -3		31
बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय संस्थान		31
3.1	आर्थिक विकास के लिए ऋण विस्तार	31
3.2	बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन	35
3.3	समान विकास के लिए वित्तीय समावेशन	37
3.4	रोजगार में सहायता के लिए वित्तपोषण	39
3.5	राज्य स्तरीय बीमा समिति	40
अध्याय - 4		41
कृषि एवं ग्रामीण विकास		41
4.1	कृषि	41
4.2	उद्यानिकी	66
4.3	कृषि यंत्रीकरण	75
4.4	मंडी बोर्ड	77
4.5	पशु पालन एवं डेयरी	82
4.6	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	92
4.7	मत्स्यपालन से विकास	97
4.8	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	123
अध्याय - 5		137
उद्योग, एमएसएमई और अधोसंरचना		137
5.1	उद्योग	138
5.2	एमएसएमई	151
5.3	पारंपरिक उद्योग	156
5.4	पर्यटन	159
5.5	अधोसंरचना	167
5.6	जल संसाधन	178

अध्याय - 6		189
व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी		189
6.1	व्यापार एवं निवेश का विस्तार	189
6.2	समृद्ध मध्यप्रदेश @2047	190
6.3	नीतिगत पहल	191
6.4	व्यापार एवं निवेश संवर्धन	192
6.5	निवेश संवर्धन	207
6.6	कनेक्टिविटी	211
अध्याय - 7		233
नगरीय विकास		233
7.1	नगरीय विकास: एक परिचय	233
7.2	नगरीय विकास के लिए योजनाएं:	239
7.3	मध्यप्रदेश एकीकृत टाउनशिप नीति- 2025	258
7.4	मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति 2025	259
7.5	मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम 2025	261
अध्याय - 8		263
सामाजार्थिक विकास		263
8.1	मध्यप्रदेश में सामाजिक क्षेत्र	264
8.2	महिलाओं की स्थिति में सामाजार्थिक परिवर्तन	265
8.3	बाल विकास एवं संरक्षण	279
8.4	श्रम एवं रोजगार	285
8.5	मध्यप्रदेश में सामाजार्थिक विकास को दर्शाने वाले संकेतक	292
अध्याय - 9		297
स्वास्थ्य		
9.1	बजट	298
9.2	अधोसंरचना	298
9.3	आयुष्मान भारत	299
9.4	प्रमुख कार्यक्रम	302

9.5	लोक स्वास्थ्य में पीपीपी मोड - उत्तम प्रथाएं	327
9.6	खाद्य एवं औषधि प्रशासन	331
9.7	मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण (MPSACS)	332
9.8	आयुष	336
अध्याय - 10		343
शिक्षा एवं कौशल विकास		343
10.1	स्कूल शिक्षा	343
10.2	उच्च शिक्षा	350
10.3	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	354
10.3.3	रोजगार संचालनालय	361
अध्याय - 11		365
खेल एवं युवा कल्याण		365
11.1	खेल और युवा कल्याण	365
11.2	राष्ट्रीय सेवा योजना (रासेयो/NSS)	374
11.3	रेड रिबन क्लब	378
11.4	मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम	379
11.5	स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन	380
अध्याय - 12		383
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन		383
12.1	वन	383
12.2	जल संसाधन	390
12.3	खनिज	396
अध्याय - 13		405
सामाजिक समावेशन (Social Inclusion)		405
13.1	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण: वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में संचालित प्रमुख विभागीय योजनाओं का संचालन	405
13.2	अनुसूचित जाति विकास: आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण	411

13.3	पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण	416
13.4	विकलांगजनों का सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	423
13.5	विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू समुदाय का कल्याण एवं विकास	430
अध्याय -14		433
सुशासन		433
14.1	राजस्व के क्षेत्र में सुशासन के अनुप्रयोग	434
14.2	नागरिक सेवा प्रदाय	438
14.3	कानून एवं व्यवस्था तथा विधि एवं विधायी सुधार	440
14.4	जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ	442
14.5	समावेशी विकास हेतु राज्य का प्रयास - प्रतिस्पर्धी संघवाद	445
14.6	सुशासन हेतु कार्यरत संस्थान	447
अध्याय - 15		450
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी		450
15.1	प्रस्तावना	450
15.2	विजन@2047: समृद्ध मध्यप्रदेश	451
15.3	नीतिगत पहल	452
15.4	मध्यप्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग हेतु बजटीय आवंटन	455
15.5	विज्ञान लोकव्यापीकरण	456
15.6	मध्यप्रदेश कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (MPCERT)	459
15.7	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम के स्तंभ	460
15.8	विशिष्ट पहल	465
अध्याय -16		484
सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था		484
16.1	सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था: अवधारणा, परिभाषा एवं मध्यप्रदेश का दृष्टिकोण	484
16.2	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग : धार्मिक पर्यटन आधारित सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का सुदृढीकरण	486
16.3	राज्य आनंद संस्थान (आनंद विभाग) की गतिविधियां	488
16.4	आध्यात्मिक विरासत आधारित सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था : प्रमुख केंद्र एवं परिपथ	490

तालिकाओं की सूची

अध्याय - 1	1
तालिका 1.1 प्राथमिक क्षेत्र - प्रचलित भाव एवं स्थिर (2011-12) भाव पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA)	5
तालिका 1.2 प्राथमिक क्षेत्र - सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में योगदान एवं वृद्धि प्रवृत्तियाँ	5
तालिका 1.3 द्वितीयक क्षेत्र- प्रचलित भाव एवं स्थिर (2011-12) भाव पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA)	7
तालिका 1.4 द्वितीयक क्षेत्र- सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में योगदान एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ	7
तालिका 1.5 तृतीयक क्षेत्र - प्रचलित भाव एवं स्थिर (2011-12) भाव पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA)	8
तालिका 1.6 तृतीयक क्षेत्र - सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में योगदान एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ	9
अध्याय - 2	21
तालिका 2.1 : प्रमुख राजकोषीय संकेतक	21
तालिका 2.2: राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां	22
तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की संरचना	23
तालिका 2.4: कर राजस्व	24
तालिका 2. 5. राज्य का गैर-कर राजस्व	25
तालिका 2.6 : मध्यप्रदेश बजट विनियोग की राशि (वर्ष 2000-01 से वर्ष 2025-26)	26
तालिका 2.7: राजस्व और पूंजीगत व्यय	26
तालिका 2.8: मध्यप्रदेश में बाह्य सहायता प्राप्त राशि	27
तालिका 2.9: ऋण जीएसडीपी अनुपात	30
अध्याय -3	31
तालिका 3.1: वार्षिक साख योजना (एसीपी) क्षेत्रवार ऋण विस्तार	32
तालिका 3.2: बैंक-वार एसीपी प्रदर्शन वित्तीय वर्ष 2025-26	32
तालिका 3.3: प्रदेश में शेड्यूल कमर्शियल बैंक की ऋण वृद्धि की तुलना देश के साथ	33
तालिका 3.4: राज्य और राष्ट्रीय साख जमा अनुपात एवं बैंकिंग बेंचमार्क की तुलना	34

तालिका 3.5-क जिलावार ऋण जमा अनुपात विश्लेषण	34
तालिका 3.5 - ख: सीडी अनुपात में जिलेवार वृद्धि	35
तालिका 3.6: जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की समेकित वित्तीय स्थिति	36
तालिका 3.7: बैंकों में गैर-निष्पादित आस्तियां (एन.पी.ए.)	36
तालिका 3.8: एन.पी.ए. की क्षेत्र-वार स्थिति	37
तालिका 3.9: राज्य के बैंकिंग नेटवर्क में शाखाओं का विस्तार (संख्या)	38
तालिका 3.10: जीएसएस की स्थिति	39
अध्याय - 4	41
तालिका 4.1 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी (वर्ष 2019-20 से 2024-25)	60
तालिका 4.2 फल पौध रोपण योजना अंतर्गत प्रगति विवरण	69
तालिका 4.3 मसाला क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत प्रगति विवरण	69
तालिका 4.4 उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती के लिए प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रगति विवरण	69
तालिका 4.5 योजना के घटक एवं वित्तीय मापदण्डों का विवरण	70
तालिका 4.6 पिछले 05 वर्ष की भौतिक और वित्तीय प्रगति - (002-0869)	70
तालिका 4.7 विगत 05 वर्षों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति:- (0655-35-000)	71
बॉक्स-4 : उद्यानिकी मूल्य समझौता - आकांक्षी जिला छतरपुर	74
तालिका 4. 8 राज्य में मंडियों का विवरण	77
तालिका 4.9: अप्रैल 2025 से नवम्बर 2025 की अवधि में कृषि उपज की मात्रा एवं मूल्य	80
तालिका 4.10 हितग्राही मूलक योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों की वित्तीय उपलब्धि	84
तालिका 4.11 हितग्राही मूलक योजना के अन्तर्गत पिछले 2 वर्षों के लाभार्थियों की जानकारी	85
तालिका 4.12 गौसेवक प्रशिक्षण की जानकारी	86
तालिका 4.13 उपचार एवं टीकाकरण	86
तालिका 4.14 दुग्ध संघवार जिलो का वर्गीकरण	88
तालिका 4.15 वर्षों की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ	89
तालिका 4.16 गेहूं की खरीद (संख्या लाख में और मात्रा लाख मेट्रिक टन में)	94
तालिका 4.17 धान खरीद (संख्या लाख में और मात्रा लाख मेट्रिक टन में)	94

तालिका 4.18 संस्थावार भण्डारण क्षमता	95
तालिका 4.19 गोदामों में स्कंध भण्डारित	95
तालिका 4.20 शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति के अंतर्गत प्रगति	96
तालिका क्रमांक 4.21: PMAY-G के अंतर्गत स्वीकृत एवं पूर्ण किए गए आवासों की स्थिति	126
तालिका 4.22 : व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल)- भौतिक प्रगति	130
तालिका 4.23: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम)- भौतिक प्रगति	130
तालिका 4.24: तरल अपशिष्ट प्रबंधन (LWM)- भौतिक प्रगति	130
तालिका 4.25: लक्ष्यों के सापेक्ष वित्तीय प्रगति	131
तालिका क्रमांक 4.26: वॉटरशेड विकास - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 की वित्तीय प्रगति	134
तालिका क्रमांक 4.27: वर्ष 2025-26 के लिए वॉटरशेड विकास घटक - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 की भौतिक प्रगति	134
अध्याय - 5	137
तालिका 5.1 द्वितीयक क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों द्वारा सकल राज्य मूल्य वर्धन (आधार वर्ष 2011-12)	140
तालिका 5.2 तृतीयक क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों द्वारा सकल राज्य मूल्य वर्धन (आधार वर्ष 2011-12)	143
तालिका 5.3 सेवा रोजगार की उप-क्षेत्र संरचना	144
तालिका 5.4 मध्यप्रदेश में भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के तहत पंजीकृत फर्म	146
तालिका 5.5 एमएसएमई विभाग की प्रमुख योजनाओं पर खर्च राशि का विवरण	155
तालिका 5.6 उद्यम पोर्टल में एमएसएमई पंजीकरण का विवरण	156
तालिका 5.7 SFURTI योजना के तहत मध्यप्रदेश में सहायता प्राप्त समूहों का विवरण	156
तालिका 5.8 संत रविदास हथकरघा और हस्तशिल्प निगम की योजना तथा निधि आवंटन का विवरण	158
तालिका 5.9 पर्यटन विभाग से वर्षवार बजट आवंटन	164
तालिका 5.10 उपलब्ध विद्युत क्षमता	168
तालिका 5.11 विद्युत प्रदाय	169
तालिका 5.12 श्रेणीवार उपभोक्ताओं की संख्या	171

तालिका 5.13 श्रेणीवार विद्युत खपत	172
तालिका 5.14: रबी फसल के लिए विकसित सिंचाई क्षमता**	179
तालिका 5.15: खरीफ फसल के लिए विकसित सिंचाई क्षमता **	180
तालिका 5.16: अन्य फसल (ग्रीष्मकालीन फसलें) के लिए विकसित सिंचाई क्षमता **	181
तालिका 5.17: सिंचाई क्षमता बेसिन-वार	182
तालिका 5.18: मौसम-वार सिंचाई क्षमता	183
अध्याय - 6	189
तालिका 6.1: मध्यप्रदेश में निवेश संवर्धन के लिए प्रमुख गतिविधियां	193
तालिका 6.2: मध्यप्रदेश के शीर्ष 10 निर्यात (वित्त वर्ष 2024-25)	199
तालिका 6.3: मध्यप्रदेश के शीर्ष 10 जिलेवार निर्यात	201
तालिका 6.4: मध्यप्रदेश में परिचालन एसईजेड का निर्यात	202
तालिका 6.5: ईपीआई 2024 में शीर्ष 10 प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश	204
तालिका 6.6: मध्यप्रदेश में अनुकूलित निवेश पैकेज	207
तालिका 6.7: संभावित निवेश और रोजगार गतिविधि	210
तालिका 6.8 सड़क वर्गीकरण	211
तालिका 6.9: पूर्ण राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग	212
तालिका 6.10: रेल्वे नेटवर्क	215
तालिका 6.11: मध्यप्रदेश के हवाई अड्डों का यात्री यातायात	219
तालिका 6.12: मध्यप्रदेश के हवाई अड्डों द्वारा फ्रेट हैंडलिंग	220
तालिका 6.13: विमानों की आवाजाही	220
तालिका 6.14: पीएम गतिशक्ति के तहत आयोजित क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ	224
तालिका 6.15: राज्य में पीएम गतिशक्ति के अंतर्गत कार्यान्वित उपयोग-प्रकरण (यूज़ केस)	224
अध्याय - 7	233
तालिका 7.1 : प्रमुख विभागीय परियोजनाओं का विवरण (03.02.2026 तक की स्थिति)	237
तालिका 7.2 योजना में निकायों की पात्रता	241
तालिका: 7.3 वित्तीय आय व्यय की जानकारी	249

तालिका 7.4 : पिछले 5 वर्षों में अमृत 2.0 के लिए बजट परिव्यय	249
अध्याय - 8	263
तालिका 8.1: सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट आवंटन	264
तालिका 8.2: मध्यप्रदेश के कुल बजट में जेंडर बजट का प्रतिशत (राशि रू. करोड़ में)	266
तालिका 8.3: लाइली लक्ष्मी योजना की प्रगति	267
तालिका 8.4: एन.आर.एल.एम. बजट प्रावधान एवं व्यय (राशि रुपये करोड़ में)	270
तालिका 8.5: सामुदायिक संस्थाओं के वर्ष वार गठन की स्थिति	270
तालिका 8.6: म.प्र. में महिला स्व-सहायता समूहों को दिए गए चक्रीय निधि (आर.एफ) एवं सामुदायिक निवेश निधि (सी.आई.एफ) की स्थिति	271
तालिका 8.7: म.प्र. में महिला स्व-सहायता समूहों की बैंक लिंकेज की स्थिति	272
तालिका 8.8: मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना - योजना-वार हितग्राही एवं राशि	275
तालिका 8.9: आईसीडीएस के तहत लाभार्थियों की संख्या (लाख में)	281
तालिका 8.10: म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की विभिन्न योजनाओं अंतर्गत हितग्राही एवं वितरण राशि	287
तालिका 8.11: मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना हित लाभ राशि	287
तालिका 8.12: मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजनाओं अंतर्गत हितग्राही संख्या एवं हित लाभ वितरण	288
तालिका 8.13: बंधक श्रमिकों के विमुक्त एवं वितरित सहायता राशि	288
तालिका 8.14: विमुक्त कराए गए बाल एवं किशोर श्रमिकों तथा दोषी नियोजकों के विरुद्ध दायर अभियोजन प्रकरण	289
तालिका 8.15: मध्यप्रदेश में परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित श्रमिकों को देय न्यूनतम वेतन की दरें रुपये प्रतिमाह एवं प्रतिदिन	290
तालिका 8.16: युवा संगम की उपलब्धियां	291
अध्याय - 9	297
तालिका 9. 1 - बजट विवरण	298
तालिका 9. 2 स्वास्थ्य अधोसंरचना	298
तालिका 9. 3 स्वास्थ्य केंद्रों पर बेड/शैय्या की संख्या - मध्यप्रदेश	299

तालिका 9. 4 चिकित्सालयों से अनुबंध स्थिति	299
तालिका 9. 5 आयुष्मान योजना अंतर्गत बजट प्रावधान (2024-25) करोड़ में	300
तालिका 9. 6 आयुष्मान योजना ABDM स्थिति	300
तालिका 9. 7 दृष्टिहीनता भौतिक उपलब्धि	312
तालिका 9. 8 दृष्टिहीनता कार्यक्रम वित्तीय उपलब्धि	312
तालिका 9. 9 तंबाकू नियंत्रण – कार्यवाही विवरण	314
तालिका 9. 10 टीबी अधिसूचना	316
तालिका 9. 11 DBT से भुगतान	316
तालिका 9. 12 गैर-संचारी/असंचारी (अप्रैल – नवंबर 2025)	317
तालिका 9. 13 वेट एण्ड लीज रेन्टल मॉडल उपलब्धि	320
तालिका 9. 14 मनकक्ष OPD स्थिति	323
तालिका 9. 15 मानव संसाधन	324
तालिका 9. 16 सेवाओं का विवरण	330
तालिका 9. 17 मॉडल के तहत की जाने वाली जाँचे	330
तालिका 9. 18 खाद्य सुरक्षा (FSSAI भारत सरकार द्वारा निर्धारित)	331
तालिका 9. 19 औषधि नियंत्रण	331
तालिका 9. 20 ICTC जाँच	333
तालिका 9. 21 गर्भवती महिलाओं की एचआईवी जाँच	333
तालिका 9. 22 यौन रोग उपचार विवरण	335
तालिका 9. 23 मैट्रिक 2029 एवं 2047	340
अध्याय - 10	343
तालिका 10.1: शिक्षा क्षेत्र का बजट आवंटन	343
तालिका 10.2: समग्र शिक्षा वित्तीय प्रगति 2025-26	344
तालिका 10.3: प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शालाओं में नामांकन	344
तालिका 10.4: सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी स्तर के स्कूलों में नामांकन	345
तालिका 10.5: शाला त्याग दर	345

तालिका 10.6 : उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत महाविद्यालयों (सरकारी एवं निजी) का पिछले पाँच वर्षों का विवरण	351
तालिका 10.7: तकनीकी संस्थानों की संख्या और छात्रों की संख्या	354
तालिका 10.8: आई.टी.आई. संस्थानों की संख्या और छात्रों की संख्या	357
तालिका 10.9: पीएम विश्वकर्मा योजना की स्थिति	359
अध्याय - 11	365
तालिका 11.1 विकसित मध्यप्रदेश संदर्भित	366
तालिका 11. 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्जित प्रमुख उपलब्धियाँ	368
तालिका 11.3 रासेयो का विगत तीन वर्षों का भौतिक एवं आर्थिक तुलनात्मक विवरण	376
तालिका 11.4 मध्यप्रदेश 2025-26 इकाइयों का विवरण	378
तालिका 11. 4 समाज कार्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र संख्या विवरण	380
अध्याय - 12	383
तालिका 12.1 मध्यप्रदेश में कैम्पा अंतर्गत वर्ष 2024-25 का कार्य विवरण	384
तालिका 12.2 काष्ठ बांस उत्पादन (विक्रय एवं प्राप्त राजस्व)	387
तालिका 12.3 मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा काष्ठ बांस उत्पादन (विक्रय एवं प्राप्त राजस्व)	387
तालिका 12.4 ग्राम सभाओं द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण एवं विपणन विवरण	388
तालिका 12.5 तेंदूपत्ता से आय	388
तालिका 12.6 मध्यप्रदेश में भूजल संसाधन का सारांश	391
तालिका 12.7 मध्यप्रदेश में मानसून वर्षा का सारांश	392
तालिका 12.8 मध्यप्रदेश के प्रमुख जलाशयों का सारांश	394
तालिका 12.9 प्रदेश के खनिज भण्डार	399
तालिका 12.10 नवीन सर्वेक्षित खनिज भण्डार, आंकलित भण्डार (मि.टन)	400
तालिका 12.11 प्रदेश में महत्त्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन	401
तालिका 12.12 प्रदेश में उत्पादित महत्त्वपूर्ण खनिजों का मूल्य	401
तालिका 12.13 योजनावार (सब स्कीम) प्रावधानों का विवरण	402

अध्याय - 13	405
अ. संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के लिए:	408
ब. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए:	408
तालिका 13.1: आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा संचालित योजनाएं (वित्तीय वर्ष 2024-25)	410
तालिका 13.2: आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा संचालित योजनाएं (वित्तीय वर्ष 2025-26, 04 फ़रवरी 2026 की स्थिति में)	411
तालिका 13.3: वृद्धावस्था पेंशन योजनांतर्गत व्यय एवं हितग्राहियों की	423
तालिका 13.4: विधवा पेंशन योजनांतर्गत व्यय एवं हितग्राहियों की	424
तालिका 13.5: निःशक्त पेंशन योजनांतर्गत व्यय एवं हितग्राहियों की	424
तालिका 13.6: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनांतर्गत व्यय एवं हितग्राहियों की	425
तालिका 13.7: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनांतर्गत व्यय एवं हितग्राहियों की	425
तालिका 13.8: मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजनांतर्गत व्यय एवं हितग्राहियों की	426
तालिका 13.9: योजनांतर्गत व्यय एवं हितग्राहियों की	426
तालिका 13.10: अंत्येष्टि सहायता योजनांतर्गत व्यय एवं हितग्राहियों की	427
तालिका 13.11: मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजनांतर्गत व्यय एवं हितग्राहियों की	427
तालिका 13.12: मुख्यमंत्री निकाह योजनांतर्गत व्यय एवं हितग्राहियों की	428
अध्याय - 15	450
तालिका 15.1 मध्यप्रदेश में स्टार्टअप्स की प्रवृत्ति (वर्षवार)	462
तालिका 15.2 वर्ष 2025 में पीआईसी द्वारा की गई गतिविधियाँ	464
तालिका 15.3 सीपीसीटी का वार्षिक समेकित परिणाम सारांश	466
तालिका 15.4 एमपी कोड पोर्टल की अद्यतन स्थिति	467
तालिका 15.5 ई-ऑफिस क्रियान्वयन के आंकड़े	472

चित्रों की सूची

चित्र 1.1 मध्यप्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP): प्रचलित भाव एवं स्थिर (2011-12) भाव	2
चित्र 1.2 प्रति व्यक्ति शुद्ध आय : प्रचलित भाव एवं स्थिर (2011-12) भाव	3
चित्र 1.3 : मध्यप्रदेश में सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) की क्षेत्रवार संरचना (प्रतिशत), प्रचलित भाव पर, वित्तीय वर्ष 2025-26 (अ)	4
चित्र 1.4 : मध्यप्रदेश में सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) की क्षेत्रवार संरचना (प्रतिशत), स्थिर (2011-12) भाव पर, वित्तीय वर्ष 2025-26 (अ)	4
चित्र 2.1 ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत (आरक्षित एवं जमा निधियों को छोड़कर)	29
चित्र 4. 1 : मध्यप्रदेश में वर्षा की जानकारी (मिलीमीटर)	42
चित्र 4. 2 :: प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर)	43
चित्र 4. 3 प्रमुख फसलों का उत्पादन (हजार टन)	44
चित्र 4. 4 प्रमुख खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर)	45
चित्र 4. 5 प्रमुख खाद्यान्न फसलों का उत्पादन (हजार टन)	46
चित्र 4. 6 प्रमुख दलहन फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर)	47
चित्र 4. 7 प्रमुख दलहन फसलों का उत्पादन (हजार टन)	48
चित्र 4. 8 प्रमुख तिलहन फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर)	49
चित्र 4. 9 प्रमुख तिलहन फसलों का उत्पादन (हजार टन)	50
चित्र 4. 10 प्रमुख वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर)	51
चित्र 4. 11 प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन (हजार टन)	51
चित्र 4. 12-बीटी कपास के अंतर्गत क्षेत्रफल तथा वितरित बीटी कपास बीज पैकेटों की संख्या	52
चित्र 4. 13-रासायनिक उर्वरकों का वितरण (तत्वों में) (इकाई: लाख मीट्रिक टन)	55
चित्र 4. 14 पौध संरक्षण कार्यक्रम अंतर्गत क्षेत्राच्छादन (लाख हेक्टेर में)	56

चित्र 4.15 प्रमुख मसालों का उत्पादन (लाख मीट्रिक टन)	67
चित्र 4.16 प्रमुख सब्जियों का उत्पादन (लाख मीट्रिक टन)	67
चित्र 4.17 प्रमुख फलों का उत्पादन (लाख मीट्रिक टन)	68
चित्र 4.18 त्रिस्तरीय संरचना	87
चित्र 4.19-दुग्ध संघों का कार्यक्षेत्र	88
चित्र 4.19: मनरेगा में काम के दिन	132
चित्र 4.20: महिलाओं को दिए गए मानव दिवस का प्रतिशत	132
चित्र 5.1 कारखानों की संख्या और स्थिर पूंजी	141
चित्र 5.2 कारखानों में सकल उत्पादन तथा शुद्ध मूल्य वर्धन	142
चित्र 5.3 मध्यप्रदेश में पंजीकृत कंपनियों की स्थिति	146
चित्र 5.4 मध्यप्रदेश में CSR के लिए व्यय की गई राशि	147
चित्र 5.5 वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्यप्रदेश में जिलेवार CSR व्यय	147
चित्र 5.6 कुल CSR व्यय मध्यप्रदेश के आकांक्षी जिलों में पिछले पांच वर्षों में	148
चित्र 5.7 पिछले पांच वर्षों में क्षेत्रवार CSR व्यय	149
चित्र 5.8 मध्यप्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली सब्सिडी	150
चित्र 5.9 एमएसएमई को प्रदान की गई वित्तीय सहायता और वित्तीय सहायता योजना के तहत निपटाए गए दावों की संख्या	151
चित्र 5.10 DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त मध्यप्रदेश आधारित स्टार्टअप की वर्षवार संख्या	153
चित्र 5.11 मध्यप्रदेश में स्टार्टअप्स के शीर्ष 10 क्षेत्रों का प्रतिशत वितरण	154
चित्र 5.12 मध्यप्रदेश में घरेलू पर्यटकों के आगमन की संख्या	165
चित्र 5.13 पर्यटन गतिविधियों के संचालन से पर्यटन विभाग द्वारा उत्पन्न राजस्व	166

चित्र 5.14 मध्यप्रदेश पर्यटन संपत्तियों के लिए होटल अधिभोग दर और प्रति उपलब्ध कमरा राजस्व	167
चित्र 5.15 मध्यप्रदेश में उपलब्ध उत्पादन क्षमता (राज्य का अंश)	168
चित्र 5.16 विद्युत विक्रय (मिलियन यूनिट में)	170
चित्र 5.17 अधिकतम विद्युत् मांग की आपूर्ति	170
चित्र 5.18 मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता की प्रवृत्ति	171
चित्र 6.1 मध्यप्रदेश का व्यापारिक निर्यात	198
चित्र 6.2: निर्यात केंद्र के रूप में जिला (DEH) पहल की राष्ट्रीय स्थिति	200
चित्र 6.3: एक्सपोर्ट प्रेप्यर्नेस इंडेक्स	205
चित्र 6.4: एक्सपोर्ट प्रेप्यर्नेस इंडेक्स 2024 – मध्यप्रदेश का प्रदर्शन	206
चित्र 6.5: एफडीआई (FDI) इनफ्लो मध्यप्रदेश में	208
चित्र 6.6: मध्यप्रदेश के जिलों में शीर्ष 10 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) इनफ्लो	209
चित्र 6.7: मध्यप्रदेश में महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की एक झलक	213
चित्र 6.8: लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र	222
चित्र 6.9: पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का होम और लॉगिन पेज	223
चित्र 6.10: पीएम गतिशक्ति पोर्टल की उदाहरणात्मक विशेषताएं	225
चित्र 6.11: लीड्स रिपोर्ट का विकास	226
चित्र 6.12: लीड्स 2024 लैंडलॉक्ड क्लस्टर का प्रदर्शन	228
चित्र : 7.1: ALPASS में अनुमोदित प्रमाण पत्र	245
चित्र : 7.2 : ALPASS से अर्जित राजस्व आय 2019 से 2025 तक	245
चित्र 8.1: मध्यप्रदेश में बाल बजट आवंटन में रुझान	280
चित्र 8. 2 श्रम विभाग से संबंधित कुछ प्रमुख योजना के वित्तीय विवरण	285

चित्र 9. 1 मध्यप्रदेश मातृ मृत्यु दर उपलब्धि	303
चित्र 9. 2 पाँच वर्ष से कम उम्र मृत्यु दर (प्रति हजार जीवित जन्म)	305
चित्र 9. 3 6 माह तक केवल स्तनपान वाले बच्चे - उपलब्धि	306
चित्र 9. 4 मध्यप्रदेश पोषण संबंधित उपलब्धि	307
चित्र 11.1 बजट विवरण	365
चित्र 11.2 विगत तीन वर्ष उपलब्धि माँ तुझे प्रणाम	372
चित्र 12.1 वित्त वर्ष 2010-11, 2015-16, 2020-21 से 2025-26 के वन विभाग को बजट आवंटन	386
चित्र 12.2 मध्यप्रदेश एवं भारत में स्टेज ऑफ ग्राउन्ड वाटर डेवलपमेंट की तुलना	391
चित्र 12.3 भूजल विकास के आधार पर म.प्र. के ब्लॉकों / इकाइयों का वर्गीकरण	392
चित्र 12.4 मध्यप्रदेश के जिलों में वर्षा की तुलना	393
चित्र 12.5 मध्यप्रदेश का वर्षा मानचित्र, 2024	393
चित्र 15.1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन का बजटीय आवंटन	455
चित्र 15.2 जिलेवार इनक्यूबेशन केंद्रों की संख्या	461
चित्र 15.3 मध्यप्रदेश में स्टार्टअप्स की प्रवृत्ति (वर्षवार)	462
चित्र 15.4 मध्यप्रदेश में दायर आईपीआर की प्रवृत्ति	464

संक्षेपाक्षर

3D/3डी	त्रि-आयामी / श्री डायमेंशनल
A / ले.	लेखा
A.A.I./ए.ए.आई.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
A.B.P./ए.बी.पी.	एस्पिरेशनल विकासखण्ड कार्यक्रम
A.C.I./ए.सी.आई.	एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल
A.C.P./ ए.सी.पी.	वार्षिक क्रेडिट योजना
A.D.B./ए.डी.बी.	एशियन डेवलपमेंट बैंक
A.E.P.C./ए.ई.पी.सी.	परिधान निर्यात संवर्धन परिषद
A.P.I./ए.पी.आई.	एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस
A.S.Q./ए.एस.क्यू.	एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी
AB-DM/एबी-डीएम	आयुष्मान भारत - डिजिटल मिशन
ABPAS/एबीपीएस	औटोमटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम
AB-PMJAY/एबी-पीएमजेएवाय	आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
Agri-tech/एग्री-टेक	कृषि प्रौद्योगिकी
AI/एआई	आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस
AIC/एआईसी	अटल इनक्यूबेशन केंद्र
AICTE/ एआईसीटीई	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
AIM/एआईएम	अटल इनोवेशन मिशन
AISHE/ए.आई.एस.एच.ई.	अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण
ALPASS/अलपास	स्वचालित लेआउट प्रक्रिया अनुमोदन और जांच प्रणाली
AMRUT/ अमृत	अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन
ANC/एएनसी	प्रसव पूर्व देखभाल
ANM/एएनएम	ऑग्निलरी नर्स मिडवाइफरी
APL/एपीएल	गरीबी रेखा से ऊपर
ASHA/आशा	मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
ASI/ए.एस.आई.	उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण
ATL/एटीएल	अटल टिकरिंग लैब्स
AYUSH/आयुष	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी
B&R/बी एंड आर	पुल एवं सड़क
B.I.S.A.G.-N/बी.ई.स.अ.ग-न.	भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान
B.O.T/बी.ओ.टी.	निर्माण-संचालन-हस्तांतरण

BBMSY/बी.बी.एम.एस.वाई.	भगवान बिरसा मुद्रा स्वरोजगार योजना
BC/ बी.सी.	बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट
BCM /बीसीएम	बिलियन घन मीटर
BE/ब.अ.	बजट अनुमान
BEE/बीईई	ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर
BHIM/भीम.	भारत इंटरफेस फॉर मनी
Biotech/बायोटेक	जैव प्रौद्योगिकी
BMC/बीएमसी	जैव विविधता प्रबंधन समिति
BPL/बीपीएल	गरीबी रेखा के नीचे
BSNL/बीएसएनएल	भारत संचार निगम लिमिटेड
CAGR/सी.ए.जी.आर.	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर
CB/सी.बी./एस.सी.बी.	वाणिज्यिक बैंक / शेड्यूल कमर्शियल बैंक
CCIP/सीसीआईपी	निवेश संवर्धन पर कैबिनेट समिति
CD/सी.डी. अनुपात/सी.डी.आर.	क्रेडिट जमा अनुपात
CDF/सी.डी.एफ.	सहकारी विकास निधि
CDP/सीडीपी	क्लस्टर विकास कार्यक्रम
CGWB/सीजीडब्ल्यूबी	केंद्रीय भूजल बोर्ड
CHO/सीएचओ	सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी
CII/सीआईआई	महत्वपूर्ण सूचना अधोसंरचना / क्रिटिकल इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर
CLP/सीएलपी	कॉम्पेन्सेटरी लैंड पार्सल
CMYPDP/सी.एम.वाई.पी.डी.पी	मुख्यमंत्री युवा पेशेवर विकास कार्यक्रम
CoE/सीओई	उत्कृष्टता केंद्र
CPCT/सीपीसीटी	कंप्यूटर प्रोफिसियेंशी सर्टिफिकेशन टेस्ट
CRSIL/क्रिसिल	क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड
CSC/सी.एस.सी	सामान्य सेवा केंद्र
CSO / सी.एस.ओ.	नागरिक समाज संगठन
CWC / सीडब्ल्यूसी	केंद्रीय जल आयोग
CWSN / सीडब्ल्यूएसएन	चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड
D.E.A.P./डी.ई.ऐ.पी.	जिला निर्यात कार्य योजना
D.E.H./डी.ई.एच.	जिला निर्यात केंद्र
D.E.P.C./डी.ई.पी.सी.	जिला निर्यात संवर्धन परिषद
D.F.C./डी.एफ.सी.	डेडिकेटे फ्रेट कॉरिडोर
D.M.P./डी.एम.पी.	जिला मास्टर प्लान

D.N.I.C./डी.एन.आई.सी.	दिल्ली-नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर
DAY-NULM /- डीएवाईएनयूएलएम	दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
DBAAKY / डी.बी.ए.ए.के.वाई.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना
DBT / डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
DCCB / डी.सी.सी.बी.	जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
DCCC / डी.सी.सी.सी.	जिला कमांड एंड कण्ट्रोल सेंटर
DeGS / डी.ई.जी.एस.	जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी
DIET / डी.आई.ई.टी.	जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों
DIPIP / डी.आई.पी.आई.पी.	उद्योग नीति और निवेश संवर्धन विभाग
DMIC / डी.एम.आई.सी.	दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा
DPIIT / डी.पी.आई.आई.टी.	उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
DRTB / डी.आर.टी.बी.	ड्रग रेजिस्ट्रेंट ट्यूबरक्लोसिस
DSM / डी.एस.एम.	डिजिटल सरफेस मॉडल
DST / डी.एस.टी.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
DTM / डी.टी.एम.	डिजिटल टेरेन मॉडल
DWRS / डी.डब्ल्यू.आर.एस.	आपदा चेतावनी प्रतिक्रिया प्रणाली
E.X.I.M./ए.एक्स.ई.ऍम.	भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EC / ई.सी .	पर्यावरण मंजूरी
EDC / ई.डी.सी.	उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ
EDUSAT / ई.डी.यू.एस.टी.	शैक्षिक उपग्रह
EGOS / ई.जी.ओ.एस.	सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह
EHM / ई.एच.एम.	इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण
EMC / ई.एम.सी.	इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर
EO / ई.ओ.	पृथ्वी अवलोकन (Earth Organization)
EPC / ई.पी.सी.	निर्यात संवर्धन परिषद
EPCO / ईई.पी.सी.ओ.	पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन
EPI / ई.पी.आई.	निर्यात तैयारी सूचकांक
ERP / ई.आर.पी	उद्यम संसाधन योजना
ESDM / ई.एस.डी.एम.	इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण
F.I.E.O./एफ.ई.इ.ओ.	भारतीय निर्यात संगठनों का महासंघ
F.K.C.C./एफ.के.सी.सी.	कर्नाटक वाणिज्य एवं उद्योग संघ
F.Y./एफ.वाई.	वित्तीय वर्ष
FCM / एफ.सी.एम.	फ्रेरिक कार्बोक्सी माल्टोस

FDI / एफ.डी.आई.	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
FLCC / एफ.एल.सी.सी.	वित्तीय साक्षरता और क्रेडिट परामर्श केंद्र
FLN / एफ.एल.एन.	मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता
FRBM / एफ.आर.बी.एम.	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम
FRL / एफ.आर.एल.	पूर्ण जलाशय स्तर
FRU / एफ.आर.यू.	प्रथम रेफरल यूनिट
G.C.C./जी.सी.सी.	वैश्विक क्षमता केंद्र
G2C / जी2सी	गवर्नमेंट टू कंजूमर
GEPNIC / जी.ई.पी.एन.आई.सी.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम
GER / जी.ई.आर.	सकल नामांकन दर
GGI / जी.जी.आई	सुशासन सूचकांक
GIS / जी.आई.एस.	भौगोलिक सूचना प्रणाली
GNM / जी.एन.एम.	जनरल नर्सिंग एवं मिड्वाइफरी
GoI / जी.ओ.आई.	भारत सरकार
GoMP/ जी.ओ.एम.पी. /म. प्र.	मध्यप्रदेश शासन
GPS / जी.पी.एस.	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
GSDP / जी.एस.डी.पी.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
GSS / जी.एस.एस.	सरकार प्रायोजित योजना
GST / जी.एस.टी.	वस्तु एवं सेवा कर
GVA / जी.वी.ए.	सकल वर्धित मूल्य
H.O.G./एच.ओ.जी.	हेड ऑन जनरेशन
HBIG / एच.बी.आई.गी.	हेपटाइटिस बी इम्यूनो ग्लोबुलिन
HIV/एच आई व्ही	ह्युमन इम्यूनोडिफेंसिअन्सी वायरस
HMIS / एच.एम.आईएस	हेल्थ मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम
HRMS / एच.आर.एम.एस	मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली
HT / एच.टी.	हार्ड टेंशन
HUDCO / हुडको	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
HWC / एच.डब्ल्यू.सी.	हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर
I.C.D./आई.सी.डी.	इनलैंड कंटेनर डिपो
I.E.S.A./आई.एस.ऐ	इंडिया एनर्जी स्टोरेज एलायंस
I.P.M.S./आई.पी.एम.एस.	एकीकृत परियोजना प्रबंधन प्रणाली
I.T./I.T.E.S./आई.टी./आई.टी.ई.एस.	सूचना प्रौद्योगिकी / सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ
ICCC / आई.सी.सी.सी.	एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र

ICD / आई.सी.डी.	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
ICRT / आई.सी.आर.टी.	जिम्मेदारपर्यटन के लिए राष्ट्रीय केंद्र
ICU / आई.सी.यू.	गहन चिकित्सा इकाई
IFA / आई.एफ.ए.	आयरन फोलिक एसिड
IGRS / आई.जी.आर.एस.	पंजीकरण और स्टाम्प महानिरीक्षक
IIRS / आई.आई.आर.एस.	भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान
IISER / आई.आई.एस.ई.आर.	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान
IISF / आई.आई.एस.एफ.	भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव
IIT / आई.आई.टी.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
IMC / आई.एम.सी.	इंदौर नगर निगम
IMR / आई.एम.आर.	शिशु मृत्यु दर
INSAT / आई.एन.एस.ए.टी.	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह
IoT / आई.ओ.टी.	इंटरनेट ऑफ थिंग्स
IPDS / आई.पी.डी.एस.	एकीकृत विद्युत विकास योजना
IPPB / आई.पी.पी.बी.	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक
IPR / आई.पी.आर.	बौद्धिक संपदा अधिकार
ISRO / इसरो	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
IT / आई.टी.	सूचना प्रौद्योगिकी
ITA / आई.टी.आई.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
ITCTA / आई.टी.सी.टी.ए.	अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन और यात्रा पुरस्कार
ITeS / आई.टी.ई.एस.	सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं
IUCD / आई.यू.सी.डी.	अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण
IWMP / आई.डब्ल्यू.एम.पी.	एकीकृत वाटरशेड कार्यक्रम
IYCF / आई.वाई.सी.एफ.	इन्फैंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग
JSK / जे.एस.के.	जननी सुरक्षा योजना
JSSK / जे.एस.एस.के.	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
K.A.S.S.I.A./के.ऐ.एस.एस.ई.ऐ.	कर्नाटक लघु उद्योग संघ
KW / के.डब्ल्यू.	किलो वाट
L.E.A.D.S./लीड्स	लोजिस्टिक्स इज़ अचक्रोस डिफरेंट स्टेट्स
L.P.I./एल.पी.आई	लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक
LaQshya / लक्ष्य.	लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेन्ट इनिशियटिव
LMS / एल.एम.एस	लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम
LSK / एल.एस.के	लोक सेवा केंद्र

LT / एल.टी.	लो टेंशन
LUN / एलयूएन	लघु उद्योग निगम
LWM / एल.डब्ल्यू.एम	तरल अपशिष्ट प्रबंधन
M.M.L.P./एम.एम.एल.पी.	मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क
M.o.U./एम.ओ.यू.	एम.ओ.युओ
M.P.R.D.C./एम.पी.आर.डी.सी.	मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम
M.P.T.P.C./एम.पी.टी.पी.सी.	मध्यप्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद
M.S.M.E./एम.एस.एम.ई.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
MBGL / एमबीजीएल	भूजल स्तर से मीटर नीचे
MGNREGA / मनरेगा	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
ML / एमएल	मशीन लर्निंग
MMGVY / एम.एम.जी.वी.वाई.	मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विकास योजना
MMR / एम.एम.आर.	मातृ मृत्यु दरअनुपात
MMSY / एस.आर.एस.वाई.	संत रविदास स्वरोजगार योजना
MMUKY / एम.एम.यू.के.वाई.	मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
MNCFC / एमएनसीएफसी	महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र
MoHUA / एमओएचयूए	शहरी आवासन एवं कार्य मंत्रालय
MP SWAN / मप्र एसडब्ल्यूएएन	मध्यप्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क
MPCST / एमपीसीएसटी	मध्यप्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद
MPIDC / एमपीआईडीसी	मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम
MPMRCL / एमपीएमआरसीएल	मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
MPRC / एम.पी.आर.सी.पी.	मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता परियोजना
MPSACS/एमपीएसएसीएस	म. प्र. राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी
MPSDR / एम.पी.एस.डी.आर	मध्यप्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट
MPSEDC / एम.पी.एस.ई.डी.सी	मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड
MP-SEIAA / एम.पी.एस.ई.आई.ए.ए.	म.प्र. राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण
MPSPPC / एम.पी.एस.पी.पी.सी	मध्यप्रदेश राज्य नीति और योजना आयोग
MPSRTC / एम.पी.एस.आर.टी.सी.	राज्य सड़क परिवहन निगम
MPSSDI / एम.पी.एस.एस.डी.आई.	मध्यप्रदेश राज्य स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर
MPSTCB / एम.पी.एस.टी.सी.बी.	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक
MPUDC / एम.पी.यू.डी.सी.	मध्यप्रदेश नगरीय विकास कंपनी
MRF / एम.आर.एफ.	मटीरीअल रिकवरी फेसिलिटी
MSME / एम.एस.एम.ई.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

MW/ मि.डब्ल्यू.	मेगा वाट
N .A .S .S .C .O .M . / एन . ऐ . एस . एस.सी.ओ.एम्.	नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज
N.D.B./एन.डी.बी.	नेशनल डेवलपमेंट बैंक
N.H./एन.एच.	राष्ट्रीय राजमार्ग
N.H.L.M.L./एन.एच.एल.एम.एल.	राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स प्रबंधन लिमिटेड
N.O.C./एन.ओ.सी.	अनापत्ति प्रमाण पत्र
N.P.G./एन.पी.जी.	नेटवर्क योजना समूह
NABARD / नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
NACO/नाको	नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन
NAS / एन.ए.एस.	राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण
NCC/एन. सी. सी.	नेशनल कडेट कॉर्पस
NeGP / एन.ई.जी.पी	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान
NEP / एन.ई.पी.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
NFSCOB / एन.एफ.एस.सी.ओ.बी.	राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय संघ
NIC / एन.आई.सी.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
NMDC / एन.एम.डी.सी.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम
NMSH / एन.एम.एस.एच.	सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन
NPA / एन.पी.ए.	गैर-निष्पादित परिसंपत्ति
NPG / एन.पी.जी.	नेटवर्क योजना समूह
NSS/रासेयो	राष्ट्रीय सेवा योजना
NVA / एन.वी.ए.	शुद्ध वर्धित मूल्य
NVDA / एन.वी.डी.ए.	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
O.M.T./ओ.एम.टी.	संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण
ODF / ओ.डी.एफ.	खुले में शौच मुक्त (ओपन डेफेकेशन मुक्त)
ODOP / ओ.डी.ओ.पी.	एक जिला एक उत्पाद
P.C.C./पी.सी.सी.	
P.M.B.J.K./पी.एम.बी.जे.के.	प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र
P.P.P./पी.पी.पी.	सार्वजनिक-निजी भागीदारी
P.S.R./पी.एस.आर.	स्थायी गति प्रतिबंध
P.W.D./पी.डब्ल्यू.डी.	लोक निर्माण विभाग
PACS / पी.ए.सी.एस./ पैक्स	प्राथमिक कृषि ऋण समिति
PCI / पी.सी.आई.	पेवमेंट कन्डिशन इंडेक्स

PEMT / पी.ई.एम.टी.	परियोजना ई-मिशन टीम
PESA / पेसा.	पंचायत का अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार
PhD / पी.एच.डी.	डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी
PIB / पी.आई.बी.	प्रेस सूचना ब्यूरो
PMAY-U / पी.एम.ए.वाई-यू	प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी
PMEGP / पी.एम.ई.जी.पी.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
PMJDY / पी.एम.जे.डी.वाई.	प्रधानमंत्री जन धन योजना
PMJJBY / पी.एम.जे.जे.बी.वाई.	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
PMSBY / पी.एम.एस.बी.वाई.	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
PMU / पी.एम.यू.	परियोजना निगरानी इकाई
PoS / पी.ओ.एस.	पॉइंट ऑफ़ सेल
PSB / पी.एस.बी.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
PSL / पी.एस.एल.	प्राथमिक क्षेत्र ऋण/ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के
PSU / पी.एस.यू.	लोक सेवा उपक्रम
PWD / पी.डब्ल्यू.डी.	लोक निर्माण विभाग
R.I.C./आर.आई.सी.	रीजनल इंडस्ट्री कांक्लोवे
R.O.B./आर.ओ.बी.	रेल ओवर ब्रिज
R.V.N.L./आर.वी.एन.एल.	रेल विकास निगम लिमिटेड
RBI / आर.बी.आई.	भारतीय रिजर्व बैंक
RDC / आर.डी.सी.	सड़क विकास निगम
RE / ए.ए.	पुनरीक्षित अनुमान
NERA / रेरा.	रियल एस्टेट रेगुलेशन ऑथोरिटी
RIDF / आर.आई.डी.एफ.	ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि
RIOP / आर.आई.ओ.पी	रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल
RMSA / आर.एम.एस.ए.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
RNTU / आर.एन.टी.यू.	रबींद्र नाथ टैगोर विश्वविद्यालय
ROW / आर.ओ.डब्ल्यू.	राईट ऑफ़ वे
RRB / आर.आर.बी.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
RRC/आरआरसी	रेड रिबन क्लब
RRDA / आर.आर.डी.ए.	ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
RS / आर.एस.	रिमोट सेंसिंग
RUSA / रूसा.	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
S&T / एस.एंड.टी.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी

S.E.P.C./एस.ई.पी.सी.	राज्य निर्यात संवर्धन परिषद
S.E.Z./एस.ई.जेड.	विशेष आर्थिक क्षेत्र
S.H./एस.एच.	राज्य राजमार्ग
S.M.P./एस.एम.पी.	राज्य मास्टर प्लान
S.W.A.N / एस.डब्ल्यू.ए.एन.	स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क
SAR / एस.ए.आर.	सिंथेटिक एपर्चर रडार
SBM / एस.बी.एम.	स्वच्छ भारत मिशन
SC / एस.सी.	अनुसूचित जाति
SCCC / एस.सी.सी.सी.	राज्य कमांड और कंट्रोल सेंटर
SCD / एस.सी.डी.	एकल नागरिक डेटाबेस
SDC / एस.डी.सी	स्टेट डेटा सेंटर
SDERF / एस.डी.ई.आर.एफ.	राज्य आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया बल
SDSWAN / एस.डी.एस.डब्ल्यू.ए.एन.	सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क
SDWAN / एस.डी.डब्ल्यू.ए.एन.	सॉफ्टवेयर परिभाषित वाइड एरिया नेटवर्क
SEAC / एस.ई.ए.सी.	राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
SEMT / एस.ई.एम.टी.	राज्य ई-मिशन टीम
SEZ / एस.ई.जेड.	विशेष आर्थिक क्षेत्र
SFB / एस.एफ.बी.	लघु वित्त बैंक
SHG / एस.एच.जी.	स्वयं सहायता समूह
SIRD / एस.आई.आर.डी.	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान
SISDP / एस.आई.एस.डी.पी.	विकेंद्रीकृत योजना के लिए अंतरिक्ष आधारित सूचना सहायता
SLA / एस.एल.ए.	राज्य स्तरीय एजेंसी
SLBC / एस.एल.बी.सी.	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
SPD / एस.पी.डी.	राज्य परियोजना विभाग
SPV / एस.पी.वी.	विशेष प्रयोजन वाहन
SRDH / एस.आर.डी.एच.	स्टेट रेजिडेंट डेटा हब
S.S.A / एस.एस.ए.	उप सेवा क्षेत्र
SSA / एस.एस.ए.	सर्व शिक्षा अभियान
ST / एसटी	अनुसूचित जनजाति
STCCS / एस.टी.सी.सी.एस.	अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना
STI / एस.टी.आई.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार
SWM / एस.डब्ल्यू.एम	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
T&CP / टी.एंड.सी.पी.	टाउन एंड कंट्री प्लानिंग

T.C.S./टी.सी.एस.	टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज
T.I.E./टी.आई.ई.	द इंडस एंटरप्रेन्योर्स
T.S.U./टी.एस.यू.	तकनीकी सहायता इकाई
TB/टी बी	क्षय रोग
TCU / टी.सी.यू.	प्रशिक्षण सहयोग इकाई
Tech / टेक.	टेक्नोलॉजी
TMAKY / टी.एम.ए.के.वाई.	टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना
TPS / टी.पी.सी.	व्यापार संवर्धन परिषद
TULIP / टूलिप	शहरी शिक्षण इंटरनशिप कार्यक्रम
U.A.E./यू.ए.ई.	संयुक्त अरब अमीरात
U.D.A.N./यु.डा.अ.न.	उड़े देश का आम नागरिक
U.K./यू.के.	यूनाइटेड किंगडम
U.S.A./यू.एस.ए.	संयुक्त राज्य अमेरिका
U.T./यू.टी.	केंद्र शासित प्रदेश
UADD / यू.ए.डी.डी.	नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय
UAV / यू.ए.वी.	मानव रहित हवाई वाहन
UDHD / यू.डी.एच.डी.	नगरीय विकास एवं आवास विभाग
UDISE / यू.डी.आई.एस.ई.	यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इनफार्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन
UIDAI / यू.आई.डी.ए.आई.	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
ULB / यू.एल.बी.	नगरीय निकाय
UNESCAP / यू.एन.ई.एस.सी.ए.पी.	एशिया और प्रशांत क्षेत्र हेतु संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग
VBSR / वी.बी.एस.आर.	वल्लभ भवन सिचुएशन रूम
VLII / वी.एल.ई	वर्चुअल लर्निंग-आधारित ई-लर्निंग
WCR / डब्ल्यू.सी.आर.	पश्चिम मध्य रेलवे
WDF / डब्ल्यू.डी.एफ.	वाटरशेड विकास निधि
WRD / डब्ल्यू.आर.डी.	जल संसाधन विभाग

राज्य की अर्थव्यवस्था — एक समग्र परिदृश्य

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ कृषि आधार, उद्योग एवं अधोसंरचना गतिविधियों में विस्तार तथा सेवा क्षेत्र की निरंतर वृद्धि के आधार पर आगे बढ़ी है। विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन और पूंजीगत व्यय पर निरंतर बल के परिणामस्वरूप राज्य के प्रमुख आर्थिक संकेतकों में हाल के वर्षों में सुधार दर्ज किया गया है।

राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि का प्रमुख आधार घरेलू मांग, निजी उपभोग तथा सकल स्थायी पूंजी निर्माण रहा है, जबकि आपूर्ति पक्ष पर सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक बना हुआ है। इसी व्यापक राष्ट्रीय प्रवृत्ति के अनुरूप मध्यप्रदेश में भी कृषि की स्थिरता, विनिर्माण एवं निर्माण गतिविधियों में गति तथा व्यापार, परिवहन, वित्तीय एवं व्यावसायिक सेवाओं के विस्तार ने समग्र आर्थिक वृद्धि को समर्थन प्रदान किया है।

राज्य की विकास रणनीति समृद्ध मध्यप्रदेश@2047 की दीर्घकालिक परिकल्पना के अनुरूप अधोसंरचना-आधारित वृद्धि, विनिर्माण विस्तार, लॉजिस्टिक्स दक्षता, मानव संसाधन विकास तथा राजकोषीय समेकन पर केंद्रित रही है। निवेश सुगमता, औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स नीतिगत सुधारों तथा बैंकिंग एवं ऋण प्रवाह में वृद्धि के माध्यम से कृषि, MSME और परिवारों की उत्पादक क्षमता में सुदृढ़ीकरण हुआ है।

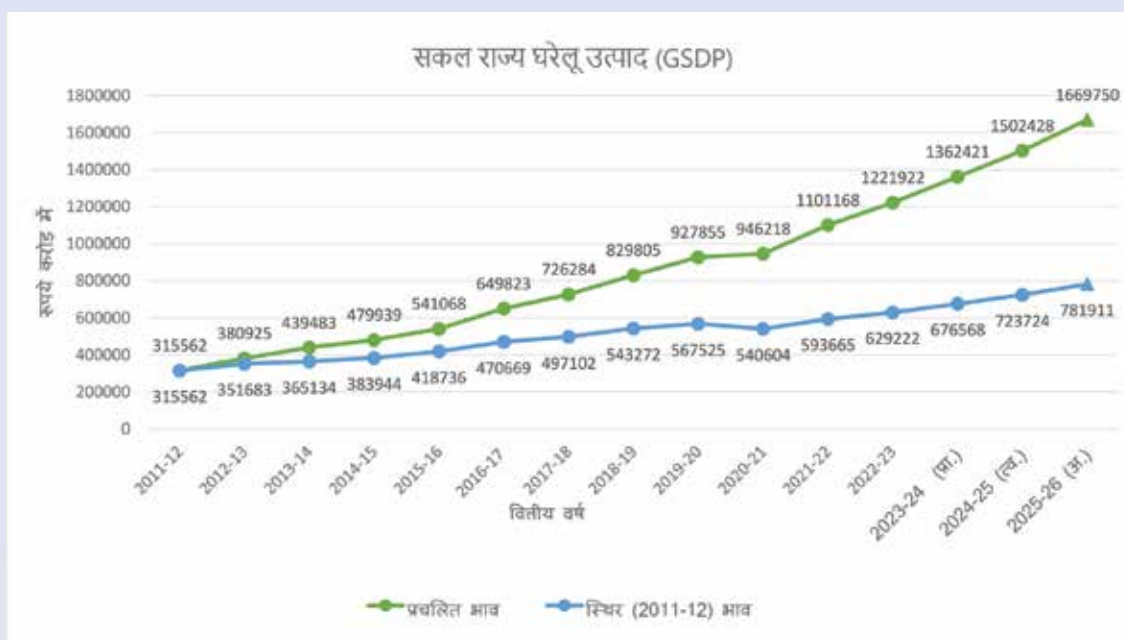
मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 राज्य की आर्थिक स्थिति, प्रमुख प्रवृत्तियों और नीतिगत प्राथमिकताओं का समग्र आकलन प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में, अध्याय 1 राज्य की अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP), प्रति व्यक्ति आय, सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) की क्षेत्रीय संरचना, लोक वित्त, बैंकिंग एवं ऋण प्रवाह, कृषि, उद्योग, अधोसंरचना और सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख प्रवृत्तियों का सार प्रस्तुत किया गया है। यह अध्याय सर्वेक्षण के आगामी अध्यायों के लिए विश्लेषणात्मक आधार प्रदान करता है।

1.1 आर्थिक वृद्धि एवं समग्र आर्थिक परिदृश्य

मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था का समेकित आकलन-उत्पादन, आय एवं क्षेत्रीय गतिकी के संयुक्त विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। इस उद्देश्य से राज्य के आर्थिक प्रदर्शन का मूल्यांकन सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP), प्रति व्यक्ति आय तथा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों के प्रदर्शन से संबंधित प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है, जिससे आर्थिक वृद्धि की दिशा, आय विस्तार तथा संरचनात्मक संतुलन के संबंध में स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है।

1.1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP): प्रचलित भाव एवं स्थिर (2011-12) भाव

प्रचलित भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में दर्ज वृद्धि आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर मूल्य प्राप्ति को प्रतिबिंबित करती है। वहीं, स्थिर (2011-12) भाव पर GSDP के रुझान यह स्पष्ट करते हैं कि राज्य का आर्थिक विस्तार मुख्यतः वास्तविक उत्पादन में वृद्धि पर आधारित रहा है। प्रचलित एवं स्थिर—दोनों भाव पर GSDP के रुझान समग्र रूप से यह संकेत देते हैं कि राज्य की आर्थिक वृद्धि सुदृढ़ बनी रही है एवं व्यापक राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के अनुरूप रही है।



(प्रा.): प्रावधिक अनुमान (त्व.): त्वरित अनुमान (अ.): अग्रिम अनुमान

स्त्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन

चित्र 1.1 मध्यप्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP): प्रचलित भाव एवं स्थिर (2011-12) भाव

प्रचलित भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद

वित्तीय वर्ष 2025-26 (अग्रिम अनुमान) में मध्यप्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर ₹16,69,750 करोड़ अनुमानित है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 (त्वरित अनुमान) में यह ₹15,02,428 करोड़ रहा था। इस प्रकार विगत वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.14 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। यह वृद्धि राज्य की समग्र आर्थिक गतिविधियों के विस्तार तथा विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य स्तरों में हुए परिवर्तनों को परिलक्षित करती है। इस अवधि के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों, निर्माण एवं सेवा क्षेत्रों का योगदान प्रचलित भाव पर GSDP के आकार को बढ़ाने में सहायक रहा।

स्थिर (2011-12) भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद

वित्तीय वर्ष 2025-26 (अग्रिम अनुमान) में मध्यप्रदेश का GSDP स्थिर (2011-12) भाव पर ₹7,81,911 करोड़ अनुमानित है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 (त्वरित अनुमान) के ₹7,23,724 करोड़ की तुलना में वास्तविक उत्पादन में विस्तार को दर्शाता है। इस प्रकार विगत वर्ष की तुलना में स्थिर भाव पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद में 8.04 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। स्थिर भाव पर GSDP की यह वृद्धि राज्य की आर्थिक गतिविधियों में वास्तविक गति को प्रतिबिंबित करती है, जिसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों, निर्माण गतिविधियों तथा सेवा क्षेत्र की निरंतर भागीदारी रही है।

1.1.2 प्रति व्यक्ति शुद्ध आय : प्रचलित भाव एवं स्थिर (2011-12) भाव

वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2025-26 की अवधि के दौरान मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है, जो राज्य की आर्थिक प्रगति के साथ आय स्तरों में हुए विस्तार को दर्शाती है।

प्रचलित भाव पर, प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2011-12 में ₹38,497 से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 (अग्रिम अनुमान) में ₹1,69,050 हो गया है। यह वृद्धि राज्य में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार तथा विभिन्न क्षेत्रों में आय सृजन में हुई वृद्धि से संबद्ध रही है।

स्थिर (2011-12) भाव पर, इसी अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति शुद्ध आय ₹38,497 से बढ़कर ₹76,971 हो गया है, जो वास्तविक आय स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि को परिलक्षित करता है।

समग्र रूप से, प्रचलित एवं स्थिर - दोनों भाव पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के रुझान यह संकेत देते हैं कि राज्य की आर्थिक वृद्धि का लाभ औसत आय स्तर में वृद्धि के रूप में परिलक्षित हुआ है।



(प्रा.): प्रावधिक अनुमान (त्व.): त्वरित अनुमान (अ.): अग्रिम अनुमान

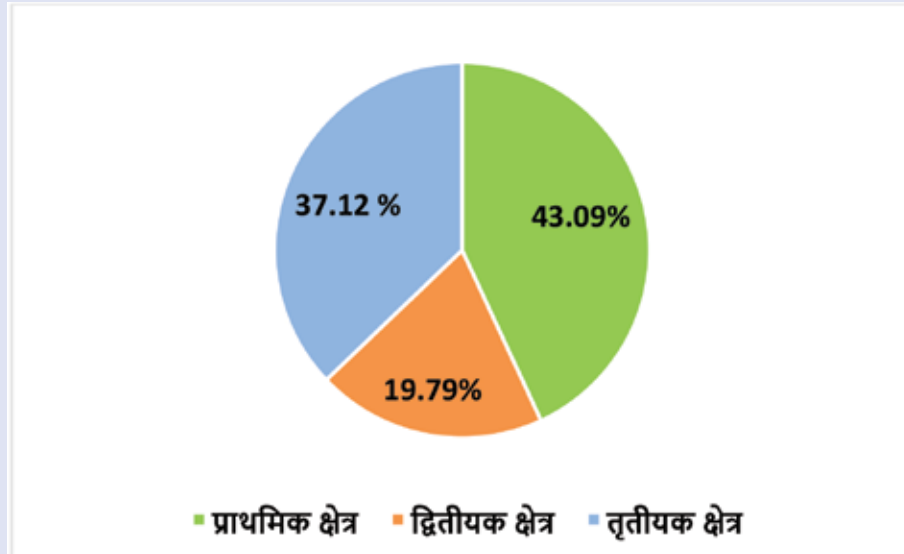
स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन

चित्र 1.2 प्रति व्यक्ति शुद्ध आय : प्रचलित भाव एवं स्थिर (2011-12) भाव

1.1.3 अर्थव्यवस्था की संरचना

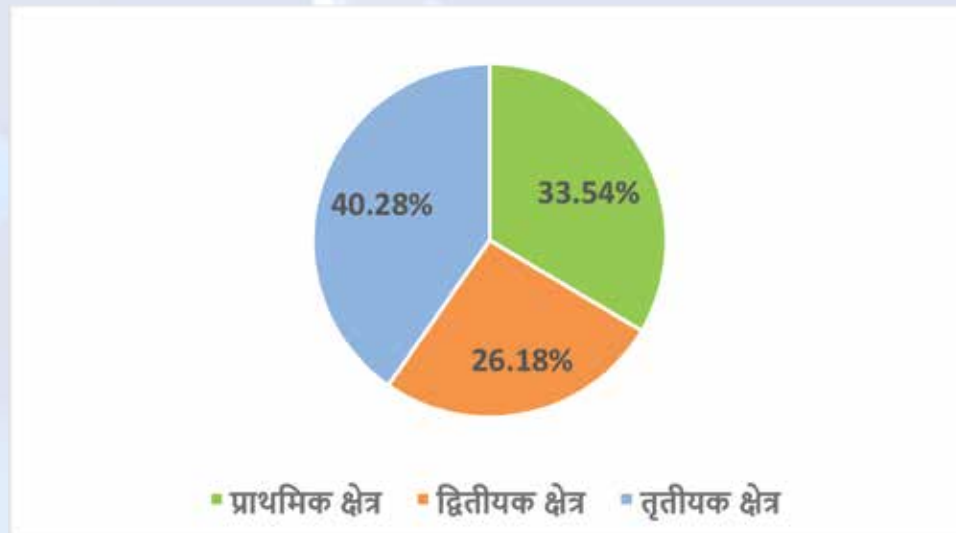
मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था की संरचना एक विविधीकृत वृद्धि परिदृश्य को प्रतिबिंबित करती है, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों का योगदान समय के साथ विकसित होता रहा है। सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) की क्षेत्रवार प्रवृत्तियाँ आर्थिक गतिविधियों की बदलती संरचना, उत्पादन क्षेत्रों की सापेक्षिक सुदृढ़ता तथा वास्तविक वृद्धि की गति के स्रोतों के संबंध में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। प्रचलित भाव तथा स्थिर (2011-12) भाव - दोनों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) का विश्लेषण मूल्य परिवर्तनों, उत्पादन विस्तार एवं संरचनात्मक परिवर्तन के पारस्परिक प्रभाव को रेखांकित करता है।

चित्र 1.3 एवं 1.4 वित्तीय वर्ष 2025-26 (अग्रिम अनुमान) के लिए क्रमशः प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) भाव पर सकल राज्य मूल्य वर्धन की क्षेत्रवार संरचना को प्रदर्शित करते हैं।



स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन

चित्र 1.3 : मध्यप्रदेश में सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) की क्षेत्रवार संरचना (प्रतिशत), प्रचलित भाव पर, वित्तीय वर्ष 2025-26 (अ)



स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन

चित्र 1.4 : मध्यप्रदेश में सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) की क्षेत्रवार संरचना (प्रतिशत), स्थिर (2011-12) भाव पर, वित्तीय वर्ष 2025-26 (अ)

प्राथमिक क्षेत्र

प्राथमिक क्षेत्र मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है। साथ ही, कृषि से संबद्ध अन्य गतिविधियों के विस्तार के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक विविधीकरण परिलक्षित होता है, जिसके कारण प्राथमिक क्षेत्र के विभिन्न घटकों की सापेक्ष हिस्सेदारी में गत वर्षों के दौरान परिवर्तन दर्ज किया गया है।



वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान प्रचलित भाव पर GSVa का 43.09 प्रतिशत तथा स्थिर (2011-12) भाव पर 33.54 प्रतिशत रहा, जो क्रमिक संरचनात्मक विविधीकरण के बावजूद इसके निरंतर महत्व को दर्शाता है।

फसलें प्राथमिक क्षेत्र का सबसे बड़ा घटक बनी हुई हैं, जबकि पशुधन एक स्थिर एवं विस्तारशील उप-क्षेत्र के रूप में उभरा है। वानिकी का योगदान अपेक्षाकृत स्थिर रहा है तथा मत्स्यन एवं जलीय कृषि ने सीमित हिस्सेदारी के बावजूद निरंतर वृद्धि दर्ज की है। स्थिर भाव पर, प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि सकारात्मक किंतु मध्यम रही, जिससे यह संकेत मिलता है कि वर्तमान विस्तार मुख्यतः कृषि-संबद्ध गतिविधियों एवं विविधीकरण से प्रेरित रहा है।

तालिका 1.1 प्राथमिक क्षेत्र - प्रचलित भाव एवं स्थिर (2011-12) भाव पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA)

(राशि: ₹ करोड़ में)

उप-क्षेत्र	GSVA (प्रचलित भाव)		GSVA (स्थिर भाव)	
	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26
फसलें	4,47,476	4,76,024	1,55,068	1,55,959
पशुधन	1,00,845	1,13,913	39,990	44,312
वानिकी	31,304	33,633	15,686	16,084
मत्स्यन एवं जलीय कृषि	8,230	9,532	3,834	4,305
खनन एवं उत्खनन	45,677	46,715	20,016	20,679
प्राथमिक क्षेत्र (कुल)	6,33,532	6,79,817	2,34,594	2,41,338

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन

तालिका 1.2 प्राथमिक क्षेत्र - सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में योगदान एवं वृद्धि प्रवृत्तियाँ

उप-क्षेत्र	GSVA में योगदान (%) (प्रचलित भाव)		योगदान में परिवर्तन (%)	वृद्धि दर (%) (2025-26)	
	2024-25	2025-26		प्रचलित भाव	स्थिर (2011-12) भाव
फसलें	31.44	30.17	-1.27	6.38	0.57
पशुधन	7.08	7.22	+0.14	12.96	10.81
वानिकी	2.20	2.13	-0.07	7.44	2.54
मत्स्यन एवं जलीय कृषि	0.58	0.61	+0.03	15.81	12.27
खनन एवं उत्खनन	3.21	2.96	-0.25	2.27	3.31
प्राथमिक क्षेत्र (कुल)	44.51	43.09	-1.42	7.31	2.87

टिप्पणी: अर्थव्यवस्था के सापेक्ष आकार एवं संरचना को दर्शाने हेतु क्षेत्रवार हिस्सेदारी एवं उसमें हुए परिवर्तन प्रचलित भाव पर प्रस्तुत किए गए हैं। वहीं, वृद्धि दरें प्रचलित भाव तथा स्थिर (2011-12) भाव - दोनों पर प्रदर्शित की गई हैं, ताकि मूल्य-आधारित विस्तार एवं वास्तविक उत्पादन वृद्धि के बीच अंतर को स्पष्ट किया जा सके।

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन

मुख्य निष्कर्ष

1. फसलें:

GSVA में फसलों का योगदान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 31.44 प्रतिशत था, जो वर्ष 2025-26 में 30.17 प्रतिशत हो गया है, जबकि प्रचलित भाव पर इसका मूल्य ₹4,47,476 करोड़ से बढ़कर ₹4,76,024 करोड़ हुआ है। वृद्धि दर प्रचलित भाव पर 6.38 प्रतिशत तथा स्थिर (2011-12) भाव पर 0.57 प्रतिशत रही, जो वास्तविक उत्पादन में मध्यम विस्तार को दर्शाती है।

2. पशुधन:

पशुधन का GSVA में योगदान 7.08 प्रतिशत से बढ़कर 7.22 प्रतिशत हो गया। प्रचलित भाव पर GSVA ₹1,00,845 करोड़ से बढ़कर ₹1,13,913 करोड़ रहा। वृद्धि दर प्रचलित भाव पर 12.96 प्रतिशत तथा स्थिर (2011-12) भाव पर 10.81 प्रतिशत रही, जो कृषि-संबद्ध गतिविधियों में सशक्त वास्तविक विस्तार को दर्शाती है।

3. वानिकी:

वानिकी का प्रचलित भाव पर योगदान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2.20 प्रतिशत था जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2.13 प्रतिशत हुआ है। प्रचलित भाव पर GSVA ₹31,304 करोड़ से बढ़कर ₹33,633 करोड़ हो गया है। वृद्धि दर प्रचलित भाव पर 7.44 प्रतिशत तथा स्थिर (2011-12) भाव पर 2.54 प्रतिशत रही।

4. मत्स्यन एवं जलीय कृषि:

मत्स्यन एवं जलीय कृषि का प्रचलित भाव पर योगदान 0.58 प्रतिशत से बढ़कर 0.61 प्रतिशत हो गया। प्रचलित भाव पर GSVA ₹8,230 करोड़ से बढ़कर ₹9,532 करोड़ रहा। वृद्धि दर प्रचलित भाव पर 15.81 प्रतिशत तथा स्थिर भाव पर 12.27 प्रतिशत रही, जो इस उप-क्षेत्र की उभरती भूमिका को दर्शाती है।

5. खनन एवं उत्खनन:

खनन एवं उत्खनन का प्रचलित भाव पर योगदान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3.21 प्रतिशत था, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2.96 प्रतिशत रहा। प्रचलित भाव पर GSVA ₹45,677 करोड़ से बढ़कर ₹46,715 करोड़ रहा। वृद्धि दर प्रचलित भाव पर 2.27 प्रतिशत तथा स्थिर भाव पर 3.31 प्रतिशत रही, जो वास्तविक उत्पादन में तुलनात्मक स्थिरता को दर्शाती है।

द्वितीयक क्षेत्र

द्वितीयक क्षेत्र का GSVA में योगदान राज्य में औद्योगिक एवं अधोसंरचना विकास की प्रगति को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसका योगदान प्रचलित भाव पर 19.79 प्रतिशत तथा स्थिर भाव पर 26.18 प्रतिशत रहा, जिससे वास्तविक रूप से इसकी सुदृढ़ उपस्थिति परिलक्षित होती है। विनिर्माण एवं निर्माण क्षेत्र सार्वजनिक एवं निजी निवेश के चलते प्रमुख चालक बना रहा, जबकि विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं में ऊर्जा उपलब्धता एवं अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण के कारण सतत् वृद्धि दर्ज की गई। प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) भाव पर हिस्सेदारी में अंतर यह संकेत देता है कि द्वितीयक क्षेत्र की वृद्धि वास्तविक उत्पादन में सुधार, विशेष रूप से निर्माण एवं उपयोगिता सेवाओं, द्वारा समर्थित रही है।



**तालिका 1.3 द्वितीयक क्षेत्र- प्रचलित भाव एवं स्थिर (2011-12) भाव पर
सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA)**

(राशि: ₹ करोड़ में)

उप-क्षेत्र	GSVA (प्रचलित भाव)		GSVA (स्थिर भाव)	
	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26
विनिर्माण	1,06,552	1,13,933	75,634	79,262
विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ	49,262	52,894	35,084	38,024
निर्माण	1,28,311	1,45,523	65,612	71,155
द्वितीयक क्षेत्र (कुल)	2,84,125	3,12,350	1,76,329	1,88,441

स्त्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन

तालिका 1.4 द्वितीयक क्षेत्र- सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में योगदान एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

उप-क्षेत्र	GSVA में योगदान (%) (प्रचलित भाव)		योगदान में परिवर्तन (%)	वृद्धि दर (%) (2025-26)	
	2024-25	2025-26		प्रचलित भाव	स्थिर भाव
विनिर्माण	7.49	7.22	-0.27	6.93	4.80
विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ	3.46	3.35	-0.11	7.37	8.38
निर्माण	9.01	9.22	+0.21	13.41	8.45
द्वितीयक क्षेत्र (कुल)	19.96	19.79	-0.17	9.93	6.87

टिप्पणी: अर्थव्यवस्था के सापेक्ष आकार एवं संरचना को दर्शाने हेतु क्षेत्रवार हिस्सेदारी एवं उसमें हुए परिवर्तन प्रचलित भाव पर प्रस्तुत किए गए हैं। वहीं, वृद्धि दरें प्रचलित भाव तथा स्थिर (2011-12) भाव - दोनों पर प्रदर्शित की गई हैं, ताकि मूल्य-आधारित विस्तार एवं वास्तविक उत्पादन वृद्धि के बीच अंतर को स्पष्ट किया जा सके।

स्त्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन

मुख्य निष्कर्ष

1. विनिर्माण:

GSVA में विनिर्माण का योगदान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7.49 प्रतिशत था, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7.22 प्रतिशत रहा, जबकि प्रचलित भाव पर GSVA ₹1,06,552 करोड़ से बढ़कर ₹1,13,933 करोड़ हुआ है। वृद्धि दर प्रचलित भाव पर 6.93 प्रतिशत तथा स्थिर भाव पर 4.80 प्रतिशत रही, जो वास्तविक उत्पादन में स्थिर किंतु मध्यम विस्तार को दर्शाती है।

2. विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ:

इस क्षेत्र का योगदान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3.46 प्रतिशत था, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3.35 प्रतिशत रहा, जबकि प्रचलित भाव पर GSVA ₹49,262 करोड़ से बढ़कर ₹52,894 करोड़ हो गया। वृद्धि दर प्रचलित भाव पर 7.37 प्रतिशत तथा स्थिर भाव पर 8.38 प्रतिशत रही, जो अधोसंरचना विस्तार के समर्थन से वास्तविक उत्पादन में सुदृढ़ वृद्धि को दर्शाती है।

3. निर्माण:

निर्माण द्वितीयक क्षेत्र का प्रमुख चालक रहा, जिसका GSVA में योगदान 9.01 प्रतिशत से बढ़कर 9.22 प्रतिशत हो गया। प्रचलित भाव पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में GSVA ₹1,28,311 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹1,45,523 करोड़ रहा तथा वृद्धि दर प्रचलित भाव पर 13.41 प्रतिशत और स्थिर (2011-12) भाव पर 8.45 प्रतिशत दर्ज की गई, जो अधोसंरचना-आधारित गतिविधियों के निरंतर विस्तार को दर्शाती है।

समग्र द्वितीयक क्षेत्र:

द्वितीयक क्षेत्र का GSVA में योगदान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 19.96 प्रतिशत था, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में 19.79 प्रतिशत रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में GSVA ₹2,84,125 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹3,12,350 करोड़ हो गया। वृद्धि दर प्रचलित भाव पर 9.93 प्रतिशत तथा स्थिर (2011-12) भाव पर 6.87 प्रतिशत रही, जो निर्माण एवं अन्य उपयोगी सेवाओं के नेतृत्व में वास्तविक विस्तार की स्थिरता को प्रतिबिंबित करती है।

तृतीयक क्षेत्र (सेवा क्षेत्र)

तृतीयक क्षेत्र आर्थिक वृद्धि के प्रमुख क्षेत्र के रूप में अपनी भूमिका को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सेवाओं का योगदान प्रचलित भाव पर GSVA का 37.12 प्रतिशत तथा स्थिर (2011-12) भाव पर 40.28 प्रतिशत रहा, जो सेवा क्षेत्र में वास्तविक गतिविधियों के सतत विस्तार को दर्शाता है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, मरम्मत, होटल एवं रेस्टोरेंट सबसे बड़ा घटक बना रहा, जबकि लॉजिस्टिक्स एवं संपर्क में सुधार के कारण परिवहन एवं भंडारण तथा रेल परिवहन स्थिर वृद्धि दर्ज करते रहे हैं। वित्तीय सेवाएँ, रियल एस्टेट एवं व्यावसायिक सेवाएँ घटक वित्तीय विस्तार एवं शहरी आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण सुदृढ़ बने रहे। वहीं, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाओं सहित अन्य सेवा क्षेत्रों ने रोजगार एवं आय सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्थिर भाव पर सेवाओं की बढ़ती हिस्सेदारी यह संकेत देती है कि तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि मूल्य प्रभाव के साथ-साथ वास्तविक मांग एवं उत्पादकता में सुधार से प्रेरित रही है।

**तालिका 1.5 तृतीयक क्षेत्र - प्रचलित भाव एवं स्थिर (2011-12) भाव पर
सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA)**

(राशि: ₹ करोड़ में)

उप-क्षेत्र	GSVA (प्रचलित भाव)		GSVA (स्थिर भाव)	
	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26
व्यापार, मरम्मत, होटल एवं रेस्टोरेंट	1,47,319	1,63,336	71,055	78,221
परिवहन एवं भंडारण	40,250	44,162	22,468	24,140
रेलवे	11,624	12,874	6,423	6,966
संचार एवं प्रसारण	24,102	26,511	13,800	14,865
वित्तीय सेवाएँ	50,481	58,790	29,881	32,733
रियल एस्टेट, आवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएँ	68,499	78,533	35,184	38,523
लोक प्रशासन	64,879	78,270	33,519	39,674
अन्य सेवाएँ	98,525	1,23,112	46,286	54,715
तृतीयक क्षेत्र (कुल)	5,05,679	5,85,588	2,58,616	2,89,837

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन



तालिका 1.6 तृतीयक क्षेत्र - सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में योगदान एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

उप-क्षेत्र	GSVA में योगदान (%) (प्रचलित भाव)		योगदान में परिवर्तन (%)	वृद्धि दर (%) (2025-26)	
	2024-25	2025-26		प्रचलित भाव	स्थिर भाव
व्यापार, मरम्मत, होटल एवं रेस्टोरेंट	10.35	10.35	0.00	10.87	10.09
परिवहन एवं भंडारण	2.83	2.80	-0.03	9.72	7.44
रेलवे	0.82	0.82	0.00	10.75	8.45
संचार एवं प्रसारण	1.69	1.68	-0.01	10.00	7.71
वित्तीय सेवाएँ	3.55	3.73	+0.18	16.46	9.54
रियल एस्टेट, आवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएँ	4.81	4.98	+0.17	14.65	9.49
लोक प्रशासन	4.56	4.96	+0.40	20.64	18.36
अन्य सेवाएँ	6.92	7.80	+0.88	24.96	18.21
तृतीयक क्षेत्र (कुल)	35.53	37.12	+1.59	15.80	12.07

टिप्पणी: अर्थव्यवस्था के सापेक्ष आकार एवं संरचनात्मक गठन को दर्शाने हेतु क्षेत्रवार हिस्सेदारी एवं उसमें हुए परिवर्तन प्रचलित भाव पर प्रस्तुत किए गए हैं। वहीं, वृद्धि दरें प्रचलित भाव तथा स्थिर भाव (2011-12) — दोनों पर प्रदर्शित की गई हैं, ताकि मूल्य-आधारित विस्तार एवं वास्तविक उत्पादन वृद्धि के बीच अंतर को स्पष्ट किया जा सके।

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन

मुख्य निष्कर्ष:

1. व्यापार, मरम्मत, होटल एवं रेस्टोरेंट:

इस क्षेत्र का GSVA में योगदान वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10.35 प्रतिशत रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में GSVA ₹1,47,319 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹1,63,336 करोड़ हो गया। वृद्धि दर प्रचलित भाव पर 10.87 प्रतिशत तथा स्थिर (2011-12) भाव पर 10.09 प्रतिशत रही, जो व्यापार एवं पर्यटन गतिविधियों के समर्थन से वास्तविक विस्तार को दर्शाती है।

2. परिवहन, भंडारण एवं रेलवे:

परिवहन एवं भंडारण का GSVA में योगदान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2.83 था, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2.80 प्रतिशत रहा, प्रचलित भाव पर इस उप-क्षेत्र का GSVA ₹44,162 करोड़ रहा। वृद्धि दर प्रचलित भाव पर 9.72 प्रतिशत तथा स्थिर (2011-12) भाव पर 7.44 प्रतिशत दर्ज की गई। वहीं, रेलवे का GSVA में योगदान इसी अवधि में 0.82 प्रतिशत पर स्थिर रहा। प्रचलित भाव पर रेलवे GSVA ₹12,874 करोड़ रहा, जबकि वृद्धि दर प्रचलित भाव पर 10.75 प्रतिशत तथा स्थिर (2011-12) भाव पर 8.45 प्रतिशत है।

3. वित्तीय सेवाएँ:

वित्तीय सेवाओं का GSVA में योगदान 3.55 प्रतिशत से बढ़कर 3.73 प्रतिशत हो गया। GSVA ₹50,481 करोड़ से बढ़कर ₹58,790 करोड़ रहा, जिसमें प्रचलित भाव पर 16.46 प्रतिशत तथा स्थिर (2011-12) भाव पर 9.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो वित्तीय विस्तार को प्रतिबिंबित करती है।

4. रियल एस्टेट, आवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएँ:

इस क्षेत्र का GSVA में योगदान 4.81 प्रतिशत से बढ़कर 4.98 प्रतिशत हो गया तथा GSVA ₹68,499 करोड़ से बढ़कर ₹78,533 करोड़ रहा। वृद्धि दर प्रचलित भाव पर 14.65 प्रतिशत तथा स्थिर (2011-12) भाव पर 9.49 प्रतिशत रही, जो शहरीकरण एवं सेवा मांग के विस्तार से समर्थित रही।

5. अन्य सेवाएँ:

अन्य सेवाओं के GSVA में योगदान में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, जो 6.92 प्रतिशत से बढ़कर 7.80 प्रतिशत हो गई। GSVA ₹98,525 करोड़ से बढ़कर ₹1,23,112 करोड़ रहा तथा वृद्धि दर प्रचलित भाव पर 24.96 प्रतिशत और स्थिर (2011-12) भाव पर 18.21 प्रतिशत रही, जो सेवा क्षेत्र विस्तार में इसकी प्रमुख भूमिका को दर्शाती है।

समग्र तृतीयक क्षेत्र:

तृतीयक क्षेत्र का GSVA में योगदान 35.53 प्रतिशत से बढ़कर 37.12 प्रतिशत हो गया, जबकि GSVA ₹5,05,679 करोड़ से बढ़कर ₹5,85,588 करोड़ रहा। वृद्धि दर प्रचलित भाव पर 15.80 प्रतिशत तथा स्थिर (2011-12) भाव पर 12.07 प्रतिशत रही, जो वास्तविक आर्थिक वृद्धि में इसके बढ़ते योगदान को रेखांकित करती है।

प्रमुख निष्कर्ष एवं भावी परिदृश्य:

GSVA प्रवृत्तियों से स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था क्रमिक रूप से अधिक संतुलित एवं विविधीकृत संरचना की ओर अग्रसर है। प्राथमिक क्षेत्र, विशेषकर कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ, निरंतर आधार प्रदान कर रही हैं, जबकि द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण एवं अधोसंरचना-आधारित गतिविधियों के नेतृत्व में वास्तविक उत्पादन में स्थिर विस्तार देखा गया है। तृतीयक क्षेत्र व्यापार, परिवहन, वित्तीय सेवाओं तथा शहरी-आधारित गतिविधियों के समर्थन से आर्थिक वृद्धि का प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है।

इन प्रवृत्तियों से यह संकेत मिलता है कि राज्य की आर्थिक वृद्धि कृषि विविधीकरण, अधोसंरचना विकास और सेवा क्षेत्र के विस्तार के संयुक्त प्रभाव से आगे बढ़ रही है। यह संरचनात्मक परिवर्तन मध्यम अवधि में राज्य की उत्पादक क्षमता, रोजगार सृजन और आय स्तरों को सुदृढ़ करने की दिशा में सहायक होगा।

इस अध्याय के अंतर्गत प्रस्तुत उपखण्डों में मध्यप्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक विकास यात्रा के प्रमुख आयामों का समेकित विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति, नीतिगत पहलों, संस्थागत सुधारों तथा नवाचारों को समाहित करते हुए राज्य की समग्र विकास प्रवृत्तियों को रेखांकित किया गया है।

यह उपखंड विभिन्न विषयगत अध्यायों से संकलित प्रमुख निष्कर्षों पर आधारित हैं, जिनका उद्देश्य न केवल क्षेत्रवार उपलब्धियों और चुनौतियों का संक्षेप में विवरण देना है, बल्कि उनके पारस्परिक संबंधों और समग्र प्रभाव को भी स्पष्ट करना है। यह भूमिका आगे प्रस्तुत विश्लेषण को संदर्भ प्रदान करती है तथा राज्य की विकास रणनीति, प्राथमिकताओं और दीर्घकालिक लक्ष्यों को समझने के लिए एक समग्र परिप्रेक्ष्य उपलब्ध कराती है।

1.2 लोक वित्त, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान : स्थिरता, समावेशन और विस्तार

राज्य के लोक वित्त की स्थिति सुदृढ़ बनी हुई है। राज्य निरंतर राजस्व आधिक्य की स्थिति में रहा है और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹618 करोड़ के राजस्व आधिक्य का अनुमान है। इसी अवधि में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.66 प्रतिशत रहने की संभावना है, जो क्रमशः लक्षित 3 प्रतिशत के स्तर की ओर अग्रसर है।



राजस्व प्राप्तियों में भी सकारात्मक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जहाँ राजस्व प्राप्तियाँ राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 15.90 प्रतिशत थीं, वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में इनके बढ़कर 17.16 प्रतिशत तक पहुँचने का अनुमान है। यह वृद्धि राज्य की वित्तीय मजबूती को दर्शाती है। राज्य के कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 13.57 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। भूमि राजस्व, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क, आबकारी शुल्क, वाणिज्यिक कर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, वाहन कर, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर तथा विद्युत शुल्क जैसे प्रमुख कर स्रोतों ने न केवल राशि के स्तर पर, बल्कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में भी स्थिर वृद्धि बनाए रखी है। इसके साथ ही गैर-कर राजस्व के स्रोतों में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

व्यय की दृष्टि से भी राज्य सरकार का प्रदर्शन संतुलित और विकासोन्मुख रहा है। विगत वित्तीय वर्ष में ₹3,75,337 करोड़ का विनियोग बजट प्रस्तुत किया गया था। राज्य का राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय दोनों ही निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए ₹3,500 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, जिससे अधोसंरचना और विकास परियोजनाओं को गति मिली है।

वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्त विभाग द्वारा e-GPF (सामान्य भविष्य निधि), सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC), SNA-स्पर्श तथा ई-पे फिक्सेशन जैसे कई नवाचार भी लागू किए गए हैं। साथ ही, राज्य ऋण-राज्य सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को 31.3 प्रतिशत पर बनाए रखते हुए राज्य राजकोषीय समेकन के पथ पर आगे बढ़ रहा है, जो लक्षित 33.7 प्रतिशत से कम है।

राज्य में 8,798 बैंक शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय पहुँच का विस्तार हुआ है और प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 4.62 करोड़ से अधिक लाभार्थी औपचारिक बैंकिंग से जुड़े हैं। वर्ष 2024-25 में वार्षिक साख योजना के अंतर्गत लक्ष्य के विरुद्ध 123 प्रतिशत की उपलब्धि दर्ज की गई, जबकि कृषि, एमएसएमई और प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण प्रवाह राष्ट्रीय बेंचमार्क से बेहतर रहा तथा साख-जमा अनुपात 84.04 प्रतिशत तक पहुँचा। सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एनपीए में कमी से बैंकिंग तंत्र की स्थिरता परिलक्षित होती है। साथ ही, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, पीएम-स्वनिधि सहित विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार एवं आजीविका को वित्तीय समर्थन मिला है, जबकि “सभी के लिए बीमा” लक्ष्य की दिशा में राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन वित्तीय सुरक्षा के दायरे को और व्यापक बनाने की पहल को दर्शाता है।

1.3 कृषि एवं ग्रामीण विकास: सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर

कृषि एवं ग्रामीण विकास मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था के मूल आधार बने हुए हैं तथा आय सृजन, रोजगार उपलब्धता, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के तुलनात्मक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न फसलों के प्रदर्शन में अंतर अवश्य रहा है, तथापि कृषि क्षेत्र की समग्र दिशा स्थिर एवं सकारात्मक बनी हुई है।

इस अवधि में कुल फसल उत्पादन में 7.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि फसल क्षेत्रफल में 2.48 प्रतिशत की सीमित कमी देखी गई। यह प्रवृत्ति फसल विविधीकरण, बेहतर उत्पादकता तथा संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग की ओर संकेत करती है। खाद्यान्न फसलों के क्षेत्रफल में 4.39 प्रतिशत की वृद्धि के परिणामस्वरूप इनके उत्पादन में 14.68 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

दलहन एवं तिलहन फसलों में उत्पादन स्तर पर कुछ समायोजन देखने को मिला। दलहन उत्पादन में 21.90 प्रतिशत तथा तिलहन उत्पादन में 5.27 प्रतिशत की कमी मुख्यतः फसल चक्र परिवर्तन, वर्षा की असमानता एवं किसानों की वाणिज्यिक फसलों एवं उच्च मूल्य वाली कृषि की ओर बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है। वाणिज्यिक

फसलों में गन्ना (गुड़) उत्पादन में 19.50 प्रतिशत तथा कपास उत्पादन में 3.78 प्रतिशत की सीमित गिरावट दर्ज की गई, जो बाज़ार स्थितियों एवं क्षेत्रीय कारकों के अनुरूप संरचनात्मक बदलाव को प्रतिबिंबित करती है।

उद्यानिकी क्षेत्र कृषि वृद्धि का प्रमुख चालक बनकर उभरा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2024-25 के दौरान उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल 27.29 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 28.39 लाख हेक्टेयर हो गया, जबकि उत्पादन 409.30 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 425.68 लाख मीट्रिक टन हो गया। इस अवधि में उत्पादकता लगभग 15 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर पर स्थिर बनी रही, जो उत्पादन में निरंतरता और स्थायित्व को दर्शाती है।

इसी प्रकार पशुधन एवं दुग्ध क्षेत्र में भी सशक्त प्रगति दर्ज की गई। दूध उत्पादन 213.26 लाख टन से बढ़कर 225.95 लाख टन हो गया, जो 5.95 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता लगभग 707 ग्राम प्रतिदिन रही। मांस उत्पादन भी 9.86 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 154.41 हजार टन तक पहुँच गया। मत्स्यन क्षेत्र ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, जहाँ 99 प्रतिशत जलक्षेत्र का विकास किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मत्स्यन बीज उत्पादन 21,776.68 लाख स्टैंडर्ड फ्राई (लक्ष्य का 92.63 प्रतिशत) तथा मछली उत्पादन 4,45,364.08 टन (लक्ष्य का 98.97 प्रतिशत) रहा।

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विज़न@2047 के अंतर्गत ग्रामीण परिदृश्य को आधुनिक, आत्मनिर्भर एवं समावेशी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 72,975 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है, जिनमें से 12,809 किलोमीटर सड़कें प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग से निर्मित होकर पर्यावरण संरक्षण की अभिनव पहल का उदाहरण हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 40.82 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। साथ ही, पीएम-जनमन कार्यक्रम के माध्यम से जनजातीय समुदायों के लिए आवास उपलब्ध कराने में राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल रहा है। स्वच्छता के क्षेत्र में 50,000 से अधिक गाँव 'ओडीएफ प्लस मॉडल' घोषित किए जा चुके हैं, जहाँ "वॉश ऑन व्हील्स" एवं "स्वच्छता साथी" जैसे नवाचारों से ग्रामीण स्वच्छता को सुदृढ़ किया गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से "लखपति दीदी" पहल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 'सिपरी' (SIPRI) सॉफ्टवेयर के उपयोग से जल गंगा संवर्धन अभियान एवं ग्रामीण अवसंरचना का वैज्ञानिक नियोजन किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार, संसाधनों का कुशल प्रबंधन एवं आर्थिक समावेशन को सुदृढ़ समर्थन प्राप्त हो रहा है।

1.4 औद्योगिक विकास, एमएसएमई एवं अधोसंरचना विस्तार

समग्र क्षेत्रीय परिदृश्य में सेवा क्षेत्र (तृतीयक क्षेत्र) ने पिछले वर्ष की तुलना में 15.8 प्रतिशत की सशक्त वृद्धि दर्ज की है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में सेवा-आधारित विस्तार की केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है। वहीं द्वितीयक क्षेत्र ने 9.93 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ विनिर्माण एवं आधारभूत संरचना में निरंतर प्रगति को प्रतिबिंबित किया है। इसी क्रम में, उद्योगों के सकल उत्पादन में 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि शुद्ध मूल्य वर्धन में 17.3 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई है। यह प्रवृत्ति औद्योगिक दक्षता में सुधार का संकेत देती है, जहाँ कच्चे माल के बेहतर उपयोग, मध्यवर्ती लागतों में कमी तथा संसाधनों के अनुकूलतम प्रबंधन के माध्यम से उद्योग अधिक मूल्य सृजन करने में सक्षम हुए हैं, जिससे औद्योगिक ढांचा और अधिक सुदृढ़ एवं लचीला (resilient) बना है।

औद्योगिक नीति एवं निवेश के क्षेत्र में, वित्तीय वर्ष 2025-26 माह तक 1028 औद्योगिक इकाइयों को 6,125 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है, जिसके अंतर्गत जनवरी ₹1,17,417 करोड़ के निवेश तथा 1,77,328 रोजगार अवसरों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह प्रगति मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन नीति, 2014 के अनुरूप पूंजी



निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलनों एवं रोड शो के माध्यम से कुल ₹11,71,610 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे लगभग 9,29,365 रोजगार अवसरों की संभावनाएँ बनी हैं। ये सभी पहल राज्य के निवेश पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करते हुए दीर्घकालिक एवं समावेशी औद्योगिक विकास के लक्ष्य को समर्थन प्रदान करती हैं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) तथा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र राज्य की आर्थिक गतिशीलता के महत्वपूर्ण स्तंभ बने हुए हैं। मध्यप्रदेश MSME विकास नीति 2025 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹2,162 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर माह तक ₹742 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिसके परिणामस्वरूप MSME की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि के साथ रोजगार सृजन को भी बल मिला है। समानांतर रूप से, 'मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2025' के तहत दिसंबर 2025 तक 1,723 स्टार्टअप को मान्यता दी गई है, जो वर्ष 2021 की तुलना में 209 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। राज्य में इन्क्यूबेटर्स के सशक्त नेटवर्क ने नवाचार-आधारित उद्यमिता और गुणवत्तापूर्ण रोजगार को बढ़ावा दिया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के क्षेत्र में राज्य में सकारात्मक प्रवृत्ति देखी गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में CSR व्यय बढ़कर ₹600.47 करोड़ हो गया, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में 172 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। आकांक्षी जिलों में CSR व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे लक्षित क्षेत्रीय विकास को गति मिली। वहीं, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनियों के पंजीकरण में वर्ष 2020 से 2025 के दौरान 13.6 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर्ज की गई, जो राष्ट्रीय औसत 10.3 प्रतिशत से अधिक है। सक्रिय कंपनियों की संख्या में भी 17.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना (SFURTI) के अंतर्गत ₹116.31 करोड़ के आवंटन से 36 क्लस्टरों का विकास किया गया है, जिसमें 24,878 कारीगरों को शामिल किया गया है। इस पहल ने हस्तशिल्प, वस्त्र एवं अन्य पारंपरिक क्षेत्रों में आजीविका को सुदृढ़ करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त किया है तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में योगदान दिया है।

पर्यटन एवं सेवा क्षेत्र में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। पिछले पाँच वर्षों में 66.65 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर के साथ वर्ष 2025 में नवंबर माह तक पर्यटकों की संख्या 13.18 करोड़ तक पहुँच गई। उज्जैन प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में उभरा है, जहाँ 5.52 करोड़ पर्यटक आए, जो कुल पर्यटकों का लगभग 42 प्रतिशत है, यह धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन की महत्ता को रेखांकित करता है। पर्यटन नीति 2025 के अंतर्गत 14 परियोजनाओं के लिए ₹10.55 करोड़ के अनुदान को स्वीकृति दी गई, जिससे ₹138.82 करोड़ का निवेश आकर्षित हुआ और आतिथ्य अवसंरचना को सुदृढ़ किया गया।

पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा एवं पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के माध्यम से कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2025 में लगभग 10,000 यात्रियों ने सेवाओं का लाभ लिया। इससे दूरस्थ एवं आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन-आधारित विकास को बढ़ावा मिला है। इसके अतिरिक्त, यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में मध्यप्रदेश 15 स्थलों के साथ देश में अग्रणी है। केंद्र सरकार द्वारा "ओरछा के ऐतिहासिक स्मारक समूह" को वर्ष 2027-28 के लिए विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकन की अनुशंसा राज्य की सांस्कृतिक एवं पर्यटन क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

1.5 व्यापार, निवेश एवं कनेक्टिविटी

व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी मध्यप्रदेश की आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन की रणनीति के प्रमुख स्तंभ हैं। अपनी केंद्रीय भौगोलिक स्थिति के कारण राज्य देश के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाले प्राकृतिक सेतु के रूप में उभर रहा है। नीतिगत सुधारों, अधोसंरचना विस्तार और सक्रिय निवेश प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश का राष्ट्रीय एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण सुदृढ़ हुआ है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) 2025 तथा रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव (RIC) के माध्यम से राज्य को कुल ₹30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से ₹8.57 लाख करोड़ के प्रस्ताव साकार हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त, जनवरी-सितंबर 2025 के दौरान राज्य में ₹327.34 करोड़ का एफडीआई इनफ्लो दर्ज किया गया, जो मुख्यतः इंदौर (₹135.58 करोड़), उज्जैन (₹77.71 करोड़) तथा भोपाल (₹58.52 करोड़) जैसे प्रमुख औद्योगिक जिलों में केंद्रित रहा।

व्यापार के क्षेत्र में राज्य का निर्यात प्रदर्शन भी स्थिर एवं विविधीकृत बना हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 (माह अक्टूबर 2025 तक) के दौरान वस्तु निर्यात ₹38,550 करोड़ रहा, जिसे औषधि उत्पादों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, कृषि-आधारित उत्पादों, टेक्सटाइल एवं खनिज-आधारित उद्योगों का समर्थन प्राप्त हुआ। द डिस्ट्रिक्ट एज़ एक्सपोर्ट हब (DEH) पहल के माध्यम से जिला-स्तरीय निर्यात इकोसिस्टम को सुदृढ़ किया गया है, जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स (EPI) 2024 में राज्य के बेहतर होते प्रदर्शन से स्पष्ट होता है। कनेक्टिविटी को सशक्त करने हेतु लॉजिस्टिक्स नीति 2025 एवं निर्यात संवर्धन नीति 2025 लागू की गई हैं। साथ ही, पीएम गतिशक्ति के अंतर्गत एक्सप्रेस-वे, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल, हवाई अड्डों, लॉजिस्टिक्स पार्क, मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क तथा इनलैंड कंटेनर डिपो में किए जा रहे निवेश से आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ रही है। ये सभी पहल समृद्ध मध्यप्रदेश@2047 की परिकल्पना के अनुरूप राज्य को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी एवं निर्यातान्मुख अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने की दिशा को रेखांकित करती हैं।

1.6 नगरीय विकास: स्वच्छ, स्मार्ट एवं सतत् शहरों की दिशा

मध्यप्रदेश में तीव्र नगरीकरण की प्रवृत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा नियोजित, समावेशी एवं सतत् नगरीय विकास को विकास रणनीति का एक प्रमुख आधार बनाया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक नगरीय विकास एवं आवास विभाग के बजटीय आवंटन में निरंतर वृद्धि के माध्यम से नगरीय अधोसंरचना, सेवा वितरण, डिजिटल गवर्नेंस तथा नागरिक-केंद्रित व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है।

अमृत 2.0 के अंतर्गत राज्य को ₹4,065 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से जल प्रदाय, सीवरेज, जलस्रोत पुनर्जीवन एवं हरित क्षेत्रों से संबंधित 1,134 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना तथा मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों में वृहद स्तर पर अधोसंरचना कार्य प्रगतिरत हैं, जिनसे शहरी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। मध्यप्रदेश नगरीय विकास कंपनी द्वारा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से जल प्रदाय एवं सीवरेज परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

शहरी परिवहन के क्षेत्र में भोपाल एवं इंदौर मेट्रो परियोजनाओं से नगरीय गतिशीलता को बढ़ावा मिला है, वहीं डिजिटल गवर्नेंस के अंतर्गत ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (ABPAS), ऑटोमेटेड लेआउट प्रोसेस अप्रूवल एंड स्कूटनी सिस्टम (ALPASS) एवं ई-नगरपालिका 2.0 जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से भवन अनुमति, लेआउट स्वीकृति एवं नागरिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत अब तक 8.75 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में 8 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। शहरी



आजीविका के क्षेत्र में दीनदयाल जन आजीविका योजना-शहरी (DAY-NULM) एवं प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (PM-SVANidhi) योजना के माध्यम से कौशल विकास, स्वरोजगार एवं ऋण सहायता प्रदान की गई है।

सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में बड़े पैमाने पर नगरीय अधोसंरचना विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। समग्र रूप से, वित्तीय सुदृढ़ीकरण, संस्थागत सुधार एवं तकनीकी नवाचारों के समन्वित प्रयासों से राज्य के नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना, आवास, स्वच्छता, परिवहन एवं सेवाओं के क्षेत्र में संतुलित एवं सतत प्रगति परिलक्षित हुई है।

1.7 सामाजिक एवं आर्थिक विकास

सामाजिक क्षेत्र मध्यप्रदेश के विकास की रणनीति का मुख्य बिन्दु है, जिसका उद्देश्य मानव पूंजी को सुदृढ़ करना तथा समावेशी सामाजिक-आर्थिक परिणाम सुनिश्चित करना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के मध्य शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला एवं बाल कल्याण, श्रम तथा एससी-एसटी-ओबीसी कल्याण सहित प्रमुख सामाजिक सेवाओं के लिए राज्य के आवंटन में 75.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें सामाजिक कल्याण एवं पोषण (193 प्रतिशत) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (69.82 प्रतिशत) की हिस्सेदारी प्रमुख रही। जेंडर बजटिंग के तहत 31 विभागों की रिपोर्टिंग के साथ 2025-26 में जेंडर बजट बढ़कर ₹1,23,624 करोड़ हो गया है। साथ ही, 2022-23 में प्रारंभ बाल बजट के अंतर्गत 2025-26 तक बाल-केंद्रित आवंटन में 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसे सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0, पोषण भी पढ़ाई भी तथा मिशन वात्सल्य का समर्थन प्राप्त है।

नारी सशक्तिकरण मिशन एवं गरीब कल्याण मिशन के माध्यम से राज्य ने महिलाओं, बच्चों एवं कमजोर वर्गों के लिए अभिसरण (convergence) आधारित दृष्टिकोण अपनाया है, जबकि समृद्ध मध्यप्रदेश विजन@2047 में महिला श्रम बल भागीदारी को 70 प्रतिशत तक बढ़ाने तथा बाल कुपोषण को 5 प्रतिशत से कम करने जैसे दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। श्रम एवं रोजगार के क्षेत्र में म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के माध्यम से असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है, वहीं कौशल एवं आजीविका कार्यक्रमों में निवेश से रोजगार और आय सृजन को समर्थन मिल रहा है।

1.8 स्वास्थ्य क्षेत्र: सार्वजनिक निवेश, सेवा-विस्तार और स्वास्थ्य परिणाम

मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबन्धित प्रमुख पहल एवं उपलब्धियाँ राज्य की बढ़ती सार्वजनिक निवेश प्रतिबद्धता, सेवा-विस्तार तथा वर्तमान रोग-भार की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रगति को दर्शाती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA 2021-22) के अनुसार, मध्यप्रदेश में कुल स्वास्थ्य व्यय ₹34,112 करोड़ है, जो GSDP का 3.0 प्रतिशत है, जबकि प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय ₹4,013 रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य निवेश को सुदृढ़ करते हुए नवंबर 2025 तक 4.42 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जो पात्र जनसंख्या का लगभग 94.08 प्रतिशत है। सामुदायिक सहभागिता हेतु 10,317 जन-आरोग्य समितियाँ कार्यरत हैं। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के रूप में मातृ मृत्यु दर 2001-03 के 379 से घटकर 2021-23 में 142 प्रति लाख जीवित जन्म हो गई है। पीपीपी मॉडल के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय, सीटी-स्कैन, एमआरआई तथा हब-एंड-स्पोक आधारित जाँच सेवाएँ सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं, जबकि एचआईवी/एड्स नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विविध गतिविधियाँ क्रियान्वित की जा रही हैं।

आयुष विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹727.86 करोड़ का व्यय किया गया तथा 2025-26 में ₹1,117.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। समृद्ध मध्यप्रदेश@2047 के अंतर्गत राज्य ने जीवन प्रत्याशा को

67 से बढ़ाकर 84 वर्ष, शिशु मृत्यु दर को 41 से घटाकर 5 से कम (प्रति हज़ार जीवित जन्म), मातृ मृत्यु दर को 142 से घटाकर 20 से कम (प्रति लाख जीवित जन्म) तथा डॉक्टरों की उपलब्धता को 50 से बढ़ाकर 250 (प्रति लाख जनसंख्या) तक करने जैसे दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो एक सुलभ, किफायती एवं समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा को रेखांकित करते हैं।

1.9 शिक्षा एवं कौशल विकास: मानव पूंजी की सुदृढ़ आधारशिला

मध्यप्रदेश में शिक्षा क्षेत्र को मानव पूंजी निर्माण का प्रमुख आधार मानते हुए विद्यालय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा—तीनों स्तरों पर पहुँच, गुणवत्ता और परिणामों में निरंतर सुधार दर्ज किया गया है। वर्ष 2025-26 में राज्य के कुल बजट का 10.37 प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। विद्यालय स्तर पर शैक्षणिक संकेतकों में निरंतर सुधार दर्ज किया गया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 1-5 की शाला-त्याग दर शून्य तथा कक्षा 6-8 की दर घटकर 6.3 प्रतिशत रह गई। यह सुधार प्रवेश प्रक्रिया के सरलीकरण, न्यूनतम आयु मानदंड में शिथिलता, आयु-आधारित बालक सूची उपलब्ध कराना, पात्र विद्यार्थियों को सीधे कक्षा उन्नति सुनिश्चित करने के अधिकार जैसे उपायों का परिणाम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) के अनुरूप सांदीपनि विद्यालय योजना लागू की गई है तथा 48 शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखंडों में संचालित 207 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के माध्यम से SC/ST/OBC वर्ग की बालिकाओं को आवासीय एवं शैक्षणिक सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही, एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से छः विभागों की लगभग 20 छात्रवृत्तियाँ डीबीटी द्वारा हस्तांतरित की जा रही हैं।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में पहुँच, गुणवत्ता और नवाचार को सुदृढ़ किया गया है। SWAYAM पोर्टल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मध्यप्रदेश को मॉडल स्टेट घोषित किया गया है। 15.59 लाख से अधिक विद्यार्थियों का APAR ID तथा पाँच लाख से अधिक का SWAYAM पोर्टल पंजीयन हो चुका है। उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत राज्य में 47 इनक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से 174 स्टार्टअप स्थापित हुए हैं तथा 22 पेटेंट दर्ज किए गए हैं। तकनीकी शिक्षा में संस्थानों की संख्या 1,625 से बढ़कर 2,070 तथा प्रवेश क्षमता 2.59 लाख से बढ़कर 3.10 लाख हो गई है, जबकि शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में सकल नामांकन में 21.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत 31 दिसंबर 2025 तक 45,668 विद्यार्थियों को ₹500 करोड़ की सहायता दी गई है तथा कक्षा 10 के बाद तीन वर्षीय डिप्लोमा को कक्षा 12 के समकक्ष मान्यता एवं IIT, इंदौर के साथ सहयोग से 50 मेधावी विद्यार्थियों को उन्नत अध्ययन का अवसर प्रदान किया गया है।

1.10 खेल एवं युवा सशक्तिकरण

मध्यप्रदेश में खेल एवं युवा कल्याण को शिक्षा एवं सेवा क्षेत्र के विजन का एक महत्वपूर्ण घटक मानते हुए युवाओं के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। राज्य में खेल अकादमियों के संचालन योजना के अंतर्गत 18 खेलों की 11 अकादमियाँ एवं प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं, जिनमें हॉकी (पुरुष एवं महिला), शूटिंग, घुड़सवारी, वाटर स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट्स, एथलेटिक्स एवं ट्रायथलॉन, बैडमिंटन, क्रिकेट तथा तीरंदाजी शामिल हैं। वर्ष 2024-25 में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 12 स्वर्ण, 19 रजत एवं 20 कांस्य सहित कुल 51 पदक अर्जित किए गए। एशियन गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को ₹12,000 प्रतिमाह सम्मान निधि प्रदान की जा रही है। युवा सहभागिता के अंतर्गत 28वें राष्ट्रीय युवा उत्सव (जनवरी, 2025) में मध्यप्रदेश के 45 युवाओं ने भाग लिया। पुलिस एवं सेना में भर्ती हेतु युवाओं को तैयार करने के लिए 'PARTH' योजना का शुभारंभ जनवरी 2025 में किया गया।

राष्ट्रीय सेवा योजना, जन अभियान परिषद एवं अन्य युवा-केंद्रित पहलों के माध्यम से सामाजिक नेतृत्व, सेवा भाव एवं रोजगारोन्मुख क्षमता विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता



विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रदेश के सभी 313 विकासखंडों में ओपन एवं डिस्टेंस लर्निंग पद्धति से सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत् विकास विषय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। 'स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन' के तहत जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच 1,68,222 युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप से जोड़ा गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 9,61,910 विद्यार्थियों द्वारा कक्षा 10 तक की शिक्षा पूर्ण की गई तथा 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत लगभग 24.16 लाख पौधों का रोपण किया गया। समग्र रूप से, विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से प्रदेश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ते हुए उनकी सक्रिय भागीदारी एवं सर्वांगीण विकास को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है।

1.11 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

मध्यप्रदेश में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को संरक्षण, आजीविका सृजन और सतत् विकास के संतुलित दृष्टिकोण के साथ सुदृढ़ किया गया है। बांस मिशन के अंतर्गत कृषि क्षेत्रों में 13.70 लाख बांस पौधों का रोपण किया गया, जिसके माध्यम से कृषकों को ₹12.33 करोड़ का अनुदान प्रदान कर उनकी आय के वैकल्पिक स्रोतों को प्रोत्साहन दिया गया। वन्यप्राणी संरक्षण के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹115.95 करोड़ की लागत से 7 ग्रामों के 904 परिवारों का पुनर्स्थापन किया गया, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के साथ संरक्षण प्रयासों को मजबूती मिली है।

मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा 13 ईको पर्यटन स्थलों पर ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था एवं स्थानीय सहभागिता आधारित संचालन को अपनाया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में गाइड, आतिथ्य एवं सुरक्षा सेवाओं से जुड़े 1,413 स्थानीय व्यक्तियों का क्षमता विकास किया गया, जिससे रोजगार के अवसरों के साथ स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी सुदृढ़ हुई है। पर्यावरण संरक्षण को जन-आंदोलन का स्वरूप देते हुए "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के अंतर्गत 5.55 करोड़ पौधों का रोपण किया गया तथा उज्जैन, सतना, छतरपुर एवं भोपाल में सांस्कृतिक वन विकसित किए गए हैं।

जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री जलवायु परिवर्तन पीएच.डी. स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत 4 शोधार्थियों को सहायता प्रदान की गई है। हरित अधोसंरचना के विकास के क्रम में 12 सोलर कोल्ड स्टोरेज इकाइयों की स्थापना की गई है तथा भोपाल में एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन प्रारंभ किया गया है, जो स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में इंदौर को रामसर संधि के अंतर्गत देश का प्रथम 'वेटलैण्ड सिटी' घोषित किया गया है।

खनन क्षेत्र में भी राज्य ने उत्तरदायी एवं पारदर्शी संसाधन प्रबंधन के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति की है। मध्यप्रदेश को स्टेट माइनिंग रेडीनेस अंतर्गत इंडेक्स ए श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सिंगरौली एवं कटनी में 6 स्वर्ण खनिज खंडों की सफल नीलामी की गई है, जबकि पन्ना के विश्वविख्यात हीरे को GI टैग प्राप्त हुआ है। ये सभी पहल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ उनके मूल्यवर्धन और सतत् उपयोग की दिशा में राज्य की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती हैं।

1.12 सामाजिक न्याय, समावेशन एवं सशक्तिकरण

मध्यप्रदेश में सामाजिक समावेशन की रणनीति वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने पर केंद्रित है। राज्य की 21.10 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति आबादी (153.16 लाख) की शिक्षा एवं आजीविका पर विशेष बल दिया गया है। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 34,558 शैक्षणिक संस्थानों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें एकलव्य एवं कन्या शिक्षा परिसरों के माध्यम से 51,658 विद्यार्थियों को आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। आर्थिक सशक्तिकरण हेतु टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत 2024-25 में 1,020 हितग्राहियों को ₹3,755.04 लाख का ऋण प्रदान किया गया। साथ ही, धरती आबा अभियान के माध्यम से 51 जिलों के

11,377 गाँवों में निवासरत लगभग 93.23 लाख जनजातीय जनसंख्या के जीवन-स्तर में सुधार का लक्ष्य रखा गया है।

अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांगजन के कल्याण के लिए भी राज्य ने लक्षित हस्तक्षेप किए हैं। अनुसूचित जाति, जो राज्य की 15.6 प्रतिशत आबादी (1.13 करोड़) है, की शैक्षणिक उन्नति हेतु 2024-25 में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 14.99 लाख विद्यार्थियों को ₹9,321.80 लाख की सहायता दी गई, जबकि संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 2,125 प्रकरणों में ₹8,633.03 लाख का ऋण वितरित किया गया। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में राज्य देश में प्रथम स्थान पर है, जहाँ नवंबर 2025 तक 1,398 आदर्श ग्राम घोषित किए गए। ओबीसी एवं अल्पसंख्यक समुदायों के लिए छात्रावास सुविधाओं का विस्तार किया गया है तथा हज-2026 हेतु 6,911 यात्रियों का चयन पूर्ण हो चुका है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत दिव्यांगजनों को पेंशन योजना के माध्यम से ₹600 प्रतिमाह की सहायता प्रदान की जा रही है, वहीं दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रारंभिक माहों में 435 हितग्राहियों को ₹798.00 लाख की सहायता दी गई है, जो राज्य की समावेशी और संवेदनशील विकास नीति को दर्शाती है।

1.13 सुशासन, ई-गवर्नेंस एवं सेवा प्रदाय

मध्यप्रदेश में सुशासन को राज्य की विकास रणनीति के मूल आधार के रूप में स्थापित करते हुए शासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं नागरिक-केन्द्रित बनाने की दिशा में प्रशासनिक, प्रक्रियागत एवं तकनीक आधारित सुधारों की एक समन्वित एवं बहुआयामी रणनीति अपनाई गई है। शासन के मूल सिद्धांतों— पारदर्शिता, जवाबदेही, सहभागिता, दक्षता एवं कानून के शासन को ई-गवर्नेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया गया है। विभिन्न विभागों की सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराकर आवेदन, स्वीकृति, भुगतान एवं निगरानी प्रक्रियाओं को सरल एवं समयबद्ध बनाया गया है, जिससे सेवा वितरण की गुणवत्ता के साथ-साथ प्रशासनिक दक्षता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-181 जैसे सशक्त जन-शिकायत निवारण तंत्रों के माध्यम से नागरिकों और शासन के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ है तथा शिकायतों के समयबद्ध निराकरण से शासन पर नागरिकों का विश्वास सुदृढ़ हुआ है।

राजस्व सेवा प्रदाय के क्षेत्र में डिजिटल सुधारों के अंतर्गत साइबर तहसील, डिजिटाइज्ड भू-अभिलेख, Web-GIS आधारित भू-लेख पोर्टल, स्वामित्व योजना, फार्मर रजिस्ट्री, "शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण(NAKSHA)" तथा डिजिटल फसल सर्वेक्षण जैसी पहलों को लागू किया गया है, जिससे भूमि एवं राजस्व से संबंधित सेवाओं में पारदर्शिता, विवादों में कमी तथा सेवा प्रदाय की गति में वृद्धि हुई है। समग्र रूप से, इन पहलों ने पारंपरिक प्रशासनिक जटिलताओं को कम करते हुए शासन को अधिक परिणामोन्मुख, उत्तरदायी एवं समावेशी बनाया है, जो राज्य की सतत् एवं समावेशी सामाजिक-आर्थिक प्रगति में सहायक सिद्ध हो रहा है।

1.14 विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार

विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार मध्यप्रदेश के दीर्घकालिक आर्थिक रूपांतरण के प्रमुख आधार हैं, जो उत्पादकता वृद्धि, सुशासन, डिजिटल सेवा प्रदाय तथा नवाचार-आधारित विकास को गति दे रहे हैं। राज्य में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (STI) इकोसिस्टम का सुदृढ़ीकरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा MPSEDC, MPCST एवं MP-CERT के सहयोग से किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 के दौरान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) नीति 2025, डेटा सेंटर प्रोत्साहनों सहित IT, ITeS एवं ESDM निवेश संवर्धन नीति, AVGC-XR नीति 2025, ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025, सेमीकंडक्टर नीति 2025 तथा स्पेसटेक नीति 2026 जैसी दूरदर्शी नीतियाँ लागू की गई हैं। पिछले पाँच वर्षों में विभागीय बजटीय आवंटन में लगभग 136 प्रतिशत की वृद्धि



हुई है। वर्ष 2024-25 में MPCST द्वारा 108 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को ₹394 लाख की सहायता दी गई। विगत पाँच वर्षों में पेटेंट फाइलिंग में लगभग 155 प्रतिशत तथा डिज़ाइन फाइलिंग में लगभग 475 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और वर्ष 2025 तक राज्य में 30 पंजीकृत GI टैग उपलब्ध हैं। नवाचार एवं उद्यमिता को बल देते हुए 6,645 से अधिक DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स (जिनमें 3,178 महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स) सक्रिय हैं। विगत वर्ष की तुलना में स्टार्ट अप्स पंजीयन की संख्या में 44.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इन्व्यूबेशन केन्द्रों में 43 प्रतिशत की वृद्धि होकर इनकी संख्या 103 हो गई है। MP-CERT, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट (GIS) 2025 और टेक ग्रोथ कॉन्क्लेक्स के माध्यम से डिजिटल गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, निवेश प्रोत्साहन एवं रोजगार सृजन को भी सुदृढ़ किया गया है।

1.15 सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था: धार्मिक पर्यटन, रोजगार एवं स्थानीय विकास का उभरता आयाम

परंपरागत रूप से संस्कृति को विरासत संरक्षण तक सीमित माना जाता था, किन्तु सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था अब रोजगार, स्थानीय आय, उद्यमिता और क्षेत्रीय विकास को गति देने वाली आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रही है। UNESCO और G-20 जैसे वैश्विक मंचों के अनुरूप मध्यप्रदेश संस्कृति को एक उत्पादक आर्थिक क्षेत्र के रूप में देखता है, जिसमें धार्मिक पर्यटन, लोक-कला, हस्तशिल्प, सांस्कृतिक आयोजन और अनुभव-आधारित सेवाएँ सम्मिलित हैं। राज्य की जनजातीय परंपराएँ, धार्मिक स्थल और उत्सव विकास के अवसर प्रदान करते हैं तथा संस्कृति-पर्यटन-स्थानीय अर्थव्यवस्था के अंतर्संबंध को सुदृढ़ करते हैं। यह क्षेत्र कम पूंजी में अधिक श्रम को समाहित करते हुए महिलाओं, युवाओं और कामगारों को लाभ पहुंचाता है, ग्रामीण-शहरी असमानताओं को कम करता है तथा SDG-8, SDG-11 और SDG-12 के अनुरूप “समृद्ध मध्यप्रदेश@2047” के गुणवत्ता-आधारित विकास लक्ष्य से संरेखित है।

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग धार्मिक पर्यटन आधारित सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। वर्ष 2025-26 में इसका विभागीय मुख्यालय उज्जैन स्थानांतरित कर नीति-क्षेत्र समन्वय सुदृढ़ किया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत वर्ष 2012 से 2025 तक 831 विशेष ट्रेनों के माध्यम से 8.16 लाख वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2025-26 में 24 ट्रेनों के लिए ₹40 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिनमें से 11 ट्रेनों द्वारा 8,800 से अधिक तीर्थ यात्रियों को लाभ मिल चुका है। मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु ₹25 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण द्वारा 110 तीर्थ स्थलों एवं 1,613 मेलों का पंजीकरण कर ₹2.58 करोड़ का अनुदान जारी किया गया है, जिससे रोजगार, निर्माण गतिविधियों और पर्यटन को बढ़ावा मिला है।

इसके साथ ही, आनंद विभाग द्वारा नागरिकों में खुशहाली और सकारात्मकता को बढ़ाने हेतु अल्पविराम कार्यक्रम, आनंद उत्सव, आनंद क्लब, आनंद शिविर, आनंदम केंद्र, आनंद सभा, आनंद अनुसंधान एवं डॉक्टरल फैलोशिप, हिंदी ऑनलाइन कोर्स “A Life of Happiness and Fulfilment”, आनंद ग्राम एवं आनंद बस्ती पहल तथा अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के आयोजन किए जा रहे हैं। उपरोक्त सभी पहल सामाजिक सहभागिता, मानसिक कल्याण और समग्र जीवन-स्तर में सुधार को सुदृढ़ करती हैं।



सार्वजनिक वित्त

सार्वजनिक वित्त राजस्व, व्यय, राजकोषीय घाटा और लोक ऋण पर केंद्रित है। यह अध्याय मध्यप्रदेश के लोक राजस्व, लोक व्यय और राजकोषीय अनुशासन का अवलोकन करता है।

मध्यप्रदेश के प्रमुख राजकोषीय संकेतकों का विवरण तालिका क्र. 2.1 में दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2004-05 से लगातार 14 वर्षों तक राजस्व आधिक्य में रहने के बाद, प्रतिकूल आर्थिक वातावरण के कारण मध्यप्रदेश राज्य में, वर्ष 2019-20 में राजस्व घाटा हुआ। कोविड-19 के कारण, राजस्व घाटा वर्ष 2020-21 में भी जारी रहा। परन्तु वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के दुष्प्रभाव से उबरते हुए प्रदेश के द्वारा पुनः राजस्व आधिक्य की स्थिति को प्राप्त किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में भी राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी रही। वित्तीय वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित अनुमान एवं वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान अनुसार राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी रहना संभावित है। वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार राजकोषीय घाटा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार 3.00 प्रतिशत एवं भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत रूपये 12300 करोड़ (जीएसडीपी का 0.82%) एवं 0.33 प्रतिशत विगत वर्षों में ऋण सीमा से कम राशि का उपयोग करने पर शेष राशि के विरुद्ध उधार को शामिल करते हुए की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.15 प्रतिशत रहना संभावित है। वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा 4.66 प्रतिशत तक रहने की संभावना है। वास्तविक आकड़े प्राप्त होने पर राजकोषीय घाटा अनुमान से कम रहने की संभावना है।

15वें वित्त आयोग द्वारा नवंबर 2020 में प्रस्तुत अपनी अंतिम रिपोर्ट में मध्यप्रदेश सहित सभी राज्यों के लिए राजकोषीय पथ का एक रोडमैप प्रदान किया था। आयोग ने वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा 3.00 प्रतिशत रखने की अनुशंसा की है। इसके अलावा, बिजली क्षेत्र में सुधार करने की शर्त पर, आयोग ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 के लिए जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त ऋण की सुविधा प्रदान की गई है। मार्च, 2025 में प्रस्तुत मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में राजस्व आधिक्य को प्राप्त करने में सफल रही एवं आगे आधिक्य बनाए रखने का प्रयास करेगी, जिसका उपयोग पूंजीगत व्यय के लिए किया जा सकता है।

तालिका क्र. 2.1 : प्रमुख राजकोषीय संकेतक

(रुपये करोड़ में)

	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25 (पु.अ.)	वर्ष 2025-26 (ब.अ.)
राजस्व घाटा/आधिक्य (-/+)	+4815	+4091	+12488	1026	618
राजकोषीय घाटा	37987	41203	44485	62434	78902
प्राथमिक घाटा	19542	21749	21387	35557	50266
GSDP के % के रूप में					
राजकोषीय घाटा	3.25	@ 3.11	@ 3.26	@ 4.15	@ 4.66

	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25 (पु.अ.)	वर्ष 2025-26 (ब.अ.)
राजकोषीय घाटा जी एस डी पी के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार द्वारा अनुमत अतिरिक्त उधार को हटाकर	3.25	2.55	2.57	3.52	3.93
राजकोषीय घाटा का लक्ष्य	4.00	3.50	3.00	3.50	3.00
राजस्व घाटा/आधिक्य (-/+)	0.41	0.31	0.92	0.07	0.04
राजस्व प्राप्ति के लिए ब्याज भुगतान का प्रतिशत	9.92	9.54	9.87	10.26	9.84

स्रोत: वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन

* वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े म.प्र. एफ.आर.बी.एम. (FRBM) 2025-2026 रिपोर्ट के अनुसार

नोट :- (+) अधिशेष, (-) घाटा, (पु अ) पुनरीक्षित अनुमान (ब अ) बजट अनुमान

@ विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत रु. 7360 करोड़ वर्ष 2022-23, रु. 12636 करोड़ वर्ष 2023-24,

रु. 12425 करोड़ वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 में प्राप्त अनुमानित ऋण रु. 11000 करोड़

2.1 प्राप्तियां

राज्य सरकार की प्राप्तियों का विवरण तालिका क्र. 2.2 में दिया गया है। वर्ष 2021-22 और वर्ष 2025-26 के बीच कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 81.51 प्रतिशत से 77.50 प्रतिशत के बीच रहा है। मध्यप्रदेश में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल प्राप्तियों का प्रतिशत वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के दौरान 19.51 प्रतिशत से 22.15 प्रतिशत के बीच रहा है, जबकि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत 15.90 प्रतिशत से 17.16 प्रतिशत के बीच रहा है।

जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2022-23 में गिरावट आई है, यह गिरावट आंशिक रूप से तात्कालिक कारणों से है। वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित अनुमान एवं वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में सुधार परिलक्षित है। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में शुद्ध सार्वजनिक ऋण में परिवर्तन वर्ष 2021-2022 से वर्ष 2025-2026 तक 2.66% से बढ़कर 4.65% अनुमानित है। 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्य सरकारों के निर्देशात्मक ऋण पथ तैयार किये गए हैं। जिसके अनुसार वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में मध्यप्रदेश राज्य की कुल देयताएं निर्धारित लक्ष्य की सीमा में है।

तालिका क्र. 2.2: राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां

(रुपये करोड़ में)

	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25 (पु.अ.)	वर्ष 2025-26 (ब.अ.)
राजस्व प्राप्तियां	185876	203986	234026	262009	290879
शुद्ध सार्वजनिक ऋण में परिवर्तन	31123	36861	43544	62835	78771
अग्रिमों की वसूली	1661	1504	375	3921	5556
नेट पब्लिक अकाउंट	8889	509	5398	99	134
आकस्मिकता निधि से निवल प्राप्तियां (असमायोजित राशि)	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25 (पु.अ.)	वर्ष 2025-26 (ब.अ.)
कुल प्राप्तियां	228049	242860	283343	328864	375340
राजस्व प्राप्तियां (कुल प्राप्तियों का प्रतिशत)	81.51	83.99	82.59	79.67	77.50
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां					
राजस्व प्राप्तियां	15.90	15.42	17.16	17.42	17.16
शुद्ध सार्वजनिक ऋण में परिवर्तन	2.66	2.79	3.19	4.18	4.65
अग्रिमों की वसूली	0.14	0.11	0.03	0.26	0.33
नेट पब्लिक अकाउंट	0.76	0.04	0.40	0.01	0.01
कुल प्राप्तियां	19.51	18.36	20.78	21.87	22.15
जीएसडीपी (राशि करोड़ में)	1169004	1322821	1363327	1503395	1694477

स्रोत: वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन,

नोट-(पु अ) = पुनरीक्षित अनुमान (ब अ) = बजट अनुमान

2.2 राज्य का कर राजस्व

राज्य की राजस्व प्राप्तियों की संरचना तालिका क्र. 2.3 में प्रदर्शित की गई है और प्रमुख कर राजस्व मदों के तहत प्राप्तियों को तालिका क्र. 2.4 में प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 (पु.अ.) के दौरान राज्य करों का हिस्सा जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 5.67% से बढ़कर 6.39% हो गया है। इस अवधि के दौरान राज्य के अपने कर संग्रह में 13.17 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। हालांकि, वर्ष 2025-26 (बजट अनुमान) में कर संग्रह 13.57 प्रतिशत की दर से बढ़ने की आशा है। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी वर्ष 2024-25 में समाप्त होने वाले चार वर्षों में 13.29 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी है। जबकि, वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान के दौरान यह केवल 10.53 प्रतिशत रहने की आशा है।

तालिका क्र. 2.3: राजस्व प्राप्तियों की संरचना

(रुपये करोड़ में)

	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25 (पु.अ.)	सी.ए.जी.आर. (%)	वर्ष 2025-26 (ब.अ.)	वृद्धि (वर्ष 2024-25 से वर्ष 2025-26)
राज्य कर	66308	72611	90724	96116	13.17	109157	13.57
केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा	69470	74542	88665	101020	13.29	111662	10.53
केंद्रीय अनुदान	34792	36954	34711	42977	7.34	48661	13.23
GSDP के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियों की संरचना							
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26		
राज्य कर	5.67	5.49	6.65	6.39	6.44		
केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा	5.94	5.64	6.50	6.72	6.59		
केंद्रीय अनुदान	2.98	2.79	2.55	2.86	2.87		

स्रोत: वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन

नोट - (पु.अ.) = पुनरीक्षित अनुमान (ब.अ.) बजट अनुमान

राज्य के अपने संसाधनों के संदर्भ में, वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2025-26 में भूमि राजस्व जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 0.05 % तक बने रहने की आशा है। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के लिए भी बढ़ती हुई प्रवृत्ति ही अपेक्षित है, जो समग्र और सकारात्मक उत्साहजनक आर्थिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। मदिरा पर आबकारी शुल्क वर्ष 2021-2022 से वर्ष 2025-2026 तक जीएसडीपी के 0.88% से बढ़कर 1.03 प्रतिशत होने का अनुमान है।

वाणिज्यिक कर GSDP के प्रतिशत के रूप में संग्रह वर्ष 2021-22 में 1.38% से घटकर वर्ष 2025-26 में 1.34 % होने का अनुमान है, जबकि वाहनों पर कर (सड़क कर आदि) 0.26 % से बढ़कर 0.34 % होने का अनुमान है। इसी अवधि में बिजली कर 0.39 % से घटकर 0.30 % होने का अनुमान है। एसजीएसटी का संग्रह वर्ष 2021-22 में जीएसडीपी के 1.88 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025-26 में जीएसडीपी का 2.49 प्रतिशत होने का अनुमान है एसजीएसटी संग्रह में निरंतर वृद्धि राज्य के वित्त के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा राज्य के जीएसडीपी ग्रोथ का परिचायक है।

तालिका क्र. 2.4: कर राजस्व

(रुपये करोड़ में)

कर राजस्व	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25 (पु.अ)	सी.ए.जी.आर. (%)	वर्ष 2025-26 (ब.अ)	वृद्धि (वर्ष 2024-25 से वर्ष 2025-26)
भूमि राजस्व	733	956	1079	813	3.51	835	2.71
स्टाम्प और पंजीकरण	8098	8812	10331	12000	14.01	13920	16.00
राज्य आबकारी शुल्क	10334	12955	13524	15500	14.47	17500	12.90
वाणिज्यिक कर	16185	17719	17863	19300	6.04	22698	17.61
एसजीएसटी	22029	23397	37791	37498	19.40	42140	12.37
वाहन कर	3029	4028	4606	5100	18.97	5700	11.76
माल और यात्रियों पर टैक्स	64	59	31	13	-41.22	2	-84.62
बिजली कर और शुल्क	4582	3498	4207	4534	-0.35	5000	10.28

GSDP के प्रतिशत के रूप में					
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
भूमि राजस्व	0.06	0.07	0.08	0.05	0.05
स्टाम्प और पंजीकरण	0.69	0.67	0.76	0.80	0.82
राज्य आबकारी शुल्क	0.88	0.98	0.99	1.03	1.03
वाणिज्यिक कर	1.38	1.34	1.31	1.28	1.34
एसजीएसटी	1.88	1.77	2.77	2.49	2.49
वाहन कर	0.26	0.30	0.34	0.34	0.34
माल और यात्रियों पर टैक्स	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
बिजली कर और शुल्क	0.39	0.26	0.31	0.30	0.30

स्रोत: वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन

नोट (पु.अ.) = पुनरीक्षित अनुमान (ब.अ.) बजट अनुमान



2.3 राज्य का गैर-कर राजस्व

प्रमुख गैर-कर राजस्व मदों पर राज्य की वर्ष-वार प्राप्तियों को तालिका क्र. 2.5 में दर्शाया गया है। राज्य के गैर-कर राजस्व में उतार-चढ़ाव परिलक्षित होता है। मध्यप्रदेश एक वन समृद्ध राज्य है जिसमें राज्य का लगभग 30 % क्षेत्र घने जंगल से आच्छादित है। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में वन उपज से राजस्व वर्ष 2021-22 में 0.12 % से वर्ष 2025-26 में घटकर 0.09 % होने का अनुमान है। सिंचाई राजस्व इसी अवधि में 0.05 % के समान 0.05 % होने का अनुमान है। अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग राजस्व वर्ष 2021-2022 में 0.53 % से बढ़कर वर्ष 2024-2025 में 0.70 % और वर्ष 2025-26 में 0.71 % पर रहने की संभावना है।

तालिका क्र. 2. 5. राज्य का गैर-कर राजस्व

(रुपये करोड़ में)

गैर-कर राजस्व	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25 (पु.अ.)	सी.ए.जी.आर. (%)	वर्ष 2025-26 (ब.अ.)	वृद्धि (वर्ष 2024-25 से वर्ष 2025-26)
वानिकी और वन्य जीव	1406	1395	1421	1485	1.84	1552	4.51
सिंचाई	568	663	672	850	14.38	894	5.18
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	6181	7360	9171	10496	19.30	12079	15.08

GSDP के प्रतिशत के रूप में					
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
वानिकी और वन्य जीव	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09
सिंचाई	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	0.53	0.56	0.67	0.70	0.71

स्रोत: वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन

नोट-(पु अ) पुनरीक्षित अनुमान (ब अ) बजट अनुमान

2.4 केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा

भारत सरकार के वर्ष 2025-26 (फरवरी, 2025 को प्रस्तुत) के बजट अनुमानों के आधार पर प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमान रुपये 111661.87 करोड़ रुपये अनुमानित है। यह वर्ष 2024-25 पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में लगभग 10.53 प्रतिशत अधिक है। राज्य आने वाले वर्षों में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि की आशा कर सकता है।

2.5 व्यय

निम्न तालिका क्र. 2.6 से, यह देखा जा सकता है कि मध्यप्रदेश सरकार के बजट का आकार वित्तीय वर्ष 2000-2001 में 16,393 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 3,75,337 करोड़ रुपये हो गया है। बजट में यह वृद्धि वित्तीय वर्ष 2000-2001 की तुलना में लगभग 23 गुना है।

तालिका क्र. 2.6 : मध्यप्रदेश बजट विनियोग की राशि (वर्ष 2000-01 से वर्ष 2025-26)

(रु. करोड़ में)

वर्ष	कुल व्यय
2000-2001	16,393
2004-2005	26,288
2009-2010	47,641
2014-2015	1,06,785
2019-2020	1,80,672
2020-2021	1,96,319
2021-2022	2,25,524
2022-2023	2,46,693
2023-2024	2,78,886
2024-2025(पु.अ.)	3,28,364
2025-2026(ब.अ.)	3,75,337

स्रोत: वित्त सचिव का स्मृति पत्र

(पु.अ.) पुनरीक्षित अनुमान (ब.अ.) = बजट अनुमान

सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सरकार राज्य के विकास के लिए सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचा प्रदान करती है। इसलिए सार्वजनिक व्यय का आकार, संरचना और उत्पादकता अर्थव्यवस्था के विकास का एक संकेतक है। राज्य के राजस्व और पूंजीगत व्यय का विवरण तालिका क्र. 2.7 में प्रदर्शित किया गया है। यह देखा जा सकता है कि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय वर्ष 2021-2022 में 15.49 % से बढ़कर वर्ष 2025-2026 में 17.13 % हो गया है। बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के कारण जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय, वर्ष 2021-2022 में 3.48 % से बढ़कर वर्ष 2024-2025 में 4.32 % होने और वर्ष 2025-2026 में 4.87 % होने का अनुमान है। इस अवधि के दौरान ऋण और अग्रिम 0.32 % से घटकर 0.15 % होने का अनुमान है।

तालिका क्र. 2.7: राजस्व और पूंजीगत व्यय

	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25 (पु.अ.)	सी.ए.जी.आर. (%)	वर्ष 2025-26 (ब.अ.)	वृद्धि (वर्ष 2024-25 से वर्ष 2025-26)
राजस्व व्यय	181061	199895	221538	260983	12.96	290261	11.22
पूंजीगत व्यय	40733	44438	56539	64930	16.82	82513	27.08
ऋण और अग्रिम	3730	2359	809	2451	-13.06	2563	4.57
GSDP के प्रतिशत के रूप में							
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26		
राजस्व व्यय	15.49	15.11	16.24	17.36	17.13		
पूंजीगत व्यय	3.48	3.36	4.15	4.32	4.87		
ऋण और अग्रिम	0.32	0.18	0.06	0.16	0.15		



पूंजीगत व्यय का स्तर सार्वजनिक निवेश के स्तर को दर्शाता है, जो न केवल सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण करता है, बल्कि निजी निवेश को भी गति देता है। राज्य सरकार को बजट की सीमितता का सामना करना पड़ता है, इसलिए राजस्व व्यय को नियंत्रित करते हुए पूंजीगत व्यय को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। मार्च, 2025 में प्रस्तुत म.प्र. एफआरबीएम रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार वर्ष 2023-24 में राजस्व आधिक्य की स्थिति प्राप्त करने के बाद से इसे आगे के वर्षों में आधिक्य को बनाए रखने का प्रयास करेगी, जिसका उपयोग पूंजीगत व्यय के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, पूंजीगत प्राप्तिर्षों का उपयोग पेयजल, शिक्षा, सिंचाई, ऊर्जा, सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक पूंजीगत व्यय 3.48 प्रतिशत से बढ़कर 4.87 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

2.6 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना

मध्यप्रदेश सरकार को ए.डी.बी., विश्व बैंक, जे.आई.सी.ए. (जायका), के.एफ.डब्ल्यू. आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा शहरी विकास, सिंचाई, सार्वजनिक परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभिन्न क्षेत्रों में भी बाह्य सहायता भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त हुई है (तालिका 2.8 देखें)।

तालिका क्र. 2.8: मध्यप्रदेश में बाह्य सहायता प्राप्त राशि

वर्ष	(रुपये करोड़ में)
2019-2020	4868
2020-2021	5067
2021-2022	4091
2022-2023	3305
2023-2024	2436
2024-2025(पु.अ)	3000
2025-2026(ब.अ)	3500

यह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और विश्वसनीयता दोनों को दर्शाता है क्योंकि निवेश पर उसके प्रतिलाभ के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। इसके अलावा, यह इस तथ्य पर भी प्रकाश डालता है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा मध्यप्रदेश को एक उभरती हुई राज्य अर्थव्यवस्था के रूप में मान्यता देते हैं।

विभाग अंतर्गत वर्तमान में की गई नवीनतम गतिविधियां:-

- 1. E-GPF - कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (GPF) संबंधी समस्त डाटा तथा प्रक्रियाओं को ऑनलाईन किया गया है।** अंतिम राशि आहरण के लिए आवश्यक प्राधिकार पत्रों को ऑनलाईन किया गया ताकि रिटायरमेंट के बाद समय-सीमा में भुगतान प्राप्त हो सके। E-GPF अंतर्गत अंतिम भुगतान जुलाई 2025 से प्रारंभ किया जाकर अब तक 5917 प्राधिकार पत्र जारी हुए हैं।
- 2. सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) - प्रदेश में डिजिटल मुद्रा के प्रसार के दृष्टिगत RBI द्वारा जारी CBDC का उपयोग प्रारम्भ किया गया है।** वर्तमान में चिन्हित योजनाओं के लिए सफलतापूर्वक पायलट किया जा चुका है। इससे राशि के लीकेज तथा दुरुपयोग होने की संभावना कम होगी। विभिन्न योजनाओं के लिए अन्य विभागों द्वारा भी इसे अपनाया जा रहा है।

3. SNA-स्पर्श - म.प्र. में SNA-स्पर्श लागू की गई है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार की योजनाओं से प्राप्त होने वाली राशि सीधे हितग्राही को अंतरित करने की व्यवस्था की गई है।

- अब तक 66 केंद्र प्रवर्तित योजनाओं से सम्बद्ध 101 राज्य योजनाओं में कार्यवाही सम्पादित की जा चुकी है। इसी प्रकार केंद्र सरकार के विभिन्न पोर्टल्स का इंटीग्रेशन भी IFMIS के साथ किया गया है। इससे रियल टाइम भुगतान में त्वरित कार्यवाही संभव हुई है।
- मध्यप्रदेश को SNA-स्पर्श के सफल क्रियान्वयन हेतु राशि रु. 500 करोड़ का प्रोत्साहन अनुदान भारत सरकार से SASCI अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्त हुआ है।
- चूंकि यह एक नवीन प्रक्रियात्मक योजना है अतः सुविधा की दृष्टि से IFMIS अंतर्गत सेंट्रल ट्रेजरी की स्थापना की गई है। यह उल्लेखनीय है कि डिपार्टमेंटल इंटीग्रेशन के माध्यम से भी सेंट्रल ट्रेजरी के तहत ई-क्लेम प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
- SNA-स्पर्श के देयकों के त्वरित निराकरण हेतु विभागों को देयक पारित करने की अधिकारिता भी दी गई है।

4. E-Pay Fixation

- 100% E-Pay Fixation
- मानदेयी/ मानसेवी हेतु यूनिक कोड का निर्माण।
- Pay Fixation एवं Monitoring हेतु Dashboard
- मानदेयी/ मानसेवी हेतु यूनिक कोड का निर्माण।
- अखिल भारतीय सेवा एवं न्यायिक सेवा अधिकारियों के वेतन निर्धारण की सुविधा।
- विशिष्ट प्रकरणों/ न्यायालयीन निर्णय में वेतन निर्धारण हेतु स्पेशल स्कीम।
- स्टायपेंड कैटेगरी हेतु वेतन निर्धारण सुविधा



बॉक्स 2.1: परिणाम-आधारित सार्वजनिक वित्त साधन के रूप में सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड

मध्यप्रदेश ने सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड (SIB) को एक नवाचारी सार्वजनिक वित्त साधन के रूप में अपनाने की पहल की है, जिसका उद्देश्य परिणाम-आधारित बजटिंग एवं वित्तीय दक्षता को सुदृढ़ करना है। SIB ऐसे प्रदर्शन-आधारित अनुबंध हैं, जिनमें सामाजिक हस्तक्षेपों के लिए पूर्व-वित्तपोषण निजी अथवा संस्थागत निवेशकों द्वारा किया जाता है, जबकि राज्य शासन द्वारा भुगतान पूर्व-निर्धारित एवं स्वतंत्र रूप से सत्यापित परिणामों की प्राप्ति के पश्चात ही किया जाता है, जिससे राजकोषीय विवेकशीलता एवं सार्वजनिक व्यय की दक्षता को बढ़ावा मिलता है।

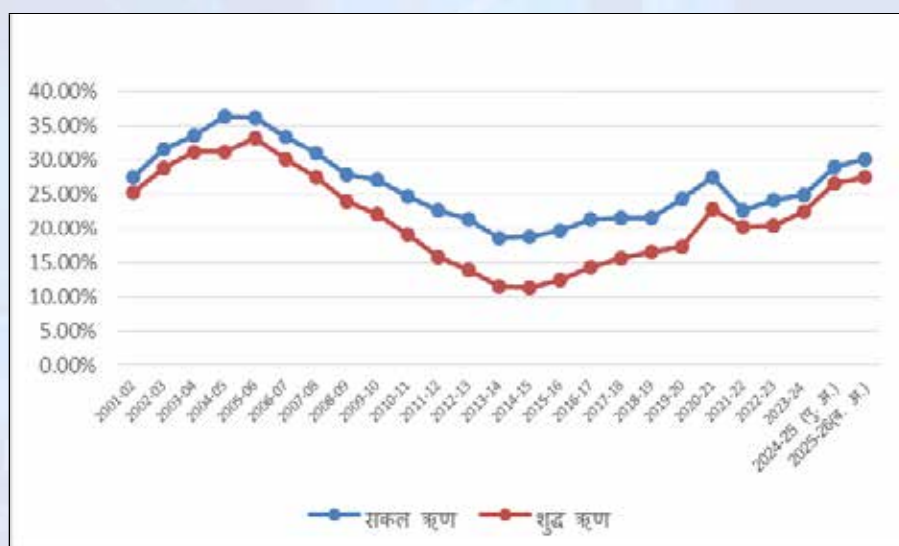
राज्य का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कल्याण विभाग के माध्यम से पायलट आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसे राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। यह हस्तक्षेप OBC युवाओं के लिए परिणाम-आधारित कौशल विकास एवं विदेशों में रोजगार पर केंद्रित है, जिसमें सरकारी व्यय को सत्यापित रोजगार परिणामों से जोड़ा गया है।

प्रस्तावित बॉन्ड को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर पंजीकृत किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे जोखिम पूंजी का संग्रहण संभव हो सके। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय एवं स्वास्थ्य विभाग भी चयनित सामाजिक क्षेत्रों में ऐसे ही परिणाम-आधारित वित्तीय मॉडलों की संभावनाओं का परीक्षण कर रहे हैं। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन के दृष्टिकोण से, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड पारंपरिक बजटीय साधनों के पूरक के रूप में परिणाम-आधारित व्यय, संसाधनों के बेहतर आवंटन तथा उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करते हैं।

सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड का यह उपयोग 'विकसित मध्यप्रदेश - विज़न 2047' के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसमें परिणामोन्मुख शासन, नवाचारी वित्तीय तंत्र तथा समावेशी एवं सतत विकास हेतु लक्षित मानव पूंजी विकास पर विशेष बल दिया गया है।

2.7. राजकोषीय अनुशासन

किसी भी अर्थव्यवस्था के परिपक्व होने के लिए, राजकोषीय अनुशासन महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश में वर्ष 2004-2005 में ऋण-जीएसडीपी अनुपात 39.5 प्रतिशत था। राजस्व घाटे को धीरे-धीरे समाप्त करने और राजकोषीय घाटे में कमी करके राजकोषीय प्रबंधन में अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्यों के साथ, राज्य ने मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (म.प्र.एफ.आर.बी.एम. अधिनियम) लाया गया।



चित्र 2.1 ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत (आरक्षित एवं जमा निधियों को छोड़कर)

तालिका क्र. 2.9: ऋण जीएसडीपी अनुपात

वर्ष	वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राजकोषीय समेकन पथ	उपलब्धि
2018-2019	25.00	24.01
2019-2020	25.00	25.43
2020-2021	31.30	31.03
2021-2022	31.70	27.05
2022-2023	32.90	27.51
2023-2024	33.30	27.99
2024-2025 (पु. अ.)	33.60	30.74
2025-2026 (ब. अ.)	33.70	31.30

14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट, और 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट,

(पु अ) RE = पुनरीक्षित अनुमान (ब अ) BE = बजट अनुमान

राजकोषीय समेकन का प्रयास चित्र 2.1 में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऋण-जीएसडीपी अनुपात वर्ष 2004-2005 में 39.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-2020 में जीएसडीपी का 25.43 प्रतिशत हो गया। हालांकि, कोविड-19 की प्रतिक्रिया के लिए राज्य को घटते राजस्व का सामना करते हुए व्यय अधिक करने की आवश्यकता थी। 31 मार्च, 2024 तक, ऋण-जीएसडीपी अनुपात बढ़कर 27.99 प्रतिशत हो गया। विद्यमान चुनौतियों का सामना करने के लिए, 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राजकोषीय समेकन पथ की अनुशंसा को प्रस्तुत किया, जहां ऋण-जीएसडीपी अनुपात वर्ष 2020-2021 में 31.03 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025-2026 में 31.30 प्रतिशत हो सकता है। तालिका 2.9 में प्रदर्शित आंकड़ों से स्पष्ट है कि, राज्य ने लगातार अनुशंसित पथ से ऋण का अनुपात कम ही रखा है। मार्च, 2024 में बकाया उधारी पर औसत ब्याज दर 7.28 प्रतिशत थी, जो मार्च 2025 (म.प्र. एफ.आर.बी.एम. रिपोर्ट, 2025) को बकाया उधारी पर औसत ब्याज दर घटकर 7.11 प्रतिशत होने का अनुमान है। इससे ब्याज भुगतान पर होने वाले खर्च में कमी हुई है। सम्पूर्ण विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य सरकार की स्वस्थ राजकोषीय नीतियों ने राज्य में दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिति का नेतृत्व किया। कोविड-19 ने राजस्व प्राप्तियों में अवरोध उत्पन्न किए हैं।

जिससे उधार पर बढ़ती निर्भरता की आवश्यकता हुई। हालांकि, वर्ष 2025-26 के आँकड़ों के अनुसार राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों और केंद्रीय करों में हिस्सेदारी दोनों के संग्रहण में वृद्धि का अनुमान है। इससे राजस्व आधिक्य की स्थिति को निरंतर बनाये रखने और राजकोषीय समेकन का मार्ग प्रशस्त होता दिखाई देता है।

संदर्भ

- भारत सरकार (2015). 14वां वित्त आयोग, भारत सरकार की रिपोर्ट.
- भारत सरकार (2021). 15वां वित्त आयोग, भारत सरकार की रिपोर्ट.
- जीओएमपी (2025). मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदयित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) रिपोर्ट, मध्यप्रदेश शासन,



बैंकिंग, बीमा और वित्तीय संस्थान

बैंक और वित्तीय संस्थान राज्य की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो ऋण लेने, ऋण देने, निवेश करने और बचत जैसी आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं को प्रदान करते हैं। राज्य का वित्तीय परिदृश्य एक समृद्ध विविधता प्रदर्शित करता है, जिसमें 33 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1 राज्य सहकारी बैंक, 38 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डी.सी.सी.बी.), 8 लघु वित्त बैंक और 1 भुगतान बैंक (इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक) शामिल हैं। राज्य में बैंकिंग सेवाएं 8, 798 शाखाओं के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं, जिसमें से 33 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं एवं 67 प्रतिशत गतिशील अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पी.एस.बी.) एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जो राज्य के लगभग आधे बैंकिंग नेटवर्क का गठन करते हैं, इसके बाद निजी क्षेत्र के बैंक (22 प्रतिशत), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (15 प्रतिशत), सहकारी बैंक (10 प्रतिशत), और लघु वित्त बैंक (5 प्रतिशत) हैं। प्रत्येक इकाई मध्य प्रदेश के वित्तीय परिदृश्य को आकार देने में एक विशिष्ट भूमिका निभाती है, जैसा कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं अर्धवार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में उल्लेखित है।

मध्य प्रदेश में वित्तीय समावेशन ने समाज के सभी वर्गों को औपचारिक बैंकिंग सेवाओं के लाभों का विस्तार करने के उद्देश्य से ठोस प्रयासों के साथ एक परिवर्तनकारी यात्रा की है। राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) जैसी पहलों को एक गेम-चेंजर के रूप में अपनाया है, जो पारंपरिक सीमाओं से परे वित्तीय सेवाओं की पहुंच का विस्तार करता है। वित्तीय समावेशन के लिए मध्य प्रदेश की प्रतिबद्धता लाभार्थियों की बढ़ती संख्या में परिलक्षित होती है, पी.एम.जे.डी.वाई. ने बैंक रहित आबादी को औपचारिक वित्तीय दायरे में लाने हेतु उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। यह राज्य के समग्र आर्थिक सशक्तिकरण और विकास में योगदान देता है। पी.एम.जे.डी.वाई. पोर्टल के अनुसार, स्थापना के बाद से पी.एम.जे.डी.वाई. में 4.62 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग की सुविधाओं से लाभान्वित किया है। जिसमें से 55 प्रतिशत खाताधारक महिलाएं हैं एवं 61 प्रतिशत जन धन खाते ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

इस अध्याय को पाँच भागों में विभाजित किया गया है जो विभिन्न एजेंसियों द्वारा राज्य में ऋण विस्तार, बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन, समान विकास के लिए वित्तीय समावेशन, रोजगार योजनाओं की सहायता के लिए वित्तपोषण और राज्य में बीमा समिति के गठन पर केंद्रित है।

3.1 आर्थिक विकास के लिए ऋण विस्तार

3.1.1 ऋण वृद्धि

बैंकों द्वारा ऋण लक्ष्यों की योजना बनाने के लिए वार्षिक साख योजना (ए.सी.पी.) तैयार की गई है। एसीपी को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की संभावित लिंक्ड क्रेडिट योजना के साथ सिंक्रोनाइज़ किया जाता है। तालिका क्र. 3.1 ऋण की क्षेत्रवार प्रगति को रेखांकित करती है जो 2024-25 एवं 2025-26 (सितम्बर तक) तक की अवधि के लिए वार्षिक साख योजना (ए.सी.पी.) के तहत विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन को दर्शाती है। वर्ष 2005-06 से 2024-25 में तुलनात्मक रूप से कुल अग्रिम 22.40% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर) से बढ़ा, कृषि क्षेत्र का 16.19% सी.ए.जी.आर, एमएसएमई का 32.30%, प्राथमिकता क्षेत्र में 18.53% सी.ए.जी.आर की वृद्धि हुई है।

तालिका 3.1: वार्षिक साख योजना (एसीपी) क्षेत्रवार ऋण विस्तार

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	क्षेत्र	2005-06	2024-25 (लक्ष्य)	2024-25 (लक्ष्य प्राप्ति)	2025-26 (लक्ष्य)	2025-26 (लक्ष्य प्राप्ति सितम्बर तक)
1	कृषि	6,954	1,35,460	1,20,322	1,46,034	81,081
2	एमएसएमई	525	1,11,066	1,07,142	1,33,971	86,730
3	शिक्षा	-	468	484	577	313
4	आवास	-	5,998	5,363	8,196	3034
5	अन्य	1,958	5,987	5,243	4,965	4,218
6	कुल प्राथमिकता क्षेत्र	9,437	2,58,979	2,38,554	2,93,743	1,75,376
7	कुल गैर-प्राथमिकता क्षेत्र	*-	99,646	2,00,767	1,25,366	1,48,949
महायोग		9,437	3,58,625	4,39,321	4,19,109	3,24,325

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 की एसएलबीसी रिपोर्ट, संस्थागत वित्त संचालनालय, म.प्र. शासन।

नोट : वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऑक्टोबर सितम्बर माह तक।

नोट : * वर्ष 2005-06 के गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए कोई डाटा उपलब्ध नहीं था

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक साख योजना के तहत 3,58,625 करोड़ रुपये (प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता) के लक्ष्य के मुकाबले, 31 मार्च 2025 के अंत तक 4,39,321 करोड़ रुपये की राशि वितरित कर 123% की उपलब्धि दर्ज की गई, जो की कृषि क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र की दिशा में बढ़ने का संकेत देती है।

तालिका क्र. 3.2: बैंक-वार एसीपी प्रदर्शन वित्तीय वर्ष 2025-26

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक का प्रकार	कृषि			एमएसएमई			प्राथमिकता क्षेत्र		
	लक्ष्य	उपल.	उपल. %	लक्ष्य	उपल.	उपल. %	लक्ष्य	उपल.	उपल. %
SCBs	1,03,396	60,036	58.1	1,26,438	83,876	66.3	2,40,020	1,47,718	61.5
RRBs	9,472	5,635	59.5	2,747	1,167	42.5	13,928	7,512	53.9
Co-Op.	29,717	13,850	47	1,128	0	0	31,294	16,273	52.0
SFBs	3,449	1,560	45.1	3,658	1,687	46.1	8,514	3,874	45.5
कुल	1,46,034	81,081	55.5	1,33,971	86,730	64.7	2,93,744	1,75,377	59.7

स्रोत: एसएलबीसी, संस्थागत वित्त संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन

नोट : SCBs = शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक; RRBs = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; Co-Op. = सहकारी बैंक; SFBs = स्माल फाइनेंस बैंक। (वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए डाटा की उपलब्धि सितम्बर 2025 तक)



कृषि, एमएसएमई और प्राथमिकता क्षेत्र के बैंक-वार एसीपी को तालिका क्र. 3.2 में दिखाया गया है। कृषि क्षेत्र में, वार्षिक साख योजना में लक्ष्य 1,46,034 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था, बैंकों ने 2025-26 (सितम्बर 2025 तक) में 81,081 करोड़ रुपये वितरित किए, जो कि 55.5 प्रतिशत की उपलब्धि दर्शाता है। आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण एमएसएमई क्षेत्र में वार्षिक साख योजना में निर्धारित 1,33,971 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध 86,730 करोड़ का वितरण कर उल्लेखनीय वृद्धि की गयी और इस क्षेत्र में 64.7 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की गई जो एक मजबूत वित्तीय समर्थन को दर्शाती है। प्राथमिकता क्षेत्र में संतुलित दृष्टिकोण दिखाते हुए सितम्बर 2025 तक निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध 59.7 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की है।

तालिका क्र. 3.3: प्रदेश में शेड्यूल कमर्शियल बैंक की ऋण वृद्धि की तुलना देश के साथ

क्षेत्र	राष्ट्रीय वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि %		मध्यप्रदेश वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि %	
	सितम्बर 2024	सितम्बर 2025	सितम्बर 2024	सितम्बर 2025
कुल जमा	11.5	9.77	8.34	9.45
कुल क्रेडिट	12.35	10.60	14.32	11.77
कृषि	15.04	7.56	13.77	9.36
एमएसएमई	14.66	20.99	19.74	14.91
आवास	1.70	29.91	2.13	16.85
शिक्षा	2.76	13.54	5.05	15.20
प्राथमिकता क्षेत्र	12.69	16.54	13.58	15.24

स्रोत: एसएलबीसी, 2025, और आरबीआई; *ग्रामीण एवं सहकारी बैंकों को छोड़कर

तालिका क्र. 3.3 में विभिन्न क्षेत्रों में शेड्यूलड कमर्शियल बैंक की ऋण वृद्धि को देश की ऋण वृद्धि से राज्य की तुलना में दर्शाया गया है।

3.1.2 प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह

कमजोर वर्ग को ऋण, उन व्यक्तियों और लोगों के समूहों को प्रदान की जाने वाली ऋण और ऋण सुविधाओं को संदर्भित करता है जिन्हें आर्थिक रूप से वंचित माना जाता है और पारंपरिक साधनों के माध्यम से साख सुविधा पहुँचाने में कठिनाई हो सकती है। नीचे दी गई तालिका क्र. 3.4 से ज्ञात होता है कि प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वृद्धि राज्य में 59.43 प्रतिशत है एवं यह 40 प्रतिशत के राष्ट्रीय बेंचमार्क से अधिक है। इसी तरह, राज्य में कृषि अग्रिम 29.89 प्रतिशत है जो की राष्ट्रीय बेंचमार्क 18 प्रतिशत से अधिक है। कमजोर वर्गों को अग्रिम के लिए राष्ट्रीय बेंचमार्क कुल अग्रिमों में से 10 प्रतिशत है, हालांकि, राज्य में, यह लगातार बढ़ रहा है और वित्तीय वर्ष 2025-26 में 22.07 प्रतिशत है। प्राथमिकता क्षेत्र में मजबूत वृद्धि समाज के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में सहायक है एवं समावेशी विकास, वित्तीय समावेशन और विविधीकरण को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। राज्य अर्थव्यवस्था में समान विकास को बढ़ावा दिये जाने हेतु कमजोर वर्गों की आजीविका को बढ़ावा दिये जाने हेतु अधिक प्रयास किया जा रहा है। साख जमा अनुपात (सीडी रेशो) क्रेडिट वृद्धि का एक और महत्वपूर्ण बेंचमार्क है। राज्य का वर्तमान सीडी रेशो 84.04 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 80.07 प्रतिशत से अधिक है।

तालिका क्र. 3.4: राज्य और राष्ट्रीय साख जमा अनुपात एवं बैंकिंग बेंचमार्क की तुलना

सूचकांक	राष्ट्रीय औसत	2023	2024	2025	2025*
ऋण जमा अनुपात (सीडीआर)	80.07	77.93	80.77	83.51	84.04
कुल अग्रिम का प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम	40	59.24	59	57.62	59.43
कुल अग्रिम का कृषि क्षेत्र में अग्रिम	18	31.57	30.77	29.96	29.89
कुल अग्रिम का कमजोर वर्ग को अग्रिम	10	26.15	24.4	21.11	22.07

स्रोत: संस्थागत वित्त संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन। एसएलबीसी (2025), आरबीआई(2025)

नोट : *वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आँकड़े सितम्बर माह तक।

3.1.3 ऋण जमा अनुपात

2025-26 (सितम्बर माह तक) का जिलावार ऋण जमा अनुपात (सीडी अनुपात) तालिका क्र. 3.5-क में दर्शाया गया है, जिलों को उनके साख जमा अनुपात सीमा के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आगर-मालवा जिले के लिए अधिकतम सी.डी. अनुपात 234.40 और सिंगरौली जिले के लिए सबसे कम सी.डी. अनुपात दर्शाया गया है जो की 14.62 है।

तालिका क्र. 3.5-क जिलावार ऋण जमा अनुपात विश्लेषण

सीडी अनुपात सीमा (>117)	सीडी अनुपात सीमा (117 से 79.23)	सीडी अनुपात सीमा (79.23 से 51.73)	सीडी अनुपात सीमा (<51.73)
आगर-मालवा	गुना	दतिया	छतरपुर
शाजापुर	उज्जैन	शिवपुरी	टीकमगढ़
राजगढ़	पूर्वी निमाड़	पाँडुरना	सतना
रायसेन	बड़वानी	बालाघाट	मंडला
रतलाम	श्योपुर	जबलपुर	रीवा
खरगोन	नीमच	कटनी	डिंडोरी
देवास	इंदौर	दमोह	शहडोल
मंदसौर	नरसिंहपुर	अलीराजपुर	पन्ना
अशोकनगर	होशंगाबाद	बैतूल	सीधी
हरदा	मुरैना	ग्वालियर	उमरिया
विदिशा	बुरहानपुर	सागर	निवाड़ी
झाबुआ	सिवनी	भिंड	अनूपपुर
धार	छिंदवाड़ा	मैहर	मऊगंज
सीहोर	भोपाल		सिंगरौली

स्रोत: एसएलबीसी रिपोर्ट (2025), संस्थागत वित्त संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन।



विगत दो वर्षों के 55 जिलों के साख जमा अनुपात का विश्लेषण किया गया है और वृद्धि को देखने के लिए तुलना की गई है। तालिका क्र. 3.4 से पता चलता है कि राज्य का औसत साख जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यहां जिलेवार प्रदर्शन को समझना महत्वपूर्ण है। आंकड़ों की उपलब्धता के आधार पर, दो वित्तीय वर्ष अर्थात 2024-25 और 2025-26 (सितम्बर तक) की साख जमा अनुपात की तुलना की गई है और तालिका क्र. 3.5-ख में संकलित किया गया है ताकि यह दिखाया जा सके कि किन जिलों में 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि, 5 प्रतिशत तक की वृद्धि एवं किन जिलों में सीडी अनुपात कम हुआ है।

तालिका 3.5 - ख: सीडी अनुपात में जिलेवार वृद्धि

क्र.	साख जमा अनुपात	जिलों की संख्या	जिलों के नाम
1	>5 %	8	आगर-मालवा, अनूपपुर, भिंड, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, सतना और श्योपुर
2	0- 5%	24	अलीराजपुर, बालाघाट, बड़वानी, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, दतिया, देवास, धार, पूर्वी निमाड़, गुना, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, कटनी, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, निवाड़ी, रतलाम, सागर, सीहोर, शिवपुरी, उज्जैन और उमरिया
3	कमतर	23	अशोकनगर, बैतूल, छतरपुर, दमोह, डिंडोरी, जबलपुर, झाबुआ, खरगोन, मैहर, मंदसौर, मऊगंज, नीमच, पांडुरंगा, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़ और विदिशा

स्रोत: एसएलबीसी रिपोर्ट(2024,2025) ; संस्थागत वित्त संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन।

विश्लेषण से पता चलता है कि, 24 जिलों में साख जमा अनुपात 0 से 5 प्रतिशत तक बढ़ा है, 8 जिलों में 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है तथा 23 जिलों में साख जमा अनुपात में कमी आई है।

3.2 बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन

3.2.1 सहकारी बैंकों की स्थिति

त्रिस्तरीय ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना में शीर्ष स्तर पर कार्यरत मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक (एम.पी.एस. सी.बी.), जिला स्तर पर कार्यरत 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक (डी.सी.सी.बी.) और जमीनी स्तर पर कार्यरत 4,536 प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पी.ए.सी.एस.) शामिल हैं एवं एस.सी.बी. और डी.सी.सी.बी. की कुल मिलाकर 848 शाखाएं कार्यरत हैं।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक (डी.सी.सी.बी)

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक छोटे बैंक हैं जो प्राथमिक कृषि ऋण समिति और उसके सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु जनता से जमा एकत्रित करने के लिए स्थानीय स्तर पर काम कर रहे हैं। तालिका क्र. 3.6 वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए राज्य में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की वित्तीय स्थिति को दर्शाती है।

तालिका क्र. 3.6: जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की समेकित वित्तीय स्थिति

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	2022-23	2023-24	2024-25
डी.सी.सी.बी. की संख्या	38	38	38
कुल शेयर पूंजी	2116.32	2188.01	2566.74
शेयर पूंजी में राज्य का हिस्सा	445.07	445.07	745.07
जमा	26822.93	28648.06	30427.92
ऋण	11336.72	11039.67	12286.14

स्रोत: संस्थागत वित्त संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन; अपेक्स बैंक

3.2.2 गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां

गैर-निष्पादित परिसंपत्तिया (एन.पी.ए.) एक वर्गीकरण है जिसका उपयोग वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण और अग्रिमों के लिए किया जाता है। ऐसे साख एवं ऋण जिनका पुनर्भुगतान एवं उन पर अर्जित ब्याज का पुनर्भुगतान निर्दिष्ट अवधि में नहीं किया जाता है उनको गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तालिका क्र. 3.7 से पता चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं सहकारी बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एन.पी.ए.) में कमी आई है।

तालिका 3.7: बैंकों में गैर-निष्पादित आस्तियां (एन.पी.ए.)

(राशि करोड़ रुपये में)

एजेंसी	2022	2023	2024	2025	वर्ष-दर-वर्ष भिन्नता % में		
					2023	2024	2025
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	22,528	22,235	22,222	20950	-1.30	-0.06	-5.72
निजी क्षेत्र के बैंक	3,097	3,564	4758	5995	15.07	33.50	26
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1,802	1,445	1,444	1779	-19.81	-0.07	23.19
सहकारी बैंक	8,067	7,201	7093	7062	-10.73	-1.5	-0.44
लघु वित्त बैंक	492	538	645	969	9.35	19.89	50.23
कुल	35,986	34,983	36,163	36,755	-2.79	3.37	1.63

स्रोत : विभिन्न वर्षों की एसएलबीसी रिपोर्ट; संस्थागत वित्त संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन

नोट: सभी वित्तीय वर्षों के आंकड़े सितम्बर माह तक के हैं।

कृषि, एमएसएमई, आवास, शिक्षा, प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का क्षेत्रवार एनपीए तालिका क्र. 3.8 में दर्शाया गया है। सबसे अधिक गैर-निष्पादित आस्तियां (एन.पी.ए.) वृद्धि कृषि क्षेत्र में (11.8 प्रतिशत), प्राथमिकता क्षेत्र में (8.4 प्रतिशत), आवास ऋणों में (7.2 प्रतिशत), शिक्षा ऋणों में (5.0 प्रतिशत), एमएसएमई क्षेत्र में (4.7 प्रतिशत) और गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में (2.2 प्रतिशत) है।



तालिका क्र. 3.8: एन.पी.ए. की क्षेत्र-वार स्थिति

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	2022	2023	2024	2025	वर्ष-दर-वर्ष भिन्नता%			पोर्टफोलियो का एन.पी.ए. प्रतिशत (सितम्बर 2025)
					2023	2024	2025	
कृषि	19,976	19,456	20,292	22,010	-2.60	4.3	8.5	11.8
एमएसएमई	5,225	6,130	6072	6,259	17.3	-0.9	3.1	4.7
आवास	2,111	2,073	1996	2043	-1.80	-3.8	2.4	7.2
शिक्षा	172	157	184	191	-8.72	17.2	3.8	5.0
प्राथमिकता क्षेत्र	29,094	29,384	30,414	31,144	0.99	3.5	2.4	8.4
गैर-प्राथमिकता वाला क्षेत्र	6,898	5,599	5,748	5,611	-18.83	2.7	-2.4	2.2

स्रोत: विभिन्न वर्षों की एसएलबीसी अर्धवार्षिक रिपोर्ट; संस्थागत वित्त संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन

नोट: सभी वित्तीय वर्षों के आंकड़े सितम्बर माह तक के हैं।

3.3 समान विकास के लिए वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन के लिए आम जन की बैंकिंग सुविधाओं तक सुगम पहुंच आवश्यक है। वित्तीय समावेशन बचत खातों, क्रेडिट और बीमा जैसी बुनियादी वित्तीय सेवाओं के माध्यम से व्यक्ति की आय के स्तर की परवाह किए बिना सभी को बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने की प्रक्रिया है। एस.सी.बी., आर.आर.बी., सहकारी समितियों और एस.एफ.बी. जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से बैंकिंग तक पहुंच बढ़ाने के प्रयासों में अक्सर वित्तीय बुनियादी ढांचे का विकास शामिल होता है, जैसे कि नए बैंकों की स्थापना या मौजूदा बैंकों का विस्तार कम सेवा वाले समुदायों की सेवा के लिए आवश्यक है। हाल ही के वर्षों में, तकनीकी नवाचारों ने डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के विकास को भी सक्षम किया है, जिसका मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है। ये सेवाएं पारंपरिक बैंकिंग बुनियादी ढांचे तक पहुंच के बिना व्यक्तियों और समुदायों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकती हैं।

3.3.1 बैंकिंग नेटवर्क और वैकल्पिक चैनल

यह खंड ग्रामीण क्षेत्रों, अर्ध-शहरी क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंकों (आई.पी.पी.बी.) की शाखाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मध्यप्रदेश में बैंक शाखाओं की कुल संख्या सितम्बर 2024 में 8,586 की तुलना में सितम्बर 2025 में 8,798 थी, जो की बैंक शाखाओं में वृद्धि दर्शाती है। सितम्बर 2025 में वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाएं 6,074 थीं जबकि सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और आई.पी.पी.बी. की शाखाओं की कुल संख्या क्रमशः 890, 1320, 472 और 42 थी। नीचे दी गई तालिका क्र. 3.9 राज्य के बैंकिंग नेटवर्क में शाखाओं के विस्तार को दर्शाती है। कुल मिलाकर, राज्य में शाखाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।

तालिका 3.9: राज्य के बैंकिंग नेटवर्क में शाखाओं का विस्तार (संख्या)

बैंक का प्रकार	2022-23	2023-24	2024-25	2025 सितम्बर तक
ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं				
वाणिज्यिक बैंक	1,509	1,532	1,589	1,594
सहकारी बैंक	380	380	360	360
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	859	857	854	854
लघु वित्त बैंक	40	49	57	60
आई.पी.पी.बी.	-	-	-	-
कुल	2,788	2,818	2,860	2,868
अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शाखाएं				
वाणिज्यिक बैंक	1,803	1,843	1,919	1,927
सहकारी बैंक	250	250	283	283
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	322	322	321	318
लघु वित्त बैंक	181	187	200	203
आई.पी.पी.बी.	13	13	14	14
कुल	2,569	2,615	2,737	2,745
शहरी क्षेत्रों में शाखाएं				
वाणिज्यिक बैंक	2370	2,426	2,537	2,553
सहकारी बैंक	221	221	247	247
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	152	156	160	148
लघु वित्त बैंक	192	201	206	209
आई.पी.पी.बी.	27	27	28	28
कुल	2,962	3,031	3,178	3,185
बैंकों की कुल शाखाएं				
वाणिज्यिक बैंक	5,682	5,801	6,045	6,074
सहकारी बैंक	851	851	890	890
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1,333	1,335	1,335	1,320
लघु वित्त बैंक	413	437	463	472
आई.पी.पी.बी.	40	40	42	42
कुल	8,319	8,464	8,775	8,798

स्रोत: एसएलबीसी अर्धवार्षिक रिपोर्ट 2025-26, संस्थागत वित्त संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन



3.4 रोजगार में सहायता के लिए वित्तपोषण

बैंकिंग शाखाओं के नेटवर्क द्वारा वित्तपोषण, रोजगार पैदा करने, कौशल विकसित करने और आर्थिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजी और संसाधन प्रदान करके रोजगार का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नेटवर्क छोटे व्यवसायों को ऋण प्रदान करके, वित्तीय संस्थान एवं छोटे उद्यमियों को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करने और विस्तार करने में मदद कर रहा है, जिससे रोजगार पैदा करने में मदद मिलती है। राज्य अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से छोटे व्यवसायों और स्वरोजगार के निर्माण करने के लिए कई सरकारी प्रायोजित योजनाएं (जी.एस.एस.) चला रहा है।

3.4.1 शासन द्वारा प्रायोजित योजनाएं (जीएसएस)

राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जाने वाली ऋण योजनाएं निम्नानुसार हैं:

- **मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (एम.एम.यू.के.वाई.)** राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संचालित की जाती है। योजना के अंतर्गत लघु उद्योग एवं व्यवसाय हेतु युवा वर्ग के हितग्राहियों को बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदाय किया जाता है।
- **संत रविदास स्वरोजगार योजना (एस.आर.एस.वाई)** विनिर्माण-केंद्रित परियोजनाओं और सेवा-उन्मुख व्यवसायों को सहायता प्रदान करती है।
- **डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना (डी.बी.ए.के.वाई)** का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों द्वारा पूर्व से स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों को कम लागत वाले उपकरण या कार्यशील पूंजी के लिए ऋण प्रदान करना है। यह योजना मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित है।
- मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु तीन योजनाएं संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना (बी.बी.एम. एस.वाई), टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना (टी.एम.ए.के.वाई) और मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना अनुदान योजना शामिल हैं। उक्त सभी योजनाओं के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में नवम्बर 2025 तक जीएसएस की स्थिति, पीएम-स्वनिधि (पन्द्रह, पच्चीस एवं पचास हजार) योजना सहित तालिका क्र. 3.10 में दिखाई गई है।

तालिका क्र. 3.10: जीएसएस की स्थिति

योजना	स्वीकृत	वितरण	विचाराधीन	स्वीकृति में से वितरित %
एम.एम.यू.के.वाई.	7,250	6,802	4,239	93.82
एस.आर.एस.वाई.	1,332	1,227	1,738	92.12
डी.बी.ए.के.वाई	1,879	1,807	837	96.17
बी.बी.एम.एस.वाई	607	530	1,544	87.31
टी.एम.ए.के.वाई.	775	702	1305	90.58
पीएम-स्वनिधि 15k	9,10,006	9,00,475	27,071	98.95

योजना	स्वीकृत	वितरण	विचाराधीन	स्वीकृति में से वितरित %
पीएम-स्वनिधि 25k	4,02,707	3,87,510	47,503	96.23
पीएम-स्वनिधि 50k	1,13,686	1,06,949	25,528	94.07

स्रोत: एसएलबीसी अर्धवार्षिक रिपोर्ट 2025-26, संस्थागत वित्त संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन

3.5 राज्य स्तरीय बीमा समिति

3.5.1 राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन

बजट अभिभाषण की घोषणा एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के मिशन 2047 "सभी के लिए बीमा" के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राज्य में राज्य स्तरीय बीमा समिति (S.L.I.C.) का गठन किया गया है एवं राज्य के प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय बीमा समिति (D.L.I.C.) का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य स्तरीय बीमा समिति द्वारा राज्य में बीमा जागरूकता और प्रसार को बढ़ावा देना, बीमा कम्पनियों, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (I.R.D.A.I.) के साथ प्रभावी संचार और सहयोग सुनिश्चित करते हुए जीवन, संपत्ति, व्यक्तिगत दुर्घटना, स्वास्थ्य, मोटर यान बीमा, फसल बीमा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग आदि में सुरक्षा अंतराल (प्रोटेक्शन गैप) की पहचान कर प्रभावी कदम उठाया जाना प्रस्तावित है।

राज्य स्तरीय बीमा समिति द्वारा शासकीय योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए बीमा से संबंधित विभिन्न योजनाएं तैयार करने के लिए आवश्यक आधारभूत कार्य करना, बीमा भागीदारी बढ़ाने, वितरण और नेटवर्क चैनलों को मजबूत करने के लिए सहकारी समितियों, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) और स्थानीय समूहों को शामिल करते हुए बीमा क्षेत्र में रोजगार के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा।

संदर्भ

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्यप्रदेश वित्तीय वर्ष की (2022-23, 2023-24, 2024-25) एवं अर्धवार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष (2025-26)।

- अपेक्स बैंक
- रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया
- संस्थागत वित्त संचालनालय



कृषि एवं ग्रामीण विकास

"A developed nation is one which is empowered by agriculture, technology, and value-based growth." A. P. J. Abdul Kalam

कृषि एवं ग्रामीण विकास मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं। ये न केवल सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में उल्लेखनीय योगदान देते हैं, बल्कि व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन, आजीविका सुरक्षा तथा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक कृषि-प्रधान राज्य के रूप में, मध्यप्रदेश राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन—विशेषकर अनाज एवं दलहनों—में महत्वपूर्ण योगदान देता है तथा राज्य की बड़ी आबादी की आजीविका को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहारा प्रदान करता है। वर्ष 2025-26 में यह क्षेत्र संरचनात्मक सुधारों के विस्तार, प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचारों तथा जलवायु-संबंधी चुनौतियों की पृष्ठभूमि में एक निर्णायक और रणनीतिक चरण में विद्यमान है।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में विकास की प्रवृत्ति धीरे-धीरे क्षेत्र-आधारित विस्तार से हटकर उत्पादकता एवं कार्यकुशलता में सुधार की ओर उन्मुख होती जा रही है। सिंचाई के विस्तार, दलहन, तिलहन और उद्यानिकी की ओर विविधीकरण, तथा पशुपालन और मत्स्य पालन के बढ़ते योगदान ने कृषक आय को समर्थन प्रदान किया है। हालांकि, खंडित भूमि इकाइयाँ, क्षेत्रीय उत्पादकता असमानताएँ और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं, जिनके समाधान हेतु लक्षित एवं साक्ष्य-आधारित नीतिगत हस्तक्षेप की निरंतर आवश्यकता बनी हुई है।

ग्रामीण विकास के प्रयासों में आजीविका के विविधीकरण, अवसंरचना निर्माण तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म और बेहतर लक्षितकरण के माध्यम से सेवा वितरण में सुधार पर बढ़ता जोर दिया गया है। प्रदेश में कृषि, ग्रामीण विकास एवं प्रौद्योगिकी-आधारित प्रक्रियाओं के बीच बढ़ता हुआ अभिसरण समावेशी एवं सुदृढ़ विकास का एक प्रमुख प्रेरक तत्व बनकर उभरा है।

4.1 कृषि

वर्ष 2024-25 के दौरान फसल प्रदर्शन मिश्रित लेकिन समग्र रूप से सकारात्मक रहा। इस अवधि में कुल फसल उत्पादन 7.66 प्रतिशत बढ़ा, जो उत्पादकता में सुधार और विशेष रूप से खाद्यान्न फसलों के स्थिरीकरणकारी प्रभाव को दर्शाता है, जबकि कुल फसल क्षेत्रफल में 2.48 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की गई। खाद्यान्नों ने इस वृद्धि प्रमुख योगदान दिया, जहाँ क्षेत्रफल में 4.39 प्रतिशत तथा उत्पादन में उल्लेखनीय 14.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके विपरीत, दलहन और तिलहन के उत्पादन में क्रमशः 21.90 प्रतिशत और 5.27 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वाणिज्यिक फसलों में गन्ने के उत्पादन में 19.50 प्रतिशत की कमी आई, जबकि कपास उत्पादन में 3.78 प्रतिशत की मामूली गिरावट रही, जो फसल-विशिष्ट एवं मौसमी कारकों को दर्शाती है।

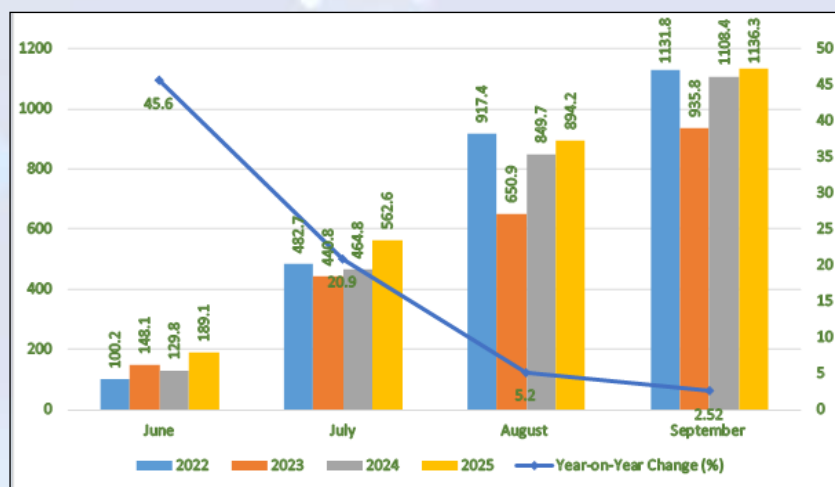
उद्यानिकी क्षेत्र कृषि विकास एवं विविधीकरण का प्रमुख आधार बना रहा। प्रमुख उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल वर्ष 2023-24 में 27.29 लाख हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 28.39 लाख हेक्टेयर हो गया, जबकि उत्पादन 409.30 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 425.68 लाख मीट्रिक टन हो गया और उत्पादकता स्थिर रही। सब्जियों, फलों एवं मसालों के उत्पादन में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई। गेंदा एवं इसबगोल जैसी फसलों के बेहतर प्रदर्शन से उच्च मूल्य एवं बाजारोन्मुख कृषि की दिशा में बढ़ते रुझान को बल मिला।

पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्य क्षेत्र में निरंतर प्रगति दर्ज की गई। दुग्ध उत्पादन 5.95 प्रतिशत बढ़कर 225.95 लाख टन हो गया तथा प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता लगभग 707 ग्राम प्रतिदिन रही, जिसे 6,961 दुग्ध सहकारी समितियों के विस्तारित नेटवर्क का समर्थन मिला। मांस उत्पादन में 9.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं मत्स्य क्षेत्र में उपलब्ध जल क्षेत्र का लगभग पूर्ण उपयोग किया गया तथा उत्पादन लक्ष्य का लगभग 99 प्रतिशत प्राप्त किया गया, जिसमें मछली बीज उत्पादन एवं राज्यभर में 2,641 सक्रिय मछुआरा सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

वर्ष 2024-25 (त्वरित अनुमान) के दौरान, मध्यप्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में फसल क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों तथा स्थिर मूल्यों (2011-12) पर क्रमशः 10.43 प्रतिशत एवं 2.67 प्रतिशत रहा। इसी प्रकार, राज्य के GSVA में पशुपालन क्षेत्र का योगदान प्रचलित तथा स्थिर मूल्यों पर क्रमशः 5.41 प्रतिशत एवं 5.35 प्रतिशत रहा। मत्स्य क्षेत्र का GSVA में योगदान प्रचलित मूल्यों तथा स्थिर मूल्यों पर क्रमशः 17.94 प्रतिशत एवं 16.62 प्रतिशत रहा।

4.1.1 मौसम की स्थिति

उक्त वर्षा के आँकड़े प्रदेश में मानसून की उल्लेखनीय मजबूती एवं स्थिरता को दर्शाते हैं, विशेषकर वर्ष 2024 और 2025 के दौरान (चित्र 4.1)। वर्ष 2022 और 2023 में अपेक्षाकृत कम वर्षा के बाद, वर्ष 2024 में राज्य में वर्षा की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन दर्ज किया गया, जो वर्ष 2025 में और अधिक सुदृढ़ हुआ। इसके परिणामस्वरूप मानसून के चारों महीनों में निरंतर अधिशेष वर्षा दर्ज की गई।



स्रोत: भारत मौसम विज्ञान विभाग, मध्यप्रदेश

चित्र 4.1 : मध्यप्रदेश में वर्षा की जानकारी (मिलीमीटर)

सबसे अधिक वृद्धि जून माह 2025 में देखी गई, जहाँ वर्ष 2024 की तुलना में 45.69 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई, जो मानसून के समय पर और सशक्त आगमन को दर्शाती है तथा खरीफ फसलों की समय पर बुवाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जुलाई माह 2025 की वर्षा में भी पिछले वर्ष की तुलना में 20.96 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई, जिससे चरम मानसून अवधि में नमी की उपलब्धता सुदृढ़ हुई। इसके विपरीत, अगस्त (5.24 प्रतिशत) और सितंबर माह (2.52 प्रतिशत) में वर्ष 2024 की अपेक्षा मध्यम वृद्धि दर्ज की गई, जो मानसून के उत्तरार्द्ध में वर्षा की अधिक स्थिरता और अंतर्मौसमी उतार-चढ़ाव में कमी को दर्शाती है। समग्र रूप से, यह पैटर्न वर्ष 2025 में अच्छी तरह वितरित, सामान्य से अधिक मानसून को रेखांकित करता है, जिसके कृषि उत्पादकता, जलाशयों के पुनर्भरण तथा भूजल स्थिरता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

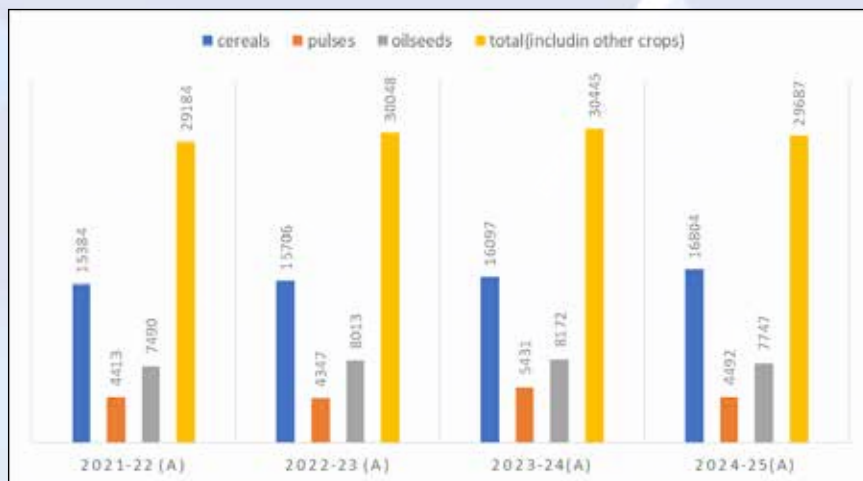
4.1.2 प्रमुख फसलों का क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन

क्षेत्राच्छादन : फसलवार क्षेत्र प्रवृत्तियाँ प्रमुख फसलों में मिश्रित रुझानों को दर्शाती हैं, जहाँ कुल कृषि क्षेत्र समग्र रूप से लगभग स्थिर बना हुआ है, जबकि व्यक्तिगत श्रेणियों के भीतर उल्लेखनीय परिवर्तन देखे गए हैं। अनाज वर्ग में विगत चार वर्षों के दौरान क्षेत्रफल में निरंतर एवं स्थिर वृद्धि दर्ज की गई है, जो वर्ष 2021-22 में 15,384 हजार हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 16,804 हजार हेक्टेयर हो गया। अनाज के क्षेत्रफल में वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में 4.39 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है जो अनाज फसलों की खेती में निरंतर प्राथमिकता और स्थिरता को दर्शाती है।

इसके विपरीत, दलहनों के क्षेत्राच्छादन में उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव देखा गया है। वर्ष 2023-24 में तीव्र विस्तार के पश्चात वर्ष 2024-25 में क्षेत्रफल में कमी आई, वर्ष 2024-25 में दलहन फसलों के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2023-24 की तुलना में 17.29 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

यह स्थिति मौसम की परिस्थितियों, मूल्य संकेतों तथा फसल चयन संबंधी निर्णयों के प्रति दलहनी फसलों की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। तिलहन फसलों के क्षेत्रफल में वर्ष 2023-24 तक निरंतर विस्तार दर्ज किया गया, किंतु वर्ष 2024-25 में इसमें संकुचन देखा गया, तिलहन के क्षेत्र में वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में 5.20 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

परिणामस्वरूप, कुल फसल क्षेत्र (अन्य फसलों सहित) वर्ष 2023-24 में 30,445 हजार हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2024-25 में 29,687 हजार हेक्टेयर रह गया, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में 2.48 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। समग्र रूप से, आंकड़े संकेत देते हैं कि जहाँ अनाज फसलें क्षेत्रीय स्थिरता प्रदान करती हैं, वहीं दलहन और तिलहन फसलों में उतार-चढ़ाव कुल कृषि क्षेत्र के स्वरूप को प्रभावित करता रहता है।



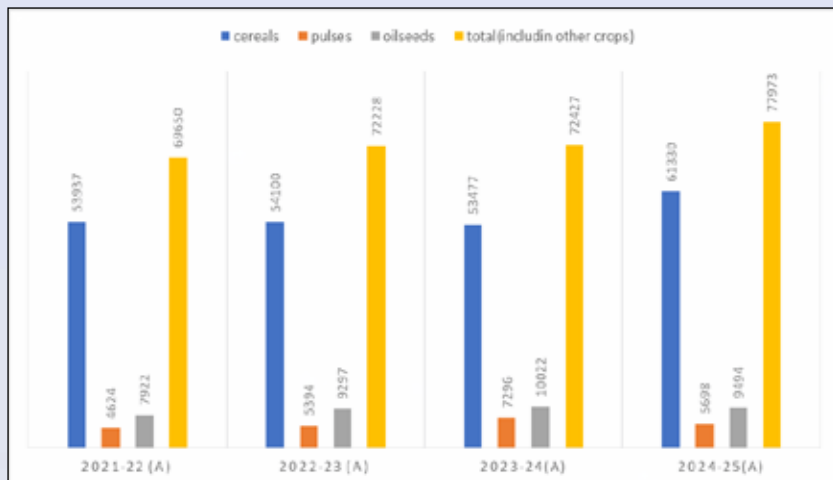
स्रोत - किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, (सा.सा.) म.प्र.

चित्र 4. 2 :: प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर)

उत्पादन : वर्ष 2024-25 में कुल कृषि उत्पादन (अन्य फसलों सहित) 7.66 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बढ़कर 77,973 हजार टन हो गया, जो समग्र रूप से सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह वृद्धि मुख्यतः अनाज फसलों के कारण हुई, जिनका उत्पादन वर्ष 2023-24 में 53,477 हजार टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 61,330 हजार टन हो गया और इसमें 14.68 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जिससे कुल उत्पादन एवं खाद्य उपलब्धता को मजबूती मिली।

इसके विपरीत, दलहन उत्पादन में 21.90 प्रतिशत की तीव्र गिरावट दर्ज की गई, जो वर्ष 2023-24 में 7,296 हजार टन से घटकर वर्ष 2024-25 में 5,698 हजार टन रह गया। वहीं, तिलहन उत्पादन में भी 5.27 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जो वर्ष 2023-24 में 10,022 हजार टन से घटकर वर्ष 2024-25 में 9,494 हजार टन रह गया।

कुल मिलाकर, अनाज फसलों के सशक्त प्रदर्शन ने दलहन एवं तिलहन में आई गिरावट की आंशिक रूप से भरपाई की, जिसके परिणामस्वरूप कुल उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि संतुलित एवं विविधीकृत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए दलहन और तिलहन फसलों को पुनर्जीवित करने हेतु लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता है।



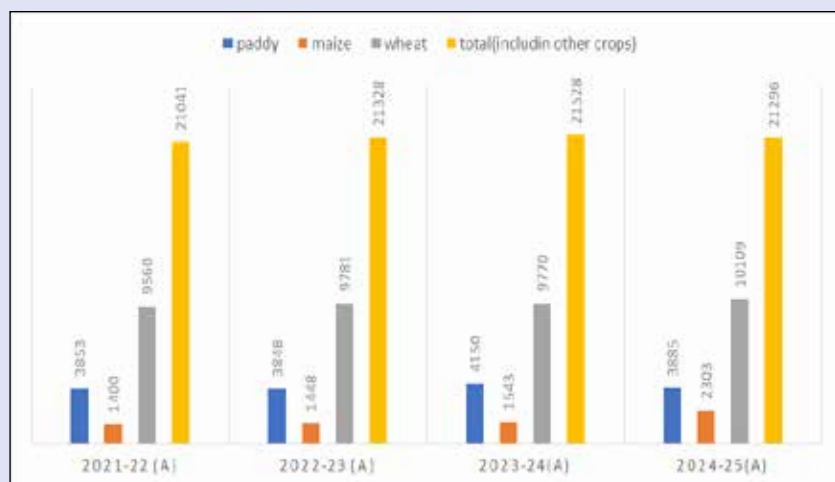
स्रोत - किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, (सा.सा.) म.प्र.

चित्र 4. 3 प्रमुख फसलों का उत्पादन (हजार टन)

4.1.3 प्रमुख खाद्यान्न फसलों का प्रदर्शन:

वर्ष 2023-24 की अपेक्षा वर्ष 2024-25 में कुल खाद्यान्न फसलों के क्षेत्रफल में 1.08 प्रतिशत की कमी होने के बावजूद उत्पादन में 10.29 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई।

क्षेत्राच्छादन: वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान खाद्यान्न फसलों (अन्य फसलों सहित) के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 21,528 हजार हेक्टेयर से घटकर 21,296 हजार हेक्टेयर रह गया, जो 1.08 प्रतिशत की मामूली कमी को दर्शाता है। यह स्थिति कुल खाद्यान्न कवरेज में हल्के संकुचन को इंगित करती है। वर्षवार विवरण चित्र-4.4 में प्रस्तुत किया गया है।



स्रोत - किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, (सा.सा.) म.प्र.

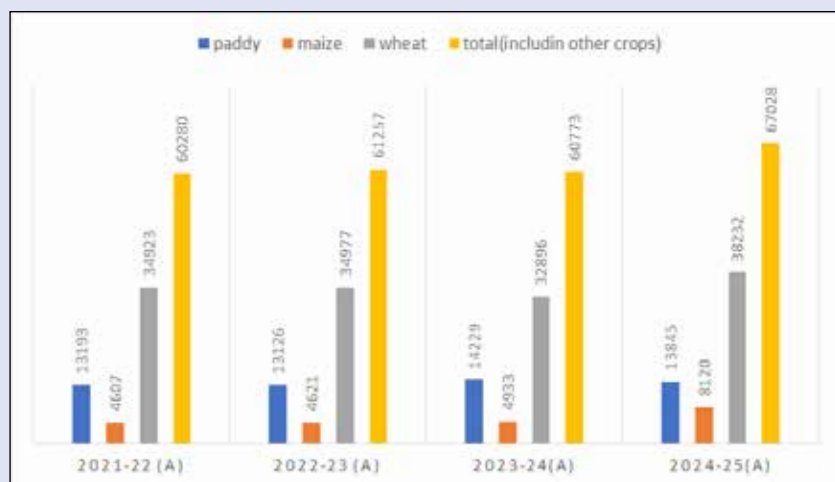
चित्र 4. 4 प्रमुख खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर)

फसलवार प्रवृत्तियों में मिश्रित परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान धान के क्षेत्रफल में 6.39 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जो वर्ष 2023-24 में 4,150 हजार हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2024-25 में 3,885 हजार हेक्टेयर रह गया। इसके विपरीत, मक्का के क्षेत्रफल में 49.25 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की गई, जो वर्ष 2023-24 में 1,543 हजार हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 2,303 हजार हेक्टेयर हो गया। यह मक्का की ओर मजबूत फसल विविधीकरण को दर्शाता है, जो संभवतः बेहतर मांग और अधिक प्रतिफल के कारण प्रेरित है।

इसी प्रकार, वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान गेहूँ के क्षेत्रफल में भी 3.47 प्रतिशत की मध्यम वृद्धि दर्ज की गई, जो वर्ष 2023-24 में 9,770 हजार हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 10,109 हजार हेक्टेयर हो गया, जिससे रबी खाद्यान्न उत्पादन में स्थिरता परिलक्षित होती है।

कुल मिलाकर, धान के क्षेत्रफल में कमी के कारण कुल खाद्यान्न क्षेत्रफल में शुद्ध गिरावट आई, किंतु मक्का में उल्लेखनीय वृद्धि तथा गेहूँ में स्थिर बढ़ोतरी ने इस कमी की आंशिक भरपाई की। यह स्थिति खाद्यान्न क्षेत्र के भीतर फसल संरचना में हो रहे क्रमिक बदलाव को रेखांकित करती है।

उत्पादन: वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन (अन्य फसलों सहित) में 10.29 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो वर्ष 2023-24 में 60,773 हजार टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 67,028 हजार टन हो गया। यह समग्र रूप से खाद्यान्न उत्पादन में सशक्त सुधार को दर्शाता है।



स्रोत - किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, (सा.सा.) म.प्र.

चित्र 4. 5 प्रमुख खाद्यान्न फसलों का उत्पादन (हजार टन)

फसलवार विश्लेषण में विभिन्न प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं। वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान गेहूँ उत्पादन में 16.22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो 32,896 हजार टन से बढ़कर 38,232 हजार टन हो गया, और यह कुल खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि का प्रमुख योगदानकर्ता बनकर उभरा। वहीं, मक्का उत्पादन में इससे भी अधिक तीव्र 64.61 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो वर्ष 2023-24 में 4,933 हजार टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 8,120 हजार टन हो गया, जिससे उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार एवं खेती के विस्तार का संकेत मिलता है।

इसके विपरीत, वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान धान के उत्पादन में 2.70 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की गई, जो वर्ष 2023-24 में 14,229 हजार टन से घटकर वर्ष 2024-25 में 13,845 हजार टन रह गया, जिससे गेहूँ और मक्का में प्राप्त उपलब्धियों की आंशिक भरपाई हुई।

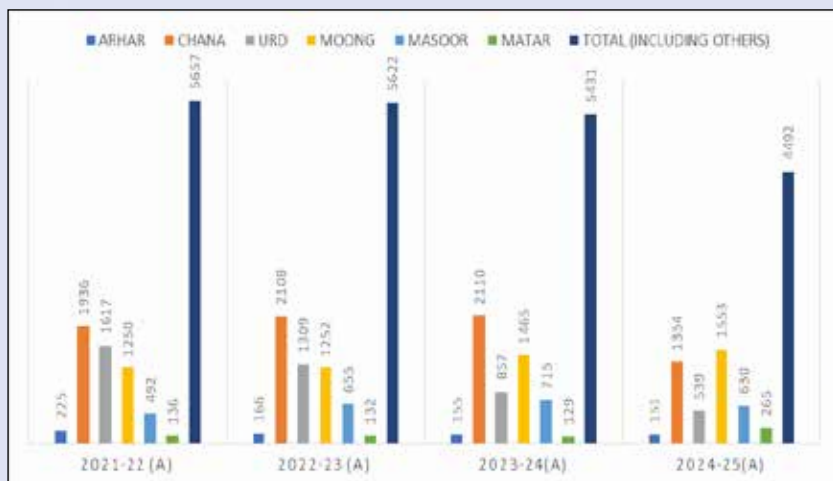
कुल मिलाकर, गेहूँ और मक्का के उत्पादन में हुई मजबूत वृद्धि ने धान में आई गिरावट की भरपाई कर दी, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2024-25 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, भले ही फसल विशेष के स्तर पर भिन्नताएँ बनी रहीं।

4.1.4 प्रमुख दलहन फसलों का प्रदर्शन

क्षेत्रफल: वर्ष 2024-25 में दलहन फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल घटकर 4,492 हजार हेक्टेयर रह गया, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में 17.29 प्रतिशत कमी को दर्शाता है। यह गिरावट व्यापक स्तर पर दलहन क्षेत्र में संकुचन को इंगित करती है। वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान, चना के क्षेत्रफल में 35.83 प्रतिशत की तीव्र गिरावट दर्ज की गई, जिससे पूर्व की स्थिरता में उलटफेर हुआ। वहीं, उड़द के क्षेत्रफल में वर्षों से जारी गिरावट बनी रही और इसमें 37.11 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जो संभावित रूप से उत्पादकता जोखिम, जलवायु दबाव अथवा अपेक्षाकृत कम मूल्य प्रोत्साहन के कारण हो सकती है। अरहर और मसूर के क्षेत्रफल में भी क्रमशः 2.58 प्रतिशत तथा 11.89 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जो धीरे-धीरे क्षेत्र विचलन की ओर संकेत करती है।

इसके विपरीत, वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान, मूंग और मटर का प्रदर्शन बेहतर रहा। मूंग के क्षेत्रफल में 6.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो इसके सतत बढ़ते रुझान को दर्शाती है, संभवतः कम

अवधि, बेहतर मूल्य तथा फसल विविधीकरण के अनुकूल होने के कारण मटर के क्षेत्रफल में 105.43 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की गई, जो अनुकूल मौसमी परिस्थितियों का संकेत देती है।



स्रोत - किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, (सा.सा.) म.प्र.

चित्र 4. 6 प्रमुख दलहन फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर)

समग्र रूप से, जहाँ कुछ दलहन फसलें विकास की संभावनाएँ दर्शाती हैं, वहीं कुल क्षेत्रफल में आई गिरावट यह रेखांकित करती है कि दलहन क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने के लिए विशेष रूप से चना और उड़द के लिए लक्षित नीतिगत समर्थन, जोखिम न्यूनीकरण उपाय तथा एमएसपी/मूल्य आश्वासन तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

दलहन उत्पादन : वर्ष 2024-25 में दलहन उत्पादन में तीव्र गिरावट दर्ज की गई, जो वर्ष 2023-24 में 7,296 हजार टन से घटकर 5,698 हजार टन रह गया तथा यह 21.90 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है। यह गिरावट दलहन क्षेत्रफल में आई संकुचन की प्रवृत्ति को प्रतिबिंबित करती है तथा प्रमुख फसलों में उत्पादकता संबंधी दबाव को उजागर करती है। सबसे अधिक प्रभाव चना में देखा गया, जहाँ उत्पादन में 38.49 प्रतिशत की तीव्र गिरावट दर्ज की गई। यह मुख्यतः दो वर्षों के उच्च उत्पादन के बाद वर्ष 2024-25 के क्षेत्रफल में आई उल्लेखनीय कमी का परिणाम है। उड़द के उत्पादन में भी 32.87 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

इसी प्रकार, वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान मसूर उत्पादन में 26.94 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जो क्षेत्रफल में उपज से संबंधित बाधाओं की ओर संकेत करती है। वहीं, अरहर के उत्पादन में अपेक्षाकृत 7.30 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।



स्रोत - किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, (सा.सा.) म.प्र.

चित्र 4. 7 प्रमुख दलहन फसलों का उत्पादन (हजार टन)

इसके विपरीत, मूंग और मटर उत्पादन वृद्धि के प्रमुख कारक के रूप में उभरे। मूंग के उत्पादन में 5.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो विस्तारित क्षेत्रफल और अपेक्षाकृत स्थिर उपज के समर्थन से इसके निरंतर बढ़ते रुझान को दर्शाती है। मटर के उत्पादन में 77.95 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जो अनुकूल मौसमी परिस्थितियों और लक्षित विस्तार की ओर संकेत करती है।

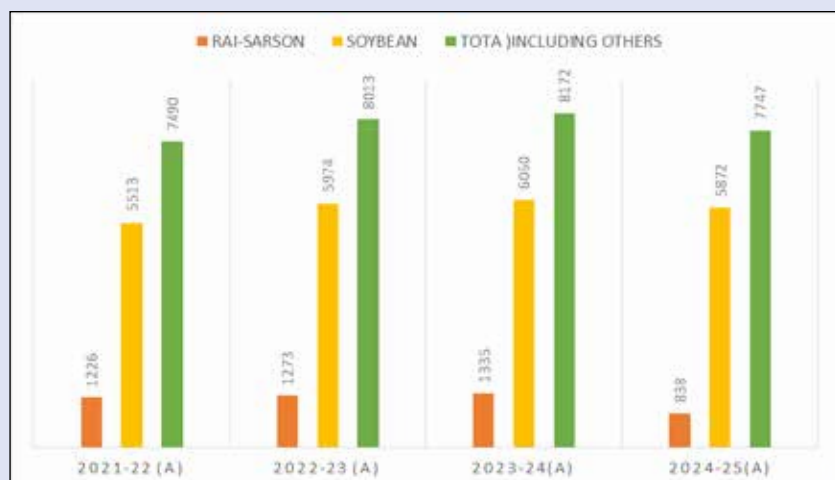
समग्र रूप से, कुल दलहन उत्पादन में आई गिरावट यह रेखांकित करती है कि विशेष रूप से चना और उड़द जैसी प्रमुख फसलों में क्षेत्रफल और उपज को स्थिर करने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्नत किस्मों को अपनाने, जलवायु-सहिष्णु कृषि पद्धतियों तथा प्रभावी मूल्य-जोखिम प्रबंधन उपायों को सुदृढ़ करना आवश्यक है, साथ ही मूंग और मटर में प्राप्त उपलब्धियों को सुदृढ़ एवं समेकित करना भी महत्वपूर्ण होगा।

4.1.5 प्रमुख तिलहन फसलों का प्रदर्शन

तिलहन क्षेत्रफल: वर्ष 2024-25 के दौरान तिलहन फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल घटकर 7,747 हजार हेक्टेयर रह गया, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में 5.20 प्रतिशत की वार्षिक कमी को दर्शाता है।

सबसे तीव्र गिरावट राई-सरसों (मस्टर्ड) में दर्ज की गई, जहाँ क्षेत्रफल वर्ष 2023-24 के 1,335 हजार हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2024-25 में 838 हजार हेक्टेयर रह गया, अर्थात् 37.23 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी देखी गई। यह उल्लेखनीय कमी रबी अवधि के दौरान प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों, संभावित तनाव तथा फसल क्षेत्र के स्थानांतरण की ओर संकेत करती है।

इसके विपरीत, तिलहन क्षेत्र में प्रमुख स्थान रखने वाली सोयाबीन के क्षेत्रफल में अपेक्षाकृत स्थिरता देखी गई और इसमें केवल 3.10 प्रतिशत की मामूली कमी दर्ज की गई, जो वर्ष 2023-24 में 6,060 हजार हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2024-25 में 5,872 हजार हेक्टेयर रह गया। इस सीमित गिरावट के बावजूद, सोयाबीन तिलहन क्षेत्र की रीढ़ बनी हुई है और कुल तिलहन क्षेत्रफल में आई गिरावट को आंशिक रूप से संतुलित कर रही है।



स्रोत - किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, (सा.सा.) म.प्र.

चित्र 4. 8 प्रमुख तिलहन फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर)

कुल मिलाकर, तिलहन क्षेत्रफल में आई कमी मुख्यतः राई-सरसों में हुई तीव्र गिरावट के कारण है, जबकि सोयाबीन ने आंशिक स्थिरता प्रदान की है। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से सरसों के लिए बेहतर उपज आश्वासन, जलवायु-सहिष्णु किस्मों तथा सुदृढ़ मूल्य समर्थन तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है, ताकि तिलहन क्षेत्र को टिकाऊ एवं स्थिर बनाया जा सके।

तिलहन उत्पादन : वर्ष 2024-25 के दौरान कुल तिलहन उत्पादन 9,494 हजार टन रहा, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में 5.27 प्रतिशत की वार्षिक कमी को दर्शाता है। यह गिरावट तिलहन क्षेत्र में आए संकुचन को प्रतिबिंबित करती है।

सबसे अधिक गिरावट राई-सरसों (मस्टर्ड) में दर्ज की गई, जहाँ उत्पादन वर्ष 2023-24 में 2,045 हजार टन से घटकर वर्ष 2024-25 में 1,108 हजार टन रह गया, जिससे 45.82 प्रतिशत की तीव्र गिरावट परिलक्षित होती है। यह गिरावट क्षेत्रफल में आई कमी को रेखांकित करती है।

सोयाबीन का उत्पादन वर्ष 2023-24 के 6,836 हजार टन से घटकर वर्ष 2024-25 में 6,624 हजार टन रह गया, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 3.10 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्शाता है। यह तुलनात्मक रूप से स्थिर उपज और किसानों की निरंतर प्राथमिकता को दर्शाता है।

कुल मिलाकर, तिलहन उत्पादन में आई गिरावट का मुख्य कारण राई-सरसों के उत्पादन में हुई तीव्र कमी है। यह प्रवृत्ति सरसों के लिए उन्नत किस्मों, बेहतर नमी प्रबंधन तथा प्रभावी मूल्य समर्थन जैसे लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता को रेखांकित करती है, साथ ही तिलहन आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने हेतु सोयाबीन में सतत उत्पादकता वृद्धि बनाए रखने पर भी बल देती है।



स्रोत - किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, (सा.सा.) म.प्र.

चित्र 4. 9 प्रमुख तिलहन फसलों का उत्पादन (हजार टन)

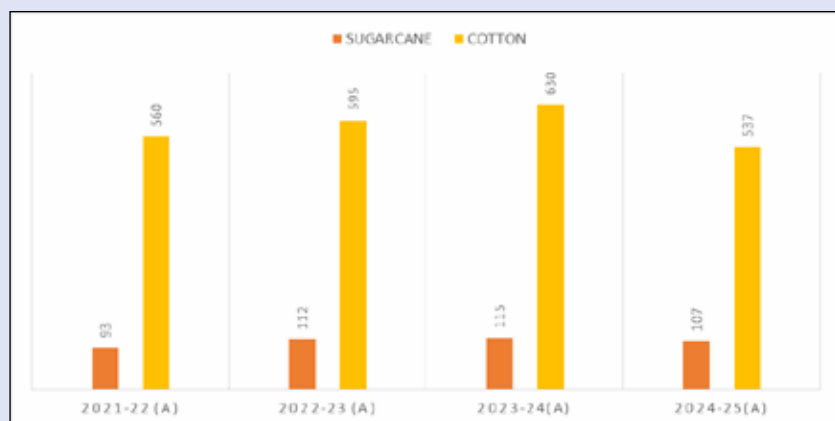
4.1.6 प्रमुख वाणिज्यिक फस का प्रदर्शन

प्रमुख वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल: वर्ष 2024-25 के दौरान प्रमुख वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल में वर्ष-दर-वर्ष मध्यम स्तर की कमी दर्ज की गई, जो बदलती कृषि-जलवायु परिस्थितियों तथा फसल चयन में हो रहे बदलावों को दर्शाती है।

गन्ना (Sugarcane) के क्षेत्रफल में 9.96 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जो वर्ष 2023-24 के 115 हजार हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2024-25 में 107 हजार हेक्टेयर रह गया। यद्यपि वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 के बीच इसमें समग्र रूप से वृद्धि की प्रवृत्ति रही, किंतु वर्तमान गिरावट का कारण गन्ने की अधिक जल आवश्यकता, बढ़ती इनपुट लागत तथा कम जल-आवश्यकता वाली फसलों की ओर किसानों का झुकाव हो सकता है।

कपास (Cotton) के क्षेत्रफल में इससे भी अधिक तीव्र 14.76 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जो वर्ष 2023-24 के 630 हजार हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2024-25 में 537 हजार हेक्टेयर रह गया। यह संकुचन कीट प्रकोप, मौसमीय अस्थिरता तथा मूल्य अनिश्चितता के कारण बढ़े उत्पादन जोखिमों को दर्शाता है, जिसके चलते किसान वैकल्पिक फसलों की ओर विविधीकरण कर रहे हैं।

कुल मिलाकर, गन्ना और कपास के क्षेत्रफल में आई कमी संसाधन सीमाओं और जोखिम संबंधी चिंताओं के प्रति किसानों के सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाती है। यह स्थिति वाणिज्यिक फसलों की सतत खेती सुनिश्चित करने हेतु उत्पादकता वृद्धि, जोखिम न्यूनीकरण तथा बाजार स्थिरता से जुड़े उपायों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।



स्रोत - किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, (सा.सा.) म.प्र.

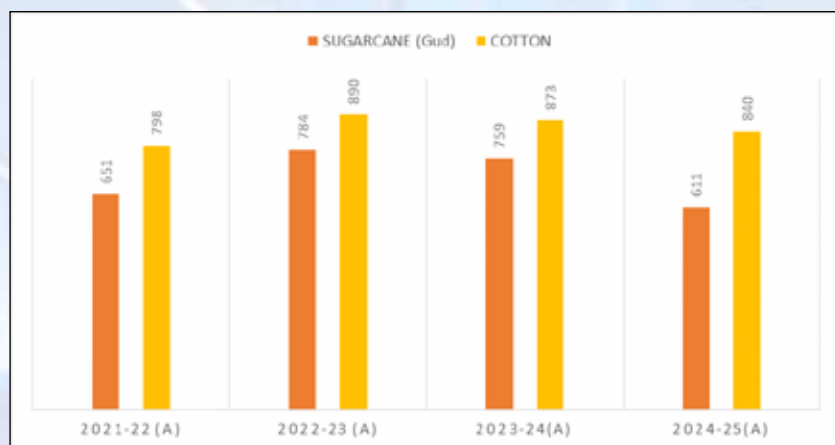
चित्र 4. 10 प्रमुख वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर)

प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन : वर्ष 2024-25 के दौरान प्रमुख वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में समग्र रूप से गिरावट दर्ज की गई, जो क्षेत्रफल में कमी के साथ-साथ उत्पादकता से जुड़े कारकों को प्रतिबिंबित करती है।

गन्ना (गुड़) के उत्पादन में 19.50 प्रतिशत की तीव्र गिरावट दर्ज की गई, जो वर्ष 2023-24 के 759 हजार टन से घटकर वर्ष 2024-25 में 611 हजार टन रह गया। वर्ष 2022-23 में उच्चतम स्तर पर पहुँचने के बाद, गन्ना उत्पादन में गिरावट देखी जा रही है, जिसका कारण क्षेत्रफल में संकुचन, अधिक जल आवश्यकता, बढ़ती खेती लागत तथा वैकल्पिक फसलों की ओर किसानों का क्रमिक झुकाव हो सकता है।

कपास के उत्पादन में तुलनात्मक रूप से 3.78 प्रतिशत की मामूली कमी दर्ज की गई, जो वर्ष 2023-24 के 873 हजार टन से घटकर वर्ष 2024-25 में 840 हजार टन रह गया।

कुल मिलाकर, गन्ना (गुड़) के उत्पादन में आई तीव्र गिरावट, कपास के तुलनात्मक रूप से स्थिर प्रदर्शन के विपरीत है। यह स्थिति विशेष रूप से गन्ना फसल के लिए जल-उपयोग दक्षता में सुधार, उत्पादकता वृद्धि तथा जोखिम प्रबंधन उपायों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है, साथ ही कपास की खेती में अब तक प्राप्त उपलब्धियों को बनाए रखने पर भी बल देती है।



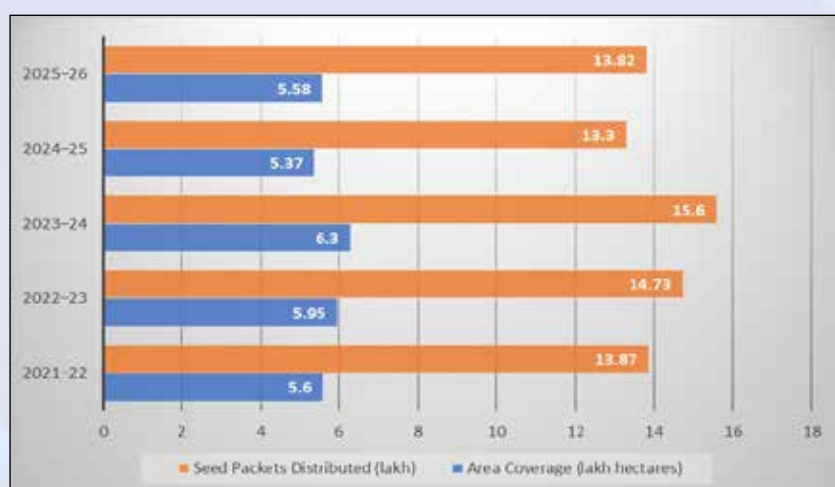
स्रोत - किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, (सा.सा.) म.प्र.

चित्र 4. 11 प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन (हजार टन)

4.1.7 बीटी कपास:

मध्यप्रदेश में बीटी कपास की व्यावसायिक खेती वर्ष 2002-03 में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति (GEAC) से निर्धारित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्राप्त होने के बाद प्रारंभ हुई। वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के दौरान बीटी कपास के अंतर्गत क्षेत्रफल तथा वितरित बीटी कपास बीज पैकेटों की संख्या का विवरण चित्र-4.12 में प्रस्तुत किया गया है।

“मध्यप्रदेश में बीटी कपास के क्षेत्रफल एवं बीज वितरण के रुझानों से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वर्ष 2023-24 तक इस फसल में विस्तार की प्रवृत्ति बनी रही, इसके बाद वर्ष 2024-25 में अस्थायी गिरावट देखी गई तथा वर्ष 2025-26 में आंशिक पुनः वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2021-22 में क्षेत्रफल 5.60 लाख हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2023-24 में क्षेत्रफल 6.30 लाख हेक्टेयर के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया, जो बीज पैकेट वितरण में वृद्धि के अनुरूप है और किसानों द्वारा अपनाने एवं विश्वास को दर्शाता है।



स्रोत - किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, सा.सा., मध्यप्रदेश

चित्र 4. 12-बीटी कपास के अंतर्गत क्षेत्रफल तथा वितरित बीटी कपास बीज पैकेटों की संख्या

वर्ष 2024-25 में क्षेत्रफल (5.37 लाख हेक्टेयर) तथा बीज पैकेटों (13.30 लाख) दोनों में कमी दर्ज की गई। समग्र रूप से, बीटी कपास एक प्रमुख वाणिज्यिक फसल बनी हुई है तथा ये रुझान जोखिम न्यूनीकरण, समय पर आदानों की उपलब्धता एवं उपयुक्त कृषि तकनीकी समर्थन के महत्व को रेखांकित करते हैं।

4.1.8 विभाग की प्रमुख उपलब्धियाँ

- 1) **प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY):** इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के आठ जिलों—अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी, अलीराजपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ एवं डिंडोरी—को सम्मिलित किया गया है। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) भारत सरकार की एक नवीन पहल है, जिसे केंद्र एवं राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कृषि विभाग की 19 योजनाएं तथा मत्स्य, पशुपालन, डेयरी, सहकारिता, जल संसाधन, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण विकास, कौशल विकास एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभागों की 17 प्रचलित योजनाओं को कन्वर्जन्स कर क्रियान्वित किया जायेगा तथा योजना हेतु प्रचलित योजनाओं में प्राप्त आवंटन को ही योजना दिशा-निर्देशों अनुसार चयनित जिलों में उपयोग किया जावेगा।



- 2) **भावांतर योजना : मूल्य अंतर भुगतान का एक अग्रणी मॉडल** - मध्यप्रदेश की भावांतर भुगतान योजना भारत में मूल्य अंतर भुगतान प्रणाली (Price Deficiency Payment – PDP) के प्रारंभिक एवं बड़े स्तर पर क्रियान्वयन के प्रमुख उदाहरणों में से एक है। यह योजना भौतिक खरीद के बिना किसानों को आय सहायता प्रदान करती है। इसके अंतर्गत जब मंडी मूल्य अधिसूचित संदर्भ मूल्य से कम हो जाता है, तो किसानों को मूल्य अंतर की भरपाई की जाती है। योजना का क्रियान्वयन मंडी-वार मूल्य आँकड़ों, एक समर्पित आईटी प्लेटफॉर्म तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से किया जाता है। समय के साथ, भावांतर योजना ने राज्य को बाजार से जुड़ी भुगतान प्रणालियों के संचालन में सशक्त प्रशासनिक क्षमता विकसित करने में सहायता प्रदान की है, साथ ही खरीद, भंडारण एवं निपटान से जुड़े वित्तीय एवं लॉजिस्टिक व्ययों से भी बचाव किया है। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से दलहन एवं तिलहन फसलों के लिए उपयुक्त सिद्ध हुआ है।

भावांतर योजना PM-AASHA के क्रियान्वयन हेतु एक सुदृढ़ राज्य मॉडल- भावांतर भुगतान योजना की परिचालन संरचना एवं अनुभव, प्रधानमंत्री आशा योजना (PM-AASHA) के अंतर्गत परिकल्पित मूल्य अंतर भुगतान प्रणाली से निकटता रखता है। नीति आयोग द्वारा भी यह प्रतिपादित किया गया है कि PDP आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्रियान्वयन से अनियंत्रित खरीद से उत्पन्न बाजार विकृतियों एवं वित्तीय दबाव में कमी आती है। PM-AASHA के दिशा-निर्देशों के अनुरूप भावांतर योजना के समन्वय से मध्यप्रदेश अपने प्रमाणित राज्य-स्तरीय प्लेटफॉर्म का उपयोग जारी रखते हुए MSP का सुदृढ़ आधार, नीतिगत वैधता तथा केंद्र से सहयोग की संभावनाएँ सुनिश्चित कर सकता है। इस प्रकार, भावांतर योजना न केवल राज्य में MSP के प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ कर रही है, बल्कि PDP आधारित MSP आश्वासन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर अनुकरणीय मॉडल के रूप में भी उभर रही है।

सोयाबीन हेतु भावांतर योजना: क्रियान्वयन एवं निगरानी (2025-26) वर्ष 2025-26 के दौरान सोयाबीन के लिए भावांतर योजना के अंतर्गत लगभग 9.36 लाख किसान पंजीकृत किए गए। दिनांक 15.01.2026 तक लगभग 7.10 लाख किसानों द्वारा मंडियों में 16.92 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन का विक्रय किया गया, जिसके अंतर्गत 6,86,495 किसानों को कुल ₹ 1453.96 करोड़ की भावांतर राशि का भुगतान किया गया। योजना के अंतर्गत सोयाबीन की आवक 46 जिलों से दर्ज की गई, जिनमें से 24 जिलों में आवक 10 हजार मीट्रिक टन से अधिक रही। इन अनुभवों के आधार पर, आगामी रबी मौसम में सरसों को भावांतर योजना में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी तैयारियाँ अग्रिम रूप से प्रारंभ की जा रही हैं।
(source- collector conference, Government of MP-2025).

- 3) **मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना:** राज्य शासन द्वारा प्रदेश के कृषकों की आय संवर्धन एवं आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना 2024 लागू की गई है। योजना अंतर्गत प्रदेश के सभी धान उत्पादक कृषक पात्र होंगे जिनके द्वारा खरीफ 2024 में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत धान का विक्रय किया गया है। योजनांतर्गत 6.69 लाख कृषकों को राशि रुपये 337.12 करोड़ का भुगतान किया गया है।
- 4) **रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना – कोदो-कुटकी उपार्जन:** रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य श्रीअन्न (कोदो एवं कुटकी) का उपार्जन, मूल्य श्रृंखला (Value Chain) विकसित करना एवं कोदो-कुटकी की खेती कर रहे कृषकों की आय में वृद्धि करना है।

उपार्जन हेतु कुल 16 जिले चयनित किए गए हैं—जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, दवाड़ा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली, मैहर, सतना, मऊगंज, बालाघाट एवं सिवनी।

उपार्जन हेतु पंजीयन तिथि : खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता संरक्षण विभाग के ई-उपार्जन पोर्टल पर कृषक पंजीयन दिनांक 10 अक्टूबर, 2025 से 20 नवम्बर, 2025 तक कराये गये हैं।

उक्त निर्धारित पंजीयन अवधि में कुल 22,886 कृषकों द्वारा 20,616.86 हेक्टेयर क्षेत्रफल का पंजीयन किया गया है।

1 दिसंबर, 2025 से 15 जनवरी, 2026 तक पंजीकृत कृषकों से, रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना अंतर्गत गठित 'श्रीअन्न कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड' (श्रीअन्न फेडरेशन) के सदस्य एफपीओ/एफपीसी के माध्यम से कोदो-कुटकी के उपार्जन की कार्यवाही की जा रही है।

खरीफ वर्ष 2025 में उत्पादित श्रीअन्न कोदो-कुटकी पर शासन द्वारा निर्धारित मूल्य में कुटकी राशि ₹ 3500 प्रति क्विंटल एवं कोदो राशि ₹ 2500 प्रति क्विंटल के मान से उपार्जन किया जाना है। इसके अतिरिक्त कृषकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में ₹1000 प्रति क्विंटल के मान से संबंधित कृषकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रदाय किया जावेगा।

- 5) **मृदा परीक्षण हेतु युवा उद्यमी योजना:** वित्तीय वर्ष 2025-26 में म.प्र. में किसानों को विकासखंड स्तर पर मृदा नमूना परीक्षण की सुविधा किसानों को उपलब्ध कराये जाने हेतु युवा उद्यमी/संस्थाओं के माध्यम से 263 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं आरंभ की गई हैं। किसानों को विकासखंड स्तर पर मृदा नमूना परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

- 6) **दबाव सिंचाई प्रणाली के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना:** दबाव सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता को प्रोत्साहित करने हेतु एक नई योजना का निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य जल उपयोग दक्षता में सुधार करते हुए अधिक एवं सतत फसल उत्पादकता को समर्थन प्रदान करना है। वर्ष 2024-25 से वर्ष 2026-27 तक कार्यान्वयन हेतु इस योजना के अनुमोदन और दिशानिर्देश जारी करने की प्रक्रिया जारी है, जिसका उद्देश्य आधुनिक सिंचाई प्रौद्योगिकियों को अपनाकर स्थायी कृषि तकनीकी को सुनिश्चित करते हुए पानी की कमी को दूर करना है। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर प्रणालियों के कवरेज को बढ़ाकर जल संरक्षण प्रयासों को सुदृढ़ करने पर जोर दिया जा रहा है। कमांड क्षेत्रों में तीसरी फसल लेने वाले किसानों को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। लक्ष्य-आधारित पहलों के अंतर्गत दबावयुक्त पाइपलाइन परियोजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। (source- collector conference, Government of MP-2025)

- 7) **फसल उपार्जन:** खरीफ वर्ष 2024 (विपणन वर्ष 2024-25) में प्राईस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत सोयाबीन का 2.13 लाख कृषकों का 6.22 लाख मेट्रिक टन का उपार्जन किया गया। उपार्जित मात्रा का मूल्य राशि रुपये 3043.04 करोड़ है।

रबी वर्ष 2024-25 (विपणन वर्ष 2024-25) में प्राईस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना का 29658 कृषकों से 98979 मेट्रिक टन का उपार्जन किया गया। उपार्जित मात्रा का मूल्य राशि रुपये 559.23 करोड़ है। मसूर का 94698 कृषकों से 2.12 लाख मेट्रिक टन का उपार्जन किया गया। उपार्जित मात्रा का मूल्य राशि रुपये 1422.50 करोड़ है। सरसों का 17673 कृषकों से 50512 मेट्रिक टन का उपार्जन किया गया। उपार्जित मात्रा का मूल्य राशि रुपये 300.55 करोड़ है।

प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वर्ष 2024 (विपणन वर्ष 2024-25) में ग्रीष्मकालीन मूंग के कुल 2.75 लाख कृषकों से 7.72 लाख मेट्रिक टन मात्रा की खरीदी की गई है। जिसमें ग्रीष्मकालीन मूंग की उपार्जित

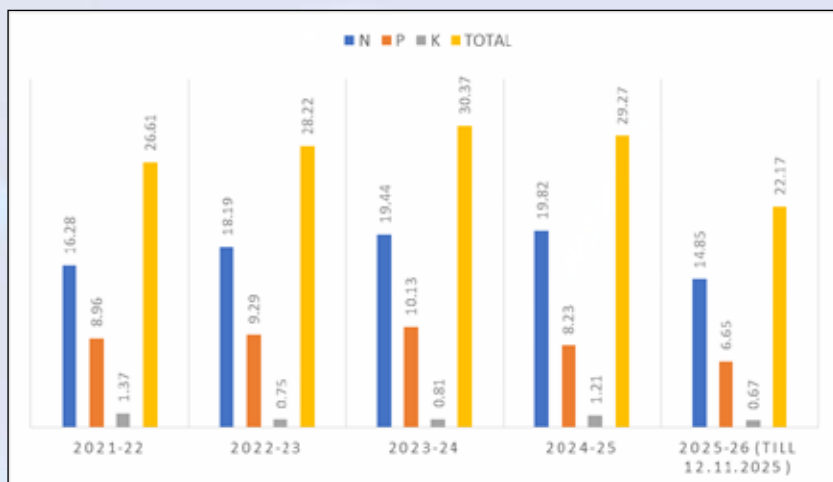


मात्रा का मूल्य राशि ₹ 6706.27 करोड़ है। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वर्ष 2024 (विपणन वर्ष 2024-25) में ग्रीष्मकालीन उड़द के कुल 5952 कृषकों से 8778 मेट्रिक टन मात्रा की खरीदी की गई है। जिसमें ग्रीष्मकालीन उड़द की उपार्जित मात्रा का मूल्य राशि ₹ 64.96 करोड़ है।

4.1.9 कृषि विकास योजनाएं

- 1) **रासायनिक उर्वरकों का वितरण:** वर्ष 2021-22 से 2025-26 (दिनांक 12.11.2025 तक) की अवधि के दौरान राज्य में रासायनिक उर्वरकों का वितरण (तत्वों में) का विवरण नीचे दिए गए चित्र 4.13 में प्रस्तुत है। इससे स्पष्ट होता है कि कुल एनपीके खपत वर्ष 2021-22 में 26.61 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 30.37 लाख मीट्रिक टन के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई, जिसका मुख्य कारण नाइट्रोजन एवं फॉस्फेट उर्वरकों की अधिक खपत रही।

कृषकों को समय पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं उनके संतुलित तथा वैज्ञानिक उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु विभाग द्वारा एक नवीन उर्वरक वितरण व्यवस्था को पायलट पहल के रूप में प्रारंभ किया गया है। इस पहल के अंतर्गत 1 अक्टूबर 2025 से शाजापुर, विदिशा एवं जबलपुर जिलों में ई-विकास (Distribution and Agricultural Supply Solution) प्रणाली लागू की गई है। यह प्रणाली कृषकों की डिजिटल फार्मर आईडी, भूमि धारिता तथा फसल संबंधी जानकारी के आधार पर अनुशंसित पोषक तत्वों की मात्रा का आकलन कर आवश्यकता-आधारित उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करती है।



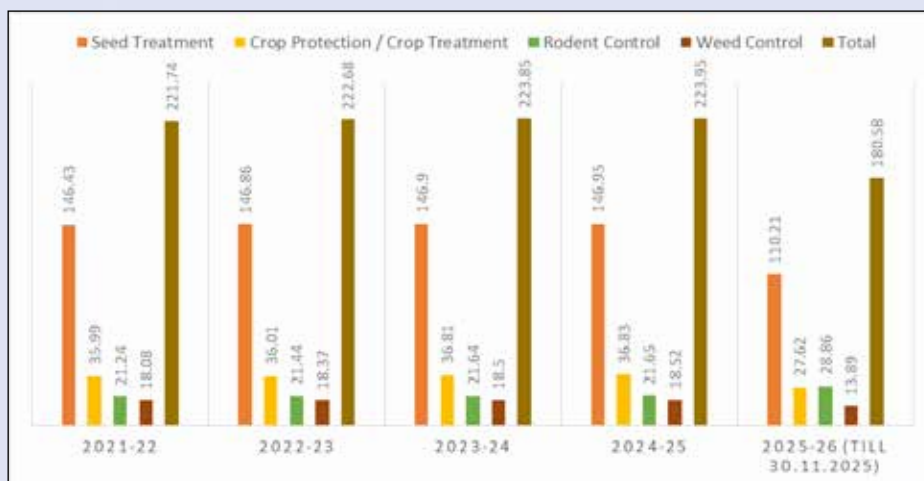
स्रोत - किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग (उर्वरक)

नोट: उर्वरकों की आपूर्ति निरंतर एवं बिना किसी व्यवधान के जारी है।

चित्र 4. 13-रासायनिक उर्वरकों का वितरण (तत्वों में) (इकाई: लाख मीट्रिक टन)

- 2) **पौध संरक्षण कार्यक्रम:** पौध संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत फसल संरक्षण, बीज उपचार, कृतक नियंत्रण तथा खरपतवार नियंत्रण/उन्मूलन प्रमुख गतिविधियाँ शामिल हैं। वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियों का विवरण नीचे दिए गए चित्र 4.14 में प्रस्तुत किया गया है। पौध संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2021-22 में 221.74 लाख हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 223.95 लाख हेक्टेयर तक निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है, जो कार्यक्रम की गतिविधियों के सतत विस्तार को दर्शाती है। इस अवधि में बीज उपचार प्रमुख घटक रहा, जिसका क्षेत्राच्छादन सर्वाधिक रहा, इसके पश्चात फसल संरक्षण का स्थान रहा।

वर्ष 2025-26 (दिनांक 30.11.2025 तक) में कुल क्षेत्राच्छादन 180.58 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है,



स्रोत - किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग (उर्वरक)

चित्र 4. 14 पौध संरक्षण कार्यक्रम अंतर्गत क्षेत्राच्छादन (लाख हेक्टेर में)

- 3) **गन्ना विकास:** मध्यप्रदेश में गन्ना पैराई वर्ष 2024-25 में 22 शक्कर कारखाने संचालित हुए जिनमें से 2 सहकारिता क्षेत्र के तथा 20 निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस मौसम में प्रदेश के शक्कर कारखानों द्वारा कुल 56.88 लाख मे. टन गन्ने की पैराई की गई, जिससे 5.36 लाख मे. टन शक्कर का उत्पादन हुआ।

गन्ना पैराई वर्ष 2025-26 में कुल 23 शक्कर कारखानों द्वारा गन्ना पैराई का कार्य किया जा रहा है, जिनमें से 02 सहकारिता क्षेत्र की एवं 21 निजी क्षेत्र की है। भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग नई दिल्ली द्वारा गन्ना पैराई वर्ष 2025-26 हेतु गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Price - FRP) रुपये 355/- प्रति क्विंटल प्रति बेसिक शुगर रिकवरी 10.25 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है, तदनुसार प्रदेश के कृषकों को शक्कर कारखानों के द्वारा भुगतान किया जा रहा है।

- 4) **पराली (नरवाई) प्रबंधन एवं अवशेष जलाने पर नियंत्रण:** वायु प्रदूषण, मृदा स्वास्थ्य के क्षरण तथा बहुमूल्य जैव-अपशिष्ट की हानि को लेकर बढ़ती चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में पराली (नरवाई) जलाने पर नियंत्रण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय एवं कृषि प्राथमिकता के रूप में उभरा है। स्थायी फसल प्रबंधन एवं जलवायु-सहिष्णु कृषि के परिप्रेक्ष्य में राज्य द्वारा फसल अवशेष जलाने को हतोत्साहित करने तथा फसल अवशेषों के उत्पादक उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु बहु-आयामी रणनीति अपनाई गई है।

आगामी गेहूं कटाई को ध्यान में रखते हुए पराली (नरवाई) जलाने पर कड़ा नियंत्रण विभाग की प्रमुख प्राथमिकताओं में चिह्नित किया गया है। इन-सीटू प्रबंधन के अंतर्गत इन-सीडर जैसी उन्नत कृषि मशीनरी की उपलब्धता एवं वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि पराली को खेत में ही मृदा में सम्मिलित किया जा सके। साथ ही, एक्स-सीटू प्रबंधन के अंतर्गत सीबीजी (CBG) एवं पायलट बायोमास संयंत्रों को पराली की आपूर्ति हेतु प्रणालियाँ विकसित की जा रही हैं। पराली-मुक्त ग्रामों के लिए जिला-वार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा निगरानी, प्रोत्साहन एवं जन-जागरूकता पर आधारित रणनीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है। धान आपूर्ति श्रृंखला के लिए 50 उच्च-तकनीकी कस्टम



हायरिंग सेंटर्स की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे सीबीजी (CBG) संयंत्रों तथा एग्रीगेटरों को प्रोत्साहन मिलेगा। (source- collector conference, Government of MP-2025).

4.1.10 राज्य की कृषकोन्मुखी योजनाएं:-

- 1) **मांग-आधारित कृषि हेतु फसल विविधीकरण योजना:** मांग आधारित कृषि हेतु फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना 6 मई 2022 को प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित किए जाने हेतु वे फसलें (उद्यानिकी फसलों सहित) जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत Covered नहीं हैं, को सम्मिलित किया गया है। ऐसे संस्थाएँ जो उक्तानुसार पात्र फसलों को बोने के लिए प्रेरित करने तथा फसल खरीदने के लिए कृषकों से गठजोड़ करेगी, को सहायता देने का प्रावधान है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि रूपमें 16.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 12 परियोजनाओं को Cabinet Committee for Investment Promotion (CCIP) द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

वर्तमान में मंत्री-परिषद समिति (CCIP) द्वारा 12 परियोजनाएं स्वीकृत हैं। स्वीकृत प्रस्तावों अन्तर्गत धान एवं गेहूँ के स्थान पर फल, सब्जी, मसाले, दलहन, तिलहन, अश्वगंधा, आलू एवं औषधीय फसलों का उत्पादन कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के 26 जिलों में कुल क्षेत्र 18,625 हे.में विविधीकरण का कार्य नियोजित है। स्वीकृत प्रस्तावों अन्तर्गत संस्थाओं एवं कृषकों द्वारा राशि ₹. 27,490 लाख का निवेश किया जायेगा। शासन से योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत सहायता राशि ₹. 6,835 लाख है। स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत विगत 2 वर्षों में 4985 हेक्टेयर में विविधीकरण का कार्य किया जा चुका है। कृषकों से अभी तक लगभग 8100 मे.टन विविधीकृत फसलों की खरीदी की जा चुकी है, जिसका कुल मूल्य लगभग 18.00 करोड़ है। फसलों में मुख्य रूप से अश्वगंधा 916 मे.टन लगभग राशि ₹ 9.70 करोड़, आलू 7000 मे.टन लगभग राशि ₹ 8.00 करोड़, जैविक चना एवं सरसों 50 मे.टन लगभग राशि ₹ 0.30 करोड़, फल एवं सब्जियां 137 मे.टन लगभग राशि ₹ 0.29 करोड़ मूल्य का क्रय किया गया।

- 2) **एक जिला-एक उत्पाद (ODOP) क्रियान्वयन योजना:** राज्य के स्थानीय उत्पादों की उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में वृद्धि करने तथा संसाधनों के समुचित उपयोग के साथ ब्रांडिंग एवं विपणन की उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से “एक जिला-एक उत्पाद” पहल के अंतर्गत जिलास्तर पर उत्पादों की पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस पहल के लिए औद्योगिक नीति, निवेश एवं प्रोत्साहन विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है।

ODOP पहल के अंतर्गत कृषि से संबंधित छह प्रमुख उत्पादों (जिनमें कोदो-कुटकी, अरहर दाल, चना, बासमती धान, चिन्नौर धान, सरसों, आंवला आदि शामिल हैं) को 10 जिलों—अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली, नरसिंहपुर, दमोह, रायसेन, बालाघाट, भिंड एवं मुरैना—में सम्मिलित किया गया है।

इन उत्पादों के संवर्धन हेतु “एक जिला-एक उत्पाद के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं मूल्य संवर्धन” नामक नई योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹5.00 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसके विरुद्ध ₹1.43 करोड़ का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भी ₹5.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। “मध्यप्रदेश में ‘एक जिला-एक उत्पाद’ (ODOP) की क्षेत्रवार मैपिंग परिशिष्ट-1 में प्रस्तुत की गई है। (source-Government of Madhya Pradesh, MP Trade Portal, ODOP, 2025)

- 3) **मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन:** म0प्र0 राज्य मिलेट मिशन पोषक तत्वों से भरपूर मिलेट फसलों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष (IYoM), 2023 के अनुरूप शुरू किया गया। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2025-26 के लिए राशि रु 12.25 करोड़ बजट प्रावधान स्वीकृत है। योजना में सम्मिलित मुख्य फसले : कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा एवं रागी तथा कार्य क्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य है।

म0प्र0 राज्य मिलेट मिशन योजना वर्ष 2025-26 अंतर्गत घटक- प्रमाणित बीज वितरण, कृषक प्रशिक्षण एवं कृषक अध्ययन भ्रमण के क्रियान्वयन हेतु राशि रु 3.39 करोड़ जारी की गई है, जिसके विरुद्ध व्यय राशि रु 1.80 करोड़ किया गया है। वर्ष 2025-26 में कुल 30000 कृषकों को लाभांशित किये जाने का लक्ष्य है।

योजना के दूसरे चरण में राशि रु 6.50 करोड़ जारी की गई है, जिसमें मिलेट मेला, कार्यशाला, फूड फेस्टिवल, रोड शो, ब्राण्डिंग गैलरी, प्रचार-प्रसार एवं अन्य आकस्मिक व्यय घटक सम्मिलित हैं जिनका क्रियान्वयन जिलों द्वारा किया जा रहा है।

Box 1: महिला-नेतृत्वित मूल्य शृंखलाओं के माध्यम से

पोषक अनाजों का पुनरुद्धार - मंडला एवं डिंडौरी

भारत सरकार की पोषक अनाज योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश ने मंडला एवं डिंडौरी जैसे जनजातीय जिलों में कोदो एवं कुटकी (लिटिल मिलेट) के उत्पादन एवं उपभोग को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है। इन क्षेत्रों में फसलों के व्यावसायीकरण, प्रसंस्करण सुविधाओं के अभाव तथा आहार संबंधी जागरूकता में कमी के कारण पारंपरिक मिलेट खेती में गिरावट आ गई थी।

हस्तक्षेप एवं दृष्टिकोण : अंतर-विभागीय समन्वय एवं गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से एक लक्षित पहल क्रियान्वित की गई। एक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट (ASA) द्वारा मिलेट संवर्धन हेतु लगभग 30-40 जनजातीय ग्रामों की पहचान की गई। राज्य कृषि विभाग के सहयोग से 20 डी-हलिंग एवं स्टोन सेपरेशन मशीनें तथा अतिरिक्त प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित की गईं। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के सहयोग से उन्नत प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी को अपनाया गया, जबकि एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा रेसिपी विकास एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

महिला स्व-सहायता समूहों (SHGs) को म.प्र. महिला वित्त एवं विकास निगम की तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत संगठित किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ एमओयू के माध्यम से सहयोग सुनिश्चित किया गया तथा प्रसंस्करण इकाइयों हेतु ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई गई।

परिणाम एवं प्रभाव

- जलवायु सहनशीलता: कोदो एवं कुटकी को जलवायु-अनुकूल फसलों के रूप में प्रोत्साहित किया गया।
- महिला सशक्तिकरण: 5,000 से अधिक महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण प्राप्त हुआ।
- स्वीकार्यता का विस्तार: डिंडौरी के 41 ग्रामों में 3,700 महिलाओं द्वारा लघु मिलेट की खेती अपनाई गई।
- पोषण से जुड़ाव: SHGs द्वारा 226 आंगनवाड़ी केंद्रों में 5,000 बच्चों को कोदो-आधारित नाश्ता (कोदू बर्फी) उपलब्ध कराया गया।
- उत्पादन एवं उपभोग: मिलेट उत्पादन तथा स्थानीय आहार में इनके उपभोग में उल्लेखनीय पुनरुद्धार दर्ज किया गया।

मुख्य निष्कर्ष : पोषण लक्ष्यों, महिला-नेतृत्वित स्व-सहायता समूहों, प्रसंस्करण अवसंरचना तथा तकनीकी भागीदारी के समन्वय से विकसित यह मॉडल जनजातीय क्षेत्रों में जलवायु-सहिष्णु फसलों के संवर्धन, आजीविका सुदृढीकरण एवं सामुदायिक पोषण सुधार हेतु एक अनुकरणीय एवं विस्तारयोग्य मॉडल के रूप में उभरता है।

(Source-Madhya Pradesh's Nutri Cereal Scheme: Promoting Millets for Nutrition / NFS)



योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में राशि ₹ 9.44 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹ 6.63 करोड़ व्यय किया जा कर 27502 कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

- 4) **किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का गठन एवं संवर्धन:** केन्द्र पोषित योजना "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का गठन और संवर्धन योजना" की तर्ज पर FPO को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य पोषित योजना कृषक उत्पादक संगठनों (FPOs) का गठन एवं संवर्धन योजना शासन द्वारा वर्ष 2023-2024 में लागू की गई है। जिसके लिए जारी किये गए दिशा-निर्देशों का निर्धारित स्थितियों के साथ मिलान न होने के कारण अभी तक कुछ भी व्यय नहीं किया जा सका है।

इस योजना का उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों को पर्याप्त बाजार और ऋण लिंकेज की सुविधा प्रदान करना। आर्थिक रूप से सुदृढ़ कृषक उत्पादक संगठनों (FPOs) को विकसित करना तथा पर्याप्त हैंडहोलिंग और पेशेवर सहायता प्रदान करना है।

केन्द्र पोषित योजना "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का गठन और संवर्धन योजना" द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) नोडल एजेंसी है तथा कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम (SFAC), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), नेशनल एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन (नाफेड), नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) एवं एफ.डी.आर.व्ही.सी. (एम.पी.एस.आर.एल.एम.) है, तथा उक्त संस्थाओं द्वारा योजनांतर्गत कुल 642 एफ.पी.ओ. का गठन किया गया है।

- 5) **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY):** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण आर्थिक हानि होती है तो इस हानि को सरकार द्वारा कुछ हद तक कवर करने की कोशिश किया जाता है। इस योजना के तहत किसानों के द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की प्रीमियम राशि को बहुत ही कम रखा गया है। जिसमें छोटे किसान भी इस योजना का लाभ उठा सके। यह योजना 2 प्रतिशत (खरीफ फसलें), 1.5 प्रतिशत (रबी फसलें) और 5 प्रतिशत (वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलें) की प्रीमियम दर पर किसानों के व्यय को कम करने और किसानों की आय को स्थिर करने के उद्देश्य से फसल विफलता के खिलाफ एक व्यापक बीमा कवर को सक्षम बनाती है। वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के जिलों में 11 क्लस्टर में किया जा रहा है। प्रत्येक क्लस्टर हेतु बीमा कंपनियों का चयन निविदा के माध्यम से किया गया है।

खरीफ 2024 में कुल 97.17 लाख कृषक आवेदनों का 47.12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हेतु बीमांकन किया गया था। रबी 2024-25 में कुल 82.30 लाख कृषक आवेदनों का 40.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हेतु बीमांकन किया गया था।

योजनांतर्गत दिनांक 11.08.2025 को राजस्थान के झुंझुनू जिले से वर्ष 2024-25 के दावा पात्र कृषक आवेदन संख्या 35.57 लाख हेतु राशि रुपये 1275.86 करोड़ का दावा भुगतान माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय कृषि मंत्री जी द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से समारोह पूर्वक किया गया।

योजनांतर्गत फसल उपज का आंकलन सेटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग तकनीक से किया जा रहा है, जिससे अधिक सटीकता से समय पर फसलों का आंकलन हो रहा है। इसके लिये कृषि विभाग द्वारा नेशनल रिमोट सेंसिंग केन्द्र (इसरो), मध्यप्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन से समझौता ज्ञापन (MOU) किया गया है।

तालिका 4. 1 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी (वर्ष 2019-20 से 2024-25)

(राशि (₹ करोड़ में))

वर्ष	कुल बीमित कृषक आवेदन (लाख)	बीमित क्षेत्र (लाख हे.)	बीमित राशि (₹ करोड़)	कुल प्रीमियम राशि (₹ करोड़)	भुगतान की गई कुल दावा राशि (₹ करोड़)	दावा प्राप्त करने वाले कृषक/ आवेदन (लाख)
2019-20	78.75	114.17	30295.91	3970.87	6055.52	29.35
2020-21	84.4	129.76	49990.76	7209.25	7791.76	51.16
2021-22	92.67	116.36	45246.75	6746.66	2934.81	44.52
2022-23	176.73	89.74	36170.04	3792.34	1050.57	36.79
2023-24	177.83	89.2	36521.92	2737.64	961.68	35.18
2024-25	179.47	88	35297.87	2727.99	1275.86	35.57
Total	789.85	627.23	233523.3	27184.75	20070.2	232.57

- 6) **राज्य प्रायोजित नलकूप खनन योजना:** वर्ष 2024-25 हेतु भौतिक लक्ष्य 841 (संख्या) के विरुद्ध 623 (संख्या) की पूर्ति एवं वित्तीय लक्ष्य राशि ₹ 3.05 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹ 2.24 करोड़ का व्यय किया गया है।

वर्ष 2025-26 हेतु भौतिक लक्ष्य 958 (संख्या) के विरुद्ध 200 (संख्या) की पूर्ति एवं वित्तीय लक्ष्य राशि ₹ 3.83 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹ 0.83 करोड़ का व्यय किया गया है।

4.1.11 केंद्रीय योजनाएं

- 1) **सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल अंतर्गत बीजग्राम कार्यक्रम :-** बीजग्राम कार्यक्रम वर्ष 2024-25 में खरीफ 2024 में 34372 क्विंटल बीज वितरण के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 16510 क्विंटल बीज वितरित किया गया, जो कि कुल लक्ष्य का 48.03 प्रतिशत है। रबी 2024-25 में 73420 क्विंटल बीज वितरण के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 71580 क्विंटल बीज वितरित किया गया, जो कि कुल लक्ष्य का 97.25 प्रतिशत है।

उक्त योजनान्तर्गत रबी 2025-26 हेतु 25,461 क्विंटल बीज वितरण के लक्ष्य जारी हुये है। बीज वितरण का कार्य प्रगति पर है।

- 2) **परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेव्हीवाय):-** प्रदेश में भारत सरकार प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना (पी. के व्ही.वाय.) संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य वर्तमान खेती में प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित एवं जलवायु के अनुरूप टिकाऊ कृषि पद्धति के विकास एवं भूमि की उर्वरता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं कृषकों की बाह्य आदानों पर निर्भरता को न्यूनतम करना, टिकाऊ समेकित जैविक कृषि पद्धतियों के उपयोग द्वारा कृषि की लागत को कम करते हुये किसानों की आय में वृद्धि करना, मानव के उपयोग हेतु रसायन मुक्त एवं पौष्टिक आहार की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना, कृषकों को समूह आधारित क्लस्टर में संगठित कर उत्पादन प्रबंधन, प्रसंस्करण, जलवायु के अनुरूप कम लागत की पारंपरिक कृषि पद्धतियों तथा कृषक हितैषी तकनीकों के विकास द्वारा वातावरण को रासायनिक उर्वरकों के प्रभाव से मुक्त करना, मूल्य संवर्धन, प्रमाणीकरण के लिए संस्थागत विकास हेतु सक्षम करना एवं जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण और विपणन को प्रोत्साहन देते हुये कृषकों का उद्यमी के रूप में कार्य हेतु सक्षम करना।



योजनांतर्गत सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली या पार्टीसिपेटरी ग्यारंटी स्कीम (पी.जी.एस.) / राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन द्वारा जैविक कृषि क्षेत्र में वृद्धि कर किसानों को टिकाऊ कृषि के लिए प्रोत्साहित किये जाने हेतु घटकवार सहायता का प्रावधान है, जिसमें सेवा प्रदाता संस्था के लिए क्षमता संवर्द्धन (Capacity Building), कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जनशक्ति की तैनाती (Deployment of manpower), जैविक प्रमाणीकरण एवं रेसीड्यू सैंपल एनालिसिस एवं विपणन, ब्रांडिंग और मूल्य संवर्धन आदि बुनियादी ढांचे के लिए सहायता और कृषकों को डी.बी.टी. के माध्यम से जैविक आदान के क्रय, फार्म पर निर्माण हेतु आवश्यक अद्योसंरचना, सामग्री, उपकरण आदि की व्यवस्था हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जावेगी।

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रदेश को 2169 समूह (वर्ष 2025-26) स्वीकृत किये गये हैं, जिसकी कुल प्रावधानित राशि रुपये 46.46 करोड़ है। जैविक खेती के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत भारत सरकार से वर्ष 2025-26 हेतु 2169 समूह में 43380 हैक्टेयर क्षेत्र का कार्यक्रम स्वीकृत है। योजना के सफल संचालन के लिए इम्पेनल्ड 09 सेवा प्रदाताओं के माध्यम से जैविक खेती करने के इच्छुक किसानों का चयन कर कुल 2169 समूह (20 हैक्टेयर प्रति समूह) 87 क्लस्टर (अधिकतम 500 हैक्टेयर प्रति क्लस्टर / 10 से 25 समूहों का 01 क्लस्टर) निर्माण किया जावेगा एवं गठित समूह / क्लस्टरों का NPOP अंतर्गत थर्ड पार्टी जैविक प्रमाणीकरण हेतु इंटरनल कंट्रोल सिस्टम (ICS) निर्माण कर एपीडा से अधिमाम्य जैविक प्रमाणीकरण संस्थाओं MPSOCA / अन्य अथवा Participatory Guarantee System (PGS) के तहत Regional Council के प्रावधानानुसार समस्त आवश्यकताएं, प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण, NSOP मानकों का अनुपालन पूर्ण करते हुये जैविक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर जैविक उत्पादों का बाय बैक कर संगठित मार्केटिंग सुनिश्चित किया जाना है।

- 3) **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :-** पी.एम.- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- डी.पी.आर. को वर्ष 2030-31 तक निरन्तर रखा गया है। योजना में भारत सरकार द्वारा राज्यों को 60 प्रतिशत राशि केन्द्रांश के रूप में प्रदान की जाती है, एवं राज्य स्तर से 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में प्राप्त होता है। योजना में विभिन्न विभागों, संस्थाओं, निगम, मंडलों द्वारा प्रस्तावित कृषकों की स्थानीय, विशिष्ट एवं सामयिक आवश्यकताओं पर आधारित प्रोजेक्ट स्वीकृत किए जाते हैं जिसमें किसान कल्याण तथा कृषि विकास, कृषि अभियांत्रिकी, उद्यानिकी, सहकारिता, कृषि विश्वविद्यालय, फार्मर प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल से संबंधित प्रोजेक्ट स्वीकृत किये गये हैं।

पी.एम. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- डी.पी.आर. अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025 26 के लिए भारत सरकार से राशि ₹ 155.44 करोड़ (केन्द्रांश) का एलोकेशन के तहत रिलीज की प्रथम किस्त राशि ₹ 77.72 करोड़ प्राप्त हुई है। राज्यांश सहित कुल राशि ₹ 129.53 करोड़ उपलब्ध है।

पी.एम.-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार से राशि ₹ 258.43 करोड़ की कार्ययोजना (प्रोजेक्ट) स्वीकृत किए गए हैं। आर.के.व्ही.वाय. डी.पी.आर. में वर्ष 2025-26 में कुल उपलब्ध राशि ₹ 129.53 करोड़ के विरुद्ध विभिन्न प्रोजेक्ट्स में राशि ₹ 121.75 करोड़ व्यय किए गए।

- 4) **नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी (आत्मा) :-** भारत सरकार सहायतित सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE) "आत्मा" अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कुल अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना राशि रुपये 81.25 करोड़ है। मासांत नवम्बर 2025 तक कुल उपलब्ध राशि रुपये 40.62 करोड़ में से राशि रुपये 28.89 करोड़ का व्यय किया गया है।

प्रदर्शन 4484 (संख्या), फार्म स्कूल 808 (संख्या), प्रशिक्षण 457 (संख्या), भ्रमण 656 (संख्या), मेला-1,

समूहों का क्षमता विकास प्रशिक्षण 320, नवाचार 08 एवं कृषक संगोष्ठी 202 आयोजित किए गए हैं। मासांत नवम्बर 2025 तक लगभग 19378 कृषक लाभान्वित हुए हैं।

- 5) **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :-** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पर ड्राप मोर क्रॉप) :- वर्ष 2024-25 हेतु भौतिक लक्ष्य 47256 हेक्टे. के विरुद्ध 39459 हेक्टे. की पूर्ति एवं वित्तीय लक्ष्य राशि रु. 216.16 करोड़ के विरुद्ध राशि रु. 159.49 करोड़ का व्यय किया गया है।

वर्ष 2025-26 हेतु भौतिक लक्ष्य 57924 हेक्टे. के विरुद्ध 18003 हेक्टे. की पूर्ति एवं वित्तीय लक्ष्य राशि रु. 325.63 करोड़ के विरुद्ध राशि रु. 133.90 करोड़ का व्यय किया गया है।

- 6) **रेनफेड ऐरिया डेव्हलपमेंट (एन.एम.एस.ए.) :-** योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि रूपये 8.40 करोड़ के वित्तीय लक्ष्यों के विरुद्ध 2423 हेक्टेयर क्षेत्र के कृषकों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरुद्ध राशि रूपये 4.97 करोड़ का व्यय किया जाकर 1655 हेक्टेयर क्षेत्र के कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि रूपये 10.00 करोड़ के वित्तीय लक्ष्यों के विरुद्ध 3100 हेक्टेयर क्षेत्र के कृषकों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके विरुद्ध राशि रूपये 4.77 करोड़ का व्यय किया जाकर 1588 हेक्टेयर क्षेत्र के कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

- 7) **सब मिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री योजना (एस.एम.ए.एफ.) :-** योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि रूपये 4.17 करोड़ के वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध 38 नर्सरी एवं टिशू कल्चर लैब को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसके विरुद्ध राशि रूपये 3.55 करोड़ का व्यय किया जाकर 1 टिशू कल्चर लैब एवं 23 नर्सरियों को लाभान्वित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि रूपये 8.57 करोड़ के वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध 33 नर्सरी को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके विरुद्ध राशि रूपये 3.01 करोड़ का व्यय किया जाकर 06 नर्सरियों को लाभान्वित किया गया है।

- 8) **राष्ट्रीय खाद्य तेल एवं तिलहन मिशन :-** राष्ट्रीय मिशन आन इडिबल आइल (एनएमईओ तिलहन) का मुख्य उद्देश्य तिलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है। साथ ही खाद्य तेल उत्पादन में मध्यप्रदेश की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। जिसके अंतर्गत मुख्य घटक है:- बीज घटक, तकनीकी हस्तारण, उत्पादन तकनीकी, सिंचाई यंत्र एवं मशीनरी एवं फ्लैक्सी फंड है।

वर्ष 2025-26 हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मिशन ऑन इडिबल आइल-तिलहन योजना अंतर्गत राशि रु. 231.35 करोड़ की कार्य योजना स्वीकृत की गई है। स्वीकृत कार्ययोजना के विरुद्ध राशि रु. 111.07 करोड़ की रिलीज प्राप्त हुई उक्त राशि का जिलों को आवंटन जारी किया गया। 30 नवम्बर 2025 तक जिलों द्वारा राशि रु. 81.88 करोड़ का व्यय कर 6013 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

- 9) **खाद्य एवं पोषण सुरक्षा :-** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन एक बहुआयामी योजना है। वर्ष 2024-25 में उपलब्ध राशि रु. 394.05 करोड़ के विरुद्ध राशि रु. 280.82 करोड़ व्यय की गई है।

वर्ष 2025-26 में उपलब्ध राशि रु. 211.87 करोड़ के विरुद्ध 30 नवम्बर 2025 तक राशि रु. 151.34 करोड़ व्यय किया गया है। योजनान्तर्गत 441212 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं।

- 10) **स्वाइल हैल्थ एण्ड फर्टिलिटी :-** स्वाइल हैल्थ एण्ड फर्टिलिटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10.00 लाख के भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध कृषकों को खेतों से मृदा नमूना एकत्रित किये जाकर 8.950



लाख स्वाइल हैल्थ कार्ड कृषकों को निःशुल्क उपलब्ध कराये गये है। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि रूपये 41.99 करोड़ के विरुद्ध राशि रूपये 26.04 करोड़ का उपयोग किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 अंतर्गत प्रदेश में किसानों के खेतों से मिट्टी नमूना एकत्रित कर विश्लेषण उपरांत स्वाइल हैल्थ कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु लक्षित 11.393 लाख मृदा नमूनों के विरुद्ध अद्यतन रूप से 10.12 लाख मृदा नमूने एकत्रित किये जाकर किसानों को विश्लेषण उपरांत 7.161 लाख स्वाइल हैल्थ कार्ड निःशुल्क उपलब्ध कराये गये है। भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय आवंटन राशि रु 15.82 करोड़ के विरुद्ध राशि रु. 12.28 करोड़ का व्यय किया गया है।

11) नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग :- मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा पत्र क्रमांक / AGR/4/2/1/0005/2022-Sec-2-14 C.no.116207, दिनांक 25/04/2022 को राज्य में प्राकृतिक कृषि के प्रसार एवं किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से "मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड" का गठन किया गया है। योजनागत 65.00 करोड़ की राशि उपलब्ध है।

12) सूचना प्रौद्योगिकी :- 1. किसानों की आय में वृद्धि के ध्येय को प्राप्त करने के लिये किसानों को प्रासंगिक जानकारी, गुणवत्ता पूर्ण आदानों, शासन द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों/ सहायता की, आवश्यकता एवं पात्रता अनुसार पूंजी की निर्बाध तथा सुगमता से उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं कृषि उत्पाद के समुचित मूल्य के लिये कृषि उत्पादन तथा विपणन से जुड़े सभी हितधारकों को एक ही मंच पर लाने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जा रहा है।

1.1. एम.पी. किसान एप : कृषक उन्मुखी विभागीय योजनाओं की जानकारी एम.पी. किसान एप के माध्यम से ऑनलाईन उपलब्ध है तथा चिन्हित योजनाओं एवं घटकों में किसान ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। जिसके निराकरण संबंधी सूचना भी किसानों को उनके मोबाईल लॉगिन पर उपलब्ध होती है।

1.2. Agri-GIS (Remote Sensing and Geographical Information Systems) : भूमि उपयोग, फसलों की स्थिति के आकलन हेतु GIS एवं रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीक पर आधारित AGRI-GIS परियोजना में वर्ष 2023-24 से मक्का, कपास, अरहर, मसूर एवं अलसी को भी तकनीक आधारित उत्पादकता आकलन हेतु सम्मिलित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया परिशिष्ट-V देखें।

1.3. तकनीक के उपयोग से विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने के लिये सभी विभागीय कार्यालयों में आई.टी. अद्योसंरचना का सुदृणीकरण किया गया है। मैदान स्तर पर किसानों से सतत संपर्क सुनिश्चित करने के लिये तथा उन्नत कृषि तकनीक के प्रदर्शनों की मेपिंग हेतु AEO को मोबाईल तथा कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है।

1.4. Ease of Doing Business अंतर्गत लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, बीज विक्रय तथा विनिर्माण / उत्पादन हेतु नवीन लायसेंस जारी करना एवं नवीनीकरण संबंधी अधिसूचित सेवाओं का सेवा निर्वाहन की प्रक्रियाओं में सरलीकरण किया गया है।

1.5. Uberization of farm Equipment's - किसानों को किराये पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने हेतु एम.पी. किसान एप के माध्यम से ऑनलाईन सुविधा प्रदान की जा रही है। जिसके माध्यम से कृषक मोबाईल के माध्यम से भी अपने कृषि कार्य में लगने वाले कृषि यंत्रों को ऑनलाईन OLA / UBER जैसी सेवा की तरह किराये पर प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह custom hiring centre

एवं जो व्यक्ति किराये पर कृषि यंत्र देना चाहता है वह भी इस प्लेटफार्म पर पंजीयन कर किसानों को ऑनलाईन कृषि यंत्र उपलब्ध करा सकता है।

2. भारत सरकार के Agri stack कार्यक्रम का प्रदेश सफलतापूर्वक क्रियान्वयन

- ▶ भारत सरकार के Agri stack कार्यक्रम को प्रदेश में भी क्रियान्वित किया जा रहा है। केंद्र की अपेक्षा अनुसार मध्यप्रदेश में उल्लेखनीय कार्य हुआ है, और प्रदेश किसानों को समन्वित सेवाएँ प्रदान करने के लिए तैयार है।
- ▶ भू अभिलेख द्वारा खसरा स्तर तक के cadastral नक्शे तैयार किए गए हैं और लगभग 99% खसरे Geo-referenced हैं।
- ▶ रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग कर फसल क्षेत्रफल गणना की प्रणाली विकसित की गयी। प्रदेश में खरीफ 2024 से राज्यव्यापी डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जा रहा है।

3. कृषि में उभरती प्रौद्योगिकी का उपयोग - परिशुद्ध खेती

- ▶ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, रिमोट सेंसिंग तकनीकों के उपयोग से परिशुद्ध खेती हेतु विभाग द्वारा प्रदेश में एक पायलट परियोजना का क्रियान्वयन अंतर्राष्ट्रीय संस्था ICARDA के साथ किया गया है।
- ▶ सीहोर और खरगोन जिलों में विभिन्न किसानों के खेतों पर कुल 10-10 हेक्टर भूमि में नमी, पोषक तत्वों की उपलब्धता एवं कीट व्याधि की संभावनाओं के पूर्वानुमान हेतु सेन्सर आधारित डिवाइस लगाई गयी हैं।
- ▶ यह जानकारी इंटरनेट के माध्यम से सीधे ICARDA के अमलहा स्थित केंद्र पर प्राप्त होती है एवं इसका एआई के माध्यम से विश्लेषण कर किसान को उसके मोबाइल पर ही सिंचाई के पानी और मूल्यवान इनपुट की उपयोग दक्षता को अधिकतम करने के लिए कब और कितना उपयोग करना है की अनुशंसा प्राप्त होती है।
- ▶ पायलट परीक्षण के दौरान विगत 5 सीजन में परियोजनान्तर्गत किसानों के आदान में 15-20 प्रतिशत तक की लागत में कमी दर्ज की है, वहीं उत्पादन में भी कुछ वृद्धि की गयी है। अधिक जानकारी के लिए कृपया परिशिष्ट-V देखें।

4. कृषि आदानों के नमूना परीक्षण के लिए क्यूआर कोड आधारित एप्लीकेशन: कृषकों को गुणवत्तापूर्ण आदान की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु कृषि आदानों के नमूना परीक्षण की प्रक्रिया की गोपनीयता और परिणामों की पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने के लिए क्यूआर कोड आधारित ऑनलाईन नमूना प्रणाली विकसित की गई है। परिणामों को प्रयोगशाला द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर कर ऑनलाईन जारी किए जाने पर रिपोर्ट तत्काल सभी संबंधितों को पोर्टल पर तथा ईमेल द्वारा उपलब्ध हो जाती है, इससे अमानक पाये जाने की स्थिति में संबंधित उत्पाद पर तत्काल रोक लगाई जा रही है एवं गुणवत्तापूर्ण आदान की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है।

5) जनसंचार माध्यमों के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों का प्रचार-प्रसार : मध्यप्रदेश में किसानों एवं ग्रामीण समुदायों तक कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित जानकारी को समयबद्ध एवं व्यावहारिक रूप से पहुँचाने हेतु जनसंचार माध्यमों का सक्रिय उपयोग किया जा रहा है। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रसारक, जैसे डीडी किसान, जो प्रसार भारती का समर्पित कृषि टेलीविजन चैनल है, के माध्यम से मौसम खबर (मौसम



एवं फसल परामर्श), मंडी खबर (बाजार रुझान), कृषि विशेष तथा कृषि दर्शन (दीर्घकाल से प्रसारित प्रतिष्ठित कृषि कार्यक्रम) जैसे कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से आधुनिक कृषि पद्धतियों, जल प्रबंधन, पशुपालन तथा शासकीय योजनाओं से संबंधित दृशात्मक मार्गदर्शन राज्य एवं देशभर के दर्शकों तक पहुँचाया जाता है।

इसके अतिरिक्त, आकाशवाणी (AIR) द्वारा किसान वाणी जैसे कृषि-केन्द्रित कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है, जिनमें फसल उत्पादन, उद्यानिकी, पशुपालन, ऋण एवं बीमा से संबंधित स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित सामग्री सम्मिलित रहती है। ये कार्यक्रम एफएम एवं क्षेत्रीय रेडियो स्टेशनों के माध्यम से किसानों तक उनकी स्थानीय भाषाओं में प्रसारित किए जाते हैं।

नैरो-कास्टिंग नेटवर्क तथा क्षेत्रीय टीवी एवं रेडियो पर जिला-स्तरीय विस्तार वार्ता कार्यक्रमों के साथ मिलकर, ये सभी माध्यम कृषि विस्तार के लिए एक समन्वित जनसंचार समर्थन प्रणाली का निर्माण करते हैं। इसके परिणामस्वरूप राज्य में किसानों के बीच वैज्ञानिक कृषि तकनीकों एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता एवं जानकारी में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।

(स्रोत: प्रसार भारती - डीडी किसान; कृषि दर्शन कार्यक्रम - दूरदर्शन; कृषि विस्तार हेतु जनसंचार माध्यम समर्थन - भारत सरकार)



बॉक्स 2 : बेहतर सिंचाई हेतु नहर विस्तार एवं साइफन निर्माण - बैतूल

पाठाखेड़ा ग्राम में अभिसरण आधारित सिंचाई पहल के माध्यम से जल उपलब्धता एवं कृषि उत्पादकता को सुदृढ़ किया गया। जल संसाधन विभाग (WRD) द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के साथ समन्वय करते हुए पाठाखेड़ा बाँध की लेफ्ट बैंक नहर का 1 किलोमीटर विस्तार किया गया, जिससे नहर की कुल लंबाई बढ़कर 2 किलोमीटर हो गई।

हस्तक्षेप एवं अभिसरण

- नहर विस्तार हेतु मिट्टी कार्य (अर्थवर्क) का निष्पादन मनरेगा के अंतर्गत किया गया।
- जल संसाधन विभाग द्वारा तीन स्थायी साइफन संरचनाओं के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता एवं तकनीकी पर्यवेक्षण प्रदान किया गया, जिससे संरचनाओं की दीर्घकालिक स्थायित्व एवं जल प्रवाह की दक्षता सुनिश्चित हुई।

परिणाम एवं प्रभाव

- सिंचाई विस्तार: अतिरिक्त 13 हेक्टेयर भूमि को सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत लाया गया।
- लाभार्थी: 6 कृषकों को प्रत्यक्ष रूप से बेहतर जल उपलब्धता का लाभ प्राप्त हुआ।
- उत्पादकता में वृद्धि: फसल विश्वसनीयता में सुधार एवं फसल विविधीकरण की संभावनाएँ सुदृढ़ हुईं।

आगे की दिशा

अंतिम छोर तक जल पहुँच सुनिश्चित करने एवं नहर प्रणाली के लाभों को अधिकतम करने हेतु वाटरकोर्स फील्ड चैनलों के निर्माण के माध्यम से सिंचाई विस्तार की आगे की योजना प्रस्तावित है।

मुख्य निष्कर्ष

प्रभावी विभागीय अभिसरण एवं टिकाऊ अवसंरचना के माध्यम से अल्प समय में सिंचित क्षेत्र का विस्तार संभव है, जिससे जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में कृषि स्थायित्व एवं कृषक आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है।

(Source-Canal Extension and Siphon Construction for Better Irrigation | NFS)

Box 3: किसान-नेतृत्वित बीज उद्यमिता -

गेहूं बीज के माध्यम से सतत आजीविका

बैजापुर ग्राम के प्रगतिशील कृषक श्री मोहन सिंह सिसोदिया ने गेहूं बीज उत्पादन को एक विस्तारयोग्य आजीविका मॉडल में रूपांतरित किया है। उन्होंने वेदश्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था की स्थापना कर प्रमाणित एवं उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन एवं आपूर्ति हेतु एक किसान सहकारी उद्यम विकसित किया है।

हस्तक्षेप एवं सहयोग

कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) द्वारा ग्राम को अंगीकृत करते हुए निरंतर प्रशिक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इस सहयोग से प्रारंभिक चुनौतियों को पार करते हुए उन्होंने शासकीय लाइसेंस प्राप्त किया, ब्रीडर एवं फाउंडेशन बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की, विभिन्न ग्रामों के किसानों को संगठित किया, बीज प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया तथा एक बीज कंपनी के साथ विपणन संपर्क विकसित किए।

परिणाम एवं प्रभाव

- विस्तार: नेटवर्क का विस्तार अनेक ग्रामों में 2,000 से अधिक किसानों तक हुआ।
- उद्यम विकास: कार्यशील बीज प्रसंस्करण इकाई की स्थापना तथा व्यावसायिक भागीदारी के माध्यम से सुनिश्चित विपणन।
- आजीविका सुदृढ़ीकरण: उल्लेखनीय राजस्व सृजन एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का सृजन, साथ ही किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता।

मुख्य निष्कर्ष

लक्षित कृषि विस्तार सहयोग, सहकारी संगठन के माध्यम से समेकन तथा प्रभावी बाजार संपर्क, किसान-नेतृत्वित बीज उद्यमों को सक्षम बना सकते हैं। इससे न केवल कृषकों की आय में वृद्धि होती है, बल्कि स्थानीय बीज प्रणालियाँ सुदृढ़ होती हैं और कृषि क्षेत्र की समग्र स्थायित्व क्षमता में भी सुधार होता है।

(source-Shri Mohan Singh Sisodiya: Making Wheat Seeds way to earn Livelihood | NFS)

4.2 उद्यानिकी

मध्यप्रदेश भारत के प्रमुख अग्रणी खाद्यान्न उत्पादक प्रदेश होने के साथ अब उद्यानिकी फसलों के लिए द्वितीय शीर्षस्थ प्रदेश के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। उद्यानिकी क्षेत्र में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और नई तकनीक को अपनाने के लिए विभाग सतत प्रयासरत हैं। इस हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर कृषकों को प्रोत्साहित एवं लाभान्वित किया जा रहा है। कृषकों को उपज का उचित मूल्य दिलाने, रोजगार सृजन एवं सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु PMFME योजना का प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन वृहद स्तर पर किया जा रहा है। उद्यानिकी उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

विभाग अंतर्गत संचालित MPFSTS पोर्टल (link: mpfststs.mp.gov.in) पर विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं में लाभान्वित कृषकों की संख्या 320587 है। उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट www.mphorticulture.gov.in है।

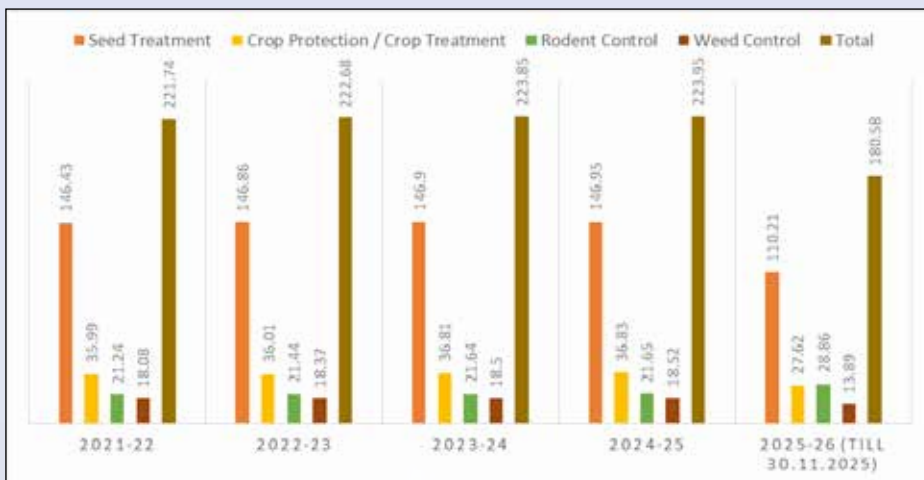
1. प्रमुख उद्यानिकी फसलों का उत्पादन -

राज्य ने उद्यानिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है, विशेष रूप से फलों और सब्जियों के उत्पादन में उच्च तकनीकी बेमौसम में फलों एवं सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना, उद्यानिकी में यांत्रिकीकरण, फसलोत्तर प्रबंधन, अधिकारियों/कर्मचारियों और कृषकों को उद्यानिकी की आधुनिकतम तकनीकों से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। मध्यप्रदेश के प्रमुख फलों में संतरा, अमरूद, आम एवं केला आदि शामिल हैं।



प्रमुख मसालों का उत्पादन -

वर्ष 2023-24 में मसालों का कुल क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 9.07 लाख हेक्टेयर और 55.38 लाख मीट्रिक टन था, जबकि वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर क्रमशः 9.42 लाख हेक्टेयर एवं 57.43 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मध्यप्रदेश में उत्पादित प्रमुख मसाले लहसुन, लालमिर्च अदरक, हल्दी एवं धनिया हैं। पिछले 5 वर्षों में लाल मिर्च का औसत उत्पादन 3.05 लाख मीट्रिक टन था। इसी तरह अदरक और लहसुन का औसत उत्पादन क्रमशः 5.56 और 20.87 लाख मीट्रिक टन रहा।

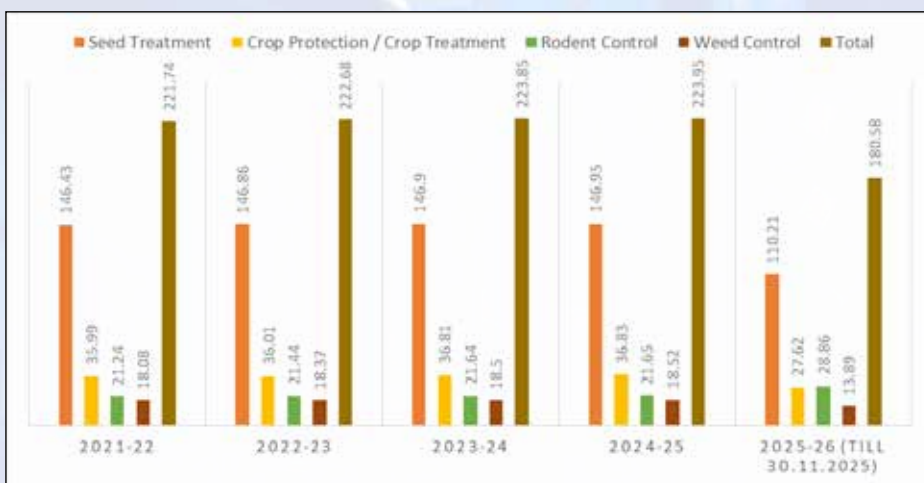


स्रोत: - भारत सरकार का हैपिस पोर्टल

चित्र 4.15 प्रमुख मसालों का उत्पादन (लाख मीट्रिक टन)

प्रमुख सब्जियों का उत्पादन -

वर्ष 24-2023 में सब्जियों का कुल क्षेत्रफल और उत्पादन क्रमशः 12.62 लाख हेक्टेयर और 248.95 लाख मीट्रिक टन था और वर्ष 25-2024 में क्षेत्रफल बढ़कर 13.26 लाख हेक्टेयर और उत्पादन बढ़कर 259.86 लाख मीट्रिक टन हो गया।



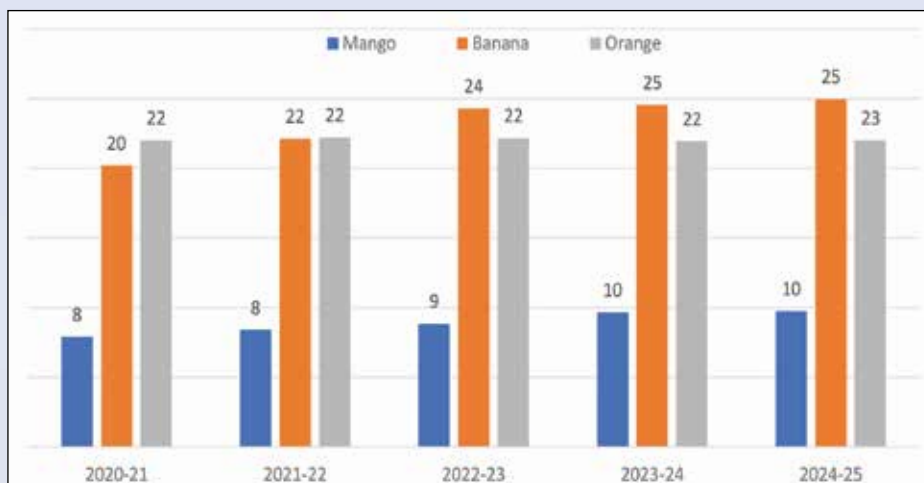
स्रोत: - भारत सरकार का हैपिस पोर्टल

चित्र 4.16 प्रमुख सब्जियों का उत्पादन (लाख मीट्रिक टन)

मध्यप्रदेश में उत्पादित प्रमुख सब्जियां आलू, प्याज और टमाटर हैं। पिछले 5 वर्षों में आलू, प्याज और टमाटर का औसत उत्पादन क्रमशः 52.15 ,40.18 और 33.74 लाख मीट्रिक टन रहा।

प्रमुख फलों का उत्पादन -

वर्ष 24-2023 में फलों का रकबा क्रमशः 4.68 लाख हेक्टेयर और 98.63 लाख मीट्रिक टन था और वर्ष 25-2024 में यह 4.80 लाख हेक्टेयर और 102.07 लाख मीट्रिक टन था। यह देखा गया कि मध्यप्रदेश में उत्पादित प्रमुख फल केला, आम और संतरा हैं। पिछले 5 वर्षों में केला, आम और संतरे का औसत उत्पादन क्रमशः 8.92 ,23.24 और 22.07 लाख मीट्रिक टन है।



स्रोत: - भारत सरकार का हैपिस पोर्टल

चित्र 4.17 प्रमुख फलों का उत्पादन (लाख मीट्रिक टन)

प्रमुख फूलों का क्षेत्र और उत्पादन:

गेंदा उत्पादन और क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान लगातार गुलाब उत्पादन से बेहतर प्रदर्शन किया है।

प्रमुख औषधीय पौधों का क्षेत्र और उत्पादन:

हाल के वर्षों के दौरान, प्रमुख औषधीय पौधों का सबसे बड़ा क्षेत्र और उत्पादन इसबगोल का रहा है, इसके बाद अश्वगंधा और सफेद मूसली हैं।

2. राज्य वित्त पोषित योजनाएं:

- 1. फल पौध रोपण योजना:-** फल पौध रोपण योजना को संशोधित कर वर्ष 2016-17 से नये स्वरूप में लागू किया गया है। योजनान्तर्गत प्रदेश की भूमि, जलवायु तथा सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के आधार पर कृषकों द्वारा ड्रिप सहित उच्च/अति उच्च घनत्व के फल पौध रोपण कराने पर इकाई लागत का 40 प्रतिशत अनुदान 02 वर्षों में 60:40 के अनुपात में देय है। योजना के अंतर्गत न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम 4.00 हेक्टेयर के लिये अनुदान देय है।



तालिका 4. 2 फल पौध रोपण योजना अंतर्गत प्रगति विवरण

क्र.	वर्ष	भौतिक (हेक्टेयर)		वित्तीय (लाख में)	
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय
1	2023-24	1506.339	1461.999	343.558	340.668
2	2024-25	876.000	740.90	400.000	375.71
3	2025-26 (नवम्बर, 2025)	1832.000	1738.126	1000.00	78.662

- 2. मसाला क्षेत्र विस्तार योजना:- वर्ष 17-2016** से मसाला क्षेत्र विस्तार योजना में संशोधित किया गया है। बीज मसाला फसलों (मिर्च, धनिया, मेथी, करायल (कलौंजी), जीरा और अजवाइन) सामान्य वर्ग हेतु बीज की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10,000/- रुपये तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिये 14000/- रुपये प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान देय है। जड़ एवं कंद/प्रकंद वाली व्यावसायिक फसल लहसुन, हल्दी एवं अदरक फसल उत्पादन हेतु सामान्य वर्ग हेतु रोपण सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 50,000/- रुपये तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिये 70000/- रुपये प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान देय है। योजना के अंतर्गत न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम 2.00 हेक्टेयर के लिये अनुदान देय है।

तालिका 4.3 मसाला क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत प्रगति विवरण

क्र.	वर्ष	भौतिक (हेक्टेयर)		वित्तीय (लाख में)	
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय
1	2023-24	3426.100	1219.645	159.742	137.507
2	2024-25	2675.000	2400.330	400.000	393.370
3	2025-26 (नवम्बर, 2025)	7655.600	6930.777	1000.00	169.414

- 3. व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती के लिए प्रोत्साहन योजना:-** व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना में एकीकृत बागवानी मिशन द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं बागवानी में प्लास्टिकल्चर उपयोग संबंधी राष्ट्रीय समिति (एन.सी.पी.ए.एच.) के द्वारा निर्धारित ड्राईंग डिजाइन के अनुसार ग्रीन हाऊस, शेडनेट हाऊस, प्लास्टिक मल्टिंग एवं प्लास्टिक लो-टनल इत्यादि का निर्माण कराने पर कृषकों को निर्धारित मापदण्ड अनुसार अनुदान इकाई लागत का 50 प्रतिशत उपलब्ध कराया जाता है।

तालिका 4.4 उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती के लिए प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रगति विवरण

क्र.	वर्ष	भौतिक (हेक्टेयर)		वित्तीय (लाख में)	
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय
1	2023-24	2.860	2.630	185.926	185.926
2	2024-25	6.170	5.570	160.000	151.48
3	2025-26 (नवम्बर, 2025)	11.940	5.10	500.00	47.820

4. (i) कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण (राज्य पोषित योजना):- योजना क्रमांक 0869- कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम एवं अन्य कार्य के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है:-

- उद्यानिकी फसलों की उन्नत खेती की तकनीक/विधियों का कृषकों को प्रशिक्षण देना।
- उद्यानिकी फसलों का विस्तार।
- उद्यानिकी फसलों की उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि।

तालिका 4.5 योजना के घटक एवं वित्तीय मापदण्डों का विवरण

स.क्र.	घटक	वित्तीय मापदण्ड
1	1 दिवसीय किसान प्रशिक्षण सह भ्रमण	रु. 600/- प्रति कृषक प्रतिदिन
2	राज्य के भीतर कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण	रु. 1000/- प्रति कृषक प्रतिदिन
3	राज्य के बाहर कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण	रु. 1500/- प्रति कृषक प्रतिदिन
4	नई तकनीक के अवलोकन के लिए कृषकों का प्रभावन दौरा	रु. 1500/- प्रति कृषक प्रतिदिन

तालिका 4.6 पिछले 05 वर्ष की भौतिक और वित्तीय प्रगति - (002-0869)

स.क्र.	वर्ष	भौतिक (संख्या में)		वित्तीय (लाख में)	
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय
1	2019-20	22284	22225	214.80	189.785
2	2020-21	22834	22484	272.79	259.28
3	2021-22	15545	14880	228.24	187.05
4	2022-23	5046	4952	250.00	170.33
5	2023-24	8804	8440	200.00	191.73
6	2024-25	16929	14742	250.00	239.25
7	2025-26 (30-11-2025 की स्थिति में)	17485	10752	250.00	165.10

(ii) विज्ञापन एवं प्रचार (000-35-0655) कार्यक्रमों की संख्या - योजना/मद के अन्तर्गत विभागीय प्रचार- प्रसार कार्य के तहत विकासखण्ड, जिला संभाग एवं राज्य स्तर पर उद्यानिकी प्रदर्शनी, मेला, कार्यशाला, सम्मेलन एवं किसान शो एवं झांकी इत्यादि का आयोजन कर उद्यानिकी की आधुनिक तकनीकों की जानकारी कृषकों तक पहुंचाई जाती है। साथ ही उद्यानिकी योजनाओं के प्रचार-प्रसार से संबंधित समस्त कार्य तथा साहित्य, पम्पलेट, बुकलेट एवं डिस्ले सामग्री इत्यादि का मुद्रण कार्य किया जाता है।



तालिका 4.7 विगत 05 वर्षों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति:- (0655-35-000)

स.क्र.	वर्ष	भौतिक (संख्या में)		वित्तीय (लाख में)	
		लक्ष्य	प्राप्ति	आवंटन	व्यय
1	2019-20	588	288	76.38	46.30
2	2020-21	326	326	95.48	75.87
3	2021-22	1808	1756	95.48	74.02
4	2022-23	96	96	95.48	35.82
5	2023-24	200	197	76.38	19.54
6	2024-25	313	292	57.29	19.66
7	2025-26 (30-11-2025 की स्थिति में)	313	200	57.29	40.51

3. केंद्रीय योजनाएं:-

1. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) - एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना एक केंद्रीय योजना है जिसके अंतर्गत विभिन्न उद्यानिकी फसलों का क्षेत्र विस्तार करना और उत्पादन बढ़ाना है। वर्ष 2025-26 में MIDH की वार्षिक कार्ययोजना (AAP) राशि रूपये 144.79 करोड़ से स्वीकृत है। वार्षिक कार्ययोजना अनुसार भौतिक प्रगति की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कार्ययोजना के विरुद्ध राशि रु. 45.51 करोड़ व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष के लिए शेष राशि का आवंटन अपेक्षित है, आवंटन प्राप्त होने पर वित्तीय प्रगति की जावेगी।

2. पर ड्रॉप मोर क्रॉप" (सूक्ष्म सिंचाई) योजना - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) का एक घटक "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" योजना, जो कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) का एक महत्वपूर्ण घटक है, का उद्देश्य खेत स्तर पर सिंचाई कवरेज को बढ़ाना, सिंचित क्षेत्र का विस्तार करना तथा जल संसाधनों के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2025-26 के लिए ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों की स्थापना हेतु जिलों को 29823.00 हेक्टेयर का भौतिक लक्ष्य तथा ₹11,105.97 लाख का वित्तीय आवंटन निर्धारित किया गया है।

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार से संबंधित जिलेवार प्रगति की सतत समीक्षा की जा रही है। कई जिलों एवं संभागों में लक्ष्यों की लगभग पूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है, जबकि चंबल जैसे कुछ संभागों में अपेक्षाकृत धीमी प्रगति देखी गई है।

सूक्ष्म सिंचाई लक्ष्यों के विरुद्ध कार्यों की निरंतर निगरानी से जल-उपयोग दक्षता में सुधार हो रहा है तथा उद्यानिकी उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है।

(स्रोत: कलेक्टर कॉन्फ्रेंस, मध्यप्रदेश शासन-2025)

3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में विकास को बढ़ाने के लिए 29 मई 2007 को आयोजित बैठक में राष्ट्रीय कृषि विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा पाया गया कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के अधिक समग्र एवं समेकित विकास को सुनिश्चित करने के लिए कृषि जलवायुवीय, प्राकृतिक संसाधन और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए गहन कृषि विकास करने के लिए राज्यों को बढ़ावा देने हेतु एक विशेष अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) योजना की शुरुआत की जानी चाहिए। उपरोक्त के अनुसरण में और

योजना आयोग के साथ परामर्श से कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई, वर्तमान में यह योजना प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PMRKVY) के नाम से प्रचलन में है।

प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना है। योजना के घटक Detail Project Report (DPR) में 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश का प्रावधान है। योजना अंतर्गत हितग्राही मूलक परियोजना में 35 से 50 प्रतिशत अनुदान एवं शासकीय क्षेत्र में क्रियान्वित परियोजनाओं में शतप्रतिशत सहायता का प्रावधान है।

योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि रु. 3480.53 लाख की अनुमोदित कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त रिलीज राशि रु. 2165.33 लाख के विरुद्ध 85.93 प्रतिशत राशि रूपये 1860.684 लाख व्यय किया गया है। योजना के अंतर्गत सब्जी, पुष्प एवं मसाला क्षेत्र विस्तार अंतर्गत 3865.945 हेक्टेयर के लक्ष्यों की पूर्ति की गई एवं 8061 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। ग्वालियर जिले में हाईटेक फलोरीकल्चर नर्सरी की स्थापना का कार्य प्रगतिरत है।

योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि रूपये 7007.50 लाख की अनुमोदित कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त रिलीज राशि रूपये 3336.50 लाख के विरुद्ध 93.86 प्रतिशत राशि रूपये 3131.59 लाख व्यय किया गया है। योजना अंतर्गत पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रथम बार बागवानी फसलों में फर्टिगेशन के लिए सेंसर आधारित स्वचालन प्रणाली को बढ़ावा देना, बुरहानपुर में विभिन्न फ्यूजेरियम विल्ट सहिष्णु/प्रतिरोधी केले की किस्मों की उपयुक्तता का आंकलन करना, मखाना की वैज्ञानिक खेती, पीपीपीएवीसीडी योजना के छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए अल्ट्रा-लो-कॉस्ट शेडनेट तकनीक का प्रदर्शन, मध्यप्रदेश में निर्यात ग्रेड उत्पादन के लिए विशिष्ट सब्जी क्लस्टर विकसित करना, प्रमोशन ऑफ एक्जोटिक क्रॉप ऑफ वेजीटेबल, प्रमोशन ऑफ इंडीजिनियम क्रॉप ऑफ वेजीटेबल, उच्च मूल्य वाली सब्जी फसलों की टिकाऊ खेती के माध्यम से वनपट्टाधारी किसानों की आजीविका में सुधार परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, साथ ही बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण ज्ञान प्रसार केन्द्रों का विकास, सिलारीर, रामपुर, खापरखेडा (नर्मदापुरम) एवं रीछी (खण्डवा) में स्मार्ट बीज फार्म का विकास, प्रयोगशाला तथा टिशू कल्चर लैब की स्थापना परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

- 4. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई):** - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) भारत सरकार द्वारा 29 जून 2020 को सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। प्रदेश में योजना की अवधि (05 वर्ष) (2020-21 से 2024-25) में 11597 इकाइयाँ स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना की अवधि भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 01 वर्ष (2025-26 तक) तक 15000 इकाइयाँ स्थापित किये जाने हेतु बढ़ाई गई हैं।

योजनान्तर्गत पोर्टल पर कुल 37116 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 12758 प्रकरण ऋण स्वीकृत किये गये। वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के लिए ऋण स्वीकृति में प्रदेश अग्रणी राज्यों में है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 दिनांक 30.11.2025 तक की स्थिति में पीएमएफएमई योजनांतर्गत 3330 प्रकरण ऋण स्वीकृत किया जाकर 2103 प्रकरणों हेतु ऋण वितरण किया गया। योजनांतर्गत 3200 हितग्राहियों को राशि रूपये 116.62 करोड़ का अनुदान वितरण किया गया।



डीआरपी- बैंकर्स संवाद कार्यशाला: योजना अंतर्गत बैंक स्तर पर आने वाली समस्याओं पर चर्चा तथा समाधान के लिए जिला रिसोर्स पर्सन (डीआरपी) एवं बैंक प्रतिनिधियों को संवाद हेतु साझा मंच उपलब्ध करवाने के लिए 13.06.2025 को आरसीव्हीपी, नरोन्हा, प्रशासन अकादमी, भोपाल में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजन में समस्त प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधि तथा प्रदेश के समस्त जिलों से जिला रिसोर्स पर्सन (डीआरपी) ने सहभागिता की।

वर्ल्ड फूड इण्डिया-2025- दिनांक 25 से 28 सितंबर 2025 को भारत मण्डपम नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इण्डिया का आयोजन किया गया। आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से PMFME योजना के 2500 हितग्राहियों को राशि रुपये 89.00 करोड़ की अनुदान राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित की गई।

आयोजन में विभाग की ओर से PMFME योजना अंतर्गत प्रदेश में निर्मित उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रदर्शन हेतु स्टॉल लगाया गया। योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त 03 हितग्राहियों द्वारा पृथक से स्टॉल लगाया गया। जिसमें इनके द्वारा निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन किया गया।

5. नर्सरी शाखा -प्रदेश में विभाग की लगभग प्रत्येक विकासखण्ड में नर्सरी स्थापित है। वर्तमान में प्रदेश में 300 नर्सरियां एवं प्रक्षेत्र संचालित है। जिसका कुल रकबा लगभग 2046 हेक्टेयर है। इन पर उद्यानिकी पौध उत्पादन के अतिरिक्त, बीजोत्पादन एवं अन्य कार्यक्रम लिया जाता है। विभाग द्वारा संचालित नर्सरी पोर्टल के माध्यम से नर्सरियों की पूर्ण जानकारी व मातृवृक्ष, संसाधन आदि की जानकारी उपलब्ध रहेगी। उद्यानिकी पौधों की उपलब्धता एवं क्रय हेतु अत्याधुनिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा पौध विक्रय (मार्केटिंग) को नई दिशा मिलेगी। विभागीय नर्सरियों की पोर्टल पर, नर्सरीवार रिपोर्ट, पौधवार स्टॉक, रिकार्ड एवं पौध बिक्री इत्यादि की जानकारी उपलब्ध होगी। संकल्प 2023 अंतर्गत सभी संभाग मुख्यालयों की 01-01 नर्सरी का चयन कर हाईटेक नर्सरी के रूप में विकसित की जा रही है।

6. धार्मिक महत्व वाले क्षेत्रों में पुष्पोत्पादन (फ्लोरीकल्चर) का प्रोत्साहन: धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुष्पोत्पादन को एक सतत् आजीविका विकल्प के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्थानीय उपयुक्तता के आधार पर पुष्प खेती क्लस्टरों के विकास हेतु सभी जिलों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं, विशेष रूप से प्रमुख शहरी केंद्रों एवं तीर्थ स्थलों के आसपास के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गुना जिले में 11.50 हेक्टेयर क्षेत्र में गुलाब खेती का एक क्लस्टर स्वीकृत किया गया है, जिसके लिए लक्ष्य निर्धारित किए जा चुके हैं तथा शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जा रही है। उज्जैन एवं अन्य धार्मिक क्षेत्रों हेतु 02 वर्षों में 8000.00 हेक्टेयर क्षेत्र में पुष्पोत्पादन विकास हेतु भारत सरकार से स्वीकृति की प्रक्रिया प्रगति पर है, जिससे किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होने और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलने की अपेक्षा है।

(स्रोत: कलेक्टर कॉन्फ्रेंस, मध्यप्रदेश शासन-2025).

7. “एक बगिया माँ के नाम” अभियान: सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से हरित विस्तार: पर्यावरण संरक्षण के साथ पोषण एवं आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “एक बगिया माँ के नाम” अभियान के अंतर्गत ग्राम स्तर पर हरित परिसंपत्तियों के सृजन में जनभागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस पहल के तहत परिवारों एवं समुदायों को फलदार एवं बहुवर्षीय पौधों के रोपण हेतु प्रेरित किया जा रहा है, जिससे दीर्घकालीन पारिस्थितिक एवं सामाजिक-आर्थिक लाभ सुनिश्चित हों। अभियान के अंतर्गत गांवों में फलदार एवं बहुवर्षीय पौधों का बड़े पैमाने पर रोपण कर सामुदायिक सहभागिता को सुदृढ़ किया गया है। प्रगति समीक्षा के अनुसार खंडवा एवं सिंगरौली जिलों में उत्कृष्ट

प्रदर्शन दर्ज किया गया है, जबकि सतना एवं मुरैना जिलों में अपेक्षाकृत कम उपलब्धि पाई गई है। संभाग स्तर पर भोपाल संभाग अग्रणी रहा है, वहीं चंबल संभाग को विशेष ध्यान की आवश्यकता के रूप में चिन्हित किया गया है। समग्र रूप से यह अभियान पोषण सुरक्षा, आजीविका संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में उभर कर सामने आया है।

(स्रोत: कलेक्टर कॉन्फ्रेंस, मध्यप्रदेश शासन-2025)।

बॉक्स-4 : उद्यानिकी मूल्य समझौता - आकांक्षी जिला छतरपुर

आकांक्षी जिला के रूप में चिन्हित छतरपुर जिले में किसानों की आय बढ़ाने तथा विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं के लिए स्थानीय रोजगार सृजन के उद्देश्य से एक अभिनव उद्यानिकी मूल्य समझौता प्रारंभ किया गया। जिले की अनुकूल जलवायु एवं सुदृढ़ उद्यानिकी आधार का लाभ उठाते हुए इस पहल के माध्यम से उद्यानिकी को एक व्यवहार्य, बाजारोन्मुख आजीविका विकल्प के रूप में स्थापित किया गया।

हस्तक्षेप एवं कार्यप्रणाली:

इस कार्यक्रम के अंतर्गत उद्यानिकी उपज के लिए अधिकतम मूल्य आश्वासन प्रदान किया गया तथा निष्पक्ष खरीद एवं मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय सूक्ष्म प्रसंस्करण इकाइयों के साथ औपचारिक साझेदारियाँ स्थापित की गईं। यह पहल विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों, महिला-प्रधान परिवारों तथा वंचित वर्गों को लक्षित करती है। कार्यक्रम को जागरूकता अभियानों, किसान प्रशिक्षण, वित्तीय संसाधनों तक बेहतर पहुँच तथा भंडारण, परिवहन एवं विपणन संपर्क जैसी अवसंरचनाओं के सुदृढीकरण के माध्यम से समर्थन प्रदान किया गया। सतत निगरानी एवं तकनीकी मार्गदर्शन (हैंडहोल्डिंग) के माध्यम से प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया।

परिणाम एवं प्रभाव:

- **आय सुरक्षा:** मूल्य आश्वासन के माध्यम से किसानों को निष्पक्ष एवं प्रतिस्पर्धी प्रतिफल प्राप्त हुआ।
- **मूल्य संवर्धन:** सूक्ष्म प्रसंस्करण इकाइयों से जुड़ाव के कारण कच्ची उपज से आगे आय के नए स्रोत विकसित हुए।
- **रोजगार सृजन:** प्रसंस्करण एवं संबद्ध गतिविधियों में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए।
- **मजबूत आपूर्ति श्रृंखला:** अवसंरचना सुधार एवं प्रत्यक्ष बाजार संपर्क से निर्यात की संभावनाएँ भी सुदृढ़ हुईं।

मुख्य निष्कर्ष:

छतरपुर मॉडल यह दर्शाता है कि मूल्य आश्वासन को स्थानीय प्रसंस्करण साझेदारियों के साथ जोड़ने से उद्यानिकी क्षेत्र की व्यापक संभावनाओं को साकार किया जा सकता है। यह मॉडल किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को रोजगार से जोड़ने तथा लघु उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध हुआ है और इसे अन्य आकांक्षी एवं संसाधन-सीमित जिलों में भी सफलतापूर्वक दोहराया जा सकता है।

Source-<https://www.nitiforstates.gov.in/best-practice-detail?id=102734>



4.3 कृषि यंत्रीकरण

मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रीकीकरण के व्यापक प्रसार-प्रसार किये जाने से विगत एक-दशक में फार्म मशीनरी के प्रति प्रदेश के सभी वर्गों में कृषकों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। कृषि अभियांत्रिकी द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषकों में अत्याधिक आधुनिकीकरण की जागरूकता आई है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश की फार्म पावर उपलब्धता की बढ़ोतरी में सीधा असर प्राप्त हुआ है।

वर्तमान में प्रदेश की फार्म पावर उपलब्धता 3.17 कि.वाट/हेक्टर प्राप्त हुई है, जिसे आगामी तीन वर्षों में प्रदेश की फार्म पावर उपलब्धता को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बढ़ाकर 3.75 कि.ग्रा./हेक्टर किये जाने का लक्ष्य है।

यंत्रीकरण के क्षेत्र विभाग द्वारा संचालित योजनायें निम्नानुसार हैं:-

केन्द्र प्रवर्तित योजना

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।
2. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन (एस.एम.ए.एम.)
3. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन (सी.आर.एम.)

राज्य योजना

1. कृषि शक्ति योजना।
2. कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में कौशल विकास योजना।
3. मुख्यमंत्री नरवाई प्रबंधन योजना।
4. कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन की राज्य योजना।

संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के अधीन संचालित गतिविधियां

1. विभिन्न कृषि कार्यों हेतु बैल चलित, हस्त चलित तथा शक्ति चलित उन्नत कृषि यंत्रों का अनुदान पर कृषकों को वितरण।
2. उन्नत कृषि यंत्रों के प्रति जागरूकता लाने हेतु विभिन्न कृषि कार्यों के लिये उपयोगी नवीनतम उन्नत कृषि यंत्रों के कृषकों के खेतों में प्रदर्शन तथा उनके रख-रखाव एवं समुचित उपयोग हेतु कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
3. प्रदेश के कृषि की विशिष्ट समस्याओं जैसे पड़त भूमि, छिटकवां पद्धति, नरवाई जलाना, मजदूरों की कमी आदि के निदान में उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग के प्रति कृषकों को प्रोसाहित करना।
4. कृषकों को उच्च गुणवत्ता तथा लागत की मशीनों को किराये आधार पर उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण युवाओं को बैंक ऋण आधार पर कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु अनुदान सहायता उपलब्ध कराना।
5. ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के माध्यम से उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बना कर आत्म निर्भर बनाना।
6. ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल की ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से सभी प्रकार के शक्ति चलित एवं स्वचलित कृषि यंत्र, हस्तचलित/पशुचलित उन्नत कृषि यंत्र आदि पर किसानों को अनुदान का लाभ उपलब्ध कराया जाता है।

7. प्रदेश में कलस्टर आधार पर ग्रामों को चयनित किया जाकर उक्त ग्राम में उन्नत कृषि यंत्र प्रदर्शन के माध्यम से उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिये कृषकों को प्रोत्साहित करना। इन ग्रामों को यंत्रदूत ग्राम के रूप में जाना जाता है। इनमें यंत्रीकृत कृषि अपनाने से प्राप्त होने वाले लाभों के प्रति कृषकों को जागरूक किया जाता है।
8. राज्य स्तरीय कृषि मेलों में अभियांत्रिकी की भागीदारी देकर कृषि यंत्रीकरण हेतु किसानों को जागरूक करना।

संचालनालय के अधीन संचालित की जाने वाली योजनाओं का विवरण

केन्द्रीय योजनाएं:-

1. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन (एस.एम.ए.एम) :-

योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम प्रदेश के किसानों के लिये क्रियाविधित है। किसानों को उन्नत तकनीक के कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिये भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार अनुदान दिये जाने का भी प्रावधान है। कृषि जलवायु क्षेत्र में लगने वाली फसलों में क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र/उपकरणों पर प्रोत्साहन तथा उनके प्रदर्शन के साथ-साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत किसानों को कृषि यंत्र/उपकरणों के माध्यम से लगभग 60 से 75 हजार कृषकों को प्रतिवर्ष लाभान्वित किया जाता है। योजना के माध्यम से कस्टम हायरिंग केन्द्र तथा हाई-टेक हब स्थापित कराने हेतु प्रतिवर्ष 800 से 1000 हजार हितग्राहियों को अनुदान का लाभ दिया जाता है।

2. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन (सी.आर.एम. सहित) :-

योजनान्तर्गत प्रदेश में नरवाई जलाने की समस्या के निवारण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा सी.आर.एम. स्कीम द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिसके अंतर्गत किसानों को नरवाई प्रबंधन के उपयोगी कृषि उपकरणों पर अनुदान दिया जाता है जिसमें कम्बाइन हार्वेस्टर हेतु एसएमएस, हैप्पीसीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, श्रेडर, मल्लर, शलेसर, प्लाउ, रोटोवेटर/रोटोकल्टीवेटर, बैलर्स, रीपर कम्बाईडर, बैकहो लोडर, रीपर्स, चैफकटर आदि कृषि उपकरणों के माध्यम से किसानों को उन्नत तकनीक के कृषि यंत्र/उपकरण उपलब्ध कराने के लिये भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार अनुदान दिये जाने का भी प्रावधान है। नरवाई प्रबंधन की दृष्टि से कृषि यंत्रों एवं उपकरणों को भी फसल अवशेष घटक अंतर्गत सम्मिलित किया गया है साथ ही योजना में हितग्राहियों को कस्टम हायरिंग केन्द्र तथा हाई-टेक हब स्थापित कराने हेतु अनुदान दिया जाता है। योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष 5 से 7 हजार हितग्राहियों को अनुदान का लाभ दिया जाता है।

3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना:-

योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी वर्ग के कृषकों के लिये उनके फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने तथा आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दृष्टि से विभिन्न प्रोजेक्ट्स के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण से संबंधित योजनाएं चलाई जाती हैं। योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष 8 से 12 हजार हितग्राहियों को अनुदान का लाभ दिया जाता है।

राज्य योजनाएं:-

1. कृषि शक्ति योजना:-

प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण की गतिविधियों को समग्र रूप से विस्तारित करने के उद्देश्य से कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन कार्यक्रम "कृषि शक्ति योजना" प्रारम्भ की गई है जिससे किसानों को यंत्रीकृत कृषि का लाभ प्रदाय करने के उद्देश्य से यंत्रदूत ग्रामों का विकास किया जाता है। बुवाई, निंदाई-गुड़ाई, सिंचाई, कीट- आदि नियंत्रण, कटाई, गहाई आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली नवीन तकनीकों के कृषि यंत्रों/उपकरणों का प्रदर्शन खेतों में जाता है। योजनांतर्गत प्रति वर्ष प्रदेश में 120 से 150 यंत्रदूत ग्राम का चयन कर यंत्रीकृत गतिविधियाँ का प्रचार-प्रसार किया जाता है।



2. मुख्यमंत्री नरवाई प्रबंधन योजना :-

नवीन राज्य योजना " मुख्यमंत्री नरवाई प्रबंधन योजना (फसल अवशेष प्रबंधन योजना)" का उद्देश्य मध्यप्रदेश में फसल नरवाई प्रबंधन से संबंधित कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन करने हेतु कृषकों को फसल अवशेष प्रबंधन हेतु चिन्हित शक्तिचलित कृषि यंत्रों जैसे रोटोकल्टीवेटर, बैकहो लोडर, स्ट्रा-रीपर, रोटोवेटर, श्रेडर, मल्टचर, रेक एवं बेलर, रीपर-कम-बाईंडर, रीपर (स्वचलित), हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जीरोटिलेज सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल आदि जैसे यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा। योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष 4 से 6 हजार हितग्राहियों को अनुदान का लाभ दिया जाता है।

3. कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रम:-

प्रदेश में संचालनालय के अधीन स्थापित 6 कौशल विकास केन्द्र के माध्यम से ग्रामीण बेरोजगार युवाओं की कृषि उपकरण अथवा मशीनरी से संबंधित वस्तुविषय से प्रशिक्षित किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर एवं कृषि मशीनरी के सुधार हेतु पर्याप्त मेकेनिक उपलब्ध कराना है साथ ही कम्बाइन हार्वेस्टर संचालन हेतु ऑपरेटर तैयार करना जिससे ग्रामीण युवाओं को ग्राम में ही तथा कृषि क्षेत्र में रोजगार की संभावना उपलब्ध हो सके। किसान ड्रोन के संचालन हेतु ड्रोन भोपाल एवं इंदौर में ड्रोन स्कूल संचालित है जिसके माध्यम से ड्रोन पायलेट के रूप में युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा किसान ड्रोन के रिपेयर एवं मेटेनेंस हेतु ड्रोन टेकनियन कार्यक्रम जबलपुर में संचालित किया जा रहा है। सभी कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों अंतर्गत प्रतिवर्ष लगभग 2000 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

4.4 मंडी बोर्ड

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड) एक तीन स्तरीय संस्था है, जिसमें मुख्यालय, 07 आंचलिक कार्यालय, 13 तकनीकी कार्यालय तथा 259 कृषि उपज मंडी समितियाँ स्थापित हैं।

तालिका 4. 8 राज्य में मंडियों का विवरण

आंचलिक कार्यालयों के नाम	जिलों की संख्या	प्रवर्गवार मंडियों की संख्या					कुल उप मंडियां
		"क" प्रवर्ग	"ख" प्रवर्ग	"ग" प्रवर्ग	"घ" प्रवर्ग	कुल मंडियां	
1	2	3	4	5	6	7	8
भोपाल	8	12	11	8	18	49	57
इंदौर	8	6	8	8	12	34	62
उज्जैन	7	10	5	8	19	42	50
ग्वालियर	8	3	6	11	25	45	39
सागर	6	3	4	10	19	36	21
जबलपुर	9	4	7	7	17	35	47
रीवा	9	1	1	4	12	18	22
योग	55	39	42	56	122	259	298

विशेष - कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी6-/नियमन/वर्गीकरण/250-249 दिनांक 09 फरवरी 2016, संशोधन क्रमांक/बी6-/नियमन/वर्गीकरण/2070-2069 दिनांक 14 जुलाई 2016 एवं संशोधन क्रमांक/बी6-/नियमन/वर्गीकरण/1251-1250/391 दिनांक 22 अगस्त 2017 से वर्गीकृत प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियाँ।

(1) मण्डियों में हुई कुल आवक

वर्ष 2025-26 (01 अप्रैल 2025 से 30 नवम्बर 2025) की अवधि में प्रदेश की मण्डियों में 320.34 लाख मै.टन कुल आवक हुई, जो विगत वर्ष 2024 (अप्रैल 2024 से नवम्बर 2024) की अवधि में प्रदेश की मण्डियों में हुई आवक 273.25 लाख मै.टन की तुलना में 47.09 लाख मै.टन आवक (अर्थात् 17.23 %) अधिक है।

(2) मण्डियों की मण्डी फीस से आय

वर्ष 2025-26 (01 अप्रैल 2025 से 30 नवम्बर 2025) की अवधि में प्रदेश की मण्डियों को मण्डी फीस से रुपये 832.32 करोड़ की आय हुई है, जो विगत वर्ष 2024 (अप्रैल 2024 से नवम्बर 2024) में हुई आय रुपये 860.07 करोड़ की तुलना में रुपये 27.75 करोड़ (अर्थात् -3.23%) कम है।

ई-अनुज्ञा प्रणाली

मध्यप्रदेश के 64,400 से अधिक व्यापारियों द्वारा उक्त प्रणाली का इस्तेमाल किया जा कर उनके द्वारा क्रय कृषि उपज के परिवहन हेतु गेट पास स्वयं के द्वारा बनाए जा रहे हैं, मंडी कर्मचारियों द्वारा ना के बराबर अनुज्ञा जारी हो रहे हैं। रिकॉर्ड संधारण में उक्त प्रणाली से बहुत लाभ हुआ है। कृषकों को उक्त प्रणाली से जोड़कर प्रत्येक भुगतान पत्रक की एंट्री उक्त प्रणाली पर दर्ज हो रही है जिससे कृषकों के भुगतान को सुनिश्चित करने में मंडी समितियों को सहायता मिल रही है। उक्त प्रणाली संपूर्ण भारत में सिर्फ मध्यप्रदेश में प्रवृत्त की गई है जिसे एनआईसी के सहयोग से बनाया गया है। दिनांक 16/08/2019 से ई-अनुज्ञा पोर्टल प्रवर्तित किया गया है। 30 नवम्बर 2025 तक कुल 1,21,33,577 अनुज्ञा पत्र जारी हुए हैं जिसमें व्यापारियों द्वारा 1,01,20,688 अनुज्ञा पत्र स्वयं जारी किये गये हैं तथा मंडी कर्मचारियों की मदद से 20,12,889 अनुज्ञा जारी किये गये हैं।

ई-मंडी योजना: ई-मंडी योजना, ई-अनुज्ञा प्रणाली का विस्तारित रूप है। ई-अनुज्ञा प्रणाली में बिक्री प्रमाणक को ई-अनुज्ञा पोर्टल पर दर्ज किया जाकर स्टॉक क्रियेट होता है। स्टॉक क्रियेट होने पर अनुज्ञा पत्र जारी होता है। ई-मंडी में किसान के प्रवेश की एंट्री के उपरांत अनुबंध की POS मशीन/टेबलेट/एंड्राइड मोबाइल पर एंट्री तदोपरांत तौल की एंट्री तुलावटी द्वारा की जाकर बिक्री प्रमाणक व्यापारी द्वारा जारी किये जाते हैं, उक्त कार्य एंड्राइड एवं वेब एप्लीकेशन आधारित है, जिसमें एंड्राइड एप्लीकेशन ऑनलाईन एवं ऑफलाईन कार्य करेगा तथा आने वाले समय में मंडी में होने वाली आवक के अनुपात में जावक सहित संपूर्ण एंट्रियां एक ही डैशबोर्ड पर दिखने लगेगी, यथा कृषि उपजों की आवक, नीलामी, तौल तथा भुगतान की प्रक्रिया स्ट्रीमलाइन हो जावेगी। मंडियों के रिकार्ड का मैनुअली संधारण धीरे-धीरे समाप्त होगा तथा आने वाले समय में उक्त कार्य म0प्र0 की समस्त 259 मंडियों में किया जावेगा।

ई-मंडी की अवधारणा एक मंडी में संपूर्ण कार्यवाही (प्रवेश, अनुबंध, तौल, बिक्री प्रमाणक, अनुज्ञा) की रियल टाइम डाटा केचरिंग करना है।

दिनांक 2021/04/05 से ई-मंडी योजना पायलेट के रूप में 08 मंडियों (भोपाल, इंदौर, देवास, सागर, गुना, सतना, जबलपुर, हरदा) में संचालित की जा रही है तथा पीओएस (POS) मशीन क्रय कर ई-मंडी एप पर कार्य किया जा रहा है। ई-मंडी एंड्राइड एप्लीकेशन (एप) का विकास एन.आई.सी भोपाल के द्वारा किया गया है।



दिनांक 2024/01/10 को अपर मुख्य सचिव महोदय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में प्रदेश की अ-वर्ग की समस्त 39 कृषि उपज मंडी समितियों में ई-मंडी योजना प्रवृत्त किये जाने के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें सभी आंचलिक संयुक्त/उप संचालकों तथा सचिवों को ई-मंडी योजना का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन करने के निर्देश अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिए गए। दिनांक 2024/02/01 को पत्र जारी कर माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में रीवा मंडी को हार्डटेक मंडी बनाए जाने तथा दिनांक 2024/01/31 को पत्र जारी कर ग्वालियर तथा बालाघाट मंडी समितियों में डिजिटल भुगतान व्यवस्था प्रवृत्त किये जाने से रीवा, ग्वालियर तथा बालाघाट मंडी समितियों को ई-मंडी योजना में सम्मिलित किया गया है।

दिनांक 2024/12/12 को प्रबंध संचालक महोदय की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में प्रदेश की “ब” वर्ग की 41 मंडियों में दिनांक 2025/01/01 से ई-मंडी योजना का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन आरंभ किया गया तथा दिनांक 2025/04/01 से प्रदेश की शेष “स” वर्ग की 54 एवं “द” वर्ग की 122 मंडियों में ई-मंडी योजना लागू की गई।

इस प्रकार प्रदेश की 259 कृषि उपज मंडी समितियों में ई-मंडी योजना संचालित की जा रही है। ई-मंडी योजना में 30 नवम्बर 2025 तक 33,92,558 कृषकों का पंजीयन किया जा चुका है।

उक्त योजना को SKOCH Group New Delhi के द्वारा “स्कोच आर्डर ऑफ मेरिट” वर्ष 2023 तथा “स्कोच गोल्ड अवार्ड” वर्ष 2025- प्रदान किया गया है।

एम.पी. फार्म गेट ऐप

एम.पी. फार्म गेट ऐप एक एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है जिसे किसान अपने एंड्राइड मोबाइल पर निशुल्क डाउनलोड कर अपने दाम पर अपने घर, खलियान, गोदाम से अपनी कृषि उपज को बेचने में सक्षम हुआ है। किसानों को अपनी उपज मंडी में लाकर विक्रय करने के साथ-साथ अपने घर बैठे अपनी उपज अपने दाम पर बेचने की आजादी मिली है। मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला पूरे देश में इकलौता राज्य है। उक्त प्रणाली को भारत सरकार द्वारा बहुत सराहा गया है। विभिन्न राज्यों द्वारा उक्त प्रणाली को मांगा जा रहा है। मध्यप्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में संचालित एम.पी. फार्मगेट ऐप प्रदेश की 8 मंडियों (भोपाल, हरदा, इंदौर, देवास, गुना, सागर, जबलपुर एवं सतना) में 01/08/2022 से पायलट के रूप में एंड्राइड ऐप के माध्यम से प्रारंभ किया गया। साथ ही दिनांक 27/09/2022 से उज्जैन मंडी को पायलट योजना में शामिल किया गया है। एम.पी. फार्मगेट ऐप को मध्यप्रदेश की समस्त 259 कृषि उपज मंडी समितियों में संचालन प्रारंभ किया गया है।

उक्त ऐप का उपयोग कर 30 नवम्बर 2025 तक 9,03,946 कृषकों द्वारा 881 लाख क्विंटल विभिन्न कृषि उपज विक्रय की गई है।

कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया के द्वारा उक्त ऐप को CSI SIG e-Governance Award 2022 अंतर्गत नई दिल्ली में Award of Appreciation तथा SKOCH Group New Delhi के द्वारा “स्कोच सिल्वर अवार्ड” वर्ष-2025 प्रदान किया गया है।

फ्लाइंग स्क्वाड ऐप

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए तथा गोदामों के निरीक्षण के लिए एक एंड्राइड बेस्ड एप्लीकेशन का विकास एन.आई.सी. के सहयोग से किया गया है, जिसमें मंडी अधिनियम की धारा 23 के तहत की जाने वाली कार्यवाही को दिनांक 19/02/2024 से एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन पर real-time दर्ज किए जाने की व्यवस्था की गई है।

कृषि निर्यात

निर्यात परिदृश्य- DGCIS पोर्टल से प्राप्त जानकारी अनुसार वित्त वर्ष 2025-2026 में मध्यप्रदेश राज्य से 10,14,245.36 मीट्रिक टन मात्रा एवं राशि रुपये 10,455.24 करोड़ मूल्य की कृषि उपजों का निर्यात किया गया। (DGCIS पोर्टल अनुसार)

तालिका 4.9: अप्रैल 2025 से नवम्बर 2025 की अवधि में कृषि उपज की मात्रा एवं मूल्य

क्रमांक	01 अप्रैल 2025 से 30 नवम्बर 2025	
	कृषि उपज की मात्रा (टन में)	मूल्य (करोड़ में)
1	7.14	5981.34

भौगोलिक सूचकांक परिदृश्य- (01 अप्रैल 2025 से 30 नवम्बर 2025)

4 उत्पादों नागदमन कुटकी, सिताही कुटकी, महाकौशल क्षत्रिय धान एवं बैगनी अरहर का प्रकाशन GI जरनल में किया गया है, जिन्हें आगामी वर्ष में GI टैग प्राप्ति संभावित है।

GI cell द्वारा 03 अन्य उपज Luchai Rice, Sathiya Rice एवं Tharri-Bharri Rice को GI टैग प्राप्ति हेतु GI रजिस्ट्री, चेन्नई में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदनों के परीक्षण एवं निराकरण की कार्यवाही GI रजिस्ट्री, चेन्नई में प्रक्रियाधीन है।

जैविक उत्पादों के विपणन की प्रगति-

वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 (01 अप्रैल 2025 से 30 नवम्बर 2025) के दौरान मंडी समितियों के माध्यम से 6.97 लाख टन जैविक कृषि उपजों का क्रय-विक्रय संपादित किया गया है।

"राष्ट्रीय कृषि बाजार" (e-NAM) योजना

"राष्ट्रीय कृषि बाजार" (e-NAM) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। भारत सरकार की "राष्ट्रीय कृषि बाजार" योजना मध्यप्रदेश में दिनांक 14 अप्रैल 2016 को प्रारंभ हुई है। मध्यप्रदेश में 139 मंडियों को e-NAM योजना में जोड़ा गया है, शेष 120 मंडी समितियों को जोड़े जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

प्रमुख उपलब्धियाँ :

दिनांक 01 अप्रैल 2025 से 30 नवम्बर 2025 की उत्कृष्ट उपलब्धियों का संक्षेप में उल्लेख:

- कुल व्यापार मात्रा:- 90.37 लाख मीट्रिक टन
- कुल व्यापार मूल्य:- 2899.40 करोड़
- कुल पंजीकृत किसानों की संख्या:-220
- कुल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या: 72



कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना

दिनांक 06 अक्टूबर 2023 के पश्चात 1.50 रुपये के स्थान पर मंडी फीस 1.00 रुपये से प्रस्थापित की जाकर विपणन विकास निधि के वर्गीकरण मंत्रालय से प्राप्त नहीं होने से विपणन विकास निधि शून्य है।

(1) कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि

वित्तीय वर्ष 2025-26 (01 अप्रैल 2025 से 30 नवम्बर 2025) की अवधि में इस निधि के अन्तर्गत राशि रुपये 0.21 करोड़ अर्जित किये गये हैं तथा ब्याज मद में राशि ₹ 9.40 करोड़ अर्जित किये गये हैं।

पूर्व वर्षों की जमा राशि से विभिन्न परियोजनाओं के लिए शासन द्वारा गठित समिति की अनुशंसा के अनुसार स्वीकृत परियोजनाओं के लिए विभिन्न संस्थाओं के मांग के आधार पर राशि रुपये 13.88 करोड़ अनुदान स्वरूप प्रदान की गयी है तथा ब्याज मद से राशि रुपये 3.41 करोड़ व्यय की गयी है।

(2) गौ-संरक्षण एवं संवर्धन निधि : राज्य शासन द्वारा दिनांक 2023/10/06 से विपणन विकास निधि शून्य हो जाने से इस निधि में कोई राशि प्राप्त नहीं हो रही है। वर्तमान में मंत्रालय गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड भोपाल को कोई राशि विमुक्त नहीं की गई।

कृषि अवसंरचना निधि (AIF) योजना

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा संचालित कृषि अवसंरचना निधि (AIF) योजना का उद्देश्य देश में कृषि क्षेत्र में बुनियादी अधोसंरचनाओं का निर्माण तथा विकास करना है।

प्रमुख विशेषताएँ:

किसान, FPO, स्टार्टअप, SHG, PAC और कृषि उद्यमी जैसे लाभार्थी 7 वर्षों के लिए 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज सबवेंशन प्राप्त कर सकते हैं।

अनुमेय परियोजनाएँ:

गोदामों, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, सोटिंग एवं ग्रेडिंग इकाइयों, कस्टम हायरिंग सेंटर्स प्रसंस्करण इकाइयों एवं कृषि से संबंधित अन्य परियोजनाओं इत्यादि का निर्माण। उन्नत कृषि पद्धतियों जैसे एरोपोनिक, हाइड्रोपोनिक और ऊर्ध्वाधर खेती इत्यादि।

उपलब्धियाँ: AIF योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश को वर्ष 2025-26 तक राशि ₹ 7440 करोड़ के लक्ष्य भारत सरकार द्वारा आवंटित किए गये हैं, जिसके सापेक्ष मध्यप्रदेश द्वारा इस लक्ष्य की पूर्ति वर्ष 2024-25 में कर ली गई थी अतः राशि ₹ 4500 करोड़ का अतिरिक्त लक्ष्य मध्यप्रदेश को आवंटित किया गया। नवीन लक्ष्य के विरुद्ध मध्यप्रदेश द्वारा राशि ₹ 10076 करोड़ के कुल 18,167 प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं जो कि देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक हैं। इसके अतिरिक्त कुल 17,292 प्रकरणों में राशि ₹ 8293 करोड़ का डिसबर्समेंट किया जा चुका है, जो अन्य राज्यों की तुलना में कहीं अधिक है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में (दिनांक 01 अप्रैल 2025 से 30 नवम्बर 2025 तक की अवधि में) AIF योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश द्वारा राशि ₹ 1309 करोड़ के प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं साथ ही राशि ₹ 837 करोड़ का डिसबर्समेंट किया जा चुका है।

इस महत्वाकांक्षी योजना के देश में सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश राज्य को वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 के लिए भारत सरकार द्वारा "अवार्ड" देकर सम्मानित किया गया है।

मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008

प्रदेश में कृषकों तथा कृषि आधारित रोजगार के माध्यम से जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिये म0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 27-09-2008 से "मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008" लागू की गई है, जिसमें कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना होने पर निम्नानुसार आर्थिक सहायता राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है :-

1. मृत्यु होने पर सहायता राशि रुपये- 4,00,000/-
2. दुर्घटना में स्थाई अपंगता सहायता राशि रुपये- 1,00,000/-
3. दुर्घटना में आंशिक अपंगता सहायता राशि रुपये - 50,000/-
4. अन्त्येष्टि अनुदान राशि रुपये - 4000/-

योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पीड़ित परिवार/आवेदक द्वारा दुर्घटना घटित होने से एक वर्ष की समयावधि में संबंधित जिला कलेक्टर को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर आर्थिक सहायता राशि प्राप्त करने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत प्रकरणों में स्वीकृति एवं भुगतान के पूर्ण अधिकार संबंधित जिला कलेक्टर को है। "मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008" अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-2026 (01 अप्रैल 2025 से 30 नवम्बर 2025 तक) राशि रुपये 14.35 करोड़ (चौदह करोड़ पैंतीस लाख रुपये मात्र) 357 पात्र हितग्राहियों को योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

4.5 पशु पालन एवं डेयरी

- (1) **बजटीय आवंटन (2001-2025)** - प्रस्तुत बार चार्ट की वित्तीय वर्ष 2001 से वर्ष 2025 के दौरान पशुपालन विभाग को आवंटित बजट को दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पशुधन एवं डेयरी विकास के लिए 2483.17 करोड़ रुपये की राशि बजट में प्रावधानित है।
- (2) **दुग्ध:-** दुग्ध उत्पादन में मध्यप्रदेश देश का तीसरा सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए शासन द्वारा विभिन्न उपाय किये गए हैं, जिनके फलस्वरूप दुग्ध उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 के दौरान दुग्ध का उत्पादन क्रमशः 213.26 लाख टन और 225.95 लाख टन है, जो 5.95 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2024-25 में दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 707 ग्राम प्रतिदिन है। प्रजाति-वार प्रदेश के दुग्ध उत्पादन में भैंसों का योगदान कुल दुग्ध उत्पादन में सबसे अधिक लगभग 48 प्रतिशत है, और देशी/ अवर्णित गायों का योगदान लगभग 32 प्रतिशत है।
- (3) **अंडा उत्पादन:-** वर्ष 2024-25 में कुल अंडे का उत्पादन लगभग 3072.72 लाख रहा है, जिसमें वर्ष 2023-24 की तुलना में 7.79 प्रतिशत की कमी हुई है। वर्ष 2024-25 के दौरान प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 35 अंडे प्रति वर्ष रही है।
- (4) **मांस उत्पादन:-** वर्ष 2024-25 में मांस का कुल उत्पादन लगभग 154.41 हजार टन रहा है, जिसमें वर्ष 2023-24 की तुलना में 9.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति मांस की उपलब्धता लगभग 1.76 कि.ग्रा प्रति वर्ष रही। प्रजाति वार प्रदेश में मांस उत्पादन में मुर्गी पालन का सर्वाधिक योगदान लगभग 42 प्रतिशत रहा है, और बकरी पालन का योगदान 28 प्रतिशत है।
- (5) **पशुधन एवं कुक्कुट विकास:-** राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत (केन्द्र प्रवर्तित योजना) हितग्राहियों को उन्नत नस्ल के पशुओं का प्रदाय, नंदीशाला योजना, समुन्नत मुर्गा पाड़ा प्रदाय योजना, पशुधन बीमा योजना



एवं निगम की नवीन योजनाओं में सेक्स सॉर्टेड सीमेन उत्पादन प्रयोगशाला की स्थापना, मैत्री की स्थापना, राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भधान कार्यक्रम (NAIP), रतौना जिला सागर में गोकुल ग्राम की स्थापना, नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना, पशु आहार सयंत्र कीरतपुर (इटारसी) की स्थापना, जबलपुर में डेयरी इस्टेट तथा धार में पोल्ट्री इस्टेट की स्थापना, नौनेर जिला दतिया में सीमेन स्टेशन केन्द्र की स्थापना, आई.व्ही.एफ/ई.टी.टी. प्रायोगशाला की स्थापना की गई है।

(a) डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना

(पशुपालन के माध्यम से ग्रामीण आजीविका संवर्धन योजना)

योजना का उद्देश्य

देश में निरंतर दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की बढ़ती मांग को दृष्टिगत रखते हुए तथा उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास कार्यक्रम (25 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई) की स्थापना की जाना प्रस्तावित है। कार्यक्रम अंतर्गत 25 दुधारू पशुओं की इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। एक इकाई में समस्त गौवंश या समस्त भैंसवंश हो सकेंगे। एक इकाई की अधिकतम सीमा राशि रुपये 42.00 लाख है। वर्ष 2025-26 हेतु बजट प्रावधान 100.72 करोड़ है, जिससे 828 हितग्राही लाभान्वित किए गए हैं। आज दिनांक तक पोर्टल के माध्यम से 3075 आवेदन प्राप्त हैं। राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा 867 प्रकरण अनुमोदित किए गए तथा आज दिनांक 38 प्रकरणों को बैंक द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

योजना हेतु पात्रता

हितग्राही मध्यप्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए। योजना सभी वर्गों के पशुपालकों के लिए होगी। योजना में पशुपालक की आयु 21 वर्ष से ऊपर हो तथा अनुभव हेतु सरकारी या सरकार नामित संस्था से डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से निर्देश जारी किए गए हैं। हितग्राहियों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन देना होगा। हितग्राही के पास प्रत्येक इकाई के लिए न्यूनतम 3.50 एकड़ कृषि भूमि होना आवश्यक है तथा इकाइयों की संख्या अनुपातिक रूप से बढ़ी करते हुए न्यूनतम कृषि भूमि का निर्धारण किया जाएगा। भूमि हेतु परिवार के सामूहिक भूमि खाते भी सम्मिलित हैं, किन्तु इसके लिए अन्य सदस्यों की सहमति आवश्यक होगी। योजनान्तर्गत अधिकतम 8 इकाई की स्थापना की जा सकती है।

सब्सिडी और ब्याज अनुदान

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के हितग्राहियों के लिए परियोजना लागत का 33 प्रतिशत अनुदान तथा अन्य समस्त वर्गों के हितग्राहियों के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अनुदान होगा। अनुदान वितरण की पहली से 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि के अंतर्गत एकमुश्त प्रदान होगा। इस पर हितग्राही को कोई ब्याज नहीं देना होगा तथा हितग्राही अपने ऋण का भुगतान निर्धारित अवधि से पूर्व कभी भी कर सकता है।

(स्रोत: कलेक्टर कॉन्फ्रेंस, मध्यप्रदेश शासन-2025)

(b) गौशालाओं का विस्तार एवं सुदृढीकरण

(गौशाला प्रबंधन)

पशु कल्याण एवं सतत ग्रामीण प्रबंधन के उद्देश्य के अनुरूप राज्य में गौशालाओं के नेटवर्क के विस्तार तथा उनके संचालन की दक्षता बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य निराश्रित गौवंश की उचित देखभाल एवं संरक्षण सुनिश्चित करना तथा समुदाय की सहभागिता को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत गौशालाओं की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ वित्तीय, प्रबंधकीय एवं समुदाय-आधारित सहायता तंत्रों के माध्यम से उनके सुदृढ संचालन पर विशेष बल दिया जा रहा है। छतरपुर एवं अशोकनगर जिलों ने अपने लक्ष्यों का 100 प्रतिशत प्राप्त किया है, जबकि सीधी एवं डिंडोरी जिलों में प्रगति अपेक्षाकृत कम रही है। संभाग स्तर पर नर्मदापुरम संभाग ने सशक्त प्रदर्शन किया है, जबकि शहडोल संभाग को सतत एवं आत्मनिर्भर गौशाला संचालन सुनिश्चित करने हेतु सुधार की आवश्यकता के रूप में चिन्हित किया गया है। (स्रोत: कलेक्टर कॉन्फ्रेंस, मध्यप्रदेश शासन-2025)

- (6) **तरल नत्रजन संयंत्र:-** राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पाँच संयंत्र क्रमशः भोपाल, ग्वालियर इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर तथा बुंदेलखण्ड विशेष पैकेज के तहत सागर में तरल नत्रजन संयंत्रों की स्थापना की गई है। वर्ष 2025-26 में 30 नवम्बर 2025 तक 11.82 लाख लीटर तरल नत्रजन का जिलों में प्रदाय किया गया है।
- (7) **A-HELP योजना:-** विभाग अन्तर्गत वर्ष 2022 से केन्द्र सरकार द्वारा **A-HELP** योजना आरम्भ की गई जिसके अन्तर्गत 1047 पशु सखियों को **A-HELP** का प्रशिक्षण दिया गया व मध्यप्रदेश राज्य हेतु योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना भारत सरकार को प्रेषित की गई है।
- (8) **किसान क्रेडिट कार्ड योजना:-** विभाग अन्तर्गत 1 अप्रैल 2025 से 30 नवंबर 2025 तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना में लक्ष्य के विरुद्ध 83,756 उपलब्धि रही।
- (9) **राष्ट्रीय पशुधन योजना (NLM):-** विभाग अन्तर्गत 1 अप्रैल 2025 से 30 नवंबर 2025 तक राष्ट्रीय पशुधन योजना में कुल 320 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से कुल 216 आवेदन स्वीकृत किये गये।

तालिका 4.10 हितग्राही मूलक योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों की वित्तीय उपलब्धि

(राशि रू.लाख में)

क्रं	योजना का नाम	वर्ष			
		2024-25		2025-26 (30 नवम्बर 2025 तक)	
		प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय
1	अनुदान पर सांड (मुर्ग पाड़ा) प्रदाय	306.45	217.35	384.75	342.00
2	नन्दीशाला योजना	43.20	16.97	27.19	21.21



क्रं	योजना का नाम	वर्ष			
		2024-25		2025-26 (30 नवम्बर 2025 तक)	
		प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय
3	बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई का प्रदाय	199.83	173.65	724.97	557.05
4	अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई का प्रदाय	60.11	20.46	348.17	150.21
5	अनुदान पर कड़कनाथ चूजों का प्रदाय	35.93	13.66	397.71	237.60
6	आचार्य विद्या सागर गौसंवर्धन योजना	820.00	524.70	1557.92	778.96
7	मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम	00	00	2659	10.00
8	मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम	00	00	10.92	3.00
9	डा.भीमराव अम्बेडकर कामधेनू योजना	00	00	100.72	18.68

तालिका 4.11 हितग्राही मूलक योजना के अन्तर्गत पिछले 2 वर्षों के लाभार्थियों की जानकारी

(भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां)

क्रं	योजना का नाम	वर्ष			
		2024-25		2025-26 (30 नवम्बर 2025 तक)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	अनुदान पर सांड (मुर्गा पाड़ा) प्रदाय	681	483	855	760
2	नन्दीशाला योजना	224	88	141	110
3	बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई का प्रदाय	502	439	1950	1498
4	अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई का प्रदाय	3602	1226	20861	9000
5	अनुदानपर कड़कनाथ चूजों का प्रदाय	1089	414	12052	7200
6	आचार्य विद्या सागर गौसंवर्धन योजना	1926	737	2080	1267
7	मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम	0	0	1568	1240
8	मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम	660	640	483	189
9	डा.भीमराव अम्बेडकर कामधेनू योजना	00	00	828	06

तालिका 4.12 गौसेवक प्रशिक्षण की जानकारी

स.क्र.	वर्ष	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धियां	वित्तीय लक्ष्य (लाख)	वित्तीय उपलब्धियां (लाख)
1	2024-25	350 (प्राथमिक प्रशिक्षण)	309 (प्राथमिक प्रशिक्षण)	अनुमान- 32.29 आवंटन- 25.832	21.73 (लाख)
2	2025-26	355 (प्राथमिक प्रशिक्षण) 505 (रिफ्रेशर प्रशिक्षण)	प्रशिक्षणाधीन (प्राथमिक): 228 प्रशिक्षण पूर्ण (प्राथमिक): 44 रिफ्रेशर प्रशिक्षण पूर्ण: 155 रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्रगतिरत: 117	अनुमान- 32.29 आवंटन- 32.29 (29.10.2025 की स्थिति)	9.73 (लाख) (26.11.2025 की स्थिति)

तालिका 4.13 उपचार एवं टीकाकरण

स.क्र.	वर्ष	श्रेणी	लक्ष्य (लाख)	लपलब्धि (लाख) (नवम्बर 2025)
1	2024-25	उपचार	162.00	192.42
		टीकाकरण	700.00	760.88
2	2025-26	उपचार	166.00	102.00
		टीकाकरण	783.00	452.61

एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन

प्रमुख गतिविधियां एवं कार्यक्रम:

वर्ष 1980 में आपरेशन प्लड कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में समन्वित डेयरी विकास की गतिविधियां संचालित करने के लिए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 के अंतर्गत मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ सहकारी मर्यादित (वर्तमान में एम.पी.स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि.) की स्थापना की गई। इसी के साथ आणंद प्रणाली पर आधारित त्रि-स्तरीय सहकारी संस्थाओं का गठन प्रारंभ हुआ।

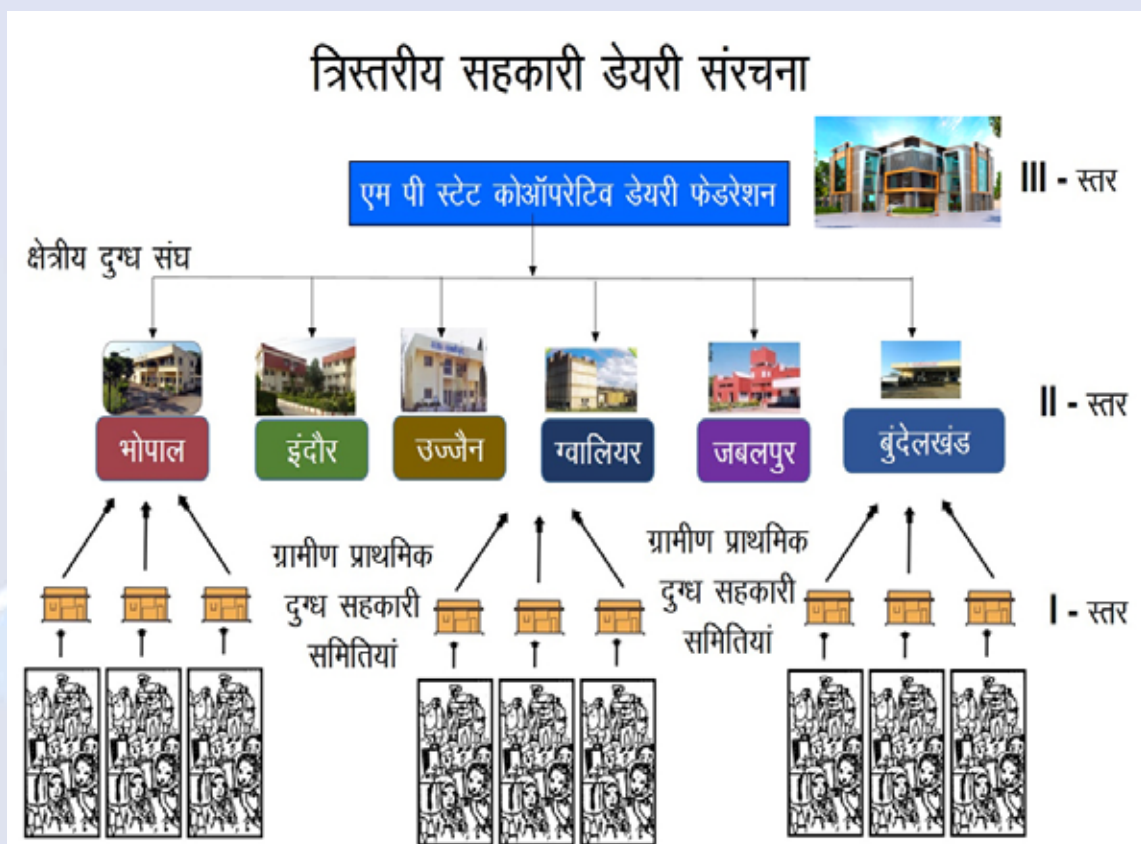
इसके अंतर्गत प्रथम स्तर पर लगभग 7,000 ग्रामीण दुग्ध सहकारी समितियां, द्वितीय स्तर पर 6 सहकारी दुग्ध संघ जिनके मुख्यालय भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर एवं सागर में हैं तथा राज्य स्तर पर एमपी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (एमपीसीडीएफ) कार्यरत हैं।

दुग्ध सहकारी समितियों का प्रमुख कार्य दुग्ध उत्पादको द्वारा उत्पादित दूध के लिए उनके द्वार पर बाजार की उपलब्धता तथा दुग्ध उत्पादकों को विभिन्न सेवाएं यथा पशुओं हेतु कृत्रिम गर्भाधान सेवा, उचित मूल्य पर संतुलित पशु आहार, तकनीकी पशु प्रबंधन प्रशिक्षण, उन्नत चारा बीज की उपलब्धता तथा पशु प्रथमोपचार/टीकाकरण सुविधा उपलब्ध कराना है।

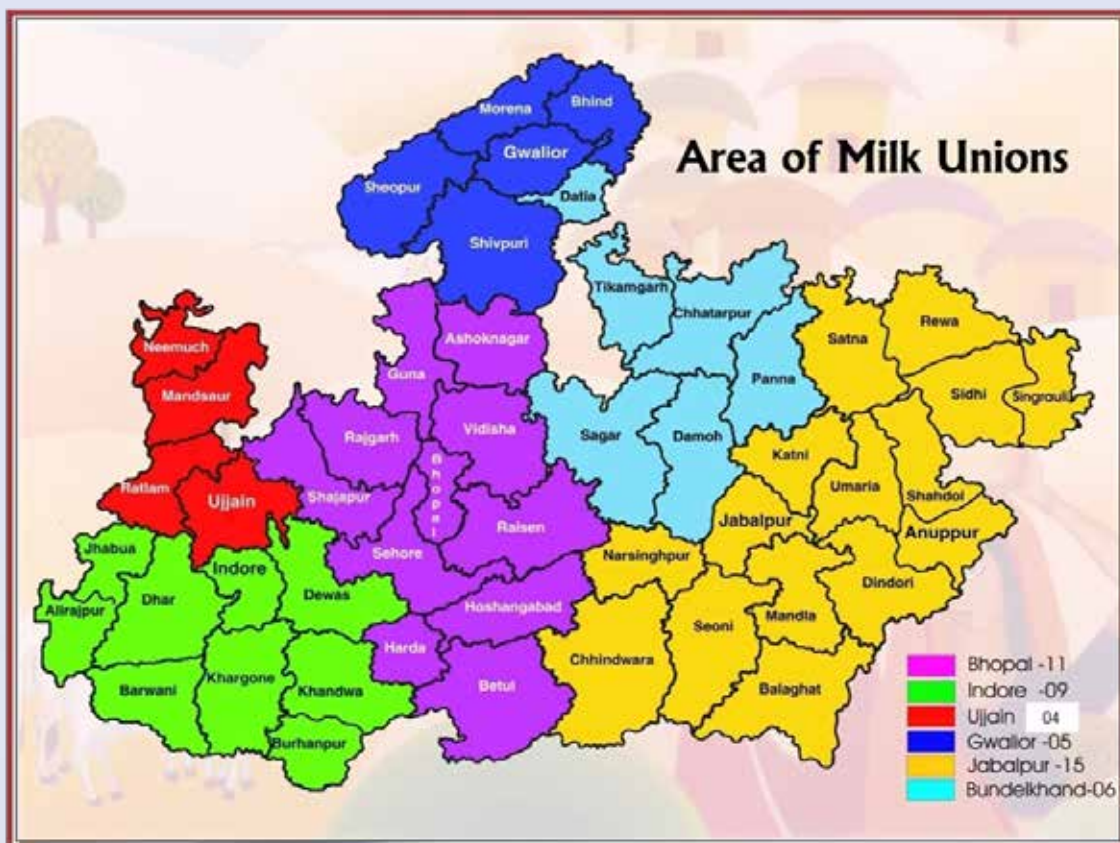


दुग्ध संघों का प्रमुख कार्य दुग्ध सहकारी समिति गठन, दुग्ध क्रय, दुग्ध संसाधन, पैकिंग, दुग्ध उत्पाद निर्माण एवं विक्रय, पशु आहार, मिनरल मिक्सचर की व्यवस्था, दुग्ध उत्पादक सदस्य को मार्गदर्शन व सेवाएं उपलब्ध कराना तथा केन्द्र/राज्य शासन की विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन है।

एमपीसीडीएफ का प्रमुख कार्य राज्य तथा केन्द्र शासन एवं उनकी एजेंसियों के साथ समन्वय, प्रदेश में दुग्ध संघों के माध्यम से सहकारी डेयरी कार्यक्रम का क्रियान्वयन, दुग्ध संघों को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना, तथा दुग्ध संघों का प्रशासनिक नियंत्रण है।



चित्र 4.18 त्रिस्तरीय संरचना



चित्र 4.19-दुध संघों का कार्यक्षेत्र

तालिका 4.14 दुध संघवार जिलो का वर्गीकरण

क्र.	संघ	कुल जिले	सम्मिलित जिले
1	भोपाल दुध संघ	पूर्ण - 10 आंशिक - 02	भोपाल, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, रायसेन, गुना, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, अशोकनगर, एवं जिला शाजापुर (शुजालपुर, कालापीपल तहसील) का कुछ क्षेत्र,
2	इन्दौर दुध संघ	पूर्ण - 9 आंशिक - 02	इन्दौर, देवास, खरगौन, धार (बदनावर तहसील को छोड़कर), बडवानी, झाबुआ, अलीराजपुर, खण्डवा, बुरहानपुर, उज्जैन (तराना तहसील का कुछ क्षेत्र)
3	उज्जैन दुध संघ	पूर्ण - 6 आंशिक - 03	उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर (शाजापुर, मोमन बड़ोदिया, गुलाना, पोलाय कलां, अवंतीपुर बड़ोदिया तहसील) आगर, धार (बदनावर तहसील) व देवास का कुछ क्षेत्र
4	जबलपुर दुध संघ	पूर्ण - 18	जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, रीवा, सतना, मण्डला, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाडा, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, बालाघाट, मउगंज, पांडुर्ना, मैहर
5	ग्वालियर दुध संघ	पूर्ण - 6	ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया

क्र.	संघ	कुल जिले	सम्मिलित जिले
6	बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ	पूर्ण - 6	सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी
कुल जिले		55	

एमपीसीडीएफ एवं दुग्ध संघों के अंतर्गत कार्यरत त्रिस्तरीय संरचना का संचालन प्रदेश के जिलों में किया जा रहा है।

1. सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम : सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विगत पाँच वर्षों की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं-

तालिका 4.15 वर्षों की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ

क्र.	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (नवम्बर 2025)
1	गठित दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	10,268	10,351	10,151	10,475	10,942
2	कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	6,823	6,593	5,941	5,763	6,961
3	कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की सदस्य संख्या	2,39,113	2,29,702	2,24,506	2,07,806	2,19,605
4	दुग्ध संकलन (कि.ग्रा.प्रतिदिन)	9,05,858	8,34,500	10,50,008	8,73,007	8,52,125
5	स्थानीय दुग्ध विक्रय (लीटर प्रतिदिन)	6,71,767	7,16,465	6,98,542	6,69,975	6,68,272
6	पशु आहार विक्रय (मे.टन) (दुग्ध संघ)	1,09,098	97,484	89,605	76,696	43,548
7	कृत्रिम गर्भाधान (संख्या)	5,57,307	5,50,919	5,34,442	4,89,858	2,94,440
8	दुग्ध उत्पादकों को भुगतान (रू. करोड़ में)	1,179.18	1,587.67	1,675.38	1,398.96	993.73
9	विक्रय प्राप्तियाँ (रू. करोड़ में)	1,904.82	2,157.56	2,193.58	2,255.74	1483.37

प्रमुख उपलब्धियाँ

दिनांक 07 जनवरी 2025 को मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के हित में एवं सहकारी प्रणाली और सांची ब्राण्ड का उन्नयन करने के उद्देश्य से एम पी स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन तथा संबद्ध दुग्ध संघों के संचालन एवं प्रबंधन के लिए मध्यप्रदेश शासन, एम पी स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. एवं संबद्ध दुग्ध संघों तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के मध्य सहकार्यता अनुबंध (कोलेबोरेशन एग्रीमेंट) पर सहमति दी जाकर अनुबंध निष्पादित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

दिनांक 13 अप्रैल 2025 को भोपाल में एमपीसीडीएफ एवं संबद्ध दुग्ध संघों तथा एनडीडीबी के मध्य माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार श्री अमित शाह जी एवं डॉ. मोहन यादव, माननीय मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन की गरिमामयी उपस्थिति में कोलेबोरेशन एग्रीमेंट का निष्पादन किया गया।

सहकार्यता अनुबंध की शर्तों के अनुरूप राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा एमपीसीडीएफ एवं दुग्ध संघों में आवश्यकता अनुसार अधिकारियों की पदस्थिती की गई।

दिनांक 13 अप्रैल 2025 को दुग्ध संघों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने तथा 15 अप्रैल 2025 को एमपीसीडीएफ के प्रबंध संचालक ने कार्यभार ग्रहण किया।

वर्ष 2025-26 में नवम्बर 2025 की स्थिति में एमपीसीडीएफ की प्रमुख उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है:-

संकलन

1. प्रदेश में 6,961 दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 5706 समितियां कार्यरत थीं।
2. दुग्ध संघों द्वारा दूध खरीद मूल्यों में ₹ 2.50/- से 8.50/- प्रति लीटर की वृद्धि की गई।
3. दुग्ध उत्पादकों को दूध मूल्य के नियमित एवं समय पर भुगतान हेतु 10 दिन के भुगतान के लिए 5-15-25 की दिनांक निर्धारित की गई।
4. दुग्ध संघों द्वारा दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध क्रय मूल्य के रूप में ₹ 993.73 करोड़ का भुगतान किया गया जो कि गतवर्ष इसी अवधि के ₹ 852.56 करोड़ से 17 प्रतिशत अधिक है।
5. वर्ष के दौरान 08.52 लाख कि.ग्राम प्रतिदिन औसत दुग्ध संकलन किया गया, जो कि गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में 3 प्रतिशत अधिक है।
6. वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,241 समितियों का गठन तथा 635 समितियों का पुनर्जीवन किया गया।
7. दुग्ध संघों द्वारा 6,996 ग्राम स्तरीय विस्तार बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में 77,397 व्यक्तियों द्वारा भाग लिया गया। विस्तार बैठकों में सहकारी डेयरी कार्यक्रम तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई।
8. 2700 नवीन समिति गठन हेतु भारत सरकार से ₹. 31.54 करोड़ के प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त की गई।
9. समिति सुदृढीकरण हेतु भारत सरकार से ₹ 48.76 करोड़ के प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त की गई।

प्रसंस्करण

10. समस्त दुग्ध संघों में गुणवत्ता सुधार, उत्पाद निर्माण में हानि में कमी लाने तथा एक समान उत्पाद निर्माण सुनिश्चित करने हेतु स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर तैयार कर दुग्ध संघों को उपलब्ध कराये गए।
11. इंदौर में 30 में. टन प्रतिदिन क्षमता के दुग्ध चूर्ण संयंत्र का दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया गया।
12. दूध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण हेतु एमपीसीडीएफ में ₹. 16.42 करोड़ की लागत से राज्य स्तरीय अत्याधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रगति पर है। वर्ष के दौरान भारत सरकार से ₹. 4.42 करोड़ के अतिरिक्त प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त की गई।



13. भोपाल दुग्ध संघ में प्रोडक्ट डेयरी की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

विक्रय

14. दूध एवं दुग्ध उत्पादों के विपणन में सुधार हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के स्तर से प्रतिष्ठित विपणन एजेन्सी की नियुक्ति की गई।
15. घी विक्रय विगत वर्ष 3,366 की तुलना में 3,609 हजार कि.ग्राम रहा, जो कि 7.21 प्रतिशत अधिक है।
16. मीठा सुगंधित दूध विक्रय विगत वर्ष 157 की तुलना में 178 हजार लीटर रहा, जो कि 13.45 प्रतिशत अधिक है।
17. पनीर विक्रय विगत वर्ष 217 की तुलना में 258 हजार कि.ग्राम रहा, जो कि 18.57 प्रतिशत अधिक है।
18. सादा दही विक्रय विगत वर्ष 1,400 की तुलना में 1,555 हजार कि.ग्राम रहा, जो कि 11.11 प्रतिशत अधिक है।
19. पेड़ा विक्रय विगत वर्ष 230 की तुलना में 255 हजार कि.ग्राम रहा, जो कि 10.83 प्रतिशत अधिक है।
20. छेना रबड़ी विक्रय विगत वर्ष 125 की तुलना में 133 हजार कि. ग्राम रहा, जो कि 6.55 प्रतिशत अधिक है।
21. मावा विक्रय विगत वर्ष 18770 की तुलना में 20473 कि.ग्राम रहा है, जो 9.07 प्रतिशत अधिक है।
22. मिल्क केक विक्रय विगत वर्ष 32819 की तुलना में 38432 कि.ग्राम रहा है, जो 17.10 प्रतिशत अधिक है।
23. ब्रज पेड़ा विक्रय विगत वर्ष 2683 की तुलना में 3879 किग्राम रहा, जो कि 44.58 प्रतिशत अधिक है।

अन्य

24. एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (एमपीसीडीएफ) के कार्यालय हेतु आइएसओ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया गया।
25. संपूर्ण डेयरी वेल्यू चैन का डिजीटাইजेशन करने के लिए एमपीसीडीएफ, भोपाल, उज्जैन ग्वालियर बुंदेलखंड तथा जबलपुर दुग्ध संघों में NDERP क्रियान्वयन किया गया। इंदौर दुग्ध संघ में फरवरी 2026 में NDERP क्रियान्वयन प्रस्तावित है।
26. दुग्ध संकलन हेतु इंदौर दुग्ध संघ से मोबाइल एप प्रारंभ किया गया है जिसके माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को उनके द्वारा प्रदाय किये गये दूध की मात्रा, गुणवत्ता तथा मूल्य की जानकारी तत्काल प्राप्त हो सकेगी। इससे भुगतान प्रक्रिया भी तेज और पारदर्शी होगी।
27. सभी दुग्ध संघों की परिसंपत्तियों का बीमा कराया गया।

बॉक्स-5 : कड़कनाथ कुक्कुट संरक्षण के माध्यम से सतत आजीविका - झाबुआ जिला



झाबुआ जिले तथा उससे सटे धार जिले के आदिवासी अंचलों में देशी कड़कनाथ कुक्कुट नस्ल का संरक्षण एवं संवर्धन भील एवं भिलाल समुदायों के लिए एक सतत आजीविका मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया है। अपने विशिष्ट काले मांस, अनूठे स्वाद एवं औषधीय गुणों के कारण कड़कनाथ की बाजार में उच्च मांग है, जिससे इसके संरक्षण एवं उत्पादकता संवर्धन की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है।

हस्तक्षेप एवं कार्यप्रणाली: राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना के अंतर्गत कम लागत वाले कुक्कुट शेड, वैज्ञानिक पालन पद्धतियों पर कृषक प्रशिक्षण, संतुलित आहार की उपलब्धता, टीकाकरण एवं रोग प्रबंधन तथा विपणन संपर्कों के लिए सहायता सहित एक समग्र पैकेज लागू किया गया। इस दृष्टिकोण में नस्ल संरक्षण के साथ आय संवर्धन को जोड़ा गया, जिससे यह पहल छोटे एवं सीमांत आदिवासी परिवारों के लिए उपयुक्त सिद्ध हुई।

परिणाम एवं प्रभाव:

- **मृत्यु दर में कमी:** व्यवस्थित टीकाकरण से पक्षियों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ।
- **उत्पादकता में वृद्धि:** 105-120 दिनों में पक्षियों का औसत विक्रय योग्य वजन लगभग 1.10 किलोग्राम तक पहुँचा।
- **आय संवर्धन:** तीव्र वृद्धि चक्र एवं सुनिश्चित बाजार मांग से घरेलू आय में वृद्धि हुई।
- **सततता:** स्थानीय पारिस्थितिकी एवं परंपराओं के अनुरूप समुदाय-आधारित, कम निवेश वाला कुक्कुट पालन तंत्र सुदृढ़ हुआ।

मान्यता: इस पहल को जिला प्रशासन द्वारा सराहना प्राप्त हुई तथा कड़कनाथ मुर्गी पालन समूह, झायड़ा को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया, जो आदिवासी आजीविका सुरक्षा एवं देशी नस्ल संरक्षण में इस मॉडल की सफलता को दर्शाता है। भारत सरकार द्वारा भौगोलिक उपदर्शन के अंतर्गत कड़कनाथ को झाबुआ जिले के नाम से पंजीकृत किया गया है।

Source-Sustainable livelihood through conservation & promotion of Indian high value) poultry race Kadaknath in tribal district Jhabua | NFS

4.6 खाद्य और नागरिक आपूर्ति

मध्यप्रदेश के खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति विभाग ने राज्य भर में खाद्य सुरक्षा, समान वितरण और बढ़े हुए पोषण मानकों को सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और चावल फोर्टिफिकेशन पहल जैसी प्रमुख योजनाओं के माध्यम से, राज्य सरकार ने खाद्य वितरण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों को संबोधित किया है। इस क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन ने राज्य में सामाजिक कल्याण, गरीबी उन्मूलन और समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।



मध्यप्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली समाज के कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा और आवश्यक वस्तुओं की समान पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मध्यप्रदेश ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के तहत पीडीएस को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे राज्य भर में लाखों पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न का कुशल वितरण सुनिश्चित हुआ है। नवंबर, 2025 तक राज्य में 5.36 करोड़ से अधिक पात्र लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत विगत 02 वर्ष में 5.25 करोड़ से अधिक पात्र हितग्राहियों को कुल राशि रु. 22,800 करोड़ का 66.25 लाख मे.टन निःशुल्क खाद्यान्न वितरण उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से कराया गया। अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किलों प्रति परिवार एवं प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को 05 किलो ग्राम प्रति सदस्य प्रति माह खाद्यान्न का वितरण कराया गया।
- भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत निःशुल्क राशन का वितरण हेतु असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों की 29 वी प्राथमिकता श्रेणी सम्मिलित की गई। असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों के 7.25 लाख परिवारों के 25.18 लाख नवीन श्रमिक को पात्रता पर्ची जारी कर निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदाय केन्द्र से उचित मूल्य दुकानों तक मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के 896 परिवहनकर्ताओं द्वारा राशन सामग्री के परिवहन एवं हैण्डलिंग व्यय की राशि का भुगतान की ऑनलाईन व्यवस्था की गई है, इनको प्रतिमाह लगभग राशि 15 करोड़ का प्रतिमाह ऑनलाईन भुगतान किया जा रहा है।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश में संचालित 27,872 उचित मूल्य दुकानों को खाद्यान्न, शक्कर एवं नमक के वितरण पर देय कमीशन राशि के भुगतान की व्यवस्था भी ऑनलाईन की गई है। उचित मूल्य दुकानों को प्रतिमाह लगभग राशि 25 करोड़ का ऑनलाईन भुगतान किया जा रहा है।
- उचित मूल्य दुकानों पर समय पर राशन सामग्री के प्रदाय हेतु 39 विकासखण्डों में नवीन प्रदाय केन्द्र खोले गए इस प्रकार प्रदेश में 269 से बढ़कर 308 पीडीएस के प्रदाय केन्द्र हो गए हैं। नवीन प्रदाय केन्द्र खोलने से राशन सामग्री के प्रदाय में समय एवं राशि की बचत हुई है।

चावल फोर्टिफिकेशन (आवंटन और वितरण)

- राइस फोर्टिफिकेशन एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य मध्यप्रदेश में कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का मुकाबला करना है। फोर्टिफिकेशन चावल को आईसीडीएस, मिड-डे मील कार्यक्रम और अंत्योदय योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं में एकीकृत करने, राज्य ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण संबंधी परिणामों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। फोर्टिफिकेशन चावल का आवंटन और वितरण राज्य के सभी जिलों में किया जा रहा है। निम्नलिखित स्कीमों के तहत पुष्ट चावल प्रदान किया जाता है।
 - खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)
 - कल्याण संस्थान और छात्रावास योजना
 - एकीकृत बाल विकास सेवाएं (ICDS)
 - दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना

➤ मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (एमडीएम)

➤ यह सुनिश्चित करता है कि इन सभी योजनाओं में पोषण परिणामों को बढ़ाने के लिए फोर्टिफिकेशन चावल का आवंटन एवं वितरण शामिल है।

समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद

- विगत 05 वर्षों में समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिये पंजीबद्ध किसानों तथा उनसे उपार्जित गेहूं एवं धान की जानकारी इस प्रकार है:-

तालिका 4.16 गेहूं की खरीद (संख्या लाख में और मात्रा लाख मेट्रिक टन में)

वर्ष	खरीद केंद्र	पंजीकृत किसान	किसानों से खरीद	कुल खरीद	भुगतान की गई राशि (करोड़ में)
2021-22	4663	24.72	17.25	128.15	25301.62
2022-23	4223	19.81	5.91	46.03	9271.42
2023-24	3824	16.99	7.92	70.96	15008.66
2024-25	3694	17.23	6.13	48.38	11607.59
2025-26	3623	15.44	9.05	77.74	20213.67

- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन पर राशि ₹ 125 प्रति क्विंटल का बोनस देकर ₹ 2400 में गेहूं का उपार्जन किया गया है, जिस पर राशि ₹ 605 करोड़ का भुगतान किसानों को अतिरिक्त रूप से किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन पर राशि ₹. 175 प्रति क्विंटल का बोनस देकर ₹ 2600 में गेहूं का उपार्जन किया गया है, जिस पर राशि ₹ 1360 करोड़ का भुगतान किसानों को अतिरिक्त रूप से किया गया है।

तालिका 4.17 धान खरीद (संख्या लाख में और मात्रा लाख मेट्रिक टन में)

वर्ष	खरीद केंद्र	पंजीकृत किसान	किसानों से खरीद	कुल खरीद	भुगतान की गई राशि (करोड़ में)
2020-21	1424	7.24	5.89	37.26	6957.08
2021-22	1558	8.37	6.61	45.82	8835.96
2022-23	1542	7.46	6.47	46.29	9377.81
2023-24	1412	7.29	6.05	42.14	9189.48
2024-25	1398	7.74	6.69	43.52	10011.66

- खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित 43.52 लाख मेट्रिक टन धान की मिलिंग निर्धारित समय में पूर्ण कराई गई।
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित 43.52 लाख मेट्रिक टन धान में से 90 प्रतिशत धान की मिलिंग पूर्ण कराई जा चुकी है। धान मिलिंग की अवधि दिनांक 15.01.2026 नियत है।
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान मिलिंग से प्राप्त चावल में से 9.64 लाख मेट्रिक टन चावल का केन्द्रीय पूल में रिकार्ड परिदान किया गया।



भण्डारण क्षमता

- मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन के स्वयं एवं BoT अंतर्गत कुल भण्डारण क्षमता 30.66 लाख मे.टन है प्रदेश में कुल भण्डारण क्षमता 431.24 लाख मे.टन है जो कि देश में सर्वाधिक है।
- संस्थावार भण्डारण क्षमता इस प्रकार है-

तालिका 4.18 संस्थावार भण्डारण क्षमता

क्र.	एजेंसी का नाम	भंडारण क्षमता (लाख मे. टन में)
1	मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन	25.60
2	MPWLC बीओटी	05.06
3	भारतीय खाद्य निगम	04.18
4	मार्कफेड	07.69
5	केन्द्रीय भंडारण निगम	05.82
6	मंडी बोर्ड	04.41
7	आईलफेड	01.63
8	लघुवनोपज संघ	04.77
9	कोऑपरेटिव	09.27
10	प्रायवेट पीईजी	00.05
11	जेव्हीएस	351.00
12	स्टील सायलो	04.50
13	अन्य निजी	07.26
योग		431.24

गोदामों में भण्डारित स्कंध: मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन द्वारा वर्ष 2024-25 में 91.30 लाख मे.टन एवं वर्ष 2025-26 में 85.25 लाख मे.टन स्कंध का भण्डारण किया गया है।

- वर्तमान में गोदामों में 119 लाख मे.टन स्कंध भण्डारित है।

तालिका 4.19 गोदामों में स्कंध भण्डारित

गेहूँ	86.36 लाख मे.टन
मूंग	13.50 लाख मे.टन
चावल	8.80 लाख मे.टन
दलहन	5.40 लाख मे.टन
तिलहन	0.73 लाख मे.टन

धान	3.40 लाख मे.टन
अन्य	0.84 लाख मे.टन
कुल	119.03 लाख मे.टन

- मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन की गतिविधियों की रियल टाईम मॉनिटरिंग के लिए माईश्वर एप, फ्यूमिगेशन एप तथा इन्स्पेक्शन एप विकसित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री लाडली बहना एवं प्रधानमंत्री उज्जवला योजना

- मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत सम्मिलित 03 लाख महिलाओं एवं प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की कनेक्शनधारी 25 लाख महिलाओं को प्रतिमाह रु. 450/- में रिफिल उपलब्ध कराई जा रही है, जिस पर प्रतिमाह लगभग राशि रु. 45 से 50 करोड़ का अनुदान महिलाओं के खाते में सीधे भुगतान किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत सम्मिलित महिलाओं एवं प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की कनेक्शनधारी महिलाओं को विगत 02 वर्ष में 616.97 लाख रिफिल प्रदाय कर 911.32 करोड़ राशि का अनुदान का भुगतान किया गया है।

शहरी गैस वितरण (सीजीडी)

- मध्यप्रदेश शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति 2025 दिनांक 14 फरवरी 2025 को लागू की गई।
- सीजीडी कम्पनियों के लिए जिला स्तर से अपेक्षित NOC जारी करने हेतु सिंगल विण्डो पोर्टल का शुभारंभ दिनांक 25 सितंबर 2025 को किया गया।

तालिका 4.20 शहरी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति के अंतर्गत प्रगति

भौगोलिक क्षेत्र	जिले	पीएनजी आरबी (न्यूनतम कार्य कार्यक्रम)			
		लक्ष्य		पूर्ति	
		PNG	CNG	PNG	CNG
25	55	59.71 लाख	1207	3.51 लाख	403

PDS के हितग्राहियों का eKYC

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित 536.23 लाख हितग्राहियों में से 02 वर्ष पूर्व तक 331.36 लाख हितग्राहियों के eKYC किए गए थे जो वर्तमान में बढ़कर 497.08 (93%) लाख हो गए हैं, इस प्रकार 165.72 लाख नवीन हितग्राहियों के eKYC किए गए।
- पात्र हितग्राहियों के बायोमेट्रिक के साथ साथ प्रथम बार मेरा eKYC एप से फेस ऑथेंटिकेशन द्वारा eKYC की व्यवस्था की गई।
- प्रतिक्षारत लगभग 14 लाख नवीन हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी कर निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है।

मानव संसाधन विकास खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की योजनाओं के संबंध में 554 अधिकारियों/कर्मचारियों को नरोन्हा अकादमी/वाल्मी में आवासीय प्रशिक्षण दिया गया।



- शासकीय सेवकों की क्षमता बढ़ाने हेतु आनंद विभाग के अल्पविराम पाठ्यक्रम का 870 अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण दिलाया गया।
- मिशन कर्मयोगी अंतर्गत iGOT पोर्टल पर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कुल 13,164 ऑनलाईन कोर्स किया गया।
- जिला आपूर्ति अधिकारियों एवं संचालनालय के वरिष्ठ अधिकारियों की ऑनलाईन PAR लिखने की व्यवस्था लागू की गई।

नापतौल

- मध्यप्रदेश द्वारा वर्ष 2023-24 में राशि रु. 22.30 करोड़ आय अर्जित की गयी।
- वर्ष 2024-25 में राशि रु. 23.34 करोड़ आय अर्जित की गयी।
- वर्ष 2023-24 में 5676 प्रकरण पंजीबद्ध कर रु. 1.89 करोड़ राजीनामा राशि वसूल की गयी।
- वर्ष 2024-25 में 6021 प्रकरण पंजीबद्ध कर रु. 2.54 करोड़ राजीनामा राशि वसूल की गयी।

जन पोषण केन्द्र

- आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने एवं लाभार्थियों के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए इन्दौर जिले की 30 उचित मूल्य दुकानों को "जन पोषण केंद्र" रूप में उन्नयन किया गया। भविष्य में अन्य दुकानों को भी "जन पोषण केंद्र" के रूप में उन्नयन किया जावेगा।

मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम

- मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के मोबाईल पर SMS द्वारा राशन प्रदाय/वितरण की निम्नानुसार सूचना देने का प्रावधान किया गया है:-
 - प्रदाय केन्द्र से उचित मूल्य दुकान पर प्रेषित करने के पश्चात्।
 - उचित मूल्य दुकान पर राशन पहुंचने पर।
 - पात्र परिवार द्वारा उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त करने के उपरांत।
- राशन वितरण उपरान्त पीओएस मशीन से जारी पावती हितग्राही को प्रदाय का प्रावधान किया गया।
- 26 जनवरी एवं 02 अक्टूबर को आयोजित ग्रामसभा में वितरित राशन की मात्रा एवं हितग्राहियों की सूची का वाचन का प्रावधान किया गया।
- दिनांक 02.10.2025 को ग्राम सभा में वाचन भी कराया गया।

रूट ऑप्टिमाइजेशन

- मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत के परिवहनकर्ताओं का रूट ऑप्टिमाइजेशन किया गया, जिससे परिवहन लागत में सरकार को राशि रु. 42 लाख की प्रतिमाह बचत हुई। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के वाहनों में जीपीएस के माध्यम से स्टेट लेवल कमाण्ड कंट्रोल सेंटर से मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई।

4.7 मत्स्यपालन से विकास

वर्तमान समय में मत्स्य पालन की स्वरोजगार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में कृषि, वानिकी एवं पशु पालन की तुलना में मत्स्य पालन की ग्रोथ दर सबसे ज्यादा है। बढ़ती आबादी, बेरोजगारी तथा पौष्टिक आहार

की कमी को देखते हुये मत्स्यपालन व्यवसाय से जहाँ एक और रोजगार मिलता है वहीं दूसरी और कम लागत से स्थानीय रूप से प्रोटीन युक्त भोज्य प्रदार्थ मिलता है। यह मछुआरों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करता है। इन संभावनाओं को देखते हुये राज्य में मत्स्य पालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य के गांधी सागर, बरगी तथा इंदिरा सागर जैसे बड़े बाँधों से निकाली गई मछलियाँ राज्य के बाहर भी लोगों की पसंद बनीं हुई है।

वर्ष 2024-2025 की स्थिति अनुसार राज्य में 4.43 लाख हेक्टर जलक्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से 4.41 लाख हेक्टर जलक्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, जो कुल उपलब्ध जलक्षेत्र का 99 प्रतिशत है।

मत्स्यबीज उत्पादन:- वर्ष 2024-2025 में 23509 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्यबीज उत्पादन के लक्ष्य के विरुद्ध 21776.68 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्यबीज का उत्पादन हुआ जो लक्ष्य का 92.63 प्रतिशत है। वर्ष-2025-26 में 24564 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्यबीज के लक्ष्य के विरुद्ध माह नवम्बर 2025 तक 21828.96 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्यबीज का उत्पादन हुआ है, जो लक्ष्य का 88.87 प्रतिशत है।

मत्स्योत्पादन:- वर्ष 2024-25 में समस्त स्रोतों से 4,50,000 टन मत्स्योत्पादन के लक्ष्य के विरुद्ध 4,45,364.08 टन मत्स्य उत्पादन हुआ जो लक्ष्य का 98.97 प्रतिशत है। वर्ष-2025-26 में समस्त स्रोतों से 5,00,044 टन मत्स्योत्पादन के लक्ष्य के विरुद्ध माह नवम्बर 2025 तक 3,00,779.29 टन मत्स्योत्पादन किया गया जो लक्ष्य का 60.15 प्रतिशत है।

मछुआ सहकारिता:- प्रदेश में वर्ष 2024-25 तक कुल 2641 मछुआ सहकारी समितियाँ 99,951 सदस्य थे इन पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों में 56 समितियाँ महिलाओं की है, जिनकी सदस्य संख्या 1974 है।

वंशानुगत मछुआरों/अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए नवीन मछुआ नीति के अनुसार मछली पालन के लिए उन्हें दस वर्ष की लम्बी अवधि के लिए सिंचाई/ग्रामीण जलाशय/तालाब पट्टे पर दिए जाने का प्रावधान है। वर्ष-2024-25 में माह मार्च 2025 तक 4409.78 हे० जलक्षेत्र के 94 जलाशय 92 मछुआ सहकारी समितियों (3180 सदस्यों) एवं 584.76 हे० जलक्षेत्र के 21 जलाशय 21 मछुआ समूहों (257 सदस्यों) को नवीन/पुनः आवंटित किये गये हैं। वर्ष-2025-26 में माह नवम्बर 2025 तक 4431.36 हे० जलक्षेत्र के 61 जलाशय 53 मछुआ सहकारी समितियों (2708 सदस्यों) एवं 586.44 हे० जलक्षेत्र के 28 जलाशय 28 मछुआ समूहों (347 सदस्यों) को नवीन/पुनः आवंटित किये गये हैं।

मछुआ शिक्षण प्रशिक्षण:- मछुआरों को मत्स्य पालन का उन्नत तकनीकी ज्ञान प्रदाय करने हेतु विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष- 2025-26 में विभाग द्वारा 3847 मछुआरों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य रखा गया था। माह मार्च 2025 तक विभाग द्वारा 2978 मछुआरों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष- 2025-26 में 3082 मछुआरों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है, माह नवम्बर 2024 तक 3291 मछुआरों को प्रशिक्षित किया गया है।

किसान क्रेडिट कार्ड:- खेती-किसानों के समान मत्स्य कृषकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड शून्य प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर बैंक ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु जारी किये जा रहे हैं। वर्ष-2024-25 में 14578 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये। वर्ष-2025-26 में माह नवम्बर 2025 तक 8734 क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं। योजना प्रारम्भ से माह नवम्बर 2025 तक 124416 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जाने में मध्यप्रदेश का वर्ष 2024 में देश में द्वितीय स्थान रहा।

बचत-सह-राहत:- मध्यप्रदेश नदीय (मत्स्योद्योग) नियम 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि



मछलियों का प्रजनन काल होने के कारण मत्स्याखेट कार्य प्रतिबन्धित होता है। इस प्रतिबन्धित काल में मछुआरों की आजीविका निर्वहन हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के अंशदान से बचत-सह-राहत योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष-2017-18 में मत्स्य पालको को बचत राशि रुपये 1500/- राज्य शासन एवं केन्द्र शासन प्रत्येक का अंशदान रु 1500-1500/- योग 3000 कुल एवं हितग्राही अंश राशि रुपये 1500 कुल राशि रु 4500/- दो माह में मछुआरों को प्रदाय किए जाना भारत शासन की नील क्रान्ति योजना अंतर्गत शुरू किया गया। वर्ष- 2020-21 से इस योजना को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत शामिल किया गया है।

वर्ष - 2024-25 में 11618 हितग्राहियों के खाते में राशि जमा करने हेतु रुपये 348.55 लाख के विपक्ष में 32.41 लाख की राशि व्यय की गई शेष राशि का आवंटन वर्तमान में प्राप्त हुआ है। राशि भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में हैं। वर्ष- 2025-26 में बचत-सह-राहत योजना में 13056 हितग्राहियों को आवंटित किये जाने हेतु रुपये 391.68 लाख की मांग के विपक्ष में भारत शासन से अभी राशि प्राप्त नहीं हुई हैं।

रोजगार सृजन:- वर्ष 2024-25 में 2400 लाख मानव दिवसों के रोजगार सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध 753.66 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया। वर्ष 2025-26 में 2400 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन लक्ष्य के विपक्ष में माह नवम्बर 2025 तक 482.52 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है।

योजना

- नदी समृद्धि योजना:-** मत्स्योत्पादन बढ़ाने के लिये राज्य में स्थित संपूर्ण जलसंसाधनों का उपयोग करने के उद्देश्य से योजना अंतर्गत नदियों में मत्स्य बीज संचयन होने से नदियों के मत्स्य भंडार की पूर्ति के साथ-साथ नदियों के किनारे रहने वाले मछुआरों को जिनकी आजीविका मत्स्य व्यवसाय पर निर्भर है, रोजगार का साधन उपलब्ध होते हैं। नदियों में प्रचुर मात्रा में मत्स्यबीज संचयन किये जाने से प्राकृतिक रूप से मत्स्य प्रजनन से नदियों के भंडार में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। प्रदेश में वर्ष 2024-25 में नदियों के गहरे दहों में 272.00 लाख मानक फ्राय मत्स्य बीज का संचयन किया गया तथा वर्ष 2025-26 में माह नवम्बर 2025 तक 153.28 लाख मानक फ्राय मत्स्यबीज का संचय किया जा चुका है।
- मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना** मंत्रिपरिषद निर्णय दिनांक 09.11.2022 के अनुक्रम में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लिये शतप्रतिशत राज्य शासन की निधि से मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना संचालित की गई। जिसे वर्ष 2025-26 तक निरंतर रखे जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया। योजना के तहत हितग्राही मूलक /अनुदान प्रावधानिक कार्यक्रम में सभी वर्ग के हितग्राहियों को 40 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया। उक्त योजना में निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित है:-

a) ग्रामीण तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन /उत्पादन

कार्यक्रम अन्तर्गत एन.आर.एल.एम.स्व सहायता समूह एवं मछुआ सहकारी समिति के द्वारा मत्स्य बीज संवर्धन / उत्पादन कार्य किया जा सकता है। इसकी इकाई लागत राशि रुपये 2.00 लाख प्रति हेक्टेयर निर्धारित है, उस पर 40 प्रतिशत अनुदान राशि रुपये 0.80 लाख डी.बी.टी. के माध्यम से हितग्राही को प्रदान की जाती है, योजना में प्रति हितग्राही 1 हेक्टेयर में अनुदान की पात्रता है, जबकि समिति/समूह की स्थिति में अधिकतम 2 हेक्टेयर जलक्षेत्र में अनुदान की पात्रता है। वर्ष 2024-25 में 99 हेक्टेयर में 79.14 लाख एवं वर्ष 2025-26 में माह नवम्बर 2025 तक 114.21 हेक्टेयर में 91.37 लाख का मत्स्यबीज अनुदान योजना अंतर्गत प्रदाय किया गया है।

b) ग्रामीण तालाबों में झींगा पालन

कार्यक्रम अंतर्गत एन.आर.एल.एम. स्व-सहायता समूह, मछुआ समूह एवं मछुआ सहकारिता समिति के द्वारा झींगा पालन का कार्य किया जा सकता है। इस हेतु इकाई लागत राशि रुपये 4.00 लाख प्रति हेक्टेयर निर्धारित है, उस पर 40 प्रतिशत अनुदान राशि रुपये 1.60 लाख डी.बी.टी. के माध्यम से हितग्राही को प्रदान की जाती है। योजना में प्रति हितग्राही 1 हेक्टेयर में अनुदान की पात्रता है, जबकि समिति/समूह की स्थिति में अधिकतम 2 हेक्टेयर जलक्षेत्र में अनुदान की पात्रता है। योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 622 हेक्टेयर में 995.67 लाख एवं वर्ष 2025-26 में नवम्बर 2025 तक 360 हेक्टेयर में 575.84 लाख का झींगा संचय पर अनुदान हितग्राहियों को प्रदाय किया जा चुका है।

c) मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण-

कार्यक्रम अन्तर्गत मत्स्य पालकों को मत्स्यबीज उत्पादन/मत्स्य/झींगा उत्पादन की उन्नत तकनीक का 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का प्रावधान है। इस हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी राशि रुपये 2700/- प्रावधानित है जिसमें प्रशिक्षणार्थी को निवास स्थान से प्रशिक्षण स्थल तक एक बार आने जाने का वास्तविक किराया, प्रशिक्षण अवधि में स्वल्पाहार एवं भोजन आदि की व्यवस्था में व्यय किए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2025-26 में 1604 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण हेतु 43.30 लाख एवं वर्ष 2025-26 में माह नवम्बर 2025 तक 1101 मत्स्य पालकों के प्रशिक्षण पर 29.72 लाख का व्यय किया गया है।

किसान क्रेडिट कार्ड ब्याज अनुदान-

कार्यक्रम अन्तर्गत सभी वर्ग के मत्स्य कृषकों को सहकारी बैंकों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का प्रावधान है। वर्ष 2024-25 में अपेक्स बैंक भोपाल को रुपये 25.29 लाख एवं वर्ष 2025-26 में रुपये 28.29 लाख का ब्याज पर अनुदान का भुगतान किया गया है।

d) स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना -

कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश में मछली व्यवसायियों तथा उपभोक्ताओं को हाइजेनिक कंडीशन में मछली क्रय एवं विक्रय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना किए जाने का प्रावधान है। योजना में स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना हेतु इकाई लागत रुपये 5.00 लाख प्रावधानित है जिसका क्रियान्वयन नगरीय निकायों के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2024-25 में 556 स्मार्ट फिश पार्लर निर्माण हेतु रुपये 2780 लाख एवं वर्ष 2025-26 में माह नवम्बर 2025 तक 561 मत्स्य पार्लर निर्माण हेतु रुपये 2805 लाख की राशि जिला अधिकारियों के माध्यम से जिलों के स्थानीय निकायों को निर्माण हेतु प्रदाय की गयी है।

e) राज्य मछली महाशीर का संरक्षण -

कार्यक्रम अंतर्गत विलुप्त हो रही राज्य मछली महाशीर के संरक्षण हेतु मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ के माध्यम से महाशीर उत्पादन/अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रावधान है जिसके माध्यम से सर्वप्रथम प्राकृतिक स्रोतों से महाशीर प्रजाति के मत्स्यबीज एवं प्रजनकों का संग्रहण, प्रक्षेत्रों पर इनका संवर्धन करते हुए प्रजनक भंडारण, तीन वर्ष की आयु होने पर प्रजनकों से प्रजनन, उत्पादित मत्स्यबीज का नियंत्रित अवस्था में संवर्धन, संचय योग्य आकार विकसित होने पर जलाशयों एवं



नर्मदा नदी में संचयन, मत्स्योद्योग की उन्नत तकनीक से मछुओं को प्रशिक्षित करना आदि कार्य किया जाना प्रावधानित है। वर्ष 2025-26 में राशि रूपये 100.00 लाख का भुगतान म.प्र. मत्स्य महासंघ को कार्यक्रम संचालन हेतु राशि प्रदाय की गई है।

3. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, (केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं)-

वर्ष:- 2020-21 से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का क्रियान्वयन भारत शासन द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत वर्ष-2021-22 में योजनान्तर्गत राशि रूपये 17518.57 लाख की स्वीकृति दी गई है जिसमें केंद्रांश राशि रूपये 5,423.97 लाख एवं राज्यांश राशि रूपये 3672.17 लाख तथा हितग्राहि अंश 8422.43 लाख प्रावधानिक है, तथा प्रथम किस्त के रूप में राशि रूपये 2712.00 लाख की राशि भारत शासन से प्राप्त हुई है। वर्ष-2022-23 में योजनान्तर्गत राशि रूपये 17329.87 लाख की स्वीकृति दी गई है जिसमें केंद्रांश राशि रूपये 5499.40 लाख एवं राज्यांश राशि रूपये 3718.79 लाख तथा हितग्राहि अंश 8111.68 लाख प्रावधानिक है।

योजनान्तर्गत योजना प्रारम्भ से वर्ष- 2024 तक कुल केन्द्रांश राशि रूपये 154.40 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है जिसके विपक्ष में केंद्रांश राशि रूपये 124.75 करोड़ जारी की गई तथा राज्यांश राशि रूपये 84.22 करोड़ है।

भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के मुख्य बिन्दु: भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना दिनांक 20.05.2020 को लागू की गई जिसकी ऑपरेशनल गाइडलाइन दिनांक 24.06.2020 को जारी की गई।

4. भारत शासन कृषि मंत्रालय नई दिल्ली से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) अंतर्गत मत्स्यपालन की योजनाएं क्रियान्वित हैं। इकाई लागत हेतु हितग्राही स्वयं के व्यय एवं बैंक ऋण ले सकता है। भारत सरकार द्वारा योजना स्वीकृति उपरांत ही अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग तथा महिला हितग्राहियों तथा उनकी सहकारी समितियों को 60% एवं सामान्य वर्ग हितग्राहियों को 40% अनुदान देय है।

i. पुनःपरिसंचरणीय जलकृषि की प्रणाली (RAS)

योजना अंतर्गत RAS की स्थापना हेतु हितग्राही को स्वयं की भूमि पर निर्मित कराने होंगे जिसमें पानी, बिजली, पानी के शुद्धिकरण की समुचित व्यवस्था होना आवश्यक है।

- 8 टैंक (Large RAS) 90 घन मीटर/टैंक, जिससे 40 टन/मत्स्य उत्पादन अपेक्षित है। निर्माण लागत रू. 50.00 लाख प्रावधानित है। एक व्यक्ति को अधिकतम 1 इकाई।
- 6 टैंक (Medium RAS) 30 घन मीटर/टैंक, जिससे 10 टन/मत्स्य उत्पादन अपेक्षित है। निर्माण लागत रू. 25.00 लाख प्रावधानित है। एक व्यक्ति को अधिकतम 1 इकाई।
- 1 टैंक (Small RAS) 100 घन मीटर जिसकी निर्माण लागत रू. 7.50 लाख प्रावधानित है। एक व्यक्ति को अधिकतम 1 इकाई।
- बैकयार्ड (Mini RAS) जिसकी निर्माण लागत रू. 0.50 लाख प्रावधानित है।

योजनान्तर्गत सभी वर्ग के मत्स्यपालक पात्र होंगे। भूमि के संबंध में आवश्यक दस्तावेज-नक्शा, खसरा, निर्माण कार्य तकनीकी अमले की देख-रेख में होगा। हितग्राही किसी बैंक/वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो। आवर्ती व्यय बैंक ऋण/स्वयं हितग्राही को वहन करना होगा।

ii. बायोफ्लॉक (Bioflock) की स्थापना

योजना अंतर्गत बायोफ्लॉक स्वयं की भूमि पर निर्मित कराने होंगे जिसमें पानी, बिजली, पानी के शुद्धिकरण की समुचित व्यवस्था होना आवश्यक है।

- 50 टैंक (4 मीटर व्यास एवं 1.5 मीटर ऊँचाई) जिससे 40 टन/मत्स्य उत्पादन अपेक्षित है। लागत रू. 50 लाख प्रावधानित है। एक व्यक्ति को अधिकतम 1 इकाई।
- 25 टैंक (4 मीटर व्यास एवं 1.5 मीटर ऊँचाई) जिससे 10 टन/मत्स्य उत्पादन अपेक्षित है। लागत रू. 25 लाख प्रावधानित है। एक व्यक्ति को अधिकतम 1 इकाई।
- 7 टैंक (4 मीटर व्यास एवं 1.5 मीटर ऊँचाई) जिससे 6 टन/मत्स्य उत्पादन अपेक्षित है। लागत रू. 7.50 लाख प्रावधानित है। एक व्यक्ति को अधिकतम 1 इकाई।
- योजनान्तर्गत सभी वर्ग के मत्स्यपालक पात्र होंगे। भूमि के संबंध में आवश्यक दस्तावेज-नक्शा, खसरा, निर्माण कार्य तकनीकी अमले की देख-रेख में होगा। हितग्राही किसी बैंक/वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो। आवर्ती व्यय बैंक ऋण/स्वयं हितग्राही को वहन करना होगा।

पोण्ड बायोफ्लॉक की स्थापना इनपुट्स सहित

पोण्ड बायोफ्लॉक की स्थापना पर हितग्राही को 0.1 हेक्टेयर के यूनिट हेतु रूपये 14.00 लाख प्रावधानित है। योजना अंतर्गत 0.1 हेक्टेयर की 2 यूनिट/हितग्राही सीमित है, हितग्राही संख्या अधिक होने पर 0.1 हेक्टेयर की 2 यूनिट के गुणांक पर अधिकतम 20 यूनिट तक सीमित है।

सहकारी समिति, समूह, स्व-सहायता समूह अथवा संयुक्त देयता समूह क्लस्टर बनाकर भी योजना का लाभ ले सकते हैं।

iii. केज कल्चर: योजना अंतर्गत जलाशय में केज/पेन के निर्माण एवं स्थापना पर केवल प्रथम उपज हेतु (मत्स्यबीज, आहार, उर्वरक, दवाईयाँ, परिवहन) रू. 3 लाख प्रावधानित है।

जलाशय में जिस स्थान पर केज लगाया जाना हो वहां पर जल के स्तर की गहराई ग्रीष्म ऋतु में भी 20 फीट न्यूनतम होना चाहिए, जिससे प्रति केज 4 से 5 टन पंगेशियस मत्स्य उत्पादन प्राप्त हो। एक केज जिसका आकार 6x4x4 मीटर हो। एक व्यक्ति को अधिकतम 10 केज, यदि समूह है तो 4 केज प्रति सदस्य, समूह के सदस्यों के मान से दिये जा सकते हैं। जलाशय में एक व्यक्ति को 18 केज तथा समूह या समिति को अधिकतम 72 केज दिये जा सकते हैं। समूह या समिति के एक सदस्य को अधिकतम 06 केज के मान से दिये जा सकते हैं।

पेन कल्चर

योजना अंतर्गत जलाशय में पेन के निर्माण एवं स्थापना पर केवल एक बार रू. 3 लाख प्रावधानित है। एक व्यक्ति को अधिकतम 02 हेक्टेयर समूह/समिति को अधिकतम 20 हेक्टेयर में स्थापना हेतु अनुदान दिये जाने का प्रावधान है तथा समूह/समिति में प्रत्येक सदस्य को 2 हेक्टेयर के गुणांक से दिया जाना है।

सर्कुलर हैचरी निर्माण

सर्कुलर हैचरी की स्थापना हितग्राही स्वयं के 2 हेक्टेयर जलक्षेत्र पर (उत्पादन क्षमता 15 लाख फ्राई, 6 करोड़ स्पॉन प्रति वर्ष होना चाहिए) इकाई स्थापना पर रू. 25 लाख प्रावधानित है। हैचरी, ब्रुडर पोण्ड, नर्सरी पोण्ड, संवर्धन पोण्ड, ओवर हेड टैंक, जल एवं विद्युत की आपूर्ति होना आवश्यक है।



स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण

स्वयं की भूमि में 1.00 हेक्टेयर का तालाब निर्माण कराने पर रुपये 7.00 लाख प्रावधानित है, योजना अंतर्गत किसी भी मत्स्य कृषक को न्यूनतम 0.10 एवं अधिकतम 2.00 हेक्टेयर तक के तालाब निर्माण पर अनुदान राशि दी जाती है।

इनपुट्स

योजना अंतर्गत स्थानीय हितग्राही स्वयं के द्वारा निर्मित तालाब में प्रथम वर्ष इनपुट्स पर योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत मत्स्यबीज, खाद्य, पूरक अहार एवं दवाईयों की व्यवस्था के लिए रुपये 4.00 लाख प्रति हेक्टेयर प्रावधानित है।

मत्स्यबीज संवर्धन जलक्षेत्र निर्माण

योजना अंतर्गत 1.00 हेक्टेयर जलक्षेत्र में मत्स्यबीज संवर्धन इकाई के निर्माण पर रु. 7.00 लाख प्रावधानित है। योजनान्तर्गत सभी वर्ग के मत्स्य पालक पात्र होंगे। भूमि के संबंध में आवश्यक दस्तावेज-नक्शा, खसरा एवं मत्स्य पालक को मत्स्यबीज उत्पादन का प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा। निर्माण कार्य तकनीकी अमले की देख-रेख में होगा।

बर्फ सयंत्र-आईस प्लान्ट की स्थापना

- 10 टन का बर्फ सयंत्र, कोल्ड स्टोरेज के निर्माण पर रु. 40 लाख प्रावधानित है।
- 20 टन का बर्फ सयंत्र, कोल्ड स्टोरेज की स्थापना पर रु. 80 लाख प्रावधानित है।
- 30 टन का बर्फ सयंत्र, कोल्ड स्टोरेज की स्थापना पर रु. 120 लाख प्रावधानित है।
- 50 टन का बर्फ सयंत्र, कोल्ड स्टोरेज की स्थापना पर रु. 150 लाख प्रावधानित है।
- मॉडर्नाइजेशन आफ कोल्ड स्टोरेज/आईस प्लांट की इकाई लागत रु. 50.00 लाख प्रावधानित है।

सभी वर्ग के मत्स्य कृषक पात्र होंगे। भूमि के संबंध में आवश्यक दस्तावेज के साथ जैसे नक्शा, खसरा आदि। बर्फ सयंत्र की स्थापना के पश्चात् प्रबंधन एवं विपणन आदि की समस्त जिम्मेदारी संबंधित हितग्राही की होगी। हितग्राही को आवर्ती व्यय स्वयं वहन करना होगा, जिस हेतु बैंक से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

फिश फीड मिल की स्थापना

- छोटी फिश फीड मिल उत्पादन क्षमता 2 टन/दिन लागत 30 लाख प्रावधानित है।
- मध्यम फिश फीड मिल उत्पादन क्षमता 8 टन/दिन लागत 100 लाख प्रावधानित।
- बड़ी फिश फीडमिल 20 टन/दिन उत्पादन क्षमता लागत 200 लाख प्रावधानित है।
- फिश फीड प्लान्ट उत्पादन क्षमता कम से कम 100 टन/दिन लागत 650 लाख प्रावधानित है।

योजना में सभी वर्ग के मत्स्य कृषक पात्र होंगे। भूमि के संबंध में आवश्यक दस्तावेज के साथ जैसे नक्शा, खसरा आदि। कृषकों को मत्स्य आहार उचित दर पर उपलब्ध कराना होगा। फीड मिल स्थापना के पश्चात् प्रबंधन एवं विपणन आदि की समस्त जिम्मेदारी संबंधित हितग्राही की होगी। हितग्राही को आवर्ती व्यय स्वयं वहन करना होगा, जिस हेतु बैंक से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

जलाशयों में अंगुलिकाओं का संचयन: योजना अंतर्गत 1000 अंगुलिका प्रति हेक्टेयर के मान से एक लाख अंगुलिकाओ हेतु रुपये 3.00 लाख का प्रावधान है। इसे समूह की गतिविधि के रूप में अनुमोदित किया जावेगा। हितग्राही जलाशय के पट्टे आदि संबंधी पूर्ण जानकारी के साथ आवेदन कर सकते हैं।

मत्स्य परिवहन हेतु सहायता

- प्रशीति वाहन हेतु इकाई लागत रूपये 25 लाख प्रावधानित है।
- इन्सूलेटेड वाहन हेतु इकाई लागत रू. 20 लाख प्रावधानित है।
- लाईव फिश वेंडिंग सेंटर हेतु इकाई लागत रू. 20 लाख प्रावधानित है।
- तीन पहिया वाहन विथ आइस बॉक्स इकाई लागत रू. 03 लाख प्रावधानित है।
- मोटर साइकिल विथ आइस बॉक्स हेतु इकाई लागत रू. 75000/- प्रावधानित है।
- सायकिल विथ आइस बॉक्स हेतु इकाई लागत रू. 10000/- प्रावधानित है।

मत्स्य उत्पादन/मत्स्य व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता। मछुआ सहकारी समिति/समूह के सदस्य जो कि मत्स्य व्यवसाय से जुड़े हों। मछुआ सहकारी समिति को जलाशय/तालाब पट्टे पर आवंटित हो। हितग्राही को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न होना आवश्यक है। हितग्राही को मत्स्य व्यवसाय का ज्ञान आवश्यक है। योजना अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सामग्री को मत्स्य व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः वर्जित है।

मत्स्य विपणन हेतु बाजार की स्थापना

- फिश रिटेल मार्केट/रंगीन मछली/एक्वेरियम मार्केट की स्थापना हेतु इकाई लागत रू. 100.00 लाख प्रावधानित हैं।
- मछली की फुटकर दुकान मय मछली स्टोरेज एवं डिसप्ले केबिन की स्थापना हेतु रू. 10.00 लाख प्रावधानित है।
- फिश वेल्फू एडेड इन्टरप्राइजेस इकाई लागत रू. 50.00 लाख प्रावधानित हैं
- अ.जा/अ.ज.जा./महिला/बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता। कियोस्क निर्माण पश्चात संचालन एवं मरम्मत हितग्राही द्वारा स्वयं की जावेगी।

रंगीन मनोरंजक मत्स्यपालन को बढ़ावा देना

- बैकयार्ड रंगीन मछली संवर्धन इकाई हेतु 300 वर्गफीट क्षेत्रफल पर इकाई लागत रू. 3.00 लाख प्रावधानित है।
- मध्यम रंगीन मछली संवर्धन इकाई हेतु 150 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर इकाई लागत रू. 8.00 लाख प्रावधानित है।
- रंगीन मछली प्रजनन एवं संवर्धन इकाई हेतु 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर इकाई लागत रू. 25.00 लाख प्रावधानित है।
- रंगीन मछली ब्रूड बैंक इकाई हेतु इकाई लागत रू. 100.00 लाख प्रावधानित है।
- मनोरंजक मत्स्यपालन केन्द्र की स्थापना हेतु इकाई लागत रू. 50.00 लाख प्रावधानित है।

जलीय स्वास्थ्य प्रबंधन

- डिसीज डायग्नोस्टिक एण्ड क्वालिटी टेस्टिंग लेब की इकाई लागत रू. 25.00 लाख प्रावधानित हैं।
- डिसीज डायग्नोस्टिक एण्ड क्वालिटी टेस्टिंग मोबाइल लेब/क्लीनिक इकाई लागत रू. 35.00 लाख प्रावधानित हैं।
- मत्स्य सेवा केन्द्र इकाई लागत रू. 25.00 लाख प्रावधानित हैं।



5. दुर्घटना बीमा योजना:

भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत मछुओं का दुर्घटना बीमा योजना में दुर्घटना में मृत्यु एवं स्थाई अपंगता पर रू. 5.00 लाख एवं स्थाई आंशिक अपंगता पर रू. 2.50 लाख तथा अस्पताल में भर्ती होने पर रू. 0.25 लाख प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। बीमा प्रीमियम 40:60 के मान से रू. 84.00 है। उक्त प्रीमियम में राज्यांश रू. 33.60 एवं केंद्रांश रू. 50.40 सम्मिलित है। केन्द्र प्रवर्तित योजना होने से बीमा प्रीमियम राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा वहन किया जाता है।

अमृतकाल 2047

आजादी के अमृतकाल 2047 तक प्रदेश में मत्स्य उत्पादन को बढ़ाकर 10 लाख मेट्रिक टन एवं मत्स्यबीज उत्पादन को बढ़ाकर 500 करोड़ स्टेण्डर्ड फ्राई किया जाना है तथा इस क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना साथ ही झींगा उत्पादन 100 टन किया जाना है।

बॉक्स-6 : सतत आजीविका हेतु मत्स्य कल्याण योजनाओं एवं अभिसरण आधारित पहल से मछुआरों का सशक्तीकरण - बालाघाट जिला

बालाघाट जिला मत्स्य पालन के माध्यम से आजीविका विविधीकरण का एक प्रमुख उदाहरण बनकर उभरा है, जिससे विशेष रूप से आदिवासी, बीपीएल तथा सीमांत परिवारों को लाभ मिला है। सीमित सिंचित भूमि के बावजूद वैनगंगा नदी प्रणाली, तालाबों एवं नहरों जैसे प्रचुर जल संसाधनों तथा अनुकूल जलवायु के कारण मत्स्य पालन को एक प्रमुख आजीविका विकल्प के रूप में प्रोत्साहित किया गया।

हस्तक्षेप एवं कार्यप्रणाली: मत्स्य विभाग द्वारा केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं के सशक्त अभिसरण के साथ बहुआयामी हस्तक्षेप लागू किए गए। सेविंग्स-कम-रिलीफ, किसान क्रेडिट कार्ड तथा मत्स्य महिला सहकारी समितियों हेतु परिक्रमण निधि जैसी कल्याणकारी व्यवस्थाओं से ऋण सुलभता एवं जोखिम सुरक्षा में सुधार हुआ। मनरेगा के साथ अभिसरण के माध्यम से लगभग 2,000 मीनाक्षी टैंकों का निर्माण किया गया, जबकि महिला स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से मछली पालन गतिविधियों से जोड़ा गया। साथ ही सहकारी संस्थाओं के सुदृढीकरण, ब्लॉक-स्तरीय प्रशिक्षण, एक्सपोज़र विज़िट तथा सतत जागरूकता अभियानों के माध्यम से संस्थागत क्षमता निर्माण पर भी निवेश किया गया।

परिणाम एवं प्रभाव:

वित्तीय समावेशन: लगभग 25,000 मछुआरे, मछुआरा महिलाएँ एवं आदिवासी लाभार्थी आच्छादित।

उत्पादकता में वृद्धि: जल क्षेत्रफल एवं मछली उत्पादन में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि।

रोजगार एवं आजीविका: बेरोजगार युवाओं, महिलाओं एवं प्रथम पीढ़ी के मत्स्य कृषकों के लिए नए अवसर; आय एवं पोषण स्तर में सुधार।

मुख्य निष्कर्ष:

योजनाओं का रणनीतिक अभिसरण, महिला-नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों की सहभागिता तथा निरंतर क्षमता निर्माण के माध्यम से मत्स्य पालन को उन क्षेत्रों में भी एक सुदृढ़ एवं लचीला आजीविका विकल्प बनाया जा सकता है, जहाँ कृषि विकल्प सीमित हैं।

मान्यता: विश्व मत्स्य दिवस 2021 पर बालाघाट जिले को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला अंतर्देशीय जिला घोषित किया गया।

Source-Empowering Fishermen through Welfare Schemes and Collaborative Initiatives for Sustainable Livelihoods | NFS)

मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों की मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग करना तथा मत्स्य निर्यात को व्यापक स्तर पर इस तरह बढ़ाया जाना है, जिससे की मत्स्य पालन के क्षेत्र को प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख हिस्से के रूप में विकसित किया जा सके। प्रदेश के मछुआरों का समुचित कल्याण एवं विकास किया जाना विभाग का प्रमुख विजन है।

विभाग की उत्कृष्ट उपलब्धियाँ:

भोपाल में भदभदा मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में भारत शासन के सहयोग से एक्वापार्क के निर्माण हेतु राशि ₹ 40 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए विज़न 2047

विकसित भारत @2047 की राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप, मध्यप्रदेश ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास के केंद्र में रखते हुए एक दीर्घकालिक विकास दृष्टि (विज़न 2047) निर्धारित की है। कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बनी हुई है, जो लगभग 43 प्रतिशत सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में योगदान देती है तथा आजीविका के बड़े हिस्से का आधार है। विज़न 2047 के अंतर्गत राज्य का उद्देश्य कृषि अर्थव्यवस्था को अधिक संतुलित, लचीला एवं उच्च-मूल्य प्रणाली में परिवर्तित करना है, जिसके लिए उत्पादकता में वृद्धि, संबद्ध गतिविधियों में विविधीकरण तथा मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया गया है। इस दृष्टि में किसानों की आय में वृद्धि, पोषण स्तर में सुधार तथा फसल सघनता, प्राकृतिक संसाधनों और विविध कृषि-जलवायु परिस्थितियों में राज्य की तुलनात्मक बढ़त का प्रभावी उपयोग शामिल है।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विज़न 2047 में क्लस्टर-आधारित एवं जिला-विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण, गुणवत्ता प्रबंधन एवं निर्यात को समाहित करते हुए 50 से अधिक बहुउद्देशीय फसल प्रबंधन क्षेत्रों (Crop Management Zones) के माध्यम से समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रमुख हस्तक्षेपों में समर्पित नोडल एजेंसी के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, उत्पादक वानिकी का विस्तार, उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना तथा एकीकृत डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से किसान सेवाओं का समावेशन शामिल है। वर्ष 2047 तक कृषि क्षेत्र को एक पारंपरिक निर्वाह-आधारित प्रणाली से आधुनिक, प्रौद्योगिकी-सक्षम एवं निर्यात-प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र में विकसित करने की परिकल्पना की गई है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, रोजगार की गुणवत्ता में सुधार तथा कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों के बीच संतुलित आर्थिक संक्रमण सुनिश्चित हो सके।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में विज़न 2047 के उद्देश्यों के क्रियान्वयन हेतु राज्य द्वारा उद्यानिकी, फसल, पशुपालन एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों में समयबद्ध कार्य क्षेत्रों का एक व्यापक ढांचा निर्धारित किया गया है। इन हस्तक्षेपों का उद्देश्य मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करना, उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाना, प्राकृतिक एवं जलवायु-संवेदनशील खेती को प्रोत्साहित करना तथा किसानों के लिए बाजार पहुँच और मूल्य प्राप्ति में सुधार करना है। अल्पकाल (2029 तक) एवं दीर्घकाल (2047 तक) चरणबद्ध क्रियान्वयन के माध्यम से कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन की अपेक्षा की गई है, जिससे उच्च उत्पादकता, आय सुरक्षा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता तथा संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके। समृद्ध मध्यप्रदेश @2047 विज़न दस्तावेज़ के कार्य बिंदु 47-99 के अंतर्गत वर्णित ये हस्तक्षेप कृषि परिवर्तन के लिए एक रणनीतिक रूपरेखा प्रदान करते हैं।

(स्रोत: समृद्ध मध्यप्रदेश @2047, 2024). जानकारी परिशिष्ट-III में दी गई है।



कृषि विशेष - 2026

माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2026 को 'कृषक कल्याण वर्ष-2026' के रूप में मनाने की घोषणा राज्य में कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा किसान आय संवर्धन की दिशा में एक समन्वित एवं दूरदर्शी पहल है। इस अभियान के अंतर्गत 16 वि०भागों के समन्वय से किसान कल्याण से जुड़े सभी आयामों पर एकीकृत रूप से कार्य किया जा रहा है। सोलर पंपों के माध्यम से सिंचाई सुदृढीकरण, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन, भावांतर भुगतान योजना का विस्तार, कृषि-आधारित उद्योगों में किसानों की भागीदारी तथा फूड प्रोसेसिंग एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना के विकास पर विशेष बल दिया गया है।

मुख्य घोषणाएँ एवं पहल:

- कृषि से जुड़े उत्पादन, लागत, विपणन, आय संवर्धन एवं किसान कल्याण के लिए राज्य के 16 विभागों के प्रभावी समन्वय से समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है।
- 16 प्रतिशत कृषि विकास दर का लक्ष्य केवल उत्पादन वृद्धि तक सीमित न होकर, किसानों की आय में वृद्धि एवं लागत में कमी पर केंद्रित है।
- दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों के लिए वैकल्पिक एवं सतत आय के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।
- 30 लाख खेतों में सोलर पंप स्थापना तथा माइक्रो-इरिगेशन के विस्तार से ऊर्जा एवं जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने पर बल दिया गया है।
- भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत सोयाबीन के साथ सरसों को शामिल करने की पहल कर किसानों को मूल्य स्थिरता प्रदान की जा रही है।
- डिंडोरी जिले में श्रीअन्न (मिलेट्स) एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है।
- G RAM G योजना के तहत 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित कर कृषि श्रमिकों की उपलब्धता सुदृढ की जा रही है।
- युवाओं को एग्रीटेक ड्रोन एवं डिजिटल कृषि तकनीकों के उपयोग हेतु प्रोत्साहित कर आधुनिक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- वर्षभर कृषि कौशल सम्मेलन, गुलाब महोत्सव एवं एग्री-प्रोसेसिंग सम्मेलन आयोजित कर नवाचार, विपणन और क्षमता निर्माण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
- **समग्र उद्देश्य:** किसानों को सशक्त बनाते हुए कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी एवं समृद्ध बनाना।

कृषि-कैलेंडर: कृषक कल्याण वर्ष-2026 के अंतर्गत पूरे वर्ष के लिए एक सुव्यवस्थित कृषि-कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसमें राज्य के विभिन्न अंचलों में माह-वार किसान सम्मेलन, कृषि महोत्सव, प्राकृतिक खेती संगोष्ठियाँ, कौशल विकास कार्यशालाएँ, फसल-विशेष उत्सव, मूल्य संवर्धन, विपणन, निर्यात प्रोत्साहन एवं अवसंरचना से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह कैलेंडर न केवल कृषि गतिविधियों को समयबद्ध दिशा देता है, बल्कि किसानों, उद्यमियों और विभागों के बीच सतत संवाद, प्रशिक्षण एवं नवाचार को भी सुनिश्चित करता है। जानकारी परिशिष्ट-IV में दी गई है।

बीज विधेयक-2025 केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक पहल है, जिसे केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य देश में बीज क्षेत्र को विनियमित करना, किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा उन्हें नकली एवं निम्न गुणवत्ता वाले बीजों से होने वाले नुकसान से बचाना है। यह विधेयक वर्तमान बीज अधिनियम, 1966 का स्थान लेगा और इसके अंतर्गत बीजों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। कंपनियों एवं बीज विक्रेताओं की जवाबदेही तय की जाएगी तथा अनिवार्य पंजीकरण और QR कोड आधारित ट्रेसेबिलिटी व्यवस्था लागू की जाएगी। साथ ही, किसानों को अपने पारंपरिक बीज उगाने, संरक्षित रखने और आदान-प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है, जबकि ब्रांड नाम से विक्रय पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है। नकली बीज बेचने वालों पर कठोर दंड का प्रावधान कर पारदर्शिता बढ़ाने और किसानों का भरोसा मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस आधार तैयार होगा।

(स्रोत: कृषि विशेष, मध्यप्रदेश शासन, 2026)



Annexures:

Annex I ODOP

Sector	District	ODOP Product
Agriculture & Horticulture	Sheopur	Guava
	Morena	Mustard
	Bhind	Mustard
	Guna	Coriander Seed
	Datia	Jaggery
	Tikamgarh	Ginger
	Niwari	Ginger
	Damoh	Gram
	Panna	Gooseberry (Amla)
	Shajapur	Onion
	Agar Malwa	Orange
	Mandsaur	Garlic
	Neemuch	Coriander
	Indore	Potato
	Raisen	Basmati Rice
	Rajgarh	Orange
	Khargone	Chilli
	Barwani	Ginger
	Khandwa	Onion
	Burhanpur	Banana
	Jabalpur	Peas
	Narsinghpur	Toor Dal
	Chhindwara	Orange
	Seoni	Custard Apple
	Balaghat	Chinnor Rice
	Satna	Tomato

Sector	District	ODOP Product
	Shahdol	Turmeric
Millets & Minor Forest Produce	Mandla	Kodu Kutki
	Dindori	Kodu Kutki
	Singrauli	Kodu Kutki
	Anuppur	Kodu Kutki
	Alirajpur	Mahua
	Umaria	Mahua
Animal Husbandry & Allied	Jhabua	Kadakhnath Chicken
Bamboo, Wood & Natural Resource-based	Dewas	Bamboo
	Harda	Bamboo
	Rewa	Bamboo
	Betul	Teak Wood
	Ashoknagar	Chanderi Handloom
Handloom, Handicraft & GI Products	Shivpuri	Cloth Jacket
	Chhatarpur	Wooden Furniture
	Ratlam	Ratlami Namkeen
	Ujjain	Batik Print
	Dhar	Bagh Print
	Bhopal	Zari Zardozi & Jute Product
	Sehore	Wooden Toys & Handicraft
	Katni	Katni Stone
	Gwalior	Sandstone Tiles
	Sidhi	Carpet
	Sagar	Farm Equipment
Engineering / MSME	Vidisha	Farm Equipment
Services	Hoshangabad (Narmadapuram)	Tourism

Source-Government of Madhya Pradesh, MP Trade Portal. One District One Product (ODOP) – District Profile. MP Trade Portal. Available at: <https://mptradeportal.org/districtProfileOdop>



AnnexureII

Area and Production of major Horticulture Crops

(Area in Hectare, Production in Metric Tonne)

A-Fruits		2023-24 Final Estimate			2024-25 First Estimate		
S. No.	Fruits Name	Area	Production	Producti- vity	Area	Prod-uction	Producti- vity
1	Banana	34692.89	2453830.16	70.73	35169.24	2546267.90	72.40
2	Kinnow/ Mandarin Orange	131028.25	2193167.94	16.74	132011.25	2287567.54	17.33
3	Guava	56571.18	1052295.62	18.60	57300.33	1065900.84	18.60
4	Mango	66280.40	965838.63	14.57	66780.40	951019.35	14.24
5	Papaya	14265.17	577999.96	40.52	14398.43	585715.01	40.68
6	Aonla	31750.70	487268.73	15.35	32479.81	487629.52	15.01
7	Watermelon	17047.45	460431.61	27.01	19011.80	483696.73	25.44
8	Lime	28436.64	423078.92	14.88	28976.94	428988.27	14.80
9	Muskmelon	10394.00	206255.73	19.84	9749.40	188561.11	19.34
10	Jackfruit	8281.99	180857.69	21.84	9317.79	202157.06	21.70
11	Bengal quince	12944.68	145025.40	11.20	13726.97	202177.70	14.73
12	Sweet Lime	7965.37	138360.96	17.37	7895.12	134877.40	17.08
13	Custard Apple	10609.21	126148.42	11.89	10886.29	128665.86	11.82
14	Pomegranate	7116.51	87979.99	12.36	6601.59	83805.16	12.69
15	Water chestnut	1038.00	2630.11	2.53	1074.90	2727.21	2.54
16	Grapes	87.80	1408.00	16.04	87.00	1392.00	16.00
17	Others Fruits	30267.02	361220.22	11.93	34706.81	426174.45	12.28
Total		468777.26	9863798.09	21.04	480174.07	10207323.09	21.26

B- Vegetables		2023-24 Final Estimate			2024-25 First Estimate		
S.no	Vegetables Name	Area	Production	Productivity	Area	Production	Productivity
1	Onion	218485.78	5346226.76	24.47	231037.75	5758372.35	24.92
2	Potato	183688.22	4234373.97	23.05	187046.90	4348576.56	23.25
3	Tomato	124828.95	3617774.53	28.98	129547.75	3708224.20	28.62
4	Brinjal	72322.40	1536442.45	21.24	75032.75	1599600.56	21.32
5	Cauliflower	67693.55	1478808.93	21.85	69876.40	1512237.84	21.64
6	Green Peas	125407.25	1279436.30	10.20	127766.20	1302436.52	10.19
7	Cabbage	46339.19	1076732.67	23.24	47479.70	1101180.32	23.19
8	Lady Finger	66959.00	965479.85	14.42	69216.90	981490.77	14.18
9	Leafy Vegetable/ Spinach	48563.52	577377.45	11.89	51242.65	608556.82	11.88
10	Bottle gourd	31389.47	564716.49	17.99	51272.97	594984.54	11.60
11	Colocasia	20989.86	347160.41	16.54	20036.11	357068.00	17.82
12	Bitter Gourd	25427.10	345174.62	13.58	27008.83	370099.91	13.70
13	Cucumber	20386.58	332218.06	16.30	21109.60	348616.04	16.51
14	Raddish	18198.17	283541.10	15.58	19331.61	300722.80	15.56
15	Sponge Gourd	19119.20	255777.50	13.38	20730.17	267855.86	12.92
16	Carrot	11894.10	221279.00	18.60	12269.76	230610.72	18.80
17	Sweet Potato	7639.90	119498.27	15.64	7188.05	118713.24	16.52
18	Capsicum	3244.77	59977.94	18.48	3512.13	64756.95	18.44
19	Pointed gourd	1486.46	22872.82	15.39	438.62	6099.30	13.91
20	Other Vegetable	148254.18	2230871.26	15.05	155179.79	2405854.50	15.50
Total		1262317.65	24895740.38	19.72	1326324.65	25986057.81	19.59



C- Spices		2023-24 Final Estimate			2024-25 First Estimate		
S.no	Spices Name	Area	Production	Producti- vity	Area	Produ- ction	Producti- vity
1	Garlic	205731.36	2123525.70	10.32	210151.91	2194840.22	10.44
2	Green Chilly	65236.20	1039191.07	15.93	67048.25	1074878.48	16.03
3	Ginger	36879.90	608318.13	16.49	37969.05	622924.13	16.41
4	Turmeric	25060.35	462731.04	18.46	26488.75	480527.45	18.14
5	Coriander Seed	317317.60	458787.85	1.45	325187.75	484787.87	1.49
7	Dry Red Chilly	114659.30	301555.67	2.63	117498.65	322835.66	2.75
8	Fenugreek	56373.88	114646.82	2.03	54043.75	98307.81	1.82
9	Fennel	1602.60	2871.75	1.79	1490.60	2723.46	1.83
10	Cumin	304.50	348.84	1.15	312.00	352.99	1.13
11	Other Spices	84034.53	426315.89	5.07	102238.74	472191.61	4.62
Total		907200.22	5538292.76	6.10	942429.45	5754369.68	6.11

D- Flowers		2023-24 Final Estimate			2024-25 First Estimate		
S.no	Flowers Name	Area	Production	Producti- vity	Area	Produ- ction	Producti- vity
1	Marigold	23708.64	334606.59	14.11	25412.54	350921.47	13.81
2	Rose	4445.56	43864.52	9.87	4692.56	37108.61	7.91
3	Chrysanthemum	1689.55	22020.26	13.03	1696.40	21360.63	12.59
4	Gladiolus	1046.97	9307.93	8.89	1056.43	5558.58	5.26
5	Tuberose	259.88	2770.90	10.66	320.38	2790.60	8.71
6	Other Flowers	11024.70	93042.22	8.44	10390.35	87443.83	8.42
Total		42175.30	505612.42	11.99	43568.66	505183.73	11.60

G- Medicinal Plants		2023-24 Final Estimate			2024-25 First Estimate		
S.no	Medicinal Plants Name	Area	Production	Productivity	Area	Production	Productivity
1	Isabgol	13007.19	14431.79	1.11	13007.00	14474.36	1.11
2	Ashwagandha	6714.53	9443.13	1.41	4287.20	7530.55	1.76
3	White Musli	1877.00	6507.14	3.47	1890.80	6358.84	3.36
4	Coleus	954.44	2992.45	3.14	963.44	3010.07	3.12
5	Other Medicinal	23717.35	88776.79	3.74	25471.91	80792.55	3.17
Total		46270.51	122151.30	2.64	45620.35	112166.37	2.46
1	Aromatic Plants	2592.22	4438.31	1.71	1372.35	3079.58	1.72
Grand Total		2729333.16	40930033.26	15.00	2839489.53	42568180.26	14.99

Source: - HAPIS PORTAL of GOI



Annex III-Vision points

S. No.	Action Areas	2029 Short Term	2047 Long Term
47	Establishing integrated facilities to ease/buy input supply and mechanised equipment (uberisation / on demand services) for horticulture & agriculture.	✓	✓
48	Build dedicated COEs to encourage superior farming techniques.	✓	✓
49	Promote production of high yield and hybrid seeds.	✓	✓
50	Mobile & Fixed agriculture Labs for on-site GAP training, soil testing and yield improvement recommendations and promotion organic and natural farming.	✓	✓
51	Build Export Parks next to Agriculture Clusters to Enable access to international and domestic markets for export of products.	✓	✓
52	Integrate Quality control and sorting / accreditation centres near export zones.	✓	✓
53	GI, GAP and natural/organic certification of horticulture & agriculture products and promote made in Madhya Pradesh brand.	✓	✓
54	Build by-product processing plants, utilising waste as a resources (e.g. banana pseudo-stem into fibre, compost or bio-gas).	✓	✓
55	Digital transformation for specific clusters, with interest subventions.	✓	✓
56	Create infrastructure for direct connectivity between farm and market including direct from farm to market capabilities.	✓	✓
57	Dedicated crop specific horticulture clusters (tomato) with proximity to processing centers to drive value enhancement of the product.	✓	✓
58	Set up fruits and vegetables clusters (e.g. banana clusters) for improved productivity and value enhancement of the product.	✓	✓
59	Set up clusters for production and storage of the various flowers and by-products.	✓	✓
60	Establish biotechnology COE in partnership with academia, pvt sector and FPOs for high-quality seeds and planting material.	✓	✓

S. No.	Action Areas	2029 Short Term	2047 Long Term
61	Develop multi-purpose crop handling zones in every district where processing, packaging, storage and export of variety of fruits and vegetables take place.	✓	✓
62	Building next-gen infrastructure for advanced cultivation techniques (e.g. Polyhouse, Hydroponics and precision farming).	✓	✓
63	Long term support and incentives for farmers to promote transition towards high-yield agriculture crops.	✓	✓
64	Build demonstration farms for crop rotation and polyculture trials at district levels.	✓	✓
65	Community irrigation projects (water storage and check dams, etc.) to improve water access and management for a group of farmers.	✓	✓
66	Use of AI, Digital crop advisory for farmers on weather patterns and drought-tolerant or flood-resistant crop varieties, e.g. AI to locate farms with declining interest / use for leasing to larger farms.	✓	✓
67	E-Auction platform exclusive to select staples, where farmers can directly list their graded produce for bidding.	✓	✓
68	Public-Private R&D partnerships on breeding of pests resisting drought-tolerant and high yield seed varieties for Agriculture & Horticulture.	✓	✓
69	Expand pulses clusters for better quality control and processing of the product, for self sufficiency and higher value realisation of the product.	✓	✓
70	Expand millets cluster to drive towards self sufficiency, as well as value capture through premiumisation and processing of the product (e.g. capturing end use market for ready to eat / cook (RTE/RTC) segments).	✓	✓
71	Drive targeted improvements in oilseeds cluster for self sufficiency and higher value realisation of the product.	✓	✓
72	Agri-Finishing hubs for speciality packaging, marketing and certification programs.	✓	✓



S. No.	Action Areas	2029 Short Term	2047 Long Term
73	Dedicated Agriculture Export zones in convergence with APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority).	✓	✓
74	Rental services for modern mechanisation tools—GPS sowing, drone-based pesticide application and remote sensing devices for real-time field monitoring.	✓	✓
75	Partner with tech startups to innovate and develop tailored financial products, including crop loans, insurance, and government-supported agricultural schemes.	✓	✓
76	Strengthen co-operative banks (via technological upgrade) to drive adoption of government credit schemes.	✓	✓
77	Establish additional Artificial Insemination Centres (Targeting 1,000 females animals per centre).	✓	✓
78	Best-in-class Breed Multiplication Farms for development and breeding of new breeds with high growth, yield and adaptability.	✓	✓
79	Encourage farmers for production of green fodder on agricultural land, vacant government land and non-forest land.	✓	✓
80	Construct Bulk Milk Cooling Units (BMCU).	✓	✓
81	Launch comprehensive dairy-policy incentives for new plant, plant expansion, cattle feed production and storage.	✓	✓
82	Setup a taskforce for investment facilitation in animal husbandry space.	✓	✓
83	Enhance dairy processing ecosystem to capture growing Village Adoption & Development Program (VADP) market.	✓	✓
84	Build systematic poultry clusters for higher egg production.	✓	✓
85	Promote sustainable practices for high-quality livestock feed.	✓	✓
86	Set up infrastructure and workforce to monitor livestock health.	✓	✓
87	Promote sustainable and eco-friendly (plant-based and artificial meat production vs natural farming in phased manner) (pilots to be done before scale up).	✓	✓
88	Establish integrated meat processing hubs; setting up units through PPP mode.	✓	✓

S. No.	Action Areas	2029 Short Term	2047 Long Term
89	Establish aquaculture facilities in abandoned mines and encourage adoption of cage-based farming practices.	✓	✓
90	Implement selective breeding policies to enhance the yield of key fish species.	✓	✓
91	Leverage rural skill development institutes, such as Kisan Vigyan Kendras, to provide capacity-building courses under the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training (CIFNET).	✓	✓
92	Organise buyer-seller forums to strengthen export linkages for shrimp and key fish varieties, targeting markets in countries like Japan and Vietnam.	✓	✓
93	Promote direct market access and digital commerce platforms, enabling farmers to sell directly to consumers, thereby eliminating intermediaries and improving profit margins.	✓	✓
94	Provide financial incentives for the development of Nucleus Breeding Centres and facilitate end-to-end value chain financing.	✓	✓
95	Establish a Centre of Excellence (CoE) under NIKV to drive diversification into higher-value fish varieties.	✓	✓
96	Create brood stock multiplication centres to improve survivability and breed high-yield species.	✓	✓
97	Introduce automated processing units equipped with high-tech filleting, de-boning and packaging capabilities.	✓	✓
98	Smart Aquaculture Farms: Fish farms with smart feeding system, IoT-based water quality sensors, AI-powered fish health monitoring.	✓	✓
99	Promote Advanced Feed Management Techniques — reduced feed waste (a major cost in aquaculture), ensuring optimal growth rates and minimising water contamination due to overfeeding.	✓	✓



Annex IV : Agricultural Calendar 2026

माह	प्रमुख कार्यक्रम / गतिविधियाँ
जनवरी	जबलपुर में कृषि आधारित कौशल विकास एवं कस्टम हायरिंग पर राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन; गुलाब उद्यान, भोपाल में राष्ट्रीय गुलाब महोत्सव; राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर में कृषि मंथन
फरवरी	डिंडोरी-उमरिया-मंडला में कांदी एवं कुटकी बोनस वितरण कार्यक्रम; मंदसौर में सोयाबीन भावांतर भुगतान समाधान कार्यक्रम; रीवा में पचीटेक पर्व एवं डिजिटल कृषि प्रदर्शनी
मार्च	कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह, भोपाल में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी; ग्वालियर में दुग्ध उत्पादकों का सम्मेलन; इंदौर में मैत्री गौसेवक गाइड प्रमाण-पत्र वितरण एवं विभागीय प्रदर्शनी
अप्रैल	जबलपुर संभाग में मखाना, मशरूम एवं मधुमक्खी पालन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला एवं किसान सम्मेलन; शहडोल में प्राकृतिक खेती पर राज्य स्तरीय सम्मेलन
मई	सिवनी में धान पर केंद्रित कार्यक्रम; नर्मदापुरम संभाग में राष्ट्रीय आम महोत्सव एवं राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन; सागर में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन
जून	उज्जैन में कृषि उपज निर्यात प्रोत्साहन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला; शाजापुर में सोया महोत्सव एवं प्राकृतिक खेती प्रचार-प्रसार; राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन
जुलाई	खरगोन में कपास एवं मिर्च महोत्सव एवं राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन; जबलपुर में इनलैंड फिशरीज एवं एक्वाकल्चर कार्यक्रम
अगस्त	भोपाल में MPCDF की राज्य स्तरीय केंद्रीय गुणवत्ता प्रयोगशाला का लोकार्पण; दुग्ध उत्पाद निर्माण डेयरी इकाई का लोकार्पण; इंदौर में कृषक उत्पादक संगठनों (FPOs) का सम्मेलन
सितंबर	छिंदवाड़ा में कृषि अधोसंरचना निधि योजना अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य स्तरीय कार्यशाला; उज्जैन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मैदानी कार्यकर्ताओं एवं पशुपालकों का सम्मान
अक्टूबर	भोपाल में फसल अवशेष प्रबंधन पर कार्यशालाएँ; प्रत्येक संभाग में फूड फेस्टिवल; जबलपुर में एक्वाकल्चर मार्केटिंग सिम्पोज़ियम
नवंबर	नरसिंहपुर में गन्ना महोत्सव एवं राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन; इंदौर संभाग में उच्च मूल्य वाली उद्यानिकी फसलों पर राज्य स्तरीय महोत्सव

Annex V: Agriculture Technology (Agri-Tech)

Company Name	Type of Technology (Drones/IoT/AI Advisory/Precision Farming/etc.)	Operating in Districts	Farmers Covered / Area Covered	Outcomes/Impact
International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA)	IoT & Precision Farming	Sehore and Khargone regions	Covering 10-hectare farm field, each in 2 different geo-climatic zones, including Farmers owned farmland. Field Installations: A total of 11 Farm-Sites were onboarded for IoT installation, 5 are in Sehore and 6 in Khargone district. IoT devices installed in all selected 11 farm site, Live data from IoT devices is recorded in Cloud repository. Groundwater level data is also recorded on hourly basis from 6 Farm sites. Data collection and analysis: All 11 farm-sites are Geo Tagged, GIS information such as Vegetative Indices & Elevation Map data is recorded on daily basis and available on online dashboard. Field climate parameters and Insect type and counts are also recorded. Related mathematical model and algorithms are developed for when and how much to irrigate,	Covering 10-hectare farm field, each in 2 different geo-climatic zones, including Farmers owned farmland. Field Installations: A total of 11 Farm-Sites were onboarded for IoT installation, 5 are in Sehore and 6 in Khargone district. IoT devices installed in all selected 11 farm site, Live data from IoT devices is recorded in Cloud repository. Groundwater level data is also recorded on hourly basis from 6 Farm sites. Data Precision farming in Madhya Pradesh leads to resource-use efficiency (optimization of inorganic fertilizer inputs and irrigation water, pesticides), yield stability, informed decision making, lower water footprint, and higher farmer income. The project has been successful in achieving its targets and demonstrated a proof of concept



Company Name	Type of Technology (Drones/IoT/AI Advisory/Precision Farming/etc.)	Operating in Districts	Farmers Covered / Area Covered	Outcomes/Impact
			when and how much to fertilized, Pest and Disease incidence are developed to automate respective alerts to the target farmers. Advisory dissemination: Necessary advisories are issued to farmers based on weather condition, soil moisture, insect/pests as per data received from IoT devices/GIS portal. Farmer Mobile App and whats-app messaging is used for advisory dissemination.	(POC) of rolling out of a seamless precision farming platform involving the use of IoT devices, big data analytics, machine learning and agricultural science to generate field specific near-time advisories for participating farmers as well as spillover farmers.
National Remote Sensing Centre, MP State Electronics Development Corporation (MPSEDC) & MP Council of Science & Technology (MPCST)	Remote Sensing and Geographical Information Systems	Entire Madhya Pradesh	Agri-GIS (Remote Sensing and Geographical Information Systems) • An AGRI-GIS portal based on technologies such as GIS and Remote Sensing has been developed for the assessment of land use and crop conditions. • For accurate and timely assessment of crop condition and productivity, the Agriculture Department is working with the National Remote Sensing Centre (NRSC-ISRO) and the state's	Farmers are getting information about land use and crop conditions and current nutrient status of their soil.

Company Name	Type of Technology (Drones/IoT/AI Advisory/Precision Farming/etc.)	Operating in Districts	Farmers Covered / Area Covered	Outcomes/Impact
			technical institutions (MPSeDC and MPCST) for the use of satellite data and remote sensing technologies. In the state, from Kharif 2022, crop yield assessment under the Crop Insurance Scheme for soybean, paddy, wheat, gram, and mustard is being carried out entirely on the basis of remote sensing up to the Patwari Halka level. From the year 2023-24, maize, cotton, pigeon pea (arhar), lentil, and linseed have also been included. • On the AGRIGIS portal, fertility maps of all villages have been prepared. based on which farmers are provided with information about the current nutrient status of their soil.	



4.8 पंचायत एवं ग्रामीण विकास

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समृद्ध मध्यप्रदेश @2047 के लक्ष्यों के अनुरूप गांवों को आधुनिक, आत्मनिर्भर एवं समावेशी बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। सरकार का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण निवासियों को आवास, स्वच्छ जल और आधुनिक बुनियादी ढांचे जैसी आवश्यक सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G), पीएम जनमन और धरती आबा जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण आवास में शत-प्रतिशत संतृप्ति सुनिश्चित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य शामिल है। बुनियादी आवश्यकताओं से परे, सरकार गाँवों के सांस्कृतिक और आर्थिक उत्थान पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, जैसा कि "वृंदावन ग्राम योजना" में देखा जा सकता है, जिसका उद्देश्य चयनित गाँवों को समग्र प्रगति के मॉडल के रूप में विकसित करना है।

गांवों में आर्थिक सशक्तिकरण मुख्य रूप से मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिसमें स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की महिला सदस्यों को "लखपति दीदी" बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार स्थायी आजीविका सृजन हेतु विभिन्न योजनाओं को एकीकृत कर रही है, जैसे कि "एक बगिया माँ के नाम" पहल, जहाँ मनरेगा और राज्य आजीविका मिशन के बीच अभिसरण (convergence) का उपयोग करके स्वयं सहायता समूह की सदस्य अपनी निजी भूमि पर फलदार उद्यान विकसित करती हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति इस प्रकार है :-

4.8.1 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

मध्यप्रदेश में ग्रामीण सड़कों का निर्माण मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और म.प्र. ग्रामीण संपर्कता परियोजना (MPRCP) के तहत किया गया है। ग्रामीण सड़क संपर्क, सतत गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। इस संदर्भ में, भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया। इस योजना के अंतर्गत सामान्य विकासखण्डों में 500 या उससे अधिक तथा जनजातीय विकासखण्डों में 250 या उससे अधिक आबादी वाले सड़क संपर्क विहीन पात्र ग्रामों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने तथा अन्य जिला मार्गों एवं ग्रामीण मार्गों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य किया जाता है।

वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,186 किमी सड़क निर्माण का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से 261 किमी सड़क निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। इसके अतिरिक्त, 7 बसाहटों को सड़क संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य था, जिनमें से सभी 7 बसाहटों को जोड़ा गया।

वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1,461 किमी निर्माण का भौतिक लक्ष्य निर्धारित था, जिसके सापेक्ष अद्यतन स्थिति में 277 किमी निर्माण की उपलब्धि प्राप्त की गई है।

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-1:** योजनांतर्गत, भारत सरकार द्वारा राज्य की 17,540 पात्र संपर्क विहीन बसाहटों को जोड़ने हेतु 72,975 किमी सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में, इस परियोजना के माध्यम से 72,975 किमी लंबाई की कुल 18,948 सड़कें पूर्ण की जा चुकी हैं, जिससे 17,540 बसाहटें बारहमासी सड़कों से जुड़ गई हैं। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत 658 वृहद पुलों की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनमें से 656 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-2:** योजनांतर्गत, भारत सरकार से वित्तीय आधार पर ग्रामीण बाजार केंद्रों और ग्रामीण हब को जोड़ने वाली पूर्व निर्मित सड़कों के उन्नयन हेतु राज्य को 4,894 किमी सड़कों का लक्ष्य दिया गया है। इस योजना के तहत 4,894 किमी लंबाई की 374 सड़कें और 244 पुलों के निर्माण हेतु ₹3,596 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। वर्तमान में, 4,891 किमी लंबाई की 373 सड़कों और 243 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-3:** योजना का उद्देश्य उन पूर्व निर्मित ग्रामीण सड़कों का उन्नयन करना है जो शैक्षिक, चिकित्सा, कृषि, बाजार और परिवहन बुनियादी ढांचे को जोड़ती हैं। योजना के अंतर्गत, 12,175 किमी कुल लंबाई की 1,075 सड़कों और 806 पुलों की स्वीकृति प्रदान की गई है, इसके सापेक्ष, अद्यतन स्थिति के अनुसार 11,902 किमी लंबाई की 986 सड़कों और 582 पुलों का निर्माण किया जा चुका है।
- **RCPLWEA (वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना):** वर्ष 2017 में वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलों में सड़क संपर्क हेतु नियोजन किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सड़कों/पुलों की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। RCPLWEA के तहत शामिल किए जाने वाले मार्गों की पहचान गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों के परामर्श से की जाती है। निष्पादन हेतु चिन्हित कार्यों की सूची भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भेजी जाती है। योजना के तहत 344 किमी लंबाई के 37 मार्गों और 46 पुलों के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। अब तक, 165 किमी लंबाई के 20 मार्गों और 32 पुलों का निर्माण किया जा चुका है।
- **पीएम जनमन योजना:** माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 नवंबर 2023 को घोषित इस योजना का उद्देश्य राज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों (PVTGs) को मुख्यधारा में सम्मिलित करना है। इसका लक्ष्य बैगा, भारिया और सहारिया समुदायों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 783 सड़कों (1,835 किमी) को स्वीकृति दी गई है। 749 सड़कों (1,755 किमी) के लिए एजेंसियों का चयन किया जा चुका है और शेष सड़कों के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025-26 के लिए बैच-1 और बैच-2 के अंतर्गत 168 सड़कों (383.34 किमी) के प्रस्ताव हेतु भारत सरकार द्वारा 27.11.2025 को प्री-ईसी (Pre EC) की कार्यवाही की जा चुकी है।
- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-4:** दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा पीएमजीएसवाई-IV (PMGSY-IV) के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जनगणना 2011 के आधार पर सामान्य विकासखण्डों में 500+, जनजातीय विकासखण्डों और आकांक्षी जिलों/विकासखण्डों में 250+ तथा नक्सल प्रभावित जिलों में 100+ आबादी वाली संपर्क विहीन बसाहटों को नवीन संपर्कता प्रदान की जानी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV के अंतर्गत पात्र संपर्क विहीन बसाहटों की पहचान कर ली गई है। केंद्र सरकार से संपर्कता की पुष्टि हेतु ग्रामीण सड़क सर्वेक्षण (GSS) मोबाइल ऐप का उपयोग करके चिन्हित बसाहटों के संभावित संरेखण (alignments) की पहचान करने का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। GSS सर्वेक्षण का परीक्षण वर्तमान में प्रचलन में है, प्रत्येक विकासखण्ड में किए गए सभी GSS सर्वेक्षणों का परीक्षण पूर्ण होने के पश्चात ही पोर्टल से मार्गों की पात्रता और प्राथमिकता सूची जनरेट की जाएगी।

प्राथमिकता सूची में अब तक 26 जिलों की कुल 877 संपर्क विहीन बसाहटें पात्र पाई गई हैं, जिनमें DAJGUA की 304 बसाहटें और PM-AJAY की 49 बसाहटें शामिल हैं। इसके लिए, वर्ष 2025-26 हेतु बैच-1 के अंतर्गत 1,845.294 किमी लंबाई और 1,534.43 करोड़ रुपये की लागत के 867 मार्गों के प्रस्ताव पोर्टल पर अपलोड कर केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। केंद्र सरकार के स्तर पर स्वीकृति की प्रक्रिया विचाराधीन है। (दिनांक 30/11/2025 की स्थिति में)



प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत, राज्य में लगभग 6,404 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके 12,809 किमी सड़कों का निर्माण किया गया है। इस तकनीक से सड़कों के निर्माण द्वारा न केवल प्लास्टिक कचरे का उपयोग हो रहा है, बल्कि पर्यावरण को भी प्रदूषण से मुक्ति मिल रही है और शहरों/कस्बों में फैले कूड़े-कचरे से उन्हें मुक्त करने का एक अभिनव प्रयास किया जा रहा है, जो स्वच्छ भारत अभियान का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।

विगत दो वर्षों की अवधि में केन्द्र अथवा राज्य शासन कार्यक्रमों/योजनाओं की प्रगति-

नवीन योजनाएं:-

- मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना (वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भ)- 20,600 बसाहटें चिन्हित
- क्षतिग्रस्त पुल पुनर्निर्माण योजना (वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारम्भ)- 1,766 संरचनाएं चयनित
- पीएम-जनमन - (वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारम्भ)- 1,033 असम्पर्कित बसाहटें एवं 2,218 किमी सड़क स्वीकृत
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रारम्भ)- 9,509 बसाहटें चिन्हित (1,845 किमी स्वीकृति की प्रक्रिया में)

भौतिक प्रगति

- पीएमजीएसवाई-I, II, III - 913 किमी लंबाई और 305 पुल
- RCPLWEA - 107 किमी लंबाई और 18 पुल
- पीएम-जनमन - 236 किमी

4.8.2 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

यह योजना वर्ष 2012 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में 500 से कम तथा जनजातीय क्षेत्रों में 250 से कम आबादी वाले राजस्व ग्रामों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना था।

- **मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (अप्रैल 2024 से नवंबर 2025 तक अद्यतन):** कुल 173.93 किमी लंबाई की 91 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है, जिस पर 34.60 करोड़ रुपये की राशि व्यय हुई है।
- **मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना (अप्रैल 2024 से नवंबर 2025 तक):** माननीय विधायक एवं माननीय सांसद द्वारा प्रस्तावित कार्यों में से स्थायी वित्त समिति (Standing Finance Committee) के अनुमोदन के पश्चात कुल 681.71 करोड़ रुपये की लागत के 4,059 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत 8.18 करोड़ रुपये की कुल लागत के 07 कार्य शामिल हैं।
- **प्रधानमंत्री जनमन योजना:** जनजातीय कार्य विभाग द्वारा राज्य के कुल 55 जिलों में से 17 जनजातीय जिलों में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 125 बहुउद्देशीय केंद्रों के निर्माण हेतु 23.07.2024 को 75.00 करोड़ रुपये (60.00 लाख रुपये प्रति केंद्र की लागत से) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। कुल 125 कार्यों में से 49 पूर्ण हो चुके हैं और 76 प्रगतिरत हैं। इन 76 प्रगतिरत कार्यों में से 33 पूर्णता के निकट हैं, 31 स्लैब स्तर पर हैं और 12 कार्य प्लिंथ स्तर पर हैं।

4.8.3 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

भारत सरकार ने पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना और इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित कर 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) का शुभारंभ किया। PMAY-G के अंतर्गत, वर्ष 2024-25 तक प्रतीक्षा सूची में शामिल सभी आवासहीन परिवारों और कच्चे/जर्जर मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। भारत सरकार ने अब इस योजना की अवधि को वर्ष 2024-25 से बढ़ाकर 2028-29 तक कर दिया है। योजना के तहत, कुल व्यय का 60% केंद्र सरकार द्वारा और 40% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। पात्र आवासहीन कच्चे मकान वाले परिवारों को वित्तीय सहायता के रूप में निर्माण हेतु ₹1.20 लाख प्रति आवास के साथ-साथ मनरेगा (MGNREGA) के अंतर्गत 90 दिनों का अकुशल मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है।

प्रारंभिक वर्ष 2016-17 से अब तक, कुल 49.71 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष 49.44 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 40.82 लाख आवास (82.11%) पूर्ण हो चुके हैं। लाभार्थियों में 7.34 लाख महिलाएं, 35,265 भूमिहीन परिवार, 9.31 लाख अनुसूचित जाति परिवार, 18.78 लाख अनुसूचित जनजाति परिवार और अन्य श्रेणियों के 21.33 लाख परिवार शामिल हैं।

तालिका क्रमांक 4.21: PMAY-G के अंतर्गत स्वीकृत एवं पूर्ण किए गए आवासों की स्थिति

सरल क्रमांक	वर्ष	आवास निर्माण का लक्ष्य	स्वीकृत आवास	पूर्ण किए गए आवास	पूर्णता का प्रतिशत
1	2016-17	447,156	446,869	438,497	98.10%
2	2017-18	414,116	413,952	407,962	98.60%
3	2018-19	565,458	565,337	560,588	99.20%
4	2019-20	599,621	599,527	589,815	98.40%
5	2020-21	624,090	623,875	605,124	97.00%
6	2021-22	1,149,040	1,148,268	1,088,345	94.80%
7	2024-25	1,172,138	1,146,518	391,947	34.20%
कुल		49,71,619	49,44,346	40,82,278	82.60%

स्रोत: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

वर्ष 2024-25 के लिए, मध्यप्रदेश को 11.72 लाख आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ, जिनमें से 11.45 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं और 3.91 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं। वर्ष 2025-26 के लिए ₹4,400 करोड़ का बजट प्रावधान था, जिसके विरुद्ध ₹5,509.69 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

वर्ष 2025-26 के लिए, भारत सरकार द्वारा 5.24 लाख आवासों का लक्ष्य प्रदान किया गया है, और वर्तमान में स्वीकृति की प्रक्रिया प्रचलन में है। आवास निर्माण के अतिरिक्त, योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में आरसेटी (RSETI - ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) के माध्यम से 7,950 राजमिस्त्री प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से लगभग 2,500 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।



4.8.4 प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन)

पीएम-जनमन कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 नवंबर 2023 को किया गया था। मध्यप्रदेश में, यह तीन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs): बैगा, भारिया और सहारिया को लक्षित करता है। योजना के अंतर्गत, पात्र आवासहीन या कच्चे मकान वाले परिवारों को ₹2 लाख प्रति आवास के साथ-साथ मनरेगा (MGNREGA) के तहत 90 दिनों का अकुशल मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है। मध्यप्रदेश के 24 जिलों में पीएम-जनमन आवास स्वीकृत किए गए हैं: अनूपपुर, अशोकनगर, भिंड, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दतिया, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, मुरैना, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, रायसेन, सतना, सीधी, सिंगरौली, सिवनी, विदिशा और उमरिया। कुल 2.11 लाख परिवारों का सर्वेक्षण किया गया और 1.95 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है।

भारत सरकार ने 1.85 लाख आवासों का लक्ष्य आवंटित किया है, जिसके सापेक्ष 1.83 लाख आवास पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। इस मिशन के तहत पूरे देश में पहला आवास मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले द्वारा पूर्ण किया गया था। राज्य में 1.30 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं और 0.53 लाख आवास निर्माणाधीन हैं। इस मिशन के तहत स्वीकृत और पूर्ण किए गए आवासों की संख्या के मामले में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

4.8.5 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरकारी और सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करने हेतु 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन फेज-I का शुभारंभ किया गया था। यह एक समुदाय-संचालित और मांग-आधारित महत्वाकांक्षी अभियान था, जिसका उद्देश्य आम जनता और वंचित समुदायों के बीच स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना था। इस अभियान के अंतर्गत, 62.90 लाख से अधिक परिवारों में शौचालयों का निर्माण किया गया और उनका उपयोग भी सुनिश्चित किया गया। इसके परिणामस्वरूप, 2 अक्टूबर 2018 को राज्य को खुले में शौच मुक्त (ODF) घोषित कर दिया गया।

अप्रैल 2020 से, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-II कार्यान्वित किया जा रहा है, जो वर्ष 2026-27 तक जारी रहेगा। SBM(G) फेज-II का मुख्य उद्देश्य गांवों में ओडीएफ (ODF) स्थिति को बनाए रखना, सुरक्षित ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से दृश्य स्वच्छता (visual cleanliness) स्थापित कर गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल गांवों (ODF Plus Model Villages) के रूप में परिवर्तित करना है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-II की रणनीति को ठोस और तरल अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान और प्रबंधन के माध्यम से गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए तैयार किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, फेज-II की शुरुआत से 30 नवंबर 2025 तक निम्नलिखित उपलब्धियां दर्ज की गई हैं:

- **ODF स्थिति को बनाए रखने हेतु:** 10,22,931 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL) और 17,666 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (CSC) का निर्माण किया गया।
- **अपशिष्ट प्रबंधन:** 50,712 गांवों में उचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और 50,768 गांवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित किया गया।
- **ODF प्लस गांव:** 50,797 गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है, जिनमें से 50,646 गांव 'मॉडल' (Model) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
- **गोवर्धन (GOBARDhan) परियोजना:** इस परियोजना के तहत 157 बायोगैस संयंत्र पूर्ण किए जा चुके हैं, जिनमें से 134 वर्तमान में चालू (operational) हैं।

- **मल कीचड़ प्रबंधन (FSM):** ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राज्य में 06 मल कीचड़ उपचार संयंत्रों (FSTPs) का निर्माण किया गया है।
- **प्लास्टिक और अन्य कचरा प्रबंधन:**
 - ▶ ईओआई (EOI) के माध्यम से एमआरएफ (MRF - मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) के लिए तकनीकी एजेंसियों का चयन।
 - ▶ शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के एमआरएफ से 5 किमी के दायरे में आने वाले गांवों/ग्राम पंचायतों की पहचान।
 - ▶ 35 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों की पहचान।

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत प्रशिक्षण गतिविधियाँ:

- **परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU):** स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के तहत पीएमयू की स्थापना और प्रशिक्षण कार्य संपन्न किए गए।
- **मास्टर ट्रेनर्स:** 52 जिलों से 56 मास्टर ट्रेनर्स का चयन किया गया और उन्हें ओडीएफ प्लस बुनियादी ढांचे के रखरखाव तथा जलवायु-अनुकूल सिद्धांतों पर प्रशिक्षण दिया गया।
- **नीति निर्माण:** मल कीचड़ प्रबंधन (FSM) और संचालन एवं रखरखाव (O&M) नीतियों के ड्राफ्ट तैयार किए गए और हितधारकों के साथ अंतिम रूप देने के लिए एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियाँ: विशेष रूप से 17 सितंबर 2025 से शुरू हुए 'स्वच्छता ही सेवा 2025' अभियान के संबंध में आईईसी पहलों की प्रगति निम्नलिखित है:

- **सामुदायिक संवाद:** सामुदायिक संवाद और श्रमदान के माध्यम से 51,043 गांवों में जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न किए गए।
- **स्वच्छता लक्षित इकाइयाँ (CTUs):** कुल 34,259 स्वच्छता लक्षित इकाइयों को स्वच्छ ईकाइयों में परिवर्तित और सौंदर्यीकरण किया गया।
- **कचरा पृथक्करण:** गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करने के संबंध में शैक्षिक संदेश 7.13 लाख घरों तक पहुँचाए गए।
- **पर्यावरण स्वच्छता:** स्थानीय नदियों और तालाबों पर केंद्रित 8,902 सफाई अभियानों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई।

अन्य प्रमुख उपलब्धियाँ:

- **स्वच्छोत्सव अभियान:** इसके अंतर्गत 22,000 से अधिक 'स्वच्छ-हरित उत्सव' आयोजित किए गए।
- **स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025:** 52 जिलों के सभी प्रस्तावित गांवों में प्रशिक्षण और गतिविधियाँ पूर्ण कर ली गई हैं।
- **नवाचार:** एक 'स्वच्छता रील मेकिंग' प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें 1,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, सर्वश्रेष्ठ रील्स को पुरस्कृत किया गया।



"स्वच्छता साथी - वॉश ऑन व्हील्स" (WoW) के माध्यम से ग्रामीण स्वच्छता का कायाकल्प

मध्यप्रदेश के हृदय स्थल में एक मौन क्रांति ग्रामीण स्वच्छता का चेहरा बदल रही है। छिंदवाड़ा जिले में एक स्थानीय पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई यह पहल अब एक राज्यव्यापी आंदोलन बन गई है, जिसे "स्वच्छता साथी - वॉश ऑन व्हील्स" (WoW) के नाम से जाना जाता है। माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 1 नवंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च की गई यह तकनीक-आधारित पहल, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के तहत ग्रामीण स्वच्छता रखरखाव की महत्वपूर्ण कमी को दूर कर रही है।

शौचालय निर्माण से आगे की सोच: स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन ग्रामीण संस्थागत परिवेश—जैसे स्कूलों, आंगनवाड़ियों और स्वास्थ्य केंद्रों—में उनका रखरखाव एक निरंतर चुनौती बनी हुई थी। समर्पित स्वच्छता कर्मियों की कमी और पारंपरिक सफाई विधियों की अपर्याप्तता के कारण अक्सर ये सुविधाएं खराब हो जाती थीं। समय के साथ, इन उपेक्षित सुविधाओं ने राज्य के ओडीएफ प्लस (ODF Plus) दर्जे के लिए खतरा पैदा कर दिया था।

नवाचार: स्वच्छता साथी - वॉश ऑन व्हील्स इन बाधाओं को दूर करने के लिए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने WoW मॉडल पेश किया—एक ऐसी सेवा जो स्वच्छता को एक पेशेवर और मांग-आधारित उपयोगिता (utility) के रूप में देखती है।

- **क्लस्टर- आधारित सेवा:** गांवों को 8 से 10 पंचायतों के क्लस्टर में व्यवस्थित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में एक नामित "स्वच्छता साथी" तैनात है।
- **आधुनिक उपकरण:** मैनुअल सफाई से हटकर, ये "साथी" दोपहिया वाहनों पर चलते हैं जो इलेक्ट्रिक या बैटरी से चलने वाले प्रेशर वॉशर और पेशेवर सफाई किट से लैस होते हैं।
- **व्यावसायिक सुरक्षा:** प्रत्येक कार्यकर्ता को हेलमेट, पीपीई किट, मास्क, दस्ताने और गमबूट सहित एक व्यापक व्यक्तिगत सुरक्षा किट प्रदान की जाती है, जो उनके श्रम में गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

उद्यमिता और पारदर्शिता का मॉडल: WoW पहल केवल सफाई नहीं करती; यह एक व्यवहार्य आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है। मानक सेवा दरें—घरेलू उपयोग के लिए ₹50 और संस्थागत इकाइयों के लिए ₹200-₹250—निर्धारित करके, कार्यक्रम समुदाय के लिए वहनीयता और श्रमिकों के लिए अच्छी आय सुनिश्चित करता है। एक सामान्य स्वच्छता साथी अब ₹20,000 से ₹30,000 प्रति माह कमा सकता है, जिससे स्वच्छता कार्य एक सम्मानित उद्यम में बदल गया है।

जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, कार्यक्रम को NIC MP द्वारा विकसित एक परिष्कृत मोबाइल एप्लिकेशन का समर्थन प्राप्त है। यह ऐप लोकेशन ट्रैकिंग के लिए GPS का उपयोग करता है, रीयल-टाइम सेवा बुकिंग सक्षम बनाता है, और शुल्क भुगतान एवं नागरिक फीडबैक के लिए एक पारदर्शी मंच प्रदान करता है।

इस पहल की माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अत्यधिक सराहना की गई और इसे स्वच्छता में नवाचार के लिए प्रतिष्ठित फिक्की (FICCI) नेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया।

- **"मेरा शौचालय मेरा भविष्य" अभियान:** यह अभियान सभी 52 जिलों के 51,043 गांवों में लागू किया गया। इसका मुख्य ध्यान घरेलू और सामुदायिक शौचालयों की कार्यक्षमता (functionality) और उपयोगिता (usability) को बढ़ाने पर केंद्रित था, ताकि स्वच्छता की आदतों को स्थायी बनाया जा सके।

तालिका 4.22 : व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल)- भौतिक प्रगति

क्र.	Year	Target	Achievement	% Achievement
1	2020-21	1,95,185	1,73,806	89.05
2	2021-22	2,47,523	2,35,366	95.09
3	2022-23	3,85,780	1,94,294	50.36
4	2023-24	2,60,003	2,13,133	81.97
5	2024-25	2,00,000	1,73,998	86.99
6	2025-26	2,00,000	30,412	15.20

स्रोत: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश सरकार

तालिका 4.23: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम)- भौतिक प्रगति

Sl. No	Year	Target	Achievement	% Achievement
1	2020-21	5,561	0	0
2	2021-22	22,060	5,278	23.93
3	2022-23	15,890	16,645	104.05
4	2023-24	28,803	18,467	64.11
5	2024-25	10,657	10,135	95.10
6	2025-26	522	191	36.59

स्रोत: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश सरकार

तालिका 4.24: तरल अपशिष्ट प्रबंधन (LWM)- भौतिक प्रगति

Sl. No.	Year	Target	Achievement	% Achievement
1	2020-21	5,195	0	0
2	2021-22	22,061	5,158	23.38
3	2022-23	15,890	25,516	160.58
4	2023-24	20,052	16,428	81.92
5	2024-25	3,948	3,589	90.91
6	2025-26	359	84	23.39

स्रोत: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश सरकार



तालिका 4.25: लक्ष्यों के सापेक्ष वित्तीय प्रगति

क्र.	FY	Target (₹ lakh)			Total Achievement (₹ lakh)
		Central Share	State Share	Total	
1	2020-21	6,750.03	28,243.45	34,993.48	43,629.99
2	2021-22	30,000.00	20,000.00	50,000.00	53,474.83
3	2022-23	26,000.00	14,000.00	40,000.00	52,017.58
4	2023-24	21,617.50	14,411.66	36,029.16	37,537.07
5	2024-25	12,105.00	8,070.00	20,175.00	14,393.13
6	2025-26	3,000.00	2,000.00	5,000.00	2,913.00

स्रोत: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश सरकार

4.8.6 मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (MPSRLM)

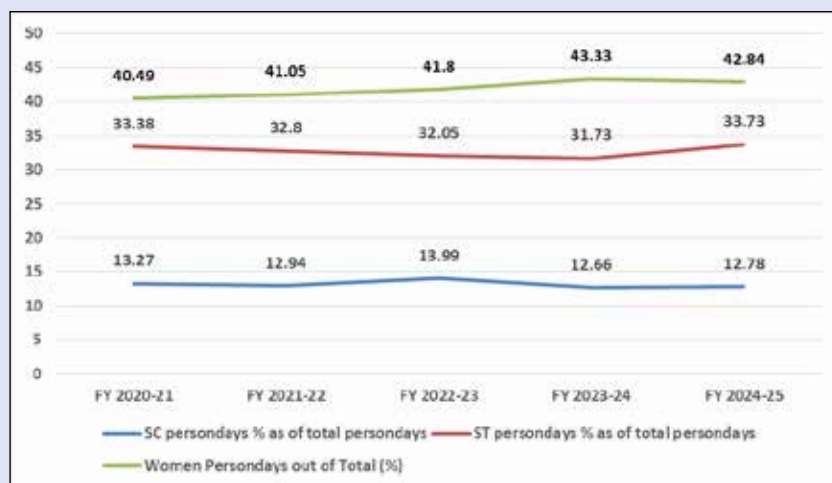
मध्यप्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के माध्यम से स्व-सहायता समूह (SHGs) महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का मुख्य आधार बन गए हैं। मिशन के प्रारंभ से अब तक प्रदेश के 94.30% पात्र ग्रामीण परिवारों को संगठित करते हुए 5.10 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिनमें से लगभग 90% समूहों के पास अपने बैंक खाते हैं। शासन द्वारा निरंतर बढ़ते बजट आवंटन (जो वर्ष 2025-26 में ₹1,339 करोड़ के कुल प्रावधान तक पहुँचा है) के माध्यम से इन समूहों को रिवॉल्विंग फंड, बैंक लिंकेज और कृषि व पशुपालन जैसी आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने के लिए 40,882 ग्राम संगठनों और 1,454 संकुल स्तरीय परिसंघों का ढांचा तैयार किया गया है, जो वित्तीय समावेशन के साथ-साथ स्वास्थ्य, पोषण और जेंडर संवेदीकरण जैसे सामाजिक सुधारों की दिशा में प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं।

रणनीति के केंद्र में नवाचार और समग्र विकास है, जिसमें नमो ड्रोन दीदी, मिलेट (मोटा अनाज) उद्यमिता और "दीदी कैफे" जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। आर्थिक क्षेत्र से परे, मिशन कानूनी अधिकारों के लिए लोक अधिकार केंद्रों के माध्यम से सामाजिक सहायता प्रदान करता है और पारदर्शी, वास्तविक समय (real-time) की निगरानी के लिए सार्थक (Saarthak) ऐप जैसे आईटी उपकरणों का उपयोग करता है। (विस्तृत विवरण के लिए अध्याय 8: सामाजिक-आर्थिक विकास का अवलोकन करें)

4.8.7 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, उन्हें एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करना है।
- वर्ष 2024-25 में, 20.00 करोड़ मानव दिवसों के स्वीकृत श्रम बजट के विरुद्ध 18.97 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए हैं। सृजित कुल मानव दिवसों में से, 12.78% मानव दिवस अनुसूचित जाति परिवारों द्वारा, 33.73% अनुसूचित जनजाति परिवारों द्वारा और 43.84% महिलाओं द्वारा सृजित किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

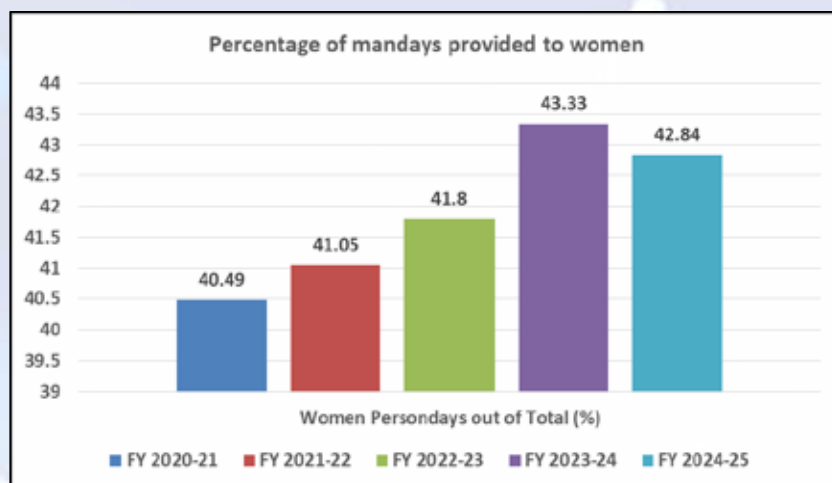
चित्र 4.19: मनरेगा में काम के दिन



स्रोत: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

- वर्ष 2025-26 में (दिनांक 30.11.2025 तक), 15.00 करोड़ मानव दिवसों के स्वीकृत श्रम बजट के विरुद्ध 14.04 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए हैं। सृजित कुल मानव दिवसों में से, 14.26% मानव दिवस अनुसूचित जाति परिवारों द्वारा, 30.57% अनुसूचित जनजाति परिवारों द्वारा और 42.26% महिलाओं द्वारा सृजित किए गए हैं।

चित्र 4.20: महिलाओं को दिए गए मानव दिवस का प्रतिशत



स्रोत: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

- वर्ष 2024-25 में 100 दिनों का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या 71,627 है और वर्ष 2025-26 में (30.11.2025 तक) यह संख्या 25,333 है।
- वर्ष 2024-25 में, कुल राशि का क्रमशः 68% प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM) में और 43.59% कृषि एवं कृषि-संबद्ध कार्यों में व्यय किया गया है।
- मनरेगा के अंतर्गत, वर्ष 2024-25 में मजदूरी पर ₹4,302.65 करोड़ और वर्ष 2025-26 में (दिनांक 30.11.2025 तक) मजदूरी पर ₹3,511.78 करोड़ व्यय किए गए हैं।



- मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी: वर्ष 2024-25 में महिलाओं के कार्य दिवसों का अनुपात 43.84% और वर्ष 2025-26 (30 नवंबर 2025 तक) में 42.26% रहा है

जल गंगा संवर्धन अभियान (2025-26)

जल की उपलब्धता और भू-जल स्तर में निरंतर गिरावट वर्तमान समय की प्रमुख चुनौतियों में से एक है। प्रधानमंत्री के 'नमामि गंगे' जैसे राष्ट्रव्यापी संकल्पों के अनुकरण में मध्यप्रदेश शासन द्वारा जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु 30 मार्च 2025 से 30 जून 2025 की अवधि में 'जल गंगा संवर्धन अभियान' संचालित किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, नवीन जलाशयों का निर्माण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना है। अभियान के अंतर्गत निष्पादित मुख्य गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है:

- 1. अमृत सरोवर (द्वितीय चरण):** अमृत सरोवर योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत जलाशयों के निर्माण हेतु विशिष्ट मानक निर्धारित किए गए हैं। मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर जल ग्रहण क्षेत्र एवं 10,000 घन मीटर जल भरण क्षमता, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में 0.25 हेक्टेयर जल ग्रहण क्षेत्र एवं 2,500 घन मीटर जल भरण क्षमता अनिवार्य की गई है। अभियान के दौरान कुल 544 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, जिनमें से 453 कार्य वर्तमान में प्रगतिरत हैं।
- 2. खेत तालाब निर्माण:** कृषि क्षेत्र में जल आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने हेतु 'सीपरी' (SIPRI) सॉफ्टवेयर के माध्यम से वैज्ञानिक पद्धति से स्थलों का चयन कर 50,000 खेत तालाबों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था।
 - उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज करते हुए कुल 86,360 खेत तालाबों का कार्य प्रारंभ किया गया।
 - वर्तमान स्थिति में 77,347 कार्य प्रगति पर हैं तथा 8,729 तालाब का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- 3. डगवेल रिचार्ज (कूप पुनर्भरण):** भू-जल संवर्धन हेतु राज्य द्वारा 1,00,000 डगवेल रिचार्ज संरचनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
 - लक्ष्य के विरुद्ध कुल 1,05,203 डगवेल रिचार्ज कार्यों का शुभारंभ किया गया।
 - इनमें से 94,979 कार्य प्रगतिरत हैं तथा 9,506 संरचनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

4.8.8 वॉटरशेड विकास - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0

- भारत सरकार और राज्य सरकार (60:40 के अनुपात में) द्वारा वित्त पोषित एक नई वॉटरशेड विकास परियोजना, वॉटरशेड विकास घटक - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 में मध्यप्रदेश में स्वीकृत की गई थी। इस योजना के तहत वर्तमान में 36 जिलों में 91 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जो ₹1,207 करोड़ की परियोजना लागत के साथ कुल 5.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती हैं।
- वॉटरशेड विकास घटक - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत, सूचना प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए परियोजना की निगरानी के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं:
 - **SNA SPARSH:** इसका उपयोग वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रत्येक भुगतान (व्यक्तिगत और संस्थागत) डिजिटल रूप से किया जा रहा है।
 - **सृष्टि - दृष्टि (Shrashti - Drashti) एप्लीकेशन:** इस ऐप के माध्यम से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के वॉटरशेड विकास घटक के अंतर्गत प्रत्येक कार्य की जियोटैगिंग (Geotagging) की जा रही है।

- o **MIS पोर्टल (<https://wdcpmksy.dolr.gov.in/>):** इस एमआईएस के माध्यम से योजना के प्रत्येक कार्य की भौतिक प्रगति की निगरानी की जा रही है।
- o **WMS सॉफ्टवेयर:** इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्य योजना तैयार की जा रही है, और एनआरएम (NRM) तथा उत्पादन प्रणाली की गतिविधियों के लिए ऑनलाइन प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृतियां जारी की जा रही हैं।

तालिका क्रमांक 4.26: वॉटरशेड विकास - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 की वित्तीय प्रगति

वित्तीय वर्ष	केंद्रांश	राज्यांश	कुल उपलब्ध राशि	व्यय (करोड़ रुपये में)
2021-22	75.03	48.21	123.24	0
2022-23	172.62	116.89	289.51	252.57
2023-24	163.75	109.16	272.91	302.94
2024-25	71.76	47.84	119.6	158.77
2025-26	47.4	31.6	79	64.04
कुल	530.56	353.7	884.26	778.32

स्रोत: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

तालिका क्रमांक 4.27: वर्ष 2025-26 के लिए वॉटरशेड विकास घटक - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 की भौतिक प्रगति

सरल क्रमांक	घटक	कार्य	कुल संख्या
1	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (National Resource Management)	चेक डैम/स्टॉप डैम	35
		तालाब	59
		खेत तालाब (Farm pond)	127
		परकोलेशन टैंक (Percolation tank)	3
		रिचार्ज शाफ्ट (Recharge shaft)	4
2	उत्पादन प्रणाली (Production System)	क्लस्टर आधारित सब्जी उत्पादन	9,167 हितग्राही

स्रोत: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

4.8.9 प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण

- प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना सभी शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं, शासन से अनुदान प्राप्त शालाओं एवं मदरसों में क्रियान्वित किया जाता है। लक्षित शालाओं के विद्यार्थियों को प्रत्येक शैक्षणिक दिवस में पका हुआ रूचिकर एवं पौष्टिक भोजन वितरित किया जाता है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के मुख्य उद्देश्य बाल वाटिका, शासकीय तथा शासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाना, वंचित वर्गों से संबंधित



गरीब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करना। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को गर्मी की छुट्टियों और आपदा के समय पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है।

- **वर्ष 2025-26 की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति माह, नवम्बर 2025:-** प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 59.13 लाख दर्ज विद्यार्थी हैं एवं औसत उपस्थिति अनुसार 37.23 लाख विद्यार्थियों को लाभांशित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु भारत सरकार से कुल 1,29,241.78 मै. टन खाद्यान्न (गेहूं/चावल) का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसके विरुद्ध पोर्टल के माध्यम से माह अप्रैल, 2025 से नवम्बर 2025 तक कुल 69,142.37 मै.टन खाद्यान्न जारी किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु भारत सरकार द्वारा योजनातर्गत राशि रु 1,223.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रावधानित राशि के विरुद्ध राशि रु 565.26 करोड़ (राज्यांश एवं केन्द्रांश) प्राप्त हुआ। माह नवम्बर 2025 तक योजनातर्गत कुल राशि रु 282.63 करोड़ का व्यय किया गया है एवं राशि रु. 282.63 करोड़ का आवंटन भारत सरकार से दिनांक 27-11-2025 को प्राप्त हुआ है, जिसका आहरण प्रक्रियाधीन है।
- प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों हेतु राशि रु 6.78 प्रति दिवस. प्रति विद्यार्थियों एवं माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों हेतु राशि रु 10.17 प्रति दिवस. प्रति विद्यार्थी प्रदाय किया जाता है।

अभिनव प्रयास

- प्रदेश के शाजापुर जिले के गुलाना अंतर्गत सांदीपनी शाला में स्व सहायता समूह को मेकेनाईज्ड किचन शेड का प्रशिक्षण दिया जाकर किचन शेड का संचालन किया जा रहा है।
- सामाजिक अंकेक्षण हेतु एमपीएसईडीसी द्वारा तैयार एप के माध्यम से ऑनलाइन निरीक्षण कर ऑनलाइन फीडिंग का नवाचार किया जा रहा है।

4.8.10 पंचायती राज

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए): राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करता है। मूल रूप से वर्ष 2018-19 में केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में शुरू की गई। इस योजना को मार्च 2026 तक विस्तार दिया गया है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना है। योजना का वित्तीय ढांचा केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने ₹188.25 करोड़ के पर्याप्त आवंटन को मंजूरी दी है। जमीनी स्तर पर प्रशासनिक क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरुआती स्वीकृत किस्तों के जारी होने और उनके उपयोग के साथ प्रगति पहले से ही दिखाई दे रही है।

आरजीएसए के जनादेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा व्यापक क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण है। अकेले वर्ष 2025-26 की अवधि में, त्रि-स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, कार्यकारी अमले और महिला स्वयं सहायता समूहों सहित 1.37 लाख से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। ये कार्यक्रम स्थानीय शासन को सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ संरेखित करने और ग्रामीण विकास पहलों के समग्र प्रबंधन में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यह निरंतर शैक्षिक प्रयास सुनिश्चित करता है कि स्थानीय नेता आधुनिक शासन की चुनौतियों से निपटने और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूर्णतः सुसज्जित हैं।

राज्य "महिला एवं बाल हितैषी पंचायतों" के माध्यम से अधिक समावेशी शासन की ओर रणनीतिक कदम उठा रहा है। इन विशिष्ट पहलों का समर्थन करने के लिए, जिला, जनपद स्तर पर 782 मानव संसाधन कर्मी उपलब्ध कराए गये हैं। महिला-हितैषी पंचायत पहल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, छतरपुर और राजगढ़ जिलों की 15-15 ग्राम पंचायतों को लक्षित विकास के लिए चिन्हित किया गया है। इसके अलावा, राज्य डेटा-संचालित शासन के प्रति प्रतिबद्ध है, जिसका प्रमाण अगस्त 2025 में आयोजित एक बड़े पैमाने की कार्यशाला से मिलता है, जहाँ 700 से अधिक प्रतिभागियों ने पंचायत मूल्यांकन सूचकांक (PAI) 1.0 के प्रसार और PAI 2.0 के आगामी कार्यान्वयन पर चर्चा की।

संदर्भ

1. मध्यप्रदेश शासन। कृषि एवं संबद्ध मुद्दे, निर्देश एवं कार्य बिंदु। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 2025 में प्रस्तुतिकरण, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. मध्यप्रदेश शासन। जिला ओडीओपी प्रोफाइल। एमपी ट्रेड पोर्टल — निर्यात एवं ओडीओपी से संबंधित आधिकारिक शासकीय मंच, मध्यप्रदेश शासन। (अभिगमन वर्ष: 2025)। उपलब्ध: <https://mptradeportal.org/districtProfileOdop>
3. मध्यप्रदेश शासन। कृषि विशेष 2026: कृषक कल्याण वर्ष-2026 कैलेंडर एवं प्रमुख पहलें। अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय (DES), भोपाल।
4. मध्यप्रदेश शासन। समृद्ध मध्यप्रदेश @2047: विकसित एवं आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश हेतु रोडमैप (दृष्टि दस्तावेज)। योजना, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग, भोपाल।
5. नीति आयोग (भारत सरकार)। सर्वोत्तम प्रथाएँ — कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ, मध्यप्रदेश। NITI for States (NFS) पोर्टल, 2025। (अभिगमन वर्ष: 2025)। उपलब्ध: <https://www.nitiforstates.gov.in/best-practice-explore>



उद्योग, एमएसएमई और अधोसंरचना

“हमारा लक्ष्य मध्यप्रदेश को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना और आर्थिक समृद्धि व आत्मनिर्भरता के नए आयाम स्थापित करना है।”

डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री

मैक्रो परिप्रेक्ष्य

आर्थिक विकास के लिए राज्य का दृष्टिकोण उद्योग, एमएसएमई, सेवाओं, पर्यटन और मुख्य बुनियादी ढांचे में समन्वित हस्तक्षेपों के माध्यम से एक विविध, लचीली और भविष्य के लिए तैयार अर्थव्यवस्था के निर्माण के उद्देश्य से निर्देशित है। राज्य की रणनीति वृद्धिशील विकास से इकोसिस्टम-आधारित परिवर्तन में बदलाव को दर्शाती है, जिसमें सरकार स्थिरता और उद्यम में आसानी (Ease of enterprise) सुनिश्चित करते हुए स्वयं को निवेश, नवाचार, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय संतुलन के सूत्रधार के रूप में स्थापित करती है।

वर्ष 2025 को ‘उद्योग एवं रोजगार वर्ष’ के रूप में घोषित करने से राज्य की औद्योगिक नीति ढांचे में एक रणनीतिक बदलाव हुआ है। विनिर्माण, सेवाओं, बुनियादी ढांचे, नवाचार और स्थिरता के अनुरूप संरचित नीतियों की एक नई पीढ़ी, मध्यप्रदेश को दीर्घकालिक आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ विकास को संरेखित करते हुए, एक प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित कर रही है। नियोजित औद्योगिक पार्कों, भूमि बैंकों और बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित उन्नत विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरणों, रचनात्मक उद्योगों और रसद जैसे उच्च क्षमता वाले और भविष्योन्मुखी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। ये उपाय पर्याप्त निवेश रुचि और रोजगार क्षमता में बदल गए हैं, जो निवेशकों के विश्वास में सुधार को दर्शाते हैं।

‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ सुधार इस रणनीति का एक मुख्य प्रवर्तक हैं। नियामक भार में चरणबद्ध कमी, अनुमोदनों का सरलीकरण, समयबद्ध डिजिटल भूमि आवंटन और अनुपालन आवश्यकताओं के युक्तिकरण ने उद्यमों के लिए प्रवेश और परिचालन बाधाओं को काफी कम कर दिया है।

एमएसएमई को समावेशी विकास और रोजगार के इंजन के रूप में माना जाता है। राष्ट्रीय और बहुपक्षीय कार्यक्रमों द्वारा समर्थित बढ़ी हुई वित्तीय सहायता, क्लस्टर विकास, कौशल उन्नयन, ऋण सुविधा, बाजार पहुंच, सूक्ष्म और लघु उद्यमों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा का विस्तार कर रहे हैं। स्टार्टअप्स, महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों, ODOP उत्पादों और पारंपरिक उद्योगों पर समानांतर जोर यह सुनिश्चित करता है कि विकास व्यापक, क्षेत्रीय रूप से फैला हुआ और सामाजिक रूप से समावेशी हो।

सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से पर्यटन, व्यापार और शहरी सेवाएं, विकास और रोजगार के एक प्रमुख चालक के रूप में उभर रहे हैं। पर्यटन नीति ‘विकास भी, विरासत भी’ के सिद्धांत पर आधारित है, जो निवेश प्रोत्साहन, बेहतर कनेक्टिविटी और सामुदायिक भागीदारी के साथ विरासत संरक्षण को जोड़ती है। पर्यटकों की संख्या और संबंधित राजस्व में तेजी से वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था और स्थानीय आजीविका में पर्यटन के बढ़ते योगदान को रेखांकित करती है।

समृद्ध मध्यप्रदेश@2047 के दृष्टिकोण पर आधारित मध्यप्रदेश की आर्थिक विकास रणनीति एक संतुलित और सुधारोन्मुखी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। नीतिगत सुसंगतता, बुनियादी ढांचे के नेतृत्व वाले विकास एवं समावेशी उद्यम विकास के संयोजन से राज्य निरंतर आर्थिक विस्तार और गुणवत्तापूर्ण रोजगार के लिए एक मजबूत नींव रख रहा है।

5.1 उद्योग

5.1.1 नीतिगत पहल

वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया गया था, जिसके दौरान 18 नई नीतियां शुरू की गई थीं। इन नीतियों को चार प्रमुख स्तंभों के तहत संरचित किया गया - विनिर्माण, सेवाएं, बुनियादी ढांचा और नवाचार और स्थिरता।

इन नीतियों का उद्देश्य राज्य में समावेशी, टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। सामूहिक रूप से, इन नीतियों का उद्देश्य निवेश प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचे के निर्माण, कौशल विकास और नवाचार को कवर करते हुए एक एकीकृत ढांचा बनाना है, जो विकसित मध्यप्रदेश को प्राप्त करने के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ जुड़ा हुआ है।

सेमीकंडक्टर नीति के तहत, वर्ष 2025-26 में महत्वपूर्ण प्रगति की गई, जिसमें एंकर निवेश, भूमि आवंटन, चरणबद्ध निवेश योजनाओं, कौशल अनुसंधान सहयोग के प्रस्तावों की प्राप्ति शामिल है, जिससे दीर्घकालिक सेमीकंडक्टर-आधारित औद्योगिक इकोसिस्टम का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, सेमीकंडक्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में उद्योग-अकादमिक सहयोग, कौशल विकास, परीक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उद्योग के नेतृत्व वाले उत्कृष्टता केंद्र (CoE) की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की गई, जो पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्यप्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति 2025 में GCC से संबंधित प्रस्तावों, लीज-आधारित कार्यालय बुनियादी ढांचे और चरणबद्ध विस्तार मॉडल में निवेशकों की रुचि में वृद्धि देखी गई है। मध्यप्रदेश AVGC-XR नीति 2025 के लिए, राज्य शासन ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन में चार सरकारी ललित कला महाविद्यालयों में एवीजीसी-एक्सआर लैब स्थापित करना शुरू किया, जिसका उद्देश्य अकादमिक-उद्योग संबंधों को मजबूत करना, युवाओं के व्यवहारिक कौशल को बढ़ाना तथा रचनात्मक-तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। मध्यप्रदेश ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति 2025 IISER भोपाल के सहयोग से ड्रोन में उत्कृष्टता केंद्र (CoE) स्थापित करने कि एक महत्वपूर्ण पहल है, जो अनुसंधान, परीक्षण, प्रशिक्षण और उद्योग-अकादमिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करती है। इस उभरते क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए ड्रोन-आधारित कौशल विकास, परीक्षण सुविधाएं, पायलट परियोजनाएं और नवाचार गतिविधियां शामिल हैं। मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 को प्रस्तावों के लिए कुल 43 आशय पत्र प्राप्त हुए हैं। फिल्म पर्यटन नीति 2025 में लगभग 19 फिल्म शूटिंग प्रस्तावों को आकर्षित किया गया है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) पॉलिसी 2025 के अंतर्गत आधारभूत संरचना कार्यान्वयन से संबंधित ऑनलाइन आवेदनों के लिए सितंबर 2025 में CGD सिंगल विंडो पोर्टल लाइव हो गया है।

वर्ष 2025-26 के दौरान जनवरी के अंत तक कुल 1028 इकाइयों को कुल 6125 एकड़ भूमि आवंटित की गई, जिसमें 1,17,417 करोड़ रुपये का निवेश और 1,77,328 को रोजगार प्रस्तावित है। मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 के तहत प्रावधानित सुविधा/सहायता के लिए आवंटित बजट के मुकाबले वर्ष 2025-26 के तहत पात्र 192 बड़े पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को ₹ 1140.91 करोड़ की सुविधा/सहायता वितरित की गई है। पर्यटन नीति 2025 ने 14 परियोजनाओं के लिए ₹ 10.55 करोड़ के अनुदान को मंजूरी दी है, जिसमें ₹ 138.82 करोड़ का निवेश आकर्षित किया गया है और आतिथ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाया गया है। ₹ 385 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के लिए दो अल्ट्रा मेगा परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं।



निवेश आकर्षित करने हेतु आउटरीच

क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलनों, क्षेत्रीय उद्योग कौशल और रोजगार सम्मेलनों (RISE), राष्ट्रीय रोड शो और अंतर्राष्ट्रीय रोड शो के माध्यम से प्राप्त निवेश प्रस्तावों पर कुल ₹ 11,71,610 करोड़ के निवेश और 9,29,365 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों का प्रस्ताव किया गया है।

वर्ष के दौरान, निर्यात संवर्धन पहलों में तेजी से विस्तार देखा गया है। जुलाई 2025 में आयोजित राष्ट्रीय ओडीओपी पुरस्कार 2024 हेतु मध्यप्रदेश को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हुए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में रजत पुरस्कार मिला। मई 2025 में गुना में आयोजित धनिया निर्यात संवर्धन कार्यक्रम (Coriender Export Promotion Program) और इंदौर में आयोजित मैटेक्सिल (MATEXIL) सेमिनार सहित कई विशेष पहल शुरू की गई। मई 2025 में भोपाल में आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष एक ओडीओपी प्रदर्शनी आयोजित और प्रस्तुत की गई है। ग्वालियर, मुरैना, गुना, शिवपुरी, बैतूल, इंदौर, जबलपुर, कटनी और रीवा सहित नौ से अधिक जिलों में ओडीओपी और निर्यात-केंद्रित कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इसके अलावा, निर्यात सुविधा और उद्यम समर्थन को मजबूत करने के लिए 'मध्यप्रदेश से मिशन निर्यात' और 'ओडीओपी एक्सेलेरेटर पोर्टल' को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

लुधियाना, कोलकाता, गुवाहाटी और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में आठ से अधिक निवेशक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए गए। इसके अलावा, चंदेरी इको रिट्रीट फेस्टिवल के दौरान, चंदेरी बायर सेलर मीट ने नवंबर 2025 में क्रेता-विक्रेता बैठकों के तीन चरणों का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिससे बाजार संबंधों को और मजबूत किया गया।

(उद्योग विभाग, मध्यप्रदेश शासन, जनवरी 2026)

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EODB) सहायक पहल

मध्यप्रदेश जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2024: राज्य में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश शासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह पहल छोटे अपराधों के गैर-अपराधीकरण, दंड प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने और राज्य में प्रचलित विभिन्न कानूनों/अधिनियमों के अनुपालन ढांचे को सरल बनाने पर केंद्रित है। मध्यप्रदेश जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम 2024 में 5 विभागों से संबंधित 8 अधिनियमों के 64 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया गया है। इन संशोधनों में कारावास की सजा को जुर्माने में बदलना, जुर्माने को लेवी में बदलना, कंपाउंडिंग (सुलह) प्रावधान पेश करना और कुछ धाराओं को निरस्त करना शामिल है। इन सुधारों का उद्देश्य न्यायिक मामलों को कम करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना और राज्य की नीतिगत प्राथमिकताओं के अनुरूप एक व्यवसाय-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EODB) रैंकिंग - DPIIT की बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) 2024 के तहत 287 सुधार बिंदुओं में से 282 को अब तक सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है और शेष 5 सुधारों पर कार्यवाही जारी है। इसके अलावा, BRAP+ के तहत 162 अतिरिक्त सुधार (70 BRAP + 92 RCB) वर्तमान में लागू किए जा रहे हैं।

अनुपालन भार को कम करना - RCB प्रक्रिया के तहत कुल 2,483 अनुपालनों को कम/ सरल बनाया गया है और 920 से अधिक अनावश्यक अधिनियमों को भी निरस्त कर दिया गया है।

जीआईएस आधारित उन्नत भूमि आवंटन प्रणाली - उक्त प्रणाली के तहत भूमि आवंटन की समय सीमा 59 दिन से घटाकर 29 दिन कर दी गई है। इस पहल ने भूमि आवंटन की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और कुशल बना दिया है। सिस्टम द्वारा 1880 से अधिक औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए हैं।

मध्यप्रदेश उद्योग की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अधिनियम, 2023: यह अधिनियम राज्य में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और संचालन के लिए 07 विभागों के 22 अनुमोदनों और उनके संबंधित निरीक्षणों से 3 वर्ष की छूट प्रदान करता है। राज्य ने 'मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना और संचालन का सरलीकरण अधिनियम, 2023' अधिसूचित किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2215.18 करोड़ रुपये की लागत से 2349.25 एकड़ क्षेत्र के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। (उद्योग विभाग, मध्यप्रदेश शासन, जनवरी 2026)

5.1.2 उद्योगों का परिदृश्य

द्वितीयक क्षेत्र

सकल मूल्य वर्धन

राज्य अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्रों की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों द्वारा सकल मूल्य वर्धन तालिका संख्या 5.1 में प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2025-26 में, द्वितीयक क्षेत्र में 9.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण क्षेत्र में 46.59 प्रतिशत, विनिर्माण क्षेत्र में 36.48 प्रतिशत तथा विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं में 16.93 प्रतिशत योगदान रहा।

**तालिका 5.1 द्वितीयक क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों द्वारा
सकल राज्य मूल्य वर्धन (आधार वर्ष 2011-12)**

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	वर्ष 2016-17	वर्ष 2023-24 (प्रावधिक अनुमान)	वर्ष 2024-25 (त्वरित अनुमान)	वर्ष 2025-26 (अग्रिम अनुमान)
विनिर्माण	57,324	1,02,400	1,06,552	1,13,933
विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	20,149	41,086	49,262	52,894
निर्माण	48,944	1,16,267	1,28,311	1,45,523
द्वितीयक क्षेत्र	1,26,417	2,59,752	2,84,125	3,12,350

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन, 2026

द्वितीयक क्षेत्र का कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2016-17 में 1,26,417 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 3,12,350 करोड़ रुपये हो गया, जो लगभग 147 प्रतिशत की समग्र वृद्धि दर्शाता है। इसी अवधि में, निर्माण क्षेत्र प्रमुख उप-क्षेत्र के रूप में उभरा, जो उच्चतम निरपेक्ष मूल्यों (largest absolute values) और उच्चतम समग्र विकास (highest overall growth) का योगदान देता है; यह लगभग 197 प्रतिशत की वृद्धि के साथ आकार में लगभग तीन गुना हो गया है। पिछले एक दशक में, निर्माण क्षेत्र ने 13.24 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की, जबकि विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवा क्षेत्र में 9.81 प्रतिशत तथा विनिर्माण क्षेत्र में 9.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कारखानों की संख्या तथा स्थिर पूंजी

कारखानों की संख्या वर्ष 2014-15 में 4240 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 5102 हो गई है, जो दशक में लगभग 20% की शुद्ध वृद्धि को दर्शाती है, जैसा कि चित्र 5.1 में दर्शाया गया है। यह निरंतर औद्योगिक विस्तार और विनिर्माण इकाइयों के निरंतर प्रवेश को इंगित करता है। स्थिर पूंजी निवेश वर्ष 2014-15 में 0.97 लाख करोड़



रुपये से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 2.43 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें 150 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि विशेष रूप से वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 में और वर्ष 2023-24 में स्पष्ट है, जो त्वरित पूंजी निर्माण और क्षमता वृद्धि के चरणों का सुझाव देती है।

स्थिर पूंजी की वृद्धि दर कारखाने की गणना की तुलना में अधिक यह उच्च पूंजी गहनता, बड़े पैमाने की इकाइयों, आधुनिकीकरण और मौजूदा कारखानों के विस्तार की ओर बदलाव का संकेत देता है। उपरोक्त आंकड़ें दर्शाते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ हो रहा है; जहाँ कारखानों की संख्या में निरंतर वृद्धि के साथ साथ स्थिर पूंजी निवेश में अधिक बढ़ोत्तरी देखी जा रही है। दोनों के बीच मजबूत सकारात्मक सह-संबंध स्वस्थ औद्योगिक विकास को रेखांकित करता है, जिसमें पूंजी-गहन (capital-intensive) और उच्च-मूल्य विनिर्माण (higher-value manufacturing) पर जोर दिया जाता है।



चित्र 5.1 कारखानों की संख्या और स्थिर पूंजी

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन, 2026

कारखानों में सकल उत्पादन तथा शुद्ध मूल्य वर्धन

सकल उत्पादन (Gross Output) में स्पष्ट रूप से निरंतर वृद्धि का रुझान परिलक्षित होता है, जो वर्ष 2014-15 में ₹1.82 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹4.51 लाख करोड़ तक पहुँच गया है। इस प्रकार, विगत एक दशक में सकल उत्पादन में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि अधिकांशतः स्थिर रही है, यद्यपि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान इसमें आंशिक कमी देखी गई। इसके पश्चात् वर्ष 2021-22 से तीव्र पुनरुद्धार एवं तेज वृद्धि दर्ज की गई है। विगत तीन वर्षों में सकल उत्पादन में हुई तीव्र वृद्धि औद्योगिक उत्पादन क्षमता में सशक्त पुनरुत्थान एवं विस्तार को दर्शाती है। शुद्ध मूल्य वर्धन (NVA) वर्ष 2014-15 में 2.15 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2023-24 में लगभग 6.58 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो लगभग तीन गुना की वृद्धि को दर्शाता है। शुद्ध मूल्य वर्धन वर्ष 2014-15 में 2.15 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2023-24 में लगभग 6.58 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो लगभग तीन गुना विस्तार का संकेत देता है। वर्ष 2019-20 में एक अस्थायी गिरावट देखी गई है, जो

कोविड-19 महामारी के बाद आर्थिक मंदी की अवधि के अनुरूप है; हालांकि, बाद के वर्षों में एनवीए में मजबूती से सुधार हुआ। वर्ष 2020-21 के बाद से, शुद्ध मूल्य वर्धन एक त्वरित गति से बढ़ा है, जो उत्पादकता, दक्षता और उत्पादन की प्रति इकाई मूल्यवर्धन में सुधार को दर्शाता है। विगत एक वर्ष में सकल उत्पादन में लगभग 5 प्रतिशत और शुद्ध मूल्य वर्धन में 17.3 प्रतिशत तीव्र वृद्धि हुई है।

प्रारंभिक वर्षों के दौरान शुद्ध मूल्य वर्धन की वृद्धि दर, सकल उत्पादन (Gross Output) की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से कम है, जो उत्पादन प्रक्रिया में उच्च इनपुट लागत एवं सीमित मूल्य संवर्धन को दर्शाती है। तथापि, उत्तरवर्ती वर्षों में, विशेषकर वर्ष 2021-22 के पश्चात्, शुद्ध मूल्य वर्धन में सकल उत्पादन की अपेक्षा अधिक तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे लागत दक्षता में सुधार, उच्च मूल्य-संवर्धित विनिर्माण गतिविधियों के विस्तार तथा बेहतर मूल्य निर्धारण क्षमता का संकेत मिलता है।

सकल उत्पादन और शुद्ध मूल्य वर्धन के मध्य अंतर में आई कमी तथा महामारी उपरांत शुद्ध मूल्य वर्धन की सुदृढ़ वृद्धि औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक मजबूती को रेखांकित करती है। समग्र रूप से, यह परिदृश्य बीते एक दशक में औद्योगिक क्षेत्र के सुदृढ़, लचीले एवं सतत् प्रदर्शन को प्रतिबिंबित करता है, जो केवल उत्पादन क्षमता के विस्तार तक सीमित न होकर एक परिपक्व एवं सशक्त औद्योगिक पारिस्थिकी तंत्र के विकास का द्योतक है।



चित्र 5.2 कारखानों में सकल उत्पादन तथा शुद्ध मूल्य वर्धन

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन, 2026

सकल मूल्य वर्धन

राज्य अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्रों की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों द्वारा सकल राज्य मूल्य वर्धन तालिका संख्या 5.2 में प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2025-26 में, तृतीयक क्षेत्र में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि में, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट क्षेत्र में 27.89 प्रतिशत, लोक प्रशासन क्षेत्र में



13.37 प्रतिशत, स्थावर सम्पदा, आवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएं में 13.41 प्रतिशत और वित्तीय सेवा क्षेत्र में 10.04 प्रतिशत का योगदान रहा।

**तालिका 5.2 तृतीयक क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों द्वारा
सकल राज्य मूल्य वर्धन (आधार वर्ष 2011-12)**

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	वर्ष 2016-17	वर्ष 2023-24 (प्रावधिक अनुमान)	वर्ष 2024-25 (त्वरित अनुमान)	वर्ष 2025-26 (अग्रिम अनुमान)
व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट	66,891	1,36,275	1,47,319	1,63,336
परिवहन एवं भंडारण	17,099	36,918	40,250	44,162
रेलवे	6,629	10,780	11,624	12,874
संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं	10,365	22,406	24,102	26,511
वित्तीय सेवाएं	22,347	44,338	50,481	58,790
रियल एस्टेट, आवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएं	32,200	62,002	68,499	78,533
लोक प्रशासन	29,421	54,408	64,879	78,270
अन्य सेवाएं	35,084	85,007	98,525	1,23,112
तृतीयक क्षेत्र	2,20,035	4,52,134	5,05,679	5,85,588

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन, 2026

तृतीयक क्षेत्र का कुल सकल मूल्य वर्धन वर्ष 2016-17 में 2,20,035 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 5,85,588 करोड़ रुपये हो गया, जो लगभग 166 प्रतिशत की समग्र वृद्धि है। इस क्षेत्र ने हाल के वर्षों में निरंतर विकास पथ (sustained growth trajectory) बनाए रखा है, वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के बीच 8.50 प्रतिशत, वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 के बीच 11.84 प्रतिशत और वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 के बीच 15.80 प्रतिशत का विस्तार हुआ है।

तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट प्रमुख उप-क्षेत्र है, जिसमें वर्ष 2016-17 से वर्ष 2025-26 के बीच 144% समग्र वृद्धि हुई है। पिछले एक दशक में, लोक प्रशासन क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि 12.26 प्रतिशत है; परिवहन और भंडारण क्षेत्र 11.95 प्रतिशत है; व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट क्षेत्र 11.67 प्रतिशत है; स्थावर सम्पदा, आवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवा क्षेत्र का स्वामित्व 10.68 प्रतिशत है; वित्तीय सेवा क्षेत्र 9.96 प्रतिशत है; इसके बाद संचार & प्रसारण से संबंधित सेवाओं का स्थान रहा जो 9.46 प्रतिशत और रेलवे क्षेत्र में 8.31 प्रतिशत रहा।

नीति आयोग की रिपोर्ट “इंडियाज सर्विस सेक्टर - इनसाइट्स फ्रॉम जीएसवीए ट्रेण्ड्स एंड स्टेट लेवल डायनेमिक्स 2025” से पता चलता है कि मध्यप्रदेश में सेवा क्षेत्र पहले से ही सेवा-संपन्न राज्य की तुलना में तेजी से विस्तार

कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि आगामी वर्षों में उपयुक्त नीतिगत समर्थन के साथ सेवा क्षेत्र की परिपक्वता एवं समग्र प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार की प्रबल संभावना है।

सेवा क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा

सेवा क्षेत्र में रोजगार का समावेशन समावेशी एवं सतत् विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023-24 में मध्यप्रदेश के कुल कार्यबल का 19.7 प्रतिशत सेवा क्षेत्र में नियोजित था। सेवा क्षेत्र में रोजगार का वितरण मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है, जहाँ लगभग 55 प्रतिशत शहरी कार्यबल सेवाओं में कार्यरत है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात लगभग 10 प्रतिशत है, जो राज्य में सेवा क्षेत्र के रोजगार की शहरी-केन्द्रीयकरण को दर्शाता है।

लैंगिक दृष्टि से, लगभग 25 प्रतिशत पुरुष कार्यबल तथा लगभग 10 प्रतिशत महिला कार्यबल सेवा-आधारित रोजगार में अपना योगदान दे रहे हैं। राज्य में सेवा क्षेत्र का रोजगार मुख्यतः पारंपरिक सेवाओं में केंद्रित है, जैसा कि तालिका 5.3 में परिलक्षित होता है। सेवाओं के क्षेत्रीय मिश्रण से यह भी स्पष्ट होता है कि राज्य में सेवा क्षेत्र का रोजगार प्रायः अनौपचारिक (Informal) प्रकृति का है।

तालिका 5.3 सेवा रोजगार की उप-क्षेत्र संरचना

उप-क्षेत्र	मध्यप्रदेश का हिस्सा (%)	भारत का हिस्सा (%)
थोक और खुदरा व्यापार	39.7	31.8
परिवहन और भंडारण	13.5	12.0
शिक्षा	11.1	8.9
आवास एवं खाद्य	7.9	8.3
लोक प्रशासन	6.3	4.5
वित्तीय सेवाएं	3.2	5.4
सूचना और संचार	1.2	4.8
व्यावसायिक सेवाएं	1.3	3.2

स्रोत: भारत के सेवा क्षेत्र पर रिपोर्ट- रोजगार के रुझान और राज्य स्तरीय गतिशीलता 2025 से अंतर्दृष्टि, नीति आयोग

घरेलू पर्यटकों का आगमन

पर्यटन मध्यप्रदेश के सेवा क्षेत्र के सर्वाधिक सशक्त उप-क्षेत्रों में से एक है, जिसे राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविध वन्यजीव अभ्यारण्य तथा प्रमुख धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थलों का सुदृढ़ आधार प्राप्त है। वर्ष 2024-25 में राज्य ने देश में कुल घरेलू पर्यटकों के आगमन में 4.52 प्रतिशत की हिस्सेदारी दर्ज करते हुए लगभग 13.39 करोड़ पर्यटकों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर 9वाँ स्थान प्राप्त किया (India Tourism Data Compendium, 2025)। उल्लेखनीय रूप से, बीते पाँच वर्षों के दौरान मध्यप्रदेश में पर्यटकों के आगमन में 66.65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पर्यटन क्षेत्र में किए गए नीतिगत सुधारों एवं अवसंरचनात्मक समर्थन के सकारात्मक प्रभाव को प्रतिबिंबित करती है।



आईटी और सॉफ्टवेयर निर्यात

आईटी और सॉफ्टवेयर निर्यात उच्च-मूल्य, ज्ञान-गहन सेवाओं की परिपक्वता को दर्शाते हैं। वर्ष 2025-26 (नवंबर तक) में, मध्यप्रदेश ने लगभग 4,038 करोड़ रुपये का आईटी निर्यात दर्ज किया, जो मुख्य रूप से इंदौर और भोपाल जैसे उभरते केंद्रों द्वारा संचालित है (उद्योग विभाग, मध्यप्रदेश शासन, फरवरी 2026)। हालांकि यह पिछले वर्षों की तुलना में सुधार का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य केंद्रित आईटी पार्कों, कुशल जनशक्ति विकास और स्टार्टअप-अनुकूल इकोसिस्टम के साथ आगे प्रगति कर सकता है। (Ministry of Electronics & IT, March 2025)

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर: प्रति 100 जनसंख्या पर इंटरनेट सब्सक्राइबर

डिजिटल अवसंरचना आधुनिक सेवा वितरण की आधारशिला के रूप में उभर रही है। जून 2025 तक मध्यप्रदेश में प्रति 100 जनसंख्या पर 59.18 इंटरनेट ग्राहक उपलब्ध थे, जिनमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच स्पष्ट अंतर परिलक्षित होता है (ग्रामीण: 36.93, शहरी: 113.92)। डिजिटल अवसंरचना की बढ़ती पहुँच राज्य में आईटी सेवाओं, ई-कॉमर्स, डिजिटल वित्त तथा दूरस्थ कार्य जैसे उभरते सेवा क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित कर रही है। दिल्ली (264.15) और केरल (102.37) जैसे उच्च प्रदर्शन वाले राज्यों के अनुभव यह दर्शाते हैं कि सुदृढ़ डिजिटल पहुँच सेवा क्षेत्र के विस्तार एवं गहनता को किस प्रकार तीव्र गति प्रदान करती है। (Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) Quarterly Performance Indicators Report (Apr-Jun 2025), September 2025)

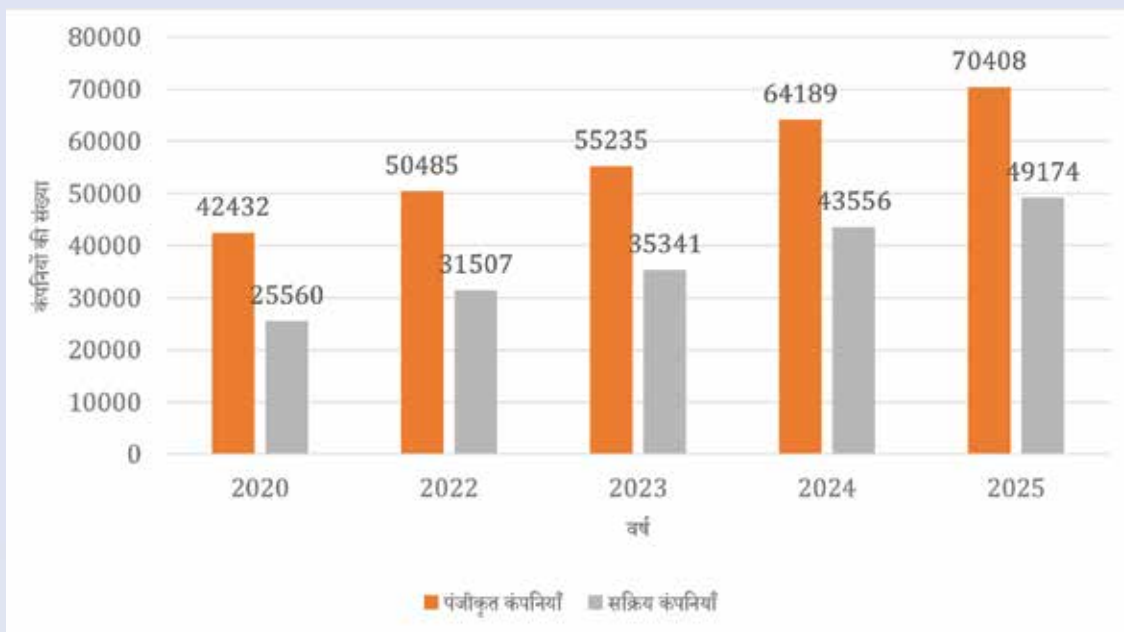
कारोबारी माहौल और नवाचार

संरचनात्मक चुनौतियों की अपेक्षा, मध्यप्रदेश ने नियामक सुधारों के क्षेत्र में सशक्त प्रदर्शन किया है। बिज़नेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP) 2024 के अंतर्गत राज्य ने 97.01 प्रतिशत अनुपालन प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर 5वाँ स्थान हासिल किया है, जो सेवा क्षेत्र के उद्यमों के लिए अनुकूल एवं सक्षम कारोबारी वातावरण को दर्शाता है।

नवाचार के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश की स्थिति सुदृढ़ रही है। राज्य में DPIIT भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 6,507 स्टार्टअप सक्रिय हैं, जिससे मध्यप्रदेश देश के शीर्ष दस राज्यों में शामिल है। इनमें से अधिकांश स्टार्टअप सेवा क्षेत्र से संबंधित हैं तथा इनमें महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों की भी उल्लेखनीय भागीदारी है, जो सेवा क्षेत्र में समावेशी एवं नवाचार-आधारित विकास को प्रतिबिंबित करती है। (Ministry of Commerce & Industry, November 2025)

5.1.3 व्यापार हेतु पारिस्थितिकी तंत्र का परिदृश्य

शासन के प्रभावी हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश में व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर सुधार परिलक्षित हो रहा है। वर्ष 2020 से 2025 की अवधि के दौरान राज्य के कॉर्पोरेट क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जैसा कि चित्र 5.3 में दर्शाया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मध्यप्रदेश में कंपनियों के पंजीकरण में इस अवधि के दौरान 13.6 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर दर्ज की गई, जो कि राष्ट्रीय स्तर की वार्षिक औसत वृद्धि दर 10.3 प्रतिशत से अधिक है। वहीं, राज्य में सक्रिय कंपनियों की वार्षिक औसत वृद्धि दर 12.8 प्रतिशत रही है, जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि दर 17.9 प्रतिशत रही है।



चित्र 5.3 मध्यप्रदेश में पंजीकृत कंपनियों की स्थिति

स्रोत: Ministry of Corporate Affairs, Government of India, for various years

नोट: वर्ष 2021 के लिए डेटा अनुपलब्ध

मध्यप्रदेश में भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के तहत साझेदारी फर्मों का पंजीकरण धीरे-धीरे बढ़ रहा है जैसा कि तालिका 5.4 में सूचीबद्ध है।

तालिका 5.4 मध्यप्रदेश में भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के तहत पंजीकृत फर्म

वर्ष	पंजीकृत फर्मों की संख्या
2019-20	1919
2020-21	2199
2021-22	2185
2022-23	2240
2023-24	2871

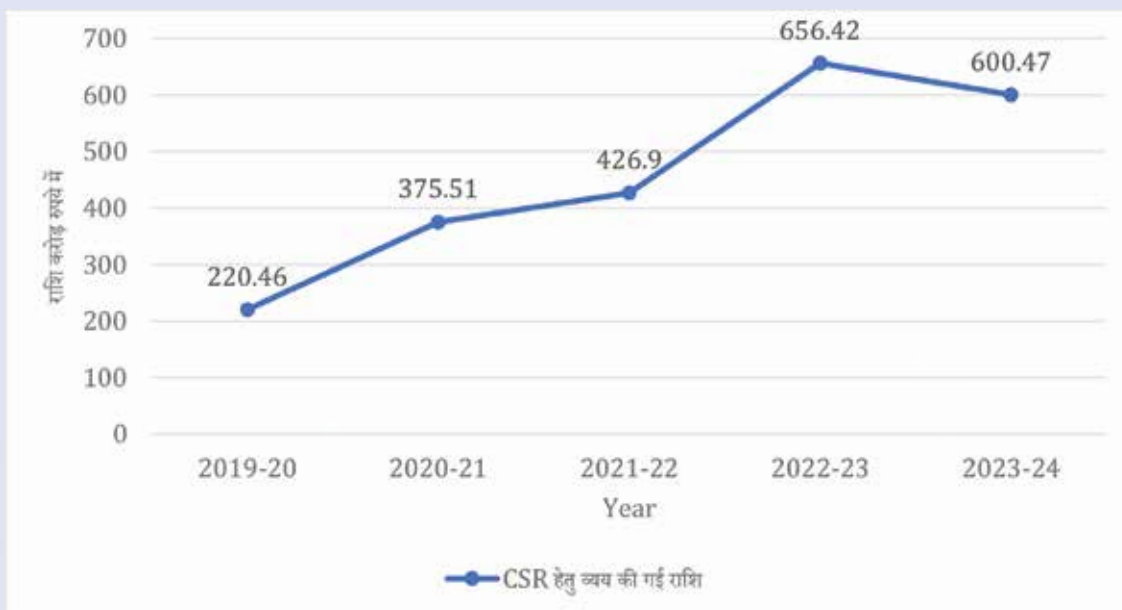
स्रोत: प्रशासनिक प्रतिवेदन, औद्योगिक संवर्धन और निवेश नीति विभाग, मध्यप्रदेश शासन, 2023-24

मध्यप्रदेश में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) व्यय

राज्य में CSR व्यय का परिदृश्य

मध्यप्रदेश पिछले पांच वर्षों (वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24) में कुल CSR व्यय में भारतीय राज्यों में 13वें स्थान पर है, जिससे CSR फंडिंग में लगभग 2292.24 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। मध्यप्रदेश का कुल CSR व्यय वर्ष 2019-20 में 220.46 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 600.47 करोड़ रुपये हो गया है, जो 172 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है जबकि इसी अवधि में देश में 39.8 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। चित्र 5.4 मध्यप्रदेश

में वर्षवार CSR व्यय को दर्शाता है। 2019-20 में देश में कुल CSR व्यय में मध्यप्रदेश की हिस्सेदारी 0.88 प्रतिशत थी जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 1.72 प्रतिशत हो गई।



चित्र 5.4 मध्यप्रदेश में CSR के लिए व्यय की गई राशि

स्रोत: राष्ट्रीय CSR पोर्टल, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, जनवरी 2026

जिलों में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) का वितरण

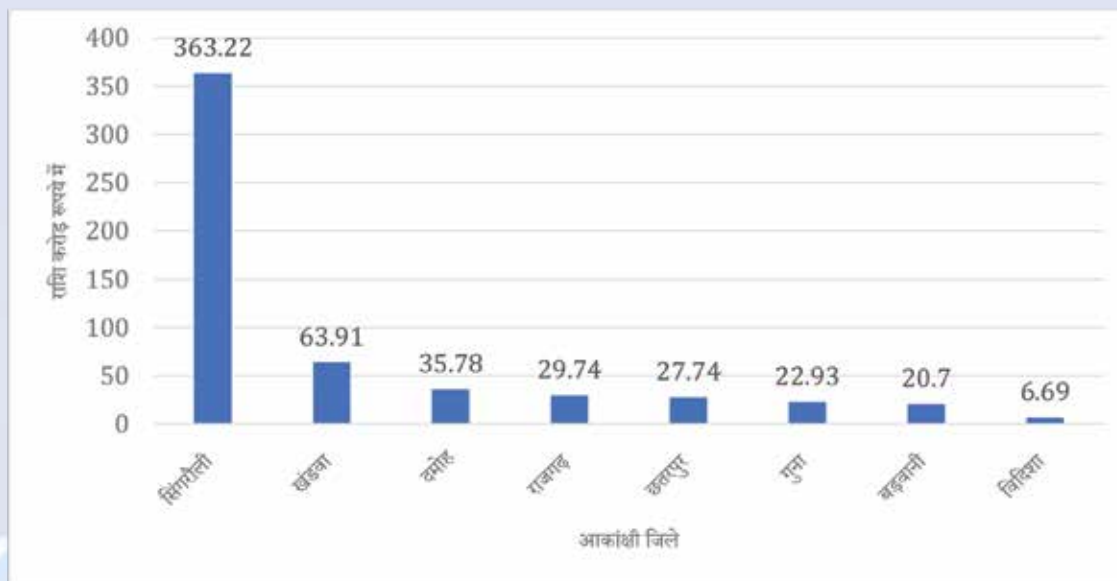


चित्र 5.5 वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्यप्रदेश में जिलेवार CSR व्यय

स्रोत: राष्ट्रीय CSR पोर्टल, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, जनवरी 2026

मध्यप्रदेश के आठ आकांक्षी जिलों में, सिंगरौली (363.22 करोड़ रुपये) को पिछले पांच वर्षों में CSR व्यय की सबसे अधिक संचयी राशि प्राप्त हुई, इसके बाद खंडवा (63.91 करोड़ रुपये) और राजगढ़ (29.74 करोड़ रुपये) का स्थान रहा। चित्र 5.6 मध्यप्रदेश के आकांक्षी जिलों में पिछले पांच वर्षों के कुल CSR व्यय को दर्शाता है।

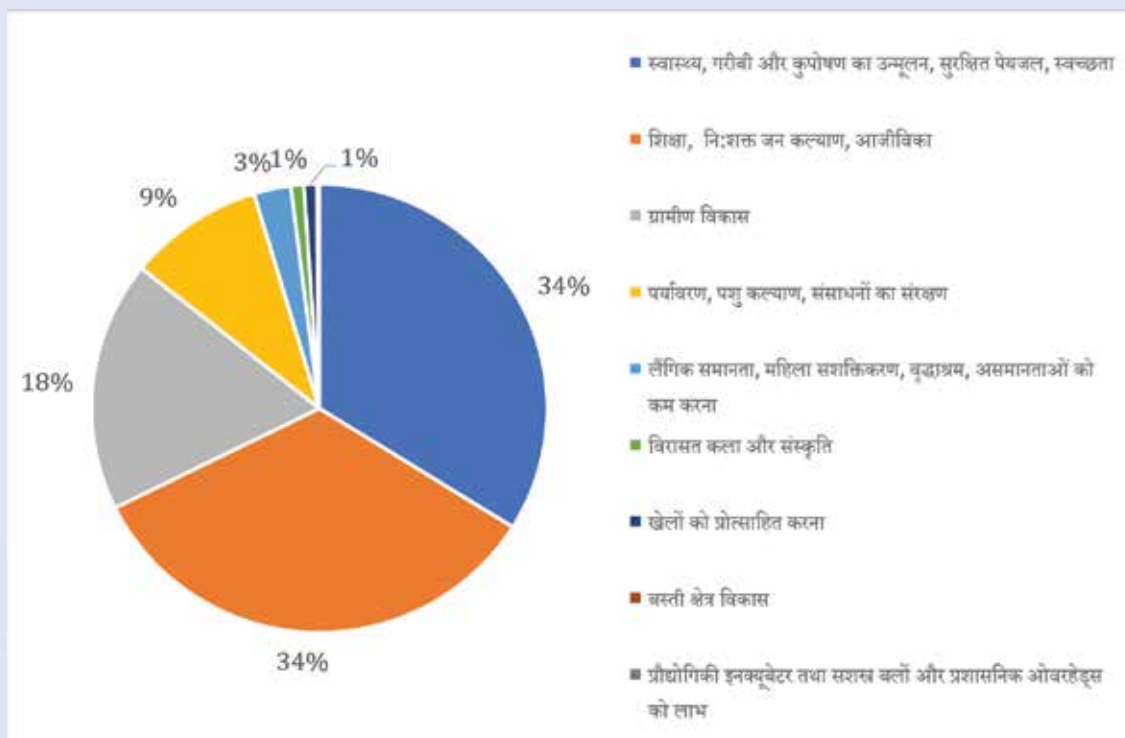
पिछले एक वर्ष में राज्य के आकांक्षी जिलों में कुल CSR व्यय में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राजगढ़ का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना हो गया है, यह वर्ष 2022-23 में 6.58 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 12.96 करोड़ हो गया है। छतरपुर, खंडवा, सिंगरौली और गुना के अंशदान भी विगत एक साल में बढ़े हैं।



चित्र 5.6 कुल CSR व्यय मध्यप्रदेश के आकांक्षी जिलों में पिछले पांच वर्षों में

क्षेत्रवार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) व्यय

पिछले पाँच वर्षों के दौरान 'स्वास्थ्य, भूख, गरीबी एवं कुपोषण, सुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता' एवं 'शिक्षा तथा दिव्यांगजन' क्षेत्रों में किए गए CSR व्यय का प्रमुख हिस्सा क्रमशः 34 प्रतिशत एवं 35.4 प्रतिशत रहा है, जो राज्य की प्रमुख विकासात्मक प्राथमिकताओं के अनुरूप है। चित्र 5.7 में राज्य में विगत पाँच वर्षों के दौरान क्षेत्रवार CSR व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। आकांक्षी जिलों में CSR निवेश मुख्यतः शिक्षा एवं ग्रामीण विकास क्षेत्रों में केंद्रित रहा है, जो दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक सुधार एवं समावेशी विकास की दिशा में एक सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है।



चित्र 5.7 पिछले पांच वर्षों में क्षेत्रवार CSR व्यय

उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचे का समर्थन

मोहसा-बाबई औद्योगिक पार्क, जिला नर्मदापुरम: विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र के लिए विकास कार्य वर्तमान में कुल 884 एकड़ क्षेत्र में चल रहे हैं, जिसकी अनुमानित लागत 371.15 करोड़ रुपये है।

विक्रम उद्योगपुरी औद्योगिक पार्क, जिला उज्जैन: 222.77 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 360 एकड़ के कुल भूमि क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए विकास कार्य प्रगति पर है।

सीतापुर औद्योगिक पार्क (चरण-II), जिला मुरैना: वर्तमान में 222.81 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कुल 161 एकड़ क्षेत्र में विकास कार्य चल रहे हैं।

पीएम मित्र पार्क, जिला धार: 2,063.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कुल 2,158 एकड़ क्षेत्र में विकास कार्य प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त, 163.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बाह्य अवसंरचना विकास से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

भारत सरकार के सहयोग से 1,100 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 104.485 हेक्टेयर के कुल भूमि क्षेत्र में धार जिले के पीथमपुर में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है।

कामकाजी महिला छात्रावास: "पूंजी निवेश 2024-25 के लिए राज्यों को विशेष सहायता" योजना दिशानिर्देश के तहत 4 औद्योगिक क्षेत्रों में 249.66 करोड़ रुपये की लागत से कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है।

नर्मदा एक्सप्रेस-वे: इसके अंतर्गत संभावित जिलों का आकलन किया जा रहा है, इन जिलों में संभावित क्षेत्रों की पहचान की जा रही है और लगभग 2200 एकड़ भूमि का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और एमपीआईडीसी के 43

औद्योगिक क्षेत्र प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नर्मदा एक्सप्रेस-वे के अंतर्गत नरसिंहपुर की 132.58 हेक्टेयर भूमि में 47.82 करोड़ रूपए की लागत से विकास कार्य प्रगति पर है।

राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी

पिछले पाँच वर्षों के दौरान औद्योगिक संवर्धन नीति, 2014 (यथासंशोधित) के अंतर्गत राज्य में कुल 1,101 औद्योगिक इकाइयों को ₹8,940.77 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जैसा कि चित्र 5.8 में दर्शाया गया है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान क्षेत्रवार सब्सिडी वितरण में रासायनिक, पेट्रोलियम एवं गैस क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक (21 प्रतिशत) रही, इसके पश्चात् ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र (17 प्रतिशत), कपड़ा क्षेत्र (15 प्रतिशत), सीमेंट क्षेत्र (14 प्रतिशत) तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र (10 प्रतिशत) का स्थान रहा। 'विविध' श्रेणी में मुख्यतः इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग धातु एवं मिश्र धातु, पेपर, प्लास्टिक एवं पैकेजिंग तथा फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र सम्मिलित हैं।

विशेष रूप से, वर्ष 2025-26 के दौरान 229 औद्योगिक इकाइयों को ₹1,522.8 करोड़ की सहायता प्रदान की गई। इस अवधि में कपड़ा क्षेत्र ने सर्वाधिक सब्सिडी (25 प्रतिशत) प्राप्त की, जिसके पश्चात् रसायन, पेट्रोलियम एवं गैस क्षेत्र (21 प्रतिशत) का स्थान रहा।



चित्र 5.8 मध्यप्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली सब्सिडी

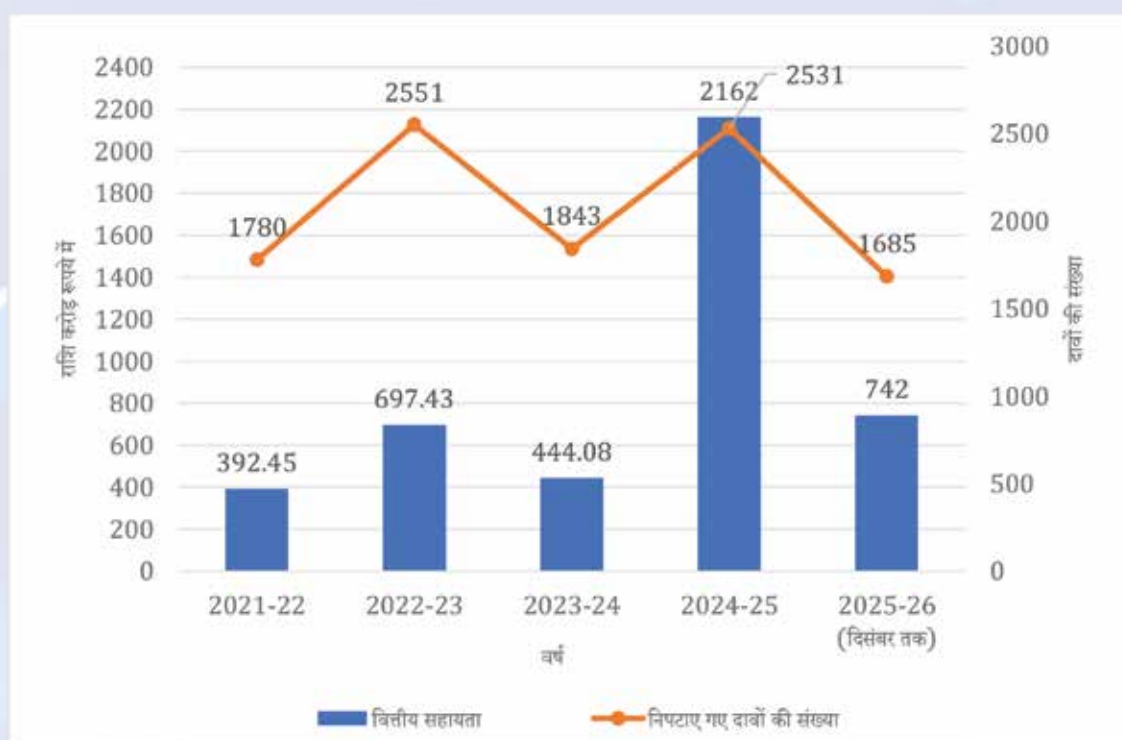
स्रोत: उद्योग विभाग, मध्यप्रदेश शासन, जनवरी 2026



5.2 एमएसएमई

5.2.1 नीतिगत पहल

मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2025: मध्यप्रदेश में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एमएसएमई के योगदान को बढ़ाने, रोजगार सृजन को गति देने तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक सुदृढ़ एवं सहायक वातावरण विकसित करने के उद्देश्य से नई मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति-2025 लागू की गई है। यह नीति एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ राज्य में संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। उद्योगों की स्थापना और विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा नीति के अंतर्गत एमएसएमई प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण इकाइयों को ₹2,162 करोड़ की सहायता दी गई थी। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक एमएसएमई विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा ₹742 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। वर्ष 2020-21 से नई नीति के क्रियान्वयन के पश्चात सहायता में हुई वृद्धि को चित्र 5.9 में दर्शाया गया है। (एमएसएमई विभाग, मध्यप्रदेश शासन, दिसंबर 2025)



चित्र 5.9 एमएसएमई को प्रदान की गई वित्तीय सहायता और वित्तीय सहायता योजना के तहत निपटाए गए दावों की संख्या

स्रोत: एमएसएमई विभाग, मध्यप्रदेश शासन, जनवरी 2025

एमएसएमई प्रदर्शन (RAMP) कार्यक्रम को बढ़ाना और त्वरित करना: विश्व बैंक और भारत सरकार के सहयोग से संचालित यह कार्यक्रम एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिसमें बाजार तक पहुँच, ऋण उपलब्धता, शासन व्यवस्था, केंद्र-राज्य समन्वय, विलंबित भुगतान तथा हरित निवेश जैसी प्रमुख चुनौतियों के समाधान पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अंतर्गत राज्य की रणनीतिक निवेश योजना (SIP) के माध्यम से बाजार विस्तार, ऑनलाइन विवाद समाधान प्रणाली द्वारा विलंबित भुगतान का

निपटान, वित्तीय समावेशन, क्षमता निर्माण, विक्रेता विकास, भौगोलिक संकेत (GI) टैगिंग तथा कौशल उन्नयन को प्राथमिकता दी गई है।

वर्ष 2025 में, क्षमता निर्माण और जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। ZED, LEAN, TReDS और एमएसएमई विकास नीति से संबंधित 140 कार्यशालाओं में 8,000 से अधिक एमएसएमई ने भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप 18,485 ZED कांस्थ, 119 ZED सिल्वर तथा 43 ZED गोल्ड प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए। इसके अतिरिक्त, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) पर 6 जागरूकता कार्यशालाएँ आयोजित की गईं तथा 180 से अधिक एमएसएमई अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए MSME इनोवेशन कम इनक्यूबेशन सेंटर (MIIC) की स्थापना हेतु 14 शैक्षणिक संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किए गए। साथ ही, 2,000 से अधिक एमएसएमई कर्मियों के कौशल विकास के लिए 30 प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। बाजार पहुँच और ऋण उपलब्धता को सुदृढ़ करने के लिए 17 जागरूकता कार्यशालाएँ, सूचना-शिक्षा-संचार सामग्री का विकास तथा 3 विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, 18 एक्सपोजर विज़िट में लगभग 400 एमएसएमई ने सहभागिता की है।

उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए 530 से अधिक एमएसएमई, उद्यमियों और युवाओं हेतु 12 उद्यम विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के सहयोग से आयोजित चार वित्तीय कार्यशालाओं के माध्यम से 720 से अधिक एसएमई को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिनमें से 5 एसएमई सफलतापूर्वक NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध हुए। संस्थागत सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाओं का मूल्यांकन किया गया तथा 55 जिलों में MPLUN और जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों का डिजिटलीकरण पूर्ण किया गया है। इसके साथ ही 21 उत्पादों के लिए GI टैगिंग हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए तथा सार्वजनिक और निजी संस्थानों के साथ 5 समझौता ज्ञापनों (MoU) के माध्यम से सहयोग को और मजबूत किया गया है।

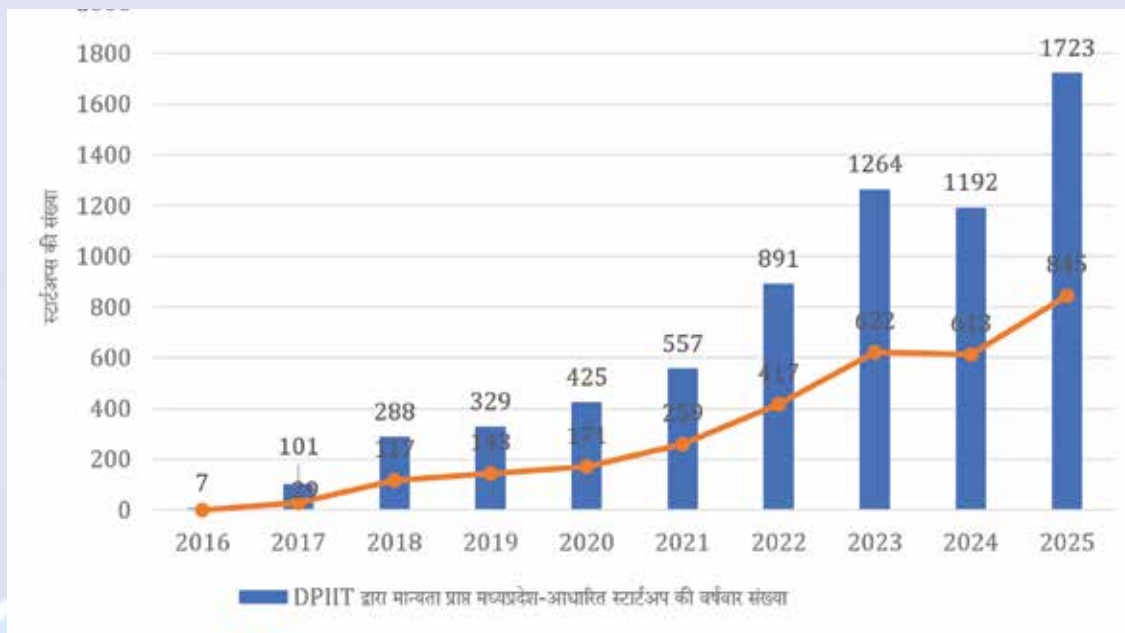
समग्र रूप से, ये सभी प्रयास एमएसएमई क्षेत्र के पुनरुद्धार, प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि और दीर्घकालिक सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए RAMP कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप हैं। (एमएसएमई विभाग, मध्यप्रदेश शासन, जनवरी 2026)

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना: इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने हेतु लाभार्थियों को संपार्श्विक-मुक्त ऋण (collateral free loan) उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली ब्याज सहायता से ऋण की लागत कम होती है, जिससे परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता सुदृढ़ होती है। इस व्यवस्था के माध्यम से राज्य में एमएसएमई इकाइयों के विस्तार को बढ़ावा देते हुए स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक 8,000 के लक्ष्य के विरुद्ध 7,804 लाभार्थियों को 536.81 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। (एमएसएमई विभाग, मध्यप्रदेश शासन, फरवरी 2026)

स्टार्टअप इको-सिस्टम का विकास: राज्य में एक सुदृढ़ और समग्र स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण तथा मध्यप्रदेश को देश के प्रमुख स्टार्टअप गंतव्यों में स्थापित करने के उद्देश्य से “मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति-2025” लागू की गई है। इस नीति के माध्यम से उत्पाद एवं सेवा आधारित स्टार्टअप को विभिन्न प्रोत्साहन और सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक राज्य के 1,723 स्टार्टअप को भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हुई है।



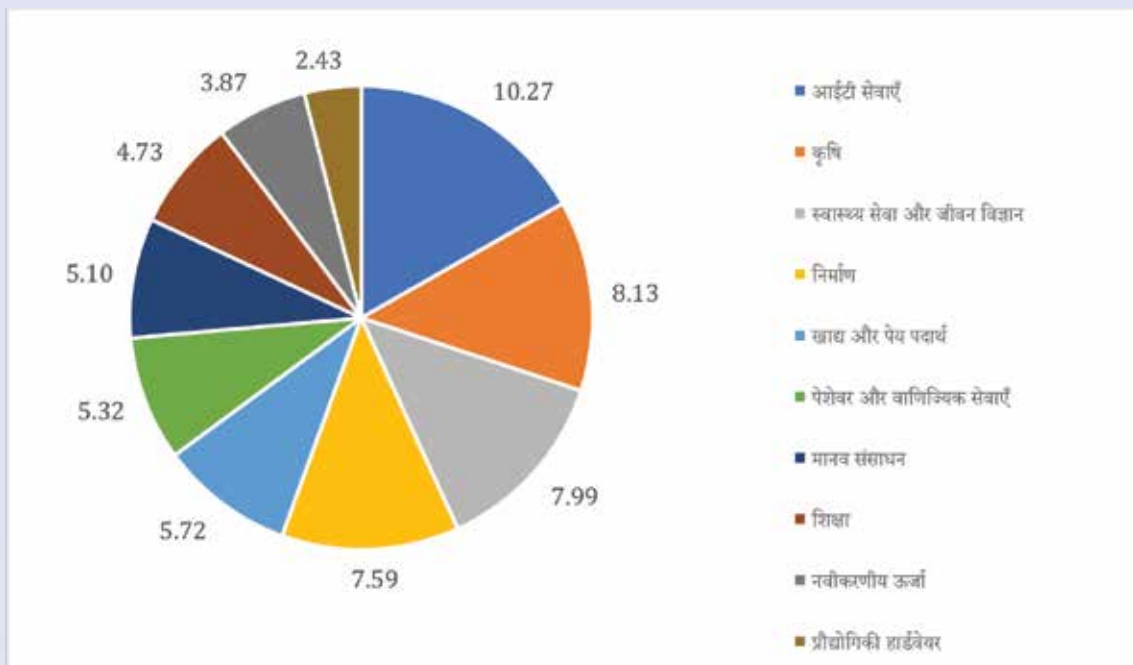
वर्ष 2021 में स्टार्टअप नीति लागू होने के बाद से वर्ष 2025 तक मध्यप्रदेश में स्टार्टअप की संख्या में 209 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जैसा कि चित्र 5.10 में दर्शाया गया है। इसी अवधि में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप में 225 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो समावेशी उद्यमिता की दिशा में राज्य की प्रगति को दर्शाती है। उद्यमियों और प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप को मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य में कुल 103 इनक्यूबेटर संचालित हैं, जिनमें से 32 इनक्यूबेटर वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक स्थापित किए गए हैं। (एमएसएमई विभाग, मध्यप्रदेश शासन, जनवरी 2026)



चित्र 5.10 DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त मध्यप्रदेश आधारित स्टार्टअप की वर्षवार संख्या

स्रोत: एमएसएमई विभाग, मध्यप्रदेश शासन, जनवरी 2026

मध्यप्रदेश में स्टार्टअप गतिविधियाँ मुख्यतः आईटी सेवाएँ, स्वास्थ्य देखभाल एवं जीवन विज्ञान, कृषि, इसके बाद निर्माण तथा खाद्य एवं पेय पदार्थ जैसे क्षेत्रों में केंद्रित हैं। राज्य के शीर्ष 10 क्षेत्रों में स्टार्टअप का क्षेत्रवार वितरण चित्र 5.11 में प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), प्रौद्योगिकी (हार्डवेयर), वस्त्र एवं परिधान, यात्रा एवं पर्यटन तथा अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप की हिस्सेदारी लगभग 3 प्रतिशत तक है। वहीं एआर/वीआर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, खिलौने और खेल जैसे उभरते क्षेत्रों में स्टार्टअप की संख्या लगभग 1 प्रतिशत है।



चित्र 5.11 मध्यप्रदेश में स्टार्टअप्स के शीर्ष 10 क्षेत्रों का प्रतिशत वितरण

स्रोत: एमएसएमई विभाग, मध्यप्रदेश शासन, जनवरी 2026

वर्ष 2025-26 में मध्यप्रदेश शासन ने एमपी स्टार्टअप नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से 266 स्टार्टअप को कुल 1.46 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की। इसमें 'रेजिडेंट इन एंटरप्रेन्योर', लीज रेंटल सहायता, विद्युत टैरिफ में रियायत, कार्यक्रमों में सहभागिता, पेटेंट सहायता तथा रोजगार सृजन प्रोत्साहन जैसे घटक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य-सूचीबद्ध वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के माध्यम से मध्यप्रदेश के दो स्टार्टअप को 4.27 करोड़ रुपये की निवेश सहायता प्राप्त हुई है। सभी पहल राज्य में एक सशक्त, नवाचार-आधारित और टिकाऊ स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु शासन की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

(एमएसएमई विभाग, मध्यप्रदेश शासन, जनवरी 2026)

एक जिला एक उत्पाद: मध्यप्रदेश सरकार ने दृश्यता बढ़ाने, बाजार तक पहुँच सुदृढ़ करने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग पर विशेष ध्यान देते हुए एक जिला-एक उत्पाद (ODOP) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लक्षित प्रयास किए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत 4.48 करोड़ रुपये का संपूर्ण वित्तीय लक्ष्य प्राप्त किया गया। इसी अवधि में जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा और नर्मदापुरम में आयोजित क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलनों के दौरान जिला-विशिष्ट उत्पादों की ओडीओपी प्रदर्शनियाँ लगाई गईं, जिनसे उत्पादकों, निवेशकों, खरीदारों और सरकारी संस्थाओं के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ और व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि हुई।

भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के दौरान विशेष रूप से विकसित "ODOP गाँव" प्रमुख आकर्षण रहा, जहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के समक्ष राज्य के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। इससे उत्पादों की दृश्यता और बाजार पहुँच में उल्लेखनीय सुधार हुआ तथा शिखर सम्मेलन के दौरान 8 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर तक भोपाल में आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष ओडीओपी प्रदर्शनी प्रस्तुत की गई, जिसमें महिला उद्यमिता के साथ योजना के सशक्त जुड़ाव को रेखांकित किया गया।



स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण और बाजार की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ग्वालियर, मुरैना, गुना, शिवपुरी, बैतूल, इंदौर, जबलपुर, कटनी और रीवा सहित नौ से अधिक जिलों में ODOP और निर्यात-केंद्रित कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं। संस्थागत और डिजिटल सहयोग को मजबूत करने के लिए ODOP एक्सेलेरेटर पोर्टल लागू किया गया, जो ब्रांडिंग, अनुपालन और बाजार पहुँच के लिए संरचित सहायता प्रदान करता है। चंदेरी इको-रिट्रीट फेस्टिवल के दौरान चंदेरी एक्सेलेरेटर कार्यक्रम के अंतर्गत क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की गईं, जिससे प्रत्यक्ष बाजार संपर्क को बढ़ावा मिला।

इसके अतिरिक्त, मध्यप्रदेश ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला सहित अन्य प्रमुख राष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी कर ODOP उत्पादों के प्रचार-प्रसार को और विस्तार दिया। इन निरंतर प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देते हुए राज्य को राष्ट्रीय ओडीओपी पुरस्कार 2024 में रजत पुरस्कार प्रदान किया गया, जो योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और सकारात्मक परिणामों को दर्शाता है। (एमएसएमई विभाग, मध्यप्रदेश शासन, दिसंबर 2025)

5.2.2 वित्तीय आवंटन

मध्यप्रदेश सरकार के लिए एमएसएमई का विकास एक प्रमुख प्राथमिकता रहा है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु राज्य की प्रमुख पहल मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (MMYKY) के लिए 130.02 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। विभिन्न प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत किए गए बजटीय प्रावधानों का विवरण तालिका 5.5 में प्रस्तुत है। कुल बजट का सर्वाधिक भाग एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है, जिससे उद्यम स्थापना और विस्तार को प्रभावी समर्थन मिल सके।

तालिका 5.5 एमएसएमई विभाग की प्रमुख योजनाओं पर खर्च राशि का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	वास्तविक 2022-23	वास्तविक 2023-24	वास्तविक 2024-25	बजट प्रावधान 2025-26 (वोटबल)
एमएसएमई को वित्तीय सहायता	697.43	444.08	2162.00	1245.00
बुनियादी ढांचे का विकास	122.08	129.00	200.00	200.00
क्लस्टर विकास	8.00	0.00	0.00	15.00
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना	60.52	74.70	172.57	130.02
अन्य	153.79	109.03	136.58	273.27
कुल	1041.82	756.81	2671.15	1863.29

स्रोत: एमएसएमई विभाग, मध्यप्रदेश शासन, दिसंबर 2025

5.2.3 एमएसएमई का परिदृश्य

उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) दाखिल करने की व्यवस्था को 01 जुलाई 2020 से उद्यम पंजीकरण प्रणाली से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसके अनुरूप, भारत सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत मध्यप्रदेश के एमएसएमई का विवरण तालिका 5.6 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 5.6 उद्यम पोर्टल में एमएसएमई पंजीकरण का विवरण

वर्ष	इकाइयों की संख्या	संभावित रोजगार
2021-22	2,46,513	14,07,858
2022-23	3,54,397	18,32,797
2023-24	4,57,499	22,77,308
2024-25	5,79,558	29,61,452
2025-26 (नवंबर 2025 तक)	4,15,031	24,69,858

स्रोत: उद्यम पोर्टल, भारत शासन, दिसंबर 2025

उद्यम पोर्टल के डैशबोर्ड पर जनवरी 2026 तक उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार राज्य के एमएसएमई में 99.09 प्रतिशत सूक्ष्म, 0.86 प्रतिशत लघु तथा 0.05 प्रतिशत मध्यम इकाइयाँ शामिल हैं।

5.2.4 एमएसएमई हेतु अधोसंरचना समर्थन

वर्तमान में एमएसएमई विभाग के अंतर्गत राज्य में कुल 172 औद्योगिक क्षेत्र संचालित हैं। औद्योगिक क्षेत्रों/ औद्योगिक परिसरों में अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 करोड़ रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवंबर 2025 तक 68.11 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों के पक्ष में स्वीकृत एवं वितरित की गई है। राज्य क्लस्टर योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवंबर 2025 तक निजी भूमि पर 6 क्लस्टरों को विकास की अनुमति प्रदान की गई है, जिनकी कुल परियोजना लागत 48.80 करोड़ रुपये है। इन क्लस्टरों में लगभग 227 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित है, जिससे लगभग 6,650 रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

5.3 पारंपरिक उद्योग

मध्यप्रदेश में भारत सरकार की पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना (SFURTI) के अंतर्गत कुल 36 क्लस्टरों को 116.31 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर समर्थन प्रदान किया गया है। इन क्लस्टरों में कृषि, बांस, हस्तशिल्प, खादी एवं वस्त्र क्षेत्रों से जुड़े 24,878 कारीगर कार्यरत हैं, जिससे पारंपरिक आजीविकाओं के संरक्षण एवं सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा मिला है।

तालिका 5.7 SFURTI योजना के तहत मध्यप्रदेश में सहायता प्राप्त समूहों का विवरण

(लागत करोड़ रुपये में)

क्रं	क्षेत्र	कारिगरों की संख्या	स्वीकृत परियोजना लागत
1	कृषि	4176	16.79
2	बाँस	5444	23.32
3	हस्तशिल्प	7892	38.41
4	खादी	332	1.95
5	वस्त्र	7034	35.83
कुल		24878	116.31

स्रोत: कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार, जनवरी 2026



5.3.1 खादी एवं ग्रामोद्योग विकास

खादी और ग्रामोद्योग के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना: इस योजना के तहत वर्ष 2024-25 में लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए 891 इकाइयों को 29.42 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी वितरित कर 2942 व्यक्तियों को नया रोजगार प्रदान किया गया। इसी तरह, वर्ष 2025-26 में, नवंबर 2025 तक, 2551 व्यक्तियों को रोजगार देने वाली 565 इकाइयों को 25.51 करोड़ रुपये की अंतर राशि (margin money) वितरित की जा रही थी।

खादी और ग्रामोद्योग उत्पादन: मध्यप्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सूती खादी, पॉली क्लॉथ, सिल्क खादी, ऊनी खादी और अन्य ग्रामोद्योग के कुल 15 उत्पादन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2024-25 में 4.29 करोड़ रुपये की राशि का उत्पादन किया गया, जिसमें कताई करने वाले/बुनकर कताई करने वालों को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2025-26 में नवंबर 2025 तक 4.57 करोड़ रुपये की राशि का उत्पादन किया गया और 650 कताई बुनकरों को रोजगार प्रदान किया गया।

खादी और ग्रामोद्योग बिक्री: राज्य में संचालित कुल 18 बिक्री एम्पोरियम ने वर्ष 2024-25 में 13.25 करोड़ रुपये की खादी और ग्रामोद्योग सामग्री का विक्रय तथा वर्ष 2025-26 में नवंबर 2025 तक 5.35 करोड़ रुपये के उत्पादों का विक्रय किया गया है।

5.3.2 हथकरघा

वित्तीय वर्ष 2024-25 में हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्रों के सुदृढीकरण हेतु एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम, कबीर बुनकर संवर्धन योजना, कौशल एवं तकनीकी विकास सहायता योजना तथा विपणन सहायता योजना के अंतर्गत कुल 2.55 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस सहायता से 733 लाभार्थी लाभान्वित हुए तथा 8 मेलों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में वर्ष 2025-26 में नवंबर तक इन योजनाओं के अंतर्गत 1.29 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई, जिससे 354 लाभार्थी लाभान्वित हुए और 5 मेलों के आयोजन को स्वीकृति प्रदान की गई है।

सरकारी आपूर्ति के क्षेत्र में, भारत सरकार की योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा यार्न डिपो हथकरघा क्लस्टरों में संचालित किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकारी विभागों को 14.24 करोड़ रुपये मूल्य के वस्त्रों की आपूर्ति की गई, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 12.72 करोड़ रुपये मूल्य के वस्त्र उपलब्ध कराए गए। इस प्रक्रिया में 762 करघे संलग्न रहे तथा लगभग 2.14 लाख मानव-दिवसों का रोजगार सृजित हुआ।

नीतिगत पहल

हथकरघा के लिए बुनियादी ढांचे का समर्थन

कारपेट पार्क: ग्वालियर और चंबल डिवीजन कालीन बुनकर क्लस्टर हैं। इस क्षेत्र में 5000 करघों पर कालीन का निर्माण किया जा रहा है जिससे लगभग 15000 कालीन बुनकरों को रोजगार मिल रहा है। अनुमान है कि बुनकरों में 50 प्रतिशत महिलाएं हैं। वर्तमान में बुनकरों के पास पुराने करघे हैं। आमतौर पर बुनकर अपने घरों में करघे लगाकर काम कर रहे हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में स्थित हैं। आमतौर पर आगरा एवं जयपुर के निर्यातकों से ऑर्डर लाकर जॉब वर्क पर काम किया जा रहा है। इस योजना में राज्य सरकार का हिस्सा 21.34 करोड़ रुपये और शेयरधारकों का हिस्सा 42.52 लाख रुपये है।

क्रॉफ्ट हैंडलूम विलेज : भारत सरकार मध्यप्रदेश सरकार के सहयोग से अशोक नगर जिले के प्राणपुर में शिल्प हथकरघा गांव की स्थापना कर रही है। परियोजना की कुल लागत 7.45 करोड़ रुपये है, जिसमें 4.02 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा साझा किए जाएंगे। पर्यटन के साथ शिल्प संवर्धन को एकीकृत करने के लिए, पूरे भारत में कुल 8 शिल्प हथकरघा गांव स्थापित किए जा रहे हैं। प्राणपुर हथकरघा गांव उनमें से एक है। (कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार, 2023)

प्रचार एवं ब्रांडिंग

प्रदर्शनी प्रचार: राज्य सरकार राज्य के भीतर तथा बाहर प्रदर्शनियों का आयोजन कर रही है। इन प्रदर्शनियों में प्रदेश के कारीगरों को आमंत्रित कर ग्राहकों को सीधे सामान बेचने का अवसर दिया जाता है। इस प्रणाली से कारीगरों/ बुनकरों को अपनी उपज के बेहतर मूल्य मिलते हैं एवं बाजार की मांग ज्ञात होती है। ग्राहकों को उचित दरों पर शिल्प हथकरघा उत्पाद खरीदने के अवसर भी मिलते हैं।

ब्रांड निर्माण एवं विपणन बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देना: इस योजना का उद्देश्य ग्राहक के लिए उत्पादों की दृश्यता तथा पहुंच में सुधार करना है। कुटीर एवं ग्रामोद्योग से संबंधित उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिये विकास कार्यों के रिकार्डिंग के माध्यम से सहायता प्रदान की जायेगी जिसमें डिजायन शब्दकोश का प्रकाशन, वाउचर, प्रिंटिंग, परियोजना रिपोर्ट, इलेक्ट्रानिक मीडिया का उपयोग एवं श्रेष्ठ पद्धतियों की रिकार्डिंग आदि को शामिल किया जायेगा। वर्ष 2025-26 के लिए योजनाओं के तहत प्राप्त आवंटन उपयोग का विवरण तालिका 5.8 में उल्लिखित किया गया है।

तालिका 5.8 संत रविदास हथकरघा और हस्तशिल्प निगम की योजना तथा निधि आवंटन का विवरण

राशि करोड़ रुपये में

क्रं.	योजना का नाम	वार्षिक लक्ष्य (आवंटन)	31.11.2025 तक वित्तीय उपलब्धि
1	ब्रांड बिल्डिंग और मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना	3.00	1.70
2	एकीकृत क्लस्टर विकास योजना	1.00	0.03
3	कौशल विकास	0.25	0.06
4	मुख्यालय और राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए स्थापना अनुदान	12.00	11.41
5	प्रदर्शनी प्रचार प्रसार	0.50	0.37
कुल		17.65	13.73

स्रोत: संत रविदास हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम, मध्यप्रदेश शासन, दिसंबर 2025

क्षमता निर्माण और सक्षमता

खादी, ग्रामोद्योग, रेशम, हस्तशिल्प, हथकरघा, माटीकला तथा संबद्ध गतिविधियों (अतिरिक्त कौशल और संबद्ध कार्य) में कौशल विकास के लिए उन्नत संस्थागत प्रशिक्षण उन बेरोजगार युवाओं को प्रदान किया जाता है जिन्हें अल्पावधिक रोजगार मिला है। प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित कलात्मक सृजन के लिए शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया जाता है।



5.3.3 रेशम उत्पादन

कृषि वानिकी आधारित रेशम उद्योग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को गांव में ही लाभकारी रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी आजीविका सुचारू रूप से अर्जित कर सकें। साथ ही, महिलाओं को रोजगार का एक वैकल्पिक साधन प्रदान करना उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। रेशम उद्योग की योजनाएं मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लक्षित हैं। वर्तमान में 44 जिलों में रेशम उद्योग की गतिविधियां चलाई जा रही हैं।

वर्ष 2024-25 में, 1.345 लाख किलोग्राम शहतूत कोकून एवं 17.57 लाख टसर कोकून का उत्पादन किया गया, जिससे 2536 लाभार्थी लाभान्वित हुए। इस अवधि में निजी विस्तार कृषकों द्वारा 70 हेक्टेयर क्षेत्र में शहतूत रोपण किया गया, जबकि 59.6 हेक्टेयर क्षेत्र आत्मनिर्भरता केंद्रों पर लगाया गया, जिससे कुल 129.6 हेक्टेयर शहतूत रोपण हुआ।

रेशम संचालनालय द्वारा किसानों के चयन एवं पंजीयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने तथा लेखांकन एवं पर्यवेक्षण को प्रभावी बनाने के लिए ई-रेशम पोर्टल तैयार किया गया है।

सिल्क फेडरेशन ने राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के फैशन टेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्चर विभाग के साथ करार किया है, ताकि बुनाई की पारंपरिक भारतीय कलाओं जैसे उड़ीसा के पट्टचित्र, गोंड कला, भील कला, हैंड पेंटिंग आदि को रेशम के कपड़ों पर समाहित किया जा सके।

प्रदेश के किसानों को उनके कोकून उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के लिये “कोकून मण्डी” की स्थापना की गई। वर्ष 2025-26 के तहत रेशम योजनाओं में प्राप्त कुल आवंटन राशि नवंबर 2025 के महीने में 2274.60 लाख रुपये की राशि के सापेक्ष 2274.60 लाख रुपये रही है। नवंबर 2025 तक 0.771 लाख किलोग्राम शहतूत कोकून और 11.036 लाख टसर कोकून का उत्पादन किया गया, जिससे 1589 लाभार्थी लाभान्वित हुए। इस अवधि के दौरान, निजी विस्तार किसानों द्वारा 6 हेक्टेयर क्षेत्र और स्वावलम्बन केंद्रों पर 22 हेक्टेयर क्षेत्र, कुल 28 हेक्टेयर था। (रेशम संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन, फरवरी 2025)

पचमढ़ी सिल्क टेकपार्क का उद्घाटन सभी चार प्रकार के सिल्क शहतूत, टसर, एरी और कोरल के प्रचार के लिए किया गया, जो देश का एकमात्र सिल्क टेक पार्क है।

5.4 पर्यटन

पर्यटन क्षेत्र के आर्थिक महत्व को सुदृढ़ करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार की रणनीति ‘विकास भी, विरासत भी’ के मार्गदर्शक सिद्धांत पर आधारित है। यह दृष्टिकोण स्थायी आर्थिक विस्तार के साथ राज्य की प्रचुर सांस्कृतिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक संपदाओं के संरक्षण एवं संवर्धन का सहज समन्वय करता है। यह प्रतिमान (paradigm) पर्यटन को केवल राजस्व के स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि समग्र आर्थिक प्रगति के एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में स्थापित करता है। इसमें रोजगार सृजन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और पर्याप्त निवेश आकर्षित करने के लिए अनुभवात्मक (experiential), समावेशी और उत्तरदायी पर्यटन प्रथाओं पर विशेष बल दिया गया है। इसका उद्देश्य मध्यप्रदेश को केवल एक ‘ट्रांजिट डेस्टिनेशन’ (मार्गस्थ गंतव्य) की जगह एक ‘प्रीमियम एक्सटेंडेड-स्टे एपिसेंटर’ (दीर्घकालिक प्रवास के प्रमुख केंद्र) के रूप में पुनः स्थापित करना है, जो राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में व्यापक योगदान दे सके।

राज्य की पर्यटन नीतियाँ आर्थिक लाभ को इष्टतम करने के लिए निवेश सुगमीकरण, बुनियादी ढांचे में वृद्धि, संधारणीयता (sustainability) के उपायों और सामुदायिक भागीदारी पर बल देती हैं। इन उद्देश्यों को केंद्रित हस्तक्षेपों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिनमें शामिल हैं: ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025, क्षेत्रीय पर्यटन

सम्मेलन 2025 और मध्यप्रदेश ट्रेवल मार्ट जैसे तंत्रों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को आकर्षित करना; सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) ढांचे के तहत पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के माध्यम से कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना (वर्ष 2025 में 68.3% ऑक्युपेंसी प्राप्त की गयी और 10,000 यात्रियों को सेवा प्रदान की गयी); तथा बुनियादी ढांचे का विस्तार करना, जिसमें ग्रामीण होमस्टे में लगभग 1,000 कमरे, अन्य 500 नए कमरे, सार्वजनिक शौचालय एवं सुविधाएं, और नर्मदा, बेतवा एवं चंबल नदियों पर रिवर क्रूज का संचालन सम्मिलित है।

राज्य सरकार की पहलों के ठोस परिणाम सामने आए हैं। विगत पाँच वर्षों में, मध्यप्रदेश में पर्यटकों की संख्या (Tourist footfall) में 66.65 प्रतिशत की मजबूत वार्षिक औसत वृद्धि दर दर्ज की गई है। वर्ष 2025 (नवंबर तक) में, कुल 13.18 करोड़ पर्यटकों ने राज्य का भ्रमण किया। इस वर्ष उज्जैन में 5.52 करोड़ पर्यटक आए, जो राज्य के कुल पर्यटकों का 42 प्रतिशत है; इसके बाद मैहर में 1.5 करोड़ और चित्रकूट में 1.6 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त, समान अवधि में सरकारी पर्यटन गतिविधियों से प्राप्त राजस्व और होटल अधिभोग दर (राज्य के स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए) में क्रमशः 26.8 प्रतिशत और 51 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर दर्ज की गई है।

5.4.1 नीतिगत पहल

प्राकृतिक संसाधनों की क्षमता का लाभ उठाना

रिवर क्रूज अनुभव: 'स्टैच्यू ऑफ वननेस' से 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' तक नर्मदा नदी में क्रूज परिचालन के लिए, इस मार्ग पर जेटी (jetty) के निर्माण हेतु 2.07 करोड़ रुपये की पहली किस्त आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त, क्रूज परिचालन के लिए गुजरात सरकार, मध्यप्रदेश सरकार और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) निष्पादित किया गया है। बेतवा नदी (राजघाट बांध), चंबल नदी (गांधी सागर बांध) और नर्मदा नदी (ओंकारेश्वर से मांधाता तक) पर रिवर क्रूज अनुभव का विस्तार करने के लिए कार्य प्रगति पर है।

पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (Eco Sensitive Zone): मध्यप्रदेश 'इको सेंसिटिव जोनल मास्टर प्लान' तैयार करने का कार्य प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य ने 27 राष्ट्रीय उद्यानों/वन्यजीव अभ्यारण्यों के लिए इको सेंसिटिव जोनल मास्टर प्लान तैयार करने का निर्णय लिया है। जोनल मास्टर प्लान के साथ-साथ एक पर्यटन उप-क्षेत्रीय योजना (Tourism Sub-zonal Plan) भी तैयार की जा रही है, ताकि पर्यटन सुविधाओं के विकास और बुनियादी ढांचे के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण एवं वन्यजीवों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्यजीव अभ्यारण्यों के लिए पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र का जोनल मास्टर प्लान पूर्ण कर लिया गया है।

आयुष पर्यटन "हृदयम् एमपी" (Hridayam MP): पहल के माध्यम से प्रमुख पर्यटन स्थलों पर योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और ध्यान केंद्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन (incentives) प्रदान किए जा रहे हैं, लैंड बैंक स्थापित किए जा रहे हैं और सहायक नीतियां बनाई जा रही हैं। राज्य के प्राकृतिक परिदृश्यों—वनों, पर्वतों और जल निकायों—का उपयोग करते हुए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य आगंतुकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य (wellness) को बेहतर बनाना है।

निजी निवेश को आकर्षित करना

पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा - प्रदेश के आठ प्रमुख शहरों एवं पर्यटन स्थलों इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली, खजुराहो एवं उज्जैन के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने के लिये जून 2024 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत निजी संचालकों के सहयोग से "पीएमश्री पर्यटन हवाई सेवा" शुरू की गई थी।



वर्तमान में भोपाल, खजुराहो, रीवा, सिंगरौली एवं सतना के लिए नियमित उड़ानें संचालित की जा रही हैं। वर्ष 2025 में, हेलीकॉप्टर सेवा ने 68.3 प्रतिशत की औसत ऑक्यूपेंसी दर्ज की, जिसमें लगभग 10,000 यात्रियों ने सेवा का लाभ उठाया।

पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा - प्रदेश में दुर्गम और प्रमुख धार्मिक-पर्यटन स्थलों तक तेजी से पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा को तीन अलग-अलग क्षेत्रों में नवंबर 2025 से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर संचालित किया जा रहा है। ये सेक्टर इंदौर-उज्जैन-ओंकारेश्वर, भोपाल-मढ़ई-पचमढ़ी और जबलपुर-बांधवगढ़-कान्हा-चित्रकूट-मैहर-अमरकंटक हैं।

पर्यटन नीति (2016) पुनरीक्षित, 2025 के तहत समीक्षाधीन अवधि के दौरान राज्य में निजी निवेशकों द्वारा 14 पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना के लिए 10.55 करोड़ रुपये का पूंजी अनुदान स्वीकृत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 138.82 करोड़ रुपये का नया पूंजी निवेश और 494 नए कमरों का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त, खंडवा जिले और रायसेन जिले में दो भूमि 385 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के लिए अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए निजी निवेशकों को हस्तांतरित की गई है।

‘भूमि आवंटन नीति’ शासकीय भूमि तथा संपत्तियों को निजी निवेशकों को पट्टे पर देने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत तैयार की गई है। पिछले वर्ष भूमि बैंक के अंतर्गत 154.64 हेक्टेयर भूमि के आवंटन के कुल 49 प्रस्ताव आवंटित किए गए थे। इसी अवधि में, 28 करोड़ रुपये के निवेश हेतु 12 भूखंडों में पूंजी निवेश के लिए निजी निवेशकों को अभिस्वीकृति पत्र (LOA) जारी किए गए हैं। एडवेंचर एवं कैम्पिंग नीति के तहत प्रदेश में पर्यटन विभाग की भूमियों पर निजी निवेशकों को कैम्पिंग, ट्रेकिंग, पैरासेलिंग, एनगलिंग, पैराग्लाइडिंग इत्यादि एडवेंचर गतिविधियों हेतु 5-15 वर्षों हेतु लायसेंस प्रदान किये जा रहे हैं।

जल पर्यटन नीति के अंतर्गत, राज्य के जलाशयों (watersheds) में पर्यटन गतिविधियों के संचालन हेतु निजी निवेशकों को लाइसेंस प्रदान किए जा रहे हैं। यह नीति निजी निवेशकों को राज्य के अधिसूचित जलाशयों में मोटर बोट, हाउस बोट, क्रूज, पैरासेलिंग, स्पीड बोट और जल क्रीड़ा (water sports) जैसी जल-आधारित गतिविधियों में पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए 22 जलाशयों को अधिसूचित किया गया है। खंडवा जिले के हनुवंतिया में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से प्रतिवर्ष ‘जल महोत्सव’ का आयोजन किया जाता है। राज्य में रिवर क्रूजिंग के अनुभवों को बढ़ाने के लिए, गांधी सागर बांध पर चंबल नदी, ओंकारेश्वर से मांधाता तक नर्मदा नदी और बाणसागर बांध पर कोनिया द्वीप से सरसी द्वीप तक रिवर क्रूज सुविधाएं प्रस्तावित हैं, जिन्हें इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन के माध्यम से विकसित किया जाएगा।

निवेश प्रोत्साहन के लिए पर्यटन विभाग के अंतर्गत एक समर्पित विंग (Dedicated Wing) का गठन किया गया है। यह विंग निजी निवेशकों को निवेश के अवसरों और राज्य की पर्यटन नीति के प्रति जागरूक करने तथा निजी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से समय-समय पर रोड शो आयोजित करता है और अन्य प्रमुख आयोजनों में सहभागिता करता है।

स्थानीय समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना

मध्यप्रदेश रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन : पर्यटन को अधिक उत्तरदायी और संधारणीय (sustainable) बनाने के दृष्टिकोण से राज्य में ‘मध्यप्रदेश रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन’ शुरू किया गया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय पर्यटन समुदाय का सामाजिक-आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू किया गया है।

होमस्टे योजना : प्रदेश में अनुभव आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा होमस्टे योजना संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य देशी-विदेशी पर्यटकों को स्थानीय सांस्कृतिक वातावरण का अनुभव प्रदान करना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना एवं पर्यटकों को रहने के लिए स्वच्छ तथा किफायती आवास प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से राज्य में लॉजिंग रूम की उपलब्धता बढ़ रही है। वर्तमान में कुल 390 पंजीकृत इकाइयां हैं जिनमें 948 कमरे हैं।

ग्रामीण पर्यटन : मध्यप्रदेश में प्रमुख पर्यटन स्थलों अथवा पर्यटन महत्व के स्थलों के निकट स्थानीय/ग्रामीण समुदाय द्वारा संचालित सांस्कृतिक अनुभव आधारित ग्रामीण पर्यटन प्रारंभ किया जा रहा है। पंचवर्षीय कार्य योजना के तहत 121 गांवों में काम किया जा रहा है। जिसमें आगंतुकों के ठहरने के लिए समुदाय की मदद से होमस्टे का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में 39 गांवों में 106 होमस्टे का संचालन शुरू किया गया है। इस प्रकार, परियोजना के तहत अब तक कुल 71 गांवों में 289 होमस्टे चालू किए गए हैं।

बाक्स 1 मध्यप्रदेश में जनजातीय पर्यटन परियोजना

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित जनजातीय पर्यटन परियोजना को ग्रामीण संस्कृति और ग्रामीण जीवन को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश के 50 चयनित आदिवासी गांवों में लागू किया जा रहा है। परियोजना के तहत, 2024-25 के दौरान 19 गांवों में 56 होमस्टे चालू किए गए थे, और वर्तमान में, 27 गांवों में 100 होमस्टे काम कर रहे हैं।

रिस्पॉन्सिबल सोवेनियर प्रोजेक्ट (कला और हस्तशिल्प): इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय कला और हस्तशिल्प को बेहतर बाजार मूल्य प्रदान करना है। इसके अंतर्गत, स्थानीय स्तर पर लोगों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, सोवेनियर (स्मृति चिन्ह) के रूप में उत्पाद विकसित किए जाते हैं और उनकी बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। वर्तमान में, जिला पन्ना (मड़ला के पास) और जिला छतरपुर के धामना में दो सोवेनियर केंद्र संचालित हैं, जिनमें 191 महिला शिल्पकारों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और रोजगार से जुड़ी हैं। तीसरा केंद्र जिला धार में स्थापित किया गया है और विभिन्न जिलों में 09 नए केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

महिलाओं के लिये सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना : इसके अन्तर्गत “निर्भया” योजना के तहत मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों को “महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल” के रूप में विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। यह परियोजना मध्यप्रदेश के 20 क्लस्टरों में 50 चयनित पर्यटन स्थलों पर कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना सहायता संस्थानों और समुदाय के सहयोग से क्षमता निर्माण, अभिविन्यास, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण और योजना, वकालत, सूचना, शिक्षा और संचार आदि जैसी गतिविधियां की जा रही हैं। कुल 78 क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था और 3205 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। जनता और हितधारकों के बीच परियोजना की समझ और संवेदीकरण विकसित करने के लिए, वर्ष 2024-25 में 1315 गतिविधियों का आयोजन किया गया है जिसमें 117126 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। 3421 छात्राओं/ लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण और 1759 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण: पर्यटन और आतिथ्य (hospitality) क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए पर्यटन स्थलों और उनके आसपास के क्षेत्रों के युवाओं एवं हितधारकों का कौशल उन्नयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए निरंतर क्षमता वर्धन प्रशिक्षण (Capacity building trainings) आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 2024-25 में कुल 1,295 युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।



प्रोजेक्ट क्लीन डेस्टिनेशन: प्रदेश के पर्यटन स्थलों को मुख्य रूप से राष्ट्रीय उद्यानों को प्रदूषण मुक्त रखने तथा वन्यजीवों के संरक्षण के उद्देश्य से छह चयनित राष्ट्रीय उद्यानों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्लीन डेस्टिनेशन कार्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया गया है। परियोजना के सफल क्रियान्वयन उपरांत बांधवगढ़ नेशनल पार्क के पास की 7 ग्राम पंचायतों के 22 ग्रामों में परियोजना का क्रियान्वयन जनवरी 2025 से किया जा रहा है।

पर्यटन संवर्धन तथा जागरूकता

अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उपस्थिति: मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 के दौरान प्रमुख वैश्विक पर्यटन प्रदर्शनियों और रोड शो में भाग लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के पर्यटन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। इन आयोजनों ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों और पर्यटन हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान किया। मुख्य भागीदारी में FITUR (मैड्रिड), ITB बर्लिन और एशिया, अरेबियन ट्रेवल मार्केट (दुबई), वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट (लंदन) के साथ-साथ जापान, फ्रांस और सिंगापुर में आयोजित प्रदर्शनियां शामिल थीं। इसके अलावा, वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए स्पेन, कतर और जापान में लक्षित रोड शो आयोजित किए गए।

राष्ट्रीय एवं अन्य आयोजन: मध्यप्रदेश ने गांधी सागर, कुनो और चंदेरी में टेंट सिटी, साहसिक गतिविधियों, हेरिटेज ट्रेल्स और स्थानीय व्यंजनों की विशेषता वाले 'फोरिस्ट और इको-रिट्रीट' सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दिया। राज्य ने महाकुंभ, सूरजकुंड मेला, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, विक्रमोत्सव, क्षेत्रीय सम्मेलनों (Regional Conclaves), मध्यप्रदेश ट्रेवल मार्ट, भारत पर्व और इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) जैसे प्रमुख मंचों पर अपनी संस्कृति, शिल्प, आध्यात्मिकता और गंतव्यों का प्रदर्शन किया, जिससे राज्य की दृश्यता (Visibility) और हितधारकों की सहभागिता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

मीडिया अभियान: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से, पर्यटन स्थलों के प्रचार-प्रसार के लिए डिजिटल और सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। राज्य सरकार इस दिशा में यूट्यूबर्स (YouTubers) और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ सहयोग कर रही है। राज्य द्वारा क्यूरेटेड ऑडियो, वीडियो और यूजर-जेनरेटेड कंटेंट (UGC) के माध्यम से भी अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें उज्जैन महाकाल सवारी के लिए VR (वर्चुअल रियलिटी), 'मानसून मैजिक इन मध्यप्रदेश' अभियान, 'आके देखो एमपी में' अभियान, 'देखो अपना देश' अभियान, 'एमपी की गलियों में एमपी की कहानियाँ' अभियान, "ईज माई ट्रिप" (Ease My Trip) के साथ संयुक्त अभियान और 'मोह लिया रे' टीवी विज्ञापन (TVC) प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त, किडजानिया (KidZania), दिल्ली और मुंबई में 'मध्यप्रदेश पर्यटन अनुभव केंद्र' स्थापित किए गए हैं।

बाक्स 2 मध्यप्रदेश पर्यटन का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्रचार

मध्यप्रदेश पर्यटन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्लेटफार्मों पर बढ़ावा दिया गया है, जैसे कि एपिक चैनल पर प्रसारित वृत्तचित्र "मध्यप्रदेश के भूवैज्ञानिक आश्चर्य" और डिस्कवरी नेटवर्क के कई चैनलों पर प्रसारित "रॉक आर्ट ट्रेल ऑफ मध्यप्रदेश"।

पर्यटन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता: 2025 में राज्य में राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस वर्ष प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रदेश के 8000 से अधिक स्कूलों (24000 छात्रों) ने भाग लिया।

यूथ क्लब: भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में "यूथ टूरिज्म क्लब" के गठन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। वर्तमान में लगभग 125 यूथ क्लब बनाए गए हैं जिनमें लगभग 1200 छात्र संबद्ध हैं।

बाक्स 3 मध्यप्रदेश के स्थलों को यूनेस्को की मान्यता

यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची (Tentative list) में मध्यप्रदेश के चार विरासत स्थलों को ((1) मौर्य मार्गों के साथ अशोक की अभिलेख स्थलों के लिए श्रृंखला नामांकन (2) चौसठ योगिनी मंदिरों के लिए श्रृंखला नामांकन (3) उत्तर भारत में गुप्त मंदिरों के लिए श्रृंखला नामांकन (4) बुंदेलों के महल-दुर्ग) वर्ष 2025 में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार यूनेस्को की विश्वधरोहरों की संभावित सूची में मध्यप्रदेश के कुल 15 स्थल सम्मिलित है, जो समस्त राज्यों में सर्वाधिक है। केंद्रीय सरकार ने “ओरछा का ऐतिहासिक स्मारक समूह” को वर्ष 2027-28 के लिए विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता देने की अनुशंसा की है। यूनेस्को द्वारा अक्टूबर 2023 को ग्वालियर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में म्यूजिक गतिविधि हेतु सम्मिलित किया गया है। मध्यप्रदेश की भगोरिया आदिवासी नृत्य, गोंड चित्रकला, नर्मदा परिक्रमा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में वर्ष में राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है।

5.4.2 वित्तीय आवंटन

पर्यटन क्षेत्र में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। पर्यटन क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन लगातार बढ़ रहा है जैसा कि तालिका 5.9 में उल्लेख किया गया है।

तालिका 5.9 पर्यटन विभाग से वर्षवार बजट आवंटन

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.	वित्तीय वर्ष	बजट प्रावधान (अनुपूरक अनुमानों सहित)	व्यय
1	2020-21	101.56	100.95
2	2021-22	211.67	211.28
3	2022-23	296.47	271.37
4	2023-24	270.35	218.89
5	2024-25	412.83	404.04
6	2025-26 (नवंबर तक)	388.08	223.19

स्रोत: पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, 2025

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार भी केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत निधियां प्रदान करता है।

स्वदेश दर्शन योजना: स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत दो पर्यटन स्थलों ग्वालियर और चित्रकूट (सतना) का चयन किया गया। संबंधित स्थलों के लिए 16.72 करोड़ रुपये और 27.21 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। ओरछा और मांडू के आगे के विकास को “चुनौती आधारित गंतव्य विकास योजना” के तहत मंजूरी दी गई है, जो स्वदेश दर्शन 2.0 की एक उप-योजना है। ओरछा हेतु स्वीकृत राशि ₹ 24.99 करोड़ रुपये तथा माण्डू हेतु स्वीकृत राशि ₹ 24.88 करोड़ है।

पूँजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता: ओरछा मेडिविल स्पेलडर “MICE के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के रूप में मिंटोहॉल भोपाल का विकास” को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लगभग 199.30 करोड़ रुपए की राशि के लिये अनुमोदित किया गया।

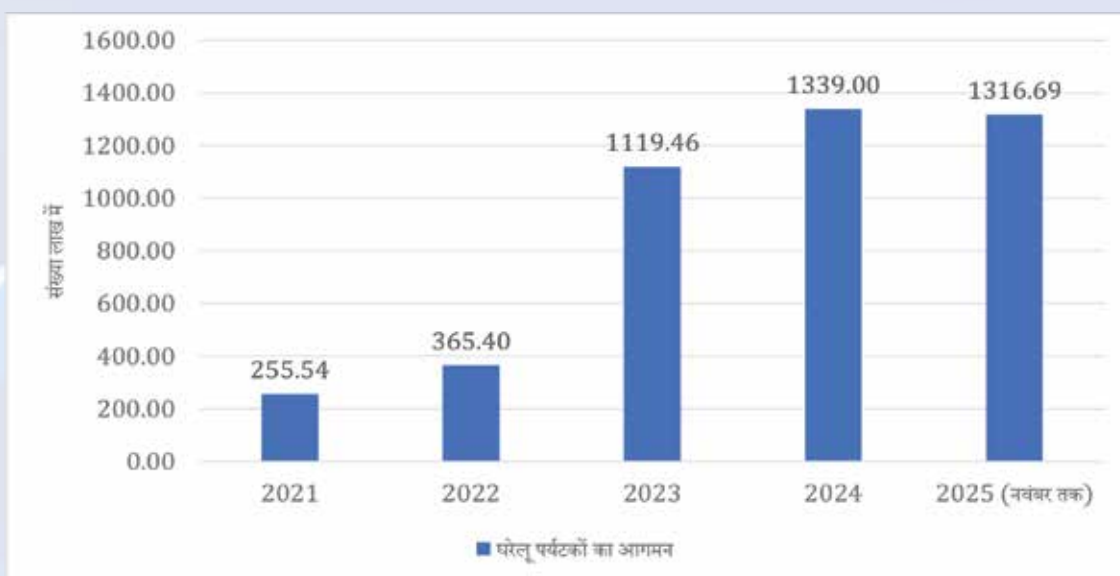


संग्रहालय अनुदान योजना: संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 15 करोड़ रुपये की राशि से भोपाल में सिटी म्यूजियम की स्थापना और 10 करोड़ रुपये की राशि से ग्वालियर में म्यूजियम ऑफ म्यूजिक की स्थापना की स्वीकृति दी है।

5.4.3 पर्यटकों के आगमन का रुझान

पर्यटकों की संख्या (Tourist Foot Fall): भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अनुसार, मध्यप्रदेश भारत के उन शीर्ष 10 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है, जिन्होंने वर्ष 2024 में सर्वाधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया। देश के कुल घरेलू पर्यटकों के आगमन में मध्यप्रदेश की हिस्सेदारी 4.52 प्रतिशत थी (इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेंडियम, 2025)।

पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के साथ पर्यटन क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है। पिछले पांच वर्षों में, यानी वर्ष 2021 से वर्ष 2025 (नवंबर तक) की अवधि के दौरान, कुल पर्यटकों की संख्या में 66.65 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। वर्ष 2025 में, मध्यप्रदेश में कुल 13.18 करोड़ पर्यटक आए, जिनमें से 13.16 करोड़ घरेलू पर्यटक और 1.65 लाख विदेशी पर्यटक थे। (पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, फरवरी 2026)। चित्र 5.12 मध्यप्रदेश में घरेलू पर्यटकों के आगमन की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।



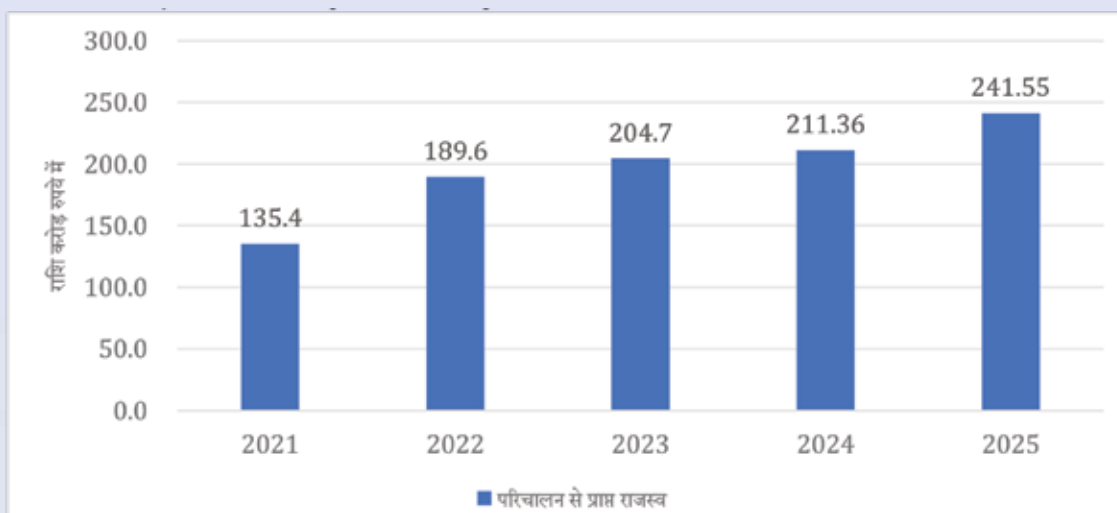
चित्र 5.12 मध्यप्रदेश में घरेलू पर्यटकों के आगमन की संख्या

स्रोत: पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, फरवरी 2026

मध्यप्रदेश में विदेशी पर्यटकों की संख्या वर्ष 2021 में 41,601 से बढ़कर वर्ष 2025 में 94 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से 1.65 लाख हो गई।

मध्यप्रदेश में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि का मुख्य श्रेय उज्जैन में 'महाकाल लोक' के निर्माण को दिया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व उछाल देखा गया है। उज्जैन में पर्यटकों का आगमन 5.52 करोड़ रहा, जो राज्य के कुल पर्यटकों की संख्या का 42 प्रतिशत है। धार्मिक पर्यटन राज्य में एक प्रमुख स्थान रखता है। महाकाल लोक के अनुरूप आने वाले वर्षों में विभिन्न धार्मिक स्थलों में 14 और सांस्कृतिक स्थलों पर चार लोकों को विकसित करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार के प्रस्तावों से भविष्य में मध्यप्रदेश में और अधिक पर्यटकों के आकर्षित होने की संभावना है। उच्च पर्यटक संख्या वाले अन्य प्रमुख गंतव्यों में मैहर (1.5 करोड़) और चित्रकूट (1.6 करोड़) शामिल हैं।

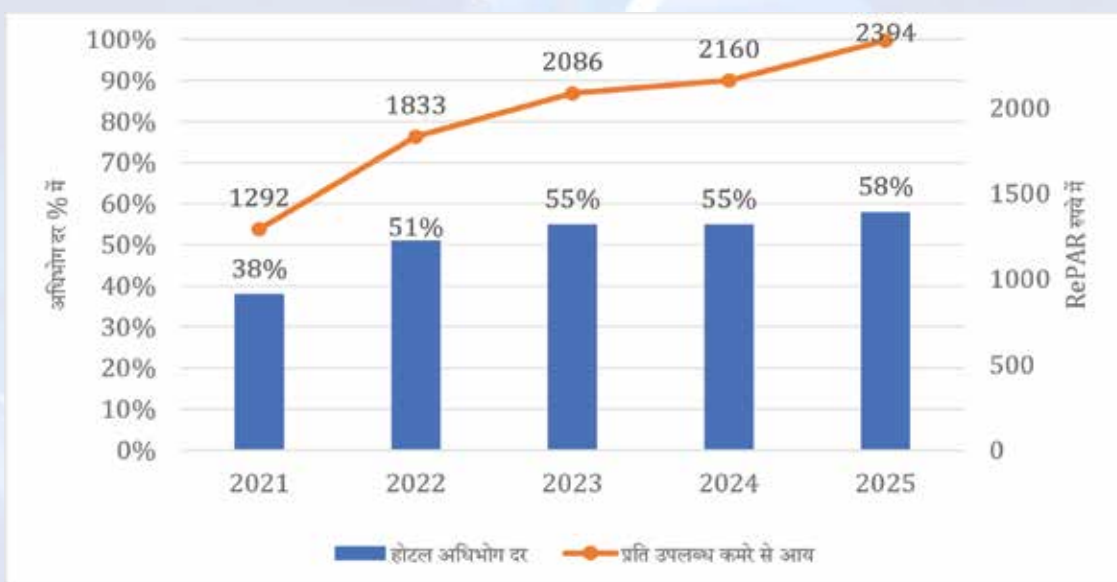
पर्यटन गतिविधियों से राजस्व: जैसा कि चित्र 5.13 में दर्शाया गया है, वर्ष 2024 और वर्ष 2025 की अवधि के बीच पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन गतिविधियों के संचालन से प्राप्त राजस्व में 14.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसमें होटल, मोटल, लाइट एंड साउंड शो, जंगल कैंप और जल क्रीड़ा (water sports) आदि से होने वाली आय शामिल है। वर्ष 2021 और वर्ष 2025 के बीच पर्यटन गतिविधियों से प्राप्त राजस्व की औसत वार्षिक वृद्धि दर (Average annual growth rate) 26.8 प्रतिशत रही।



चित्र 5.13 पर्यटन गतिविधियों के संचालन से पर्यटन विभाग द्वारा उत्पन्न राजस्व

स्रोत: पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, जनवरी 2026

आतिथ्य: होटल अधिभोग (occupancy) दर के रुझान एवं मध्यप्रदेश पर्यटन संपत्तियों के लिए प्रति उपलब्ध कमरा राजस्व जैसा कि चित्र 5.14 में दर्शाया गया है, होटल उद्योग के प्रदर्शन का अवलोकन करने हेतु उपयोग किया जाता है।



चित्र 5.14 मध्यप्रदेश पर्यटन संपत्तियों के लिए होटल अधिभोग दर और प्रति उपलब्ध कमरा राजस्व

स्रोत: पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, जनवरी 2026



आंकड़ों से संकेत मिलता है कि वर्ष 2021 से वर्ष 2025 के बीच 51 प्रतिशत की वार्षिक औसत अधिभोग दर में सुधार के साथ यह क्षेत्र फल-फूल रहा है, जो वर्ष 2025 में सबसे अधिक 58 प्रतिशत है और इसी अवधि में 17.51 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर के साथ प्रति उपलब्ध कमरे (RevPAR) राजस्व में वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष में निरंतर अधिभोग दर के साथ RevPAR में वृद्धि हुई है, जो आतिथ्य की बेहतर गुणवत्ता का संकेत देती है। मध्यप्रदेश पर्यटन संपत्तियों के साथ छह क्षेत्रों में ग्वालियर क्षेत्र में वर्ष 2025 में सबसे अधिक 68 प्रतिशत अधिभोग दर थी, इसके बाद खजुराहो जोन और पचमढ़ी जोन में 62 प्रतिशत अधिभोग दर थी। इस साल सबसे ज्यादा औसत RevPAR 3356 रुपये रहा, जो पचमढ़ी जोन के लिए दर्ज किया गया।

5.5 अधोसंरचना

5.5.1 ऊर्जा

राज्य, ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति हेतु निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में विगत वर्षों में कृषि सहित अधोसंरचना विकास कार्यों में तेजी आई है, जिस कारण विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण क्षेत्र की क्षमतावृद्धि हेतु कई योजनाओं का क्रियान्वयन भी द्रुतगति से किया जा रहा है। प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता और मांग के अंतर में निरंतर बढ़ोत्तरी होने के कारण विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत व्यापक कदम उठाये जा रहे हैं, जिनमें विद्युत की बैंकिंग, दीर्घकालीन विद्युत क्रय अनुबंधों के माध्यम से विद्युत क्रय आदि सम्मिलित है।

विद्युत उपलब्धता : माह नवम्बर, 2025 की स्थिति में प्रदेश में उपलब्ध विद्युत क्षमता का विवरण निम्नानुसार है :-

तालिका 5.10 उपलब्ध विद्युत क्षमता

(माह नवम्बर, 2025 की स्थिति में)

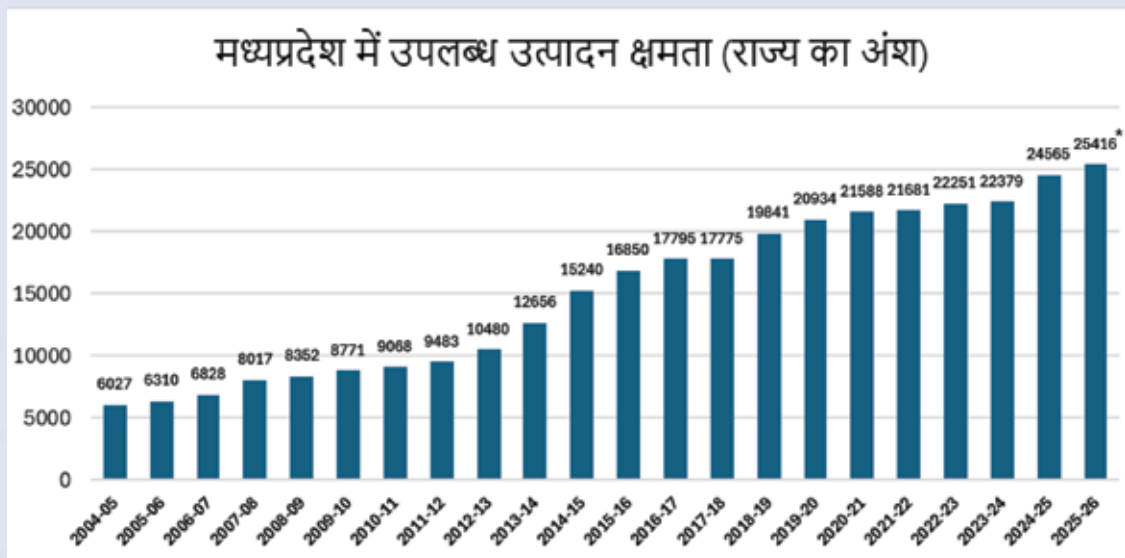
क्रं.	विद्युत उत्पादन स्रोत	क्षमता (मेगावाट)
1	म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी के ताप विद्युत गृह	4570
2	म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी के जल विद्युत गृह	922
3	संयुक्त क्षेत्र के जल विद्युत गृह एवं अन्य जल विद्युत गृह	2486
4	केन्द्रीय क्षेत्र एवं दामोदर घाटी विकास निगम के ताप विद्युत गृह	5312
5	निजी क्षेत्र के ताप विद्युत गृह	3692
6	नवकरणीय ऊर्जा स्रोत	8434
कुल उपलब्ध विद्युत क्षमता		25416

स्रोत: ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

माह नवम्बर, 2025 में विद्युत उपलब्धता क्षमता 25416 मेगावाट हो चुकी है। रबी मौसम (अक्टूबर से मार्च) में कृषि क्षेत्र की विद्युत मांग में लगभग 6000 से 7000 मेगावाट की वृद्धि होती है। इस वर्ष रबी मौसम में न्यूनतम और अधिकतम आवश्यकता क्रमशः लगभग 12000 मेगावाट एवं 20200 मेगावाट रहने की संभावना है, अतः रबी मौसम में विद्युत प्रदाय की सुचारू व्यवस्था के लिए विद्युत बैंकिंग का उपयोग भी किया जाता है।

मध्यप्रदेश में उपलब्ध उत्पादन क्षमता (राज्य का अंश) : नवम्बर, 2025 तक राज्य की कुल उपलब्ध उत्पादन क्षमता (राज्य का अंश) 25416 मेगावाट है। वर्ष 2005 में उपलब्ध विद्युत क्षमता 6027 मेगावाट थी, जो माह नवम्बर, 2025 की स्थिति में बढ़कर 25416 मेगावाट हो चुकी है।

(मेगावाट में)



चित्र 5.15 मध्यप्रदेश में उपलब्ध उत्पादन क्षमता (राज्य का अंश)

स्रोत: ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

*वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह नवम्बर तक

विद्युत प्रदाय : प्रदेश में विगत कई वर्षों से औद्योगिक क्षेत्र को 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। जून 2013 से सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिदिन 10 घंटे गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। विद्युत प्रदाय का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका 5.11 विद्युत प्रदाय

(मिलियन यूनिट)

S.No.	पावर जनरेटिंग कंपनी		वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25
1	मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की परियोजनायें	ताप विद्युत	19,235	19,589	25,561	26,752	27,014
2		जल विद्युत	2,681	2,344	2,396	2,586	2,801
3		कुल	21,916	21,933	27,957	29,338	29,816



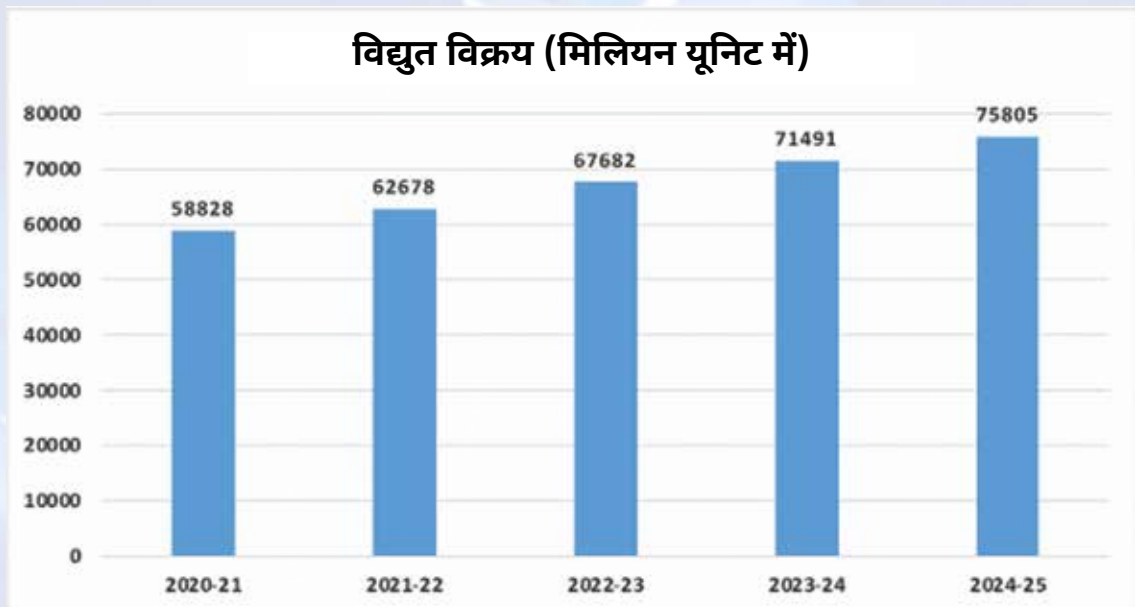
S.No.	पावर जनरेटिंग कंपनी		वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25
4	संयुक्त उपक्रम जल परियोजना	इन्दिरा सागर	2,758	1,679	3,594	2,937	3,574
5		सरदार सरोवर	1,808	970	2,681	2,075	2,721
6		औंकारेश्वर	1,435	923	1,774	1,464	1,823
7		अन्य जल विद्युत गृह	232	194	279	362	433
8	केन्द्रीय क्षेत्र की इकाईयों और डीवीसी		27,180	31,057	30,332	32,355	32,365
9	निजी क्षेत्र		20,713	21,414	21,100	23,169	22,438
10	गैर पंपरागत ऊर्जा		6,889	7,292	9,692	10,177	13,282
11	प्रदेश की प्रणाली में प्रदायित विद्युत (*)		80,909	83,122	90,292	96,348	104,542
12	प्रदेश की प्रणाली में प्रदायित विद्युत (**)		83,646	86,730	94,540	99,934	106,286

* वितरण कंपनियों हेतु एक्स-बस आपूर्ति, जिसमें ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं की आपूर्ति एवं अन्य संस्थाओं को विक्रय की गयी विद्युत सम्मिलित नहीं।

** प्रदेश की प्रणाली में प्रदायित विद्युत, जिसमें ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं एवं रेलवे की आपूर्ति एवं अन्य संस्थाओं को विक्रय की गयी विद्युत सम्मिलित है।

स्रोत: ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

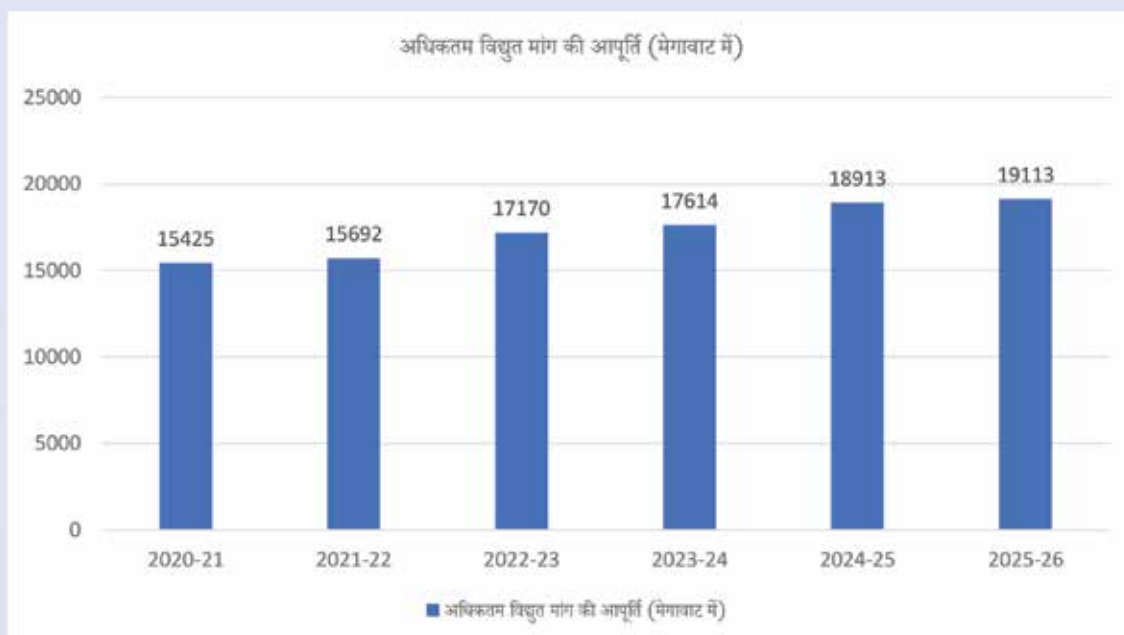
विद्युत विक्रय: वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 की तुलना में 6.03% प्रतिशत अधिक विद्युत का विक्रय हुआ। वर्ष 2020-21 से 2024-25 में विद्युत विक्रय की स्थिति निम्नानुसार है:-



चित्र 5.16 विद्युत विक्रय (मिलियन यूनिट में)

स्रोत: ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

अधिकतम विद्युत मांग की पूर्ति: विगत वर्षों में विद्युत की उपलब्धता में निरंतर वृद्धि होने से कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में विद्युत की निरंतर बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। दिनांक 12.12.2025 को प्रदेश की प्रणाली में विद्युत की अधिकतम मांग 19113 मेगावाट, जो कि प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक है, की सफलतापूर्वक पूर्ति की गई। वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक की अधिकतम विद्युत मांग आपूर्ति चित्र 5.17 में दर्शायी गई है।

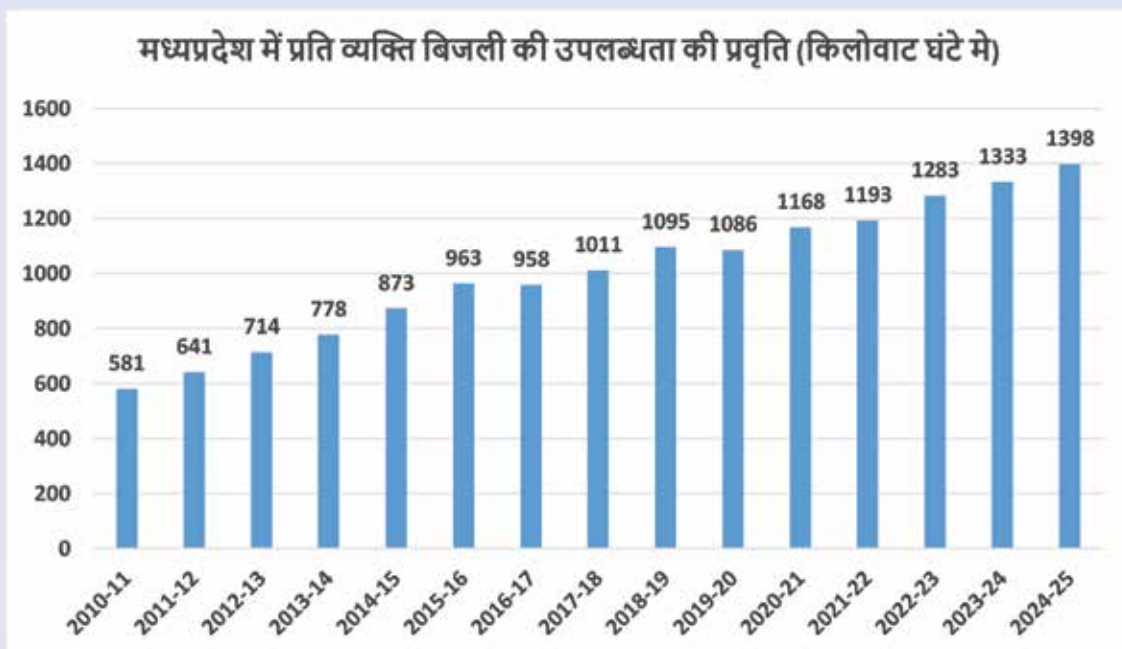


चित्र 5.17 अधिकतम विद्युत् मांग की आपूर्ति

स्रोत: ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता की प्रवृत्ति : राज्य में स्थापित क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए प्रति व्यक्ति उपलब्ध बिजली की उपलब्धता भी एक माप हो सकता है। राज्य ने पिछले 15 वर्षों में अपनी प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता को 581 किलोवाट घंटे से बढ़ाकर 1398 किलोवाट घंटे कर दिया है।





चित्र 5.18 मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता की प्रवृत्ति

स्रोत: ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

श्रेणीवार विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या एवं खपत: वर्ष 2021-22 से 2024-25 की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में श्रेणीवार विद्युत उपभोक्ता एवं विद्युत की खपत निम्नानुसार है :-

तालिका 5.12 श्रेणीवार उपभोक्ताओं की संख्या

क्र.	उपभोक्ता श्रेणी	उपभोक्ताओं की संख्या			
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	घरेलू	12304458	12415886	12692661	12955910
2	गैर घरेलू	1192436	1275150	1350139	1411986
3	सड़क प्रकाश	22651	22136	23102	24452
4	पब्लिक वाटर वर्क्स	53258	59283	68674	76690
5	सिंचाई	3401514	3526989	3550940	3692750
6	निम्न दाब उद्योग	135775	136624	137849	138650
7	उच्च दाब उद्योग	5020	5401	5883	6249
8	गैर औद्योगिक एवं अनुज्ञप्तिधारी	2908	3439	3213	3379
योग		17118020	17444908	17832461	18310066

स्रोत: ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

तालिका 5.13 श्रेणीवार विद्युत खपत

(मिलियन यूनिट में)

क्र.	उपभोक्ता श्रेणी	विद्युत खपत			
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	घरेलू	16889	17891	18723	19923
2	गैर घरेलू	3146	3814	4179	4563
3	सड़क प्रकाश	402	432	464	527
4	पब्लिक वाटर वर्क्स	1819	2079	2392	2764
5	सिंचाई	26725	27743	28617	30219
6	निम्न दाब उद्योग	1381	1521	1564	1600
7	उच्च दाब उद्योग	10804	12421	13688	14156
8	गैर औद्योगिक एवं अनुज्ञप्तिधारी	1512	1781	1865	2053
योग		62678	67682	71491	75805

स्रोत: ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

विद्युत पारेषण एवं वितरण व्यवस्था का सुदृढीकरण: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पारेषण एवं वितरण के क्षेत्र में अधोसंरचना सुधार एवं सुदृढीकरण के कार्य हेतु विद्युत कंपनियों के लिए धन की व्यवस्था वित्तीय संस्थाओं से ऋण तथा राज्य शासन के बजट के माध्यम से उपलब्ध करायी गई है। उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण के विगत वर्षों में किये गये कार्यों के फलस्वरूप वितरण अधोसंरचना में भी व्यापक वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 में उपभोक्ताओं की संख्या 166.66 लाख थी, जो बढ़कर मार्च, 2025 में 183.1 लाख हो गई।

रिवेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय रूप से साध्य एवं परिचालन में दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत पूर्ति के उद्देश्य से सुधारों से जुड़े परिणाम आधारित वितरण क्षेत्र योजना रिवेम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) लागू की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य वितरण कंपनियों की समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करना तथा बिजली की प्रतियूनिट लागत तथा राजस्व के अंतर को समाप्त करना है। आरडीएसएस योजना में अधोसंरचना विकास कार्यों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 60 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। उक्त योजना अंतर्गत राज्य की तीनों वितरण कंपनियों द्वारा किये जाने वाले लगभग रुपये 24170 करोड़ की कार्य योजना हेतु राज्य शासन द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। इस योजना को वर्ष 2025-26 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग एवं सिस्टम मीटरिंग, वितरण हानियों में कमी हेतु प्रस्तावित कार्य एवं प्रणाली सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य शामिल है। माह नवंबर, 2025 की स्थिति में हानियों में कमी के लिए प्रस्तावित कार्यों के लिए लगभग रुपये 9200 करोड़ के कार्यदिश जारी किए गए हैं, जिसमें से लगभग रुपये 3513 करोड़ के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। योजना अंतर्गत लगभग 28.50 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित किये गये हैं।

एनर्जी आडिट: वाणिज्यिक हानियों में कमी लाने के उद्देश्य से अधिक विद्युत हानि के क्षेत्रों की पहचान करने एवं अधिक हानियों पर जिम्मेदारी तय करने के लिए ई.एच.वी., 33 के.व्ही एवं 11 के.व्ही फीडर्स पर 100 प्रतिशत मीटरीकरण कर एनर्जी आडिट का कार्य किया जा रहा है। वितरण ट्रांसफार्मर स्तर तक मीटरीकरण करने का



कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2024-25 में वितरण क्षेत्र में एटी एंड सी हानियाँ 21.07% एवं पारेषण हानियाँ 2.60% के स्तर पर रही हैं।

उपभोक्ताओं के हित में लागू योजनायें :

- 1. अटल गृह ज्योति योजना** - राज्य शासन द्वारा दिनांक 19.08.2019 को लिये गये निर्णय अनुसार वर्तमान में लागू अटल गृह ज्योति योजना में प्रदेश के ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिनकी मासिक खपत 150 यूनिट तक है। पात्र उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट की खपत हेतु अधिकतम 100 रुपये का बिल दिया जा रहा है एवं अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में वितरण कंपनियों को दी जा रही है। ऐसे उपभोक्ताओं को 101 से 150 यूनिट खपत के लिए म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश अनुसार दरें लागू होंगी। योजना के अंतर्गत 100 वाट तक के संयोजित भार के 30 यूनिट तक की मासिक खपत वाले उपभोक्ता श्रेणी एल.व्ही. 1.1 के अनुसूचित जाति / जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले उपभोक्ताओं को प्रति माह 25 रुपये का बिल दिया जा रहा है एवं अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जा रही है। योजना हेतु वर्ष 2024-25 में सब्सिडी मद में राशि रुपये 6495.27 करोड़ जारी किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजनांतर्गत राशि रुपये 7131.73 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इस योजना से प्रदेश के लगभग 1.08 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं।
- 2. अटल कृषि ज्योति योजना** - अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत 10 हार्सपॉवर तक के मीटर रहित स्थाई कृषि पंप कनेक्शनों को 750 रुपये प्रति हार्सपॉवर प्रतिवर्ष एवं 10 हार्सपॉवर से अधिक के मीटर रहित स्थाई कृषि पंप कनेक्शनों को 1500 रुपये प्रति हार्सपॉवर प्रतिवर्ष की फ्लेट दर से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। साथ ही मीटरयुक्त स्थाई कृषि पंप कनेक्शन एवं अस्थाई कृषि पंप कनेक्शनों को भी मासिक नियत प्रभार एवं ऊर्जा प्रभार में रियायत दी गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों से अंतर की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा इस योजना हेतु वर्ष 2024-25 में रु. 14772.52 करोड़ जारी किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजनांतर्गत राशि रुपये 13909.03 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इस योजना से लगभग 26.59 लाख कृषि उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं।
- 3. निःशुल्क विद्युत प्रदाय** - राज्य शासन द्वारा 1 हेक्टेयर तक भूमि एवं 5 हार्सपावर तक के कृषि पंप वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। इसकी प्रतिपूर्ति हेतु राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को सब्सिडी प्रदान की जावेगी। राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस हेतु रुपये 4775 करोड़ जारी किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में उक्त योजना में राशि रुपये 5299.12 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत लगभग 9.3 लाख कृषि उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं।
- 4. स्वयं का ट्रांसफार्मर लगाने की योजना (OYT)** - राज्य शासन द्वारा कृषकों को शीघ्र स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन दिये जाने के उद्देश्य से "स्वयं का ट्रांसफार्मर" लगाये जाने की योजना लागू है। इस योजना में किसान अपने व्यय से, निर्धारित मापदंड के अनुसार ट्रांसफार्मर स्थापित कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को समूह में भी ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत नवम्बर, 2025 तक लगभग 160054 ट्रांसफार्मर स्थापित किए जा चुके हैं।

5. **PM-JANMAN योजना अंतर्गत PVTG घरों का विद्युतीकरण:-** प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) अंतर्गत प्रदेश में चिन्हित विशेष रूप से जनजातीय समूहों (PVTG), यथा- भारिया, बैगा एवं सहरिया समुदाय के अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण किये जाने के लिए ऐसी बसाहटें, जिनमें विद्युत अधोसंरचना निर्माण के लिए औसत लागत रूपये 1 लाख प्रति अविद्युतीकृत PVTG घर तक हैं, का विद्युतीकरण विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। योजना अंतर्गत प्रदेश में लगभग 27 हजार घरों के विद्युतीकरण की कार्ययोजना को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है एवं वितरण कंपनियों द्वारा नवम्बर, 2025 तक लगभग 26,810 घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं।
6. **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना (DA-JGUA) :-** भारत सरकार द्वारा आदिवासी बहुल गांवों (500 या अधिक की आबादी वाले और कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वाले गांव) में आदिवासी परिवारों सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (वर्तमान में 'धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत अविद्युतीकृत जनजातीय घरों में विद्युतीकरण हेतु म.प्र.शासन, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित 11377 ग्राम चिन्हित किये गये हैं। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना अंतर्गत रु. 304 करोड़ की स्वीकृति दी गई है एवं वितरण कंपनियों द्वारा नवम्बर, 2025 तक 4295 घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा संरक्षण से संबंधित कार्य :-

1. **नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त विद्युत हेतु पारेषण प्रणाली का विकास:** वर्तमान में मध्यप्रदेश ग्रिड से संबद्ध ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से लगभग 7400 मेगावॉट विद्युत का उत्पादन एवं निकासी (विभिन्न वोल्टेज स्तर पर) किया जा रहा है। साथ ही भविष्य की विद्युत की मांग को देखते हुए नवकरणीय स्रोतों के माध्यम से लगभग 2000 मेगावॉट (म.प्र. ग्रिड से संबद्ध) उत्पादित विद्युत की निकासी हेतु पारेषण प्रणाली एवं जुड़ी हुई अधोसंरचना के लिए योजना बनाने का काम प्रगतिरत है।
2. **जल संचयन :** कम्पनी द्वारा स्थापित किये जा रहे नवीन उपकेन्द्रों के नियंत्रण कक्ष की छत पर एकत्रित वर्षा जल का संग्रहण कर उसे विशेष रूप से निर्मित भूमिगत गड्ढों में डाला जाता है, जिससे भूमि का जल स्तर बढ़ाने में मदद मिलती है। ये प्रयास उपकेन्द्रों में जल समस्या के निराकरण में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई हैं।
3. **वृक्षारोपण कार्य :** पर्यावरण के संरक्षण एवं उन्नयन हेतु कंपनी द्वारा समस्त अति उच्चदाब उपकेन्द्रों, कार्यालयों एवं आवासीय परिसरों में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत 20,317 वृक्षों का रोपण किया गया एवं छोटे उद्यानों को भी विकसित किया गया है।
4. **बर्ड फ्लैपर्स की स्थापना :** कंपनी ने प्रवासी पक्षियों के उड़ान पथ में अति उच्च दाब पारेषण लाइनों से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों को कम करने के लिए बर्ड फ्लैपर्स की स्थापना प्रारम्भ कर दी है। इन बर्ड फ्लैपर्स को प्रवासी पक्षियों के पारेषण लाइन को बेहतर दृश्यता प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है ताकि वे पारेषण लाइनों के साथ टकराव से बचने के लिए समय रहते अपने उड़ान पथ को अच्छी तरह से बदल सकें। अब तक कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश में विभिन्न ट्रांसमिशन लाइनों में 4184 से अधिक संख्या में बर्ड फ्लैपर स्थापित किए गए हैं एवं अधिक पक्षियों वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर ऐसी लाइनों पर बर्ड फ्लैपर स्थापित किये जा रहे हैं।



5. **उपकेन्द्रों में रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना :** कंपनी द्वारा ऊर्जा संरक्षण हेतु प्रदेश में 45 अति उच्चदाब उपकेन्द्रों में 15 से 25 किलो वॉट क्षमता के सोलर रूफ टॉप पेनलों की स्थापना का कार्य किया है जिससे उपकेन्द्रों की अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण किया जा रहा है एवं इससे पारंपरिक ऊर्जा की बचत सुनिश्चित हुई है। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए कंपनी द्वारा भविष्य में सभी टर्नकी (turnkey) अनुबंधों में 132 केव्ही उपकेन्द्र में 15 किलोवॉट और 220 केव्ही उपकेन्द्र में 25 किलोवॉट रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट स्थापित किये जाने का प्रावधान रखा गया है।

निजी सोलर रूफटॉप स्थापित करने हेतु कंपनी कर्मियों को प्रोत्साहन : सोलर रूफटॉप योजना को म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में प्रभावी रूप से लागू किये जाने हेतु इंसेंटिव दिये जाने की योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो कार्मिक अपने व्यय पर सोलर रूफटॉप की स्थापना करते हैं उन्हें कंपनी द्वारा नियमानुसार 3 कि. वॉ. तक के सोलर रूफटॉप के कंज्यूमर शेयर का 50% का भुगतान एकमुश्त कर दिया जाता है।

समृद्ध मध्यप्रदेश@2047

समृद्ध मध्यप्रदेश@2047 में निम्नलिखित कार्य बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है:

1. #274: सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए 100% स्मार्ट मीटरिंग

5.5.2 नवकरणीय ऊर्जा

राज्य सरकार, राज्य में नवीन और नवकरणीय ऊर्जा के नियोजित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में किए गए गंभीर प्रयासों के परिणामस्वरूप, राज्य में नवकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता मार्च 2012 में 491 मेगावाट से बढ़कर नवंबर-2025 तक 9508 मेगावाट हो गई है। इस प्रकार, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा पर आधारित स्थापित बिजली क्षमता पिछले दस वर्षों में लगभग 20 गुना बढ़ गई है, जिसमें पवन ऊर्जा ने 3500 मेगावाट, सौर ऊर्जा ने 5781 मेगावाट, बायोमास ने 155 मेगावाट और छोटी पनबिजली परियोजनाओं ने 124 मेगावाट का योगदान दिया है।

नीतियाँ एवं निवेश:

पिछले दो वर्षों में महत्वपूर्ण नीतियाँ और पहल लागू की गई हैं, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

- मध्यप्रदेश नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा नीति - 2025
- मध्यप्रदेश पंप हाइड्रो परियोजना क्रियान्वयन योजना - 2025
- मध्यप्रदेश बायोमास परियोजना क्रियान्वयन योजना - 2025

इन नीतियों के माध्यम से निवेशकों को स्पष्ट नीति-संरचना, सरल प्रक्रियाएँ और दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान की गई है, जिससे प्रदेश में निजी निवेश, परियोजना विकास और रोजगार सृजन को नई गति मिली है।

पंप स्टोरेज नीति के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 14,650 मेगावाट की परियोजनाएं पंजीकृत हो चुकी हैं तथा 3,750 मेगावाट की परियोजनाएं पंजीकरण की प्रक्रिया में हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश में लगभग ₹88,865 करोड़ का निवेश आकर्षित होने की संभावना है, जो ऊर्जा भंडारण, ग्रिड स्थिरता और रोजगार सृजन, तीनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सोलर पार्क योजना :- प्रदेश में सोलर पार्क परियोजना के अंतर्गत 1330 मेगावाट की आगर-शाजापुर- नीमच

सौर परियोजना का सफलतापूर्वक विकास किया गया है। इसके अलावा नीमच में 170 मेगावाट सौर कार्य समापन पर है। इन परियोजनाओं के माध्यम से ₹4,500 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित हुआ है तथा संपूर्ण परियोजना अवधि में लगभग ₹2,400 करोड़ से अधिक की अनुमानित वित्तीय बचत उत्पन्न होने की संभावना है। इन सोलर पार्कों से उत्पादित विद्युत का उपयोग मध्यप्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों के साथ-साथ भारतीय रेलवे द्वारा भी किया जा रहा है।

विभाग ग्रिड को आवश्यक स्थिरता प्रदान करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा भण्डारण परियोजनाओं के विकास पर कार्य कर रहा है। मुरैना में 440 मेगावाट सौर परियोजना सह 4 घंटे की प्रदेश की पहली स्टोरेज परियोजना स्थापना के लिये संचालित निविदा में 2.70 प्रति यूनिट की अभूतपूर्व दर प्राप्त हुई है।

हमारे राज्य की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के साथ-साथ अन्य राज्यों की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए 800 मेगावाट के पूरक आधार के साथ एक अक्षय ऊर्जा परियोजना विकसित करने पर कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश को 6-6 महीने बिजली की आपूर्ति की जाएगी।

ओंकारेश्वर में दुनिया की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक 278 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट से उत्पादन शुरू हो गया है। यह नवाचार प्रदेश के साथ-साथ देश के लिए भी गर्व की बात है। परियोजना की लागत लगभग 1,900 करोड़ रुपये है, जो निजी निवेश के माध्यम से की जा रही है। इस फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए लगभग 06 वर्ग किमी जल क्षेत्र चिह्नित किया गया है जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिसंबर 2024 को खजुराहो से किया गया था।

सोलर रूफटॉप परियोजना:- राज्य में सोलर रूफटॉप परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। परियोजना के तहत रेस्को और EPC मोड में लगभग 53 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। निःशुल्क विद्युत योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश के शासकीय भवनों यथा पुलिस विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, अस्पताल, महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, जेल विभाग, पर्यटन विकास निगम, अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार की संस्थाओं में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। 1300 शासकीय भवनों पर रेस्को पद्धति में लगभग 60 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। संयंत्र स्थापना का कार्य प्रारंभ हो गया है।

रेस्को पद्धति के अंतर्गत स्थापित होने वाले संयंत्रों से उत्पादित विद्युत का भुगतान प्रतिमाह रेस्को विकासक को किया जाना होता है। इस प्रक्रिया को पूर्णतः पोर्टल पर आधारित कर ऑनलाईन इनवाइस जनरेट करने का प्रावधान किया गया है। रेस्को परियोजना को वित्तीय रूप से सुगम बनाने हेतु विकासक को राज्य शासन द्वारा पेमेंट सुरक्षा गारंटी हेतु रिवाल्विंग फंड का प्रावधान किया गया है। यह भुगतान पूर्णतः आनलाईन पोर्टल के माध्यम से किये जाएंगे।

एक जिला-एक रेस्को परियोजना के अंतर्गत जिलों के लिए सौर ऊर्जा से उत्पादित विद्युत की दर ₹. 3.40 से ₹. 4.01 प्रति यूनिट प्राप्त हुई है, जो कि उल्लेखनीय है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (आवासीय) के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 76,000 घरों पर कुल 292 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

सांची सोलर सिटी इस योजना के अंतर्गत सांची की ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों से पूरा किया जा रहा है। इसके लिए शासकीय/गैर सरकारी निजी संस्थागत/औद्योगिक/कृषि/घरेलू आदि क्षेत्रों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सोलर पार्क (मेगावाट क्षमता), सोलर रूफटॉप प्लांट, सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना की गई है। सांची शहर की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुल 8 मेगावाट क्षमता



के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, सांची में स्थित विभिन्न सरकारी, वाणिज्यिक, संस्थागत और आवासीय भवनों की छतों पर सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री कुसुम- ए योजना : भारत सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और आर्थिक विकास के लिए कार्यान्वित प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (KUSUM) योजना के घटक 'ए' के तहत चयनित विद्युत उपकेन्द्रों के लगभग 5 किलोमीटर की परिधि में अपनी कम उपजाऊ/ बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के बाद किसानों को सौर ऊर्जा का लाभ मिल सकेगा। इस स्कीम के अंतर्गत, किसान विकासकर्ताओं/निवेशकों के माध्यम से अपनी कृषि भूमि पर संयंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। इस योजना के तहत 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की परियोजनाएं स्थापित करने का प्रावधान है। योजना में मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा प्रदेश में विद्युत कम्पनी द्वारा चिन्हित उपकेन्द्रों में मध्यप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित अधिकतम टैरिफ (दर) पर सीधे ऑनलाइन पंजीयन के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पादकों का चयन किया जाता है। चयनित सौर ऊर्जा उत्पादक द्वारा स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित ऊर्जा मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी को 25 वर्ष तक बेच सकते हैं। इसके लिए उन्हें मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी के साथ 25 साल के लिए "विद्युत क्रय अनुबंध" करना होगा।

अब तक, इस योजना के तहत लगभग 996.79 मेगावाट के विद्युत क्रय अनुबंध (PPA) निष्पादित किए गए हैं और 54.95 मेगावाट की 35 परियोजनाएं चालू की गई हैं।

यह योजना किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करेगी, जिससे म.प्र. राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना (प्रधानमंत्री कुसुम- ब योजना):- योजनांतर्गत राज्य के किसानों के लिए सिंचाई प्राणली के लिए सोलर पंप स्थापित किये जा रहे हैं। पूर्व में उक्त योजना मुख्यमंत्री सोलरपंप के नाम से संचालित थी जिसके तहत पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 तक किसानों के यहाँ 21129 नग सोलर पंप लगाए जा चुके हैं। राज्य में अब तक लगभग 100000 किसानों ने सोलर पंप स्थापित करने के लिए पंजीकरण कराया है। वर्ष 2025-26 में कुल 52000 नग सोलर पंपों की स्थापना संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रधानमंत्री कुसुम- सी योजना:- इस योजना के तहत प्राथमिक उद्देश्य किसानों के स्थानों पर वर्तमान में स्थापित ग्रिड से जुड़े सिंचाई पंपों (कृषि कार्य के लिए) को सौर ऊर्जा प्रदान करना है। जिसके लिए कृषि फीडर को सोलर बनाकर किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें अतिरिक्त आय का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत अब तक लगभग 521.7 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के आशय पत्र (LOI) जारी किए गए हैं, जिनमें लगभग 321.7 मेगावाट क्षमता के कॉन्ट्रैक्ट हस्ताक्षरित किए गए हैं तथा 135 मेगावाट क्षमता तक के प्रोजेक्ट लगाए गए हैं।

प्रधानमंत्री जनमन योजना: प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत अविद्युतीकृत PVTG घरों/ परिवारों के विद्युतीकरण हेतु अधोसंरचना विस्तार के लिए आंकलित लागत रु. 1 लाख प्रति परिवार से अधिक हो, वहां लगभग 01 किलोवाट क्षमता के ऑफग्रिड सौर संयंत्र (सोलर बैटरी) की स्थापना, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा की जा रही है।

योजनान्तर्गत प्रथम चरण में प्रदेश के बैगा, सहरिया एवं भारिया जनजाति वर्ग के 2060 घरों में सौर संयंत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से 1122 घरों में संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

भविष्य की योजनाएं एवं नवाचार:

भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए, मध्यप्रदेश सोलर-प्लस-स्टोरेज आधारित परियोजनाओं

के विकास की दिशा में निरंतर एवं योजनाबद्ध रूप से आगे बढ़ रहा है। ऊर्जा भंडारण की बढ़ती अनिवार्यता को समझते हुए, ऐसे नवाचार मॉडल पर आधारित परियोजनाओं को विकसित किये जा रहे हैं, जिनके माध्यम से दिन एवं रात्रि, दोनों समय नवकरणीय ऊर्जा की विश्वसनीय, सतत और सुनिश्चित आपूर्ति संभव हो सके।

इसी क्रम में, धार जिले में लगभग 200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा के साथ ऊर्जा भंडारण आधारित परियोजना स्थापित की जाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत सौर अवधि के दौरान म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (MPPMCL) की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी तथा शेष ऊर्जा का भंडारण कर गैर-सौर अवधि में छह घंटे अथवा उससे अधिक समय तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

इसी प्रकार, बड़वानी जिले में एक और महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी पहल के रूप में 24 घंटे सतत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने वाली परियोजना विकसित की जा रही है। इस परियोजना के माध्यम से नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों एवं ऊर्जा भंडारण व्यवस्था के संयोजन से प्रतिदिन 24 घंटे 100 मेगावाट विद्युत की निरंतर आपूर्ति की जाएगी।

सौर एग्रो PV संयंत्र फसल को धूप, तेज हवा और अत्यधिक जल से भी सुरक्षा प्रदान करता है। इन परियोजनाओं के माध्यम से दिन के समय सबसे सस्ती विद्युत उपलब्ध होगी, जिससे किसानों और राज्य दोनों को आर्थिक लाभ होगा। वर्तमान में 250 मेगावाट एग्रो सौर PV संयंत्रों की स्थापना के लिए पायलट परियोजना प्रस्तावित है।

प्रधानमंत्री कुसुम-‘सी’ योजना के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 4000 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है, जिनमें ₹2.40 से ₹2.854 प्रति यूनिट के प्रतिस्पर्धी टैरिफ प्राप्त हुए हैं। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) के माध्यम से बिना किसी इंफ्रा उपग्रेडेशन कॉस्ट के किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से कृषकों को दिन के समय सबसे सस्ती विद्युत उपलब्ध हो रही है, साथ ही बेहतर वोल्टेज प्रोफाइल, ग्रिड की विश्वसनीयता तथा विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित हो रहा है।

5.6 जल संसाधन:

स्रोत: जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन

समृद्ध मध्यप्रदेश@2047

समृद्ध मध्यप्रदेश@2047 में निम्नलिखित कार्य बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है:

1. #138.1: टिकाऊ और लागत प्रभावी ऊर्जा के लिए 2 सौर पार्क स्थापित करें
2. #273: 50 तक 2030% स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तक पहुंचें

जल संसाधन विभाग, जिसे पहले सिंचाई विभाग के नाम से जाना जाता था, मध्यप्रदेश सरकार के प्रमुख प्रतिष्ठानों में से एक है। यह अंतर्राज्यीय नदियों/बेसिनों के जल के बंटवारे में राज्य के अधिकार की रक्षा करता है। जल संसाधन विभाग, जल संसाधन परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई क्षमता के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। यह बाढ़ नियंत्रण कार्यों और रखरखाव, जलाशय संचालन और चक्रवातों से क्षतिग्रस्त संरचनाओं के पुनर्निर्माण के रूप में आपदा प्रबंधन की भी देखभाल करता है।

राज्य से निम्नलिखित नदियाँ निकलती हैं: (क) पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा, माही और ताप्ती; (b) पूर्व की ओर सोन; (ग) उत्तर की ओर चम्बल, बेतवा और केन; तथा (घ) दक्षिण की ओर पेंच और वैनगंगा। राज्य के औसत सतही जल प्रवाह का 75 प्रतिशत वर्षा पर निर्भर है जो लगभग 81,500 mcm है, जिसमें से 56,800 mcm राज्य को आवंटित किया जाता है और शेष पड़ोसी राज्यों के साथ साझा किया जाता है। राज्य का भूजल 34,159 mcm होने का अनुमान है। राज्य में लगभग 3,956 किलोमीटर नदी की लंबाई है, जिसमें से लगभग 553 किलोमीटर पड़ोसी राज्यों के साथ सीमाएं साझा करती हैं।



सिंचाई क्षमता

भारत में सिंचाई परियोजनाओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई। जिन परियोजनाओं में 10,000 हेक्टेयर से अधिक का खेती योग्य कमांड क्षेत्र (CCA) है, उन्हें वृहद परियोजनाएं कहा जाता है, जिनका CCA 10,000 हेक्टेयर से कम लेकिन 2,000 हेक्टेयर से अधिक है, उन्हें मध्यम परियोजनाएं कहा जाता है और उन सिंचाई परियोजनाओं को जिनके पास 2,000 हेक्टेयर या उससे कम का CCA है, उन्हें लघु परियोजनाओं के रूप में जाना जाता है।

जल परिदृश्य में साल दर साल लगातार वृद्धि देखी गई है, जैसा कि रबी, खरीफ और अन्य फसलों के लिए नीचे दी गई तालिकाओं में देखा जा सकता है।

तालिका 5.14: रबी फसल के लिए विकसित सिंचाई क्षमता**

(विवरण में उल्लिखित सभी इकाइयाँ)

क्र.	विवरण	वर्ष						
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*
A	योजनाएं (संख्याएं)							
1	वृहद	29	29	29	31	32	39	41
2	मध्यम	104	108	112	146	115	149	153
3	लघु	5315	5513	5756	5838	5692	5966	5972
	कुल	5448	5650	5897	6015	5839	6154	6166
B	कृषि योग्य कमान क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)							
1	वृहद	19.95	19.95	21.04	21.66	22.94	24.09	24.91
2	मध्यम	4.56	4.78	5.63	6.74	5.99	7.04	7.36
3	लघु	12.60	13.21	14.10	14.34	13.70	14.79	15.89
	कुल	37.11	37.94	40.77	42.74	42.63	45.92	48.16
C	वर्ष 2025-26 के लिए लक्ष्य सिंचाई (लाख हेक्टेयर)							
1	वृहद	16.97	17.39	18.10	18.87	20.35	21.41	21.90
2	मध्यम	3.51	3.65	3.97	4.33	4.22	4.51	4.72
3	लघु	10.24	9.93	9.49	10.25	10.52	10.65	10.73
	कुल	30.72	30.97	31.56	33.45	35.09	36.57	37.35
D	02-जनवरी-2026 तक संचयी सिंचाई हासिल की गई (लाख हेक्टेयर)							
1	वृहद	16.01	17.04	17.96	18.31	20.35	21.19	13.80
2	मध्यम	3.37	3.55	3.84	4.15	3.95	4.14	2.58

क्र.	विवरण	वर्ष						
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*
3	लघु	9.86	9.87	9.53	10.17	9.56	10.31	6.74
	कुल	29.24	30.46	31.33	32.63	33.86	35.64	23.12

*: 02-जनवरी-2026 तक का डेटा

स्त्रोत: जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन

तालिका 5.15: खरीफ फसल के लिए विकसित सिंचाई क्षमता **

(विवरण में उल्लिखित सभी इकाइयाँ)

क्र.	विवरण	वर्ष						
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*
A	योजनाएं (संख्याएं)							
1	प्रमुख	15	16	13	12	22	23	15
2	मध्यम	42	40	52	51	62	60	49
3	लघु	2069	2203	1897	1632	2181	1918	1419
	कुल	2126	2259	1962	1695	226	2001	1483
B	कृषि योग्य कमान क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)							
1	वृहद	6.70	10.62	10.25	5.49	11.86	13.82	10.65
2	मध्यम	1.58	1.69	2.48	2.41	3.89	2.93	2.57
3	लघु	5.66	5.13	4.61	3.78	4.92	6.35	3.32
	कुल	19.94	17.44	17.34	11.68	20.67	23.10	16.54
C	वर्ष 2025-26 के लिए लक्ष्य सिंचाई (लाख हेक्टेयर)							
1	वृहद	1.13	1.69	1.44	1.37	1.91	1.45	1.95
2	मध्यम	0.55	0.56	0.60	0.57	0.68	0.58	0.58
3	लघु	0.51	0.50	0.46	0.40	0.48	0.48	0.48
	कुल	2.19	2.75	2.50	2.34	3.07	2.51	3.01
D	02-जनवरी-2026 तक संचयी सिंचाई हासिल की गई (लाख हेक्टेयर)							
1	प्रमुख	1.31	1.75	1.84	1.76	1.87	2.13	1.97



क्र.	विवरण	वर्ष						
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*
2	मध्यम	0.46	0.54	0.54	0.53	0.69	0.59	0.53
3	लघु	0.23	0.41	0.40	0.38	0.42	0.48	0.40
	कुल	2.00	2.70	2.78	2.67	2.98	3.20	2.90

*: 02-जनवरी-2026 तक का डेटा

स्त्रोत: जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन

तालिका 5.16: अन्य फसल (ग्रीष्मकालीन फसलें) के लिए विकसित सिंचाई क्षमता **

(विवरण में उल्लिखित सभी इकाइयाँ)

क्र.	विवरण	वर्ष						
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
A	योजनाएं (संख्याएं)							
1	वृहद	0	8	9	7	2	4	4
2	मध्यम	0	34	38	20	9	18	11
3	लघु	0	2395	1258	863	58	631	109
	कुल	0	2437	1305	890	69	653	124
B	कृषि योग्य कमान क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)							
1	वृहद	0	4.76	3.64	4.09	2.99	3.73	3.21
2	मध्यम	0	1.50	1.80	0.92	0.65	0.90	0.59
3	लघु	0	5.08	2.96	1.81	0.18	1.34	0.35
	कुल	0	11.34	8.40	6.82	3.83	5.97	4.15
C	वर्ष 2025-26 के लिए लक्ष्य सिंचाई (लाख हेक्टेयर)							
1	वृहद	0	0.56	0.82	0.84	0.79	0.82	0.83
2	मध्यम	0	0.11	0.06	0.01	0.03	0.03	0.02
3	लघु	0	0.04	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	0	0.71	0.90	0.85	0.82	0.85	0.85
D	02-जनवरी-2026 तक संचयी सिंचाई हासिल की गई (लाख हेक्टेयर)							
1	वृहद	0	0.62	0.82	0.85	0.79	0.82	0.83
2	मध्यम	0	0.05	0.05	0.01	0.03	0.02	0.02

क्र.	विवरण	वर्ष						
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
3	लघु	0	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	0	0.69	0.89	0.86	0.82	0.84	0.85

*: 02-जनवरी-2026 तक का डेटा

** स्रोत: <http://eims1.mpwr.gov.in/imreport/control/main>

सभी वृहद, मध्यम और लघु योजनाओं के लिए बेसिन वार विकसित रबी सिंचाई आवश्यकताओं का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 5.17: सिंचाई क्षमता बेसिन-वार

(सभी इकाइयाँ लाख हेक्टेयर में)

क्र.	विवरण	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष 2025-26	
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	योजना बनाई	जनवरी-2026 तक
1	चंबल बेतवा बेसिन, भोपाल	3.33	3.73	3.75	3.78	3.78	3.12	3.62	3.62	2.75
2	धसन केन बेसिन, सागर	2.59	2.65	2.35	2.10	2.69	3.34	3.48	3.83	2.07
3	गंगा बेसिन, रीवा	2.62	2.41	2.81	3.09	2.95	2.95	3.13	3.36	0.52
4	नर्मदा ताप्ती बेसिन, इंदौर	4.20	2.92	2.97	2.62	2.79	3.09	3.21	3.31	2.49
5	राजघाट नहर परियोजना, दतिया	3.06	3.20	3.55	3.80	3.35	2.60	2.60	2.61	1.51
6	वैनगंगा बेसिन, सिवनी	2.43	2.69	3.01	2.98	3.20	3.27	3.16	3.84	1.84
7	जल संसाधन, उज्जैन	--	1.98	1.92	2.12	2.21	1.96	2.27	2.37	2.10
8	जल संसाधन, नर्मदापुरम	3.94	4.38	4.42	4.50	4.58	4.62	4.62	4.71	3.09
9	यमुना बेसिन, ग्वालियर	5.00	5.02	5.04	5.14	5.57	5.61	5.73	5.72	2.92



क्र.	विवरण	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष 2025-26	
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	योजना बनाई	जनवरी-2026 तक
10	एमके परियोजना प्रबंधन इकाई, राजगढ़	0.03	0.08	0.30	0.87	1.18	1.88	2.63	2.87	2.87
11	एसएस परियोजना प्रबंधन इकाई, इंदौर	--	0.20	0.34	0.35	0.35	1.05	1.19	1.07	0.96
	कुल	27.20	29.25	30.45	31.35	32.65	33.49	35.64	37.35	23.12

*: 02-जनवरी-2026 तक का डेटा

स्त्रोत: जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन

वर्ष 2024-25 में 39.68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र (खरीफ, रबी और अन्य) पर कुल सिंचाई हासिल की गई है। वर्ष 2025-26 में 02 जनवरी 2026 तक 26.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कुल सिंचाई की गई है, जो नीचे दी गई है:

तालिका 5.18: मौसम-वार सिंचाई क्षमता

(सभी इकाइयाँ लाख हेक्टेयर में)

विवरण	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 *
रबी सिंचाई	27.20	29.25	30.45	31.32	32.64	34.25	35.64	23.12
खरीफ सिंचाई	2.45	2.01	2.70	2.79	2.67	2.98	3.20	2.90
ग्रीष्मकालीन सिंचाई	--	--	0.69	0.89	0.87	0.82	0.84	0.85
कुल	29.65	31.26	33.84	35.00	36.18	38.05	39.68	26.87

*: 02-जनवरी-2026 तक का डेटा

स्त्रोत: जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन

प्रमुख योजनाएं:

कृषि क्षमता के विकास और विस्तार के उद्देश्य से, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2015-16 में उपयोगी संसाधनों और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) शुरू की। PMKSY के तहत उप-योजनाएं हैं:

1. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP)

उद्देश्य: देश में वृहद/ मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता प्रदान करना, जिसका उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना है जो राज्यों की संसाधन क्षमता से परे हैं या पूरा होने के अंतिम चरण में हैं।

लाभार्थी: जनजातीय और सूखा प्रभावित क्षेत्र

2. हर खेत को पानी (HKKP) और प्रति बूंद अधिक फसल (PDMC)

उद्देश्य: (क) सिंचाई के कवरेज का विस्तार करना, (ख) सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत के स्तर पर जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, (ग) स्रोत निर्माण, वितरण, प्रबंधन, क्षेत्र अनुप्रयोग और विस्तार गतिविधियों पर शुरू से अंत तक समाधान

लाभार्थी: छोटे और सीमांत किसान केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को प्राथमिकता देते हैं। खोदे गए कुओं, बोरवेल और ट्यूबवेल आदि के माध्यम से भूजल सिंचाई सुविधा को अतिदोहित (Over Exploited), गंभीर (Critical) या अर्ध-गंभीर (Semi-Critical) क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में योजनाओं के लिए वित्त पोषित किया जा सकता है। मध्यप्रदेश राज्य के निम्नलिखित 5 जिलों का चयन किया गया है- मंडला, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल और सिंगरौली

3. कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (CADWM)

उद्देश्य: सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग को बढ़ाना और सहभागी सिंचाई प्रबंधन के माध्यम से स्थायी आधार पर कृषि उत्पादन में सुधार करना

लाभार्थी: प्राथमिकता वाली एआईबीपी परियोजनाएं

4. राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना:

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना को मंत्रिमंडल ने 06 अप्रैल, 2016 को विश्व बैंक द्वारा समर्थित केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 3,679.77 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी थी [राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (NHP) के लिए 3,640 करोड़ रुपये और राष्ट्रव्यापी जल संसाधन डेटा के भंडार के रूप में राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र (NWIC) की स्थापना के लिए 39.77 करोड़ रुपये]। परियोजना विकास का उद्देश्य समय पर और विश्वसनीय जल संसाधन डेटा अधिग्रहण, भंडारण, मिलान और प्रबंधन के लिए एक प्रणाली स्थापित करना था।

(स्रोत एवं अधिक जानकारी: <https://jalshakti-dowr.gov.in/national-hydrology-project>.)

राज्य ने अब तक निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की हैं:

- गंगा, नर्मदा, ताप्ती और माही बेसिन में 410 रियल टाइम डाटा अर्जन प्रणाली (RTDAS) स्थापित की गई है।
- 193 सतही जल स्टेशन और 357 भूजल स्टेशन स्थापित किए गए हैं।
- 12 मुख्य बांधों (बरना, तवा, बरगी, बाणसागर, संजय सरोवर, गांधी सागर, अटल सागर, माही, पेंच, राजीव सागर बांध, कोलार बांध और संजय सागर बांध परियोजना) में बांध स्वचालन के तहत स्काडा स्थापित किया गया है।
- विजुअल सर्विलांस प्रोजेक्ट के तहत 10 स्थानों (संजय सागर बाह, सम्राट अशोक सागर, बांसुजारा, कोलार, परसदोह, कुशलपुरा, तिगरा, कलियासोट, मटियारी और सगड़ बांध) में सीसीटीवी सिस्टम स्थापित किया जा रहा है।



- क्षमता निर्माण पहल के तहत, जल सांख्यिकी विकसित करने और जल संबंधी उद्देश्य संचालित अध्ययन के लिए राज्य डब्ल्यूआरआईएस की स्थापना की जा रही है।
- बालाघाट, जबलपुर, सागर और सतना में जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

उपरोक्त पहल के साथ, सतह और भूजल डेटा अब वास्तविक समय के आधार पर उपलब्ध है, जिसके परिणामस्वरूप जल संसाधनों की अधिक कुशल निगरानी और प्रबंधन हुआ है।

5. बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP)

बांधों का निर्माण जल संसाधनों/ भंडारण सुविधाओं को विकसित करने और सिंचाई, जल आपूर्ति, ऊर्जा उत्पादन और अन्य उपयोगों के प्रयोजनों के लिए किया गया है। इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स (ICOLD) के मानदंडों के अनुसार, लगभग 906 बांध बड़े बांधों की श्रेणी में आते हैं। सुदृढ़ीकरण, सुरक्षा और दक्षता में सुधार के उद्देश्य से, राज्य बांध सुरक्षा संगठन नियमित रूप से इन बांधों का निरीक्षण करता है और उनमें सुधार के बारे में जानकारी प्रदान करता है। डीआरआईपी-I के तहत 145.86 करोड़ रुपये की लागत से 25 बांधों में सुधार किया गया है और डीआरआईपी-II के तहत 551.20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 27 बांधों को सुधार के लिए मंजूरी दी गई है।

6. अटल भूजल योजना

वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक की अवधि के साथ अटल भूजल योजना की परिकल्पना जल संरक्षण और भूजल सुधार के उद्देश्य से की गई थी। भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा 50:50 के अनुपात में 314.54 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई थी, जिसका उपयोग बुंदेलखंड क्षेत्र में 6 जिलों (सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी) की 678 ग्राम पंचायतों के तहत कुल 1,210 गांवों में जल संरक्षण और भूजल सुधार के लिए किया जा रहा है।

7. नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाएं

भारत जैसे देशों के लिए नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाओं को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उनकी जल उपलब्धता, कृषि और क्षेत्रीय विकास से संबंधित लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करने की क्षमता है।

राज्य ने वर्तमान में तीन प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनका सारांश नीचे दिया गया है और आगे उनका विवरण दिया गया है:

- **केन-बेतवा लिंक परियोजना:** केन नदी और बेतवा बेसिन पर बनाया गया है जो मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करता है।
- **ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना:** संयुक्त जल प्रबंधन और नदी पुनर्भरण पहल ताप्ती नदी बेसिन पर केंद्रित है जिससे मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र को लाभ होता है।
- **पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना:** यह परियोजना राज्य के चंबल और मालवा क्षेत्रों के लाखों किसानों के जीवन को सिंचाई और पीने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराकर उनके जीवन को बदल देगी, संबंधित क्षेत्र में पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा देगी। इस परियोजना के तहत मध्यप्रदेश की 17 परियोजनाएं और राजस्थान की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना शामिल हैं।

अ. केन-बेतवा लिंक परियोजना

केन बेतवा लिंक परियोजना केन नदी और बेतवा बेसिन पर बनाई जाने वाली महत्वाकांक्षी नदी-इंटरलिंग परियोजना है, जिसका उद्देश्य मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों को लाभ पहुंचाना है। 25 दिसंबर 2024 को, भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के साथ छतरपुर जिले के खजुराहो में केन-बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना की आधारशिला रखी।

इस परियोजना के तहत, कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित की योजना बनाई गई है:

चरण-I: दौधन बांध का निर्माण, केन नदी पर सहायक कार्य और दौधन बांध से बेतवा नदी तक लिंक नहरों का निर्माण

चरण-II: बेतवा बेसिन में बीना कॉम्प्लेक्स, कोठा बैराज और लोअर ओरर (Lower Orr) प्रमुख परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

इस परियोजना के प्रमुख लाभार्थी हैं:

- मध्यप्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी और दमोह जिले [4.51 लाख हेक्टेयर के लिए सूक्ष्म सिंचाई और केन बेसिन के 60 mcm पीने के पानी]।
- बेतवा बेसिन के अंतर्गत आने वाले मध्यप्रदेश के विदिशा, रायसेन, सागर, शिवपुरी और दतिया जिले [2.06 लाख हेक्टेयर के लिए सिंचाई और 66.75 mcm पेयजल के लिए सिंचाई] दूसरे चरण में शामिल हैं।
- उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा, महोबा और झांसी जिले [2.51 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की जरूरत और पानी की आपूर्ति और 67 mcm पीने के पानी]।
- विशेष रूप से मध्यप्रदेश राज्य के लिए 103 मेगावाट पारंपरिक पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन
- इस परियोजना का उद्देश्य दो राज्यों में लगभग 6.2 मिलियन लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के अलावा मध्यप्रदेश में 6.57 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 2.51 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई को विकसित और स्थिर करना है।

ब. ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना

मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के बीच 10 मई 2025 को एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गया, जिसमें संयुक्त जल प्रबंधन और ताप्ती नदी बेसिन पर केंद्रित दुनिया की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण पहल को औपचारिक रूप दिया गया, जो मध्यप्रदेश में मुलताई के पास से निकलती है और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से होकर बहती है।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नागपुर सहित उत्तर-पूर्वी महाराष्ट्र में दक्षिणी मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों में सिंचाई और भूजल के पुनर्भरण और पीने के उद्देश्य से ताप्ती जल को मोड़ना और आवंटित करना है। जल आवंटन योजना में मध्यप्रदेश के लिए लक्षित 881 मिलियन सेमी को 333 mcm में और शेष 548 mcm को महाराष्ट्र के लिए डायवर्जन शामिल है। इस परियोजना से मध्यप्रदेश में 1,23,082 हेक्टेयर और महाराष्ट्र में 2,34,706 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा होगी।

परियोजना के तहत, चार जल संरचनाएं प्रस्तावित हैं:

- **खरिया गुटीघाट बांध स्थल पर लो डायवर्जन वीयर:** मध्यप्रदेश के खंडवा जिले की खालवा तहसील और महाराष्ट्र की अमरावती तहसील में 235 एमसीएम क्षमता के साथ वीयर प्रस्तावित है।



- **राइट बैंक नहर चरण 1:** मध्यप्रदेश में 110 किलोमीटर के साथ प्रस्तावित खारिया गुटीघाट वियर के दाहिने किनारे से 221 किलोमीटर लंबी नहर प्रस्तावित है। इस नहर से मध्यप्रदेश में 55,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचाई होगी।
- मध्यप्रदेश में 100.42 किलोमीटर के साथ प्रस्तावित खारिया गुटीघाट वियर के बाएं किनारे से 135.64 किलोमीटर लंबी नहर प्रस्तावित है। इससे मध्यप्रदेश में 44,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचाई होगी।
- **लेफ्ट बैंक कैनाल फेज II:** इसकी लंबाई 123.97 किमी होगी, जो महाराष्ट्र में 80,000 हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई करेगी।

स. पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना

संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना राज्य के चंबल और मालवा क्षेत्रों के लाखों किसानों के जीवन को बदल देगी। उन्हें न केवल सिंचाई और पीने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा बल्कि संबंधित क्षेत्र में पर्यटन और उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना के तहत मध्यप्रदेश की 17 परियोजनाएं और राजस्थान की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना शामिल हैं। परियोजना की कुल लागत 72 हजार करोड़ रुपये प्रस्तावित है। इस परियोजना के लागू होने से मध्यप्रदेश के लगभग 6.11 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सिंचाई और पीने और उद्योगों के लिए लगभग 172 mcm पानी उपलब्ध होगा। इस परियोजना से लगभग 40 लाख परिवारों को लाभ होगा।

संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना में मध्यप्रदेश से निकलने वाली पार्वती, कूनो, कालीसिंध, चंबल, क्षिप्रा और सहायक नदियों के पानी का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। मध्यप्रदेश में बनने वाली परियोजनाओं की कुल लागत 35 हजार करोड़ रुपये प्रस्तावित है। परियोजना के तहत श्रीमंत माधवराव सिंधिया सिंचाई परिसर (कटीला, सोनपुर, पावा और धनवाड़ी) में 04 बांध, 02 बैराज (श्यामपुर, नैनागढ़), कुंभराज परिसर (कुंभराज-1 और कुंभराज-2) और रंजीत सागर, लखुंदर बैराज में 02 बांध और ऊपरी चंबल बेसिन (सोनचिरी, रामवासा, बचेरा, पदुनिया, सेवरखेड़ी, चितवाड़ और सीकरी सुल्तानपुरा) में 07 बांध शामिल हैं। इसके अलावा गांधी सागर बांध के अपस्ट्रीम में चंबल, क्षिप्रा और गंभीर नदियों पर छोटे-छोटे बांधों का निर्माण भी प्रस्तावित है।

इस परियोजना के माध्यम से राज्य के मुख्य रूप से 13 जिलों मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भिंड, श्योपुर, इंदौर, उज्जैन, धार, आगर-मालवा, शाजापुर, देवास और राजगढ़ को सिंचाई, पीने, मत्स्य पालन और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। यह राज्य सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। केंद्र सरकार के सहयोग से बनने वाले इस प्रोजेक्ट का काम अगले 5 साल में पूरा हो जाएगा।

परियोजना के तहत कुल 21 बांधों, बैराजों और संतुलन जलाशयों आदि का निर्माण प्रस्तावित है। साथ ही, परियोजना में, मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच मौजूदा चंबल राइट मेन कैनाल (CRMC) और मध्यप्रदेश क्षेत्र में संपूर्ण CRMC प्रणाली के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का प्रावधान किया गया है, जो मध्यप्रदेश के श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों को आवंटित है।

समृद्ध मध्यप्रदेश@2047

समृद्ध मध्यप्रदेश @2047 में निम्नलिखित कार्य बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है:

#65: किसानों के एक समूह के लिए जल पहुंच और प्रबंधन में सुधार के लिए सामुदायिक सिंचाई परियोजनाएं (जल भंडारण और चेक डैम आदि)।

#279: जल निकायों (नदियों, झीलों आदि) का संरक्षण और सतत उपयोग/विकास।

#283: 2047 तक सिंचाई क्षमता को 50 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 158 लाख हेक्टेयर करने के लिए नई जल संरक्षण संरचनाओं का विकास करना, जिसमें सतही और भूजल सिंचाई दोनों शामिल हैं।

संदर्भ

- Department of Industrial Promotions and Investment Policies, Government of Madhya Pradesh. (January 2026).
- रेशम संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन. (जनवरी 2026).
- National CSR Portal, Ministry of Corporate Affairs. (February 2026). Retrieved from <https://www.mca.gov.in/content/csr/global/master/home/home/csr-expenditure--geographical-distribution/state.html?Madhya%20Pradesh=FY%202022-23>
- सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्यप्रदेश शासन. (जनवरी 2026).
- मध्यप्रदेश व्यापार पोर्टल, मध्यप्रदेश शासन. (जनवरी 2026).
- कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार. (2023).
- पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश शासन. (जनवरी 2026).
- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. (विभिन्न वर्षों के लिए).
- प्रशासनिक प्रतिवेदन, औद्योगिक संवर्धन और निवेश नीति विभाग, मध्यप्रदेश शासन. (2023-24).
- आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन. (जनवरी 2026).
- राष्ट्रीय CSR पोर्टल, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय. (जनवरी 2026).
- India Tourism Data Compendium. (2025). Retrieved from <https://tourism.gov.in/sites/default/files/2025-09/India%20Tourism%20Data%20Compendium%202025.pdf>
- Ministry of Electronics & IT. (March 2025). Retrieved from PIB: <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2115413&reg=3&lang=2>
- Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) Quarterly Performance Indicators Report (Apr-Jun 2025). (September 2025). Retrieved from https://www.trai.gov.in/sites/default/files/2025-09/QPIR_03092025.pdf
- Ministry of Commerce & Industry. (November 2025). Retrieved from <https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2188992&reg=3&lang=2>



व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी

“मध्यप्रदेश की केंद्रीय भौगोलिक स्थिति इसे व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और निर्यात के लिए एक विशिष्ट केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। राज्य निवेशकों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।”

डॉ मोहन यादव,

माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन

6.1 व्यापार एवं निवेश का विस्तार

व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी मध्यप्रदेश की त्वरित आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक परिवर्तन एवं रोजगार सृजन की रणनीति के मूल स्तंभ हैं। अपनी केंद्रीय भौगोलिक स्थिति के कारण राज्य देश के उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों के बीच एक प्राकृतिक सेतु के रूप में कार्य करने की विशिष्ट क्षमता रखता है। विगत वर्षों में, मध्यप्रदेश ने नीतिगत सुधारों, अधोसंरचना विस्तार तथा सक्रिय निवेश प्रोत्साहन के माध्यम से अपने आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ किया है, जिससे राष्ट्रीय एवं वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ उसका एकीकरण और अधिक गहरा हुआ है।

निवेश प्रोत्साहन इस परिवर्तन की एक प्रमुख प्रेरक शक्ति रही है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग (DIPIP), मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित मध्यप्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) 2025 तथा रीजनल इन्वेस्टर समिट (RIC) के माध्यम से राज्य को कुल 30.77 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 8.57 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव धरातल पर साकार हो चुके हैं। निवेश का आशय वास्तविक निवेश में यह उल्लेखनीय रूपांतरण राज्य की शासन प्रणाली, नीतिगत स्थिरता तथा औद्योगिक अधोसंरचना में निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, जनवरी से सितंबर 2025 की अवधि के दौरान राज्य में कुल 327.34 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) इनफ्लो दर्ज किया गया। इस अवधि में एफडीआई इनफ्लो मुख्यतः इंदौर (135.58 करोड़ रुपये), उज्जैन (77.71 करोड़ रुपये) तथा भोपाल (58.52 करोड़ रुपये) जैसे प्रमुख शहरी एवं औद्योगिक जिलों में केंद्रित रहा। यह प्रवृत्ति विनिर्माण, सेवा एवं संबद्ध क्षेत्रों में वैश्विक निवेशकों के लिए मध्यप्रदेश की बढ़ती आकर्षण क्षमता को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करती है।

व्यापार के क्षेत्र में, मध्यप्रदेश ने वस्तु निर्यात में सतत वृद्धि दर्ज की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 (अक्टूबर, 2025 तक) के दौरान राज्य का वस्तु निर्यात 38,550 करोड़ रुपये रहा, जिसे औषधि उत्पादों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, कृषि-आधारित उत्पादों, टेक्सटाइल तथा खनिज-आधारित उद्योगों से युक्त एक विविधीकृत निर्यात बास्केट का समर्थन प्राप्त हुआ। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद राज्य का निर्यात प्रदर्शन स्थायित्व दर्शाता है, जिसका परिलक्षण एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स (E.P.I.) 2024 रिपोर्ट में वर्षों के साथ राज्य के बेहतर होते अंकों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। निर्यात हब (डी.ई.एच.) पहल के रूप में जिलों के तहत प्रचारित जिला-स्तरीय निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र की बढ़ती भूमिका ने पारंपरिक केंद्रों से परे निर्यात वृद्धि को विकेंद्रीकृत करने में योगदान दिया है।

कनेक्टिविटी व्यापार और निवेश को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य ने प्रथम बार लॉजिस्टिक्स नीति, 2025 एवं निर्यात संवर्धन नीति, 2025 को लागू किया है, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को व्यवस्थित रूप से कम करना, बहु-माध्यमीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना तथा व्यापार सुगमता में सुधार करना है। एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल कनेक्टिविटी, हवाई अड्डे, लॉजिस्टिक्स पार्क, मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) तथा इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD) में किए जा रहे निवेश पी.एम. गतिशक्ति जैसे एकीकृत योजना ढाँचों के सहयोग से उद्योगों एवं निर्यातकों के लिए आपूर्ति शृंखला दक्षता तथा बाजार तक पहुँच को सुदृढ़ कर रहे हैं।

ये पहले समृद्ध मध्यप्रदेश @2047 की परिकल्पना में दृढ़ता से निहित हैं, जिसके अंतर्गत भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी तक राज्य को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, नवाचार-प्रेरित एवं निर्यातोन्मुख अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समृद्ध मध्यप्रदेश विज़न @2047 में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स-आधारित वृद्धि, निर्यात विविधीकरण तथा सहायक निवेश वातावरण के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है, जिससे व्यापार, निवेश एवं कनेक्टिविटी को दीर्घकालिक समृद्धि, क्षेत्रीय संतुलन एवं रोजगार सृजन के प्रमुख साधनों के रूप में स्थापित किया जा सके।

इस पृष्ठभूमि में, यह अध्याय मध्यप्रदेश के व्यापार, निवेश एवं कनेक्टिविटी के क्षेत्र में प्रदर्शन एवं नीतिगत पहलों का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। इसमें निर्यात, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), औद्योगिक निवेश, लॉजिस्टिक्स अधोसंरचना तथा संस्थागत सुधारों से संबंधित प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है, साथ ही अब तक प्राप्त प्रगति, उभरती हुई क्षमताओं एवं विद्यमान चुनौतियों को रेखांकित करते हुए उन मार्गों का उल्लेख किया गया है, जिनके माध्यम से मध्यप्रदेश भारत तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को और अधिक सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखता है।

6.2 समृद्ध मध्यप्रदेश @2047

समृद्ध मध्यप्रदेश @2047 राज्य के दीर्घकालिक विकास का मार्गदर्शक डॉक्यूमेंट है, जो विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय आह्वान से प्रेरित है। यह डॉक्यूमेंट “समृद्ध मध्यप्रदेश” की परिकल्पना को तीन परस्पर संबद्ध आकांक्षाओं के माध्यम से परिभाषित करता है—सुखद मध्यप्रदेश (“सहज जीवन एवं जीवन की गरिमा”), सम्पन्न मध्यप्रदेश (“बेहतर ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस के माध्यम से रोजगार सृजन एवं निवेश प्रोत्साहन”) तथा सांस्कृतिक मध्यप्रदेश (“विकास के साथ सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण—विकास भी और विरासत भी”)।

यह विज़न डॉक्यूमेंट आठ प्रमुख विषयों के अंतर्गत 300 से अधिक कार्य बिंदुओं को रेखांकित करता है, जो आर्थिक, सामाजिक तथा शासन से जुड़े प्रमुख सक्षम कारकों को समाहित करते हैं। इनमें निवेश प्रोत्साहन एवं औद्योगिकीकरण, सेवा-आधारित वृद्धि, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, शहरी एवं ग्रामीण अधोसंरचना, सुशासन एवं नागरिक सेवाएँ, तथा नवाचार-आधारित वित्तपोषण एवं निवेश शामिल हैं।

व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी के संदर्भ में यह विज़न एक ऐसे अनुकूल वातावरण के निर्माण पर जोर देता है, जिससे मध्यप्रदेश की केंद्रीय भौगोलिक स्थिति को स्थायी आर्थिक लाभ में बदला जा सके। निवेश प्रोत्साहन और औद्योगिकीकरण के तहत विज़न में वर्ष 2029 तक 27.2 लाख करोड़ रुपये तथा वर्ष 2047 तक 250 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, साथ ही प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 35 नए बहु-उत्पाद औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, दो प्रमुख औद्योगिक गलियारों में स्मार्ट औद्योगिक टाउनशिप की स्थापना, सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना, तथा सिंगल विंडो ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से भूमि बैंक प्रबंधन को मजबूत करने जैसे कदम प्रस्तावित किए गए हैं।



इसके साथ ही, व्यापार और लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने के लिए पी.एम. गतिशक्ति के अंतर्गत कार्गो टर्मिनलों और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD) के विकास का प्रावधान किया गया है, जिसमें भारत सरकार के साथ सहयोग भी शामिल है। इसके अलावा, निर्यात से जुड़ी सुविधा, मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करने वाले उद्यम सहायता केंद्रों की स्थापना के माध्यम से जिला और उद्यम स्तर पर निर्यात क्षमता को बढ़ाने पर भी विशेष बल दिया गया है।

विज्ञान डॉक्यूमेंट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को प्रोत्साहित करते हुए निर्यातोन्मुख स्पेशल इकनोमिक जोन्स (SEZ) के विकास का स्पष्ट प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही, व्यापार और निवेश से जुड़ी सरकार-से-व्यवसाय (G2B) सेवाओं को सिंगल ऑनलाइन विंडो के माध्यम से पूरी तरह पेपरलेस (100%) बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे प्रक्रियाओं में स्पष्टता आएगी तथा लेन-देन में लगने वाला समय और लागत में कमी आएगी।

विनिर्माण क्षेत्र के साथ-साथ, सेवा क्षेत्र की रणनीति के अंतर्गत मध्यप्रदेश को मध्य भारत के लिए एक प्रमुख इनलैंड लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग केंद्र के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है। इसके लिए ज्ञान एवं डिजिटल अधोसंरचना, जैसे एआई/नॉलेज सिटी तथा डेटा सेंटर हब के विकास पर भी विशेष बल दिया गया है। इन प्रयासों से दीर्घकाल में राज्य की वस्तु एवं सेवा व्यापार दोनों में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुदृढ़ होने की अपेक्षा है।

6.3 नीतिगत पहल

व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी में वृद्धि को गति देने के लिए मध्यप्रदेश ने एक लक्षित एवं सहायक प्रोत्साहन ढांचा अपनाया है, जिसका उद्देश्य परियोजनाओं की व्यवहार्यता बढ़ाना, लेन-देन लागत को कम करना तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को सुदृढ़ करना है। राज्य की यह रणनीति वित्तीय प्रोत्साहनों को प्रक्रियागत सुधारों के साथ जोड़ती है, ताकि एक स्थिर, पारदर्शी और निवेशक-अनुकूल व्यावसायिक वातावरण का निर्माण किया जा सके।

निवेश प्रोत्साहन को बड़े एवं रणनीतिक परियोजनाओं के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज, पात्र इकाइयों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट सहायता, तथा समयबद्ध स्वीकृतियों और समस्याओं के समाधान हेतु सशक्त सुविधा तंत्र के माध्यम से समर्थन दिया जा रहा है। यह प्रोत्साहन ढांचा नए पूंजी निवेश को आकर्षित करने, मौजूदा उद्यमों के विस्तार को सक्षम बनाने और रोजगार सृजन के साथ-साथ जिला-स्तरीय निवेश सुविधा के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा देता है। इसी क्रम में, राज्य द्वारा प्रथम बार निर्यात संवर्धन नीति, 2025 तथा लॉजिस्टिक्स नीति, 2025 लागू की गई हैं। इन नीतियों का संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है।

6.3.1 मध्यप्रदेश निर्यात संवर्धन नीति 2025

मध्यप्रदेश निर्यात संवर्धन नीति, 2025 राज्य की आर्थिक एवं औद्योगिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि यह पहली बार है जब मध्यप्रदेश ने एक समर्पित निर्यात संवर्धन नीति तैयार की है। इस नीति का उद्देश्य भारत के विज्ञान @ 2047 तथा आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप राज्य को एक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, निर्यातोन्मुख विनिर्माण एवं व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित करना है। नीति का निर्माण व्यापक हितधारक परामर्श, अग्रणी राज्यों के साथ तुलनात्मक अध्ययन तथा अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर किया गया है, जिससे यह उद्योग की आवश्यकताओं एवं वैश्विक व्यापार परिवेश के अनुरूप बनी है।

यह नीति उन दीर्घकालिक संरचनात्मक एवं प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करने का प्रयास करती है, जिन्होंने अब तक राज्य की निर्यात क्षमता को सीमित किया है। एक लैंड-लाकड राज्य होने के कारण मध्यप्रदेश को ऐतिहासिक रूप से अधिक लॉजिस्टिक्स एवं लेन-देन लागत का सामना करना पड़ा है; तथापि, यह नीति राज्य की केंद्रीय

भौगोलिक स्थिति, बहु-माध्यमीय कनेक्टिविटी, औद्योगिक गलियारों तथा अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD) का उपयोग करते हुए इस चुनौती को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ में परिवर्तित करने पर केंद्रित है।

निर्यात अधोसंरचना, मालभाड़ा एवं प्रलेखन के लिए लक्षित वित्तीय सहायता, सरलीकृत प्रक्रियाओं तथा अधिक पारदर्शिता के साथ मिलकर यह नीति निर्यात की लागत एवं जटिलता को उल्लेखनीय रूप से कम करती है। इससे वैश्विक बाजारों में मध्यप्रदेश के उत्पादों की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता एवं विश्वसनीयता में सुधार होगा साथ ही अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सतत एवं हरित विनिर्माण को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

समग्र रूप से, निर्यात संवर्धन नीति, 2025 मध्यप्रदेश को अपनी निर्यात आधार का क्रमबद्ध विस्तार करने, निर्यातोन्मुख निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन तथा औद्योगिक संरचना में विविधीकरण में सहायता प्रदान करेगी। पहली बार निर्यात को औद्योगिक विकास का एक केंद्रीय स्तंभ बनाकर यह नीति राज्य की विदेशी मुद्रा आय, वैश्विक व्यापार उपस्थिति एवं दीर्घकालिक आर्थिक सुदृढ़ता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

6.3.2 मध्यप्रदेश की लॉजिस्टिक्स नीति 2025

मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स नीति, 2025 राज्य के औद्योगिक एवं व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि यह मध्यप्रदेश की पहली समर्पित लॉजिस्टिक्स नीति है। इस नीति का उद्देश्य आधुनिक, कुशल एवं एकीकृत लॉजिस्टिक्स तथा वेयरहाउसिंग नेटवर्क का विकास करना है, जिससे औद्योगिक वृद्धि, निर्यात और क्षेत्रीय विकास को समर्थन मिल सके।

लॉजिस्टिक्स को प्रतिस्पर्धात्मकता का एक प्रमुख निर्धारक मानते हुए, यह नीति राज्य में लॉजिस्टिक्स पार्क, मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP), इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD), कंटेनर फ्रेट स्टेशन, एयर कार्गो सुविधाओं तथा औद्योगिक वेयरहाउसिंग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। एक पारदर्शी प्रोत्साहन ढांचे के अंतर्गत नीति में पूंजी अनुदान, स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति, बाह्य अधोसंरचना सहायता तथा ग्रीन सर्टिफिकेशन इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है, जिससे बड़े स्तर पर लॉजिस्टिक्स निवेश आर्थिक रूप से व्यवहार्य और आकर्षक बन सके।

यह नीति लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, आपूर्ति श्रृंखला की विश्वसनीयता में सुधार तथा उद्योगों और निर्यातकों के लिए बाजार तक पहुँच को सुदृढ़ करने में सहायक होगी। इसके अतिरिक्त, कृषि वेयरहाउसों को औद्योगिक वेयरहाउसों में परिवर्तित करने का प्रावधान आधुनिक भंडारण क्षमता के शीघ्र विस्तार को भी सक्षम बनाएगा।

समग्र रूप से, लॉजिस्टिक्स नीति, 2025 व्यापार सुगमता में सुधार, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने तथा आपूर्ति श्रृंखला अधोसंरचना में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे भारत के हृदय में स्थित एक रणनीतिक लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में मध्यप्रदेश की स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी।

6.4 व्यापार एवं निवेश संवर्धन

मध्यप्रदेश ने व्यापार एवं निवेश प्रोत्साहन को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रित एवं सतत प्रयास किए हैं, जिनके अंतर्गत संरचित आउटरीच कार्यक्रमों एवं हितधारकों के साथ निरंतर संवाद को अपनाया गया है। वर्ष 2025 (अप्रैल से नवंबर) के दौरान राज्य की औद्योगिक क्षमता, नीतिगत सुधारों तथा प्राथमिक क्षेत्रों में उपलब्ध निवेश अवसरों को प्रदर्शित करने हेतु कुल 30 प्रोत्साहन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जैसा कि (तालिका 6.1) में दर्शाया गया है, इन गतिविधियों में निवेशक संवाद, रोड शो, सम्मेलन तथा बिज़नस टू गवर्नमेंट (B2G) बैठकें शामिल रहीं, जिनका उद्देश्य नए निवेश आकर्षित करना, परियोजनाओं के क्रियान्वयन को सुगम बनाना तथा उद्योगों एवं



संस्थानों के साथ साझेदारी को सुदृढ़ करना रहा। समग्र रूप से, यह प्रोत्साहन कार्यक्रम निवेशक विश्वास को बढ़ाने, बाजार पहुंच का विस्तार करने तथा व्यापार एवं निवेश के लिए एक प्रतिस्पर्धी गंतव्य के रूप में मध्यप्रदेश की स्थिति को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा।

तालिका 6.1: मध्यप्रदेश में निवेश संवर्धन के लिए प्रमुख गतिविधियां

क्र.म.	शीर्षक	प्रकार	संक्षिप्त विवरण
1	उद्योग को प्रोत्साहन राशि कार्यक्रम	राष्ट्रीय	यह कार्यक्रम 1 अप्रैल, 2025 को भोपाल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना और डीबीटी के माध्यम से औद्योगिक निवेश सब्सिडी को स्थानांतरित करके उद्यमियों को प्रत्यक्ष, पारदर्शी वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस पहल के तहत, निवेशकों के विश्वास को मजबूत करने और औद्योगिक विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से लगभग 2,500 एमएसएमई को लगभग 1,075 करोड़ रुपये और छोटे और बड़े उद्योगों को लगभग 703 करोड़ रुपये वितरित किए गए, जो कुल 1,778 करोड़ रुपये की सब्सिडी है।
2	विक्रम उत्सव	राष्ट्रीय	यह कार्यक्रम 12 से 14 अप्रैल, 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ग्रेटर भारत की सांस्कृतिक भव्यता, मध्यप्रदेश में पर्यटन की संभावना और राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर हैं।
3	मुख्यमंत्री का दौरा - भूमि पूजन और लोकार्पण	राष्ट्रीय	यह कार्यक्रम 20 अप्रैल, 2025 को नीमच में आयोजित किया गया। मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने नीमच जिले के मोरवान और सोनियाना गांवों में दो प्रमुख कपड़ा और परिधान इकाइयों का उद्घाटन और भूमि पूजन किया, जिसमें मेसर्स स्वराज सूटिंग द्वारा 150 करोड़ रुपये और मैसर्स सुविधि रियोन द्वारा 350 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है, जिससे 2,750 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने और क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
4	बैंगलोर में निवेश संवर्धन	राष्ट्रीय	यह कार्यक्रम 14 मई, 2025 को बैंगलोर में आयोजित किया गया। राज्य ने संभावित निवेशकों और उद्योग जगत के नेताओं के लिए एक राज्य निवेश-अनुकूल इकोसिस्टम, नीतिगत ढांचे और क्षेत्र-विशिष्ट अवसरों का प्रदर्शन किया।
5	ओडीओपी क्रेता-विक्रेता बैठक (एसआरएलएम)	राष्ट्रीय	यह कार्यक्रम 15 से 16 मई, 2025 तक भोपाल में आयोजित किया गया। ओडीओपी बैठक में 45 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। 200 से अधिक क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की गईं। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा और हस्तशिल्प के ओडीओपी उत्पादों का प्रदर्शन किया गया।

क्र.म.	शीर्षक	प्रकार	संक्षिप्त विवरण
6	प्रसंस्करण उद्यमियों का सम्मेलन	राष्ट्रीय	यह कार्यक्रम 26 मई, 2025 को नरसिंहपुर में आयोजित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य कृषि और बागवानी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, खाद्य प्रसंस्करण में निवेश आकर्षित करना और किसानों के लिए बाजार संबंधों को मजबूत करना है। कॉन्क्लेव ने उद्योग जगत के नेताओं, किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और नीति निर्माताओं के बीच सार्थक संवाद, नीति प्रस्तुतियों और सहयोग की सुविधा प्रदान की।
7	आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन	राष्ट्रीय	यह कार्यक्रम 5 जून, 2025 को उज्जैन में आयोजित किया गया। परिवर्तनकारी सभा मध्यप्रदेश के पवित्र शहर उज्जैन में स्थापित की गई, जो आध्यात्मिक चेतना और समग्र कल्याण के लिए भारत का उभरता हुआ केंद्र है। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम आध्यात्मिक नेताओं, कल्याण अग्रदूतों, नीति निर्माताओं और आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक उपचार, मानसिक कल्याण और टिकाऊ जीवन के विशेषज्ञों की एक विविध सभा को एक साथ लाता है। यह कार्यक्रम 17 से 20 जून, 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम ने मध्यप्रदेश को एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर टिकाऊ विनिर्माण, चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं और हरित औद्योगिक समाधानों के केंद्र के रूप में स्थापित किया।
8	प्लास्टिक रीसाइक्लिंग और सस्टेनेबिलिटी पर वैश्विक सम्मेलन	राष्ट्रीय	यह कार्यक्रम 17 से 20 जून, 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम ने मध्यप्रदेश को एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर टिकाऊ विनिर्माण, चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं और हरित औद्योगिक समाधानों के केंद्र के रूप में स्थापित किया।
9	क्षेत्रीय उद्योग कौशल और रोजगार सम्मेलन (आरआईएसई)	राष्ट्रीय	राष्ट्रीय कार्यक्रम 27 जून, 2025 को रतलाम में आयोजित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य उद्योग-अकादमिक सहयोग के माध्यम से कौशल अंतराल को कम करना, रोजगार संबंध बनाना और क्षेत्रीय समूहों में समावेशी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना था।
10	इंटरैक्टिव सत्र - सूरत	राष्ट्रीय	यह कार्यक्रम 29 जून, 2025 को सूरत में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में संभावित निवेशकों और उद्योग जगत के नेताओं के लिए मध्यप्रदेश के निवेश-अनुकूल इकोसिस्टम, नीतिगत ढांचे और क्षेत्र-विशिष्ट अवसरों को प्रदर्शित किया गया।
11	इंटरैक्टिव सत्र - लुधियाना	राष्ट्रीय	यह कार्यक्रम 7 जुलाई, 2025 को लुधियाना में आयोजित किया गया, जिसमें संभावित निवेशकों और उद्योग जगत के नेताओं के लिए मध्यप्रदेश के निवेश-अनुकूल इकोसिस्टम, नीतिगत ढांचे और क्षेत्र-विशिष्ट अवसरों को प्रदर्शित किया गया था।
12	इंटरैक्टिव सत्र - संयुक्त अरब अमीरात और स्पेन	अंतर्राष्ट्रीय	यह आयोजन 13 से 19 जुलाई 2025 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन में आयोजित किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय निवेश संबंधों को मजबूत करना, प्रौद्योगिकी साझेदारी को सुविधाजनक बनाना और मध्यप्रदेश को वैश्विक निवेशकों के लिए एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।



क्र.म.	शीर्षक	प्रकार	संक्षिप्त विवरण
13	स्टेट हंगर उद्यमी संवाद कार्यक्रम	राष्ट्रीय	यह कार्यक्रम 20 जुलाई, 2025 को भोपाल में आयोजित किया गया।
14	स्पाइस बोर्ड क्रेता विक्रेता बैठक	राष्ट्रीय	यह कार्यक्रम 25 जुलाई, 2025 को प्राइड होटल में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), मसाला बोर्ड और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से आयोजित किया गया था, जो कृषि आधारित उद्योगों के लिए बाजार संबंधों को मजबूत करता है। कार्यक्रम ने एक समर्पित हेल्पडेस्क के माध्यम से आईईसी पंजीकरण सहायता और निर्यात मार्गदर्शन के साथ-साथ एफपीओ और खरीदारों के बीच सीधे बातचीत की सुविधा प्रदान की। अयेकार्ट, डी-हाट, एडलवाइस और कात्यायनी की भागीदारी ने कृषि-व्यवसाय समूहों और बी2बी साझेदारी के लिए मजबूत संभावनाओं पर प्रकाश डाला। यह कार्यक्रम 100 से अधिक हितधारकों की भागीदारी के साथ निर्यात, प्रमाणन, ब्रांडिंग और गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे पर केंद्रित था।
15	ग्लोबल आउटरीच शिखर सम्मेलन और बीएसएल उत्कृष्टता पुरस्कार 2025	राष्ट्रीय	यह कार्यक्रम 29 से 30 जुलाई, 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
16	बीएसएल ग्लोबल आउटरीच एंड एक्सीलेंस समिट 2025	राष्ट्रीय	यह कार्यक्रम 30 से 31 जुलाई, 2025 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन में 25 से अधिक प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और 20 से अधिक प्रमुख विक्रेताओं और निर्माताओं को एक साथ लाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों में वॉलमार्ट सोर्सिंग, एच एंड एम, ली एंड फंग, बेस्टसेलर, पेप्को ग्रुप, केआईएबीआई, फलाबेला, पीईपीई जींस और मैसीज के पूर्व इंडिया सोर्सिंग हेड के प्रतिनिधि शामिल थे। वन टू वन, बी2बी बैठकें आयोजित की गईं, जिसके परिणामस्वरूप सोर्सिंग, उत्पादन, निर्यात और दीर्घकालिक व्यापार सहयोग की मजबूत संभावनाएं सामने आईं।
17	पावरिंग प्रक्रिया - ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी इकोसिस्टम	राष्ट्रीय	यह कार्यक्रम 6 अगस्त, 2025 को भोपाल में आयोजित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य ईवी विनिर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देकर, ऑटोमोटिव क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करके और हरित प्रौद्योगिकी अपनाने का समर्थन करके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परिवर्तन में तेजी लाना था।
18	उद्यमियों के साथ संवाद कार्यक्रम	राष्ट्रीय	यह कार्यक्रम 8 अगस्त, 2025 को सीहोर में आयोजित किया गया। इस चर्चा ने सुविधा प्रदान की शिकायत समाधान, नीतिगत प्रतिक्रिया और जमीनी स्तर पर निवेशकों के विश्वास को मजबूत करने के लिए सरकार-उद्यमी संवाद का सीधा आयोजन।

क्र.म.	शीर्षक	प्रकार	संक्षिप्त विवरण
19	बीईएमएल उद्घाटन समारोह	राष्ट्रीय	यह कार्यक्रम 10 अगस्त, 2025 को ग्राम उमरिया, रायसेन में आयोजित किया गया। प्रसिद्ध प्रमुख रक्षा विनिर्माण सुविधा के उद्घाटन ने आत्मनिर्भर भारत मिशन में एक मील का पत्थर चिह्नित किया, जिसने राज्य की औद्योगिक साख को मजबूत किया।
20	राउंड टेबल बैठक - बीएसएल एसोसिएशन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर	राष्ट्रीय	यह कार्यक्रम 14 अगस्त, 2025 को भोपाल में आयोजित किया गया। यह आयोजन वैश्विक व्यापार संबंधों को बढ़ाने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंचों के साथ रणनीतिक साझेदारी को औपचारिक रूप देने के लिए आयोजित किया गया।
21	बीएसएल ग्लोबल आउटरीच एंड एक्सीलेंस समिट 2025	राष्ट्रीय	यह कार्यक्रम 14 अगस्त, 2025 को समत्व, भोपाल में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन में 25 से अधिक प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और 20 से अधिक प्रमुख विक्रेताओं और निर्माताओं को एक साथ लाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों में वॉलमार्ट सोर्सिंग, एच एंड एम, ली एंड फंग, बेस्टसेलर, पेप्को ग्रुप, केआईएबीआई, फलाबेला, पीईपीई जीस और मैसीज के पूर्व इंडिया सोर्सिंग हेड के प्रतिनिधि शामिल थे। वन टू वन, बी2बी बैठकें आयोजित की गईं, जिसके परिणामस्वरूप सोर्सिंग, उत्पादन, निर्यात और दीर्घकालिक व्यापार सहयोग की मजबूत संभावनाएं सामने आईं।
22	रक्षा विक्रेता विकास बैठक	राष्ट्रीय	यह कार्यक्रम 22 अगस्त, 2025 को भोपाल में आयोजित किया गया। इस बैठक का उद्देश्य मध्यप्रदेश के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और भारत सरकार के प्रमुख नीतिगत सुधार करना था। अपनी रणनीतिक स्थिति, निवेशक-अनुकूल नीतियों, ड्रोन नीति और मजबूत एमएसएमई आधार के साथ, मध्यप्रदेश रक्षा विनिर्माण और निर्यात के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है।
23	पीएम मित्र पार्क आउटरीच कार्यक्रम	राष्ट्रीय	मध्यप्रदेश के धार में पीएम मित्र पार्क में निवेश आकर्षित करने हेतु एक आउटरीच कार्यक्रम 3 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
24	इंडिया मेड टेक एक्सपो 2025	राष्ट्रीय	यह कार्यक्रम 4 से 6 सितंबर, 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में मध्यप्रदेश की क्षमताओं को बढ़ावा देना, फार्मा और बायोटेक उद्योगों में निवेश आकर्षित करना है।
25	इंटरैक्टिव सत्र - कोलकाता	राष्ट्रीय	यह कार्यक्रम 10 सितंबर, 2025 को कोलकाता में आयोजित किया गया। सत्र का उद्देश्य मध्यप्रदेश में निवेश के अवसरों, नीतिगत समर्थन और निवेश के रणनीतिक लाभों को प्रदर्शित करने के लिए पूर्वी भारत के औद्योगिक समुदाय के साथ जुड़ना था।

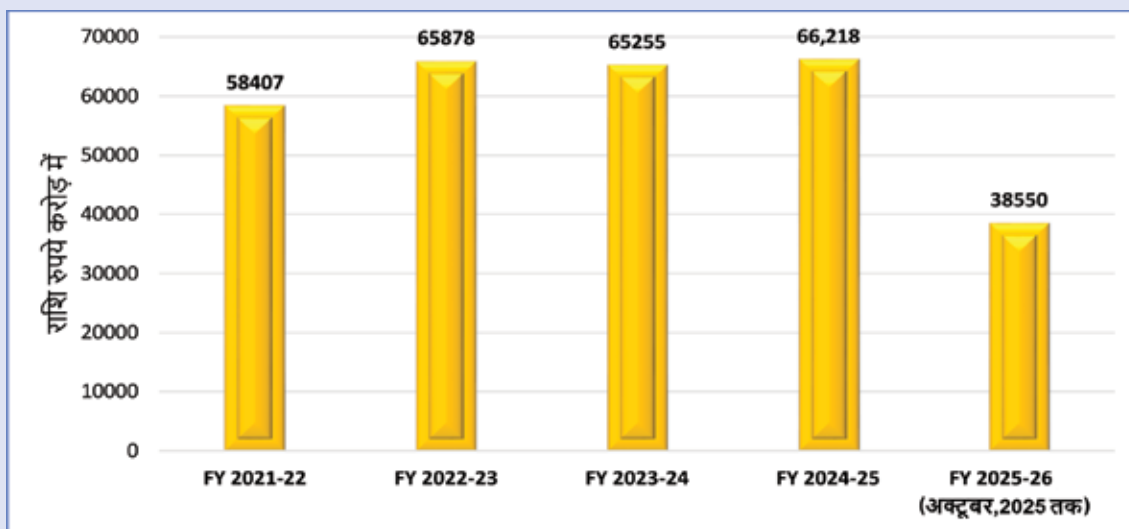


क्र.म.	शीर्षक	प्रकार	संक्षिप्त विवरण
26	इंटरैक्टिव सत्र - गुवाहाटी	राष्ट्रीय	यह कार्यक्रम 5 अक्टूबर, 2025 को गुवाहाटी में आयोजित किया गया। सत्र में संभावित निवेशकों और उद्योग जगत के नेताओं के लिए मध्यप्रदेश के निवेश-अनुकूल इकोसिस्टम, नीतिगत ढांचे और क्षेत्र-विशिष्ट अवसरों को प्रदर्शित किया गया।
27	इंटरैक्टिव सत्र - मुंबई	राष्ट्रीय	यह कार्यक्रम 9 अक्टूबर, 2025 को मुंबई में आयोजित किया गया। सत्र का उद्देश्य संभावित निवेशकों और उद्योग जगत के नेताओं के लिए मध्यप्रदेश के निवेश-अनुकूल इकोसिस्टम, नीतिगत ढांचे और क्षेत्र-विशिष्ट अवसरों को प्रदर्शित करना।
28	अभ्युदय मध्यप्रदेश (राज्य स्थापना दिवस)	राष्ट्रीय	यह कार्यक्रम 1 नवंबर, 2025 को भोपाल में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम औद्योगिक उपलब्धियों, आर्थिक मील के पत्थर और भविष्य के लिए तैयार मध्यप्रदेश के दृष्टिकोण पर ध्यान देने के साथ राज्य स्थापना दिवस मनाता है। इसके अलावा, मध्यप्रदेश ने इस दिन अपना विजन 2047, "समृद्ध मध्यप्रदेश" लॉन्च किया।
29	इंटरैक्टिव सत्र - हैदराबाद	राष्ट्रीय	यह कार्यक्रम 22 नवंबर 2025 को हैदराबाद में आयोजित किया गया। बातचीत में संभावित निवेशकों और उद्योग जगत के नेताओं के लिए मध्यप्रदेश के निवेश-अनुकूल इकोसिस्टम, नीतिगत ढांचे और क्षेत्र-विशिष्ट अवसरों को प्रदर्शित किया गया।
30	चंदेरी इको रिट्रीट फेस्टिवल	राष्ट्रीय	यह कार्यक्रम 28 से 29 नवंबर 2025 तक चंदेरी, अशोकनगर में आयोजित किया गया। इस महोत्सव में 150 से अधिक हितधारकों की भागीदारी के साथ एक फैशन शो, क्रेता-विक्रेता बैठक और व्यापक हितधारक परामर्श शामिल थे। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चंदेरी की पारंपरिक कला और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, व्यापार और निर्यात के अवसरों को बढ़ाना और उद्योग प्रतिनिधियों, कारीगरों, डिजाइनरों और उद्यमियों के बीच सार्थक और व्यावहारिक बातचीत की सुविधा प्रदान करना था।

स्त्रोत: मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, मध्यप्रदेश शासन।

6.4.1 व्यापारिक निर्यात

पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान मध्यप्रदेश के व्यापारिक निर्यात (Merchandise Exports) के प्रदर्शन से समग्र वृद्धि की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, जिसमें स्थिरीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के चरण भी शामिल रहे हैं। जैसा कि (चित्र 6.1) में दर्शाया गया है, वित्त वर्ष 2021-22 में 58,407 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में निर्यात 65,878 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। यह वृद्धि कोविड-19 के पश्चात वैश्विक मांग में पुनरुद्धार तथा घरेलू उत्पादन क्षमता में सुधार के परिणामस्वरूप दर्ज की गई। यह प्रवृत्ति आर्थिक सामान्यीकरण के प्रारंभिक चरण में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों के साथ मध्यप्रदेश के बढ़ते एकीकरण को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।



स्त्रोत: मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, मध्यप्रदेश शासन।

चित्र 6.1 मध्यप्रदेश का व्यापारिक निर्यात

वित्त वर्ष 2023-24 में निर्यात में न्यूनतम कमी के साथ यह 65,255 करोड़ रुपये पर रहा, जो गिरावट के बजाय स्थिरीकरण के चरण को दर्शाता है। निर्यात स्तर का लगभग स्थिर रहना इस तथ्य को दर्शाता है कि वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक व्यवधानों तथा कठोर वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद राज्य की आधारभूत संरचनात्मक मजबूती कायम रही। उल्लेखनीय रूप से, राज्य पिछले वर्ष प्राप्त उच्च निर्यात स्तरों को बनाए रखने में सफल रहा।

वित्त वर्ष 2024-25 में निर्यात में पुनः वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई, जिसमें व्यापारिक निर्यात बढ़कर 66,218 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, जो पिछले पाँच वर्षों की अवधि में सबसे उच्च स्तर है। यह नवीन निर्यात गति को दर्शाता है, जिसका प्रमुख कारण निर्यात उत्पादों में विविधीकरण, लॉजिस्टिक्स सुविधा में सुधार तथा व्यापार एवं उद्योग के लिए नीतिगत समर्थन माना जा सकता है। पूर्ववर्ती उच्च स्तरों को पार करने की यह क्षमता मध्यप्रदेश के औद्योगिक एवं कृषि निर्यात आधार की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता तथा सुदृढ़ता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

वित्त वर्ष 2025-26 (अक्टूबर, 2025 तक) के दौरान निर्यात 38,550 करोड़ रुपये रहा। यद्यपि यह आँकड़ा वित्त वर्ष के आंशिक अवधि का है, तथापि यह वित्त वर्ष के प्रथम सात महीनों में निर्यात गतिविधियों की सुदृढ़ गति को दर्शाता है। वर्तमान प्रवृत्ति यदि बनी रहती है, तो वैश्विक मांग की परिस्थितियों के अधीन, पूरे वित्त वर्ष में निर्यात स्तर हाल के वर्षों के तुलनीय स्तरों पर बने रहने की संभावना है।

कुल मिलाकर, यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि वित्त वर्ष 2022-23 के बाद से मध्यप्रदेश का व्यापारिक निर्यात उच्च और अधिक स्थिर स्तर पर पहुँच गया है। आँकड़े यह संकेत देते हैं कि निर्यात में मजबूती आई है, उतार-चढ़ाव कम हुआ है और बाहरी संकटों का सामना करने की क्षमता बढ़ी है। यह प्रदर्शन मध्यप्रदेश निर्यात नीति, 2025 के अंतर्गत आगे निर्यात बढ़ाने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है, जिसे लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी और व्यापार सुगमता में हो रहे निरंतर सुधारों का समर्थन मिल रहा है।

6.4.2 निर्यात संवर्धन

वित्त वर्ष 2024-25 में मध्यप्रदेश के व्यापारिक (मर्चेन्डाइज़) निर्यात की उत्पाद संरचना एक अच्छी तरह विविधीकृत और संरचनात्मक रूप से संतुलित निर्यात आधार को दर्शाती है। इसमें औषधि उत्पाद, इंजीनियरिंग



वस्तुएँ, कृषि-आधारित उत्पाद, वस्त्र तथा खनिज-आधारित उद्योग शामिल हैं। निर्यात बास्केट में मूल्य-वर्धित विनिर्मित उत्पादों की प्रमुख भूमिका रही है, साथ ही कृषि एवं संबद्ध प्रसंस्करण क्षेत्रों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह स्थिति प्राथमिक वस्तुओं से उच्च मूल्य वाले निर्यात की ओर क्रमिक परिवर्तन को दर्शाती है।

विनिर्माण-प्रधान एवं प्रौद्योगिकी-आधारित क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी, कृषि प्रसंस्करण तथा संसाधन-आधारित उद्योगों के साथ मिलकर, राष्ट्रीय एवं वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में राज्य के बढ़ते एकीकरण को रेखांकित करती है। यह विविध संरचना क्षेत्र-विशेष अथवा बाह्य मांग से उत्पन्न झटकों के प्रति निर्यात को अधिक सुदृढ़ बनाती है तथा पूंजी-प्रधान और श्रम-प्रधान दोनों प्रकार के उद्योगों में रोजगार सृजन को भी समर्थन प्रदान करती है।

जैसा कि (तालिका 6.2) में दर्शाया गया है, निर्यात प्रोफाइल से यह स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश ने औद्योगिक क्षमता, कृषि शक्ति एवं बेहतर होती लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी के आधार पर एक सुदृढ़ निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है। यह संतुलित संरचना आने वाले वर्षों में निर्यात वृद्धि को बनाए रखने, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने तथा वैश्विक व्यापार में राज्य की उपस्थिति को विस्तारित करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है।

तालिका 6.2: मध्यप्रदेश के शीर्ष 10 निर्यात (वित्त वर्ष 2024-25)

रैंकिंग	एच.एस. कोड	कमोडिटी विवरण	निर्यात का मूल्य (राशि करोड़ रुपये में)
1	30	फार्मास्युटिकल उत्पाद	11,967.70
2	23	उद्योगों से अवशेष और अपशिष्ट; तैयार एनिमा	6,062.34
3	84	परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक अनुप्रयोग	5,497.46
4	76	एल्यूमिनियम धातु एवं अन्य लेख	4,795.00
5	63	अन्य मेड-अप टेक्सटाइल आर्टिकल्स; सेट, पहने हुए कपड़े और दरी	4,656.09
6	52	कपास	4,594.74
7	10	अनाज	4,241.10
8	29	जैविक रसायन	4,002.26
9	85	विद्युत मशीनरी और उपकरण और उसके भागों; ध्वनि &	2,543.40
10	39	प्लास्टिक और उसके लेख	2,272.89

स्रोत: मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, मध्यप्रदेश शासन। वित्तीय वर्ष 2024-25

6.4.3 निर्यात केंद्र के रूप में जिला

जिला निर्यात केन्द्र (Districts as Export Hubs-DEH) भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), वाणिज्य विभाग की एक पहल है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन, विनिर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। यह पहल आत्मनिर्भर भारत मिशन एवं मेक इन इंडिया की नीतिगत सोच पर आधारित है, जिसके अंतर्गत राज्यों एवं जिलों को भारत के निर्यात प्रयासों

में महत्वपूर्ण हितधारक एवं सक्रिय भागीदार के रूप में शामिल किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने यह दृष्टि व्यक्त की है कि देश का प्रत्येक जिला एक छोटे देश के समान आर्थिक क्षमता रखता है। इसी परिप्रेक्ष्य में, अगस्त, 2019 में DEH पहल की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करना है। जैसा कि (चित्र 6.2) में दर्शाया गया है, जुलाई 2024 तक की अखिल भारतीय स्थिति जिलास्तर पर भारत सरकार के प्रयासों को प्रदर्शित करती है।

विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 के लागू होने के साथ, DGFT द्वारा इस पहल को अध्याय 3 के अंतर्गत शामिल कर इसे औपचारिक रूप प्रदान किया गया है। इस पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान एवं अंतर्निहित क्षमता का उपयोग करते हुए उन्हें निर्यात हब के रूप में विकसित करना है। इस दिशा में, देश के सभी जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों एवं सेवाओं, जिनमें भौगोलिक संकेतक (GI) उत्पाद, कृषि क्लस्टर एवं खिलौना क्लस्टर शामिल हैं की पहचान की गई है। साथ ही, निर्यात प्रोत्साहन को सुदृढ़ करने एवं जिलों में निर्यात से जुड़ी बाधाओं के समाधान हेतु राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर राज्य निर्यात प्रोत्साहन समितियाँ (SEPC) तथा जिला स्तर पर जिला निर्यात प्रोत्साहन समितियाँ (DEPC) गठित की गई हैं।

पहचाने गए उत्पादों एवं सेवाओं के लिए जिला निर्यात कार्य योजना (District Export Action Plans) तैयार की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य उत्पादकों एवं निर्माताओं दोनों को लाभ पहुँचाना है। इन योजनाओं के माध्यम से निर्यात से जुड़ी चुनौतियों की पहचान, अधोसंरचनात्मक बाधाओं एवं आपूर्ति शृंखला की कमियों का समाधान, बाजार तक पहुँच में सुधार, तथा निर्यात बढ़ाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग (हैंडहोल्डिंग) प्रदान किया जा रहा है।

 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एसईपीसी और डीईपीसी का गठन किया		
 खिलौना निर्माण क्लस्टरों के लिए 12 जिलों की पहचान की गई	 34 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश - नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए	 734 जिले - संभावित निर्यात उत्पादों/सेवाओं की पहचान की गई
 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने निर्यात रणनीति तैयार की है।	 डीईपीसी की बैठकें 701 जिलों में आयोजित की गई हैं।	 डीजीएफटी द्वारा 590 जिलों के लिए जिला कार्य योजना का मसौदा तैयार किया गया है

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, DPIIT, भारत सरकार (जुलाई, 2024 तक)

चित्र 6.2: निर्यात केंद्र के रूप में जिला (DEH) पहल की राष्ट्रीय स्थिति

जिला निर्यात केन्द्र (Districts as Export Hubs-DEH) पहल के अंतर्गत, विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई-कॉमर्स आधारित निर्यात को बढ़ावा देने हेतु Amazon India, Shiprocket तथा DHL जैसे अग्रणी प्लेटफॉर्म के साथ रणनीतिक



सहयोग किए गए हैं। इन साझेदारियों का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई इकाइयों की क्षमता वृद्धि करना है, जिसके अंतर्गत डिजिटल कैटलॉगिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, ताकि स्थानीय उद्यम वैश्विक बाजारों तक पहुँच बना सकें।

जिला स्तर पर निर्यात के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, DGFT के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तथा ईसीजीसी, एक्ज़िम बैंक, इंडिया पोस्ट, उद्योग संघों एवं बैंकों जैसे प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र संस्थानों के सहयोग से निर्यात आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इन पहलों के माध्यम से निर्यातकों को लक्षित मार्गदर्शन (हैंडहोल्डिंग) प्रदान किया जा रहा है, ई-कॉमर्स अपनाने से जुड़ी चुनौतियों का समाधान किया जा रहा है तथा निर्यात तत्परता को सुदृढ़ किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, ODOP-DEH ढांचे के अंतर्गत DGFT ने एक्ज़िम बैंक के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत चयनित जिलों को GRID कार्यक्रम के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र-विशेष बाधाओं का समाधान करना तथा केंद्रित एवं सहयोगात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से जिला-स्तरीय निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है।

6.4.4 मध्यप्रदेश का जिलेवार निर्यात

जैसा कि (तालिका 6.3) में देखा गया है, मध्यप्रदेश का जिला-वार निर्यात निष्पादन इंगित करता है। प्रमुख औद्योगिक और संसाधन-संचालित जिलों में निर्यात गतिविधि का एकाग्रता, जबकि निर्यात आधार के क्रमिक विस्तार को दर्शाता है।

तालिका 6.3: मध्यप्रदेश के शीर्ष 10 जिलेवार निर्यात

रैंकिंग	जिले का नाम	निर्यात का मूल्य (राशि करोड़ रुपये में)
1.	धार	17830.40
2.	इंदौर	13500.23
3.	रायसेन	7263.86
4.	सिंगरौली	4598.78
5.	सीहोर	3864.35
6.	देवास	3826.16
7.	उज्जैन	2288.31
8.	भिंड	1914.22
9.	भोपाल	1631.50
10.	रतलाम	1278.48

स्रोत: मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, मध्यप्रदेश शासन। वित्तीय वर्ष 2024-25

वित्त वर्ष 2024-25 (अक्टूबर 2024 तक) के दौरान शीर्ष निर्यातक जिलों में धार सबसे अधिक निर्यात करने वाला जिला रहा, जहाँ से 17830.40 करोड़ रुपये का निर्यात दर्ज किया गया। इसके बाद इंदौर जिले से 13500.23 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ, जो स्थापित औद्योगिक क्लस्टरों एवं निर्यातोन्मुख विनिर्माण की मजबूती को दर्शाता है। दूसरी ओर, शीर्ष दस जिलों में रतलाम 1278.48 करोड़ रुपये के निर्यात के साथ सबसे कम निर्यात करने वाला जिला रहा, जिससे लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से निर्यात विस्तार की संभावनाएँ परिलक्षित होती हैं।

इसके अतिरिक्त, रायसेन, सिंगरौली, सीहोर एवं देवास जैसे जिलों की प्रमुख निर्यातकों में उपस्थिति यह दर्शाती है कि निर्यात गतिविधियाँ केवल प्रमुख शहरी केंद्रों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि क्षेत्र-विशेष की ताकतों के आधार पर अन्य जिलों तक भी विस्तारित हो रही हैं। समग्र रूप से, यह वितरण एक क्रमिक रूप से विकेंद्रीकृत निर्यात परिदृश्य को दर्शाता है, जो जिला-स्तरीय निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के राज्य के प्रयासों को मजबूत करता है।

6.4.5 विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)

मध्यप्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) का निर्यात प्रदर्शन राज्य की विनिर्माण-आधारित एवं सेवा-आधारित दोनों प्रकार के निर्यात में बढ़ती मजबूती को दर्शाता है, जिसमें इंदौर SEZ गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरकर सामने आया है। जैसा कि (तालिका 6.4) में दर्शाया गया है, इंदौर-पीथमपुर SEZ मध्यप्रदेश से होने वाले SEZ निर्यात में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है। इस SEZ से वित्त वर्ष 2021-22 में 12,857 करोड़ रुपये का निर्यात दर्ज किया गया, जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 14,265.63 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। यद्यपि वित्त वर्ष 2024-25 में निर्यात घटकर 12,948.02 करोड़ रुपये रहा, तथापि यह SEZ राज्य के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र का एक मजबूत आधार बना हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 (नवंबर 2025 तक) में दर्ज 9,214.97 करोड़ रुपये का निर्यात यह संकेत देता है कि चालू वित्त वर्ष में भी निर्यात गतिविधियाँ सुदृढ़ बनी हुई हैं।

तालिका 6.4: मध्यप्रदेश में परिचालन एसईजेड का निर्यात

एसईजेड का नाम	वित्तीय वर्ष (राशि करोड़ रुपये में)				
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (नवंबर, 2025 तक)
इंदौर पीथमपुर	12,857	12,795.04	14,265.63	12,948.02	9,214.97
क्रिस्टल आईटी पार्क, इंदौर	597	640.23	590.94	703.58	323.22
इंफोसिस, इंदौर	137	444.80	682.84	817.10	649.04
इम्पेटस, इंदौर	159	330.77	682.22	573.59	475.14
टीसीएस (TCS), इंदौर	867	1,509.80	1,725.29	1,847.88	1,211.99
यश टेक्नोलॉजीज, इंदौर	-	43.09	100.29	96.46	59.81

स्रोत: मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, मध्यप्रदेश शासन।

विनिर्माण क्षेत्र के साथ-साथ, इंदौर स्थित आईटी तथा आईटी-सक्षम सेवाओं (IT/ITES) से जुड़े विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में पिछले कुछ वर्षों के दौरान निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है, जो राज्य के निर्यात प्रोफाइल में सेवा क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। टीसीएस इंदौर एवं इन्फोसिस इंदौर में परिचालन विस्तार तथा कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता के चलते निर्यात मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, इम्पेटस, क्रिस्टल आईटी पार्क एवं यश टेक्नोलॉजीज जैसे अन्य आईटी SEZs का भी निर्यात में निरंतर योगदान रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बड़े और मध्यम आकार के उद्यम दोनों ही निर्यात वृद्धि में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।



समग्र रूप से, SEZ-वार निर्यात आँकड़े एक स्थिर एवं विविधीकृत निर्यात संरचना को दर्शाते हैं, जिसे विकसित अधोसंरचना, नीतिगत समर्थन तथा बेहतर होता व्यावसायिक वातावरण सहारा प्रदान कर रहा है। SEZs के अंतर्गत विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों की संतुलित वृद्धि मध्यप्रदेश के वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकरण को सुदृढ़ करती है तथा राज्य को एक उभरते निर्यातोन्मुख राज्य के रूप में स्थापित करती है।

6.4.6 एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स

नीति आयोग, नई दिल्ली द्वारा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स (EPI) की शुरुआत की गई है। यह एक वार्षिक अभ्यास है, जो राज्यों के साथ-साथ जिला स्तर तक निर्यात की स्थिति का आकलन करता है। EPI रिपोर्ट राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करती है तथा देश में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। यह सूचकांक हितधारकों को उन उपायों की पहचान करने में सहायता करता है, जिनके माध्यम से निर्यात को प्रभावित करने वाले मानकों में सुधार कर राज्य की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह आँकड़ा-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से नीतिगत परिवर्तनों तथा अनुकूल निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए एक समग्र विश्लेषण भी प्रदान करता है। यह रिपोर्ट प्रत्येक राज्य के निर्यात प्रदर्शन को सुदृढ़ करने के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर समग्र विकास में भी योगदान देती है।

नीति आयोग की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स (EPI) 2024 रिपोर्ट राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में निर्यात तत्परता का व्यापक एवं संरचित मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। यह सूचकांक का चौथा संस्करण है, जिसकी शुरुआत अगस्त 2020 में की गई थी। EPI उप-राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन करता है तथा आर्थिक संरचना, विविधीकरण और संस्थागत क्षमता की भूमिका को रेखांकित करता है, जो भारत की वैश्विक व्यापार आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में राज्य एवं जिला स्तर पर महत्वपूर्ण हैं। EPI 2024 में पिछले दो वर्षों के आँकड़ों को शामिल किया गया है।

वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वस्तु निर्यात लक्ष्य तथा विकसित भारत @ 2047 के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप, यह सूचकांक उप-राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात प्रणालियों की मजबूती, सुदृढ़ता एवं समावेशिता का आकलन करने के लिए एक साक्ष्य-आधारित ढांचा प्रदान करता है। यह प्रमुख संरचनात्मक बाधाओं, विकास को सक्षम करने वाले कारकों तथा नीतिगत हस्तक्षेप के क्षेत्रों की पहचान करता है, जिससे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, अधोसंरचना सुदृढ़ करने तथा वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकरण को गहरा करने में मार्गदर्शन प्राप्त होता है।

एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स (EPI) 2024 को चार प्रमुख स्तंभों पर संरचित किया गया है, जिन्हें आगे 13 उप-स्तंभों तथा 70 संकेतकों में विभाजित किया गया है। यह संरचना एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस का विस्तृत एवं नीतिगत रूप से प्रासंगिक आकलन करने में सहायक है। इसके चार प्रमुख स्तंभ निम्नलिखित हैं:

- निर्यात फ्रेमवर्क (वेटेज 20%)
- बिजनेस इकोसिस्टम (वेटेज 40%)
- नीति और शासन (वेटेज 20%)
- निर्यात प्रदर्शन (वेटेज 20%)

EPI 2024 में समष्टि आर्थिक स्थिरता, लागत प्रतिस्पर्धात्मकता, मानव संसाधन, वित्तीय पहुँच तथा एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र जैसे नए आयामों को शामिल कर विश्लेषण को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। इसके साथ ही, मौजूदा संकेतकों को भी अधिक सटीकता एवं नीतिगत प्रासंगिकता सुनिश्चित करने हेतु परिष्कृत किया गया है।

तुलनात्मक मूल्यांकन एवं सहभागितापूर्ण ज्ञान-विनिमय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को बड़े राज्य, छोटे राज्य, उत्तर-पूर्वी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को लीडर, चैलेंजर तथा एस्पायरर के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

श्रेणी	विवरण
लीडर्स	वे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जिनमें अपेक्षाकृत उच्च स्तर की निर्यात तत्परता विद्यमान है
चैलेंजर	वे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जिनमें निर्यात तत्परता मध्यम स्तर की है तथा आगे सुधार की पर्याप्त संभावनाएँ मौजूद हैं।
एस्पायरर	वे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जो निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के प्रारंभिक चरण में हैं।

निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता की प्रमुख इकाई के रूप में जिलों पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि राष्ट्रीय निर्यात लक्ष्यों को स्थानीय क्षमताओं, औद्योगिक क्लस्टरों तथा मूल्य शृंखला से जुड़े संबंधों पर आधारित व्यावहारिक एवं स्थान-विशेष रणनीतियों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सके।

EPI 2024 के अंतर्गत किए गए समग्र आकलन के आधार पर, निम्नलिखित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश इस श्रेणी में अग्रणी प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरकर सामने आए हैं, जैसा कि (तालिका 6.5) में दर्शाया गया है।

तालिका 6.5: ईपीआई 2024 में शीर्ष 10 प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

राज्य	स्कोर	श्रेणी	रैंकिंग
महाराष्ट्र	68.01	लीडर्स	1
तमिलनाडु	64.41	लीडर्स	2
गुजरात	64.02	लीडर्स	3
उत्तर प्रदेश	62.09	लीडर्स	4
आंध्रप्रदेश	60.65	लीडर्स	5
कर्नाटक	59.30	लीडर्स	6
पंजाब	58.32	लीडर्स	7
तेलंगाना	57.14	लीडर्स	8
मध्यप्रदेश	57	चैलेंजर	9
हरियाणा	55.01	चैलेंजर	10

स्रोत: एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स (ईपीआई) 2024 रिपोर्ट।

एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स (Export Preparedness Index-EPI) में मध्यप्रदेश का प्रदर्शन राज्य के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र के क्रमिक एवं सतत सुदृढ़ीकरण को दर्शाता है। वर्ष 2020 में 49.47 के EPI स्कोर के साथ राज्य में प्रारंभिक स्तर पर निर्यात तत्परता से जुड़ी कुछ चुनौतियाँ परिलक्षित हुईं, जो प्रायः लैंड लाकड तथा उभरते निर्यात राज्यों में देखी जाती हैं। तथापि, वर्ष 2021 में स्कोर बढ़कर 51.03 हो गया, जो निर्यात सुगमता से संबंधित संस्थागत एवं नीतिगत हस्तक्षेपों से प्राप्त प्रारंभिक लाभों को दर्शाता है।

वर्ष 2022 में यह सकारात्मक प्रवृत्ति और अधिक स्पष्ट हुई, जब मध्यप्रदेश का EPI स्कोर 55.68 दर्ज किया गया। यह वृद्धि निर्यात अधोसंरचना, व्यापार सहायता सेवाओं तथा विनियामक तत्परता जैसे क्षेत्रों में हुई ठोस



प्रगति को प्रतिबिंबित करती है। इस सुधार से राज्य की स्थिति पूर्व की तुलना में अधिक सुदृढ़ हुई तथा यह राष्ट्रीय निर्यात प्रोत्साहन पहलों के साथ बेहतर सामंजस्य का संकेत देती है।

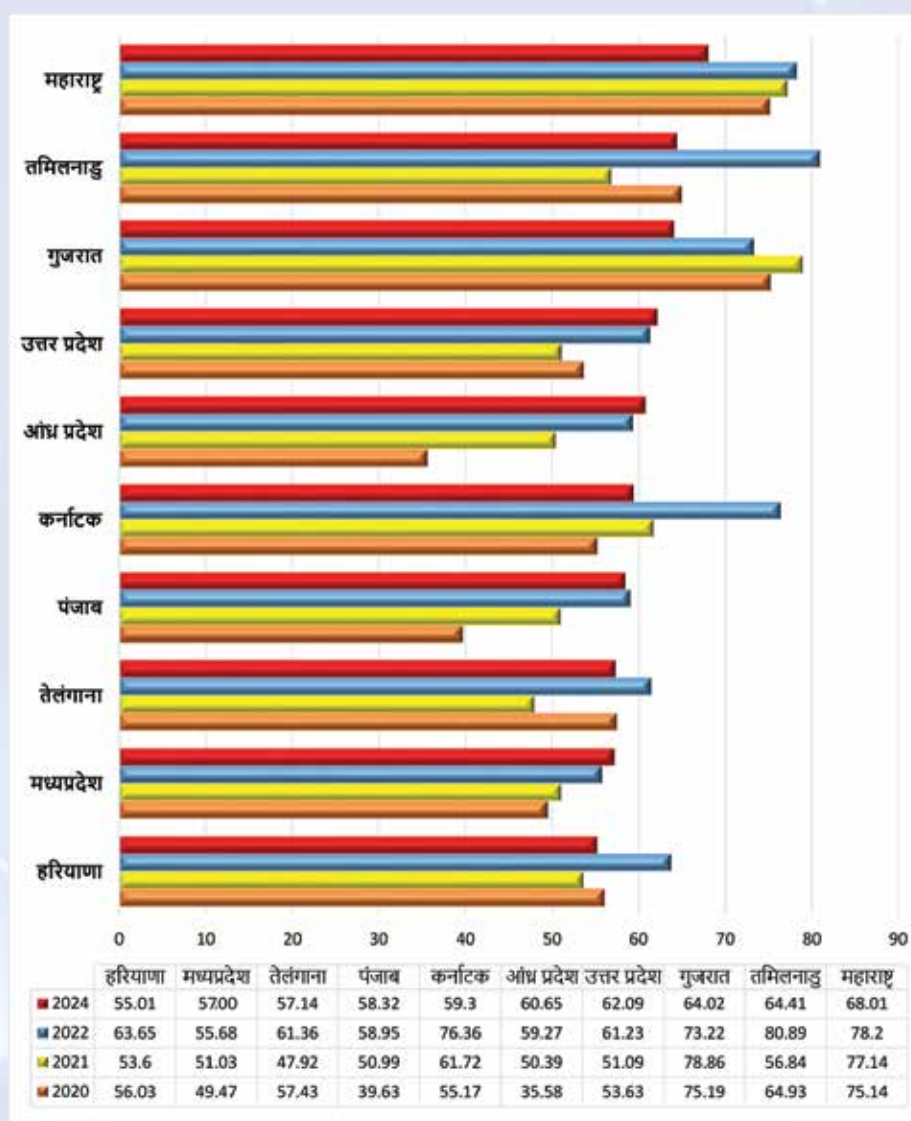
वर्ष 2024 में मध्यप्रदेश ने अपने EPI स्कोर को बढ़ाकर 57.00 कर लिया, जो निर्यात से संबंधित सुधारों के निरंतर सुदृढ़ीकरण को दर्शाता है। लगातार वर्षों में सूचकांक में हुई यह वृद्धि निर्यात संस्थाओं को मजबूत करने, व्यापार सुगमता में सुधार तथा जिला-स्तरीय निर्यात विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य द्वारा किए गए केंद्रित प्रयासों को रेखांकित करती है। यद्यपि सुधार की गति क्रमिक रही है, तथापि प्रगति की निरंतरता राज्य के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र की बढ़ती सुदृढ़ता एवं परिपक्वता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

ईपीआई 2024 (मध्यप्रदेश का प्रदर्शन)

रैंक - 9 वीं

Score - 57

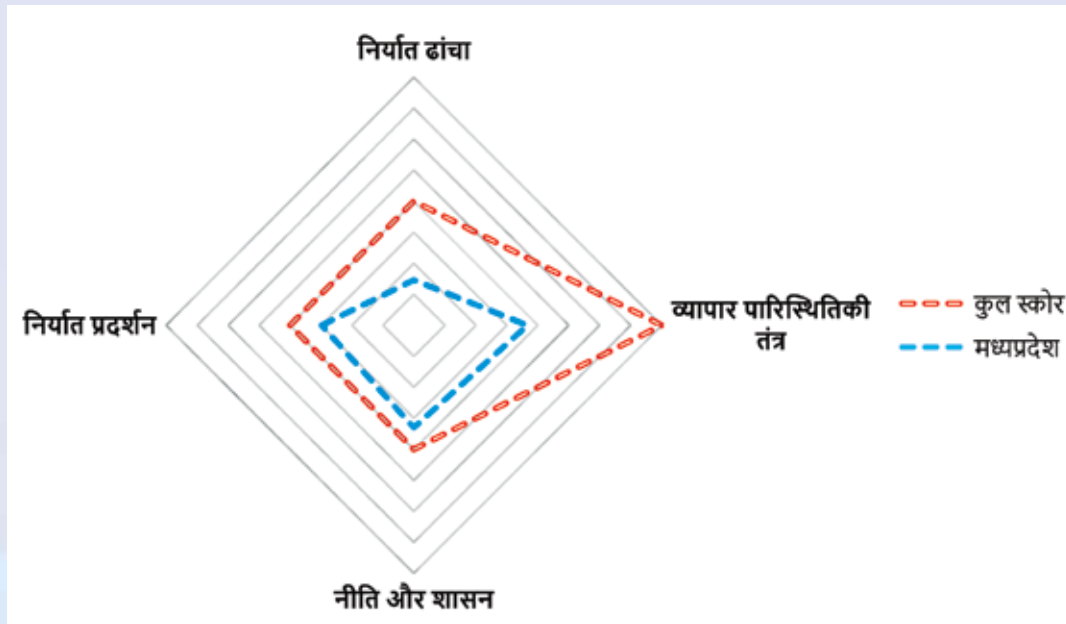
श्रेणी - चैलेंजर



स्रोत: एक्सपोर्ट प्रेपेडनेस इंडेक्स 2020,2021,2022,2024, नीति आयोग, नई दिल्ली।

चित्र 6.3: एक्सपोर्ट प्रेपेडनेस इंडेक्स

समग्र रूप से, EPI की प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि मध्यप्रदेश की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस प्रोफ़ाइल मध्यम स्तर से निरंतर सुधार की दिशा में अग्रसर हुई है। क्रमिक रूप से प्राप्त सुधार नीतिगत सुधारों, क्षमता निर्माण पहलों तथा निर्यात विविधीकरण पर बढ़ते जोर के प्रभाव को प्रतिबिंबित करते हैं। यद्यपि राज्य अभी भी तटीय तथा विनिर्माण-प्रधान अग्रणी राज्यों से पीछे है, तथापि निरंतर प्रगति भविष्य में तेज़ सुधार के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है, विशेषकर मध्यप्रदेश निर्यात संवर्धन नीति, 2025, जिला निर्यात हब (DEH) पहल तथा विजन @2047 के संदर्भ में। यह प्रवृत्ति आने वाले वर्षों में भारत के निर्यात विकास में मध्यप्रदेश की भूमिका को क्रमिक रूप से सुदृढ़ करने की क्षमता को दर्शाती है।



स्रोत: एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024, नीति आयोग, नई दिल्ली।

चित्र 6.4: एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 – मध्यप्रदेश का प्रदर्शन

एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स (Export Preparedness Index-EPI) 2024 के अनुसार, मध्यप्रदेश ने (जैसा कि चित्र 6.4 में दर्शाया गया है) 57.00 का समग्र स्कोर प्राप्त किया है। इससे राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में 'चैलेंजर' वर्ग में तथा 9वें स्थान पर रहा, जो एक मध्यम रूप से सुदृढ़ एवं निरंतर सुधारशील निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य से लगभग 65,933 करोड़ रुपये के वस्तु निर्यात दर्ज किए गए, जो वैश्विक आर्थिक प्रतिकूलताओं के बावजूद राज्य की मजबूती को दर्शाते हैं।

मध्यप्रदेश की निर्यात बास्केट विविध है, जिसमें कृषि उत्पाद, औषधि उत्पाद, वस्त्र, धातु तथा इंजीनियरिंग वस्तुएँ शामिल हैं। इसमें एमएसएमई इकाइयों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिनका राज्य के वस्तु निर्यात में लगभग 34 प्रतिशत योगदान है। रिपोर्ट में राज्य के सशक्त औद्योगिक आधार को रेखांकित किया गया है, जिसे 145 औद्योगिक पार्क तथा छह क्रियाशील स्पेशल इकनोमिक जोन्स (SEZ) का समर्थन प्राप्त है। ये सभी मिलकर विनिर्माण-आधारित निर्यात के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं।

क्षेत्रीय स्तर पर औषधि उद्योग (विशेषकर इंदौर एवं देवास क्षेत्र), कृषि प्रसंस्करण (सोयाबीन ऑयल केक, अनाज), वस्त्र तथा इंजीनियरिंग वस्तुएँ राज्य की प्रमुख ताकतें हैं। इसके अतिरिक्त, मध्यप्रदेश कोयला, सोयाबीन, दलहन एवं कपास जैसे प्राकृतिक संसाधनों का एक प्रमुख उत्पादक भी है। स्तंभ-स्तर पर विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि राज्य का प्रदर्शन नीति एवं शासन तथा निर्यात प्रदर्शन में अपेक्षाकृत बेहतर रहा है, जबकि

निर्यात अधोसंरचना एवं व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में विशेषकर लॉजिस्टिक्स दक्षता एवं लागत प्रतिस्पर्धात्मकता के संदर्भ में और सुदृढीकरण की आवश्यकता बनी हुई है।

6.5 निवेश संवर्धन

पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान मध्यप्रदेश में स्वीकृत कस्टमाइज्ड निवेश पैकेजों की प्रवृत्ति मजबूत एवं सतत निवेश सुविधा प्रयासों को दर्शाती है, जिनके पूंजी निर्माण एवं रोजगार सृजन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में 23 कस्टमाइज्ड पैकेज स्वीकृत किए गए, जिनके माध्यम से 10,492 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश तथा 28,697 रोजगार के अनुमानित सृजन का संकेत मिला। यह अवधि रोजगार-उन्मुख बड़े निवेशों के प्रारंभिक चरण को दर्शाती है।

जैसा कि (तालिका 6.6) में दर्शाया गया है, यह गति वित्त वर्ष 2022-23 में और अधिक सुदृढ़ हुई, जब 27 कस्टमाइज्ड पैकेजों के अंतर्गत 57,333 करोड़ रुपये का उल्लेखनीय प्रस्तावित निवेश प्राप्त हुआ तथा 29,676 रोजगार के सृजन का अनुमान लगाया गया। यह प्रवृत्ति राज्य की उच्च मूल्य वाले निवेश प्रस्तावों को आकर्षित करने की बढ़ती क्षमता को रेखांकित करती है। यह रुझान वित्त वर्ष 2023-24 में अपने शिखर पर पहुँचा, जब इस अवधि में सर्वाधिक 40 कस्टमाइज्ड पैकेज स्वीकृत किए गए। इनसे 36,515 करोड़ रुपये का प्रस्तावित निवेश प्राप्त हुआ तथा 35,418 रोजगार के अनुमान के साथ यह अवधि निवेश परियोजनाओं के पैमाने एवं रोजगार तीव्रता दोनों को प्रतिबिंबित करती है।

तालिका 6.6: मध्यप्रदेश में अनुकूलित निवेश पैकेज

वित्तीय वर्ष	कस्टमाइज्ड पैकेज	प्रस्तावित निवेश *	अनुमानित रोजगार #
2025-26 (दिसम्बर, 2025 तक)	15	14038	8519
2024-25	10	2016.15	4987
2023-24	40	36515	35418
2022-23	27	57333	29676
2021-22	23	10492	28697

स्रोत: उद्योग नीति और निवेश संवर्धन विभाग, मध्यप्रदेश शासन।

नोट: * प्रस्तावित निवेश करोड़ रुपये में है।

प्रस्तावित रोजगार संख्या में है।

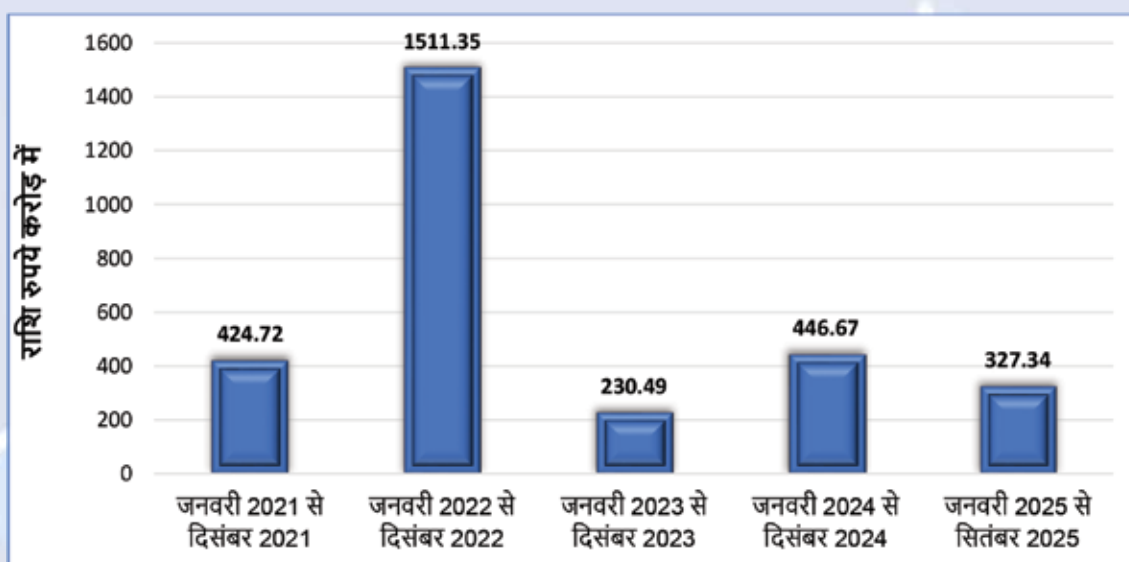
वित्त वर्ष 2024-25 में, यद्यपि कस्टमाइज्ड पैकेजों की संख्या 10 रही, तथापि प्रस्तावित निवेश 2,016.15 करोड़ रुपये तथा 4,987 रोजगार के अनुमान के साथ यह वर्ष समेकन (कंसॉलिडेशन) का संकेत देता है। वित्त वर्ष 2025-26 (दिसंबर, 2025 तक) में अब तक 15 कस्टमाइज्ड पैकेज स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनके अंतर्गत 14,038 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश तथा 8,519 रोजगार के अनुमान से यह स्पष्ट होता है कि चालू वित्त वर्ष में निवेश गतिविधियों में पुनः गति देखी जा रही है।

समग्र रूप से, उपलब्ध आँकड़े यह दर्शाते हैं कि कस्टमाइज्ड निवेश पैकेज राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने तथा रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। विभिन्न वर्षों में दिखाई देने वाला उतार-चढ़ाव निवेश परियोजनाओं के आकार एवं क्षेत्रीय संरचना में बदलाव को प्रतिबिंबित करता है, न कि निवेशक रुचि में किसी कमी को। निवेश प्रस्तावों का निरंतर प्रवाह लक्षित नीतिगत समर्थन तथा निवेश सुविधा तंत्रों की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है, जो मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन एवं समग्र आर्थिक प्रगति के व्यापक लक्ष्यों में योगदान दे रहा है।

6.5.1 मध्यप्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)

(चित्र 6.5) में दर्शाई गई निवेश प्रवृत्ति वर्ष-वार उतार-चढ़ाव को प्रदर्शित करती है, जिसमें विस्तार, समेकन तथा पुनरुद्धार के स्पष्ट चरण दिखाई देते हैं। जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान निवेश 424.72 करोड़ रुपये रहा, जो कोविड-19 से उत्पन्न व्यवधानों के बाद अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के प्रारंभिक चरण में मध्यम स्तर की निवेश गतिविधि को दर्शाता है।

जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 के दौरान निवेश में तेज़ वृद्धि दर्ज की गई और कुल निवेश बढ़कर 1,511.35 करोड़ रुपये हो गया, जो इस पाँच-वर्षीय अवधि में सर्वाधिक है। यह शिखर निवेशकों के मजबूत विश्वास को दर्शाता है, जिसे नीतिगत सुविधा उपायों, बेहतर व्यावसायिक माहौल तथा कोविड के बाद बड़े निवेश प्रस्तावों के पुनरुद्धार से समर्थन प्राप्त हुआ।



स्रोत: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

चित्र 6.5: एफडीआई (FDI) इनफ्लो मध्यप्रदेश में

जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 के दौरान निवेश घटकर 230.49 करोड़ रुपये रह गया, जो अस्थायी मंदी के चरण की ओर संकेत करता है। यह गिरावट वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, सख्त वित्तीय परिस्थितियों तथा वर्ष के दौरान सतर्क निवेश निर्णयों के कारण हो सकती है।

इसके बाद जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 के दौरान निवेश में पुनः सुधार देखने को मिला और यह बढ़कर 446.67 करोड़ रुपये हो गया, जो निवेश गतिविधियों में क्रमिक पुनरुद्धार को दर्शाता है। चालू अवधि जनवरी 2025 से सितंबर 2025 के दौरान अब तक 327.34 करोड़ रुपये का निवेश दर्ज किया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि निवेश प्रवाह की गति स्थिर बनी हुई है, और पूरे वित्तीय वर्ष में इससे अधिक निवेश दर्ज होने की संभावना है।

समग्र रूप से, यह प्रवृत्ति एक फ्लेक्सिबल एवं सुदृढ़ निवेश वातावरण को दर्शाती है, जिसमें वर्ष 2022 में तीव्र वृद्धि, उसके बाद समेकन तथा क्रमिक पुनर्प्राप्ति देखने को मिलती है। उपलब्ध आँकड़े यह संकेत देते हैं कि यद्यपि निवेश प्रवाह में वर्ष-दर-वर्ष उतार-चढ़ाव हो सकता है, तथापि मूलभूत निवेश परिवेश सहायक बना हुआ है, जो दीर्घकालिक औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए एक स्थिर आधार प्रदान करता है।



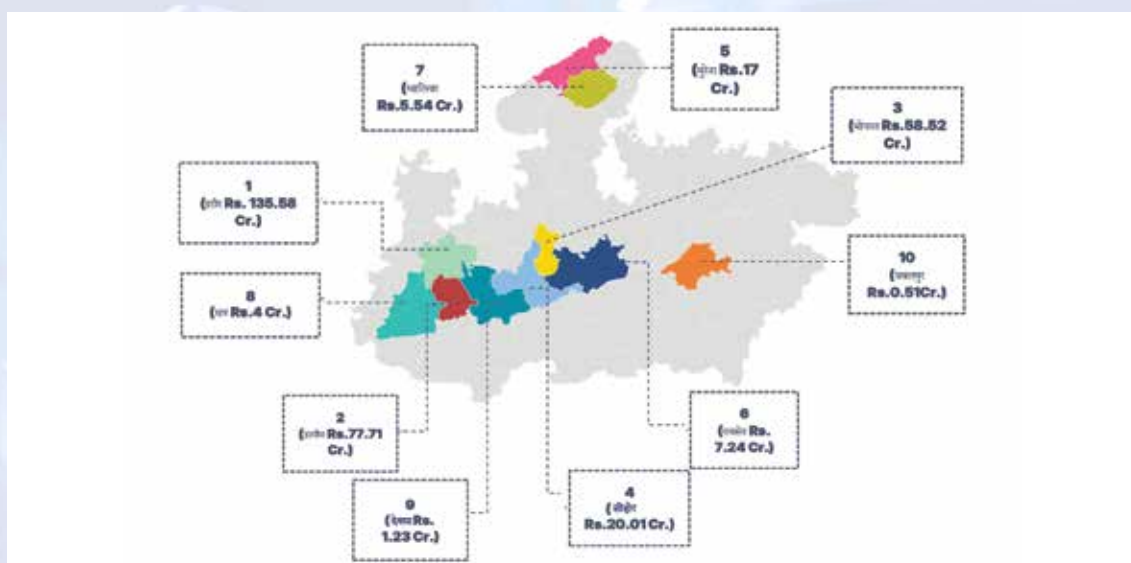
6.5.2 मध्यप्रदेश के जिलों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)

मध्यप्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का जिला-वार वितरण यह दर्शाता है कि विदेशी निवेश का प्रमुख हिस्सा मुख्य शहरी एवं औद्योगिक केंद्रों में केंद्रित है, साथ ही अन्य जिलों की भी क्रमिक भागीदारी उभर रही है। इंदौर सबसे बड़ा FDI प्राप्त करने वाला जिला बनकर सामने आया है, जहाँ 135.58 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ है। यह राज्य के प्रमुख वाणिज्यिक एवं औद्योगिक केंद्र के रूप में इंदौर की भूमिका को रेखांकित करता है।

जैसा कि (चित्र 6.6) में दर्शाया गया है, उज्जैन एवं भोपाल क्रमशः 77.71 करोड़ रुपये एवं 58.52 करोड़ रुपये के FDI प्रवाह के साथ अन्य प्रमुख प्राप्तकर्ता रहे हैं। इन जिलों का प्रदर्शन यह दर्शाता है कि बेहतर होती औद्योगिक अधोसंरचना, प्रशासनिक सुविधा तथा प्रमुख बाजारों के निकटता वाले जिले विदेशी निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बन रहे हैं। सीहोर (20.01 करोड़ रुपये) एवं मुरैना (17 करोड़ रुपये) में FDI प्रवाह यह संकेत देता है कि विदेशी निवेश प्रमुख शहरी केंद्रों से सटे जिलों तक भी धीरे-धीरे विस्तारित हो रहा है, जहाँ औद्योगिक विकास एवं लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी के फैलाव प्रभाव दिखाई दे रहे हैं।

अन्य जिलों जैसे रायसेन (7.25 करोड़ रुपये), ग्वालियर (5.54 करोड़ रुपये), धार (4.00 करोड़ रुपये), देवास (1.23 करोड़ रुपये) तथा जबलपुर (0.51 करोड़ रुपये) में अपेक्षाकृत कम FDI प्रवाह दर्ज किया गया है, जो इन क्षेत्रों में विदेशी निवेश की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है। यद्यपि निवेश की कुल राशि सीमित है, तथापि अधिक संख्या में जिलों में FDI की उपस्थिति यह संकेत देती है कि निवेश का दायरा धीरे-धीरे विस्तृत हो रहा है, तथा लक्षित नीतिगत समर्थन, अधोसंरचना विकास एवं निवेश प्रोत्साहन प्रयासों के माध्यम से आगे वृद्धि की पर्याप्त संभावनाएँ मौजूद हैं।

समग्र रूप से, जिला-वार FDI इनफ्लो की प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि मध्यप्रदेश ने कुछ प्रमुख जिलों में FDI आकर्षण का एक सशक्त आधार विकसित किया है, साथ ही विदेशी निवेश को भौगोलिक रूप से और अधिक गहराई एवं विविधता देने की भी व्यापक संभावनाएँ हैं। जिला-स्तरीय औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना, व्यापार सुगमता में सुधार तथा कनेक्टिविटी को मजबूत करना स्थापित केंद्रों से आगे FDI प्रवाह के विस्तार में सहायक होगा, जिससे संतुलित क्षेत्रीय विकास एवं सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।



स्रोत: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

चित्र 6.6: मध्यप्रदेश के जिलों में शीर्ष 10 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) इनफ्लो

6.5.3 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन

पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान (तालिका 6.6) मध्यप्रदेश में स्वीकृत औद्योगिक इकाइयों की प्रवृत्ति औद्योगिक गतिविधियों के क्रमिक विस्तार को दर्शाती है, जिसके साथ निवेश के पैमाने तथा रोजगार क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2021-22 में स्वीकृत इकाइयों की संख्या 441 थी, जो वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 515 तथा वित्त वर्ष 2023-24 में 535 हो गई। यह प्रवृत्ति विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों की निरंतर रुचि तथा औद्योगिक सहभागिता में वृद्धि को दर्शाती है। यह गति वित्त वर्ष 2024-25 में और सुदृढ़ हुई, जब स्वीकृत इकाइयों की संख्या बढ़कर 558 हो गई, जो इस अवधि में सर्वाधिक रही।

प्रस्तावित निवेश के संदर्भ में भी हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में प्रस्तावित निवेश 7,260 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 9,233 करोड़ रुपये हो गया। इसके पश्चात वित्त वर्ष 2023-24 में इसमें तीव्र वृद्धि दर्ज की गई और प्रस्तावित निवेश 14,858 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। वित्त वर्ष 2024-25 में एक बड़ा उछाल देखने को मिला, जब प्रस्तावित निवेश 25,756 करोड़ रुपये रहा, जो बड़े एवं अधिक पूंजी-प्रधान परियोजनाओं की स्वीकृति को दर्शाता है। यह प्रवृत्ति चालू वित्त वर्ष 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) में भी जारी रही है, जिसमें अब तक 73,754 करोड़ रुपये का प्रस्तावित निवेश दर्ज किया गया है। यह स्थिति राज्य में मजबूत निवेश गति को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करती है।

तालिका 6.7: संभावित निवेश और रोजगार गतिविधि

वित्तीय वर्ष	इकाइयों की संख्या	कुल प्रस्तावित निवेश*	कुल प्रस्तावित रोजगार #
2025-26 (दिसम्बर, 2025 तक)	196	73,754	81,515
2024-25	558	25,756	50,800
2023-24	535	14,858	33,143
2022-23	515	9,233	45,591
2021-22	441	7,260	30,465

स्रोत: उद्योग नीति और निवेश संवर्धन विभाग, मध्यप्रदेश शासन.

नोट: * प्रस्तावित निवेश करोड़ रुपये में है।

प्रस्तावित रोजगार संख्या में है।

रोजगार सृजन में भी सकारात्मक प्रवृत्ति देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2021-22 में 30,465 रोजगार से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में यह संख्या 45,591 हो गई। यद्यपि वित्त वर्ष 2023-24 में रोजगार घटकर 33,143 रहा, तथापि वित्त वर्ष 2024-25 में यह पुनः बढ़कर 50,800 रोजगार तक पहुँच गया। वित्त वर्ष 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) में अनुमानित रोजगार क्षमता पहले ही 81,515 तक पहुँच चुकी है, जो बड़े निवेश प्रस्तावों से जुड़ी मजबूत रोजगार संभावनाओं को दर्शाती है।

समग्र रूप से, उपलब्ध आँकड़े सुदृढ़ औद्योगिक वृद्धि को रेखांकित करते हैं, जिसकी विशेषता इकाइयों की बढ़ती संख्या, निवेश के बढ़ते पैमाने तथा रोजगार क्षमता में विस्तार है। प्रस्तावित निवेश एवं रोजगार में हालिया तेज़ वृद्धि निवेशकों के बढ़ते विश्वास तथा औद्योगिक प्रोत्साहन उपायों की प्रभावशीलता को दर्शाती है, जो आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश को तीव्र औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की दिशा में अग्रसर करने की क्षमता रखती है।



6.6 कनेक्टिविटी

6.6.1 सड़क एवं राजमार्ग कनेक्टिविटी

लोक निर्माण विभाग (भ/स) और लोक निर्माण विभाग (भवन) मध्यप्रदेश सरकार की प्रमुख निर्माण एजेंसियां हैं जो सड़कों, पुलों, ओवरब्रिज और भवनों जैसी सरकारी संपत्तियों की योजना, डिजाइन, निर्माण और रखरखाव करती हैं।

लोक निर्माण विभाग (भ/स) की मुख्य गतिविधियों में राष्ट्रीय राजमार्गों, मुख्य जिला मार्गों, अन्य जिला मार्गों एवं ग्रामीण मार्गों तथा पुलों, फ्लाईओवर एवं रेल्वे ओवरब्रिज के निर्माण का कार्य प्रमुख है। लोक निर्माण विभाग (भवन) राज्य में भवनों के निर्माण का कार्य प्रोजेक्ट मोड में सम्पादित करती है।

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (एमपीआरडीसी) को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2002 और कंपनी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित किया गया। एमपीआरडीसी को सभी राज्य राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख जिला सड़क परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकांश परियोजनाएं सार्वजनिक-निजी भागीदारी (बीओटी) योजना के तहत संचालित होती हैं, जबकि अन्य ईपीसी (नियमित अनुबंध योजना) के तहत विकसित की जा रही हैं। एडीबी और एनडीबी जैसी बाहरी वित्तपोषण एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित कई परियोजनाओं का प्रबंधन एमपीआरडीसी द्वारा किया जाता है।

सड़क नेटवर्क

सड़कों, पुलों और फ्लाईओवरों से युक्त सतही परिवहन अधोसंरचना को मोटे तौर पर चार क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है: राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। 30 नवंबर, 2025 तक राज्य में कुल 77,268 किलोमीटर सड़कें थीं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

- राष्ट्रीय राजमार्ग (NH): 9,278 किमी
- राज्य राजमार्ग (SH): 10,465 किमी
- मुख्य जिला सड़कें (MDR): 22,517 किमी
- ग्रामीण सड़कें (VR) एवं अन्य जिला सड़कें (ODR): 35,008 किमी
- वर्ष 2024-25 में और 30 नवंबर 2026 तक 1,761 किलोमीटर सड़क नेटवर्क का निर्माण पूरा किया गया।

तालिका 6.8 सड़क वर्गीकरण

सड़कों का वर्गीकरण	सड़क श्रेणी (किमी)				कुल लंबाई (किमी)
	NH	SH	MDR	ODR & VR	
फोर लेन	4,572	723	343	329	5,967
डबल लेन	4,121	4,815	3,452	666	13,054
सिंगल / इन्टरमीडीएट लेन	585	4,927	18,722	34,013	58,247
कुल	9,278	10,465	22,517	35,008	77,268

स्रोत: मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, मध्यप्रदेश शासन

सड़क विकास प्रगति

1 अप्रैल 2025 से 30 नवंबर 2025 तक पूर्ण हुए राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है

तालिका 6.9: पूर्ण राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग

क्र.	परियोजना प्रकार	राष्ट्रीय राजमार्ग		राज्य राजमार्ग		जिला सड़कें	
		लंबाई (किमी)	लागत (करोड़ रुपये)	लंबाई (किमी)	लागत (करोड़ रुपये)	लंबाई (किमी)	लागत (करोड़ रुपये)
1	ई. पी. सी. परियोजनाएं	0.31	157.74	--	--	--	--
2	राज्य राजमार्ग निधि योजना	--	--	--	9.25	--	--
3	ए डी बी वित्तपोषित परियोजनाएं	--	--	49.98	234.85	19.99	66.40
4	एन डी बी वित्तपोषित परियोजनाएं	--	--	--	43.65	--	--
5	नियमित अनुबंध परियोजनाएं	--	--	7.76	51.69	--	--
कुल		0.31	157.74	57.74	339.44	19.99	66.40

स्रोत: मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, मध्यप्रदेश शासन

विकास और उन्नयन

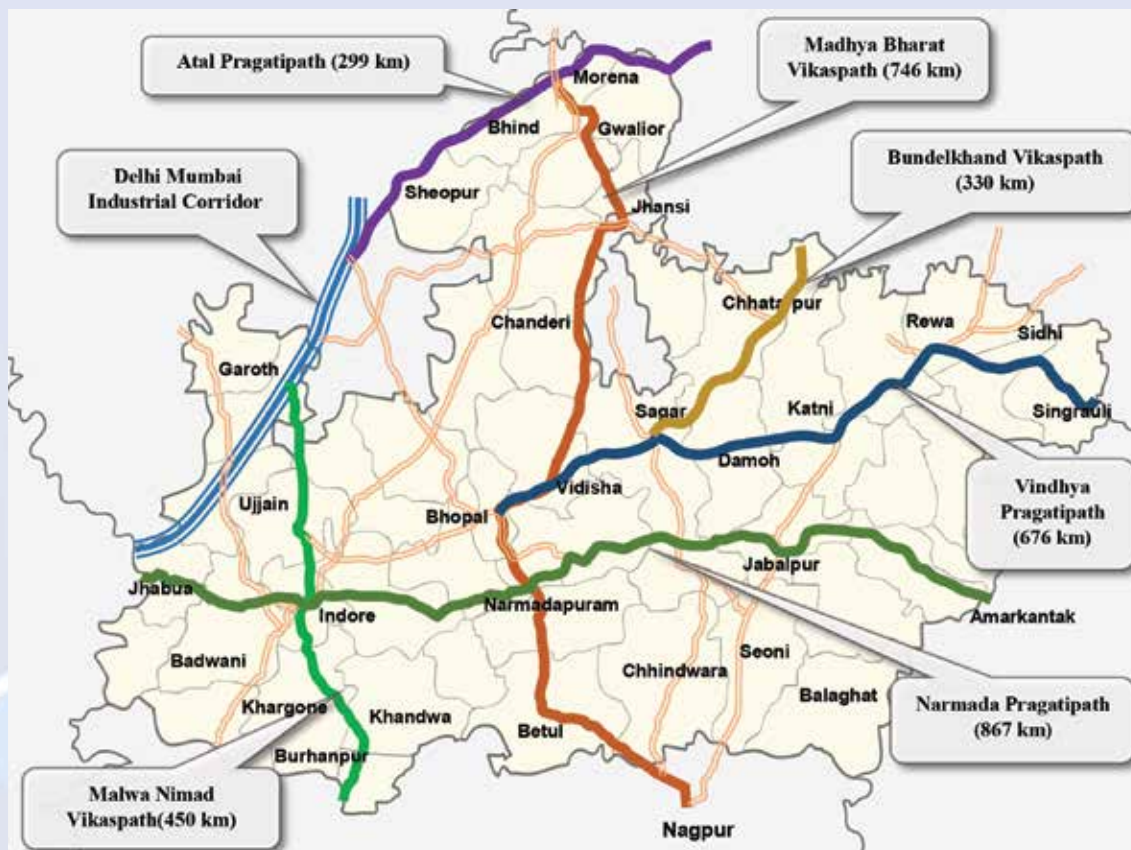
राज्य सरकार क्षेत्रीय और शहरी विकास केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अधोसंरचना परियोजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया में है, जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाना है, यातायात जाम को कम करने/यातायात प्रवाह को सुगम बनाने वाली प्रमुख परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:-

- उज्जैन - जावरा रोड:** 98 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड सड़क, जिसे हाइब्रिड-एन्युटी मॉडल में बनाया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 5,017 करोड़ रुपये है, उज्जैन, इंदौर और आसपास के क्षेत्रों को दिल्ली-मुंबई 8-लेन औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी एक्सप्रेसवे) से जोड़ेगी।
- इंदौर-उज्जैन रोड:** 48 किलोमीटर लंबी 6 लेन की सड़क चौड़ीकरण परियोजना, जिसे हाइब्रिड-एन्युटी मॉडल में बनाया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 1,692 करोड़ रुपये है।
- एनडीबी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं:** न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) से लिए गए ऋण के तहत 5,812 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कुल 884 किलोमीटर लंबाई वाली 14 सड़कों के निर्माण के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त हो गई है।
- एडीबी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं:** एडीबी-7 के तहत 934 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 257 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
- भोपाल पश्चिमी बाईपास:** 35.60 किलोमीटर लंबा भोपाल पश्चिमी बाईपास 4,848.53 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा।



6. **8-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर (भोपाल):** वीआईपी रोड, भोपाल पर 3,155 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 8-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा।

एक्सप्रेसवे: लगभग 3,368 किलोमीटर राजमार्ग विभिन्न चरणों में विकास के अधीन हैं, जिससे क्षेत्रीय विकास केंद्रों तक कनेक्टिविटी सुगम हो सकेगी। इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।



स्रोत: मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, मध्यप्रदेश शासन

चित्र 6.7: मध्यप्रदेश में महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की एक झलक

नई पहल / प्रौद्योगिकी उन्नयन

1. लोक पथ एप्लीकेशन

लोक पथ एप्लीकेशन मध्यप्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा सड़क रखरखाव और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसका मुख्य उद्देश्य सड़कों की कुशल निगरानी और समय पर मरम्मत सुनिश्चित करना है, जिसमें विशेष रूप से गड्ढों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ऐप पर पंजीकृत सड़कों की लंबाई 68,116 किलोमीटर है।

2. व्हाइट टॉपिंग

व्हाइट टॉपिंग से तात्पर्य मौजूदा बिटुमिनस (डामर) सड़कों पर पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट (पीसीसी) की एक परत बिछाने की प्रक्रिया से है। सड़क की गुणवत्ता और जीवनकाल में सुधार के लिए यह विधि टिकाऊ, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल समाधान के रूप में तेजी से अपनाई जा रही है।

3. एफडीआर सड़क निर्माण प्रक्रिया:

फुल डेप्थ रिकलेमेशन (FDR) प्रक्रिया क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण की एक टिकाऊ विधि है। इसमें पूरे डामर फुटपाथ और उसके आधार के एक हिस्से को पीसकर एक नई, स्थिर नींव बनाई जाती है। यह पारंपरिक तरीकों की तुलना में लागत, अपशिष्ट और समय को कम करती है, जिनमें सीमेंट या चूने जैसे पदार्थों के साथ मिलाकर फिर से कंक्रीट डालकर सड़क को समतल किया जाता है। यह तकनीक एक मजबूत, एकसमान आधार बनाती है, जिससे फुटपाथ का प्रदर्शन बेहतर होता है और उसकी आयु कुशलतापूर्वक बढ़ जाती है।

4. एलपीपीपी सॉफ्टवेयर

लोक परियोजना प्रबंधन प्रणाली (एलपीपीपी) सॉफ्टवेयर एक विशेष सॉफ्टवेयर है जिसे अधोसंरचना परियोजनाओं की योजना, क्रियान्वयन, निगरानी और रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

5. दुर्घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (एक्सीडेंट रेस्पॉन्स सिस्टम)

एमपीआरडीसी मुख्यालय में एक दुर्घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (एआरएस) स्थापित की गई है। इस योजना के तहत, कोई भी व्यक्ति किसी भी राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटना की सूचना कॉल सेंटर नंबर 1099 पर दे सकता है। घटना की सूचना मिलते ही, घायलों को निकटतम अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तुरंत दुर्घटनास्थल पर भेजी जाती है।

6. सड़क परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली (रोड ऐसेट मैनेजमेंट सिस्टम)

सड़क परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली (आरएएमएस) की स्थापना जीआईएस का उपयोग करके सड़कों, पुलों और अन्य परिसंपत्तियों का डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से की गई है।

7. लोक निर्माण सर्वेक्षण मोबाइल एप्लिकेशन

भारत सरकार के MeitY के अंतर्गत भास्करचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) द्वारा विकसित लोक निर्माण सर्वेक्षण मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग सड़कों, पुलों और इमारतों जैसी मौजूदा संपत्तियों की जिओ-टैगिंग के लिए किया जा रहा है, जिससे भविष्य की अधोसंरचना योजना और डेटा संग्रह को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा।

8. लोक कल्याण सरोवर

कल्याण सरोवर मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की एक अभिनव जल संरक्षण योजना है, जो सड़क निर्माण के दौरान खोदे गए गड्ढों को वर्षा जल संचयन तालाबों में परिवर्तित करती है। इससे भू-जल स्तर बढ़ता है, कृषि को लाभ होता है और बिना किसी अतिरिक्त लागत के पर्यावरण के अनुकूल विकास को बढ़ावा मिलता है। यह पहल निर्माण कार्यों के दौरान बचे हुए गड्ढों को महत्वपूर्ण जल भंडारों में बदल देती है, जिससे जल सुरक्षा के लिए निर्माण उप-उत्पादों के कुशल उपयोग के माध्यम से ग्रामीण जीवन और पर्यावरणीय संतुलन में सुधार होता है। 30 नवंबर 2025 तक 506 लोक कल्याण सरोवर बनाए जा चुके हैं।

6.6.2 रेलवे कनेक्टिविटी

मध्यप्रदेश राज्य में छह ज़ोन हैं, जिनमें पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, मध्य रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे शामिल हैं। 31 मार्च, 2025 तक उपलब्ध रेलवे ट्रैक की लंबाई 5,263 किमी है और यह देश का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। नीचे शीर्ष 10 राज्यों में रेलवे नेटवर्क की सबसे बड़ी हिस्सेदारी के साथ पिछले 8 वर्षों में रेलवे की वृद्धि का सारांश दिया गया है:



तालिका 6.10: रेल्वे नेटवर्क

क्र.	राज्य / केंद्र शासित	लंबाई (किमी)							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	उत्तर प्रदेश	9167	10324	8823	8808	8799	8800	8798	8823
2	राजस्थान	5894	5929	5937	5998	6019	6046	6100	6135
3	महाराष्ट्र	5784	5733	5819	5829	5823	5861	5875	5930
4	मध्यप्रदेश	5113	4829	4899	5148	5140	5188	5196	5263
5	गुजरात	5259	5285	5320	5301	5327	4960	4939	5051
6	पश्चिम बंगाल	4139	4139	4230	4217	4212	4203	4135	4161
7	तमिलनाडू	4028	4030	4031	4036	4033	4033	4038	4038
8	आंध्रप्रदेश	3817	3817	3822	3965	3965	3969	3983	4016
9	बिहार	3714	3653	3720	3794	3803	3825	3888	3959
10	कर्नाटक	3424	3499	3540	3542	3572	3596	3617	3647

स्रोत : RBI Handbook of Statistics for Indian States, 2025.

https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/145T_111220259E033C52098E4732A6101C940DEF1222.PDF

indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/prd/2024/PDF/Madhya_Pradesh_English.pdf

भारतीय रेलवे की प्रमुख पहलें

1. मल्टी ट्रेकिंग प्रोजेक्ट्स

कैबिनेट कमेटी ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स ने रेल मंत्रालय की छह मल्टीट्रेकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

A भाग 1: कुल 24,634 करोड़ रुपये (लगभग) की लागत वाली 4 मल्टीट्रेकिंग परियोजनाएं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

1. **वर्धा - भुसावल:** तीसरी और चौथी लाइन, 314 किमी (महाराष्ट्र)
2. **गोंदिया - डोंगरगढ़:** चौथी लाइन, 84 किमी (महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़)
3. **वडोदरा - रतलाम:** तीसरी और चौथी लाइन, 259 किमी (गुजरात और मध्यप्रदेश)
4. **इटारसी - भोपाल - बीना:** चौथी लाइन, 237 किमी (मध्यप्रदेश)

महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों के 18 जिलों को कवर करने वाली ये 4 परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 894 किमी तक बढ़ाएंगी, लगभग 85.84 लाख की आबादी वाले लगभग 3,633 गांवों और दो आकांक्षी जिलों (विदिशा और राजनंदगांव) को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। परियोजना के कुछ हिस्से सांची, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, भीमबेटका की रॉक शेल्टर, हजारों जलप्रपात, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान आदि जैसे प्रमुख स्थलों के लिए रेल संपर्क भी प्रदान करते हैं, जो देश भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

B. रतलाम-नागदा: तीसरी और चौथी लाइन

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 41.4 किलोमीटर लंबे रतलाम - नागदा सेक्शन (उच्च घनत्व नेटवर्क का हिस्सा) के चार लेन के निर्माण के लिए 1,018 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जो नागदा (उत्तर), वडोदरा (दक्षिण), इंदौर (पूर्व) और चित्तौड़गढ़ (पश्चिम) जैसे प्रमुख जंक्शनों को जोड़ेगा और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

यह परियोजना मध्यप्रदेश से पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाहों जैसे कांडला, मुंद्रा, पिपावाव, हजीरा, दहेज, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (नवी मुंबई) और प्रस्तावित वधावन बंदरगाह तक माल ढुलाई को सुगम बनाएगी, जिससे मध्य और उत्तरी आर्थिक क्षेत्रों की पहुंच बढ़ेगी। इससे इंदौर एसईजेड, छिंदवाड़ा एसईजेड, इंदौर एमएमएलपी, भोपाल एमएमएलपी, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर और रतलाम क्षेत्र में नागदा ताप विद्युत संयंत्र और उससे जुड़े विस्फोटक और रसायन उद्योगों जैसे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों को सीधा लाभ होगा।

इस परियोजना से 28 लाख मानव-दिवस का रोजगार सृजित होने की उम्मीद है और पहले वर्ष में 38 करोड़ किलोग्राम CO2 की बचत करके पर्यावरण स्थिरता में योगदान मिलेगा – जो 1.5 करोड़ वृक्षारोपण के बराबर है और 11वें वर्ष तक 16.5 करोड़ वृक्षारोपण के बराबर बचत होगी। इसके अतिरिक्त, 7.5 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी। अनुमान है कि वधावन बंदरगाह के चालू होने के बाद माल ढुलाई पहले वर्ष में 7 मिलियन टन प्रति वर्ष (MMTA) से बढ़कर 11वें वर्ष तक 76.4 मिलियन टन प्रति वर्ष (MMTA) हो जाएगी, जिससे भारत की रसद और औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

उपर्युक्त परियोजनाएं प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत तैयार की गई हैं, जिनका उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से बहु-मार्गीय संपर्क और रसद दक्षता को बढ़ाना है। ये परियोजनाएं लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के निर्बाध आवागमन को सुगम बनाएंगी।

2. अमृत भारत एक्सप्रेस

अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्देश्य किफायती लंबी दूरी की रेल यात्रा में बदलना है। दिसंबर 2023 से 30 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, जिनमें 9 नई सेवाएं जोड़ी गई हैं, जिससे देशव्यापी कवरेज का विस्तार हुआ है।

नए मार्ग पूर्वोत्तर, पूर्वी, मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी भारत, सीमावर्ती क्षेत्रों, प्रमुख शहरों और तीर्थ केंद्रों को जोड़ते हैं। रेल कनेक्टिविटी में सुधार से रोजगार, पर्यटन, व्यापार और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में कई क्षेत्रों में सहयोग मिलता है। इन मार्गों में से निम्नलिखित मार्ग मध्यप्रदेश से होकर गुजरता है

A. अलीपुरद्वार-मुंबई (पनवेल) अमृत भारत एक्सप्रेस

(पूर्वोत्तर भारत से मुंबई महानगर का प्रवेश द्वार): पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार को महाराष्ट्र के पनवेल से जोड़ने वाली साप्ताहिक सेवा पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। ट्रेन गुरुवार की सुबह अलीपुरद्वार से रवाना होती है और शनिवार शाम तक पनवेल पहुंच जाती है। वापसी यात्रा सोमवार को पनवेल से शुरू होकर बुधवार को अलीपुरद्वार पर समाप्त होती है। यह मार्ग दार्जिलिंग, त्रिवेणी संगम, चित्रकूट धाम और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जैसे प्रमुख स्थलों तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलता है।



3. विद्युतीकरण

भारतीय रेलवे में रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण का कार्य मिशन मोड में शुरू किया गया है। ब्रॉड गेज नेटवर्क का लगभग 99.2% विद्युतीकरण हो चुका है, जो यूनाइटेड किंगडम (39%), रूस (52%) और चीन (82%) से काफी आगे है। चौदह (14) रेलवे जोन और छब्बीस (26) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, जिनमें मध्यप्रदेश भी शामिल है।

4. नेट ज़ीरो के लक्ष्य:

भारतीय रेलवे शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक, भारतीय रेलवे ने अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए 4,260 मेगावाट (स्थापित) सौर ऊर्जा और 3,427 मेगावाट (स्थापित) पवन ऊर्जा परियोजनाओं के साथ समझौता किया है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रेलवे ने पहले ही 1,500 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के साथ समझौता कर लिया है। इस प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए, भारतीय रेलवे और मध्यप्रदेश सरकार के बीच 170 मेगावाट का एक महत्वपूर्ण विद्युत खरीद समझौता (पीपीए) किया गया है, जिसके तहत भारत में सबसे सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा 2.15 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की दर से खरीदी जाएगी। यह बिजली उत्तर-पश्चिमी मध्यप्रदेश के आगर मालवा, शाजापुर और नीमच जिलों में स्थित सौर पार्कों से आपूर्ति की जाएगी।

5. अतिरिक्त रेलवे मार्ग

यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए तीन नई ट्रेन सेवाओं की घोषणा की गई है, जिनका विवरण इस प्रकार है:

- A. **रीवा** – पुणे, जबलपुर और सतना से होते हुए।
- B. **जबलपुर** – रायपुर, नैनपुर, बालाघाट और गोंदिया होते हुए।
- C. **ग्वालियर** – बेंगलुरु, गुना और भोपाल होते हुए।

6.6.3 हवाई कनेक्टिविटी

मध्यप्रदेश क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने विमानन बुनियादी ढांचे को सक्रिय रूप से मजबूत कर रहा है। राज्य में वर्तमान में छह परिचालन हवाई अड्डे हैं:-

1. भोपाल हवाई अड्डा

(राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा): भोपाल का प्रमुख हवाई अड्डा, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हाल ही में 24 घंटे परिचालन शुरू किया गया है। भोपाल हवाई अड्डे को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा 13 मार्च 2024 को सीमा शुल्क अधिसूचित किया गया था।

2. इंदौर हवाई अड्डा

(देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा): घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों की सुविधा प्रदान करता है।

3. जबलपुर हवाई अड्डा

जबलपुर शहर की सेवा करने वाला यह हवाई अड्डा भारतीय विमानन प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित है।

4. ग्वालियर हवाई अड्डा

(राजमाता विजया राजे सिंधिया हवाई अड्डा): ग्वालियर में स्थित यह हवाई अड्डा मध्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करता है।

5. खजुराहो हवाई अड्डा

यूनेस्को विश्व धरोहर मंदिरों के लिए प्रसिद्ध खजुराहो शहर की सेवा करता है।

6. रीवा हवाई अड्डा

राज्य के चालू हवाई अड्डों में नवीनतम जुड़ाव, विंध्य क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर 2024 को किया था, रीवा में विंध्य क्षेत्र में पहले क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन की मेजबानी से तीन दिन पहले नया हवाई अड्डा सिंगरौली के ताप विद्युत केंद्र, सतना, रीवा और मैहर के सीमेंट उत्पादन केंद्रों के साथ-साथ तीन बाघ अभ्यारण्य-राष्ट्रीय उद्यानों और मुकुंदपुर टाइगर सफारी को आवश्यक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे पड़ोसी सतना जिले के प्रमुख तीर्थ नगर चित्रकूट और मैहर जिले के देवी शारदा मंदिर में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है।

7. सतना हवाई अड्डा

सतना हवाई अड्डे का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 31 मई 2025 को वर्चुअल रूप से किया गया था। इससे मैहर, चित्रकूट और पन्ना के लिए पर्यटन कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही सीधी के लिए भी आवश्यक कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।

8. दतिया हवाई अड्डा

फरवरी 2025 में दतिया राज्य का 8वां हवाई अड्डा बना।

इन परिचालित हवाई अड्डों के अलावा, राज्य के विमानन बुनियादी ढांचे को और अधिक विस्तारित करने के प्रयास जारी हैं। फरवरी 2025 में स्वीकृत मध्यप्रदेश नागरिक उड्डयन नीति-2025 का उद्देश्य मध्यप्रदेश को मध्य भारत का एक प्रमुख विमानन और पर्यटन केंद्र बनाना है। राज्य ने वर्ष 2030 तक निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है:

1. वित्तीय वर्ष 2024 में यात्री यातायात को 5.5 एमपीपीए से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2030 तक 10 एमपीपीए करना।
2. माल ढुलाई को वित्तीय वर्ष 2024 में 12,770 मीट्रिक टन से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2030 तक 20,000 मीट्रिक टन करना।
3. राज्य में कम से कम तीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थापित करना और प्रत्येक 2 घंटे (लगभग 150 किमी के दायरे में) एक वाणिज्यिक हवाई अड्डे की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4. हवाई संपर्क सुनिश्चित करना:
 - प्रत्येक तहसील / ब्लॉक में प्रत्येक 30 मिनट (लगभग 45 किमी के दायरे में) एक हेलीपोर्ट / हेलीपैड सुविधा विकसित करना।
 - छोटे विमानों के लिए हर एक घंटे (लगभग 75 किलोमीटर के दायरे में) एक हवाई पट्टी का विकास करना।



5. वर्ष 2030 तक सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों को मजबूत और किफायती हवाई संपर्क उपलब्ध कराना।

इंदौर-देवास-उज्जैन क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित एयरोट्रोपोलिस (एयरपोर्ट सिटी) विकसित किया जाएगा, ताकि हवाई अड्डे के आसपास की आर्थिक क्षमता का लाभ उठाया जा सके और पूरे क्षेत्र को सतत आर्थिक विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर किया जा सके। राज्य सरकार ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी, 2008 और उसके बाद जारी किए गए संशोधनों या संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप पीपीपी मार्ग के माध्यम से एयरोट्रोपोलिस (हवाई अड्डे सहित) के विकास की संभावनाओं का पता लगाएगी।

राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने और धार्मिक पर्यटन स्थलों तक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए दो अंतरराज्यीय हवाई सेवाएं शुरू की हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:

1. **प्रधानमंत्री श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा:** उज्जैन और ओंकारेश्वर नामक दो ज्योतिर्लिंगों को हवाई संपर्क प्रदान करती है।
2. **प्रधानमंत्री श्री पर्यटन वायु सेवा:** मध्यप्रदेश के आठ पर्यटन स्थलों - भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को जोड़ती है।

यात्री यातायात

नवंबर महीने में यात्री यातायात में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें इंदौर राज्य में अग्रणी रहा है। अप्रैल-नवंबर (वित्त वर्ष 2024-25) की अवधि में यात्री यातायात में अप्रैल-नवंबर (वित्त वर्ष 2025-26) की तुलना में 11.62% की वृद्धि हुई है।

तालिका 6.11: मध्यप्रदेश के हवाई अड्डों का यात्री यातायात

(सभी इकाइयाँ संख्या में)

क्र.	हवाई अड्डा	माह			अवधि (अप्रैल से नवंबर तक)		
		नवंबर-2025	नवंबर -2024	% बदलाव	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26	% बदलाव
अ. अंतर्राष्ट्रीय यात्री							
1	भोपाल	1	0	-	597	640	-6.7%
2	इंदौर	8902	4454	99.9%	39413	30198	30.5%
ब. घरेलू यात्री							
1	भोपाल	152427	137157	11.1%	1012006	1018184	-0.6%
2	इंदौर	393080	310373	26.6%	2750040	2356936	16.7%
3	ग्वालियर	26696	28082	-4.9%	188799	224690	-16.0%
4	जबलपुर	48824	37098	31.6%	338654	239104	41.6%
5	खजुराहो	10651	12312	-13.5%	13522	24613	-45.1%
6	रीवा	949	339	179.9%	3400	339	902.9%
7	दतिया	0	0	0%	800	0	--
	कुल	641530	529815	21.09%	4347231	3894704	11.62%

स्रोत: <https://www.aai.aero/business-opportunities/aai-traffic-news?destination=business-opportunities/aai-traffic-news>

फ्रेट हैंडलिंग

फ्रेट हैंडलिंग माल ढुलाई की मात्रा कम है, जिसका कारण समर्पित कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस की अनुपलब्धता, अन्य प्रमुख आर्थिक केंद्रों से कुशल रेल/सड़क संपर्क का अभाव, उच्च परिचालन व्यय आदि हो सकते हैं।

तालिका 6.12: मध्यप्रदेश के हवाई अड्डों द्वारा फ्रेट हैंडलिंग

(सभी इकाइयाँ मेट्रिक टन में)

क्र.	हवाई अड्डा	माह			अवधि (अप्रैल से नवंबर तक)		
		नवंबर-2025	नवंबर -2024	% बदलाव	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26	% बदलाव
अ. अंतर्राष्ट्रीय माल							
1	इंदौर	1.2	0.1	1681.4%	3.8	8.0	-52.9%
ब. डोमेस्टिक माल							
1	भोपाल	207.2	179.9	15.2%	1664.3	1607.2	3.6%
2	इंदौर	1089.4	768.0	41.8%	8593.7	6808.7	26.2%
	कुल	1297.8	948.0	36.9%	11061.8	8423.9	31.31%

स्रोत : <https://www.aai.aero/business-opportunities/aai-traffic-news?destination=business-opportunities/aai-traffic-news>

विमानों की आवाजाही

इंदौर हवाई अड्डे पर नवंबर 2025 में अंतरराष्ट्रीय विमानों की आवाजाही में नवंबर 2024 की तुलना में 76.5% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जो इस क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि को प्रमाणित करती है। घरेलू आवाजाही 9.75% रही और कुल विमानों की आवाजाही 10.24% रही। अप्रैल-नवंबर (वित्त वर्ष 2024-25) की अवधि में अप्रैल-नवंबर (वित्त वर्ष 2025-26) की तुलना में कुल विमानों की आवाजाही में 5.15% की मामूली वृद्धि भी हुई है।

तालिका 6.13: विमानों की आवाजाही

(सभी इकाइयाँ संख्या में)

क्र.	हवाई अड्डा	माह			अवधि (अप्रैल से नवंबर तक)		
		नवंबर-2025	नवंबर-2024	% बदलाव	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26	% बदलाव
अ. अंतर्राष्ट्रीय विमान							
1	भोपाल	1	0	-	21	7	200.0%
2	इंदौर	60	34	76.5%	301	248	21.4%



क्र.	हवाई अड्डा	माह			अवधि (अप्रैल से नवंबर तक)		
		नवंबर-2025	नवंबर-2024	% बदलाव	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26	% बदलाव
ब. घरेलू विमान							
1	भोपाल	1269	1224	3.7%	9636	9889	-2.6%
2	इंदौर	2988	2590	15.4%	22119	21084	4.9%
3	ग्वालियर	213	204	4.4%	1674	2368	-29.3%
4	जबलपुर	530	416	27.4%	3852	3127	23.2%
5	खजुराहो	205	255	-19.6%	510	816	-37.5%
6	रीवा	62	110	-43.6%	674	110	512.7%
	कुल	5328	4833	10.24%	39587	37649	5.15%

स्रोत : <https://www.aai.aero/business-opportunities/aai-traffic-news?destination=business-opportunities/aai-traffic-news>

एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (एएसक्यू)

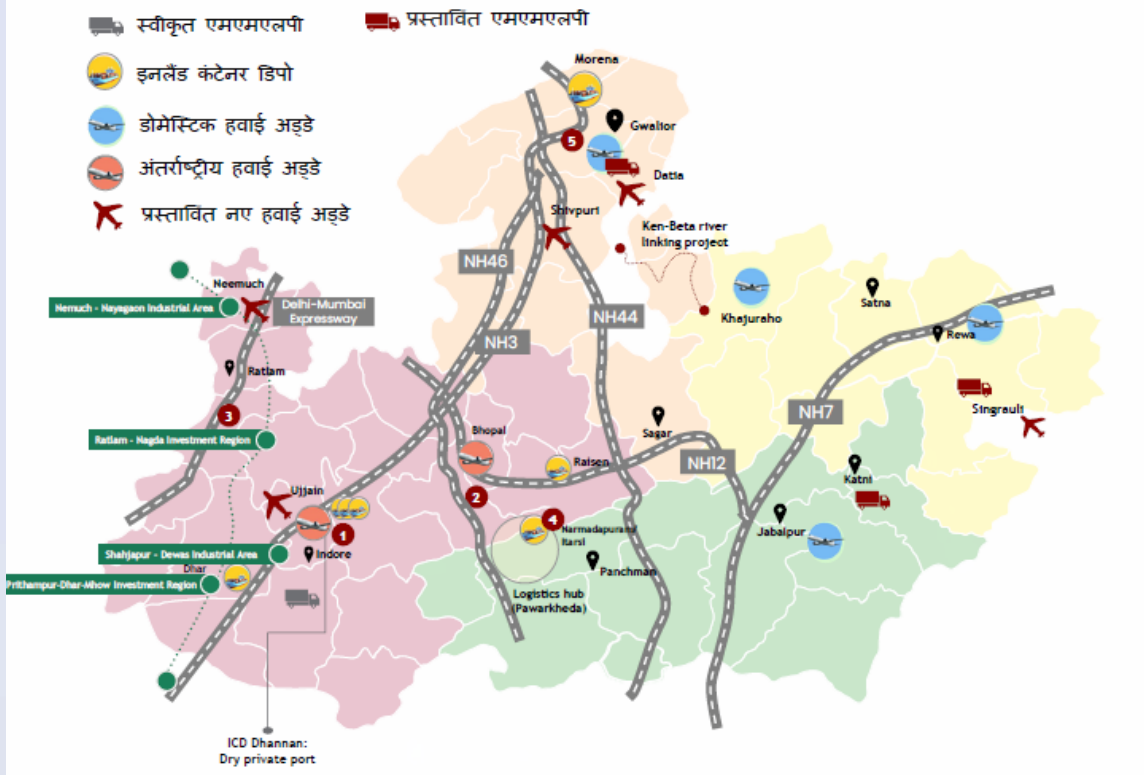
एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (एएसक्यू) सर्वेक्षण विश्व स्तर पर ख्यातिप्राप्त और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित वैश्विक बेंचमार्किंग कार्यक्रम है, जो एयरपोर्ट से यात्रा करते समय यात्रियों की संतुष्टि को मापता है। इसका संचालन एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) द्वारा किया जाता है, जो एयरपोर्ट ऑपरेटरों का एक वैश्विक गैर-लाभकारी संगठन है। एएसक्यू पुरस्कार उन एयरपोर्ट्स को दिए जाते हैं जो अपने यात्रियों की राय में सर्वश्रेष्ठ ग्राहक अनुभव प्रदान करते हैं।

एसीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है जो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (एएसक्यू) सर्वे नामक अपने सहभागी कार्यक्रम के माध्यम से हवाई अड्डों का अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्किंग करती है। यह सर्वे 32 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर यात्रियों की संतुष्टि को मापता है, जिसमें 8 प्रमुख श्रेणियां शामिल हैं जैसे कि हवाई अड्डे पर आगमन, चेक-इन, सुरक्षा जांच, सीमा/पासपोर्ट नियंत्रण, खरीदारी/भोजन, गेट क्षेत्र, पूरे हवाई अड्डे का वातावरण और हवाई अड्डे का माहौल।

अक्टूबर-दिसंबर 2025 की अवधि के लिए, 16 एएआई हवाई अड्डों पर एएसक्यू सर्वेक्षण किया गया। विश्व औसत 4.37 एएसक्यू के मुकाबले, एएआई हवाई अड्डों का औसत 4.87 है। इंदौर हवाई अड्डा 4.90 एएसक्यू के साथ सर्वेक्षण किए गए 16 एएआई हवाई अड्डों में 6वें स्थान पर है।

6.6.4 लॉजिस्टिक्स

यह मानचित्र मध्यप्रदेश के विकसित होते लॉजिस्टिक्स एवं कनेक्टिविटी पारिस्थितिकी तंत्र का एक समग्र चित्र प्रस्तुत करता है और राज्य की उस रणनीतिक मंशा को रेखांकित करता है, जिसके तहत वह अपनी केंद्रीय भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर भारत में एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स एवं व्यापार केंद्र के रूप में उभरना चाहता है। स्वीकृत एवं प्रस्तावित मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP), अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD), हवाई अड्डों, औद्योगिक क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों का स्थानिक संरेखण एक समन्वित, अधोसंरचना-आधारित विकास दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य व्यापार सुगमता, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता तथा क्षेत्रीय एकीकरण को सुदृढ़ करना है।



चित्र 6.8: लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र

जैसा कि (चित्र 6.8) में दर्शाया गया है, मानचित्र की एक प्रमुख विशेषता पश्चिम-मध्य औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स गलियारा है, जो इंदौर, पीथमपुर एवं भोपाल के आसपास केंद्रित है और राज्य के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की रीढ़ का निर्माण करता है। यह गलियारा पीथमपुर-धार-इंदौर निवेश क्षेत्र, शाजापुर-देवास औद्योगिक क्षेत्र तथा रतलाम-नागदा निवेश क्षेत्र जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के साथ निकटता से एकीकृत है। धन्नड़ (इंदौर) स्थित अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD) की उपस्थिति तथा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से प्रत्यक्ष कनेक्टिविटी, पश्चिमी बंदरगाहों तक पहुँच को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ करती है, जिससे निर्यात कार्गो की तेज़ एवं लागत-कुशल आवाजाही संभव हो पाती है।

गति शक्ति

पीएम गतिशक्ति भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे 13 अक्टूबर, 2021 को प्रारंभ किया गया। यह एक परिवर्तनकारी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य देश में आधुनिक एवं दक्ष अधोसंरचना का विकास करना है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों की अधोसंरचना परियोजनाओं को एक एकीकृत एवं समन्वित दृष्टिकोण के अंतर्गत लाकर राष्ट्रीय विकास की गति को तेज़ करना है।

परंपरागत प्रशासनिक बाधाओं को दूर करते हुए तथा मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय को प्रोत्साहित करके, पीएम गतिशक्ति परियोजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक सुव्यवस्थित, प्रभावी एवं कुशल बनाने का प्रयास करती है। इससे संसाधनों की अनावश्यक बर्बादी में कमी आएगी तथा विभिन्न क्षेत्रों में समग्र दक्षता में वृद्धि होगी।

इस पहल का प्रमुख उद्देश्य मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, जिसके अंतर्गत सड़क, रेल, जलमार्ग, बंदरगाह एवं हवाई अड्डों का एकीकरण कर एक निर्बाध परिवहन प्रणाली विकसित की जाती है। यह अंतर-क्षेत्रीय समन्वय के माध्यम से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने का प्रयास है, जिससे भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती मिलेगी।

इस योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, माल परिवहन के समय में कमी लाना तथा बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना है। यह पहल घरेलू एवं विदेशी निवेश को आकर्षित करने में भी सहायक होगी, जिससे औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को सुदृढ़ आधार प्राप्त होगा।



स्रोत: एम गतिशक्ति, राज्य लॉगिन पोर्टल

चित्र 6.9: पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का होम और लॉगिन पेज

इसके अतिरिक्त, पीएम गतिशक्ति सतत एवं समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कम विकसित एवं आकांक्षी जिले भी अधोसंरचना विकास के लाभ प्राप्त कर सकें। इस पहल के अंतर्गत आधुनिक प्रौद्योगिकियों, डेटा-आधारित योजना तथा भू-स्थानिक (जियो-स्पेशियल) उपकरणों के उपयोग की परिकल्पना की गई है, ताकि परियोजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इस पहल के माध्यम से भारत की अधोसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स प्रणालियाँ अधिक सुदृढ़, दक्ष एवं प्रतिस्पर्धी बनेंगी, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नई गति प्राप्त होगी।

पीएम गतिशक्ति राज्य मास्टर प्लान (SMP): मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश ने पीएम गतिशक्ति पहल को उन्नत एवं समावेशी दृष्टिकोण के साथ अपनाया है तथा राज्य मास्टर प्लान (SMP) के माध्यम से अधोसंरचना विकास एवं आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान की है। राज्य में रणनीतिक समन्वय एवं प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सशक्त सचिव समूह (EGoS), राज्य नेटवर्क योजना समूह (NPG) तथा राज्य तकनीकी सहयोग इकाई (TSU) से युक्त एक सुदृढ़ संस्थागत ढाँचा स्थापित किया गया है।

राज्य ने SMP पोर्टल में 29 अनिवार्य लेयर्स एवं 891 अतिरिक्त डेटा लेयर्स के एकीकरण में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इसके अतिरिक्त, 29 विभागों से प्राप्त डेटा को समेकित कर प्रणाली में सम्मिलित किया गया है, जिससे समन्वित योजना प्रक्रिया एवं प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा मिला है।

साथ ही, राज्य ने DPIIT एवं BISAG-N के सहयोग से क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया है, जिनका उद्देश्य राज्य एवं जिला स्तर के अधिकारियों की तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। प्रमुख कार्यशालाओं का विवरण (तालिका 6.13) में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 6.14: पीएम गतिशक्ति के तहत आयोजित क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ

क्षमता निर्माण कार्यशाला	विवरण
पीएमजीएस योजना उपकरणों पर कार्यशाला (13 अक्टूबर 2025, भोपाल)	पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर उपलब्ध योजना उपकरणों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा उपयोग-प्रकरण (यूज़ केस) तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
पीएमजीएस जिला मास्टर प्लान कार्यशाला (5-6 दिसंबर 2024, BISAG-N, गांधीनगर)	दमोह जिले के अधिकारियों को स्थानीय परियोजना योजना एवं समन्वय के लिए SMP फ्रेमवर्क अपनाने पर प्रशिक्षण दिया गया।
परियोजना योजना कार्यशाला (19 जून 2024, भोपाल)	20 विभागों के 67 अधिकारियों को SMP उपकरणों के उपयोग तथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) के एकीकरण पर प्रशिक्षण दिया गया।
जिला-स्तरीय योजना कार्यशाला (18 जनवरी 2024, भोपाल)	आठ आकांक्षी जिलों के जिला कलेक्टरों ने भाग लिया। क्षेत्र-आधारित योजना तथा स्थानीय आवश्यकताओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया।
क्षेत्रीय कार्यशाला (20 फरवरी 2023, गोवा)	पाँच राज्यों (गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश) के लिए आयोजित। मध्यप्रदेश के 14 अधिकारियों ने भाग लिया। क्षेत्रीय सहयोग एवं ज्ञान-साझाकरण पर फोकस रहा।
आधारभूत कार्यशाला (4-6 अप्रैल 2022, BISAG-N, गांधीनगर)	पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 27 अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिससे क्रियान्वयन की मूलभूत समझ विकसित हुई।

स्रोत: मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, मध्यप्रदेश शासन।

मध्यप्रदेश ने SMP पोर्टल का उपयोग विभिन्न परियोजनाओं के लिए किया है, जैसा कि (तालिका 6.14) में प्रस्तुत किया गया है। जमीनी स्तर पर, राज्य ने सभी 55 जिलों में जिला समन्वय समितियों के गठन के निर्देश दिए हैं, जिनमें से 40 समितियाँ पहले से ही कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, दमोह जिले में जिला मास्टर प्लान (DMP) का बीटा संस्करण लागू किया जा रहा है, जिसमें लॉजिस्टिक्स, भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना के अनुकूलन पर विशेष ध्यान दिया गया है।

तालिका 6.15: राज्य में पीएम गतिशक्ति के अंतर्गत कार्यान्वित उपयोग-प्रकरण (यूज़ केस)

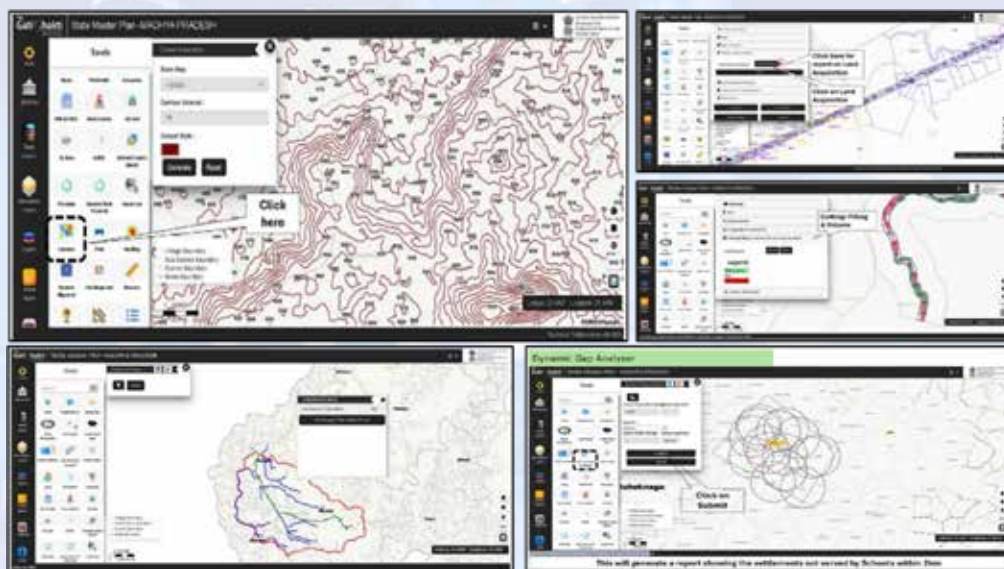
कार्यान्वित उपयोग-प्रकरण	विवरण
एकीकृत औद्योगिक योजना	एमपीआईडीसी (MPIDC) द्वारा 23 उपयोग-प्रकरण विकसित किए गए, जिनमें नए औद्योगिक क्षेत्रों की योजना, मौजूदा अधोसंरचना का अनुकूलन तथा लॉजिस्टिक्स अधोसंरचना को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
पर्यटन विकास	मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा आगामी पर्यटन परियोजनाओं के लिए शासकीय भूमि चिह्नित की गई, जिससे आर्थिक लाभ तथा पर्यटकों के अनुभव में वृद्धि हो सके।
सड़क चौड़ीकरण परियोजनाएँ	एमपीआरडीसी (MPRDC) द्वारा 14 सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं के लिए प्रतिवेदन तैयार किए गए, जो कुल 876.90 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं, जिससे परिवहन दक्षता में सुधार होगा।
ऊर्जा अधोसंरचना योजना	ऊर्जा विभाग द्वारा राज्य विद्युत ग्रिड को सुदृढ़ करने तथा विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु नई ट्रांसमिशन लाइनों की योजना तैयार की गई।



कार्यान्वित उपयोग-प्रकरण	विवरण
सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएँ	जल संसाधन विभाग द्वारा पीएम गतिशक्ति पोर्टल का उपयोग करते हुए 14 उपयोग-प्रकरण विकसित किए गए, जिससे सिंचाई नेटवर्क का बेहतर संरेखण, भूमि अधिग्रहण संबंधी चुनौतियों में कमी तथा भू-स्थानिक विश्लेषण के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम किया गया।
स्कूल शिक्षा विभाग – सह-स्थापन योजना	SMP पोर्टल का उपयोग किराये अथवा जर्जर भवनों में संचालित आंगनवाड़ियों की पहचान कर उन्हें कक्षा-1 विद्यालयों के साथ सह-स्थापित करने हेतु किया जा रहा है। नामांकन अनुपात में सुधार के लिए ईसीसीई दिशानिर्देशों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 500 मीटर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 मीटर की सीमा का पालन किया जा रहा है।
जिला-स्तरीय परियोजना योजना	दमोह जिले में पायलट पहल के अंतर्गत भूमि उपयोग, लॉजिस्टिक्स एवं जिला-विशिष्ट विकास परियोजनाओं पर केंद्रित बीटा जिला मास्टर प्लान के अंतर्गत योजना बनाई जा रही है।
केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना	गतिशक्ति पोर्टल का उपयोग डिज़ाइन ड्रॉइंग को भौगोलिक स्वरूप, मौजूदा अधोसंरचना, भावी अधोसंरचना अनुमानों तथा संभावित बाधाओं के साथ ओवरले करने के लिए किया जा रहा है, जिससे जोखिमों की प्रारंभिक पहचान कर परियोजना क्रियान्वयन के दौरान सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

स्रोत: मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, मध्यप्रदेश शासन।

जैसा कि (चित्र 6.10) में दर्शाया गया है, PM गतिशक्ति राज्य मास्टर प्लान (SMP) पोर्टल पर कुल 35 योजना उपकरण (Planning Tools) विकसित किए गए हैं, जिनमें से 8 अनुकूलित उपकरण राज्य विभागों की आवश्यकताओं के अनुरूप BISAG-N द्वारा विकसित किए गए हैं। डेटा एकीकरण को सुदृढ़ करने, विभिन्न विभागों की भागीदारी का विस्तार करने तथा उन्नत उपकरणों को अपनाने के माध्यम से मध्यप्रदेश यह सुनिश्चित कर रहा है कि PM गतिशक्ति स्टेट मास्टर प्लान सतत अधोसंरचना विकास एवं आर्थिक वृद्धि के लिए एक सशक्त मंच के रूप में उभरकर सामने आए।

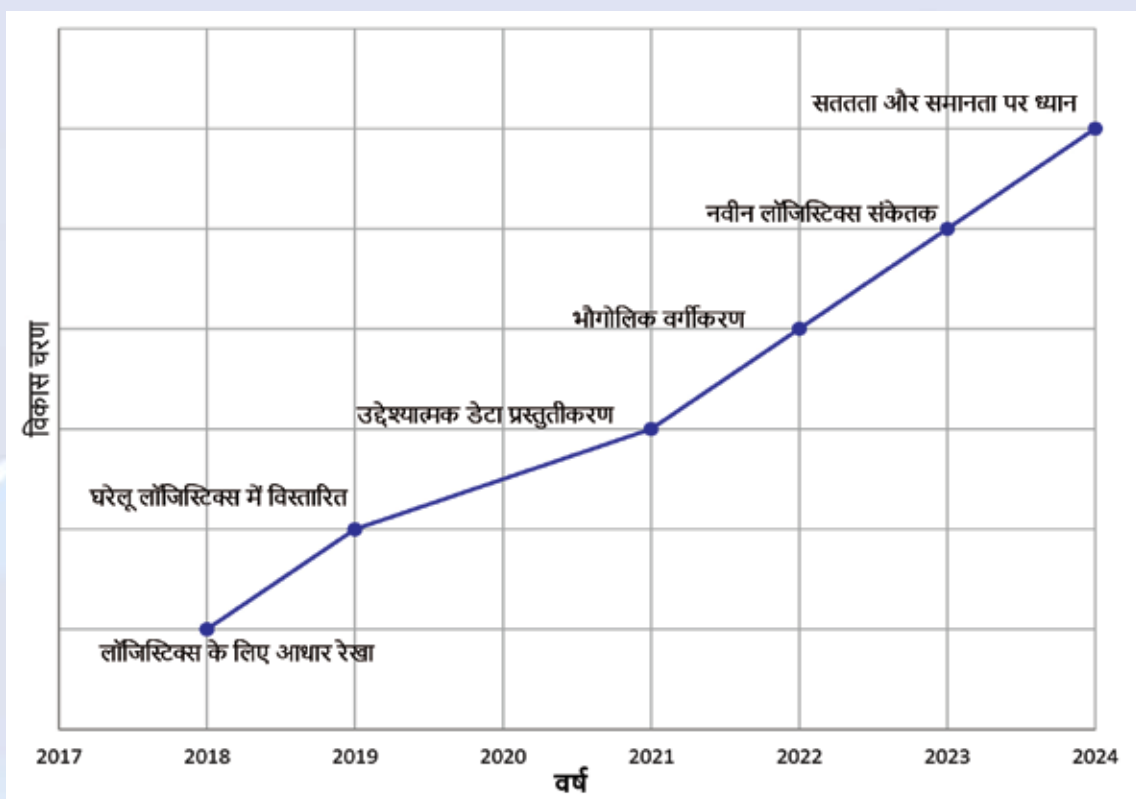


स्रोत: पी.एम. गतिशक्ति, राज्य लॉगिन पोर्टल

चित्र 6.10: पीएम गतिशक्ति पोर्टल की उदाहरणात्मक विशेषताएँ

लॉजिस्टिक्स इज़ एक्रॉसडिफरेंट स्टेट्स (LEADS)

लॉजिस्टिक्स इज़ एक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एक वार्षिक रैंकिंग अभ्यास है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करना और उसे बेहतर बनाना है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के लॉजिस्टिक्स अवसंरचना, प्रक्रियाओं और नीति क्रियान्वयन का प्रदर्शन दर्शाता है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और सुधारों का मार्गदर्शन करता है। वर्ष 2018 में इसकी शुरुआत के बाद से, यह रिपोर्ट केवल धारणाओं पर आधारित प्रतिक्रिया पर निर्भर रहने से लेकर, अब उद्देश्यपूर्ण डेटा और उन्नत कार्यप्रणालियों जैसे कि मैप APIs को शामिल करने तक विकसित हुई है। हाल के संस्करणों में स्थिरता, हरित लॉजिस्टिक्स और कार्यबल समानता जैसे उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।



स्रोत: लीड्स रिपोर्ट 2024

चित्र 6.11: लीड्स रिपोर्ट का विकास

(चित्र 6.11) लॉजिस्टिक्स इज़ एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) रिपोर्ट के वर्ष 2018 से वर्ष 2024 तक के विकास और इसके प्रमुख मील के पथरों को दर्शाता है। प्रत्येक चरण रिपोर्ट की पद्धति (Methodology) या प्रमुख फोकस क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण सुधार को इंगित करता है। यह विकास राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लॉजिस्टिक्स दक्षता के मूल्यांकन को अधिक सटीक और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

लीड्स 2018

लीड्स के पहला संस्करण में EXIM लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र के मापन के लिए एक मानक स्थापित किया गया है, जहां हितधारकों के परसेप्शन-आधारित फीडबैक के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लॉजिस्टिक्स दक्षता का मूल्यांकन किया गया है।



लीड्स 2019

इस संस्करण में EXIM के साथ-साथ घरेलू लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को भी शामिल किया गया। ट्रांसपोर्टर्स, व्यापारियों एवं सेवा प्रदाताओं की राय को परसेप्शन-आधारित दृष्टिकोण से शामिल किया गया।

लीड्स 2021

महामारी के कारण हुए अंतराल के बाद यह संस्करण प्रकाशित हुआ। इसमें परसेप्शन-आधारित सर्वेक्षणों के साथ उद्देश्यपूर्ण डेटा को भी शामिल किया गया। संरचित सर्वेक्षणों और माध्यमिक डेटा के माध्यम से मात्रात्मक लॉजिस्टिक्स मानकों का मूल्यांकन किया गया, जिससे रिपोर्ट की सटीकता बढ़ी।

लीड्स 2022

इस रिपोर्ट में भौगोलिक वर्गीकरण को शामिल किया गया, जिसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया: तटीय राज्य (Coastal States), भूमि से घिरे राज्य (Landlocked States), उत्तर-पूर्वी राज्य (North-Eastern States), केंद्रशासित प्रदेश (UTs) इस वर्गीकरण से लॉजिस्टिक्स की विशेषताओं के आधार पर अधिक केंद्रित विश्लेषण संभव हुआ।

लीड्स 2023

नए संकेतकों को शामिल किया गया, जिनमें शामिल हैं: पहली/अंतिम-मील कनेक्टिविटी, पैकेजिंग सुविधाएं, कुशल मानव संसाधन इससे लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधारों को अधिक सटीकता से मापा गया और नए उभरते क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया।

लीड्स 2024

लीड्स 2024 लॉजिस्टिक्स में स्थिरता और इक्विटी पर अधिक जोर देता है, अतिरिक्त उद्देश्य संकेतक (जैसे, फ्रेट कॉरिडोर गति और टर्मिनल पहुंच) और मैप एपीआई-आधारित कॉरिडोर मैपिंग जैसी बेहतर पद्धतियों के साथ ग्रीन लॉजिस्टिक्स और महिलाओं की भागीदारी पर एक नया स्तंभ पेश करता है। यह लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने और विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (एलपीआई) जैसे वैश्विक बेंचमार्क के साथ आकलन को संरेखित करने के पहल के प्रयास को दर्शाता है। लीड्स 2024 में, मध्यप्रदेश ने उल्लेखनीय सुधार दिखाया है, सड़क और रेल अधोसंरचना की गुणवत्ता और कुशल मानव संसाधन और कार्गो सुरक्षा जैसे परिचालन मापदंडों में राष्ट्रीय और लैंडलॉक-राज्य औसत से ऊपर प्रदर्शन किया है (चित्र 6.12)। राज्य ने ग्रीन लॉजिस्टिक्स और महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में उत्साहजनक प्रदर्शन का भी प्रदर्शन किया है। आगे बढ़ने वाली प्रमुख प्राथमिकताओं में बुंदेलखंड, विंध्य और मालवा में कनेक्टिविटी को मजबूत करना, लॉजिस्टिक्स हब के पास मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार, वेयरहाउसिंग का विस्तार करना, ड्राइवर प्रशिक्षण को बढ़ाना और कार्गो निगरानी और वितरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना शामिल है। अपने केंद्रीय स्थान का लाभ उठाने और डिजिटल और हरित लॉजिस्टिक्स को बढ़ाने से मध्यप्रदेश को भारत में एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

		अचिवेर्स (90-100%)		फ़ास्ट मोवेर्स (80-90%)							अस्पिरेर्स (<80%)	
		हरियाणा	तेलंगाना	उत्तर प्रदेश	उत्तराखंड	बिहार	हिमाचल प्रदेश	मध्यप्रदेश	पंजाब	राजस्थान	छत्तीसगढ़	झारखंड
लॉजिस्टिक्स अधोसंरचना	रोड											
	रेल											
	लैंड लॉक स्टेट्स											
	माल-भण्डारण											
	पहला एवं लास्ट माइल कनेक्टिविटी											
लॉजिस्टिक्स सेवाएं	टर्मिनल											
	परिवहन											
	दाम											
	कुशल मानवसंसाधन											
	समय रेखा											
	ट्रैक एवं ट्रेस											
	कार्गो की सुरक्षा											
परिचालन और नियामक वातावरण	सरकारी सुविधा											
	प्रवेश में आसानी											
	शिकायत निवारण											
सस्टेनेबिलिटी एवं इक्विटी लॉजिस्टिक्स	ग्रीन लोजिस्टिक्स के लिए राज्य की प्रतिबद्धता											
	लोजिस्टिक्स क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी											

समूह औसत से ऊपर

समूह औसत से नीचे

स्त्रोत: लीड्स रिपोर्ट 2024

चित्र 6.12: लीड्स 2024 लैंडलॉकड क्लस्टर का प्रदर्शन



विजन एक्शन पॉइंट्स

Serial No.	Action Areas	2029 Short Term	2047 Long Term
2	Develop industrial zones & investment regions along expressways and national corridors. (eg. Delhi-Mumbai, Varanasi-Mumbai, Chambal Expressway; DMIC, DNIC, VMIC)		
7	Develop Export-Oriented SEZs through FDI promotion.		
8	Develop Gati Shakti Cargo terminals and Inland container depots (ICDs) in collaboration with the GOI. » 10 new cargo terminals and ICDs 2029 » Total 20 new cargo terminals and ICDs by 2047		
17	Set up an investment and business facilitation desk for fast-track resolution of grievances. (US, Japan, Dubai, UK etc.)		
21	Set up systems for digital tracking and follow-up of investment proposals post global summits, to drive them to on-ground final investments.		
73	Dedicated Agriculture Export zones in convergence with APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority).		
146	Develop a comprehensive State logistics plan (SLP) and City level plan (CLP) for cities with more than 10 Lakh population, in line with the National Logistics Policy. Plan to be reviewed and updated every 5 years.		
146.1	Build infrastructure for logistics and warehousing, which will facilitate time-bound resolution of logistics and warehousing issues through the Single Window/e-LogS portal.		
147	Implement integrated Logistics Data Bank systems to track containerised EXIM cargo on a real-time basis.		
148	Logistics and warehousing: Implement AI-driven solutions for predictive maintenance of warehouses, route optimisation and demand forecasting.		

Serial No.	Action Areas	2029 Short Term	2047 Long Term
156	Identify dedicated areas for aviation MRO (e.g., within 40 kms of Indore airport) with direct access to runways and taxiways to facilitate the easy movement, secure and climate-controlled spaces for storing equipment, spacious and well-equipped hangars capable of accommodating various aircraft sizes.		
158	Tie-ups with logistics companies specialising in aviation cargo. » Strong ties with OEMs for local manufacturing of specialised tools and testing equipment's and timely procurement		
159	Long-term MoUs with airlines for fleet-wide maintenance programs		
266	Constructing 8 new airports in the state within 2-hour reachability from all locations » 2 in 2029 » 6 in 2047		
267	Developing 3 MROs in the state » 1 in 2029 » 2 in 2047		
271	Formation of Rail Infrastructure Development Company in collaboration with Indian Railway		
272	Integrating cluster connectivity with railway plans: Connecting major clusters with high-speed regional railway network.		

स्रोत: Samriddh Madhya Pradesh @2047 document



संदर्भ सूची:

- नीति आयोग, भारत सरकार (2023). LEADS 2022. नई दिल्ली, नीति आयोग।
- उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार (अप्रैल 2024), प्रेस सूचना ब्यूरो से प्राप्त।
- मध्यप्रदेश शासन, आगर मालवा जिला निर्यात योजना (ODOP पर केंद्रित), mp.gov.in से प्राप्त।
- भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रकाशन, rbi.org.in से प्राप्त।
- भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी पुस्तिका (Handbook of Statistics on Indian States), rbi.org.in से प्राप्त।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार (फरवरी 2025), प्रेस विज्ञप्ति, commerce.gov.in से प्राप्त।
- नीति आयोग (2022), निर्यात तत्परता सूचकांक (Export Preparedness Index) 2020, 2021, 2022 एवं 2024, niti.gov.in से प्राप्त।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नवीनतम व्यापार आँकड़े (Latest Trade Figures)।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार (12 जनवरी 2026, अपराह्न 3:05 बजे), प्रेस सूचना ब्यूरो रिपोर्ट।
- द ट्रिब्यून (15 जनवरी 2025), अप्रैल-दिसंबर निर्यात रिपोर्ट, www.tribuneindia.com से प्राप्त।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार (जनवरी 2026), विदेश व्यापार सांख्यिकी पर मासिक बुलेटिन।
- विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), विदेश व्यापार सांख्यिकी बुलेटिन।
- संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) (2024), विश्व निवेश रिपोर्ट, <https://unctad.org> से प्राप्त।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, भारत के व्यापार आँकड़े (India's Trade Statistics)।
- ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, भारत का व्यापार पूर्वानुमान, <https://tradingeconomics.com> से प्राप्त।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, मर्चेन्डाइज़ व्यापार निगरानी डैशबोर्ड।
- रेल मंत्रालय, भारत सरकार, राज्यवार उपलब्धियाँ: रेल मंत्रालय, मध्यप्रदेश (2014-2024) पुस्तिका।
- रेल मंत्रालय, भारत सरकार, कैबिनेट द्वारा स्वीकृत परियोजनाएँ (अक्टूबर 2025)।
- रेल मंत्रालय, भारत सरकार, कैबिनेट द्वारा स्वीकृत परियोजनाएँ (मई 2025)।
- रेल मंत्रालय, भारत सरकार (जनवरी 2026), अमृत भारत एक्सप्रेस: किफायती लंबी दूरी रेल यात्रा का रूपांतरण।
- रेल मंत्रालय, भारत सरकार (दिसंबर 2025), भारतीय रेल का पूर्ण विद्युतीकरण।
- रेल मंत्रालय, भारत सरकार (फरवरी 2025), इंडिया नेट ज़ीरो।
- मध्यप्रदेश नागरिक उड्डयन नीति 2025, नागरिक उड्डयन विभाग, मध्यप्रदेश शासन।



नगरीय विकास

7.1 नगरीय विकास: एक परिचय

मध्यप्रदेश में तीव्र गति से बढ़ते नगरीकरण के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों के नियोजित, समावेशी एवं सतत विकास को राज्य की विकास रणनीति का महत्वपूर्ण स्तंभ बनाया गया है। राज्य में नगरीय जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के साथ आवास, जल प्रदाय, सीवरेज, स्वच्छता, परिवहन, आजीविका तथा डिजिटल सेवाओं की मांग में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नगरीय अधोसंरचना के सुदृढीकरण, नगरीय निकायों की संस्थागत क्षमता वृद्धि तथा नागरिक-केंद्रित सेवाओं के विस्तार पर विशेष बल दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 तक नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत बजटीय आवंटन में निरंतर वृद्धि की गई है, जिससे नगरीय निकायों को अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जा सके हैं। राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने, ऋण आधारित विकास मॉडल को प्रोत्साहित करने तथा राज्यांश के माध्यम से ऋण पुनर्भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित कर आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है।

केंद्र सरकार के सहयोग से नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट (NMSH) के अंतर्गत राज्य में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT 2.0), स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), स्मार्ट सिटी मिशन, तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U 1.0 एवं 2.0) जैसी प्रमुख योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। AMRUT 2.0 के अंतर्गत राज्य में कुल 1,134 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं, जिन पर ₹12,858.71 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित है, जिसमें केंद्रांश, राज्यांश एवं निकायांश सम्मिलित हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से जल प्रदाय, सीवरेज, जल स्रोत पुनर्जीवन एवं हरित क्षेत्र विकास जैसे कार्य किए जा रहे हैं।

राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के चतुर्थ चरण (वर्ष 2023-24 से 2025-26) अंतर्गत ₹1,700 करोड़ की लागत से 767 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं, जिनमें सड़क निर्माण, शहरी यातायात सुधार, नगरीय सौंदर्यीकरण, सामाजिक एवं खेल अधोसंरचना तथा उद्यान विकास जैसे कार्य सम्मिलित हैं। योजना के अंतर्गत 20 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान तथा 80 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका शत-प्रतिशत पुनर्भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

इसी क्रम में मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 2026-27 की अवधि हेतु कुल ₹1,600 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत विभिन्न नगरीय निकायों में ₹1,535.83 करोड़ के अधोसंरचनात्मक कार्य प्रगतिरत हैं।

नगरीय जल प्रदाय एवं सीवरेज सेवाओं के विस्तार हेतु मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक एवं केएफडब्ल्यू जैसे बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के सहयोग से कुल ₹7,393 करोड़ की लागत से 135 नगरीय निकायों में जल प्रदाय एवं 28 नगरीय निकायों में सीवरेज परियोजनाएँ क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

शहरी परिवहन के क्षेत्र में भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाएँ, जिनकी कुल लागत क्रमशः ₹6,941.40 करोड़ एवं ₹7,500.80 करोड़ है। प्राथमिक कॉरिडोर में इंदौर मेट्रो रेल का व्यवसायिक परिचालन 31 मई 2025 को किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली किया गया था। यह मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो सेवा है जो गांधीनगर स्टेशन और सुपर कॉरिडोर के बीच 6 किमी के 'सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर' पर आरंभ किया गया।

डिजिटल गवर्नेंस को सुदृढ़ करने हेतु ई-नगरपालिका 2.0, ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (ABPAS) तथा ALPASS जैसी परियोजनाओं को लागू किया गया है। ABPAS पोर्टल के माध्यम से अब तक 3.16 लाख से अधिक भवन अनुमति आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि ALPASS के अंतर्गत भूमि उपयोग एवं लेआउट अनुमतियों से ₹50 करोड़ से अधिक का राजस्व अर्जित किया गया है।

आवास क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 1.0 के अंतर्गत राज्य में 9.46 लाख आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें से 8.75 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। योजना अंतर्गत कुल ₹23,600 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। नवीन PMAY-U 2.0 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 10 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

स्वच्छता के क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में मध्यप्रदेश को 8 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। राज्य के 338 नगरीय निकाय ODF++, 24 निकाय Water+ प्रमाणित हो चुके हैं, जबकि इंदौर, भोपाल एवं जबलपुर को 7-स्टार कचरा मुक्त शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है। प्रदेश के 100 प्रतिशत नगरीय क्षेत्रों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था लागू है।

शहरी आजीविका एवं सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत लगभग 2.93 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण तथा 1.65 लाख से अधिक लाभार्थियों को रोजगार/स्वरोजगार से जोड़ा गया है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत अब तक 14.35 लाख ऋण प्रकरणों के माध्यम से ₹2,323.97 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है, जिसके फलस्वरूप वर्ष 2024 में मध्यप्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

समग्र रूप से, नगरीय विकास के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई योजनान्तर्गत, वित्तीय एवं संस्थागत पहलों के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्र अधोसंरचनात्मक विकास, सेवा प्रदाय, स्वच्छता, आवास एवं आजीविका के क्षेत्र में सतत प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं, जो राज्य के समावेशी आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

7.1.1 शहरी अधोसंरचना - “विजन 2047: कार्यबिंदु”

शहरी नियोजन

- » “पुनर्धनीकरण और पुनर्विकास पर केंद्रित, निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ समावेशी, हरित एवं आपदा-सहिष्णु योजना को बढ़ावा देने हेतु नई एकीकृत टाउनशिप नीति एवं टाउन प्लानिंग योजनाओं (TPS) का विकास।
- » आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए एकीकृत भूमि और भवन विकास नियम।
- » **आधुनिक शहरी नियोजन:** 15 मिनट की हाइपर-लोकल कम्युनिटी सभी आवश्यक सुविधाओं तक सुविधाजनक पहुँच सुनिश्चित करेगी।
- » **नए शहरी निकायों के लिए सहायता:** भवन निर्माण के लिए ₹1 करोड़ और 35 नए शहरी निकायों के लिए अधोसंरचना के लिए ₹80 लाख।



- » **GIS विकास:** AMRUT 2.0 के तहत 38 शहरों के लिए GIS आधारित योजनाएँ तैयार की जाएंगी।
- » शहरी समूहों के विकास के लिए क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को संस्थागत बनाया जाएगा।

ग्रोथ हब

- » चरण 1 के लिए प्राथमिकता वाले 3 शहरी समूहों का चरणबद्ध आर्थिक विकास।
- » इन G-हब के भीतर वाणिज्यिक अधोसंरचना परियोजनाओं और पारिस्थितिकी तंत्र का विकास।
- » G-हब पहल के लिए वित्तपोषण की उपलब्धता।
- » प्रत्येक G-हब के लिए पहलों की सूची से परियोजनाएँ आरंभ करने की नीति।
- » प्रमुख शहरों में पहुँच में वृद्धि और सामाजिक अधोसंरचना के आधुनिकीकरण का उन्नयन।

समावेशिता

- » विकसित ग्राम/ब्लॉक कार्यक्रम के लिए उपयुक्त प्रमुख गांवों की पहचान करना।
- » पुनर्विकास पहलों के एक सेट के साथ कार्यक्रम शुरू करना।
- » विकसित ग्राम/ब्लॉक कार्यक्रम के विकास की निगरानी के लिए एक टास्कफोर्स बनाना।
- » विकसित ग्राम कार्यक्रम के निजी फंड के लिए नीति।

जुड़ाव

- » सभी स्थानों से 2 घंटे की पहुंच के लिए मध्य प्रदेश में 7 नए हवाई अड्डों का निर्माण।
- » ₹20 हजार करोड़ की लागत से मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख MRO विकसित करना।
- » प्रमुख क्लस्टर के बीच पहुंच नियंत्रित राजमार्ग विकसित करना।
- » सभी जगहों से जुड़ाव के लिए राज्य राजमार्गों को सघन बनाना।
- » सभी राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क किनारे सुविधाएं विकसित करना।

वहनीयता एवं पर्यावरण

- » 2030 तक अक्षय ऊर्जा से 50% स्थापित क्षमता तक अपग्रेड करने के लिए अधोसंरचना का विकास।
- » RDSS के माध्यम से सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए 100% स्मार्ट मीटरिंग का विकास।
- » 100% फ्लाई ऐश उपयोग के लिए सुधार-सख्त शासन पर ध्यान केंद्रित करना, और औद्योगिक उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- » स्वच्छ भारत मिशन 2.0-अपशिष्ट और जल उपचार के लिए ₹4,913 करोड़ निर्धारित।
- » नए संयंत्रों की स्थापना और मौजूदा अपशिष्ट-से-ऊर्जा क्षमताओं का विस्तार लगभग ₹400 करोड़ के निवेश के साथ।
- » CM नगर वन योजना के तहत प्रत्येक ULB में ₹750 करोड़ के परिव्यय के साथ शहरी वन; और AMRUT 2.0 के तहत सभी शहरी इकाइयों में हरित खुले स्थान।
- » राज्य स्तर पर राज्य जलवायु डेटा लैब (SC-3); 16 नगरपालिका इकाइयों में वायु गुणवत्ता प्रकोष्ठ।

» विश्वसनीय और स्केलेबल EVचार्जिंग बुनियादी ढांचा: इलेक्ट्रिक बसों और 2W, 3W और 4W वाहनों हेतु अधोसंरचना के निर्माण के लिए ₹237.6 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय की आवश्यकता है।

7.1.2 सिंहस्थ 2028 अंतर्गत प्रमुख गतिविधियां

पृष्ठभूमि एवं आध्यात्मिक महत्ता:-

उज्जैन (अवंतिका), विश्व के प्राचीनतम एवं आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण नगरों में से एक है। यह नगर सदियों से भारतीय सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक चेतना का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए अटूट आस्था का आधार है। सिंहस्थ मेला, जो अमृत मंथन की पौराणिक अवधारणा से जुड़ा है, न केवल एक प्राचीन परंपरा है, बल्कि भारतीय संस्कृति की विविधता और सामाजिक समरसता का विश्वस्तरीय प्रतीक बन गया है। यह विश्व का सबसे विशाल मानव समागम है, जहाँ श्रद्धालु सनातन परंपराओं के साक्षी बनते हैं।

आगामी सिंहस्थ 2028:-

जन-भागीदारी एवं आवश्यकता आगामी सिंहस्थ, मार्च से मई 2028 तक आयोजित होगा, जिसमें 3 अमृत स्नान और 7 पर्व स्नान संपन्न होंगे। अनुमानतः इसमें लगभग 30 करोड़ श्रद्धालुओं की उपस्थिति संभावित है। श्रद्धालुओं की इस अभूतपूर्व संख्या को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय अधोसंरचना, परिवहन, सार्वजनिक सेवाओं, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं स्वच्छता के व्यापक और दीर्घकालिक विस्तार की महती आवश्यकता है।

पूर्व अनुभव एवं विकासात्मक आधार:-

सिंहस्थ 2016 के दौरान क्रियान्वित 120 से अधिक विकास परियोजनाओं, जिनमें घाटों का विकास, सड़क नेटवर्क का विस्तार और फ्लाईओवरों का निर्माण शामिल था, ने नगर के समग्र विकास को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी अनुभव को संबल बनाते हुए, सिंहस्थ 2028 के लिए अधोसंरचना विकास को अधिक व्यापक, दीर्घकालिक एवं सतत दृष्टिकोण के साथ नियोजित किया गया है।

वित्तीय संरचना एवं विभागीय समन्वय:-

सिंहस्थ 2028 के सुचारू आयोजन हेतु मंत्री-मंडलीय समिति द्वारा 10 विभागों की 128 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनकी कुल अनुमानित लागत ₹13,752.17 करोड़ से अधिक है।

सिंहस्थ निधि: ₹5,313.14 करोड़।

विभागीय निधि: ₹7,967.96 करोड़।

PPP मोड एवं अन्य स्रोत: ₹471.07 करोड़।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग को इस आयोजन हेतु नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के ₹2,760.11 करोड़ की लागत के 42 कार्य स्वीकृत हैं। जिनमें से 33 कार्य वर्तमान में प्रगतिरत हैं।

स्वीकृत कार्यों की ऑनलाईन मॉनीटरिंग हेतु 'Project Monitoring Information System' (PMIS) तैयार किया गया है। जिसके माध्यम से परियोजनाओं की मॉनीटरिंग की जा रही है।



तालिका 7.1 : प्रमुख विभागीय परियोजनाओं का विवरण (03.02.2026 तक की स्थिति)

राशि रुपये करोड़ में

क्र.	विभाग	संख्या	लागत	मद			अद्यतन स्थिति (03.02.2026 तक की स्थिति)		
				सिंहस्थ	विभागीय	पीपीपी मोड/ अन्य	प्रशासकीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन	निविदा प्रक्रियाधीन	कार्य प्रारंभ
1	जल संसाधन विभाग	5	2391.87	778.91	1612.96	-	-	-	5
2	ऊर्जा विभाग	6	329.57	62.77	266.8	-	-	-	6
3	लोक निर्माण विभाग	14	6674.42	604.42	6069	1	1	6	7
4	पर्यटन विभाग	13	458.29	247.02	19.2	192.07	5	1	7
5	संस्कृति विभाग	5	308.76	308.76	-	-	1	1	3
6	गृह विभाग	37	750.09	750.09	-	-	-	2	35
7	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	42	2760.11	2482.11	-	278	5	4	33
8	लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	3	35.8	35.8	-	-	-	-	3
9	आयुष विभाग	2	27.31	27.31	-	-	-	-	2
10	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	1	15.95	15.95	-	-	-	-	1
योग		128	13752.17	5313.14	7967.96	471.07	12	14	102

सिंहस्थ 2028 : दूरगामी अधोसंरचनात्मक सुदृढीकरण एवं समग्र नगरीय विकास का प्रारूप

सिंहस्थ 2028 के सफल आयोजन हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा उज्जैन तथा उसके आस-पास के क्षेत्र में बहुआयामी अधोसंरचनात्मक विकास कार्यों को व्यापक गति प्रदान की जा रही है। इन प्रयासों का उद्देश्य न केवल आयोजन अवधि में करोड़ों श्रद्धालुओं को उच्चस्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध कराना है, बल्कि उज्जैन क्षेत्र के दीर्घकालिक, सतत एवं समावेशी विकास को सुनिश्चित करना भी है।

सड़क एवं नगरीय अधोसंरचना का विस्तार

सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के अंतर्गत नवीन सड़कों के निर्माण एवं चौड़ीकरण का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे आवागमन की सुगमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके साथ ही पुलों, घाटों तथा शहरी मार्गों के उन्नयन कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं। जलापूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु नवीन पेयजल परियोजनाएँ, सीवरज नेटवर्क का विस्तार, तथा जल गुणवत्ता सुधार हेतु आवश्यक तकनीकी हस्तक्षेपों को भी प्राथमिकता दी गई है।

पर्यावरणीय एवं नदी आधारित परियोजनाएँ

पर्यावरणीय संरक्षण एवं जल संसाधन प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए कान्ह नदी डायवर्जन परियोजना तथा नदी तट आधारित अवसंरचना विकास कार्यों को चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शासन का उद्देश्य इस आयोजन को "जीरो वेस्ट इवेंट" बनाकर पर्यावरण सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाना है। संकल्प के अनुरूप अपशिष्ट प्रबंधन, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन, तथा स्वच्छता संचालन हेतु समेकित व्यवस्थाएँ स्थापित की जा रही हैं, जो आयोजन को पर्यावरण-सम्मत एवं टिकाऊ बनाने में सहायक होंगी।

सांस्कृतिक एवं विरासत संरक्षण

राज्य सरकार द्वारा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न मंदिरों के जीर्णोद्धार तथा ऐतिहासिक परिसरों के विकास को प्राथमिकता दी गई है। इसी क्रम में कोठी महल संरक्षण कार्य और वीर भारत संग्रहालय का निर्माण उज्जैन की सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करेगा। साथ ही वीर दुर्गादास छत्री का विकास एवं अनुरक्षण क्षेत्रीय इतिहास से जनसमुदाय के जुड़ाव को प्रोत्साहित करेगा।

स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सार्वजनिक सेवाएँ

श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, सुरक्षा प्रबंधन तथा आपदा-नियंत्रण प्रणालियों को सुदृढ़ किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, सुरक्षा निगरानी एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता बढ़ाई जाएगी।

परिवहन कनेक्टिविटी एवं उज्जैन हवाई अड्डे का चरणबद्ध विस्तार

उज्जैन नगर सीमा के बाहर भी अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएँ प्रस्तावित हैं, जिनमें— विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों का उन्नयन, बहु-स्तरीय पार्किंग सुविधाओं का विकास, तथा शहरों के मध्य विशेष रेल सेवाएँ और अंतर-शहरी परिवहन प्रणाली की मजबूती शामिल है। इसके अलावा, इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड संपर्क मार्ग क्षेत्रीय संपर्कता को सुदृढ़ करेगा तथा औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा। शहर में हेलिपैड सुविधाओं का विकास भी त्वरित आवागमन एवं आपातकालीन सेवाओं की दक्षता बढ़ाएगा।

शहर-स्तरीय माइक्रो इंफ्रास्ट्रक्चर एवं आयोजन प्रबंधन

माइक्रो स्तर पर—

- टेंट सिटी,
- दिशात्मक संकेतक,
- भीड़ प्रबंधन प्रणाली,
- चिकित्सा एवं राहत संसाधन,
- स्वच्छता एवं कचरा निस्तारण तंत्र

जैसी सुविधाओं को सुव्यवस्थित रूप से विकसित किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम एवं संतोषजनक अनुभव सुनिश्चित हो सके।

दीर्घकालिक विकास दृष्टि:-

सिंहस्थ 2028 को केवल एक धार्मिक आयोजन न मानते हुए, इसे उज्जैन एवं उसके प्रभाव क्षेत्र के लिए



दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि, पर्यटन संवर्धन एवं रोजगार सृजन का अवसर माना गया है। इन अधोसंरचनात्मक एवं संस्थागत पहलों से आगामी वर्षों में—

- जीवन गुणवत्ता में सुधार,
- निवेश अनुकूल वातावरण,
- सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटन में वृद्धि,
- तथा सतत शहरी विकास के लिए मजबूत आधार तैयार होगा।

7.2 नगरीय विकास के लिए योजनाएं:

मध्यप्रदेश सरकार ने नगरीय अधोसंरचनाओं और सेवाओं में सुधार के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। नगरीय क्षेत्र में बजट आवंटन बढ़ाया गया है और अभिनव नीतियों के माध्यम से प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया गया है। नगरीय निकायों को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सक्षम किया गया है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में नेशनल मिशन ऑफ संस्टेनेबल हैबिटेट (NMSH) के तहत विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है, जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, और स्मार्ट सिटीज मिशन। शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना सक्रिय हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार बुनियादी ढांचे के विकास, शहरी आजीविका, और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अपनी योजनाओं पर कार्य कर रही है।

7.2.1 मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना चरण (1,2,3 और 4)

नगरीय विकास और आवास विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, राज्य सरकार ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2012 में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत, शहरी क्षेत्र में सड़कों का विकास, शहरी परिवहन, सौंदर्यीकरण, सामाजिक बुनियादी ढांचे, पार्क और विरासत संरक्षण किया गया है (न वि आ वि, म प्रशा, 2022)।

चरण 1

योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत लागत रु. 1428.00 करोड़ है, जिसमें से 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया गया है और शेष 70 प्रतिशत राशि नगरीय निकायों द्वारा हुडको से ऋण लेकर पूरी की गई है। इस ऋण का 75 प्रतिशत राशि 15 वर्ष में ब्याज राशि सहित तथा शेष 25 प्रतिशत राशि का भुगतान नगरीय निकायों द्वारा 15 वर्ष में ब्याज राशि सहित करने का प्रावधान किया गया है। योजनांतर्गत सभी परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं।

चरण 2

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के द्वितीय चरण में वर्ष 2016 में रु. 1500.00 करोड़ स्वीकृत किये गये थे। योजना में स्वीकृत राशि का 20 प्रतिशत अंश राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में तथा 80 प्रतिशत राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मध्यप्रदेश अर्बन डवलपमेंट कंपनी के माध्यम से नगरीय निकायों को ऋण के रूप में प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

योजना के दूसरे चरण के तहत 382 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें इस योजना के तहत 13 शहरों में मिनी स्मार्ट सिटी विकसित की जा रही हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 382 परियोजनाओं में से 314 परियोजनाओं में कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष परियोजनाओं में कार्य प्रगति पर है।

चरण 3

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के तीसरे चरण में वर्ष 2020 में ₹. 536.00 करोड़ स्वीकृत किए गए। राज्य शासन द्वारा योजना में स्वीकृत राशि का 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में और 80 प्रतिशत राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मध्यप्रदेश अर्बन डवलपमेंट कंपनी के माध्यम से नगरीय निकायों को ऋण के रूप में प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

योजना के तृतीय चरण में ₹. 530.00 करोड़ की 436 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसमें 235 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और शेष परियोजनाओं में कार्य प्रगतिरत है।

चरण 4

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना चतुर्थ चरण अंतर्गत 02 वर्षों के लिये वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 हेतु ₹. 1700.00 करोड़ स्वीकृत की गई थी। तदुपरांत म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश दिनांक 08.08.2025 से योजना की अवधि 02 वर्ष से बढ़ाकर 03 वर्ष (वर्ष 2023-24 से 2025-26) की गई है। योजनांतर्गत 767 परियोजनाओं हेतु ₹. 1691.28 करोड़ की स्वीकृति दी गई। वर्तमान तक 105 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और शेष परियोजनाओं में कार्य प्रगतिरत है।

राज्य शासन द्वारा योजना में स्वीकृत राशि का 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में और 80 प्रतिशत राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मध्यप्रदेश अर्बन डवलपमेंट कंपनी के माध्यम से नगरीय निकायों को ऋण के रूप में प्रदान किये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत ऋण का शत-प्रतिशत पुनर्भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जायेगा। योजना के तहत नगरीय निकायों में निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे :-

सड़क निर्माण तथा अनुषांगिक कार्य।

- शहरी यातायात सुधार।
- नगरीय सौन्दर्यीकरण।
- सामाजिक एवं खेल अधोसंरचनाएं।
- उद्यान विकास सम्बन्धी कार्य।
- कार्यालय भवन निर्माण/ उन्नयन के कार्य।

योजना में निकायों की पात्रता निम्नानुसार है :-



तालिका 7.2 योजना में निकायों की पात्रता

(राशि रू. करोड़ में)

स.क्र.	निकाय	संख्या	प्रति निकाय	कुल राशि	राज्य शासन अनुदान (20%)	वित्तीय संस्थाओं से ऋण (80%)
1	नगर पालिक निगम (16)					
	भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर	4	25.00	100.00	20.00	80.00
	उज्जैन	1	15.00	15.00	3.00	12.00
	शेष 11 नगर पालिक निगम	11	8.00	88.00	17.60	70.40
2	नगर पालिका परिषद (99)					
	नगर पालिका परिषद (1.00 लाख से अधिक आबादी)	17	6.00	102.00	20.40	81.60
	नगर पालिका परिषद (1.00 लाख तक आबादी)	82	5.00	410.00	82.00	328.00
3	नगर परिषद् (98)					
	नगर परिषद (25000 से अधिक आबादी)	21	3.00	63.00	12.60	50.40
	नगर परिषद (25000 से कम आबादी)	277	1.50	415.50	83.10	332.40
	कुल योग (A)	413	63.50	1193.50	238.70	954.80
4	राज्य शासन/मान. मुख्यमंत्री जी की घोषणायें (शत-प्रतिशत राज्यांश)	-	-	498.00	498.00 (राज्य शासन अनुदान-100%)	0.00 (ऋण-0%)
5	प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण कार्य (प्रशासकीय व्यय, शत-प्रतिशत राज्यांश)	-	-	8.50	8.50	0.00
	कुल योग (B)			506.50	506.50	0.00
महायोग (A+B)				1700.00	745.20	954.80

7.2.2 मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना

मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना वर्ष 2022-23 में 03 वर्षों के लिये लागत रू. 1100.00 करोड़ की स्वीकृत की गई थी। म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश दिनांक 12.12.2025 से योजना का विस्तार करते हुये लागत रू.1100.00 करोड़ से बढ़ाकर रू.1600.00 करोड़ एवं योजना की अवधि 03 वर्ष से बढ़ाकर 05 वर्ष (वर्ष 2022-23 से 2026-27) की गई है। योजनांतर्गत राज्य शासन द्वारा चिन्हित अधोसंरचना विकास के विभिन्न कार्य स्वीकृत किये जाते है। योजनांतर्गत विभिन्न नगरीय निकायों के लिये कुल राशि रू. 1535.83 करोड़ के कार्य स्वीकृत किये जाकर प्रगतिरत हैं।

7.2.3 मध्यप्रदेश नगरीय विकास कंपनी (MPUDC) के द्वारा नगरीय अधोसंरचना उन्नयन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी द्वारा राज्य के विभिन्न निकायों में जल प्रदाय और सीवरेज परियोजनाएँ संचालित की जा रही हैं। परियोजना नगरों में जल आपूर्ति में सुधार और नदियों के आसपास के शहरों में मलजल निस्तारण की स्थापना करके नदियों पर शहरों के दुष्प्राभाव को कम करने से संबंधित है।

मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से राशि ₹. 5449 करोड़ रुपये की लागत से 131 जल प्रदाय एवं 9 मलजल परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ₹.1148.16 करोड़ रुपये की लागत से 3 जल प्रदाय एवं 7 सीवरेज परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, इसी तरह जर्मन बैंक के एफडब्ल्यू के द्वारा पोषित राशि ₹. 593.18 करोड़ रुपये के व्यय से 5 सीवरेज परियोजनाएँ प्रगतिरत हैं। राज्य शासन की विशेष निधि के माध्यम से 7 निकायों के लिए ₹. 200.6 करोड़ रुपये की सीवरेज परियोजनाएँ प्रचलित हैं।

इस तरह बाह्य वित्त पोषित एवं विशेष निधि परियोजनाओं के अंतर्गत ₹. 7393 करोड़ रुपये की लागत से 135 निकायों में जल प्रदाय एवं 28 निकायों में सीवरेज परियोजनाएँ निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

33 जल प्रदाय परियोजनाएँ एवं 3 सीवरेज परियोजनाएँ पूर्ण कर ट्रायल रन प्रारंभ कर दिया गया है।

7.2.4 मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

- राज्य में मेट्रो रेल परियोजनाओं को लागू करने के लिए मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MPMRCL) का गठन किया गया है। MPMRCL केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 50:50 का संयुक्त उपक्रम है। 19 अगस्त 2019 को राज्य सरकार ने भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल के लिए केन्द्र सरकार एवं MPMRCL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- भोपाल तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के स्वीकृति पत्रों दिनांक 30.11.2018 में प्रदर्शित परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था के अनुसार भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की लागत ₹ 6941.40 करोड़ एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की लागत ₹ 7500.80 करोड़ है।
- वर्ष 2025-2026 में इंदौर और भोपाल मेट्रो परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।
- भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के प्रायोरिटी कॉरिडोर (सुभाष नगर से एम्स - लगभग लंबाई 7 किमी 8 स्टेशनों सहित) की कमीशनिंग 20.12.2025 को की गई। इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर (गांधीनगर स्टेशन से एससी -03 स्टेशन - लगभग लंबाई 6.3 और 5 स्टेशनों सहित) की कमीशनिंग दिनांक 31.05.2025 को की गई। इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के प्रायोरिटी कॉरिडोर एससी - 03 स्टेशन से मालवीय नगर - लगभग लंबाई 11 किमी, 11 स्टेशनों सहित) तक की सीएमआरएस के निरीक्षण एवं कमीशनिंग का लक्ष्य मार्च 2026 में निर्धारित है।
- भोपाल मेट्रो परियोजना के फेज-1 की कमीशनिंग का वर्ष लक्ष्य वर्ष 2028-29 है एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के फेज-1 की कमीशनिंग लक्ष्य वर्ष 2030-31 है।



- प्रस्तावित उज्जैन-इंदौर-पीथमपुर कॉरिडोर के प्रथम चरण में श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन /नानाखेड़ा बस स्टैंड से लवकुश चौराहा /सुपर कॉरिडोर इंदौर तक की डीपीआर ड्राफ्ट डीएमआरसी द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है। ड्राफ्ट डीपीआर प्रस्तुत कर दी गई है। इस कोरिडोर के द्वितीय चरण में इंदौर से पीथमपुर तक की डीपीआर बनाने का कार्य डीएमआरसी को सितम्बर 2025 में प्रदान किया गया है। डीपीआर बनाने का कार्य प्रगति पर है।

मध्य प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण जिलों के लिए प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर के संबंध में कॉम्प्रेहेन्सिव मोबिलिटी प्लान (CMP) और अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट (AAR) प्रस्तुत हो चुके हैं एवं हितधारकों के अनुमोदन की स्थिति विभिन्न स्तर पर है:

- भोपाल - CMP एवं AAR प्रस्तुत MRTS कॉरिडोर प्रस्तावित हितधारकों द्वारा समीक्षाधीन।
- इंदौर - CMP एवं AAR प्रस्तुत एवं हितधारकों द्वारा अनुमोदित MRTS कॉरिडोर प्रस्तावित।
- ग्वालियर - CMP एवं AAR प्रस्तुत एवं हितधारकों द्वारा अनुमोदित Metro Lite कॉरिडोर प्रस्तावित।
- उज्जैन एवं जबलपुर - CMP एवं AAR प्रस्तुत, एलिवेटेड BRTS सिस्टम प्रस्तावित, हितधारकों द्वारा समीक्षाधीन।
- शासन द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत CMP अनुसार आगे की कार्य योजना का निर्धारण किया जायेगा।
- वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में वित्तीय आय/व्यय की जानकारी परिशिष्ट -1 के रूप में उपलब्ध है।

वित्तीय आय-व्यय की जानकारी

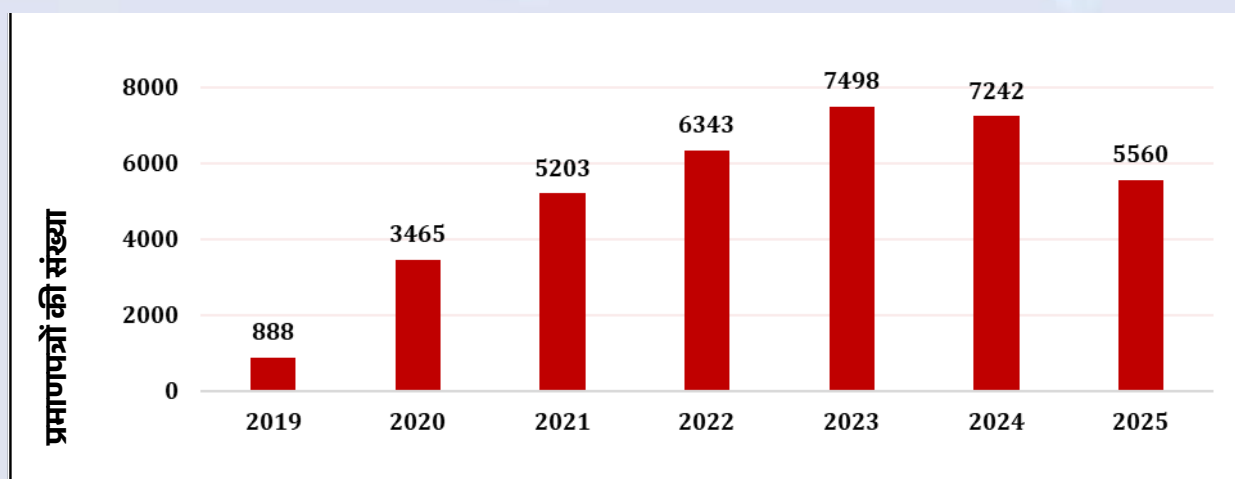
प्राप्त राशि का ब्यौरा	वित्तीय वर्ष 2022-23 तक						वित्तीय वर्ष 2023-24 में (31.01.2026 तक)			वित्तीय वर्ष 2024-25 में			वित्तीय वर्ष 2025-26 में			कुल राशि		
	वित्तीय वर्ष 2022-23 तक			वित्तीय वर्ष 2023-24 में (31.01.2026 तक)			वित्तीय वर्ष 2024-25 में			वित्तीय वर्ष 2025-26 में			कुल राशि			(राशि करोड़ रुपए में)		
	BH	IN	Total	BH	IN	Total	BH	IN	Total	BH	IN	Total	BH	IN	Total			
Go MP	682.99	682.99	1365.98	476.39	683.61	1160.00	592.69	534.49	1127.18	465.07	384.75	849.82	2,217.14	2,285.84	4,502.98			
Gol	435.62	609.79	1045.41	253.00	339.61	592.61	215.81	90.00	305.81	188.34	155.23	343.57	1,092.77	1,194.63	2,287.40			
PTA	455.22	-	455.22	360.00	766.13	1126.13	-	200.00	200.00	450.00	400.00	850	1,265.22	1,366.13	2,631.35			
total funds recd.	1,573.83	1,292.78	2,866.61	1,089.39	1,789.35	2,878.74	808.50	824.49	1,632.99	1,103.41	939.98	2,043.39	4,575.13	4,846.60	9,421.73			
Total exp	1,061.42	1,188.13	2,249.55	933.09	1,543.56	2,476.65	904.93	898.44	1,803.37	1,049.72	906.70	1,956.42	3,949.16	4,536.83	8,485.99			



7.2.5 ऑटोमेटेड लेआउट प्रोसेस अप्रूवल एंड स्कूटनी सिस्टम (ALPASS)

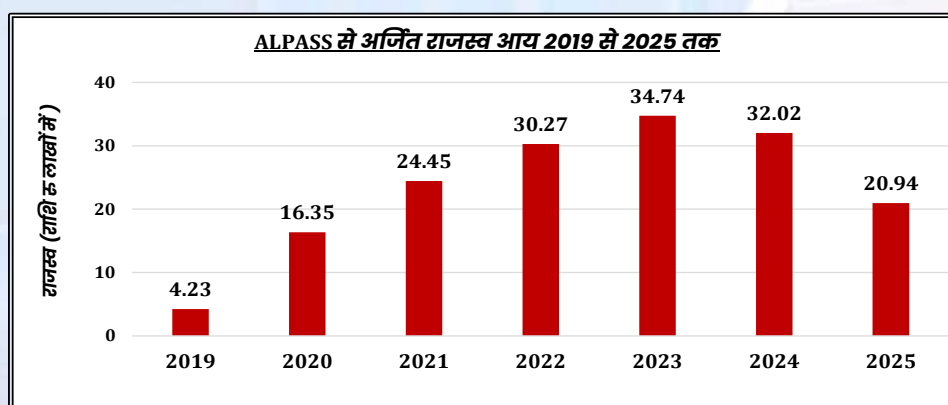
ऑटोमेटेड लेआउट प्रोसेस अप्रूवल एंड स्कूटनी सिस्टम (ALPASS) एक परियोजना है जो नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय के तहत है, जिसका उद्देश्य जिलों के अधिकारियों के लिए लेआउट/प्लानिंग अनुमति और भूमि उपयोग सूचना के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करना है। इसका उपयोग सरकार के निर्धारित आधिकारिक चैनल के माध्यम से किया जा रहा है ताकि डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित भूमि उपयोग प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, लेआउट/प्लानिंग अनुमति ऑनलाइन तत्परता से जारी की जा सके। लेआउट, राज्य के विकास मार्गदर्शिकाओं के अनुसार, अर्थात भूमि विकास नियमों और संबंधित शहर की विकास योजनाओं के अनुरूप तैयार किए जाते हैं।

इस प्रणाली के माध्यम से अक्टूबर 2019 से नवम्बर 2025 तक लगभग 36199 भूमि उपयोग प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिससे लगभग ₹. 1.63 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई है। साथ ही, इस प्रणाली के माध्यम से फरवरी 2022 से नवम्बर 2025 तक लगभग 10710 लेआउट/प्लानिंग अनुमति हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिससे लगभग ₹. 48.86 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई है।



स्रोत— (नगरीय विकास एवं आवास विभाग, 2025)

चित्र : 7.1: ALPASS में अनुमोदित प्रमाण पत्र



स्रोत— (नगरीय विकास एवं आवास विभाग, 2025)

चित्र : 7.2 : ALPASS से अर्जित राजस्व आय 2019 से 2025 तक

7.2.6 ABPAS (ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम): -

ABPAS का उद्देश्य नगरीय निकायों द्वारा भवन अनुज्ञा सेवा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना है ताकि शहरों को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनाया जा सके। भवन योजना अनुमतियों के त्वरित प्रसंस्करण और निपटान, ड्राइंग जांच के स्वचालन, भवन शुल्क और अन्य शुल्कों के मानकीकरण और फिर फाइल प्रोसेसिंग की प्रभावी निगरानी की सुविधा के लिए इसकी परिकल्पना की गई थी। इस पहल से पहले, अधिकांश भवन अनुज्ञा आवेदन और ड्राइंग कागजी प्रारूप में मैन्युअल रूप से प्रस्तुत किया जाता था। मध्यप्रदेश में 17 नवम्बर 2025 तक इस पोर्टल के माध्यम से अनुमोदन के लिए लगभग 3,16,953 आवेदन प्राप्त हुए हैं। साथ ही भवनों के प्रशमन (कम्पाउंडिंग) किये जाने की सुविधा भी नागरिकों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही प्रदान की जा रही है।

इसके अतिरिक्त नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदित तथा कॉलोनी विकास अनुमति प्राप्त कॉलोनियों में डीम्ड/ त्वरित स्वीकृति प्रक्रिया के माध्यम से भी हितग्राहियों को सुविधा प्रदान की जा रही है

7.2.7 ई-नगरपालिका

नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को केन्द्रीकृत वेब आधारित “ई-नगर पालिका परियोजना” प्रारंभ की गयी है। यह परियोजना डिजिटल इंडिया के उद्देश्य को बढ़ावा देने तथा पारदर्शी एवं त्वरित नागरिक सेवा प्रदाय किये जाने हेतु लागू ई-गवर्नेंस क्रियान्वयन का उत्कृष्ट उदाहरण है। ई-नगर पालिका द्वारा नगरीय निकायों द्वारा प्रदत्त नागरिक सेवाओं, जन-शिकायत सुविधा, निकायों की आंतरिक कार्य प्रणाली, भुगतान एवं बजट प्रक्रिया को एकीकृत कर, ऑनलाइन सुविधा प्रदाय की जा रही है। मध्यप्रदेश समस्त नगरीय निकायों द्वारा प्रदाय की जा रही सेवाओं को Single Portal पर लाने वाले अग्रणी राज्यों में से है। ई-नगर पालिका 2.0 का विभिन्न विभागों जैसे उद्योग, राजस्व, पंजीयन विभाग आदि एवं भारत सरकार के महत्वपूर्ण मोबाइल एप्प जैसे- उमंग भी एकीकृत किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य के समस्त नगरीय निकायों में नागरिक सेवाओं को प्रदाय करने हेतु एकीकृत ई.आर.पी. प्लेटफॉर्म आधारित ई-नगरपालिका 1.0 वर्ष 2017 में लागू की गयी।

वर्तमान में विभाग द्वारा ई-नगरपालिका 1.0 पर दी जा रही समस्त नागरिक सेवाओं और विभागीय कार्यों को और बेहतर, सरल, सुगम तथा परियोजना का संचालन नई तकनीक एवं उपकरणों के अनुसार कराये जाने के उद्देश्य से उक्त परियोजना के द्वितीय चरण ई-नगरपालिका 2.0 का क्रियान्वयन प्रदेश की नगरीय निकायों में 01 अप्रैल 2025 से आरंभ कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 16 मॉड्यूल्स तथा 24 नागरिक सेवाएं सम्मिलित होंगी। नवीन बेव तकनीक एवं क्लाउड आधारित सेवाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ई-नगरपालिका 2.0 में जीआईएस आधारित तकनीकी के फीचर्स साथ का भी उपयोग किया जा रहा है एवं कॉमन सर्विस सेंटर मल्टीपल भुगतान गेटवे के साथ ई-नगरपालिका 2.0 का एकीकरण किया जा रहा है।

7.2.8 प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) - (1.0) एवं (2.0)

PMAY-U 1.0

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के क्रियान्वयन की सम्पूर्ण अवधि में मध्यप्रदेश अग्रणी स्थान पर निरंतर बना रहा है। योजना के प्रारंभ से सभी घटक अंतर्गत 9.46 लाख आवास स्वीकृत है, जिसमें से 8.75 लाख हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो चुके हैं। स्वीकृत आवासों के निर्माण हेतु केन्द्रांश तथा राज्यांश की अनुदान के रूप में राशि रु. 19700 करोड़ एवं बी.एल.सी.एस. घटक हेतु ब्याज अनुदान के रूप में राशि रु. 3900 करोड़, इस प्रकार कुल राशि रु. 23600 करोड़ स्वीकृत है। स्वीकृत अनुदान राशि में से राशि रु. 23200 करोड़ विमुक्त की जा चुकी है।



प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी अंतर्गत सबका समावेश एवं न्यूनतम दर पर आवास उपलब्ध करने के लिए कई नवाचार किये गये हैं, विवरण जिनका निम्नानुसार है:-

- **भूमिहीन परिवारों को भूमि का पट्टा:** भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि का पट्टा उपलब्ध कराया गया है, जिससे भूमिहीन गरीब रहवासियों को भी बीएलसी घटक का लाभ प्राप्त हो सका है।
- **हितग्राही अंश की पूर्ति के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध की सुविधा:** ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के हितग्राही विभिन्न कारण से ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करते थे, इस हेतु त्रिपक्षीय अनुबंध के माध्यम से नगरीय निकायों की जिम्मेदारी पर सुगमता पूर्वक ऋण हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जा रहा है।
- **भू-स्वामी हक पर निःशुल्क भूमि:** ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के हितग्राहियों का अंश न्यूनतम रखने के उद्देश्य से, राज्य द्वारा शासकीय भूमि नगरीय निकायों को निःशुल्क प्रदान की गई है। भूमि का आवंटन भू-स्वामी अधिकार पर होने से नगरीय निकायों द्वारा हितग्राहियों को भी आवास का आवंटन पट्टे की जगह भू-स्वामी अधिकार पर दिया गया है।
- **क्रॉस सब्सिडी मॉडल:** ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के हितग्राहियों के साथ एलआईजी/एमआईजी/व्यावसायिक इकाईयों का भी निर्माण किया गया है, जिनके विक्रय से होने वाली आय से ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के हितग्राहियों के अंश कम किया गया है, अर्थात् क्रॉस सब्सिडाइज किया गया है।
- **निर्माण श्रमिकों को रु. 1 लाख तक अतिरिक्त अनुदान:** ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के निर्माण श्रमिक जो हितग्राही-अंश की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होते हैं, उन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को हितग्राही-अंश की पूर्ति हेतु राशि रु. 1 लाख तक अतिरिक्त अनुदान मुख्यमंत्री भवन एवं संनिर्माण कर्मकार आवास योजना के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है।
- **अन्य योजनाओं के साथ प्रभावी अभिसरण:** नगरीय निकायों को अधोसंरचना विकास अन्य योजनाओं के अभिसरण से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। अन्य योजनाओं के अभिसरण से अधोसंरचना विकास के कार्य हितग्राहियों पर बिना वित्तीय भार डालकर क्रियान्वित किये गये, जिसके लिए प्रदेश को अन्य योजनाओं से अभिसरण के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।

राज्य द्वारा गरीबों को आवास प्रदाय किये जाने हेतु अपनाए गए नवाचारों तथा प्रभावी रणनीतियों के फलस्वरूप प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर के कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, विवरण निम्नानुसार है:-

- प्रदेश में योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप, मध्यप्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का द्वितीय पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी के कर-कमलों द्वारा दिनांक 19/10/2022 को राजकोट में प्रदान किया गया है। विशिष्ट/निकाय की श्रेणी में निम्नानुसार 6 अन्य पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।
- देवास को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगर निगम का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- गोहद को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगर पालिका का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- जोबट को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगर परिषद का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- अन्य योजनाओं से अभिसरण के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत आईसीसी (प्रचार-प्रसार) गतिविधियों का संचालन करने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ (SLTC)।

- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का उत्कृष्ट क्रियान्वयन करने के लिए माननीय राज्य मंत्री, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 08/07/2022 को मध्यप्रदेश को देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का “PMAY Empowering India Award” प्रदान किया गया है।
- दिनांक 24/06/2022 को भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा खुशियों का आशियाना प्रतियोगिता में चार (4) हितग्राहियों को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

PMAY-U 2.0

- भारत सरकार द्वारा 17 सितंबर, 2024 को योजना का शुभारंभ किया गया है। प्रदेश में मंत्रिपरिषद द्वारा 4 फरवरी, 2025 को योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। योजनांतर्गत प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के पात्र हितग्राही परिवारों को योजना के निम्न चार घटकों के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए 5 वर्षों की योजना अवधि में 10 लाख आवासों का निर्माण किया जाना लक्षित है।
- Beneficiary Led Construction (बी.एल.सी.) घटक अंतर्गत ईडब्ल्यूएस वर्ग के पात्र हितग्राही को अपनी स्वयं की भूमि पर स्वयं आवास का निर्माण करने हेतु अनुदान प्रदान करना प्रावधानित है।
- Affordable Housing in Partnership (ए.एच.पी.) घटक अंतर्गत ईडब्ल्यूएस वर्ग के पात्र हितग्राहियों को नगरीय निकायों, राज्य की अन्य निर्माण एजेंसियों तथा निजी बिल्डर/डेवलपर के द्वारा आवासों का निर्माण कर प्रदान करना प्रावधानित है। इस घटक अंतर्गत निजी डेवलपर द्वारा क्रियान्वित Whitelisted / Open Market परियोजनाओं में हितग्राहियों द्वारा आवास क्रय करने हेतु Redeemable Housing Voucher (RHV) प्रदान किए जाने का प्रावधान भी किया गया है।
- Affordable Rental Housing (ए.आर.एच.) घटक अंतर्गत कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, शहरी प्रवासियों, बेघर, निराश्रितों, छात्रों एवं अन्य पात्र हितग्राहियों के लिए किराये के आवास बनाकर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
- Interest Subsidy Scheme (आई.एस.एस.) घटक अंतर्गत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी एवं एमआईजी वर्ग के पात्र परिवारों को आवास ऋण पर ब्याज अनुदान बैंक/एचएफसी के माध्यम से प्रदान करना प्रावधानित है।
- नवीन आवासों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए त्वरित कार्यवाही की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी 14 अक्टूबर, 2025 को अब तक स्वीकृत 50 हजार से अधिक आवासों की सौगात दी गई है।

7.2.9 अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0

अमृत 2.0: अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) योजना, 01 अक्टूबर, 2021 को 05 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिए शुरू की गई है। अमृत 2.0 तहत मध्यप्रदेश को पूरे मिशन अवधि के लिए धनराशि आवंटित की गई हैं। अमृत 2.0 परियोजनाओं के लिए रु. 66,750 करोड़ का केंद्रीय आवंटन के समान फॉर्मूले का उपयोग करते हुए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच वितरित किया गया है, जिसमें शहरी जनसंख्या (जनगणना 2011) और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का क्षेत्रफल 90:10 के अनुपात में महत्व दिया गया है। तदनुसार, मध्यप्रदेश राज्य को परियोजना घटक के लिए रु. 4065 करोड़ आवंटित किए गए हैं। शहरी विकास और आवास विभाग (UDHD) की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, मध्यप्रदेश सरकार (GoMP) द्वारा मिशन के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया है जैसा



कि तालिका में दिखाया गया है। दिनांक 20-11- 2025 तक राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की कुल 63 बैठके आयोजित की गई जिनमें ट्रेच-1 की 270 जल प्रदाय योजनायें, स्पेशल ट्रेच की 87 वॉटर बाडी रीजुवेनेशन, ट्रेच-2 की 25 जल प्रदाय 333 वॉटर बाडी रीजुवेनेशन एवं 388 हरित क्षेत्र विकास तथा ट्रेच-2 की 7 एवं ट्रेच-3 की 25 सीवरेज परियोजनायें इस प्रकार कुल 1134 परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं।

तालिका: 7.3 वित्तीय आय व्यय की जानकारी

क्र.	निकाय का नाम	केन्द्रांश	राज्यांश	निकायांश	कुल
1	10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर (4)	(@25%) 1285.56	(@ 58%) 2982.49	(@ 17%) 874.18	5142.23
2	01 लाख से अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर (29)	(@ 33%) 1092.64	(@ 57%) 1887.28	(@ 10%) 331.10	3311.02
3	01 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर (380 यू.एल.बी. और 5 कैट)	(@ 50%) 1666.79	(@ 45%) 1500.11	(@ 5%) 166.68	3333.58
4	रिफॉर्म एवं अन्य खर्च	(@ 50%) 535.94	(@ 50%) 535.94	-	1071.88
कुल		4580.93	6905.82	1371.96	12858.71

स्रोत : (नगरीय प्रशासन एवं विकास, 2025)।

तालिका 7.4 : पिछले 5 वर्षों में अमृत 2.0 के लिए बजट परिव्यय

वर्ष	परियोजनाओं की भौतिक प्रगति			वित्तीय प्रगति (करोड़ में)		
	स्वीकृत	निर्माणाधीन	पूर्ण/ हस्तांतरित	स्वीकृत राशि	राज्य शासन द्वारा जारी की गई राशि	उपयोग की गई राशि
2021-22	शून्य	-	-	200.00	89.00	5.66
2022-23	1244	1	-	581.36	581.36	17.74
2023-24	1244	440	7	371.00	267.49	120.06
2024-25	1273	747	79	1595.43	0.28	295.81
2025-26	1153*	737	316	1171.94	431.19	431.19

स्रोत : (नगरीय प्रशासन एवं विकास, 2025)।

1273 स्वीकृत परियोजनाओं में से 120 परियोजनाओं (MPUDC द्वारा क्रियान्वित की जा रही) को विलोपित करने के उपरांत शेष 1153 परियोजनाओं में अमृत 2.0 अंतर्गत कार्य किया जा रहा है।

7.2.10 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अंतर्गत मध्यप्रदेश नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। राज्य के नगरीय निकायों के सतत प्रयासों एवं नागरिकों की सहभागिता से 'स्वच्छ सर्वेक्षण-2024' में राज्य को 08 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में प्रारंभ की गई नयी पहल-1 सुपर स्वच्छ लीग में प्रदेश के 03 शहर- इंदौर, बुदनी, उज्जैन शामिल हुए।

प्रदेश की प्रमुख उपलब्धियाँ-

ओडीएफ प्रमाणीकरण	कचरा मुक्त शहर' स्टार रैंकिंग	स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2025 (नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के तहत)
➤ 24 निकाय Water+ प्रमाणित ➤ 338 निकाय ODF++ प्रमाणित ➤ 01 निकाय ODF+ प्रमाणित ➤ 15 निकाय ODF प्रमाणित	➤ 03 शहरों- इन्दौर, भोपाल एवं जबलपुर शहर को 7 स्टार ➤ 03 शहरों- देवास, रीवा, सतना को 5 स्टार ➤ 35 शहरों को 3-स्टार ➤ 161 शहरों को 1-स्टार प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है	➤ 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में • इन्दौर प्रथम, • जबलपुर द्वितीय ➤ 03 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में देवास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ

स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित नगरीय निकायों एवं विभिन्न श्रेणियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकायों, संभाग एवं जिलों को राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मान समारोह सह कार्यशाला में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया।

स्वच्छ भारत मिशन, शहरी अंतर्गत प्रमुख गतिविधियां उपलब्धियां:-

स्वच्छ भारत मिशन 2.0 -

नगरीय क्षेत्रों में अधिक आवाजाही वाले सार्वजनिक स्थानों, पर्यटन एवं धार्मिक महत्व के स्थानों को लक्षित करते हुए 171 नगरीय निकायों में 5131 सीटों के एस्पिरेशनल शौचालय, 82 निकायों में 2319 सीटों के सार्वजनिक शौचालय, 40 नगरीय निकायों में 1679 सीटों के सामुदायिक शौचालय, 42 नगरीय निकायों में 2582 यूरिनल पॉट के निर्माण हेतु, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

जिसमें से अब तक 22 नगरीय निकायों में 308 सीटों के एस्पिरेशनल श्रेणी, 8 निकायों में 133 सीटों के सार्वजनिक शौचालय, 6 निकायों में 54 सीटों के सामुदायिक शौचालय, तथा 6 निकायों में 38 सीटों के यूरिनल निर्माण पूर्ण किया गया।

100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण-

- प्रदेश के 100% नगरीय क्षेत्रों में आवासों और व्यावसायिक क्षेत्रों से कचरा संग्रहण व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के नगरीय निकायों को 7115 मोटराइज्ड वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। जिनमें सूखे-गीले सहित कचरे के अन्य अवयवों को अलग-अलग रखने के लिए कंपार्टमेंट, जीपीएस और पीए सिस्टम लगाए गए हैं।

गीले कचरे का प्रसंस्करण और निष्पादन-

- गीले कचरे के प्रसंस्करण और निष्पादन हेतु होज अथवा स्पॉट कंपोस्टिंग हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। 06 लाख से अधिक नागरिकों एवं 783 बल्क वेस्ट जनरेटर्स द्वारा स्पॉट कंपोस्टिंग की जा रही है। इसके अलावा प्रदेश में 405 नगरीय निकाय 368 केन्द्रीयकृत इकाइयों से कंपोस्टिंग कर रहे हैं। यह कंपोस्ट नगरीय क्षेत्रों व लगे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में खाद के रूप में प्रयोग की जाती है।
- प्रदेश में अमानक पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा चुका है। इसके लिए सघन जागरूकता अभियान, चालानी कार्यवाही और प्रचार-प्रसार के साथ इनके विकल्पों को भी प्रचारित किया जा रहा है।



- सूखे कचरे के प्रसंस्करण हेतु 405 नगरीय निकायों में 360 मटेरियल रिकवरी फेसिलिटी इकाईयां संचालित हैं। जिनके माध्यम से सूखे कचरे को अलग-अलग घटकों में विभक्त करके प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण हेतु भेजा जाता है। इन इकाईयों में सूखे कचरे की छंटाई करके उसका विक्रय किया जा रहा है।
- राज्य में सेनेटरी लेण्डफिल परियोजना (क्लस्टर आधारित 39 एवं 5 नगर निगमों में एकल सेनेटरी लेण्डफिल परियोजना) का निर्माण हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। जिनके क्रियान्वयन की कार्यवाही विभिन्न स्तरों पर जारी है।
- प्रदेश की चार निकाय- इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल में मैकेनाईस्ड ट्रांसफर स्टेशन परियोजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है, जिनमें से जबलपुर एवं भोपाल में परियोजना कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष में क्रियान्वयन की कार्यवाही विभिन्न स्तर पर जारी है।
- प्रदेश के 06 NCAP शहरों यथा भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और देवास हेतु 15.40 करोड़ की लागत से 28 रोड स्वीपिंग मशीन स्वीकृत की गई है जिसमें से 18 मशीनें 5 निकायों द्वारा क्रय की जा चुकी है। ग्वालियर द्वारा 10 मशीन क्रय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- निर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ट के निपटान हेतु जबलपुर, ग्वालियर और देवास के लिए राशि ₹. 12.41 करोड़ की लागत से परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।
- निकायों में लेगेसी अपशिष्ट को पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं इसी दृष्टिकोण से 109 नगरीय निकायों के लेगेसी वेस्ट का उपचार विभिन्न स्तरों पर जारी है। अब तक 55 निकायों में लेगेसी वेस्ट का उपचार पूर्ण कर लिया गया है। 46 निकायों में उपचार जारी है एवं शेष निकायों में उपचार हेतु टेंडर प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर है।
- प्रदेश में 05 एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर के तहत 60 नगरीय निकायों को कवर किया गया है। इसके अलावा 316 नगरीय निकायों में स्टैंड-अलोन पद्धति से अपशिष्ट का प्रबंधन किया जा रहा है।
- नगरीय क्षेत्रों से उत्सर्जित गीले एवं सूखे कचरे के प्रसंस्करण हेतु 339 नगरीय निकायों में एमआरएफ केन्द्र एवं कंपोस्टिंग इकाईयां स्वीकृत हैं। जिनमें से 179 निकायों द्वारा कार्यदिश जारी किए जा चुके हैं। शेष निकायों में उपचार हेतु टेंडर प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर है।
- गीले अपशिष्ट के प्रबंधन को बेहतर बनाने हेतु 8 कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स- बुरहानपुर, खंडवा, मुरैना, सागर में क्लस्टर आधारित एवं देवास, रतलाम, ग्वालियर, उज्जैन में स्टेण्ड-अलोन परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। जिनमें से मुरैना, देवास एवं रतलाम द्वारा कार्यदिश जारी किए गए हैं। शेष निकायों में स्टेण्ड अलोन परियोजना निकायों में विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन हैं।
- प्रदेश में फीकल स्लज के निष्पादन को प्राथमिकता में शामिल करते हुए 368 निकायों में 399 एफएसटीपी और 30 निकायों में 721 एएसटीपी संचालित हैं।
- प्रदेश में हर तीन साल में व मांग आधारित सेप्टिक टैंक सफाई हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इस हेतु नगरीय निकायों में सुरक्षित डिस्लजिंग हेतु डिस्लजिंग वाहन प्रदाय किए जा रहे हैं, नगरीय निकायों में 450 वाहन पूर्व में प्रदाय किये जा चुके हैं स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत इस वर्ष 145 निकायों में 195 डिस्लजिंग वाहन क्रय किए जा चुके हैं।
- शहरी स्वच्छता की स्थापना में नागरिकों, अशासकीय संगठनों एवं सफाईमित्रों का विशेष योगदान है। नगरीय निकायों में नियमित प्रक्रिया के तहत स्वच्छता सहयोगियों का निरंतर सम्मान कर प्रोत्साहित किया जाता है।

- शहरी स्वच्छता में नागरिकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश की नगरीय निकायों में 2024-25 में थीम आधारित 28 जागरूकता अभियानों का आयोजन किया गया। उक्त अभियानों में 1.52 करोड़ नागरिकों द्वारा सहभागिता की गई।
- 2025-26 में राष्ट्रीय एवं प्रदेश व्यापी जनजागरूकता एवं स्वच्छता आधारित 24 अभियानों का आयोजन किया गया। उक्त अभियान में 1.55 करोड़ नागरिकों द्वारा सहभागिता की गई। जिनमें प्रमुख विषय "सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान", "स्वच्छता ही सेवा", "स्वच्छ दीवाली", "क्लीन टॉयलेट कैम्पेन-2025", "होम कंपोस्टिंग", "पर्यटक स्थलों की सफाई", "पौधारोपण", "सिंगल यूज प्लास्टिक क्लीनअप ड्राइव", "सीएण्डडी अपशिष्ट संग्रहण", "नाला नाली सफाई" इत्यादि अभियान संचालित किए गए।
- **क्षमतावर्धन प्रशिक्षण कार्यशाला** - प्रदेश के नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सहयोगियों के क्षमतावर्धन हेतु दो दिवसीय आवासीय 16 प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 450 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।
- **वर्ष 2025-26 में क्षमतावर्धन कार्यशाला**- राज्य स्तर से नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) एवं इंजीनियर्स की क्षमतावर्धन हेतु 02 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- **संभागवार क्षमतावर्धन सह एक्सपोजर विजिट** - 2024-25 में शहरी स्वच्छता भागीदारों के सशक्तिकरण हेतु प्रचलित श्रेष्ठ गतिविधियों व प्रयासों को आपस में साझा करते हुए जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की दिशा में प्रयास किए गए हैं, इस हेतु स्वच्छता समग्र के अंतर्गत कचरा संग्रहण एवं प्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 14 नगरीय निकायों में अन्य 311 निकायों के 600 से अधिक (मुख्य नगरपालिका अधिकारी, इंजीनियर्स, स्वच्छता नोडल एवं स्वच्छता निरीक्षकों) का क्षमतावर्धन प्रशिक्षण सह एक्सपोजर विजिट आयोजित किए गए।
- वर्ष 2025-26 में संभाग स्तर पर स्वच्छता नॉलेज पार्टनर के सहयोग से नगरीय निकायों के सीएमओ, इंजीनियर्स सेनीटरी इंस्पेक्टर, सफाई मित्रों हेतु माह नवम्बर तक 11 क्षमतावर्धन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- **'स्वच्छता संवाद'** - 2024-25 में प्रदेश के 406 नगरीय निकायों में किए जा रहे प्रयासों एवं आपसी अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया को सशक्त करने के उद्देश्य से नवाचार के रूप में प्रतिदिन संभागवार 'स्वच्छता संवाद-2024' का ऑनलाइन आयोजन किया गया। संवाद में कुल 650 से अधिक घंटों की 350 से अधिक संवाद आयोजित किए जा चुके हैं।
- **'स्वच्छता समग्र'** - 'स्वच्छता समग्र' ज्ञान प्रबंधन श्रृंखला के अंतर्गत, राज्य के नगरीय निकायों के बीच श्रेष्ठ प्रथाओं और अनुभवों को साझा करने हेतु विभिन्न क्षमतावर्धन गतिविधियों का आयोजन "ऑनलाइन और ऑफलाइन" दोनों माध्यमों से किया गया है। इस पहल का उद्देश्य सहयोग और सीख को बढ़ावा देकर शहरी स्वच्छता प्रयासों को सुदृढ़ करना है। अब तक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) और स्वच्छ सर्वेक्षण से संबंधित प्रमुख विषयों पर 10 से अधिक ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं, जिससे अधिकारियों को अपनी समझ बढ़ाने और स्वच्छता रैंकिंग में प्रदर्शन सुधारने में सहायता मिली है।
- **संडे संवाद**- 2024-25 में प्रति रविवार को प्रातः विशेष ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें शहरी स्वच्छता से जुड़े विषयों पर नागरिकों से संवाद और क्षमतावर्धन की गई। संडे संवाद के 18 सत्र आयोजित किए जा चुके हैं जिनमें जनप्रतिनिधियों, नागरिकों, स्वसहायता समूहों, ब्रांड एम्बेस्डर, अधिकारियों, अशासकीय संगठनों, आवासीय संघों, छात्रों, युवाओं और महिलाओं के साथ आयोजित कार्यशालाओं में



प्रदेश से 15 हजार से अधिक नागरिकों ने ऑनलाइन सहभागिता की है। इस आयोजन में विशेषज्ञों के साथ वरिष्ठ सलाहकारों द्वारा सभी उपस्थित जन समुदाय का क्षमतावर्धन और संवेदन किया गया।

- सफाई मित्रों के स्वास्थ्य को लक्षित करते हुए समस्त सफाई मित्रों व उनके परिवारजनों हेतु सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष 2025-26 में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर में 83 हजार सफाई मित्र एवं उनके परिवार के सदस्य लाभान्वित हुए। साथ ही शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं से भी उन्हें प्राथमिकता से जोड़ा गया है।

7.2.11 स्मार्ट सिटी मिशन

- स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत राज्य में विभिन्न प्रमुख परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है, जिनमें स्मार्ट रोड, स्मार्ट लाइटिंग, स्मार्ट क्लासरूम, स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन सेंटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर (ICCC), मल्टी-लेवल पार्किंग, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS), पुरातात्विक धरोहरों का संरक्षण एवं रिस्टोरेशन कार्य, रिवर फ्रंट एवं लेक डेवलपमेंट, नॉन-मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट (NMT), स्पोर्ट्स स्टेडियम आदि शामिल हैं।
- स्मार्ट सिटी ग्रांट फंड के अंतर्गत कुल 662 परियोजनाएँ, जिनकी स्वीकृत लागत रु.6,930 करोड़ है, क्रियान्वित की जा रही हैं। इनमें से 651 परियोजनाएँ रु.6,741.78 करोड़ की लागत से पूर्ण की जा चुकी हैं तथा शेष 11 परियोजनाएँ रु.188.22 करोड़ की लागत से प्रगति पर हैं।
- युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु- स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर एवं सतना में स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब तक 974 से अधिक स्टार्ट-अप्स को सुविधाएँ एवं सहयोग प्रदान किया गया है, जिनमें से 384 से अधिक स्टार्ट-अप्स सफलतापूर्वक ग्रेजुएट हो चुके हैं। इन स्टार्ट-अप्स को अब तक कुल रु.91.31 करोड़ से अधिक की फंडिंग प्राप्त हो चुकी है।
- CITIIS 2.0 कार्यक्रम (प्रथम चरण – Component-1: City Level Action) के अंतर्गत देश के 18 स्मार्ट सिटी शहरों का चयन किया गया है, जिनमें मध्यप्रदेश की उज्जैन एवं जबलपुर स्मार्ट सिटी सम्मिलित हैं। इस योजना के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) से संबंधित परियोजनाएँ क्रियान्वित की जानी हैं। उज्जैन एवं जबलपुर स्मार्ट सिटी को क्रमशः रु.100 करोड़ एवं रु.75 करोड़ की ग्रांट स्वीकृत की गई है। ग्रांट राशि 10:40:40:10 के अनुपात में प्राप्त होगी, जिसमें से 50 प्रतिशत राशि राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में ऋण के रूप में वापस की जाएगी।
- CITIIS 2.0 कार्यक्रम (द्वितीय चरण – Component-2: State Level Action) के अंतर्गत राज्य स्तर पर Climate Action Plan से संबंधित प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा 04 दिसम्बर 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस चरण के अंतर्गत राज्य को रु.31.70 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो 30:40:30 के अनुपात में प्राप्त होगा। उक्त संपूर्ण राशि राज्य को ग्रांट के रूप में प्राप्त होगी।
- भारत सरकार की Scheme for Special Assistance to States (Part-VI: Construction of Unity Malls) के अंतर्गत उज्जैन शहर का चयन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत यूनिटी मॉल के निर्माण हेतु रु.284 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा उज्जैन विकास प्राधिकरण को क्रियान्वयन एजेंसी नामित किया गया है। वर्तमान में प्रथम किश्त रु.142.00 करोड़ के विरुद्ध रु.126.05 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है तथा परियोजना की भौतिक प्रगति लगभग 58 प्रतिशत है।

7.2.12 दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना सितंबर 2024 को समाप्त हो गई है। आजीविका मिशन के अंतर्गत योजना प्रारंभ सितम्बर 2013 से सितम्बर 2024 तक में 2,93,122 युवाओं का कौशल प्रशिक्षण पूर्ण किया गया और 1,65,72 युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार से जोड़ा गया है। NULM योजना के माध्यम से 65 हजार स्व-सहायता समूह गठित करते हुए 6 लाख से अधिक परिवारों को स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है। स्वरोजगार घटक अंतर्गत 89,390 हितग्राहियों को राशि रु. 911.18 करोड़ का ऋण लाभ प्रदान किया गया है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन - योजना के स्थान पर भारत सरकार, मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य द्वारा प्रदेश के 3 नगरीय निकायों भोपाल, इन्दौर एवं उज्जैन का चयन "दीनदयाल जन आजीविका योजना-शहरी" के पायलेट प्रोजेक्ट हेतु किया गया है।

पायलेट की अवधि (1 अक्टूबर, 2024 से 31 दिसम्बर, 2025 तक)

उल्लेखित नवीन योजना में 6 vulnerable Group जैसे ट्रांसपोर्ट वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर, वेस्ट वर्कर, कैयर वर्कर एवं गीग वर्कर पर कार्य किया जाना है।

भारत सरकार द्वारा पायलेट योजना के पूरे प्रदेश में लागू किये जाने के बाद उल्लेखित वर्ग के हितग्राहियों का सर्वे कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी है।

7.2.13 प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (PM-SVANidhi)

दिनांक 27 अगस्त, 2025 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना के प्रभाव को व्यापक बनाने के लिए योजना का पुनर्गठन किया गया है। योजना की अवधि 31 मार्च, 2030 तक है।

उद्देश्य:-

- रु. 15,000, रु. 25,000 एवं रु 50,000/- तक की कार्यशील पूंजी ऋण की सहायता।
- नियमित पुनः भुगतान को प्रोत्साहित करना।
- डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना।
- पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत, योजना प्रारंभ से 9 लाख 17 हजार से अधिक पथकर विक्रेताओं को योजना के समस्त तीनों चरणों में 14,35,814 ऋण प्रकरणों का वितरण कर कुल ऋण राशि रु. 2323.97 करोड़ वितरित की गयी है, तथा कैशबैक के रूप में पथ विक्रेताओं को राशि रु. 45.08 करोड़ प्रदान किये गए हैं।
- उपलब्धियां - पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश को वर्ष 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक ऋण वितरण हेतु प्रथम स्थान तथा "नवाचार और सर्वोत्तम अभ्यास" की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है।

योजना अंतर्गत लाभ :

- भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान सहायता 7 प्रतिशत
- 7 प्रतिशत के अतिरिक्त शेष ब्याज अनुदान राज्य शासन द्वारा पूर्व में दिया जाता था, वर्तमान में विचाराधीन है।
- डिजिटल पेमेन्ट पर कैशबैक का प्रावधान (प्रतिमाह 100 रुपये)
- रिटेल डिजिटल ट्रांजेक्शन पर प्रतिमाह 100/- रुपये कैशबैक अधिकतम 1200/- प्रतिवर्ष



- थोक डिजीटल ट्रांजेक्शन (रु. 2000 +) पर त्रैमासिक 100/- रुपये कैशबैक अधिकतम 400/- प्रतिवर्ष

लाभार्थियों की पात्रता मानदंड :

- यह योजना सभी शहरी रेहड़ी-पटरी वालों के लिए लागू है तथा विक्रेताओं की पहचान निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार की जाएगी:
- शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा जारी विक्रय प्रमाण पत्र / पहचान पत्र रखने वाले पथ विक्रेता
- यूएलबी द्वारा संचालित पहचान सर्वेक्षण से बाहर रह गए स्ट्रीट वेंडर या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद विक्रय शुरू कर दिया है और जिन्हें यूएलबी / टाउन विक्रय समिति (टीवीसी) द्वारा इस आशय का अनुशंसा पत्र (एलओआर) जारी किया गया है।

2.3. यूएलबी की भौगोलिक सीमाओं में विक्रय करने वाले आस-पास के विकास/पेरी-अर्बन/ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेता और जिन्हें यूएलबी/टीवीसी द्वारा इस आशय का अनुशंसा पत्र (एलओआर) जारी किया गया है।

योजनांतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु :

- बैंकों के द्वारा ऋण राशि ₹30,000 वाले को UPI-लिंकड क्रेडिट कार्ड जारी किये जायेंगे।
- पथकर विक्रेताओं का क्षमता संवर्धन किया जायेगा।
- रिटेल डिजीटल ट्रांजेक्शन पर प्रतिमाह ₹.100 कैशबैक अधिकतम 1200/प्रतिवर्ष तथा मर्चेट डिजीटल ट्रांजेक्शन पर त्रैमासिक ₹.100 अधिकतम।
- पथ विक्रेताओं को डिजिटल ऑनबोर्ड करने हेतु DigiSathi / DigiSakhi Platform , Bank, NGO, DPA इत्यादि के माध्यम से सहयोग प्रदाय किया जायेगा।
- पथकर विक्रेताओं के पहचान पत्र एवं विक्रेता प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगे।
- प्रदेश के समस्त निकायों में पीएम स्वनिधि योजना के साथ स्वनिधि से समृद्धि योजनांतर्गत वर्तमान में 8 केंद्रीय योजनाओं के साथ "प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 2.0" को अभिसरण (convergence) के माध्यम से और व्यापक बनाया जाएगा।
- योजनांतर्गत प्रतिमाह "लोक कल्याण मेला" तथा वार्षिक "स्वनिधि महोत्सव" व "स्वाभिमान अवॉर्ड" कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

मध्यप्रदेश की पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत वर्तमान स्थिति :

- कुल ऋण आवेदन : 17,60,155
- कुल स्वीकृत ऋण प्रकरण : 14,67,848
- कुल वितरित ऋण प्रकरण : 14,35,814

पीएम स्वनिधि - भारत सरकार के 2030 के लक्ष्य के अनुसार सभी किशतों के संबंध में राज्यवार प्रगति						
दिनांक 17.12.2025 तक						
चरण	लक्ष्य 2030	योग्य आवेदन	स्वीकृत आवेदन	वितरित आवेदन	प्रगति प्रतिशत	राष्ट्रीय स्तर पर राज्य रैंकिंग
प्रथम	1441700	1060129	927968	917664	63.65%	प्रथम
द्वितीय	720850	532257	417242	402788	55.88%	द्वितीय
तृतीय	216255	167769	122638	115362	53.35%	द्वितीय
कुल	2378805	1760155	1467848	1435814	60.36%	प्रथम

योजना	वित्त वर्ष 2022-23 (राजस्व मद)	वित्त वर्ष 2023-24 (पूंजीगत मद)
कायाकल्प प्रथम चरण	₹.350.00 करोड़	₹.400.00 करोड़
कायाकल्प द्वितीय चरण	निरंक	₹.800.00 करोड़
योग	₹.350.00 करोड़	₹.1200.00 करोड़

7.2.14 कायाकल्प योजना

राज्य शासन द्वारा समस्त नगरीय निकाय की सड़कों के उन्नयन / निर्माण के लिये कायाकल्प योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य बजट में कायाकल्प योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :-

कायाकल्प योजना अंतर्गत समस्त 413 नगरीय निकायों में राशि ₹. 1536.32 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। कायाकल्प योजना प्रथम चरण में राजस्व मद अंतर्गत राशि ₹. 350.00 करोड़ के कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि ₹. 350.00 करोड़ निकायों को अंतरित किये जा चुके हैं। कायाकल्प योजना अंतर्गत 412 नगरीय निकायों को पूंजीगत मद अंतर्गत

क्र.	निकाय	स्वीकृत लागत (राशि करोड़ में)	स्वीकृत सड़क की लम्बाई (कि.मी.)	पूर्ण सड़क की लम्बाई (कि.मी.)	भौतिक प्रगति % में	व्यय राशि (करोड़ में)
1	413	1550.00	2594 कि.मी.	2015 कि.मी.	78 %	995.54

राशि ₹. 1200.00 करोड़ के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। योजनांतर्गत कुल राशि ₹. 1329.67 करोड़ का आवंटन किया जा चुका है एवं निकायों द्वारा माह दिसम्बर, 2025 तक राशि ₹. 995.54 करोड़ का व्यय किया गया है।

कायाकल्प अंतर्गत गुणवत्ता नियंत्रण :- कायाकल्प योजना में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सभी संभागों में मोबाईल टेस्टिंग लैब स्थापित की जाकर टेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में स्टेट क्वालिटी मानीटर्स की तैनाती की गई है। गुणवत्ता नियंत्रण हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार टेस्ट रिपोर्ट नहीं पाये जाने पर त्वरित एवं कठोर कार्यवाही की जाती है।



7.2.15 प्रशिक्षण कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2025-26 अंतर्गत नगरीय विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत स्थापित प्रशिक्षण संस्थान सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगर प्रबंधन संस्थान भोपाल द्वारा नवम्बर, 2025 तक भारत सरकार की ICBP परियोजना एवं राज्य शासन द्वारा आवंटित बजट से 64 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 2758 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षणार्थियों में निर्वाचित जन प्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण शामिल हैं, जिन्हें नगरीय प्रशासन एवं प्रबंधन कौशल, सवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का कियान्वयन, आपदा प्रबंधन, राजस्व प्रबंधन एवं इलेक्ट्रॉनिक जागरूकता तथा हितग्राही मूलक योजनाओं व अधोसंरचनात्मक योजनाओं के अंतर्गत नागरिकों को समय-सीमा में गुणवत्ता पूर्ण सुविधायें उपलब्ध कराने की रणनीति से संबंधित विषयों पर संवाद स्थापित कर सकारात्मक एवं रचनात्मक संदेश संप्रेषित किया गया। मार्च 2026 तक लगभग 1000 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य है।

7.2.16 प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना

- प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना अंतर्गत प्रदेश की 8 निकायों (भोपाल-195, इन्दौर-270, ग्वालियर-100, जबलपुर-200, उज्जैन-100, सागर-32, देवास-55 एवं सतना-20) में कुल 972 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है।
- उक्त 8 निकायों में कुल 12 बस डिपो एवं चार्जिंग अधोसंरचना (Behind the Meter) का निर्माण किया जाएगा।
- वर्तमान में 05 निकायों (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं सागर) में 09 बस डिपो एवं चार्जिंग अधोसंरचना (Behind the Meter) का निर्माण किया जा रहा है।
- बस डिपो अधोसंरचना निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा 60% राशि एवं राज्य सरकार द्वारा 40% राशि प्रदाय की जाएगी। चार्जिंग अधोसंरचना निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा 100% राशि प्रदाय की जाएगी।
- पीएम ई-बस सेवा योजनांतर्गत 472 ई-बसों हेतु सफल निविदाकार को Letter of Award (LoA) जारी किया जा चुका है।
- मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति 2025 तैयार कर, असाधारण राजपत्र में दिनांक 27.03.2025 को प्रकाशित किया गया।
- उक्त पॉलिसी के क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिकल व्हीकल गाईडलाइन दिनांक 15.09.2025 को जारी गई।
- EV से संबंधित सभी मामलों की जानकारी हेतु "MP EV Tarang" नाम से ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया।
- विभिन्न प्रकार के चार्जिंग स्टेशन जैसे: Small, Medium, Large एवं बैटरी स्वेपिंग स्टेशन पर विभिन्न प्रकार की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
- भविष्य में शहरी परिवहन अंतर्गत प्रदेश की 06 निकायों (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, कटनी, रीवा एवं सागर) में 86 अंतर्शहरी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जायेगा।
- अमृत 1.0 योजनान्तर्गत इन्दौर शहर में शहरी मार्ग पर 120 ई-बसों का संचालन किया जा रहा है।
- अमृत 1.0 योजनान्तर्गत इन्दौर शहर में शहरी मार्ग पर 120 ई-बसों का संचालन किया जा रहा है।

7.3 मध्यप्रदेश एकीकृत टाउनशिप नीति- 2025

मान. मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 18/02/2025 में मध्यप्रदेश एकीकृत टाउनशिप नीति-2025 को स्वीकृति प्रदान की गई। यह नीति भूमि पूलिंग के माध्यम से रियल एस्टेट सेक्टर में निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगी। नीति अंतर्गत प्रावधानित प्रोत्साहनो से भूमि मालिक भूमि पूलिंग के माध्यम से एक साथ आकर एकीकृत टाउनशिप विकसित कर सकेंगे, जिससे राज्य में निवेश के अधिक अवसर उत्पन्न होंगे जिससे राज्य की जी.डी.पी. में वृद्धि के साथ साथ सुनियोजित शहरी विकास होगा। विभिन्न राज्यों यथा गुजरात, राजस्थान एवं महाराष्ट्र की टाउनशिप नीतियों/ विनियमों का तुलनात्मक अध्ययन कर इस नीति में नवीन प्रावधानों को शामिल करने के प्रयास किये गये हैं, जिससे प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में रियल एस्टेट निवेश के बेहतर गंतव्य के रूप में स्थापित हो सके।

नीति के उद्देश्य

- समावेशिता, संवहनीय और पारदर्शिता के माध्यम से नियोजित विकास सुनिश्चित करना।
- रियल एस्टेट विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।
- आजीविका और रोजगार के नए अवसर सृजित करना।
- किफायती आवास की जरूरतों को पूरा करना।
- राज्य की सामाजिक-आर्थिक और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करना।
- भूमि पूलिंग के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

टाउनशिप परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन

- डेवलपर को भूमि प्रोक्योरमेंट में सुविधा
- टाउनशिप परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि का कंटीब्यूशन
- विकास अधिकारों का हस्तांतरण (TDR) लाभ
- भूमि की उच्चतम सीमा से छूट
- कालोनी नियमों में रिलैक्सेशन
- विकास योजना के भू-उपयोग में उपान्तरण
- EWS/LIG/किफायती आवास के अतिरिक्त विकास के लिए फ्लोर एरिया अनुपात (FAR)
- अतिरिक्त हरित क्षेत्र का विकास के लिए फ्लोर एरिया अनुपात
- ऊर्जा के गैर-परंपरागत उपयोग के लिए फ्लोर एरिया अनुपात
- नोडल एजेंसी द्वारा डेवलपर को 60 दिनों में संबंधित विभागों से मंजूरी/अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सुविधा
- मध्यप्रदेश एकीकृत टाउनशिप नीति- 2025 में आवास के साथ-साथ "वर्क सेंटर" जो की विक्रय योग्य क्षेत्र का न्यूनतम 20% होगा, का प्रावधान किये गए है जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक /कार्यालय / बाजार / आईटीईएस / आईटी / शैक्षिक / उद्योग (नॉन-हज़ार्ड्स) / स्वास्थ्य सेवाएं /परिवहन नोड / मनोरंजन आधारित गतिविधियाँ आदि शामिल है जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और सिटी एज ग्रोथ हब



के रूप में विकसित हो सकेगी। इस नीति में शहर/उप-शहर स्तर की सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना का प्रावधान होने के कारण शहर/उप-शहर स्तर पर भौतिक और सामाजिक अधोसंरचना सुविधाओं में विकास होगा।

- नीति में सकल क्षेत्र का कम से कम 10% पार्क और खुले स्थान का प्रावधान है और इस 10% का न्यूनतम 25% वुडेड एरिया (सघन वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 50% से अधिक) के रूप में विकसित किया जाएगा जिससे हरित क्षेत्र का विकास होगा। नीति में राज्य के कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के लिए कुल आवासीय इकाइयों का 15% का प्रावधान होने से राज्य की कमजोर एवं निम्न आय वर्ग की आवास की ज़रूरत पूरी होगी।

7.4 मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति 2025

मध्यप्रदेश सरकार, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति 2025 प्रस्तुत कर रही है, जिससे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति तेज़ की जा सके और EV पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को समर्थन दिया जा सके। यह अद्यतन नीति मौजूदा प्रावधानों को सशक्त बनाने और उभरती इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के अनुरूप नवीन उपायों को लागू करने का लक्ष्य रखती है। इसके अतिरिक्त, मध्यप्रदेश में EV से जुड़ी सभी जानकारी के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।

नीति के उद्देश्य

मध्यप्रदेश में पर्यावरण-अनुकूल इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देना और परिवहन क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन को कम करके वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार करना।

मुख्य फोकस क्षेत्र:

- एक मजबूत और सुलभ EV चार्जिंग नेटवर्क की स्थापना, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाएँ शामिल हों।
- मध्यप्रदेश को EV बुनियादी ढांचे और विनिर्माण उद्योगों के लिए एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करना।
- कौशल विकास पहलों को सुदृढ़ करना और EV क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का विस्तार करना।

लक्ष्य:

- भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन को मॉडल EV शहरों के रूप में नामित करना।
- **इलेक्ट्रिक दोपहिया (E-2W):** नीति अवधि के अंत तक नए वाहन पंजीकरणों में 40% की भागीदारी; वाणिज्यिक फ्लीट के लिए 100%।
- **इलेक्ट्रिक तिपहिया (E-3W):** यात्री और माल परिवहन श्रेणी में 80% नए वाहन पंजीकरण।
- **इलेक्ट्रिक चारपहिया (E-4W):** 15% नए वाहन पंजीकरण।
- **इलेक्ट्रिक बसें:** 40% नए वाहन पंजीकरण।
- **सरकारी वाहन:** नीति अवधि के अंत तक राज्य सरकार के 80% वाहन इलेक्ट्रिक होंगे।

प्रोत्साहन: चार्जिंग अवसंरचना समर्थन:

- **छोटे चार्जिंग स्टेशन:** पहले 500 स्टेशनों के लिए उपकरण/मशीनरी लागत पर 30% सब्सिडी (अधिकतम ₹1,50,000 प्रति स्टेशन)।

- **मध्यम चार्जिंग स्टेशन:** पहले 300 स्टेशनों के लिए 30% सब्सिडी (अधिकतम ₹3,00,000 प्रति स्टेशन)।
- **बड़े चार्जिंग स्टेशन:** पहले 200 स्टेशनों के लिए 30% सब्सिडी (अधिकतम ₹10,00,000 प्रति स्टेशन)।
- **बैटरी स्वैपिंग स्टेशन:** पहले 300 स्टेशनों के लिए 30% सब्सिडी (अधिकतम ₹5,00,000 प्रति स्टेशन)।

कर और पंजीकरण शुल्क में छूट:

- ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-4डब्ल्यू, ई-एलसीवी: पहले वर्ष के लिए 100% छूट।
- ई-बस, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक, ई-ट्रैक्टर: पहले दो वर्षों के लिए 100% छूट।

रिट्रोफिटिंग प्रोत्साहन:

- ई-2डब्ल्यू: प्रति वाहन ₹ 5,000 (केवल पहले वर्ष के लिए)।
- ई-3डब्ल्यू: प्रति वाहन ₹ 10,000 (केवल पहले वर्ष के लिए)।
- ई-4डब्ल्यू: प्रति वाहन ₹ 25,000 (केवल पहले वर्ष के लिए)।

अन्य लाभ:

- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस: अधिकतम ₹ 2 करोड़ की एकमुश्त अनुदान।
- एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल: "MP EV Tarang" जो ईवी से संबंधित सभी मामलों के लिए एक केंद्रीकृत संसाधन होगा।
- बैटरी रीसाइक्लिंग और पुनः उपयोग: रीसाइक्लिंग व्यवसायों और दुर्लभ सामग्रियों के शहरी खनन को बढ़ावा देना, साथ ही ईवी बैटरियों के लिए मल्टी-लाइफ अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करना।

कौशल विकास पहल:

- शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थानों में EV से संबंधित शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन।
- 53 पॉलीटेक्निक कॉलेज, 271 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI), और रोजगार विनिमय केंद्रों में EV शिक्षा को शामिल करना।
- छोटे और मध्यम ऑटोमोबाइल मरम्मत दुकानों के लिए प्रति वर्ष कम से कम दो प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना, प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 50 प्रतिभागियों की भागीदारी।
- "मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना" के तहत EV कौशल विकास कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों के लिए वजीफा प्रावधान।
- वर्तमान में प्रदेश के 14 शहरों (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, देवास, कटनी, छिंदवाड़ा, सिंगरौली, सतना, रीवा, गुना, भिंड, बुरहानपुर एवं खंडवा) में शहरी परिवहन अंतर्गत कुल 849 (521 शहरी एवं 328 अंतर्शहरी) बसों का संचालन किया जा रहा है।

प्रगति/उपलब्धियों

- मध्यप्रदेश Electric Vehicle (EV) Policy के क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन गाईडलाईन तैयार कर दिनांक 15/09/2025 को जारी की गई।
- इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति 2025 के क्रियान्वयन हेतु "EV Tarang" नाम से पोर्टल तैयार किया गया है।



- अप्रैल 2025 से आज दिनांक तक विभिन्न श्रेणी अंतर्गत प्रदेश में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की जानकारी निम्नानुसार है।

क्र	वाहन श्रेणी	कुल
1	ट्रक	2
2	बस (sasGovt. + Private)	28
3	Light Commercial Vehicle	464
4	Cars	4,500
5	3 W	31,232
6	2 W	86,365

7.5 मध्यप्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम 2025

भारत के संविधान के 74वे संशोधन में परिभाषित उपबंधों को समाविष्ट करते हुए, महानगर क्षेत्र के क्षेत्रीय नियोजन और विकास को सुनिश्चित करने के लिए उपबंध करने हेतु, नियोजन, समन्वयन, पर्यवेक्षण, उन्नयन के प्रयोजन के लिए महानगर नियोजन समिति के गठन, महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना, महानगर विकास तथा नियोजन योजना तैयार करने, क्षेत्र विकास योजनाओं तथा नगर विकास योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के माध्यम से योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम को 11 सितंबर 2025 को राजपत्र (गजट) में प्रकाशित किया गया।



समाजार्थिक विकास

“मेरा डेवलपमेंट पैरामीटर बहुत आसान है। यह इस बारे में है कि सबसे गरीब लोगों को डेवलपमेंट से कैसे फायदा हो सकता है। गरीब लोग मेरे इकोनॉमिक एजेंडा का मुख्य फोकस हैं। गरीबों को इस तरह से मजबूत किया जाना चाहिए कि उनमें गरीबी को हराने की इच्छाशक्ति आए।”¹

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

परिचय

सामाजिक क्षेत्र मध्य प्रदेश की विकास रणनीति के केंद्र में बना हुआ है, जिसका उद्देश्य मानव पूंजी को मजबूत करना और सामाजिक-आर्थिक परिणामों में सुधार करना है। 2022-23 और 2025-26 के बीच, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिलाओं और बच्चों के कल्याण, श्रम कल्याण और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण सहित प्रमुख सामाजिक सेवाओं के लिए राज्य के आवंटन में 75.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके भीतर, सामाजिक कल्याण और पोषण के लिए आवंटन में सबसे अधिक वृद्धि (193 प्रतिशत) दर्ज की गई, इसके बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (69.82 प्रतिशत) का स्थान रहा, जो मानव विकास संकेतकों में सुधार पर निरंतर जोर देने का संकेत देता है।

राज्य ने लैंगिक असमानताओं को दूर करने और महिलाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक अवसरों को मजबूत करने के लिए लक्षित नीतिगत उपाय किए हैं। जेंडर बजटिंग के संस्थागतकरण, 31 विभागों द्वारा की गई रिपोर्टिंग ने महिला-केंद्रित सार्वजनिक व्यय की दृश्यता को बढ़ाया है, 2025-26 में जेंडर बजट आवंटन बढ़कर 1,23,624 करोड़ रुपये हो गया है। लाइली बहना योजना, लाइली लक्ष्मी योजना, पीएम मातृ वंदन योजना और स्वयं सहायता समूह संघों के विस्तार जैसे कार्यक्रमों ने महिलाओं के लिए बेहतर वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा और आजीविका विविधीकरण में योगदान दिया है।

बाल विकास एक महत्वपूर्ण नीतिगत प्राथमिकता बनी हुई है। 2022-23 में पेश किया गया बाल बजट वक्तव्य, बच्चों के लिए राज्य की बढ़ती राजकोषीय प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें 2022-23 और 2025-26 के बीच बाल-केंद्रित आवंटन में 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से पोषण में निवेश, पोषण भी पढ़ाई भी के माध्यम से प्रारंभिक बचपन की शिक्षा और मिशन वात्सल्य के तहत सुरक्षा सेवाओं का उद्देश्य बच्चों, विशेष रूप से कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए स्वास्थ्य, सीखने और सुरक्षा परिणामों में सुधार करना है।

चल रहे कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेपों के अलावा, राज्य ने मिशन नारी सशक्तिकरण के माध्यम से एक रणनीतिक, अभिसरण-संचालित दृष्टिकोण अपनाया है, जो जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार, शैक्षिक प्राप्ति, मातृ स्वास्थ्य, महिला श्रम बल की भागीदारी और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी के लिए मापने योग्य लक्ष्य स्थापित करता है। मिशन महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक परिणामों को बढ़ाने के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन, कौशल और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए विभागों में समन्वित कार्यवाही पर जोर देता है। इसी तरह, मिशन गरीब कल्याण लक्षित सामाजिक

सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच बढ़ाने और कमजोर परिवारों के लिए बहुआयामी सहायता के माध्यम से गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करता है। समृद्ध मध्यप्रदेश विजन डॉक्यूमेंट 2047 में व्यक्त की गई दूरदेशी प्राथमिकताएं समावेशी विकास के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती हैं, लैंगिक अवसरचना बुनियादी ढांचे पर प्रकाश डालती हैं, चाइल्ड केयर और वर्कर हॉस्टल का विस्तार, बचपन की देखभाल, पोषण सुरक्षा को मजबूत करती हैं और कौशल विकास में तेजी लाती हैं। विजन में मात्रात्मक दीर्घकालिक लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार की गई है जैसे कि महिला श्रम बल की भागीदारी को 70 प्रतिशत तक बढ़ाना और बाल कुपोषण को 5 प्रतिशत से कम करना, समानता और व्यापक-आधारित सामाजिक-आर्थिक उन्नति पर केंद्रित मानव विकास के लिए एक स्पष्ट पथ को परिभाषित करना।

श्रम और रोजगार के क्षेत्र में, सरकार ने नियामक प्रणालियों को मजबूत किया है, श्रमिक कल्याण योजनाओं का विस्तार किया है और सामाजिक सुरक्षा तंत्र को बढ़ाया है। म.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत कल्याण संवितरण और मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के तहत अनुग्रह राशि सहायता अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को समर्थन देने के राज्य के प्रयासों को रेखांकित करती है। इसके साथ ही, कौशल, रोजगार सुविधा और आजीविका कार्यक्रमों में निवेश कार्यबल की भागीदारी और आय सृजन में सहायता करता है।

यह अध्याय महिला सशक्तिकरण, बाल विकास और संरक्षण, श्रम कल्याण, रोजगार के अवसरों और गरीबी उन्मूलन में राज्य की पहलों का एक समेकित मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। यह सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति की रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है। यह विश्लेषण सामाजिक क्षेत्र के परिणामों को बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है कि आर्थिक विकास समावेशी, न्यायसंगत और दीर्घकालिक मानव विकास प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करता है।

8.1 मध्यप्रदेश में समाजार्थिक क्षेत्र

महिलाओं, बच्चों, युवाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग की सामाजिक उन्नति के लिए हस्तक्षेप तथा उनकी बुनियादी ज़रूरतों जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य आदि को पूरा करने के प्रयासों को पारंपरिक रूप से सामाजिक क्षेत्र के अध्याय में शामिल किया गया है। पिछले चार वर्षों के लिए राज्य के सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट आवंटन का विश्लेषण नीचे दी गई तालिका 8.1 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 8.1: सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट आवंटन

प्रमुख सामाजिक सेवाएँ	सामाजिक क्षेत्र के लिए वर्ष-वार बजट आवंटन (करोड़ रुपए में)				वर्ष 2022-23 से 2025-26 के बीच बजट में (%) वृद्धि
	2022-23 (लेखा)	2023-24 (लेखा)	2024-25 (पुनरीक्षित अनुमान)	2025-26 (बजट अनुमान)	
शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	34,813.79	40,491.08	45,371.77	51,508.91	47.95%
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	14,022.05	16,310.06	20,750.24	23,813.15	69.82%
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	6,258.00	5,784.58	8,857.45	9,985.34	59.56%
श्रम एवं श्रमिक कल्याण	1,953.04	1,140.95	1,578.34	1,704.47	-12.72%
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	11,801.74	27,842.21	32,449.15	34,579.56	193.00%
अन्य	606.12	189.59	229.15	318.55	-47.44%
कुल	69,454.74	91,758.47	1,09,236.10	1,21,909.98	75.52%

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण; वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन



उपरोक्त तालिका प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों के लिए सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत संकलित बजट सूचना दर्शाती है जैसे: - शिक्षा जिसमें सामान्य और तकनीकी शिक्षा, खेल तथा युवा सेवाएं, तथा कला एवं संस्कृति शामिल हैं; स्वास्थ्य जिसमें चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण शामिल हैं; अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण; श्रम और रोजगार कल्याण; सामाजिक कल्याण जिसमें सामाजिक सुरक्षा, पोषण और प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत शामिल हैं।

तालिका 8.1 से स्पष्ट है कि 2022-23 की तुलना में 2025-26 में सामाजिक क्षेत्र के लिए कुल बजट आवंटन में 75.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि क्षेत्रवार परिवर्तन देखा जाए तो इस समयावधि में सबसे अधिक वृद्धि सामाजिक कल्याण और पोषण के लिए आवंटित बजट में हुई है। इसके बाद सबसे अधिक वृद्धि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में हुई है।

इस अध्याय में मुख्य रूप से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बदलाव, बच्चों के विकास और संरक्षण, श्रम और रोजगार, गरीबी उन्मूलन तथा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए किए गए प्रयासों को शामिल किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और युवा कल्याण के क्षेत्रों पर अलग-अलग अध्यायों में विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए आवंटन और योजनाओं पर सामाजिक समावेशन अध्याय में चर्चा की गई है।

8.2 महिलाओं की स्थिति में समाजार्थिक परिवर्तन

महिलाएं अपने परिवारों की नींव होती हैं और अपने बच्चों के लिए प्रमुख देखभाल करने वाली होती हैं, फिर भी उन्हें समाज में असमानता और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। समाज में सर्वांगीण विकास लाने के लिए महिलाओं पर ध्यान देना अनिवार्य है। यदि हम मध्यप्रदेश में महिलाओं की स्थिति को देखें, तो विभिन्न नीतिगत पहल की गई हैं जो असमानता और लैंगिक भेदभाव को कम करती हैं। पिछले दो दशक से साक्षरता, लिंगानुपात, पोषण स्तर, मातृ मृत्यु दर आदि के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति में पर्याप्त प्रगति हुई है। महिलाओं की कमजोर स्थिति को पहचानते हुए, राज्य सरकार ने उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। राज्य सरकार के इन प्रयासों पर इस खंड में चर्चा की गई है।

8.2.1 जेंडर बजट - महिलाओं के लिए बजटीय प्रावधान

प्रदेश की सामाजिक संरचना में महिलाओं की स्थिति को बेहतर के संदर्भ में राज्य सरकार की सबसे बड़ी रणनीति जीवन के सभी क्षेत्रों और आयामों में महिलाओं के लिए बजट से जोड़कर देखा जा रहा है। यह महत्वपूर्ण कदम महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने और जमीन पर क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार ने वर्ष 2007-08 से जेंडर बजट की प्रक्रिया कुछ चयनित विभागों के साथ शुरू की है, जो अब प्रदेश के 31 विभागों के द्वारा जेंडर बजट स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जा रहा है।

वर्ष 2025-2026 में जेंडर बजट स्टेटमेंट में आवंटन 1,13,354 करोड़ से बढ़कर 1,23,624 करोड़ हो गया है, जो 9% की वृद्धि है। वर्ष 2025-2026 में श्रेणी-1 की 60 योजनाओं को 18 विभागों द्वारा जेंडर बजट स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग की गई जो विगत वर्ष 2024-25 में 14 विभागों की 51 योजनाओं की रिपोर्टिंग की गई थी। स्टेटमेंट में 29 विभागों ने श्रेणी-2 में 308 योजनाओं/कार्यक्रमों की भी जानकारी दी है।

(श्रेणी-1 में महिलाओं के लिए 100% बजट आवंटन होता है; श्रेणी-2 में ऐसी योजनाएं शामिल हैं जिनमें बजट आवंटन का कम से कम 30% हिस्सा महिलाओं के लिए होता है।)

श्रेणी-1 की योजनाएं 2025-26 के कुल जेंडर बजट स्टेटमेंट का 19% प्रतिशत हैं जबकि जेंडर बजट स्टेटमेंट में बजट का 81% प्रतिशत श्रेणी-2 के तहत बताया गया है। जेंडर बजट में सबसे ज़्यादा योगदान (% कुल जेंडर

बजट का) देने वाले विभाग हैं स्कूल शिक्षा विभाग (27.4%), महिला एवं बाल विकास विभाग (21%), स्वास्थ्य विभाग (11.2%) और जनजातीय कार्य विभाग (10.8%)। यह शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तथा सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों के लिए वित्तीय प्रतिबद्धता को दिखाता है, ताकि उनका पूरी तरह से सशक्तिकरण हो सके।

तालिका 8.2: मध्यप्रदेश के कुल बजट में जेंडर बजट का प्रतिशत (राशि रू. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	प्रदेश का कुल बजट	जेंडर बजट	कुल बजट
2021-22	2,17,813	70,467 (पुनरीक्षित अनुमान)	32.4%
2022-23	2,47,715	86,706 (पुनरीक्षित अनुमान)	35.0%
2023-24	3,14,025	1,06,053 (पुनरीक्षित अनुमान)	33.7%
2024-25	3,65,000	1,13,354 (पुनरीक्षित अनुमान)	31.0%
2025-26	4,21,032	1,23,624 (बजट अनुमान)	29.4%

स्रोत- मध्यप्रदेश बजट: वॉल्यूम 6, वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 ; वित्त विभाग

8.2.2 महिलाओं का सशक्तिकरण

मिशन शक्ति मॉडल को अपनाते हुए, राज्य सरकार महिलाओं के जीवन के हर पड़ाव पर उन्हें प्रभावित करने वाले मुद्दों को सुलझाकर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को साकार कर रही है। सरकार महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों को मजबूत कर रही है। महिलाओं के विकास की यात्रा में अहम भूमिका निभाने वाले विभागों में महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला वित्त और विकास निगम, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के तहत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, श्रम विभाग और सामाजिक न्याय विभाग शामिल हैं। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में किए गए कुछ प्रयासों का विवरण इस प्रकार है:-

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मार्च 2023 से महिला सशक्तिकरण को गति प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी, 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाक़ शुदा और परित्यक्त महिलाओं सहित) और जिनकी स्वयं या परिवार की संयुक्त वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, अन्य विस्तृत मानदंडों के साथ इस योजना के लिए पात्र हैं।

राज्य सरकार द्वारा माह जून 2023 में प्रथम बार कुल 1,25,06,186 हितग्राहियों को योजना से जोड़ा गया। नवीन संशोधनों के फलस्वरूप द्वितीय चरण में 25 जुलाई 2023 से 20 अगस्त 2023 तक पुनः ऑनलाइन पंजीयन किया गया तथा 6,00,339 नवीन हितग्राही योजना से जोड़े गये। प्रत्येक पात्र महिला को डीबीटी के माध्यम से प्रति माह 1,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। अगर योग्य महिला को सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम का भी फायदा मिल रहा है, तो उस स्थिति में उसे हर महीने 900 रुपये मिलेंगे ताकि कुल रकम हर महीने 1,500 रुपये हो जाए। योजनांतर्गत लाभार्थी महिलाओं को माह जून 2023 से दिसम्बर 2025 तक नियमित रूप से निर्धारित मासिक आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त माह



अगस्त 2023, अगस्त 2024 एवं माह अगस्त 2025 में (कुल 03 बार) लाभार्थी महिलाओं को राशि रुपये 250 की विशेष आर्थिक सहायता राशि का भी अंतरण किया गया है।

लाभार्थी महिलाओं को योजना प्रारंभ के माह जून 2023 से दिसम्बर 2025 तक राशि रुपये 48,632 करोड़ का भुगतान किया गया है तथा माह जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक राशि रुपये 19,414 करोड़ का भुगतान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह अप्रैल से दिसम्बर 2025 तक राशि रुपये 14,855 करोड़ का भुगतान किया गया है।

मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना

बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश में वर्ष 2007 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत जैसे ही बालिका का जन्म होता है, सरकार द्वारा 1.43 लाख रुपये का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसकी किस्में बालिका को विभिन्न परिभाषित मील के पत्थर पर प्रदान की जाती हैं।

तालिका 8.3: लाड़ली लक्ष्मी योजना की प्रगति

योजना प्रारंभ से वर्तमान तक की उपलब्धि	
पंजीयन	51,87,682
छात्रवृत्ति वितरण राशि (करोड़ में)	747.89
छात्रवृत्ति प्राप्त लाड़लियों की संख्या	13,74,506
वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धि	
वित्तीय वर्ष 2025-26 का सांकेतिक लक्ष्य	2,71,383
वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धि	1,51,954
कुल प्रतिशत	56%

प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (PMMVY)

गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नकद प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013" के अंतर्गत यह योजना चलाई जा रही है ताकि महिलाएं पर्याप्त विश्राम कर सकें और बच्चे के जन्म से पहले और बाद में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें। योजना के अंतर्गत प्रथम प्रसव पर रुपये 5,000 की राशि दो किश्तों में वितरित की जाएगी एवं द्वितीय प्रसव पर बालिका जन्म होने पर रुपये 6,000 का लाभ एक किश्त में किया जाएगा।

यह योजना बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार करने में योगदान देती है, महिला श्रम शक्ति भागीदारी को बढ़ाती है, संस्थागत प्रसवों और जन्म पंजीकरण को बढ़ावा देती है। योजना में वित्तीय वर्ष 2025-26 में (12 जनवरी 2026 तक) 3,76,776 पंजीकृत हितग्राही है।

सखी निवास (कामकाजी महिला वसतिगृह)

भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित कामकाजी महिला वसतिगृह (वर्किंग वीमेन हॉस्टल) को मिशन शक्ति अंतर्गत में नवीन योजना “सखी निवास” के नाम से 14 जुलाई 2022 से लागू की गई है। शहरी/ग्रामीण कामकाजी महिलाओं को सुविधायुक्त, सुरक्षित आवास प्रदान करने हेतु योजना लागू की गई। प्रदेश में तीन शासकीय वसतिगृह (भोपाल -100 सीटर, इंदौर 40 सीटर एवं 100 सीटर) संचालित है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2025-26 में तीनों शासकीय महिला वसतिगृह (भोपाल - 63, इंदौर (नवीन)-67 एवं इंदौर (ओल्ड)- 40) कुल 170 महिलाएं निवासरत है।

Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI) योजना अंतर्गत 8 वर्किंग वीमेन हास्टल 5,121 महिलाओं की क्षमता वाले राशि रुपये 284 करोड़ का निर्माण कार्य स्वीकृत किए गये है। यह वर्किंग वीमेन हॉस्टल जिला- उज्जैन, धार, रायसेन, भिंड, सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम एवं झाबुआ में निर्माण किए जा रहे है। इनमें से 4 वर्किंग वीमेन हॉस्टल 350 सीटर क्षमता वाले यथा सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम एवं झाबुआ का निर्माण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है एवं जिला- उज्जैन, धार, रायसेन एवं भिंड में निर्माण कार्य मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (MPIDC) विभाग द्वारा किया जा रहा है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

बालिकाओं की देखरेख, सुरक्षा, शिक्षा तथा लिंगानुपात में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा मिशन शक्ति उप घटक संबल अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना संचालित है। योजना के प्रारंभ में (वर्ष 2014-15) जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) 916 था, जो वर्ष 2025-26 में 928 हुआ है। योजना में बेटियों को कुशल बनाने, कार्यस्थल में बालिकाओं/महिलाओं की सार्थक एवं समान भागीदारी, बालिकाओं में उच्च शिक्षा/ कौशल विकास बढ़ाना, खेल के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने को शामिल किया गया है। वर्ष 2025-26 में वर्तमान तक योजना पर रुपये 4.73 करोड़ व्यय किए गये है।

प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण उन्हें समर्थ और समुदाय और अर्थव्यवस्था में योगदान करने में सक्षम बनाता है।

राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय, पोषण, वस्त्र, स्वास्थ्य सुविधा, कानूनी सलाह सहायता व अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उनके पुनर्वास की व्यवस्था हेतु भारत सरकार, महिला बाल विकास द्वारा स्वाधार आश्रय गृह (शक्ति सदन) योजना संचालित की जा रही है। 13 जिलों में 14 स्वाधार गृह संचालित हैं जिनमें 186 से अधिक महिलाएं निवासरत हैं। वर्ष 2025-26 में वर्तमान तक योजना पर रुपये 3.42 करोड़ व्यय किए गये हैं।
- प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर कुल 57 वन स्टॉप सेन्टर के द्वारा समस्त प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन सहायता जैसे-पुलिस सहायता, विधिक-सहायता, अस्थायी आश्रय (5 से 7 दिन) चिकित्सा-सहायता एवं काउन्सलिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। वन स्टॉप सेन्टर को महिला हेल्प लाईन 181 से जोड़ा गया है। महिला हेल्प लाइन 181 में 24 घंटे /सातों दिवस महिलाओं से सम्बंधित समस्याएं सुनी जाती हैं तथा उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया जाता है। जनवरी से नवम्बर 2025 तक हेल्प लाईन के माध्यम से 1,38,561 प्रकरणों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण किया गया है।



- "घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2006" के तहत राज्य सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए घरेलू हिंसा से पीड़िता के लिए सहायता योजना संचालित की जा रही है। योजना में शरीर के किसी भी अंग की स्थाई क्षति के परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता पीड़िता को 2 लाख तक एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग पीड़िता को 4 लाख तक की सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है।

• हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन (HEW)

मिशन शक्ति के अन्तर्गत Hub for Empowerment of Women स्वीकृत है। महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रम के अंतर्विभागीय अभिसरण/ समन्वय हेतु राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर एक प्रोजेक्ट निगरानी इकाई स्थापित की गयी है। स्टेट हब केंद्र सरकार एवं जिला हब से समन्वय करेगी, जिला स्तर पर जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन (DHEW) अंतर्विभागीय समन्वय करेंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक, इस योजना पर 4.59 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के उद्देश्य -

1. शासन द्वारा संचालित योजनाओं और सुविधाओं के संबंध में महिलाओं को जानकारी प्रदान करना।
2. महिलाओं को सशक्तिकरण एवं विकास हेतु संस्थागत व्यवस्थाओं से जोड़ना।
3. स्वास्थ्य, शिक्षा, कैरियर एवं व्यावसायिक परामर्श/ प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता आदि से जोड़ना
4. कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना।
5. प्रत्येक स्तर पर सरकारी पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाना और उनकी क्षमता वृद्धि करना।
6. पंचायत, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों जैसे ग्राम स्तरीय संस्थानों के कामकाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना।
7. ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करना।

8.2.3 स्व-सहायता समूह: महिलाओं के आर्थिक विकास और सामाजिक बदलाव की धुरी

मध्य प्रदेश ने स्व-सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने की दिशा में अग्रसर किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का उद्देश्य महिलाओं को बचत, ऋण प्रबंधन, और आर्थिक गतिविधियों में शामिल करना है, साथ ही उन्हें सरकारी योजनाओं और आवश्यक सेवाओं से जोड़ना है। यह मिशन वित्तीय समावेशन पर जोर देता है, जिसमें SHGs को रिवॉल्विंग फंड, सामुदायिक निवेश निधि, और बैंक से जोड़ने जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आजीविका पहल में कृषि, पशुपालन, और गैर-कृषि गतिविधियां शामिल हैं, जिससे लाखों परिवार लाभान्वित हुए हैं। सामाजिक मुद्दों का समाधान करने के लिए खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और वाश (FNHW), जेंडर संवेदी करण और लोक अधिकार केंद्र (LAKs) जैसी योजनाओं के माध्यम से अधिकार एवं जागरूकता को बढ़ावा दिया गया है।

स्व-सहायता समूहों के लिए बजट आवंटन

शासन द्वारा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए बजट का आवंटन किया गया है, जिसे तालिका क्रमांक 8.4 में प्रस्तुत किया गया है:-

तालिका 8.4: एन.आर.एल.एम. बजट प्रावधान एवं व्यय (राशि रुपये करोड़ में)

क्र.	वर्ष	वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप बजट प्रावधान भारत सरकार द्वारा		प्राप्त राशि (केन्द्र व राज्य शासन)	व्यय (प्रारंभिक शेष सहित)
		केन्द्रांश	राज्यांश		
1.	2020-21	260.94	173.96	411.96	383.68
2.	2021-22	488.34	325.56	512.65	391.30
3.	2022-23	488.46	325.64	610.58	595.71
4.	2023-24	488.46	325.64	610.58	621.01
5.	2024-25	597.00	398.00	746.31	585.63
6.	2025-26 (30.11.2025 की स्थिति में)	803.45	535.63	133.90	189.60

स्रोत- मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, 2025

सामुदायिक संस्थागत विकास

मध्य प्रदेश में स्व-सहायता समूह और उनके परिसंघों में शामिल करने के लिए पात्र पाये गये 62.30 लाख ग्रामीण परिवार में से 58,75,535 (94.30%) ग्रामीण परिवारों को 5,10,371 स्व-सहायता समूहों के रूप में संगठित किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में स्व-सहायता समूहों के 40,882 ग्राम संगठन एवं 1,454 संकुल स्तरीय परिसंघ (सीएलएफ) हैं। लगभग 90 प्रतिशत स्व-सहायता समूह के पास अपने बैंक खाते हैं। म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के लोकोस पोर्टल पर स्व-सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठनों की प्रोफाइल एनट्री एवं इनके केवॉयसी के आधार पर विगत वर्षों के आंकड़ों में संशोधन किया गया है।

मध्यप्रदेश में सामुदायिक संस्थाओं के गठन की स्थिति का वर्ष वार विवरण तालिका क्रमांक 8.5 में प्रस्तुत किया गया है:-

तालिका 8.5: सामुदायिक संस्थाओं के वर्ष वार गठन की स्थिति

वर्ष	कुल स्व-सहायता समूह	कुल ग्राम संगठन	संकुल स्तरीय परिसंघों की संख्या	बैंक खाता युक्त स्व-सहायता समूहों की संख्या
2012-13 से 2019-20 तक	2,80,961	19,844	815	2,17,870
2020-21	40,647	4,389	174	56,891
2021-22	39,177	3,804	248	46,504
2022-23	75,039	4,539	113	79,517
2023-24	55,594	1,056	78	31,581
2024-25	13,112	6,896	20	18,565
2025-26 (30.11.2025 की स्थिति में)	5,841	354	06	8,628
कुल (मिशन प्रारंभ से)	5,10,371	40,882	1,454	4,59,556

स्रोत- मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, 2025



स्थापना एवं प्रशासकीय व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 19,687 ग्राम संगठनों को स्टार्ट-अप के रूप में राशि रुपये 120.31 करोड़ एवं 918 संकुल स्तरीय परिसंघों को राशि रुपये 17.67 करोड़ प्रदान किया गया है।

वित्तीय समावेशन

महिला स्व-सहायता समूहों के लिये मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वित्तीय समावेशन और बैंक लिंकेज कराये जाने का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण परिवारों का वित्तीय समावेशन से तात्पर्य वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता से है। विभिन्न वित्तीय सेवाओं में बैंक खाता खोले जाना, बचत, सरकार प्रायोजित बीमा योजनाओं में नामांकन कराये जाने, वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण जैसे कार्य किए जा रहे हैं। महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि बचत करना, बैंक खाता खोलना, बीमा और पेंशन योजनाओं के बारे में जागरूकता प्रदान किए जाने का कार्य सतत रूप से किया जा सके।

म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के लोकोस पोर्टल एवं एनआरएलएम, नेशनल एमआईएस के आधार पर चक्रीय निधि एवं सामुदायिक निवेश निधि के विगत वर्षों के आंकड़ों में संशोधन किया गया है। वर्ष वार स्व-सहायता समूह एवं उनके परिसंघों को प्रदान आरएफ और सीआईएफ का वर्ष वार विवरण तालिका क्र.8.6 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 8.6: म.प्र. में महिला स्व-सहायता समूहों को दिए गए चक्रीय निधि (आर.एफ) एवं सामुदायिक निवेश निधि (सी.आई.एफ) की स्थिति

वर्ष	चक्रीय निधि (आर.एफ) प्राप्त करने वाले स्व-सहायता समूहों की संख्या	चक्रीय निधि (आर.एफ) की कुल राशि (रु. लाख में)	सी.आई.एफ प्राप्त करने वाले स्व-सहायता समूहों की संख्या	सी.आई.एफ की कुल राशि (रु. लाख में)
2012-13 से 2019-20 तक	1,71,328	22,261	68,302	68,476
2020-21	43,860	5,048	19,656	13,670
2021-22	36,187	4,171	19,627	14,213
2022-23	65,050	12,396	19,744	15,486
2023-24	45,994	9,146	37,979	35,159
2024-25	28,449	5,695	31,396	29,559
2025-26 (30.11.2025 की स्थिति में)	15,382	3,076	5,559	5,559
कुल (मिशन प्रारंभ से)	4,06,250	61,793	2,02,263	1,82,122

स्रोत- मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, 2025

नीचे दी गई तालिका बैंक लिंकेज के तहत एसएचजी द्वारा बैंक ऋण प्रस्तावों के प्रति एसएचजी को प्रदान किए गए बैंक ऋण को दर्शाती है:

तालिका 8.7: म.प्र. में महिला स्व-सहायता समूहों की बैंक लिंकेज की स्थिति

वर्ष	बैंक लिंकेज अंतर्गत समूह प्रकरण	बैंक लिंकेज अंतर्गत समूह को प्राप्त ऋण (रू. लाख में)
2012-13 से 2019-20 तक	1,77,331	1,43,564
2020-21	66,784	50,608
2021-22	1,00,678	1,40,746
2022-23	1,40,348	2,45,333
2023-24	1,63,721	3,58,719
2024-25	1,58,443	3,47,367
202-26 (30.11.2025 की स्थिति में)	96,752	1,45,860.41
कुल (मिशन प्रारंभ से)	9,04,057	14,32,197.41
स्रोत- मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, 2025		

आजीविका

• कृषि एवं पशुधन आधारित आजीविका गतिविधियाँ

मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन इस बात पर ध्यान केन्द्रित करता है कि इन महिला समूहों की आर्थिक मजबूती के लिए प्रत्येक परिवार के पास आजीविका के कम से कम 2/3 विकल्प हों। सामूहिक प्रयासों से बॉस, मसाले, सब्जियां, मोरिंगा, बाजरा एवं अन्य मोटे अनाज उत्पादन जैसे कई कृषि और गैर कृषि आजीविका कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। विभागों एवं अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय और आरसेटी (RSETI) के माध्यम से क्षमता निर्माण, आजीविका संस्थाओं जैसे किसान उत्पादक कंपनियों (FPCs) एवं प्रोड्यूसर ग्रुप प्रोत्साहन कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि एवं पशुपालन आधारित आजीविका गतिविधियों से 3.32 लाख परिवारों को लाभांशित किया गया, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3.45 लाख परिवारों को लाभांशित किया गया एवं मिशन आरंभ वर्ष 2012 से अब तक 32.97 लाख परिवारों को लाभांशित किया जा चुका है। अब तक आजीविका मिशन ने 135 उत्पादक कंपनियों को बढ़ावा दिया है। मिलेट आधारित आजीविका संवर्धन हेतु मिलेट उपार्जन एवं प्रसंस्करण गतिविधियों से अब तक 29,898 महिला स्व-सहायता समूह सदस्यों को जोड़ा गया है। नमो ड्रोन दीदी योजना के अन्तर्गत 89 स्व-सहायता समूह सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है और 89 दीदियों को ड्रोन प्राप्त हुए हैं। शेडनेट हाउस के माध्यम से 460 हितग्राहियों द्वारा सब्जी उत्पादन किया जा रहा है।

• गैर कृषि आजीविका

गैर-कृषि आधारित आय सृजन गतिविधियों में कुल 11.13 लाख परिवारों को सहायता प्रदान की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में गैर कृषि आधारित आजीविका गतिविधियों से लगभग 1.11 लाख परिवारों को लाभांशित किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में यह संख्या 36,818 है। प्रदेश में स्व-सहायता समूह के सदस्यों द्वारा “दीदी कैफे” के नाम से अब तक 196 कैफे संचालित किए गये हैं।



एसएचजी सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण पहल

- **खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रम**

इसका उद्देश्य स्व-सहायता समूह सदस्यों में जागरूकता का स्तर बढ़ा कर स्वास्थ्य एवं पोषण के उचित व्यवहारों को अपनाने, विभिन्न सेवाओं व अधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित कर खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य व स्वच्छता के स्तर में सुधार कर गरीबी उन्मूलन व बेहतर आजीविका की ओर बढ़ाना है। यह कार्यक्रम राज्य के 55 जिलों के 313 ब्लॉक में संचालित हैं, जिसमें अब तक 1,420 संकुल स्तरीय परिसंघ (CLF) के 3.2 लाख समूहों की साप्ताहिक बैठक द्वारा क्षमता वर्धन किया गया है।

- **जेंडर कार्यक्रम**

इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्व-सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं का व्यापक स्तर पर जेंडर उन्मुखीकरण, उनके हक-अधिकारों तक पहुँच बढ़ाना, लोक अधिकार केंद्र स्थापित कर गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ढांचागत बाधाओं को दूर करना है। यह कार्यक्रम राज्य के समस्त जिलों के 313 ब्लॉक में क्रियान्वित हैं। जिसमें अब तक 1,213 संकुल स्तरीय परिसंघ (CLF) के 2.81 लाख समूहों का क्षमता वर्धन किया गया है।

- **लोक अधिकार केंद्र**

लोक अधिकार केन्द्र का उद्देश्य विकासखंड स्तर पर सीएलएफ़ के स्वामित्व एवं प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन तथा पंचायती राज संस्थाओं तक महिलाओं की पहुँच बढ़ाने व उनके हक एवं अधिकार प्राप्त कराने के लिए इन संस्थाओं के साथ पैरवी करने के लिए मंच उपलब्ध करना है। 55 जिलों के कुल 313 विकासखंड में 313 लोक अधिकार केंद्र संचालित हैं। इन केंद्र के तहत, 313 समता समन्वयक और 626 समता सखी को चुना गया है और उन्हें ट्रेनिंग दी गई है। हक अधिकार एवं महिला हिंसा से सम्बंधित 68,939 मामलों पर कार्यवाही हुई।

- **कौशल उन्नयन एवं रोजगार**

कौशल उन्नयन एवं रोजगार / स्वरोजगार कार्यक्रम अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयूजीकेवॉय) वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5,062 युवाओं तथा वर्ष 2025-26 में 2,867 युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिलाया गया है। ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) के माध्यम से वर्ष 2024-25 में 50,160 युवाओं को तथा वर्ष 2025-26 में 32,937 युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराए गये हैं। रोजगार मेलों का आयोजन कर शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 31,588 तथा वर्ष 2025-26 में 15,900 युवा रोजगार अंतर्गत नियोजित किए गए। अब तक डीडीयूजीकेवॉय के माध्यम से 1,04,251 युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण तथा आरसेटी के माध्यम से 4,60,732 युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिलाए गये हैं।

नवाचार

- **रूरल कंसल्टेंसी सेंटर - SHG** एवं अन्य ग्रामीणों को आजीविका के संबंध में हैंडहोलिंग सपोर्ट हेतु 37 केंद्र स्थापित।
- **आजीविका पुस्तकालय** - ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, युवाओं एवं समूह सदस्यों को विभिन्न शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराने एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु 72 आजीविका पुस्तकालय आरंभ।
- **विकेंद्रीकृत कौशल प्रशिक्षण** - आदिवासी बाहुल्य /नक्सल प्रभावित जिलों में विशेषकर जनजाति समूहों की परंपरागत कला और ज्ञान को संरक्षित, प्रोत्साहित, और व्यावसायिक बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रम प्रारंभ।
- LIC के सहयोग से 1,258 SHG को बीमा सखी के रूप में ऑनबोर्ड किया गया |

- **IT इंटरवेंशन -**

- CLF की बैठक का रियल टाइम मॉनिटरिंग MPSEDC के सार्थक ऐप के द्वारा प्रारंभ।
- SHG से जुड़ी प्रशिक्षण गतिविधि LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के प्लेटफॉर्म पर प्रारंभ।
- नॉनफार्म वर्टिकल के अंतर्गत 10 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेज के रियल टाइम डेटा कैप्चर हेतु MPSEDC के जियो पोर्टल का उपयोग प्रारंभ।

लखपति दीदी

लखपति दीदी पहल मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के परिवार की आय को बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे बेहतर एवं सम्मानपूर्वक जीवन-यापन सुनिश्चित कर सकें। इस पहल में स्व-सहायता समूह से जुड़े परिवार को 2 या 2 से अधिक आजीविका गतिविधियों (कृषि, पशुपालन, गैर कृषि, कौशल विकास) से जोड़ा जाना है ताकि जोखिम भी कम हो और आमदनी में भी वृद्धि हो। लखपति दीदी इनिशिएटिव में स्व-सहायता समूह सदस्यों के परिवार की मासिक आय न्यूनतम 10 हजार एवं वार्षिक आय 1 लाख व इससे अधिक किए जाने पर कार्य किया जा रहा है।

प्रदेश में 16.41 लाख स्व-सहायता समूह से जुड़े परिवारों को 3 वर्ष में लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस हेतु 526 मास्टर ट्रेनर एवं 20,517 लखपति सीआरपी को चयनित एवं प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षित लखपति सीआरपी द्वारा चयनित स्व सहायता समूह सदस्यों को विभिन्न आजीविका गतिविधियों में प्रशिक्षित कर उनकी आजीविका योजना तैयार करने, नवीन आजीविका गतिविधि के लिये वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करने, समूह सदस्यों के परिवार की आय और व्यय का लेखा-जोखा रखने संबंधी कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही समस्त सीएलएफ स्तर पर थीमेटिक सेल भी बनाया गया है जो कि लखपति दीदी एवं लखपति सीआरपी को सतत् तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान कर रहा है। वर्तमान में 16.38 लाख संभावित लखपति दीदियाँ का प्रशिक्षण तथा लगभग 16 लाख दीदियाँ के परिवार की आय की प्रविष्टि डिजिटल आजीविका रजिस्टर में की जा चुकी है। वर्तमान में 11.27 लाख संभावित लखपति दीदी की डिजिटल आजीविका रजिस्टर में स्वघोषित आय राशि ₹. 01 लाख से अधिक है।

8.2.4 सामाजार्थिक विकास में महिलाओं के अन्य समर्थक और योगदान

मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना

मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष तथा इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना का गठन 2022 में महिला वित्त एवं विकास निगम के अंतर्गत किया गया। मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना के अंतर्गत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना एवं मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की महिला हितग्राहियों के बैंक द्वारा स्वीकृत प्रकरणों पर 2% ब्याज अनुदान दिया जाता है। लाभार्थियों और ट्रांसफर की गई राशि का योजना-वार विवरण नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है:



तालिका 8.8: मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना - योजना-वार हितग्राही एवं राशि

योजना	2023-24		2024-25		2025-26	
	प्रकरण	राशि	प्रकरण	राशि	प्रकरण	राशि
अ. समूहों का विवरण						
स्व-सहायता समूह (ग्रामीण आजीविका मिशन)	30,264	3,66,96,636	0	0	SRLM द्वारा पोर्टल बनाया जा रहा है तदुपरांत प्रकरण प्रेषित किए जायेंगे	
स्व-सहायता समूह (शहरी आजीविका मिशन)	0	0	11,503	35,49,459.12	पोर्टल में कोई नवीन प्रकरण नहीं	
योग (अ)	30,264	3,66,96,636	11,503	35,49,459.12		
ब. SAMAST अंतर्गत महिला उद्यमी						
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना	1,223	29,77,497	7,126	1,66,69,208	10,547	2,41,36,973
डॉ भीम राव आंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना	119	32,430	150	43,461	384	87,543
भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना	105	1,61,699	240	5,60,669	518	9,57,688
संत रविदास स्वरोजगार योजना	90	1,84,659	225	4,14,106	575	9,87,577
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना	117	31,151	246	58,616	235	66,867
योग (ब)	1,654	33,87,436	7,987	1,77,46,060	12,259	2,62,36,648
कुल राशि	31,918	4,00,84,102	19,490	2,12,95,519.12	12,259	2,62,36,648

स्रोत: महिला वित्त एवं विकास निगम, मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदान की गई जानकारी

मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सृजित कुल कार्य दिवसों में महिलाओं के लिए सृजित कार्य दिवसों का अनुपात वर्ष 2024-25 में 43.84% एवं वर्ष 2025-26 में (दिनांक 30.11.2025 तक) 42.26% है। प्रदेश में मनरेगा के तहत हो रहे अच्छे प्रयासों जैसे महिला रोजगार मेट, महिला रोजगार सहायक एवं काम करने वाली महिलाओं के लिए झूलाघर जैसे प्रावधानों के परिणामस्वरूप महिलाओं के काम करने हेतु एक अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ है। प्रदेश में महिलाओं के अंदर सामाजिक सुरक्षा की भावना भी बढ़ी है एवं महिलाएं बिना किसी भेदभाव एवं भय के अपने जीवनयापन हेतु सुरक्षित वातावरण में सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं।

8.2.5 मिशन नारी सशक्तिकरण

मिशन का उद्देश्य: नारी शक्ति मिशन मध्यप्रदेश सरकार की एक प्रमुख, अभिसरण-आधारित पहल है जिसका उद्देश्य पूरे जीवन चक्र में महिलाओं और लड़कियों के समग्र सशक्तिकरण को प्राप्त करना है। मिशन का उद्देश्य सुरक्षा, शिक्षा और जीवन कौशल तक पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य और पोषण परिणामों एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाकर महिलाओं के सामने आने वाली संरचनात्मक और प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान करना है।

मिशन का एक प्रमुख उद्देश्य कई विभागों की समन्वित कार्यवाही के माध्यम से सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक महिलाओं और लड़कियों की समान पहुंच सुनिश्चित करना है, साथ ही जागरूकता और पुरुष संवेदीकरण के माध्यम से समाज में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना भी है।

मिशन लक्ष्य: एनएफएचएस, एसआरएस, एनसीआरबी और पीएलएफएस के आधारभूत संकेतकों के आधार पर, मिशन ने निम्नलिखित छह प्रमुख लक्ष्यों की पहचान की है:

- » जन्म के समय लिंगानुपात में प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 5 अंक की वृद्धि (वर्तमान: NFHS-V अनुसार 956)।
- » 10 या अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा पूरी करने वाली लड़कियों के अनुपात में 5% की वृद्धि (बेसलाइन: 29.3%, NFHS-V)।
- » मातृ मृत्यु दर को 10 अंक कम करना (एसआरएस 2020-22 के अनुसार प्रति लाख जीवित जन्म पर 159 से घटाकर 142 करना)।
- » महिलाओं के खिलाफ अपराधों को 5 अंकों तक कम करें (वर्तमान: 76.8 प्रति लाख, एनसीआरबी 2023)।
- » बाल विवाह के प्रसार को 5% तक कम करना (बेसलाइन: 23.1%, NFHS-V)।
- » महिला श्रम बल भागीदारी दर में 3% की वृद्धि करना (बेसलाइन: 41.7%, PLFS 2023)

क्षेत्र-वार कार्य योजना और प्रगति:

❖ महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा

यह मिशन रोकथाम, सुरक्षा और त्वरित प्रतिक्रिया पर जोर देता है। कार्य योजना में पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन सेवाएं और पॉश अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन जैसे संस्थागत तंत्र को मजबूत करना शामिल है। अपराध हॉटस्पॉट की पहचान, गश्त बढ़ाने, सीसीटीवी कैमरों की स्थापना और बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग जैसे निवारक उपायों को महिलाओं के लिए सामुदायिक स्तर के जागरूकता कार्यक्रमों और आत्मरक्षा प्रशिक्षण के साथ एकीकृत किया गया है।

सुरक्षा और संरक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की गई है। राज्य भर के 987 पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क संचालित हैं, जो शिकायतों का संवेदनशील प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं। 2025-26 के दौरान, संकट में फंसी 1.15 लाख से अधिक महिलाओं को महिला हेल्पलाइन के माध्यम से तत्काल सहायता मिली, जबकि 23,000 से अधिक महिलाओं को वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से सहायता प्रदान की गई। ऑपरेशन स्वयंसिद्ध के तहत बड़े पैमाने पर आत्मरक्षा प्रशिक्षण लिया जा रहा है, जिसका वार्षिक लक्ष्य 1.5 लाख छात्राओं को प्रशिक्षित करना है। स्मार्ट शहरों और शहरी स्थानीय निकायों में शी-लाउंज, पैंक टॉयलेट, स्मार्ट महिला शौचालय और महिला प्रबंधित सुविधाओं के माध्यम से शहरी सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया गया है। बाल विवाह की रोकथाम के प्रयासों के परिणामस्वरूप रिपोर्टिंग अवधि के दौरान 437 बाल विवाह रोके गए हैं।

❖ शिक्षा और जीवन कौशल

यह घटक लड़कियों के लिए शिक्षा की पहुंच, प्रतिधारण और पूर्णता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, साथ ही साथ जीवन कौशल, नेतृत्व गुणों और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। कार्य योजना में आवासीय स्कूली शिक्षा सुविधाओं का विस्तार, छात्रवृत्ति, स्वच्छता और जीवन कौशल शिक्षा का एकीकरण और लड़कियों के लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना शामिल है।



इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति दर्ज की गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) के माध्यम से आवासीय स्कूली शिक्षा ने केजीबीवी (कक्षा 6-12) में 100 प्रतिशत प्रगति और केजीबीवी (कक्षा 9-12) में 99 प्रतिशत प्रगति के साथ लगभग सार्वभौमिक कवरेज हासिल किया है। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लगभग 18 लाख लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिसमें कुल 53.86 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। “उमंग” कार्यक्रम के तहत जीवन कौशल शिक्षा एक लाख से अधिक संरचित सत्रों के माध्यम से लगभग 21 लाख छात्रों तक पहुंच गई है। उच्च शिक्षा स्तर पर, गांव की बेटी योजना जैसी योजनाओं ने 2024-25 में 1.43 लाख से अधिक लड़कियों को लाभान्वित किया है। केवल महिलाओं के लिए समर्पित तकनीकी संस्थानों और आरक्षण नीतियों ने महिला भागीदारी में और सुधार किया है, 2025-26 के दौरान आईटीआई प्रवेश में महिलाओं की हिस्सेदारी 23 प्रतिशत से अधिक है।

❖ स्वास्थ्य और पोषण

स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, पोषण पूरकता और खाद्य सुरक्षा के माध्यम से मातृ और किशोर स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना है। कार्य योजना में गर्भधारण के शीघ्र पंजीकरण, संस्थागत प्रसव, एनीमिया नियंत्रण, किशोर पोषण एवं लिंग चयन को रोकने के लिए गर्भधारण पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम को सख्ती से लागू करने को प्राथमिकता दी गई है।

इस क्षेत्र में प्रगति उल्लेखनीय रही है। एनीमिया मुक्त भारत के तहत, सभी पंजीकृत गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के एक बड़े हिस्से को आयरन और कैल्शियम की खुराक मिली। मातृत्व सहायता योजनाओं के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता वितरित की गई है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत पोषण सेवाओं में लगभग 08 लाख महिलाओं को शामिल किया गया है। महिलाओं के नेतृत्व वाले राशन कार्डों और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा 6,100 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के प्रबंधन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया गया है।

❖ आर्थिक आत्मनिर्भरता

आर्थिक आत्मनिर्भरता मिशन का एक केंद्रीय स्तंभ है, जिसमें आजीविका, कौशल विकास, उद्यमिता और कार्यबल की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कार्य योजना में एसएचजी-आधारित आजीविका को बढ़ावा देना, एमएसएमई और स्टार्टअप में महिला उद्यमिता, ऋण तक पहुंच, कौशल प्रशिक्षण और कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास का प्रावधान शामिल है।

इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, लगभग 2 लाख महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका से जोड़ा गया है और 1.36 लाख से अधिक महिलाओं को पशुपालन गतिविधियों से जोड़ा गया है। 1.52 लाख से अधिक समूहों को 1,624 करोड़ रुपये का एसएचजी बैंक ऋण वितरित किया गया है। राज्य में 3.66 लाख से अधिक पंजीकृत महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई हैं, जो लगभग 19.36 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा करते हैं। मध्यप्रदेश में कुल स्टार्टअप में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 48 प्रतिशत है और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 147.05 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। कामकाजी महिलाओं की सहायता के लिए प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में 5,772 सीटर क्षमता वाले छात्रावास निर्माणाधीन हैं।

8.2.6 समृद्ध मध्यप्रदेश @2047: महिला सशक्तिकरण से संबंधित बिंदु

राज्य का विजन 2047 दृष्टिपत्र समावेशी विकास के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। मध्यप्रदेश विभिन्न पहलों के माध्यम से महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाएगा। इन पहलों में शामिल हैं: जेंडर-intentional आधारभूत संरचना, महिलाओं को रोजगार के लिए निजी कंपनियों को प्रोत्साहन और जिला स्तरीय महिला कौशल विकास प्रकोष्ठ; महिलाओं के लिए सुरक्षित गंतव्य बनाना आदि।

चिन्हित पहलों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए राज्य ने मजबूत रोडमैप बनाया है। महिला सशक्तिकरण से संबंधित कार्य क्षेत्र यहां सूचीबद्ध हैं:

कार्यवाही क्षेत्र	अल्पकालिक	दीर्घकालिक
सभी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के निकट श्रमिक छात्रावास, महिला छात्रावास और संबंधित सामाजिक बुनियादी ढांचे का विकास करना	✓	✓
कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना	✓	✓
प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में महिला केंद्रित सुविधाओं (समर्पित आवास, बच्चों की देखभाल आदि) का विकास करना	✓	✓
महिलाओं और विदेशी पर्यटकों के लिए गंतव्यों में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें- 50 गंतव्यों में 50,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करना	✓	
सहायता बुनियादी ढांचे जैसे कि बच्चों की देखभाल सुविधाएं, छात्रावास, और महिलाओं और वंचित समुदायों के लिए परिवहन	✓	
महिलाओं के समग्र सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में नारी शक्ति@वर्क कार्यक्रम का शुभारंभ करना, जिसमें शिक्षा/कौशल, मेंटरशिप कार्यक्रम आदि शामिल हैं	✓	
जेंडर-intentional आधारभूत संरचना की स्थापना करें: जैसे औद्योगिक क्षेत्रों और आईटी हब में चाइल्ड केयर सेंटर, महिला छात्रावास, आदि	✓	

2047 दृष्टिपत्र महिलाओं के समग्र सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए चार स्तंभों की पहचान करता है:



मात्रात्मक लक्ष्य इस प्रकार हैं:

परिमाणात्मक	म.प्र की वर्तमान स्थिति	2029	2047
महिला श्रम बल भागीदारी %	47.5 %	55.0 %	70.0%
महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई	1.76 L	1.99 L	3.11 L

8.3 बाल विकास एवं संरक्षण

बच्चे समाज का भविष्य हैं। इस जन सांख्यिकी के समग्र विकास से एक विकसित भविष्य का समाज बनेगा जो शिक्षित, स्वस्थ और सशक्त होगा। मध्यप्रदेश में 18 साल से कम उम्र के बच्चों की काफी आबादी है। मध्यप्रदेश सरकार ने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु उन्हें स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिये विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए हैं। इनमें पहला प्रयास बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी, टीकाकरण और आंगनवाड़ी के माध्यम से पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए मिशन वात्सल्य के माध्यम से गांवों और शहरों में बच्चों के लिए समन्वित प्रयास शुरू किए हैं। राज्य सरकार के विभिन्न विभाग जैसे स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, श्रम विभाग, गृह विभाग के साथ-साथ पंचायत और नगर पालिका जमीनी स्तर पर बच्चों के संरक्षण और विकास के लिए समन्वय में काम कर रहे हैं।

8.3.1 बाल बजट- बच्चों में बढ़ता सार्वजनिक निवेश

परिणामोन्मुख और बाल-संवेदनशील बजटिंग की प्रक्रिया में चाइल्ड बजट स्टेटमेंट (CBS) का विकास एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों पर होने वाले सार्वजनिक व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। CBS के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और संरक्षण पर विभागों की बजटीय आवंटनों को एकीकृत कर एक ही दस्तावेज़ में विभागवार प्रस्तुत किया जाता है, जिससे बच्चों में किए जा रहे निवेश अधिक दृश्यमान, और मापनीय बनते हैं। मध्य प्रदेश ने पहली बार वर्ष 2022-23 में चाइल्ड बजट स्टेटमेंट प्रस्तुत किया। चाइल्ड बजट स्टेटमेंट में शामिल योजनाओं को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

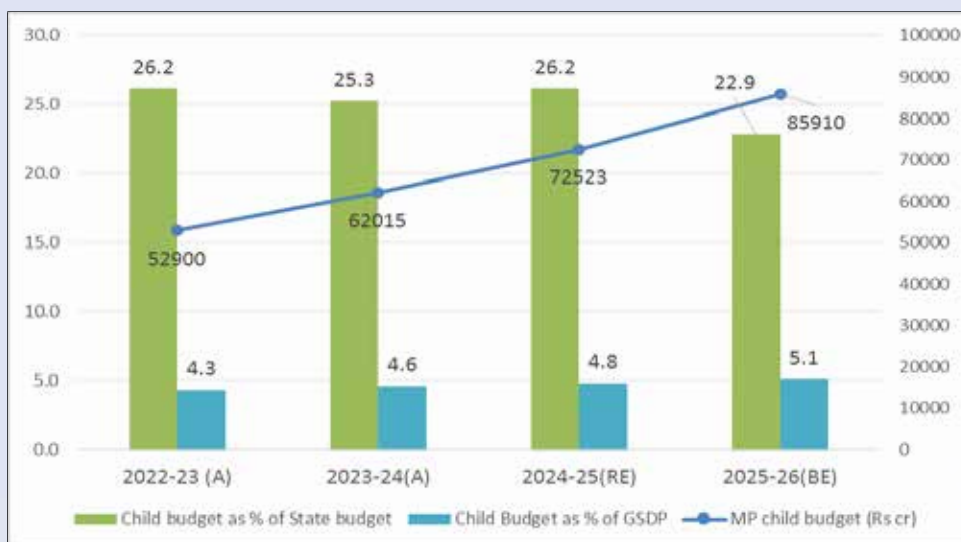
श्रेणी-I: बाल-विशिष्ट योजनाएँ – वे कार्यक्रम जो 100 प्रतिशत बच्चों (0-18 वर्ष) के लिए हैं और पूरी तरह से उन्हीं को लक्षित करते हैं।

श्रेणी-II: बाल-संवेदनशील योजनाएँ – वे कार्यक्रम जो केवल बच्चों के लिए नहीं हैं, लेकिन जिनमें बच्चे प्रमुख लाभार्थी होते हैं। किसी योजना को बाल-संवेदनशील माने जाने के लिए आवश्यक है कि उसके कम से कम 30 प्रतिशत आवंटन या लाभ बच्चों की ओर आवंटित हों।

वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के 17 विभाग चाइल्ड बजट स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और पिछले चार वर्षों से यह संख्या स्थिर बनी हुई है।

रेखाचित्र 8.1 से स्पष्ट होता है कि बच्चों पर व्यय में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2022-23 से 2025-26 के बीच कुल बाल बजट आवंटन नाममात्र (nominal) रूप से 60 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में बाल बजट का हिस्सा भी निरंतर बढ़ा है, जो बच्चों की आवश्यकताओं को दी जा रही बढ़ती राजकोषीय प्राथमिकता को दर्शाता है। हालाँकि, कुल राज्य बजट के अनुपात में देखने पर 2025-26 (बजट अनुमान) में बाल बजट का हिस्सा पिछले वर्षों की तुलना में कुछ कम दिखाई देता है। इससे यह संकेत मिलता है कि यद्यपि बच्चों पर कुल व्यय में वृद्धि हुई है, परंतु समग्र बजट में इसकी सापेक्ष हिस्सेदारी में हल्की कमी आई है।

चित्र 8.1: मध्यप्रदेश में बाल बजट आवंटन में रुझान



नोट: मौजूदा कीमतों पर GSDP (2011-12 सीरीज़)

स्रोत : वित्त विभाग द्वारा प्रकाशित विभिन्न वर्षों के बाल बजट विवरण (CBS) के आधार पर की गई गणनाएँ, खंड-10, बाल बजट।

बच्चों के प्रति मध्य प्रदेश की प्रतिबद्धता बाल-संबंधी व्यय के लिए उपलब्ध राजकोषीय संसाधनों के निरंतर विस्तार में परिलक्षित होती है। 2022-23 से 2025-26, इस अवधि में प्रति-बच्चा व्यय लगभग ₹17,000 से बढ़कर लगभग ₹28,000 हो गया है। यद्यपि मुद्रास्फीति-समायोजित वृद्धि अपेक्षाकृत सीमित है, फिर भी समग्र प्रवृत्ति बच्चों को दी जा रही निरंतर प्राथमिकता को दर्शाती है। राज्य बजट में बाल व्यय की हिस्सेदारी लगातार लगभग 25-26 प्रतिशत तथा GSDP का लगभग 4-5 प्रतिशत बनी हुई है, जो बच्चों पर राजकोषीय प्राथमिकता के संदर्भ में मध्य प्रदेश को बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल करती है।

व्यय की संरचना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जहाँ शिक्षा अब भी सबसे बड़ा हिस्सा बाल बजट का है, वहीं हाल के वर्षों में बाल स्वास्थ्य और जीवन-रक्षा, पहले 1,000 दिनों में पोषण, तथा संवेदनशील समूहों के लिए सामाजिक संरक्षण की ओर भी संतुलन स्थापित किया गया है।

8.3.2 पोषण स्तर में बढ़ोतरी

स्वस्थ जीवन के लिए बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार ने नियमित रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसे कार्यक्रम लागू किए हैं। बच्चों में पोषण में सुधार के लिए की गई पहलों का विवरण नीचे दिया गया है।

आंगनवाड़ी सेवाएं

आंगनवाड़ी केंद्र छह प्रमुख सेवाएं प्रदान करते हैं जिनमें पूरक पोषण, विकास निगरानी और टीकाकरण, प्री-स्कूल शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवा शामिल हैं। कुल 97,806 आंगनवाड़ी/मिनी आंगनवाड़ी केंद्र 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं सहित 61.58 लाख लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। प्रत्येक श्रेणी में लाभार्थियों का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:



तालिका 8.9: आईसीडीएस के तहत लाभार्थियों की संख्या (लाख में)

क्र.	लाभार्थियों की श्रेणी	लाभार्थियों की संख्या 2024-25 (मार्च 2025 की स्थिति)	लाभार्थियों की संख्या 2025-26 (30 नवम्बर 2025 की स्थिति)
1	गर्भवती महिलाएं	4.51	4.12
2	धात्री माताएँ	3.78	3.54
3	6 महीने से 3 वर्ष तक के बच्चे	26.42	24.38
4	3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे	33.80	28.48
5	किशोरियाँ (14 से 18 वर्ष) (केवल 8 आकांक्षी जिलों में)	1.36	1.06
कुल लाभार्थी		69.87	61.58

स्रोत: महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन

लाभार्थियों को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जाता है, ताकि जीवन चक्र का तरीका अपनाकर कुपोषण के पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले चक्र को हराया जा सके, जिसके लिए वर्ष 2024-25 में कुल बजट प्रावधान राशि रुपये 1,302.42 करोड़ था। वर्ष 2025-26 में कुल बजट प्रावधान राशि रुपये 1,166 करोड़ है। पूरक पोषण आहार के रूप में पात्रता अनुसार हितग्राहियों को टेकहोम राशन, सुबह का नाश्ता एवं गर्म पका भोजन प्रदान किया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर चिन्हित 06 माह से 05 वर्ष के अति गंभीर कुपोषित (SAM) बच्चों हेतु हफ्ते में 06 दिन अतिरिक्त आहार के रूप में थर्ड मील प्रदान किया जाता है।

टेकहोम राशन 6 माह से 3 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों (रेसिपी में हलवा, बाल आहार, खिचड़ी शामिल हैं), गर्भवती महिलाओं और धात्री माताएँ (रेसिपी में आटा बेसन लड्डू, गेहूं सोया बर्फी, खिचड़ी शामिल हैं) को सप्ताह में 05 दिन प्रदान किया जाता है।

आंगनवाड़ी केंद्र पर SHGs द्वारा प्रतिदिन 03 से 06 साल के बच्चों के लिए नाश्ता एवं गर्म पका भोजन प्रदान किया जाता है। प्रत्येक मंगलवार को गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को गर्म पका भोजन प्रदान किया जाता है और 06 माह से 03 साल के बच्चों को भी नाश्ता और गर्म पका भोजन प्रदान किया जाता है।

किशोरी बालिका योजनांतर्गत, 14 से 18 वर्ष की किशोरियों (08 आकांक्षी जिले: गुना, छतरपुर, राजगढ़, विदिशा, बड़वानी, खंडवा, दमोह, सिंगरौली में) को सप्ताह में 06 दिन टेकहोम राशन दिया जाता है।

मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम (MMBASK)

प्रदेश में जन्म से 06 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण निवारण के लिए सहयोगी विभागों के समन्वय से “मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम” का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत गैर चिकित्सकीय जटिलता वाले गंभीर कुपोषित बच्चों का पोषण प्रबंधन परिवार स्तर पर समुदाय द्वारा एवं चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चों का प्रबंधन संस्था आधारित पोषण पुनर्वास केन्द्र में किया जाता है। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक की अवधि में कुल 2.99 लाख गंभीर कुपोषित बच्चों का पंजीयन किया जा कर 2.65 लाख (89%) बच्चों को सामान्य पोषण स्तर में लाया गया।

पोषण भी पढ़ाई भी

पोषण भी पढ़ाई भी सक्षम आंगनवाड़ी और मिशन पोषण 2.0 के तहत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में प्रदेश की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को National Curriculum for Early Childhood Care and Education 2024 (आधारशिला) and National Framework for Early Childhood Stimulation 2024 (नवचेतना) के अनुसार प्रशिक्षित किया जाना है।

दो चरणों के इस प्रशिक्षण में प्रत्येक चरण में समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रथम चरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश की 91,429 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। द्वितीय चरण के प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुके हैं, जिनके द्वारा प्रदेश की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना सभी शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं, शासन से अनुदान प्राप्त शालाओं में क्रियान्वित किया जाता है। लक्षित शालाओं के विद्यार्थियों को प्रत्येक शैक्षणिक दिवस में पका हुआ रुचिकर एवं पौष्टिक भोजन वितरित किया जाता है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाल वाटिका, शासकीय तथा शासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाना, वंचित वर्गों से संबंधित गरीब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करना, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को गर्मी की छुट्टियों और आपदा के समय पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है।

वर्ष 2025-26 में 59.13 लाख दर्ज विद्यार्थी हैं एवं औसत उपस्थिति अनुसार 37.23 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण अध्याय 4 ग्रामीण विकास में शामिल है। प्रदेश के शाजापुर जिले के गुलाना अंतर्गत सांदीपनी शाला में स्व सहायता समूह को मेकेनाईज्ड किचिन शेड का प्रशिक्षण दिया जा कर किचिन शेड का संचालन किया जा रहा है।



अभिनव प्रयास

झाबुआ जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए “मोटी आई” पहल- कुपोषण प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी

मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला एक दूरदराज, आदिवासी बहुल क्षेत्र है जो लगातार कुपोषण की चुनौतियों का सामना कर रहा है। आदिवासी समाज में वरिष्ठ महिलाओं (“मोटी आई”) के प्रति गहन सम्मान को देखते हुए, प्रशासन ने जुलाई 2024 में इन बुजुर्गों की स्थिति और प्रभाव का लाभ उठाते हुए “मोटी आई” अभियान शुरू किया। यह अभियान मोटी आई और माताओं को व्यापक जागरूकता, सामुदायिक निगरानी और बच्चों के पोषण में सुधार, एनीमिया को हराने, 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने और बालिका शिक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है। स्थानीय खाद्य विविधता और पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करके, इस पहल का उद्देश्य स्थायी व्यवहार परिवर्तन लाना और पूरे जिले में कुपोषण रोकथाम प्रयासों में तेजी लाना है।

कुल 1,325 मोटी आई को 1,110 आंगनवाड़ी केंद्रों में 1,950 पहचाने गए कुपोषित बच्चों (SAM 1,613 + बॉर्डर लाइन MAM 337) को कवर करने के लिए नामित किया गया था। यह अभियान सुनिश्चित करता है कि हर गांव में कम से कम एक मोटी आई सक्रिय रूप से बच्चों के पोषण की निगरानी करें और माता-पिता और देखभाल करने वालों को शामिल करें।

परिणाम दिसंबर 2025 तक, 1,950 बच्चों में से 1,557 बच्चे सामान्य पोषण स्थिति में आ गए हैं। अब सिर्फ 297 बच्चे MAM कैटेगरी में हैं, जबकि 11 SAM कैटेगरी में हैं। पहचाने गए बच्चों में से 85 बच्चे पलायन कर गए हैं।

आंगनवाड़ी: शाला पूर्व शिक्षा के केंद्र

2024 की वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) के अनुसार, ग्रामीण मध्य प्रदेश में 3 साल के 84% और 4 साल के 68.1% बच्चे आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं, जो अखिल भारतीय स्तर से ज़्यादा है। 3 साल की उम्र में बच्चों का आंगनवाड़ियों में नामांकन का स्तर ज़्यादा है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ-साथ ये आंकड़े धीरे-धीरे कम होते जाते हैं और 6 साल की उम्र तक बच्चे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में जाने लगते हैं।

8.3.3 बाल संरक्षण

कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास हेतु विभिन्न विभागों के तहत संचालित बाल संरक्षण योजनाओं को केन्द्रीय रूप से सम्मिलित कर मिशन वात्सल्य प्रारंभ की गयी है। इसके तहत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 का क्रियान्वयन भी मुख्य घटक है। योजना में 18 वर्ष से कम आयु के देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद (निराश्रित, अभ्यर्पित बेसहारा) बच्चों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास हेतु संस्थागत एवं गैर संस्थागत सेवाएं प्रदान की जा रही है। संस्थागत सेवाओं में विभिन्न संस्थाएं जैसे विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण, बाल गृह, खुला आश्रय गृह, संप्रेक्षण गृह एवं विशेष गृह संचालित किए जाते हैं। गैर संस्थागत सेवाओं में दत्तक ग्रहण, पालन-पोषण देखभाल, स्पांसरशिप योजना एवं पश्चात्कर्ती देखभाल के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के केयर लीवर्स एवं 18 वर्ष तक के अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू की गयी है, जिसमें केयर लीवर्स को

इंटरशिप अथवा व्यवसायिक प्रशिक्षण के दौरान तथा NEET, JEE या CLAT में प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर चयन होने पर सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क के साथ राशि रुपये 5,000 प्रति माह एवं 18 वर्ष तक की आयु तक के अनाथ बच्चों को राशि रुपये 4,000 की सहायता योजना अंतर्गत प्रदान की जाती है। योजना में वर्ष 2025-26 में आफ्टर केयर में 10 तथा स्पॉन्सरशिप में 229 बच्चों के प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं।

मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना

कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता, शिक्षा सहायता एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। योजना अंतर्गत रुपये 5,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता, निःशुल्क खाद्यान्न सहायता दी जाती है एवं शिक्षा सहायता बाल हितग्राहियों के लिए अत्यंत सामयिक और अमूल्य रही एवं शिक्षा सहायता से उनकी शिक्षा निर्बाधित रही। योजना अंतर्गत प्रदेश में वर्ष 2025-26 में 1,096 बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

8.3.4 समृद्ध मध्यप्रदेश @2047: बाल कल्याण सम्बंधित बिंदु

2047 दृष्टिपत्र प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित है, जिसका रणनीतिक बिंदु आंगनवाड़ी केंद्र हैं। इस प्रकार आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत करना और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण भी महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र हैं। इसमें पोषण संबंधी हस्तक्षेप भी शामिल हैं, समग्र लक्ष्य 2047 तक बाल कुपोषण को निम्नतम स्तर तक कम करना है।

विजन दस्तावेज में बच्चों से संबंधित कार्यवाही के क्षेत्र नीचे सूचीबद्ध हैं:

कार्यवाही क्षेत्र	अल्पकालिक	दीर्घकालिक
मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता परिणामों को बढ़ाने के लिए स्कूलों और आंगनवाड़ियों में समन्वित प्रयास के माध्यम से प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा को मजबूत करना	✓	
प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा परिणाम ट्रेकिंग और लिंकड प्रोत्साहन स्थापित करना	✓	
50 प्रतिशत आंगनवाड़ियों को 'सक्षम आंगनवाड़ियों' के रूप में अपग्रेड करना	✓	
भारत सरकार के पोषण भी पढ़ाई भी पाठ्यक्रम का लाभ उठाएं और प्रशिक्षण आयोजित करें; तदनुसार, डिजिटल संसाधनों के साथ टॉप अप करें- 100 प्रतिशत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कवर करना	✓	
सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ईसीसीई प्रमाणपत्र/डिप्लोमा (3-6 महीने) का आयोजन करना	✓	✓
पोषण वृद्धि: मध्याह्न भोजन के लिए आयुर्वेदिक पूरक, क्षेत्रीय सुपर फूड्स (जैसे, बाजरा, पालक, सहजन) प्रदान करना, पोषण विविधता के साथ पीडीएस और पूरक पोषण; पोषण वाटिकाओं को अपनाने के लिए घर-परिवार के हिसाब से ट्रैक करना	✓	✓

मात्रात्मक लक्ष्य इस प्रकार हैं:

परिमाणात्मक	म.प्र. की वर्तमान स्थिति	2029	2047
5 साल से कम उम्र के बच्चे जो वेस्टेड हैं	19% (2021)	<10%	<5%

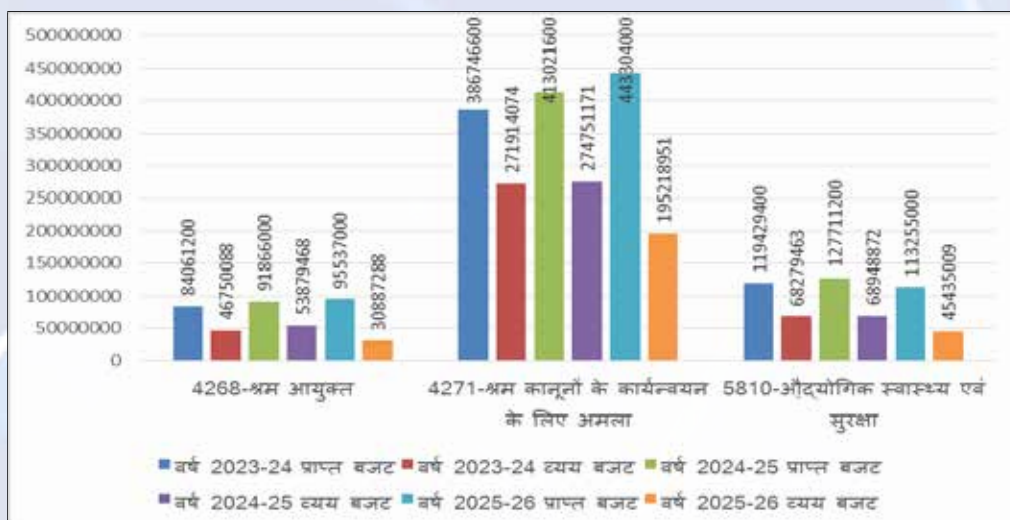


8.4 श्रम एवं रोजगार

8.4.1 श्रम

PLFS (2023-24) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, पुरुषों की श्रमबल भागीदारी दर (LFPR) ग्रामीण भारत की तुलना में शहरी क्षेत्रों में थोड़ी अधिक है। इसके विपरीत, महिलाओं की भागीदारी दर में लगभग 13.2 प्रतिशत अंकों का उल्लेखनीय अंतर देखने को मिलता है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में यह अधिक है। इस परिदृश्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक बड़ा श्रमबल ऐसा है जिसे सेवा उद्योगों में प्रशिक्षित/स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे व्यापक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देश के सकल घरेलू उत्पाद में सकारात्मक योगदान हो सकता है। श्रम के क्षेत्र में राज्य सरकार ने लगातार प्रयास किया है कि, श्रमिकों के अधिकारों और न्यूनतम मजदूरी दर में इस प्रकार वृद्धि हो ताकि वह सतत विकास के लक्ष्य-8 के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। राज्य ने इस दिशा में जो कदम उठाये हैं, उन्हें और उनके परिणामों को इस खण्ड में प्रस्तुत किया गया है।

वित्तीय विवरण - प्रमुख योजनाएँ संदर्भित



चित्र 8. 2 श्रम विभाग से संबंधित कुछ प्रमुख योजना के वित्तीय विवरण

(स्रोत - श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर)

उपरोक्त योजनाओं की उपलब्धि के अतिरिक्त - 9545 विभागीय परिसंपत्ति, 4270 श्रम कल्याण निधि की स्थापना, 6380 इंदौर में स्थित हायजिन लैब का आधुनिकीकरण, 6808 असंगठित कर्मकार मंडल की स्थापना, 5538 बाल श्रमिक सर्वेक्षण/पुनर्वास योजना, 2837 बंधक मजदूरों की पुनर्वास योजना, 2365 मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना एवं 9841 प्रवासी श्रमिक आयोग योजनाओं के पिछले तीन वर्ष के कुल प्राप्त के सापेक्ष व्यय बजट का प्रतिशत निम्नलिखित है -

- वर्ष 2023-24 - 99.87%
- वर्ष 2024-25 - 99.90%
- वर्ष 2025-26 - 49.95% (माह नवंबर 2025 की स्थिति)

उपरोक्त उपलब्धि से परिलक्षित होता है कि सरकार श्रम योजनाओं के प्रति कटिबद्ध रूप से कार्य करते हुए निरंतर लक्ष्यों की प्राप्ति कर रही है।

लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम (LCMS)

1. एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम का विकास कर क्रियान्वित किया गया है।
2. श्रमिकों से संबंधित सभी प्रकार के अर्द्ध न्यायिक प्रकरणों (Quasi-judicial cases) का निपटारा नवीन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा।
3. श्रमिक अब बिना कार्यालय में उपस्थित हुए कियोस्क के माध्यम से प्रकरण प्रस्तुत कर उसकी अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
4. इन प्रकरणों की मॉनिटरिंग करने में आसानी होगी।

पूर्व से लंबित सभी प्रकरणों को ऑनलाइन किया जा चुका है। वर्तमान में समस्त नवीन प्रकरण ऑनलाइन प्राप्त किए जा रहे हैं। विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्त अर्द्ध न्यायिक प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण हेतु समय सीमा सुनिश्चित की गई है।

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजनाएं

म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत निम्नलिखित श्रमिक कल्याणकारी/ हितकारी योजनाएं संचालित की जा रही है -

क्र.	योजना का नाम
1	मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना
2	श्रमोदय विद्यार्थी अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना
3	सुपर 5000 (कक्षा 10वी) योजना
4	सुपर 5000 (कक्षा 12वी) योजना
5	राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरस्कार योजना
6	मुख्यमंत्री नगरीय आवास हेतु अनुदान योजना
7	मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास हेतु अनुदान योजना
8	साइकिल अनुदान योजना
9	औजार/उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना
10	खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना
11	मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना
12	मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना
13	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार सीखो कमाओ योजना
14	आयुष्मान भारत योजना
15	निर्माण श्रमिकों हेतु शेड योजना
16	रैन बसेरा निर्माण योजना
17	कौशल प्रशिक्षण योजना



क्र.	योजना का नाम
18	विदेश अध्ययन हेतु अनुदान योजना
19	मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना
20	भवन एवं अन्य संनिर्माण, दिव्यांग सहायता अनुदान योजना, विवाह सहायता योजना
21	भवन एवं संनिर्माण ई-स्कूटर हेतु अनुदान योजना
22	पंजीकृत भवन एवं संनिर्माण श्रमिकों की संतानों हेतु स्कूल छात्रवृत्ति योजना
23	श्रमोदय आदर्श आई.टी.आई. योजना
24	म.प्र. भवन एवं संनिर्माण (श्रम योगी मान धन) पेंशन योजना
25	निर्माण श्रमिक विश्राम गृह योजना

म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों की संख्या एवं हित लाभ वितरण संबंधी विगत तीन वर्षों की जानकारी निम्नानुसार है:-

तालिका 8.10: म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की विभिन्न योजनाओं अंतर्गत हितग्राही एवं वितरण राशि

विवरण	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26 (नवंबर 2025 तक)
हितग्राहियों की संख्या	1,11,015	1,01,917	88,544
हित लाभ वितरण राशि करोड रुपये	510.24	364.84	334.25

स्रोत - श्रम विभाग मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना

राज्य में मई 2022 से मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल- 2.0) योजना प्रारम्भ की गई है, जिसके अंतर्गत पंजीयन एवं अनुग्रह सहायता की पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। इस योजना के अंतर्गत निम्नानुसार हित लाभ राशि प्रदान की जाती है -

तालिका 8.11: मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना हित लाभ राशि

क्रमांक	योजना का नाम	देय हित लाभ राशि रुपये
1	अंत्येष्टी सहायता राशि	5,000
2	स्थायी अपंगता पर	02 लाख
3	आंशिक स्थायी अपंगता पर	01 लाख
4	सामान्य मृत्यु पर	02 लाख
5	दुर्घटना में मृत्यु पर	04 लाख

मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों की संख्या एवं हितलाभ वितरण संबंधी विगत तीन वर्षों की जानकारी निम्नानुसार है :-

तालिका 8.12: मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजनाओं अंतर्गत हितग्राही संख्या एवं हित लाभ वितरण

विवरण	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26 (अक्टूबर 2025 तक)
हितग्राहियों की संख्या	96610	1,21,120	39,009
हित लाभ वितरण राशि (करोड रुपये)	711.79	1420.02	337.11

स्रोत - श्रम विभाग मध्यप्रदेश

बंधक एवं बाल श्रम

बंधक श्रम - भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बंधक श्रमिक पुनर्वास हेतु केन्द्र परिवर्तित योजना 2021 लागू की गई, जो दिनांक 27.01.2022 से प्रभावशील है। इस योजना में शत-प्रतिशत अंश भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। नवीन बंधक पुनर्वास नीति, 2021 के अंतर्गत निम्नानुसार पुनर्वास/ सहायता राशि का प्रावधान है :-

- बंधक श्रमिकों के विमुक्ति के समय तात्कालिक सहायता के रूप में रुपये 30,000/- दिया जाता है।
- पुनर्वास हेतु सहायता राशि वयस्क पुरुष हितग्राहियों हेतु रुपये 01 लाख है।
- स्पेशल केटेगरी के हितग्राहियों (यथा अनाथ बच्चे, महिलाओं) हेतु पुनर्वास सहायता राशि रुपये 02 लाख होगी।
- ऐसे बंधक श्रमिक जिनका शारीरिक शोषण अथवा मानव तस्करी किया जाता है, से मुक्त कराया गया हो, के लिए पुनर्वास सहायता राशि रुपये 03 लाख होगी।
- प्रत्येक तीन सालों में, ऐसे जिले जो बंधक श्रमिकों के नियोजन की दृष्टि से संवेदनशील है, वहां सर्वेक्षण कराये जाने हेतु प्रत्येक जिला रुपये 4.50 लाख भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा दिये जाने का प्रावधान है।
- राज्य शासन द्वारा बंधक श्रमिक प्रथा के उन्मूलन हेतु जन जागरूकता अभियान चलाये जाने की स्थिति में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकतम राशि रुपये 10 लाख प्रदान की जायेगी, जिसमें 50 प्रतिशत राशि अग्रिम तौर पर देय होगी।
- राज्य शासन द्वारा बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन को ध्यान में रखकर मूल्यांकन अध्ययन कराये जाने की स्थिति में रुपये 1.50 लाख की राशि प्रत्येक अध्ययन हेतु भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा प्रदाय की जायेगी, जिसमें 50 प्रतिशत राशि अग्रिम तौर पर देय होगी।

बंधक श्रमिकों के विमुक्त एवं वितरित सहायता राशि की विगत तीन वर्षों की जानकारी निम्नानुसार है :-

तालिका 8.13: बंधक श्रमिकों के विमुक्त एवं वितरित सहायता राशि

विवरण	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26 (नवंबर 2025 तक)
विमुक्त बंधक श्रमिक संख्या	06	17	19
हित लाभ वितरण राशि (लाख रुपये)	1.20	4.20	0.30

स्रोत: श्रम विभाग मध्यप्रदेश द्वारा प्रदान जानकारी

टीप - वर्ष 2024-25 में विमुक्त 14 एवं वर्ष 2025-26 में विमुक्त 01 श्रमिक को तात्कालिक सहायता राशि प्रदान की गई है, जबकि वर्ष 2024-25 में विमुक्त 03 एवं वर्ष 2025-26 में विमुक्त 18 श्रमिकों को सहायता राशि प्रदान किये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।



बाल श्रम

बालक एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत दिनांक 12 जून, 2025, बाल श्रम के विरुद्ध विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर समस्त क्षेत्रीय श्रम अधिकारियों द्वारा जिला कलेक्टर से समन्वय करते हुए अपने-अपने जिले में जिला टास्क फोर्स के सदस्यों, सी.डब्ल्यू.सी. के सदस्यों, बाल श्रम के क्षेत्र में काम करने वाले एन.जी.ओ. व ट्रेड यूनियन तथा उद्योग व्यवसाय संगठनों को आमंत्रित कर बाल श्रम उन्मूलन पर परिचर्चा कराई गई।

बाल श्रम उन्मूलन दिवस पर जिले के शहर व कस्बों में इस कुप्रथा के विरुद्ध जन-जागरण अभियान चालाया जाने और विभिन्न कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया गया। जन-जागरण के दौरान रैली, सेमिनार आदि का आयोजन किया गया। साथ ही पोस्टर, बैनर, समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु समस्त जिला कार्यालयों को राशि रुपये 07 लाख का बजट आबंटित किया गया।

धारा 14-ख(1) एवं (2) बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि

- राज्य सरकार सभी जिले अथवा दो या अधिक जिलों में बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि की स्थापना करेगी, जिसमें ऐसे जिले या जिलों की अधिकारिता के भीतर बाल और कुमार के नियोजक से वसूली गई रकम जमा की जाएगी।
- समुचित सरकार प्रत्येक ऐसे बालक या कुमार के लिए, जिसके लिए उपधारा (1) के अधीन जुर्माने की रकम जमा की गई है, निधि में रुपये 15,000/- जमा करेगी।

इस संबंध में राज्य के 51 जिलों में बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि का गठन किया जा चुका है। वर्ष 2025-26 में श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा राज्य के सभी जिलों में बाल श्रमिकों के सर्वेक्षण/ पुनर्वास, जिला स्तरीय जनजागरण अभियान चलाने, टास्कफोर्स की बैठकों एवं कार्यशालाओं के आयोजन हेतु रुपये 33 लाख का बजट आबंटित किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। बाल एवं कुमार अधिनियम के अंतर्गत विमुक्त कराए गए बाल एवं किशोर श्रमिकों तथा दोषी नियोजकों के विरुद्ध दायर अभियोजन प्रकरणों की विगत तीन वर्षों की जानकारी निम्नानुसार है :-

तालिका 8.14: विमुक्त कराए गए बाल एवं किशोर श्रमिकों तथा दोषी नियोजकों के विरुद्ध दायर अभियोजन प्रकरण

विवरण	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26 (नवंबर 2025 तक)
विमुक्त कराए गये बाल एवं किशोर श्रमिकों की संख्या	121	181	81
उल्लंघनकर्ता नियोजकों के विरुद्ध दायर अभियोजन संख्या	73	58	0

स्रोत: श्रम विभाग द्वारा प्रदान जानकारी

वर्ष 2025-26 में विमुक्त कराये गये बाल/किशोर श्रमिकों के दोषी नियोजकों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जा रही है।

न्यूनतम वेतन दरें

न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित देय विगत तीन वर्षों के न्यूनतम वेतन की जानकारी निम्नानुसार है :-

तालिका 8.15: मध्यप्रदेश में परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित श्रमिकों को देय न्यूनतम वेतन की दरें रुपये प्रतिमाह एवं प्रतिदिन

श्रेणी	01 अक्टूबर 2023		01 अक्टूबर 2024		01 अक्टूबर 2025	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
अकुशल	9,825	378	10,225	393	12,150	467
कुशल	10,682	411	11,082	426	13,146	506
अर्द्ध कुशल	12,060	464	12,460	479	14,869	572
उच्च कुशल	13,360	514	13,760	529	16,494	634
कृषि श्रमिक	7,822	261	8,332	278	9,928	331
स्रोत: श्रम विभाग द्वारा प्रदान जानकारी						

01 अक्टूबर 2024 से दर्शाई गई न्यूनतम वेतन की दरें माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर के याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.10772/2024 में पारित आदेश दिनांक 10.02.2025 के अधीन है। दिनांक 21 नवंबर 2025 से 4 लेबर कोड नए रूप से लागू किए गए हैं।

8.4.2 रोजगार

प्रदेश के जिला रोजगार कार्यालयों द्वारा निजी क्षेत्र में नियुक्ति हेतु जॉब फेयर का आयोजन किया जाता है। जॉब फेयर नियोजकों एवं आवेदकों को एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिये एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। जिससे स्थानीय आवेदकों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश स्तर पर मेगा जॉब फेयर का आयोजन भी किया जाता है। इस के साथ ही रोजगार कार्यालयों द्वारा भारतीय वायुसेना /थल सेना की भर्ती हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2024-25 में निजी क्षेत्र में नियुक्ति हेतु प्रदेश के रोजगार कार्यालयों द्वारा 654 जॉब फेयर आयोजित किए गये एवं वर्ष 2025-26 में नवम्बर 2025 तक 541 जॉब फेयर आयोजित किए गये।

मध्यप्रदेश में स्थित 52 रोजगार कार्यालयों द्वारा वर्ष 2025-26 (नवम्बर 2025 तक) निजी क्षेत्र में 73,517 आवेदकों को नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर प्राप्त कराये गये जिसमें 12,128 महिलायें, 14,403 अनुसूचित जाति एवं 7,999 अनुसूचित जनजाति के आवेदक शामिल हैं एवं पूर्व वर्ष 2024-25 में निजी क्षेत्र में 78,868 आवेदकों को नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर प्राप्त कराये गये थे जिसमें 12,297 महिलायें, 17,359 अनुसूचित जाति एवं 8,897 अनुसूचित जनजाति के आवेदक शामिल थे। रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजी पर दर्ज कुल आवेदकों की संख्या वर्ष 2024 में 26.18 लाख रही। राज्य के सभी रोजगार कार्यालयों में वर्ष 2024 में 1,75,369 आवेदकों का पंजीयन किया गया था। वर्ष 2024-25 में नियुक्ति हेतु निजी क्षेत्र में ऑफर लेटर प्राप्त आवेदकों की संख्या 78,868 रही है।

युवा संगम

युवाओं को स्व-रोजगार, रोजगार एवं अप्रेंटिसशिप के अवसर एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में युवा संगम का आयोजन किया जा रहा है। यह पहल युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने तथा उनके भविष्य को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जारी निर्देश



दिनांक 05/11/2024 के अनुसार प्रत्येक जिले में निर्धारित दिवस पर युवा संगम का आयोजन किया जा रहा है। यह सतत प्रयास स्व-रोजगार, निजी रोजगार एवं प्रशिक्षुता के अवसरों के समन्वय के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार के प्रयासों को एकीकृत एवं व्यवस्थित कर रहा है। यह पहल रोजगार दिवस, रोजगार मेला तथा प्रशिक्षुता मेला को एक साथ लाती है, जिन्हें क्रमशः एमएसएमई विभाग, रोजगार संचालनालय एवं कौशल विकास संचालनालय द्वारा समन्वित किया जा रहा है। जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में अन्य व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं एवं आउटरीच कार्यक्रमों को भी इस मंच से जोड़ा जा रहा है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नशा मुक्ति अभियान तथा स्वास्थ्य विभाग की मानसिक रोगों से संबंधित योजनाओं को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, साथ ही युवाओं से जुड़ी अन्य योजनाओं को जोड़ने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के प्रत्येक जिले में निर्धारित कैलेंडर के अनुसार किया जाता है। यद्यपि जिला कलेक्टर स्थानीय व्यवस्थाओं के अनुरूप युवा संगम दिवस में परिवर्तन कर सकते हैं। युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन माह नवंबर 2024 से प्रतिमाह किया जा रहा है, जिसमें अब तक (नवंबर 2025 तक) ऑफर लेटर प्राप्त करने वाले आवेदकों की संख्या 99,726, अप्रेंटिसशिप हेतु चयनित आवेदकों की संख्या 11,713, तथा स्व-रोजगार में लाभान्वित आवेदकों की संख्या 45,337 है। इस प्रकार कुल लाभान्वित आवेदकों की संख्या 1,56,776 है।

तालिका 8.16: युवा संगम की उपलब्धियां

वर्ष	युवा संगम कार्यक्रम की संख्या	ऑफर लेटर प्राप्त आवेदकों की संख्या	अप्रेंटिसशिप के लिए चयनित आवेदकों की संख्या	स्वरोजगार में लाभान्वित आवेदकों की संख्या	कुल लाभान्वित आवेदकों की संख्या
2024-25 (नवम्बर 2024 से मार्च 2025 तक)	236	36,641	5,388	5,080	47,109
2025-26 (अप्रैल 2025 से नवम्बर 2025 तक)	420	63,085	6,325	40,257	1,09,667
योग	656	99,726	11,713	45,337	1,56,776

स्रोत- रोजगार संचालनालय

ई.पी.एफ.ओ. (EPFO) विवरण

मध्यप्रदेश औपचारिक रोजगार के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि कर रहा है। EPFO/ई.पी.एफ.ओ. भारत में संगठित/अर्ध संगठित क्षेत्र में श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा कोष का प्रबंधन करता है। औपचारिक क्षेत्र में रोजगार की समीक्षा करने के उद्देश्य से भारत सरकार ई.पी.एफ.ओ. के माध्यम से वर्ष 2018 के पश्चात वेतन भुगतान के आँकड़े प्रतिमाह जारी करती है जिसे ई.पी.एफ.ओ. रिकॉर्ड के अनुसार 'नेट नया पे-रोल' (Net New Payroll) का अंतिम अनुमान (संख्या में) 1^{1/4} वर्ष हेतु प्रस्तुत किया गया है, विवरण निम्नलिखित है:-

- वर्ष 2024-25 - 283973
- वर्ष 2025-26 - 139558 (4 माह की संख्या)

EPFO ए वेबसाइट पर माह अप्रैल 2025 से माह जुलाई 2025 की रिपोर्ट उपलब्ध है, अतः वर्तमान वित्तीय वर्ष का 4 माह का डाटा उपलब्ध है |

8.5 मध्यप्रदेश में सामाजार्थिक विकास को दर्शाने वाले संकेतक

8.5.1 सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीय करण पर मध्यप्रदेश राज्य की प्रमुख गतिविधियाँ

सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals – SDGs) को “वैश्विक लक्ष्य” के रूप में भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होने के नाते भारत इन 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्णतः प्रयासरत है। ये लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय विकास के सभी प्रमुख आयामों को समाहित करते हुए गरीबी के सभी रूपों के उन्मूलन पर केंद्रित हैं। भारत की 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ स्थानीय शासन की प्रमुख इकाई पंचायतें हैं। अतः सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उनका पंचायत स्तर पर स्थानीय करण अत्यंत आवश्यक है। ग्राम पंचायत स्तर पर इन लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंचायत राज प्रतिनिधियों तथा विभिन्न विभागों के कार्मिकों को इनके संबंध में समुचित जानकारी एवं क्षमता निर्माण किया जाना आवश्यक है।

भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह ने पंचायत स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीय करण को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इन 17 लक्ष्यों को 9 विषय गत थीमों में वर्गीकृत किया है, जिनके अंतर्गत पंचायतों द्वारा योजनाबद्ध गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। ये विषय गत थीम निम्नानुसार हैं:-

थीम-1 गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत पंचायत

थीम-2 स्वस्थ पंचायत

थीम-3 बाल-हितैषी पंचायत

थीम-4 जल संतृप्त पंचायत

थीम-5 स्वच्छ और हरित पंचायत

थीम-6 पंचायत में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा

थीम-7 सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत

थीम-8 सुशासन वाली पंचायत

थीम-9 महिला हितैषी पंचायत

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के अंतर्गत पंचायतों की कार्यात्मक, तकनीकी एवं संस्थागत क्षमताओं के सुदृढीकरण का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं स्थानीय संगठनों की सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीय करण विषय पर निरंतर क्षमता-वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है। वर्ष 2022 से प्रतिवर्ष ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) अंतर्गत 09 विषयों को समाहित करते हुए थीमेटिक जीपीडीपी का निर्माण किया जा रहा है। जीपीडीपी निर्माण से पूर्व ग्राम पंचायतों द्वारा समुदाय के साथ मिलकर संबंधित थीम पर संकल्प पारित किए जाते हैं, जिन्हें पंचायत निर्णय पोर्टल पर दर्ज किया जाता है। वर्ष 2026-27 के लिए अब तक लगभग 9,500 ग्राम पंचायतों द्वारा संकल्प पारित किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत राज्य, जिला एवं जनपद स्तर पर निरंतर प्रशिक्षण, उन्मुखीकरण कार्यक्रम एवं विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। साथ ही संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से भी विषय गत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2026-27 में थीमेटिक जीपीडीपी निर्माण एवं योजना में वीपीआरपी (VPRP) के समायोजन हेतु समस्त जिला पंचायतों के नोडल अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर तथा आजीविका मिशन के जिला योजना प्रबंधकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।



वर्ष 2025-26 के दौरान कुल थीमेटिक प्रशिक्षण लक्ष्य 17,000 के विरुद्ध लगभग 13,500 प्रशिक्षणार्थियों को सतत विकास लक्ष्यों एवं थीमेटिक ग्राम पंचायत विकास योजना पर प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनमें जिला एवं जनपद स्तर के अधिकारियों के साथ-साथ ग्राम पंचायत स्तर के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ तथा ग्राम की महिलाएँ सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, निर्वाचित महिला जन प्रतिनिधियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे प्रदेश में लगभग 50,000 महिला जन प्रतिनिधियों को सतत विकास लक्ष्यों, थीमेटिक जीपीडीपी, पंचायतों में उनकी भूमिका तथा जेंडर संवेदनशीलता विषयों पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान संस्था द्वारा 30 जनपदों में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। सतत विकास लक्ष्यों के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस उद्देश्य से विभिन्न वीडियो, पोस्टर, बैनर, स्लोगन आदि सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) सामग्री तैयार कर ग्राम पंचायत स्तर तक प्रेषित की जा रही है। माह जनवरी 2026 में पुणे, महाराष्ट्र में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के नेतृत्व में आयोजित दो-दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में मध्यप्रदेश से 8 ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के समूह ने राज्य अधिकारियों के नेतृत्व में सहभागिता की। इन ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का चयन 'मॉडल वीमेन एवं गर्ल-फ्रेंडली पंचायत' कार्यक्रम के अंतर्गत थीम-9 (महिला-हितैषी पंचायत) पर उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति जिला 1 ग्राम पंचायत का चयन किया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीय पंचायत स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निरंतर प्रयासरत है। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण, उन्मुखीकरण, व्यापक प्रचार-प्रसार तथा गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन के माध्यम से सतत निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 23,011 है, जो इस कार्य को एक वृहद दायित्व बनाती है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति जनमानस में सतत प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन लाकर ही संभव है।

सतत विकास लक्ष्य (SDG) कार्यक्रमों के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास की गति को तेज करते हुए मध्यप्रदेश में जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर तक इन लक्ष्यों को मुख्यधारा में सम्मिलित किया जा रहा है। अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समाज के सभी घटकों—जैसे समाजसेवी, प्रबुद्ध वर्ग, नागरिक संगठन, सामाजिक संस्थाएँ, उद्योग जगत तथा शासकीय विभागों—के मध्य सतत, समन्वित एवं सहयोगात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, प्रत्येक संबंधित विभाग द्वारा अपने-अपने लक्ष्यों से संबंधित सूचकांकों की प्रगति पर नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन करते हुए समय-समय पर नीतियों का अद्यतन, रणनीतियों में आवश्यक संशोधन तथा समग्र और सर्व हितकारी परिणामों की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयास सुनिश्चित किए जा रहे हैं, ताकि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सतत विकास लक्ष्यों को न केवल समाज के व्यापक हित में बल्कि पर्यावरण एवं ग्रह के दीर्घकालिक कल्याण हेतु भी सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके।

8.5.2 मिशन गरीब कल्याण

समग्र रूपरेखा और उद्देश्य

गरीब कल्याण मिशन एक राज्य के नेतृत्व वाली, परिणामोन्मुखी पहल है जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में बहुआयामी गरीबी में निरंतर कमी लाना है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमडीपीआई) ढांचे में आधारित, मिशन का लक्ष्य स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को कवर करते हुए बारह संकेतकों में सुधार करना है। इसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करते हुए व्यक्तिगत आय के स्तर को कम से कम राज्य के औसत तक बढ़ाना है। मिशन एक संतृप्ति-आधारित दृष्टिकोण अपनाता है, जिसके तहत

पात्र परिवारों को व्यापक रूप से पहचाना जाता है और मौजूदा केंद्रीय और राज्य योजनाओं के तहत कवर किया जाता है, जो टिकाऊ और समावेशी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आजीविका वृद्धि उपायों और संस्थागत सुदृढीकरण द्वारा समर्थित होते हैं।

टियर-I: बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमडीपीआई) में सुधार

टियर-I : एमडीपीआई आयामों में योजना संतुष्टि के माध्यम से अभाव में प्रत्यक्ष कमी पर केंद्रित है।

आयाम 1: स्वास्थ्य

मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकलापों में पोषण, मातृ स्वास्थ्य और शिशु उत्तरजीविता को प्राथमिकता दी जाती है। पोषण अभियान, आईसीडीएस और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, 23.30 लाख समुदाय आधारित कार्यक्रमों और 11.60 लाख ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस सत्रों के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 2024-25 के दौरान, 14.24 लाख सीबीई और 6.27 लाख वीएचएसएनडी आयोजित किए गए, और लगभग 97,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में से 94-100 प्रतिशत को स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा और पोषण भी पढ़ाई भी के तहत प्रशिक्षित किया गया। परिणामस्वरूप, पोषण संकेतकों में लगातार सुधार हुआ है, कम वजन का प्रसार लगभग 23.2 प्रतिशत तक गिर गया है और 2025-26 तक यह लगभग 37.8 प्रतिशत तक कम हो गया है। खाद्य सुरक्षा कवरेज 546.42 लाख की सीमा के मुकाबले 537.44 लाख लाभार्थियों तक पहुंच गया, जो पूर्ण परिपूर्णता के करीब पहुंच गया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत व्यापक जांच के माध्यम से बाल और किशोर स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हुआ है, जिसने लगातार 93-94 प्रतिशत कवरेज हासिल किया है। आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा 4.43 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंच गई, जिसने 2025-26 तक 94 प्रतिशत संतुष्टि हासिल की। मातृ स्वास्थ्य संकेतकों में भी मजबूत लाभ दर्ज किया गया, जिसमें चार प्रसव पूर्व देखभाल यात्राओं से संबंधित अभाव घटकर केवल 0.22 प्रतिशत और संस्थागत प्रसव 80 प्रतिशत से अधिक हो गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कवरेज 2024-25 के दौरान वार्षिक लक्ष्यों को पार कर गया।

आयाम 2: शिक्षा

शिक्षा का आयाम पर्याप्त वर्षों की स्कूली शिक्षा और नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। समग्र शिक्षा के तहत, 2024-25 में 28.6 लाख बच्चों को कवर करने के साथ, लगभग 15.7 लाख बच्चों को कवर करने का वार्षिक लक्ष्य काफी हद तक पार हो गया था। बच्चों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण, स्कूल न जाने वाले बच्चों की पहचान और स्पॉट दाखिले के माध्यम से स्कूल में उपस्थिति में सुधार हुआ है। पीएम पोषण के तहत पोषण संबंधी सहायता ने इन प्रयासों को मजबूत किया, 2024-25 में 42.8 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 44.2 लाख बच्चों को कवर किया, जिससे बेहतर प्रति धारण और सीखने की निरंतरता में योगदान मिला।

आयाम 3: जीवन स्तर

मिशन आवास, स्वच्छता, जल, ऊर्जा, पर संपत्तियां और वित्तीय समावेशन सहित जीवन स्तर के कई पहलुओं को संबोधित करता है। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत, 89.12 लाख परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, उज्ज्वला 3.0 के माध्यम से और विस्तार किया जा रहा है। 2024-25 में 1.75 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के साथ स्वच्छता कवरेज में सुधार हुआ और ग्रामीण और शहरी दोनों घटकों के तहत 2025-26 में निरंतर प्रगति हुई। जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की पहुंच में तेजी से विस्तार हुआ, 2024-25 में 7.53 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 8.19 लाख घरेलू नल कनेक्शन हासिल किए गए। सूर्य घर बिजली



योजना के तहत बिजली की पहुंच और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में तेजी आई, जिसमें 2024-25 में 35,617 घरों को कवर किया गया और जनवरी 2026 तक यह बढ़कर 85,681 घरों तक पहुंच गया। आवास एक प्रमुख हस्तक्षेप क्षेत्र बना हुआ है, जिसमें 11.46 लाख ग्रामीण घरों को मंजूरी दी गई है और 2024-25 में 4.21 लाख पूरे किए गए हैं, साथ ही 90,664 शहरी घरों को पूरा किया गया है। वित्तीय समावेशन लगभग सार्वभौमिक स्तर पर पहुंच गया, पीएम जन धन खाते बढ़कर 4.63 करोड़ हो गए और पीएम मुद्रा ऋण लगातार वार्षिक लक्ष्य से अधिक हो गए।

टियर-II: आजीविका संवर्धन (आजीविका संवर्धन)

टियर-II : बुनियादी ढांचे, कृषि, कौशल और रोजगार के अवसरों को मजबूत करके आय की गरीबी को दूर करता है।

आयाम 1: बुनियादी ढांचे का विकास

पीएमजीएसवाई-IV के माध्यम से ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है, जिसके तहत 2025-26 में 1,845 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार की गई है, जिसमें 2026-27 और 2027-28 में 730 किलोमीटर का लक्ष्य है। हालांकि केंद्रीय दिशा-निर्देश देर से जारी होने के कारण 2024-25 में भौतिक प्रगति में देरी हुई, लेकिन प्रारंभिक कार्य पूरा हो चुका है। क्षतिग्रस्त ग्रामीण पुलों का पुनर्निर्माण भी चल रहा है, 200 से अधिक पुलों के लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है और प्रारंभिक सेट के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। सालाना लगभग 88,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के नियमित रखरखाव ने लगातार 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किए हैं।

आयाम 2: प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और कृषि आधारित आजीविका

पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत वाटर शेड विकास लगातार प्रगति कर रहा है, 2024-25 में 836 माइक्रो-वाटरशेड पूरे किए गए और 2025-26 में 476 पूरे हो गए (जारी)। बाजरा संवर्धन, बागवानी विस्तार और प्राकृतिक खेती सहित कृषि विविधीकरण पहल में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। बाजरा से संबंधित हस्तक्षेप 2024-25 में लक्ष्य से अधिक हो गया, जबकि दिसंबर 2024 में शुरू किए गए प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन ने 2025-26 में 75,650 हेक्टेयर का अपना पूर्ण वार्षिक लक्ष्य हासिल कर लिया। मनरेगा के तहत रोजगार सृजन मजबूत रहा, 2024-25 में 18.96 करोड़ व्यक्ति-दिवस और दिसंबर 2025 तक 15.53 करोड़ व्यक्ति-दिवस सृजित हुए।

आयाम 3: कौशल विकास और गैर-कृषि रोजगार

डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई के तहत कौशल विकास पहल ने मजदूरी और स्वरोजगार का समर्थन करना जारी रखा। डीडीयू-जीकेवाई ने 2024-25 में 5,062 और 2025-26 में 3,046 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया, जबकि आरएसईटीआई ने वार्षिक लक्ष्य को पार कर लिया। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एक प्रमुख आकर्षण था, जिसमें 2024-25 में 4.01 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 7.27 लाख महिलाओं ने लखपति दीदी का दर्जा हासिल किया। ग्रामीण पर्यटन पहलों, स्टार्टअप इनक्यूबेशन प्रयासों और अमृत सरोवर कार्यों के माध्यम से अतिरिक्त आजीविका विविधीकरण हासिल किया गया, जिसमें 3,900 के लक्ष्य के मुकाबले 5,839 अमृत सरोवर संरचनाओं का निर्माण पूरा किया गया।

टियर- III: संगठनात्मक और संस्थागत संरचनाओं को मजबूत करना

टियर- III : टियर- I और टियर-II के तहत परिणामों को बनाए रखने के लिए शासन, विकेंद्रीकरण और नागरिक भागीदारी को मजबूत करता है।

आयाम 1: पेसा और पंचायती राज के तहत सशक्तिकरण

पेसा क्षेत्रों में, पिछले दो वर्षों में 929 नई ग्राम सभाओं का गठन किया गया, जिससे सक्रिय ग्राम सभाओं की कुल संख्या बढ़कर 11,673 हो गई। 11,781 विवाद समाधान समितियों, 11,534 वन संसाधन और योजना समितियों और 22,133 महिला सहायता समितियों के गठन के माध्यम से संस्थागत सुदृढ़ीकरण को मजबूत किया गया था।

आयाम 2: शहरी शासन और नागरिक भागीदारी

स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से शहरी शासन को मजबूत किया गया था। छह संपीड़ित बायो गैस संयंत्रों के लिए निविदा दी गई और तीन को पुरस्कृत किया गया, जिसमें सभी आठ नियोजित संयंत्रों के लिए निर्माण शुरू किया गया। 1.55 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों को शामिल करने वाले स्वच्छता अभियानों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिक भागीदारी को मजबूत किया गया था।

आयाम 3: विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण

निधियों, कार्यों और पदाधिकारियों के हस्तांतरण के माध्यम से विकेंद्रीकरण को मजबूत किया गया था। ग्राम पंचायतों को 25 लाख रुपये तक के कार्यों को निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया गया था, जबकि शहरी स्थानीय निकायों को मौजूदा वैधानिक ढांचे के तहत वित्तीय शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार दिया गया था।

संदर्भ

1. मध्यप्रदेश बजट 2025-26, खंड 01- वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश सरकार
2. महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना
3. महिला वित्त एवं विकास निगम, मध्यप्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना
4. पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना
5. अभ्युदय मध्यप्रदेश @2047 विज़न डॉक्यूमेंट, मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग
6. मिशन नारी सशक्तिकरण एवं मिशन गरीब कल्याण की विभागीय प्रस्तुतीकरण
7. रोजगार निदेशालय से दिनांक 26 दिसम्बर 2025 को प्राप्त सूचना
8. श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर से दिनांक 05 दिसम्बर 2025 को प्राप्त सूचना
9. जनवरी 2026 में सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में पंचायती राज विभाग से प्राप्त सूचना
10. सतत विकास लक्ष्य - MoSPI वेब पोर्टल
11. नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स संस्करण
12. MoSPI द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रगति दस्तावेज़
13. ईपीएफओ वेबसाइट - अंतिम बार 27 जनवरी 2026 को एक्सेस की गई |



स्वास्थ्य

मानसिक स्वास्थ्य समग्र कल्याण का एक मूलभूत हिस्सा है।

श्री नरेंद्र मोदी

मध्यप्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीकी के साथ आम जनमानस हेतु सुलभ एवं सुगम बनाने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। मध्यप्रदेश में आर्थिक गतिविधि बढ़ाने हेतु सरकार ने कई कदम उठाए हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य एक बेहतर स्वास्थ्य समाज की नींव है, अतः प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अगर स्वस्थ होगा तो प्रदेश की GSDP में सकारात्मक योगदान देते हुए स्वयं, परिवार एवं स्वस्थ समाज को सृजित करने में अपना पूर्ण योगदान देता है। प्रदेश में उच्च गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु PPP मॉडल को अपनाते हुए जिलों एवं विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में डायलिसिस, लैब जाँच, सी. टी. स्कैन सेवाएँ, सेवा प्रदाताओं के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। वर्तमान में प्रदेश के सभी 53 जिलों के 53 जिला चिकित्सालयों, 14 सिविल अस्पताल तथा 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, कुल 70 स्वास्थ्य संस्थाओं में डायलिसिस इकाइयाँ क्रियाशील हैं। वर्तमान में प्रदेश में समस्त जिलों के कुल 51 जिला चिकित्सालयों एवं चिन्हित 02 सिविल अस्पतालों में कुल 04 सेवा प्रदाताओं के माध्यम से सी. टी. स्कैन मशीन स्थापित कर जांच सुविधाएं प्रदान की जा रही है। प्रदेश में कुल 13 चिकित्सा महाविद्यालयों के लिये टेण्डर प्रक्रिया की गई। जिनमें से 04 जिला बैतूल, पन्ना, कटनी तथा धार के लिए निविदा में सफल निविदाकार पाये जाने पर स्वीकृति जारी की गई है। स्वास्थ्य संबंधित सूचकांक जैसे - ANC पंजीयन, खून की कमी वाली गर्भवती का प्रबंधन, मातृ मृत्यु प्रकरणों की समीक्षा, प्रस्तुत बजट तालिका में पिछले वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य सेवाएँ तथा चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में 17.56% एवं 15.45% बजट वृद्धि स्पष्ट परिलक्षित है, जो शासन की प्रतिबद्धता का एक सकारात्मक चित्रण करता है।

मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य व्यय की स्थिति

मध्यप्रदेश में कुल स्वास्थ्य व्यय (Total Health Expenditure - THE) ₹ 34,112 करोड़ है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3.0% है तथा प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय ₹ 4,013 रहा है। यह स्तर राज्य द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र को दिए जा रहे बढ़ते महत्व को दर्शाता है, जो सेवा-विस्तार, जनसंख्या कवरेज तथा बदलते रोग-भार की आवश्यकताओं के अनुरूप है। (रिपोर्ट NHA 2021-22)

स्वास्थ्य वित्तपोषण संरचना की एक विशेष रूप से उत्साहजनक विशेषता सार्वजनिक क्षेत्र की सशक्त भूमिका है। राज्य का सरकारी स्वास्थ्य व्यय (Government Health Expenditure - GHE) कुल स्वास्थ्य व्यय का 51.9% है, जो GSDP का 1.6% तथा कुल सरकारी सामान्य व्यय (GGE) का लगभग 8% है। प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय ₹2,083 होना इस बात का संकेत है कि राज्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, अधोसंरचना विकास तथा वित्तीय सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने हेतु निरंतर निवेश कर रहा है। कुल स्वास्थ्य व्यय में आधे से अधिक भाग का सार्वजनिक स्रोतों से आना, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage) की दिशा में राज्य की प्रगतिशील पहल को प्रतिबिंबित करता है।

मध्यप्रदेश में जेब से होने वाला व्यय (Out-of-Pocket Expenditure - OOPE) ₹14,781 करोड़

अनुमानित है, जो कुल स्वास्थ्य व्यय का 43.3%, GSDP का 1.3% तथा कुल सरकारी सामान्य व्यय का 6.7% है। प्रति व्यक्ति OOEPE ₹1,739 रहा है। यद्यपि घरेलू स्तर पर योगदान अभी भी महत्वपूर्ण बना हुआ है, तथापि कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी हिस्सेदारी अपेक्षाकृत अधिक होने से OOEPE को नियंत्रित करने में सहायता मिली है। यह स्थिति निःशुल्क दवा एवं जांच योजनाओं, सार्वजनिक अस्पतालों की सुदृढ़ता तथा स्वास्थ्य बीमा कवरेज विस्तार के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है।

समग्र आकलन

- समग्र रूप से, मध्यप्रदेश की स्वास्थ्य-वित्तीय संरचना एक संतुलित एवं सुदृढ़ होती व्यवस्था को प्रदर्शित करती है:
- राज्य ने कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी हिस्सेदारी को सशक्त बनाते हुए उल्लेखनीय सार्वजनिक निवेश सुनिश्चित किया है।
- प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय राज्य में स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। वर्तमान ढांचा भविष्य में घरेलू वित्तीय बोझ को और कम करने के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है।

9.1 बजट

तालिका 9.1 - बजट विवरण

विभाग	2023-24BE	2024-25BE	2025-26BE
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ	11987.74	15508.72	18232.38
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा	3766.25	4758.69	5494.12
खाद्य एवं औषधि प्रशासन	54.87	56.69	108.48
योग	15808.86	20324.10	23834.98

स्रोत - स्वास्थ्य निदेशालय म. प्र. (*नोट- राशि करोड़ में)

9.2 अधोसंरचना

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संबंधित अधोसंरचना तालिका 9.2 में प्रस्तुत है:-

तालिका 9.2 स्वास्थ्य अधोसंरचना

क्रमांक	संस्था का नाम	संख्या
1	चिकित्सा महाविद्यालय	19 (13 स्वशासी एवं 6 शासकीय)
2	जिला चिकित्सालय	55
3	सिविल अस्पताल	158
4	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	348
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1442
6	उप स्वास्थ्य केंद्र	10256

स्रोत - स्वास्थ्य निदेशालय म. प्र.



चिकित्सालयों में शैया की उपलब्धता

तालिका 9. 3 स्वास्थ्य केंद्रों पर बेड/शैया की संख्या - मध्यप्रदेश

क्र.	प्रकार	वर्ष 2025
1	चिकित्सा महाविद्यालयों में कुल बेड की संख्या	14,845
2	जनरल बेड	48,298
3	आइसोलेशन बेड	15,500
4	ICU बेड	1,695
5	HDU बेड	563
6	SNCU बेड	1654 (62 इकाइयाँ)
7	NBSU बेड	800 (200 इकाइयाँ)
8	PICU बेड	809 (68 इकाइयाँ)
9	NRC बेड	3817 (318 इकाइयाँ)

स्रोत - स्वास्थ्य निदेशालय म. प्र.

9.3 आयुष्मान भारत

9.3.1 आयुष्मान निरामयम (AB-PMJAY)

राज्य में संचालित प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाएँ आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) — की अद्यतन स्थिति नीचे विस्तृत रूप में दी गई है।

तालिका 9. 4 चिकित्सालयों से अनुबंध स्थिति

कुल संबद्ध (Empanelled) चिकित्सालय	शासकीय चिकित्सालय	निजी चिकित्सालय
1,623	985 (61%)	638 (39%)

स्रोत - आयुष्मान भारत कार्यालय म. प्र.

मध्यप्रदेश से संबंधित विशेष जानकारी:

- राज्य में कुल शासकीय चिकित्सालयों की संख्या: 2,021
- आयुष्मान भारत योजना में सम्मिलित (Empanelled) शासकीय चिकित्सालय: 985 (लगभग 49%)

नोट: राज्य में कुल 1,623 चिकित्सालय योजना से जुड़े हुए हैं, जिनमें से 985 शासकीय एवं 638 निजी हैं। इस प्रकार शासकीय अस्पतालों की सहभागिता दर लगभग 49 प्रतिशत है।

आयुष्मान कार्ड निर्माण की स्थिति

- नवंबर 2025 तक राज्य में कुल 4.42 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, जो कि कुल पात्र जनसंख्या का लगभग 94.08% है।
- इस उपलब्धि के साथ मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, जहाँ आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रगति अत्यधिक संतोषजनक रही है।

तालिका 9. 5 आयुष्मान योजना अंतर्गत बजट प्रावधान (2024-25) करोड़ में

श्रेणी	स्रोत / विभाग	प्रावधान	आवंटन
SECC	केंद्र 60%	648.72	631.70
	राज्य 40%	432.48	432.48
SECC NO	राज्य 100%	1280.00	1280.00
BOCW	राज्य श्रम विभाग 100%	312.38	311.68
कुल योग		2672.88	2655.86

स्रोत - आयुष्मान भारत कार्यालय म. प्र. (आकंड़े माह फ़रवरी 2026 तक)

3.2 आयुष्मान भारत ABDM के परिपेक्ष में 19-45 वर्ष आयु वर्ग के जनमानस की 49% 46-60 आयु वर्ग की 17% 6-18 वर्ष की 14%, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की 11% तथा 0-5 आयु वर्ग के लगभग 8% की आभा आईडी सुनिश्चित की गई | इस प्रकार विश्लेषण करने पर जेन्डर के परिपेक्ष में देखा जाये तो यह प्रतिशत पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के अनुसार पुरुष वर्ग का 50.44% तथा महिला वर्ग का 49.56% (दिनांक 9 फ़रवरी 2026) रहा है | अद्यतन आकड़े निम्नानुसार है:-

तालिका 9. 6 आयुष्मान योजना ABDM स्थिति

मापदंड (Metric)	अद्यतन आंकड़े (30 Nov 2025 तक)
माइक्रोसाइट की स्थिति	सभी 6 माइक्रोसाइट पूर्ण हो चुके हैं
ABHA (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) बनाए गए	5,33,33,169
लिंक किए गए स्वास्थ्य अभिलेख (Health Records)	2,30,31,474
स्वास्थ्य संस्थान पंजी (HFR)	17,830
स्वास्थ्य पेशेवर पंजी (HPR)	16,073
"स्कैन एंड शेयर" टोकन जनरेट किए गए	78,24,994

स्रोत - आयुष्मान भारत कार्यालय म. प्र.

नोट: राज्य ने डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को अपनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। सभी छह माइक्रोसाइट अब पूरी तरह कार्यरत हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की डिजिटल पहुँच में तेजी आई है।

9.3.3 प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM)

5 वर्षों के लिए देश भर में स्वास्थ्य सेवा की अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी राष्ट्रीय योजना (वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक)। इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर 2021 को वाराणसी में किया गया था।

योजना का उद्देश्य

- वर्तमान और भविष्य की महामारियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वास्थ्य सेवा में स्वास्थ्य प्रणालियों को विकसित / मजबूत करना।
- आईटी आधारित रोग निगरानी प्रणालियों का विस्तार और निर्माण करना।



3. महामारी अनुसंधान, बहु-क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थानों और वन हेल्थ के लिए स्वास्थ्य प्रणाली के मंच को मजबूत करना। COVID जैसी आपदाओं के लिए आपातकालीन स्वास्थ्य प्रबंधन की जरूरतों को पूरा करना।

प्रगति (माह नवंबर 2025 तक) अधोलिखित है :-

- योजना अंतर्गत समस्त 301 निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
- कुल प्रगति - 12 क्रिटिकल केयर ब्लॉक, 30 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब एवं 140 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
- कुल क्रियाशील - 02 क्रिटिकल केयर ब्लॉक, 25 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब एवं 62 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट।

9.3.4 व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (CPHC) / आयुष्मान आरोग्य मंदिर

जनसमुदाय को उनके निवास के समीप समग्र स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश में सभी ग्रामीण व शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित किया गया है, इनके माध्यम से वर्तमान में प्रदाय की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ-साथ उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, कैंसर तथा अन्य रोगों से संबंधित सेवाएं भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। उपस्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदायगी हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पदस्थ किए गये हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर निम्नानुसार जांचें तथा औषधियां निःशुल्क उपलब्ध हैं:-

- **पैथोलॉजिकल जांचें:-** 80 प्रकार की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तथा 17 प्रकार की उप स्वास्थ्य केन्द्र पर ।
- **औषधियां:-** प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 299 तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र पर 126 प्रकार की ।

सामुदायिक सहभागिता

10,317 जनआरोग्य समितियां गठित, जिनके माध्यम से सामाजिक / सामुदायिक / जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर निम्नानुसार 12 स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होने से नागरिकों को अनावश्यक उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाओं में जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ती तथा साथ ही उच्च स्तरीय संस्थाओं पर पड़ने वाले मरीजों के दबाव को भी कम किया जा रहा है । वर्ष 2025-26 के अंत तक 12,676 संस्थाओं को क्रियाशील किया जा चुका है ।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां -

1. राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की पदस्थापना दूरस्थ अंचलों के स्वास्थ्य केन्द्रों में की गई है। जिससे जनसमुदाय को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
2. 12 प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु सभी 12676 संस्थाओं द्वारा एक्सपेंडेड रेंज आफ सर्विसेस उपलब्ध कराई जा रही है।
3. दैनिक ओ.पी.डी.- वर्ष 2025-26 में 7,66,40,199 हितग्राही को ओ.पी.डी. आधार पर सुविधायें उपलब्ध कराई गई ।

4. पैथोलाजी- वर्ष 2025-26 में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से 5,10,82,468 पैथोलॉजिकल जांचे की गई।
5. औषधियों की उपलब्धता - आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से 7,03,31,120 हितग्राहियों को औषधिया उपलब्ध कराई गई।
6. टेलीमेडिसिन सेवा:- आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से दूरस्थ अंचलों एवं ग्रामीण इलाकों में हितग्राहियों को चिकित्सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों द्वारा परामर्श सेवाएं टेलीमेडिसिन सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। जिसके अंतर्गत वर्ष 2025-26 में कुल 50.92 लाख टेलीमेडिसिन कॉल कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।
7. वेलनेस सत्रों का आयोजन: - स्वास्थ्य संवर्धन (Health Promotion) के अंतर्गत योग गतिविधियों, स्वास्थ्य दिवसों का आयोजन करते हुए जन समुदाय को जागरूक किया गया। वर्ष 2025-26 में 13.19 लाख वेलनेस सत्रों का आयोजन किया गया।
8. आयुष्मान आरोग्य शिविर - आयुष्मान आरोग्य मंदिर में माह की 14 तारीख को आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किए जाते हैं जिनके माध्यम से जन समुदाय को विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्ष 2025-26 अंतर्गत 11015 शिविरों का आयोजन किया गया। 2904582 हितग्राही लाभान्वित हुए।
9. टी.बी. की जांच: - आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से टी.बी. की रोगथाम के लिये टी.बी. की जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2025-26 अंतर्गत कुल 8769702 हितग्राहियों की टी.बी. की जांच की गई है।

राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर की किसी रैंकिंग में अग्रणी स्थान प्राप्त करने अथवा विशिष्ट पुरस्कार प्राप्त करने की जानकारी।

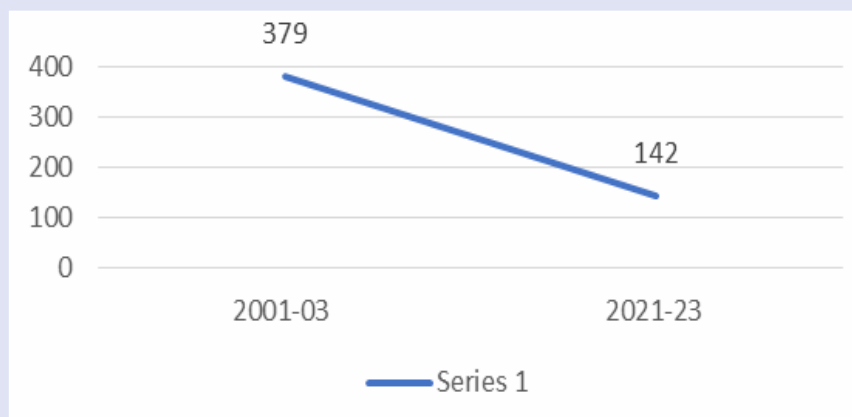
- ❖ प्रदेश में संचालित 12,500 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों द्वारा टीबी मुक्त भारत अंतर्गत सर्वाधिक टी. बी. स्क्रीनिंग किए जाने हेतु लगातार दो वर्ष 2024 एवं 2025 में भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया।
- ❖ 2480 उपस्वास्थ्य केन्द्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का राष्ट्रीय स्तर पर NQAS सर्टिफिकेशन।

9.4 प्रमुख कार्यक्रम

9.4.1 मातृ स्वास्थ्य शाखा

गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को शासन द्वारा प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को सम्मानजनक प्रसूति सेवाएं उपलब्ध कराना एवं मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करना है। वर्ष 2001-03 में एसआरएस अनुसार मातृ मृत्यु दर 379 प्रति लाख जीवित जन्म से कम होकर एसआरएस 2021-23 में 142 प्रति लाख जीवित जन्म हो गई है। अतः इंगित समयावधि में 237 बिन्दु की गिरावट परिलक्षित हुई है।





चित्र 9.1 मध्यप्रदेश मातृ मृत्यु दर उपलब्धि

मातृ मृत्यु दर कम करने हेतु निम्नलिखित योजनाओं/गतिविधियों का क्रियान्वयन मातृ स्वास्थ्य शाखा द्वारा किया जा रहा है-

- **अनमोल 2.0 पोर्टल :-** स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिससे गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य सेवाओं की ट्रेकिंग और प्रबंधित करने के लिये विकसित किया गया है। साथ ही अनमोल पोर्टल 2.0 के आधार पर जननी सुरक्षा योजना एवं प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत सहायता राशि का समग्र आईडी. से जुड़े आधार लिंक बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण करना है। पोर्टल अंतर्गत माह अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक कुल 11.77 लाख गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत किया गया।
- **महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम एवं उपचार :-** एनीमिया के रोकथाम एवं उपचार के लिये उप स्वास्थ्य केन्द्र (AAM/HWC) स्तर पर इंजेक्शन आयरन सुक्रोज तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक चिकित्सा अधिकारी द्वारा इंजेक्शन एफसीएम एनीमिया प्रबंधन हेतु प्रयोग में किया जा रहा है। गंभीर एनीमिया के प्रबंधन हेतु 50 ब्लड बैंक एवं 123 ब्लड स्टोरेज यूनिट क्रियाशील है। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम अंतर्गत समस्त पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को 180 आईएफए और कैल्शियम की गोली का वितरण किया जा रहा है। तथा पंजीकृत 11.77 लाख धात्री महिलाओं को भी आयरन और कैल्शियम वितरण सुनिश्चित किया गया।
- **विस्तारित-प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (E-PMSMA) :-** चिन्हांकित 675 स्वास्थ्य संस्थाओं पर पी.एम.एस.एम.ए. एवं ई.पी.एम.एस.एम.ए. कार्यक्रम अंतर्गत प्रतिमाह 9 एवं 25 तारीख को संस्थाओं पर विशेषज्ञों/प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी द्वारा 9.05 लाख गर्भवती महिलाओं की जांच की गई जिसमें 2.44 लाख उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन कर उपचार किया जा रहा है।
- **डिलीवरी पॉइंट :-** प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव प्रदान करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य संस्थाओं का चिन्हांकन डिलीवरी पॉइंट के रूप में किया गया है। वर्तमान में 1884 स्वास्थ्य संस्थाओं को डिलीवरी पॉइंट के रूप में चिन्हांकित किया गया है, जिसके विरुद्ध 1612 डिलीवरी पॉइंट के द्वारा प्रसव सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।
- **24 घंटे सिजेरियन सेक्शन करने हेतु एफआरयू की क्रियाशीलता :-** प्रदेश में 155 स्वास्थ्य संस्थाओं को एफआरयू के रूप में चिन्हांकित किया गया है जिसके विरुद्ध 98 एफआरयू संस्थाओं पर 24 घंटे आपातकालीन प्रसूति सेवाएं प्रदान की जाती हैं। विशेषज्ञों की उपलब्धता हेतु राज्य द्वारा You Quote We Pay योजना के अंतर्गत विशेषज्ञों की नियुक्ति संविदा आधार पर की जा रही है। साथ ही निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सेवाएं भी प्रति सिजेरियन केस के मान से ली जा रही हैं।

- **लक्ष्य कार्यक्रम :-** कार्यक्रम अंतर्गत 191 लेबर रूम एवं 57 मेटरनिटी ओटी (OT) का राष्ट्रीय प्रमाणीकरण किया गया है।
- **ऑब्स्टेट्रिक आईसीयू :-** प्रदेश में 37 जिला चिकित्सालय एवं 5 मेडिकल कॉलेज में ऑब्स्टेट्रिक आईसीयू जटिलताओं के प्रबंधन हेतु स्थापित किए गये हैं। लगभग प्रतिमाह 2500 उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का प्रबंधन किया जा रहा है।
- **स्किल्स लैब :-** स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के कौशल में वृद्धि करने हेतु स्किल्स लैब प्रदेश के 7 संभागीय मुख्यालय में संचालित है। साथ ही 3 चिकित्सा महाविद्यालयों में एडवांस स्किल्स लैब की स्थापना प्रक्रियाधीन है।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम :-** प्रदेश अंतर्गत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं द्वारा शासकीय संस्थाओं में प्रसव कराने पर निशुल्क औषधि, भोजन, प्रयोगशाला जांच, यूएसजी, रक्ताधान एवं परिवहन हेतु निशुल्क वाहन की व्यवस्था की जाती है। कुल 123 स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
- **सुमन कार्यक्रम :-** राज्य स्तर पर सुमन कार्यक्रम अंतर्गत राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर तथा 01 AIIMS, जिला स्तर पर 10 मेडिकल कॉलेज तथा 51 जिला चिकित्सालय में सुमन हेल्प डेस्क का संचालन कर हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों की ट्रेकिंग कर उचित समय पर प्रबंधन करने हेतु फॉलोअप किया जा रहा है तथा शिकायत निवारण की व्यवस्था की जा रही है।
- **मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना :-** वर्ष 2018 में एक नवीन योजना मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना का शुभारम्भ किया गया, जिसका उद्देश्य उच्च जोखिम गर्भावस्था की शीघ्र पहचान, सुरक्षित प्रसव, गर्भवती एवं शिशु के जन्म उपरांत टीकाकरण को समुचित बढ़ावा देना, महिलाओं व शिशुओं के स्वास्थ्यवर्धक व्यवहारों के प्रोत्साहन हेतु 16000/- रुपये की प्रोत्साहन राशि के प्रावधान से अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है। माह अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक कुल 9.30 लाख हितग्राहियों को राशि ₹. 584.15 करोड़ से लाभांशित किया गया है।
- **जननी सुरक्षा योजना :-** मातृ मृत्यु दर एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में जननी सुरक्षा योजना का आरंभ किया गया। योजनांतर्गत शासकीय अस्पताल में प्रसव कराने वाली ग्रामीण क्षेत्र की महिला को राशि रुपये 1400/- एवं शहरी क्षेत्र की महिला को रुपये 1000/- की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। माह अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक कुल 6.13 लाख हितग्राहियों को राशि ₹. 84.10 करोड़ से लाभांशित किया गया है।

नवीन योजनाओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण :-

- गर्भावस्था की सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिये सुमन सखी चैटबोट का शुभारंभ किया गया।
- मातृ मृत्यु प्रकरणों की प्रविष्टि एवं सुधारात्मक कार्यवाही के लिये एमडीएसआर एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया।
- ब्लूटूथ डिवाइस जैसे :- बीपी मशीन, वजन मापने की मशीन, हिमोग्लोबिनोमीटर, फिटल डॉप्लर एवं ग्लूकोमीटर का उपयोग।
- दिनांक 17.09.2025 से ग्राम भेंसोला जिला धार में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया गया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान अंतर्गत दिनांक 02.10.2025 तक संपूर्ण प्रदेश में आयुष्मान आरोग्य मंदिर केन्द्र पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।



9.4.2 शिशु स्वास्थ्य

प्रदेश में नवजात शिशु मृत्यु दर (U5MR) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 3 (वर्ष 2005-2006) में प्रतिवेदित 94 से घटा कर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 (वर्ष 2019-21) में 49.2 प्रति हजार जीवित जन्म प्रतिवेदित हुई है। प्रदेश में शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं-



चित्र 9. 2 पाँच वर्ष से कम उम्र मृत्यु दर (प्रति हजार जीवित जन्म)

शिशु चिकित्सा इकाईयाँ

- प्रदेश में 62 विशेष नवजात शिशु चिकित्सा इकाईयाँ (SNCU) संचालित की जा रही हैं। जिनके माध्यम से गंभीर रूप से बीमार, कम वजन एवं समय पूर्व जन्म के नवजात शिशुओं को उपचारित किया जाता है। इन इकाईयाँ के माध्यम से वर्ष 2025 में (अप्रैल से नवंबर 2025 तक) में 93,047 नवजात शिशुओं का उपचार किया गया।
- उप जिला स्तर पर 200 नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाईयाँ (NBSU) संचालित हैं। इन इकाईयाँ के माध्यम से वर्ष 2025 में (अप्रैल से नवंबर 2025 तक) में 32,545 नवजात शिशुओं का उपचार किया गया।
- गंभीर रूप से बीमार बच्चों के उपचार एवं प्रबंधन हेतु बाल्य गहन चिकित्सा इकाईयाँ (PICU) संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में 68 इकाईयाँ संचालित हैं। इनके माध्यम से वर्ष 2025 में (अप्रैल से नवंबर 2025 तक) में 85,113 गंभीर रूप से बीमार बच्चों का उपचार किया गया।
- प्रदेश के समस्त चिन्हित प्रसव केन्द्रों में न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर स्थापित (NBCC) हैं। जिनमें आवश्यक नवजात शिशु देखभाल हेतु समस्त उपकरण, सामग्री तथा प्रशिक्षण स्टाफ उपलब्ध है।
- मुस्कान (MusQan) कार्यक्रम (शिशु स्वास्थ्य इकाईयाँ की गुणवत्ता) संवर्धन मुस्कान (MusQan) व प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के मूल्यांकन हेतु मुस्कान कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। म.प्र. के पास देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय स्तर से 32 MusQan प्रमाणित संस्थान होने का रिकॉर्ड है।
- HBPNC एवं HBYC सेवाओं की मॉनिटरिंग (ODK आधारित टूल): - गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBPNC) एवं युवा शिशु देखभाल (HBYC) सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु राज्य ने ODK प्लेटफॉर्म पर आधारित ऑनलाइन मॉनिटरिंग टूल विकसित किया है। इस टूल की मॉनिटरिंग हेतु जिला स्तर के पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया।
- डायरिया की रोकथाम, सफाई और ओआरएस से रखें अपना ध्यान” स्लोगन पर “Stop Diarrhoea Campaign” 22 July से 16 Sep 2025 के मध्य आयोजित किया गया जिसके अंतर्गत -कुल पांच साल के 82,29,074 बच्चों के विरुद्ध 79,99,343 (97.21%) बच्चों को 2 ORS एवं 14 जिंक की गोलियां प्रदाय किया गया ।

शिशु स्वास्थ्य पोषण

शिशु स्वास्थ्य पोषण कार्यक्रम

प्रदेश में बाल स्वास्थ्य एवं पोषण हमेशा से ही महत्वपूर्ण पहलू रहा है। गर्भावस्था से 2 वर्ष तक की उम्र का अंतराल, कुपोषण हेतु हस्तक्षेप के लिये एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। 2 वर्ष की उम्र के बाद पोषण की कमी, भविष्य के विकास एवं वयस्क जीवन में अपरिवर्तनीय क्षति का कारण बनती है। वैश्विक स्तर पर पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु का 45% कारणों में कुपोषण अंतर्निहित कारण हैं। साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्व (आवश्यक विटामिन एवं खनिज) जैसे विटामिन “ए”, जिंक, आयोडीन तथा आयरन की कमी शिशु एवं बाल स्वास्थ्य पर दूरगामी दुष्प्रभाव डालते हैं।

गंभीर एनीमिया एवं गंभीर कुपोषण की रोकथाम हेतु निरंतर एवं प्रभावी हस्तक्षेप आवश्यक है। राज्य शासन बाल स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं को बेहतर बनाने एवं इनके अधिकतम आच्छादन हेतु प्रतिबद्ध है। विभाग द्वारा विभिन्न साक्ष्य आधारित तथ्यों के आधार पर संस्थागत एवं सामुदायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिनके बेहतर परिणाम परिलक्षित हुए हैं। बाल कुपोषण एवं बाल मृत्यु की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कर निम्न रणनीतियां अपनाई जा रही है:-

1. माँ अभियान -

- **शीघ्र एवं अनन्य स्तनपान को बढ़ावा देना** - शिशु एवं बाल आहार पूर्ति व्यवहारों के पालन से नवजात मृत्युदर में 22 प्रतिशत तक की कमी लाई जा सकती है। इन व्यवहारों से बाल्यकालीन दस्तरोग एवं निमोनिया के प्रकरणों में क्रमशः 13 से 15 प्रतिशत की कमी संभावित है। इन्हीं व्यवहारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त प्रसव केन्द्रों में पदस्थ पैरामेडिकल स्टॉफ यथा एल.एच.व्ही., स्टाफ नर्स एवं ए.एन.एम. को चरणबद्ध रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में समस्त जिलों से 180 चिन्हित मास्टर ट्रेनर्स को 07 बैचों में दिनांक 30 अक्टूबर से 11 नवंबर के मध्य प्रशिक्षित किया गया है। इन मास्टर ट्रेनर्स द्वारा अधीनस्थ अस्पताल के प्रसूति वार्ड एवं शिशु वार्ड में पदस्थ नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है।



चित्र 9.3 6 माह तक केवल स्तनपान वाले बच्चे - उपलब्धि

- **गर्भवती एवं धात्री माताओं को परामर्श देना** - प्रदेश में संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चों की माताओं को शिशु एवं बाल आहारपूर्ति व्यवहारों पर परामर्श प्रदान किया जाता है। साथ ही पोषण प्रशिक्षकों तथा समस्त लैबर रूम एवं पीएनसी वार्ड में पदस्थ स्टाफ नर्सों द्वारा भर्ती गर्भवती एवं धात्री प्रसूताओं को सफल स्तनपान संबंधी परामर्श दिया जाता है।



- **स्तनपान संबंधी भ्रांतियों पर परामर्श देना** - प्रदेश के ग्रामों में प्रति त्रैमास, आशा, आशा सहयोगिनी द्वारा मातृ सहयोगिनी समूह की बैठक की जाती है, जिसमें, स्तनपान व शिशु एवं बाल आहार पूर्ति (आई.वाय.सी.एफ) व्यवहारों तथा समुदाय में स्तनपान से जुड़े प्रचलित अंधविश्वास/कुरीतियों पर चर्चा की जाती है। माह अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 तक आशाओं द्वारा 4,57,730 मातृ सहयोगिनी समूहों का आयोजन किया गया जिसमें कुल 20,20,155 गर्भवती व धात्री माताओं को स्तनपान संबंधी परामर्श दिया गया एवं स्तनपान सम्बन्धी दिक्कतों वाली लगभग 60,964 धात्री माताओं का यथोचित रेफरल किया गया

2. एनीमिया मुक्त भारत/निपी कार्यक्रम- बच्चों व किशोर-किशोरियों में एनीमिया नियंत्रण एवं रोकथाम -

AMB स्कोर बोर्ड GoI

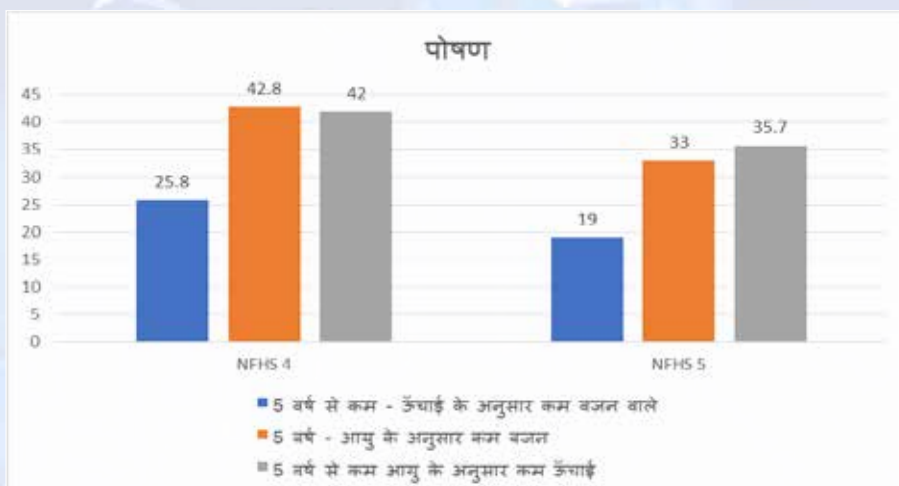
AMB स्कोर कार्ड -भारत (July - Sep 2025) - 5 सूचकांक

प्रथम स्थान - मध्यप्रदेश

(91.7 Index Value %)

- प्रदेश में 6 से 60 माह के बच्चे, 5 से 10 उम्र के बच्चे, 10 से 19 वर्ष के किशोरवय बालक-बालिकाओं, गर्भवती, धात्री माताओं एवं प्रजननकालिक महिलाओं में एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के 6 मुख्य पहलूओं के आधार पर एनीमिया की रोकथाम हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का क्रियान्वयन स्वास्थ्य विभाग द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवाएं, स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिमजाति कल्याण विभाग के समन्वय से किया जा रहा है। कार्यक्रम के माध्यम से 58,506, प्राईमरी, 33,970 माध्यमिक, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं एवं 97,135 आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत लाभार्थियों में आयरन फॉलिक एसिड की प्रदायगी की जाती है। माह अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 तक कुल 133.72 लाख बच्चों/किशोर-किशोरियों को आयु अनुरूप आई.एफ.ए. सिरप, गुलाबी एवं नीली गोलियों का अनुपूरण कराया जा चुका है।

3. राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (National Deworming Day)



चित्र 9. 4 मध्यप्रदेश पोषण संबंधित उपलब्धि

- कृमि/पटार संक्रमण से बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरूद्ध होता है एवं शालेय बच्चों में उपस्थिति एवं शैक्षणिक उपलब्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारत शासन के दिशा निर्देशानुसार,

Fixed Day रणनीति अंतर्गत, प्रदेश में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य 1 से 19 वर्षीय बच्चों में कृमिनाशन कर एनीमिया की रोकथाम करना तथा शारीरिक एवं बौद्धिक विकास एवं शालेय उपस्थिति में सुधार करना है। यह साक्ष्य आधारित है कि कृमिनाशन से बच्चों की अनुपस्थिति में 25 प्रतिशत कमी आती है एवं उनकी पढाई में एकाग्रता भी बढ़ती है। कार्यक्रम के व्यापक क्रियान्वयन हेतु 51 जिलों में स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं एकीकृत बाल विकास सेवाएं विभाग द्वारा संयुक्त रूप से समन्वय में कार्य किया जाता है। साथ में निजी विद्यालय संगठन, केन्द्रीय विद्यालयों, मदरसों आदि को भी इस वृहद कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2025-26 में कुल 2.83 करोड़ हितग्राहियों को एल्बेडाजोल टेबलेट खिलाई गई।

4. “दस्तक अभियान” - गृह भेंट आधारित संयुक्त रणनीति-

- प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बाल मृत्युदर के प्रमुख कारणों को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं के सामुदायिक विस्तार हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा दस्तक अभियान का आयोजन किया जाता है। प्रदेश में दस्तक अभियान का आयोजन माह 22 जुलाई से 16 सितम्बर 2025 के मध्य किया गया। इस दौरान ए.एन.एम., आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के संयुक्त दल द्वारा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में गंभीर कुपोषण, गंभीर एनीमिया तथा बाल्यकालीन आम बीमारियों की घर-घर जाकर विभिन्न सेवाएं (सेवा सूची हेतु पूर्व वर्ष के संस्करण संदर्भित करें) प्रदान की गई | अभियान के प्रथम चरण में, कुल 80.09 लाख बच्चों की चिकित्सकीय जांच की गई जिनमें से 9 माह से 5 वर्ष की आयु वाले कुल 71.80 लाख बच्चों को विटामिन ए अनुपूरण कराया गया। इस दौरान 6 माह से 59 माह के कुल 70.62 लाख बच्चों में डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर द्वारा एनीमिया की जांच की गई एवं 3575 गंभीर एनीमिक बच्चों को निःशुल्क रक्तदान कराया गया।

5. बाल कुपोषण उपचारात्मक रणनीति

जन्म से पाँच वर्ष तक के बच्चों में मृत्यु का एक अंतर्निहित कारण गंभीर कुपोषण है। यह साक्ष्य आधारित है कि गंभीर कुपोषित बच्चों में से लगभग 10-15% बच्चे ही चिकित्सकीय जटिलतायुक्त होते हैं जिन्हें अस्पताल/पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती कर उपचार की आवश्यकता होती है। शेष लगभग 85% बच्चों में गंभीर कुपोषण का प्रबंधन समुदाय स्तर पर सम्भव होता है। प्रदेश में बच्चों के संस्थागत प्रबंधन हेतु जिला एवं विकासखण्ड स्तर एवं चिकित्सा महाविद्यालय स्तर पर 10 एवं 20 बिस्तरिय 318 पोषण पुनर्वास केन्द्र संचालित हैं | 4 तृतीय स्तरीय प्रबंधन इकाई क्रियाशील है, जहां मानक मापदण्ड अनुसार सैम बच्चों के चिकित्सकीय जटिलताओं का उपचार किया जाता है। उक्त केन्द्रों में भर्ती Non-Responder अथवा critical Co- Morbid बच्चों को चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित SMTU/NRC/SMART Unit (AIIMS Bhopal) में उच्च स्तरीय नैदानिक जाँच एवं प्रबंधन हेतु भेजा जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन केन्द्रों में माह अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 तक लगभग 56,601 बीमार गंभीर कुपोषित बच्चों को उपचारित किया जा चुका है।

9.4.3 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.) - राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत बाल हृदय उपचार योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2013-14 से किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मोबाईल हेल्थ टीम द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों पर (जन्म से 06 वर्ष तक के बच्चों का) वर्ष में दो बार एवं स्कूलों में (06 से 18 वर्ष तक के बच्चों का) वर्ष में एक बार 4-डी आधारित (Defects at Birth, Deficiencies, Childhood Diseases, Developmental delays and Disabilities) परीक्षण एवं उपचार किया जाता है एवं आवश्यकतानुसार उपचार हेतु उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्था में रेफर किया जाता है।



वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 में माह अप्रैल 2025 से माह नवम्बर 2025 तक कुल 83.77 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें कुल 23.45 लाख बच्चों का विशेष जांच एवं उपचार सुविधा (पॉजिटिव) की जरूरत थी, इनमें से कुल 20.24 लाख बच्चों को उपचारित किया गया तथा कुल 26,950 बच्चों की शल्यक्रिया (major and minor) कराई जा चुकी है। इन बच्चों को जिला चिकित्सालय, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अन्य उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क उपचारित किया गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत क्लबफुट (आड़े तेड़े पैर) वाले बच्चों के उपचार हेतु 51 जिलों में क्लबफुट क्लीनिक प्रारंभ कराए गए एवं चिकित्सा महाविद्यालयों (इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा) में क्लबफुट नोडल सेंटर संचालित किए गए हैं। जिसके अंतर्गत वर्तमान में 2,444 बच्चों को उपचारित किया गया है।

बाल शल्य क्रिया विवरण (माह अप्रैल 2025 से नवम्बर 2025 तक)

- न्यूरल ट्यूब डिफैक्ट - 97
- कटे फटे होठ एवं तालू - 509
- क्लब फुट - 2,444
- जन्मजात हृदय रोग - 642
- कॉक्लियर इम्प्लान्ट - 125
- डी.डी.एच - 11
- जन्मजात मोतियाबिंद - 124
- रेटिनोपेथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी - 134
- ओटाइटिस मीडिया - 45

सम्पूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम - लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग एवं आदिमजाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से सम्पूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्रियान्वन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत मध्यप्रदेश के 20 आदिवासी जिलों के 89 आदिवासी बाहुल्य विकासखण्डों के अंतर्गत आने वाले आदिवासी विद्यालयों एवं आदिवासी छात्रावास में पंजीकृत छात्र छात्राओं का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह अप्रैल 2025 से माह नवम्बर 2025 तक कुल 2,70,658 बच्चों की स्क्रीनिंग करायी जा चुकी है। जिनमे से कुल 89,599 बच्चे विभिन्न बीमारियों से ग्रसित चिन्हित किए गये, इनमे से कुल 26,572 बच्चों को उपचार प्रदाय किया जा चुका है।

9.4.4 रेफरल ट्रांसपोर्ट शाखा

108 एम्बुलेंस - नेशनल एम्बुलेंस सर्विस अंतर्गत राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त 1002, 108-एम्बुलेंस वाहन (167 ए.एल.एस एवं 835 बी.एल.एस) संचालित हैं। जिसका संचालन केन्द्रीयकृत 108 कॉल सेंटर से किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 कुल 13.68 लाख तथा वर्ष 2025-26 में माह नवम्बर 2025 तक कुल 08.10 लाख मरीजों को इस सेवा के द्वारा लाभान्वित किया गया।

जननी एक्सप्रेस सेवा - वर्तमान में गर्भवती महिलाओं तथा बीमार बच्चों के परिवहन हेतु आकल्पित जननी एक्सप्रेस योजना अंतर्गत कुल 1059 जननी एम्बुलेंस वाहन संचालित है। इस सेवा के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं तथा 01 वर्ष तक के बीमार बच्चों को निःशुल्क परिवहन सुविधा (घर से अस्पताल एवं अस्पताल से घर) प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 कुल 18.72 लाख तथा वर्ष 2025-26 में माह नवम्बर 2025 तक कुल 11.47 लाख मरीजों इस सेवा के द्वारा लाभान्वित किया गया।

9.4.5 आशा कार्यक्रम

FY 2025-26 की स्थिति में आशा कार्यक्रम की जानकारी:

- प्रदेश में कुल कार्यरत आशा एवं आशा पर्यवेक्षकों की संख्या = 73,098
- माह अप्रैल से नवम्बर 2025 तक कुल लाभान्वित आशा एवं आशा पर्यवेक्षकों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि = 6,76,16,30,438 ₹.

9.4.6 परिवार कल्याण कार्यक्रम

आर्थिक सर्वेक्षण हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रम की 1 अप्रैल 2025 से 30 नवंबर 2025 (स्रोत एचएमआईएस) तक की जानकारी:

- कुल 86,439 नसबंदी ऑपरेशन किए गये जिसमें महिला नसबंदी 85,755 एवं पुरुष नसबंदी 684 है।
- कुल आईयूसीडी 2,04,623 जिसमें प्रसव पश्चात् आईयूसीडी 1,64,938 अंतराल आईयूसीडी 35,041 एवं पोस्ट अबॉर्शन आईयूसीडी 4,644 की सेवाएं दी गईं।
- कुल डोजेस 64,538 महिला गर्भनिरोधक इंजेक्शन (अंतरा) की सेवाएं दी गईं।
- कुल 6,07,093 साप्ताहिक ओरल पिल्स (छाया) का वितरण सुनिश्चित किया गया।
- कुल 32,56,976 ओरल पिल्स (माला एन) का वितरण सुनिश्चित किया गया।
- कुल 2,82,11,581 कॉन्डोम का वितरण सुनिश्चित किया गया।

9.4.7 राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

वर्ष 2030 तक प्रदेश को कुष्ठ उन्मूलन करने का संकल्प लिया गया है जिससे सभी जिलों का विकृति ग्रेड-2, 1 प्रति 10 लाख जनसंख्या एवं कुष्ठ प्रभाव दर (Prevalence Rate) 1 प्रति 10000 से कम तथा बच्चों में विकृति ग्रेड-2 शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2025-26 (अप्रैल से नवम्बर 2025) में 4636 नए कुष्ठ रोगी खोजे गये। वर्तमान में मध्यप्रदेश में कुष्ठ प्रभाव दर 0.76 प्रति 10 हजार जनसंख्या है, विकृति ग्रेड 2 की संख्या 111, प्रतिशत 2.39, प्रति 10 लाख जनसंख्या 1.28 एवं बाल विकृति ग्रेड-2 रोगियों की संख्या 2 हैं।

9.4.8 ओरल हेल्थ कार्यक्रम

- ओरल हेल्थ कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 माह अप्रैल से माह नवम्बर तक लगभग 1,68,778 मरीजों को दंत रोग उपचार की सुविधा प्रदान की गई है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, संचालित राष्ट्रीय ओरल हेल्थ कार्यक्रम (NOHP) के अंतर्गत प्रदेश 52 जिलों के जिला चिकित्सालय, 130 चिह्नित सिविल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों कुल 182 दंत चिकित्सा इकाईयाँ में (Dental unit) ओरल हेल्थ कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है एवं 77 अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को चिह्नित कर दंत चिकित्सा इकाई की स्थापना कर दंत रोग से संबंधित Diagnostic/ उपचार की सुविधा पदस्थ दंत चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है।
- ओरल हेल्थ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 माह अप्रैल से माह नवम्बर तक में समस्त



जिलो में दूरस्थ स्थानों पर समय-समय पर शिविर आयोजित कर 87,013 रोगियों को आवश्यकतानुसार उपचार प्रदान किया गया।

- दिनांक 17.09.2025 से 02.10.2025 तक महिलाओं के लिये विशेष अभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार चलाया गया जिसके अंतर्गत 51,319 महिलाओं के दांतों का परीक्षण किया गया एवं 41,065 मरीजों को उपचारित किया गया।
- वर्तमान में ओरल हेल्थ कार्यक्रम के अंतर्गत भोपाल के जिला चिकित्सालय में प्रदेश की प्रथम Model Dental Unit (State of Art) का निर्माण किया जा रहा है, इस हेतु लगभग 1 करोड़ की लागत से CBCT मशीन की स्थापना की जा रही है।

9.4.9 राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत

फ्लोरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसके परिणामस्वरूप दांतों पर सफेद या भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। यह जीवन के शुरुआती वर्षों में फ्लोराइड के अत्यधिक संपर्क में आने के कारण होता है जब आपके स्थायी दांत विकसित हो रहे होते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, अपितु सौन्दर्य कारणों से चिंतन का विषय बना हुआ है। लेकिन ऐसे उपचार हैं जो इस मुद्दे को हल कर सकते हैं।

राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम अंतर्गत 15 जिलें बैतूल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, खरगौन, छिंदवाड़ा, डिण्डौरी, मण्डला, सिवनी, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन चिन्हांकित हैं जिनमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए फ्लोरोसिस मुक्त पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम उत्कृष्ट उपलब्धियों का संक्षिप्त में उल्लेख-

फ्लोरोसिस सर्वेक्षण- राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह अप्रैल से माह नवम्बर तक 460 गांव में 559 स्कूलों का सर्वेक्षण किया जा चुका है जिसमें 4845 संदिग्ध डेंटल फ्लोरोसिस मरीजों को सप्लीमेंटेशन की सुविधा प्रदान की गई है एवं स्केलटल फ्लोरोसिस के मरीज रिक्त है।

फ्लोरोसिस प्रयोगशाला - कार्यक्रम के अंतर्गत फ्लोरोसिस लैब के सुचारू संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15 लैब टेक्नीशियन को पदस्थ कर डेंटल फ्लोरोसिस एवं स्केलटल फ्लोरोसिस ग्रसित मरीजों में सबसे अधिक प्रभावित हिस्से का एक्स-रे, यूरीन के नमूने की जाँच, एवं पानी के नमूने में फ्लोरोसिस की मात्रा की जाँच सम्पादित की जाती है। और सतत प्रक्रिया जारी है।

9.4.10 राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में दृष्टिहीनता नियंत्रण की दर कम कर 0.3 प्रतिशत तक लाना है। प्रदेश में नेत्र चिकित्सा कार्य शासकीय संस्थाओं द्वारा व स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कार्यक्रम की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि की जानकारी निम्नानुसार है-

तालिका 9. 7 दृष्टिहीनता भौतिक उपलब्धि

मद	वार्षिक लक्ष्य	2024-25 की उपलब्धि	वार्षिक लक्ष्य	2025-26 की उपलब्धि (नवम्बर 2025 तक)	2024-25 (नवम्बर 2024 तक तुलनात्मक)
मोतियाबिंद आपरेशन की संख्या	662600	877509	700000	314349	463154
स्कूली बच्चों को निःशुल्क चश्मा प्रदान	89300	86585	95000	35185	38063
बुजुर्ग नेत्र रोगियों को निःशुल्क चश्मा प्रदान	100000	125822	100000	84292	74053

स्रोत - स्वास्थ्य निदेशालय मध्यप्रदेश

तालिका 9. 8 दृष्टिहीनता कार्यक्रम वित्तीय उपलब्धि

वर्ष	स्वीकृत बजट (लाख में)	व्यय	प्रतिशत
2024-25	7043.50	5067.52	71.94
2025-26	6635.50	1671.48 (30 नवम्बर 2025 तक)	25.18

स्रोत - स्वास्थ्य निदेशालय मध्यप्रदेश

9.4.11 जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत विभागीय स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता निर्माण, मॉनिटरिंग एवं सर्विलेंस द्वारा जलवायु अनुकूल स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करना, जलवायु परिवर्तन के मानव स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों एवं विभिन्न रोगों की रोकथाम हेतु जन जागरूकता सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य व्यवस्था के सुदृढीकरण में सहायता, तथा अपने इन उद्देश्यों को प्राप्त किए जाने हेतु प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप, सिविल सोसाइटी एवं अन्य सरकारी विभागों जैसे-मौसम विभाग, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शिक्षा, कृषि, पुलिस, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, आपदा प्रबंधन, आदि के साथ समन्वय करना है।

कार्यक्रम की उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये राज्य स्तरीय गवर्निंग बॉडी तथा राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, कार्यक्रम का स्टेट एक्शन प्लान तैयार किया गया है। प्रत्येक जिले में कार्यक्रम से संबंधित गतिविधियों के सफल एवं गुणवत्तापूर्ण संचालन के लिये जिला नोडल अधिकारी नामांकित किए गये हैं, स्वास्थ्य कर्मियों एवं आशा का उन्मुखीकरण कर प्रत्येक ग्राम में जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, लू आदि से होने वाले रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता सुनिश्चित की जा रही है। समय-समय पर विभिन्न अभियानों तथा स्वास्थ्य कर्मियों हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा भी जलवायु परिवर्तन से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों एवं पर्यावरण संरक्षण की जानकारी दी जा रही है।

कार्यक्रम अंतर्गत समय-समय पर विभिन्न अभियान जैसे- अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस (05 जून) को 6th International -Clean Air for Blue skies Day (7 सितम्बर) विश्व प्रदूषण दिवस (02 दिसम्बर) को आयोजित किया जाता है।



- कार्यक्रम का राज्य स्तरीय स्टेट एक्शन प्लान का द्वितीय ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिससे जलवायु परिवर्तन से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभाव/दुष्प्रभाव की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु विभागीय एवं अन्तर्विभागीय रणनीति तैयार की जा सकें।
- लू एवं हीट स्ट्रोक विषय पर जन-जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रत्येक जिले में पोस्टर बैनर नारा लेखन आदि प्रचार-प्रसार की गतिविधियाँ सम्पादित की गई।
- समस्त जिला नोडल अधिकारियों/ जिला ऐपिडियोमॉलिजिस्ट को वायु प्रदूषण विषय पर जिला हेल्थ एक्शन प्लान तैयार किया गया।
- प्रदेश के समस्त जिलों से कार्यक्रम के अंतर्गत जिला एक्शन प्लान प्राप्त कर, भारत सरकार के एन.सी.डी. सी, नई दिल्ली को प्रेषित किया जा चुका है।
- प्रदेश के समस्त जिलों में कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त Advisory (Heat Stroke & Air Pollution) वर्ष 2025-26 के लिए जारी की जा चुकी है।

9.4.12 राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम

तम्बाकू उत्पादों का बढ़ता उपयोग विश्व में लोगो की असमय मृत्यु का सबसे मुख्य कारण है। भारत में लगभग 13-14 लाख लोगों की मृत्यु प्रतिवर्ष तम्बाकू सेवन के कारण होती है। वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण (ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे 2016-17) के अनुसार, मध्यप्रदेश में 34.2 प्रतिशत वयस्क किसी ना किसी रूप में तम्बाकू का सेवन करते हैं जिसमें 50.2 प्रतिशत पुरुष और 17.3 प्रतिशत महिलाएँ शामिल हैं। ग्लोबल यूथ तम्बाकू सर्वेक्षण 2019 के अनुसार मध्यप्रदेश में 13-15 वर्ष के 3.9 प्रतिशत युवा (4.4 प्रतिशत लड़के एवं 3.5 प्रतिशत लड़कियाँ) किसी ना किसी रूप में तम्बाकू सेवन करते हैं।

भारत शासन द्वारा 2003 में तम्बाकू उत्पादों के उपभोग को हतोत्साहित करने हेतु COTPA/सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण के विज्ञापन एवं विनियमन निषेध) अधिनियम लागू किया गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इस अधिनियम का संचालन किया जा रहा है, जिसमें तम्बाकू उत्पाद से लोगों को बचाने के लिए विभिन्न धाराएँ बनाई गई हैं, जिसमें मुख्यतः धारा 4 (सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध), धारा 6 (अ) (18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू बेचना निषेध), धारा 6 (ब) (शिक्षण संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित) एवं धारा 7 (तम्बाकू उत्पादों पर निर्धारित स्वास्थ्य चेतावनी) की निगरानी का अधिकार प्रदाय किया गया है।

राज्य स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समिति का गठन:-राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कानून के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जिला स्तर पर तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की निगरानी के लिये राज्य तम्बाकू नियंत्रण समिति का गठन मिशन संचालक, एन.एच.एम मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में किया गया है। यह समिति कार्यक्रम के लिये मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, जिला तम्बाकू नियंत्रण केंद्र की स्थापना, तम्बाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी परिपालन तथा सार्वजनिक स्थलों को धूम्रपान मुक्त करने हेतु समय-समय पर दिशानिर्देश जारी करने के लिये उत्तरदायी है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन, समन्वयन, निगरानी तथा जिलास्तर पर कार्यक्रम के मूल्यांकन की जिम्मेदारी प्रदेश स्तर पर नियुक्त नोडल ऑफिसर की है। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश में मुख्य रूप से निम्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं:-

- सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 के तहत प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन समस्त 51 जिलों में किया जा रहा है एवं इस अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर चालान एवं अन्य नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

- तम्बाकू के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में समाज में जागरूकता लाने के लिए व्यापक आई.ई.सी. गतिविधियाँ आयोजित की जा रही है, जिन्हे सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित किए जाने की योजना है।
- वर्तमान में 1 अप्रैल 2025 से 31 नवम्बर 2025 तक की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण निम्न है-

तालिका 9. 9 तंबाकू नियंत्रण - कार्यवाही विवरण

वर्ष	सेक्शन 4		सेक्शन 5		सेक्शन 6 (a)		सेक्शन 6 (b)		सेक्शन 7	
2025-26	संख्या व्यक्तियों की (जुर्माना)	राशि संकलित (रु.)	संख्या व्यक्तियों की (जुर्माना)	राशि संकलित (रु.)	संख्या व्यक्तियों की (जुर्माना)	राशि संकलित (रु.)	संख्या व्यक्तियों की (जुर्माना)	राशि संकलित (रु.)	संख्या व्यक्तियों की (जुर्माना)	राशि संकलित (रु.)
	552	31895	0	0	14	1260	11	830	25	200

- कार्यक्रम अंतर्गत तम्बाकू मुक्त शिक्षा संस्थाओं की भारत सरकार की मार्ग-दर्शिका का पालन प्रदेश में समस्त जिलों में किया जा रहा है। वर्तमान में गतिविधि अंतर्गत लगभग 300 शिक्षा संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त घोषित किया जा चुका है।
- तम्बाकू मुक्त व्यसन केन्द्र मध्यप्रदेश के 51 जिलों में से 51 जिलों में स्थापित किए जा चुके हैं। समस्त जिलों में एनआरटी 2 एमजी एवं 4 एमजी औषधि का वितरण किया जा रहा है। वर्तमान में तम्बाकू खाने की आदत छुड़वाने के लिए 3,488 लोगों की काउंसलिंग की जा चुकी है, जिसमें 1,186 व्यक्तियों को औषधि प्रदान कर उपचार किया जा रहा है।
- वर्तमान में भारत सरकार द्वारा Tobacco Free Youth Campaign 3.0 का पालन प्रदेश में किया जा रहा है। 9 अक्टूबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने के पश्चात् 60 दिवसीय अभियान 8 दिसम्बर 2025 तक प्रदेश में विभिन्न गतिविधियां जैसे:- Social Awareness, Tobacco Free School, COTPA 2003 Enforcement Squad, Tobacco Free Village की जा रही है।

9.4.13 राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम

कार्यक्रम का शुभारंभ 28 जुलाई 2018 से प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य में Sustainable Development Goal (SDG) 3.3 प्राप्त करने के लिये वायरल हेपेटाइटिस की रोकथाम एवं नियंत्रण है। जिसका उद्देश्य 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस-सी को समाप्त करना है एवं हेपेटाइटिस ए,बी,सी एवं ई के रोकथाम, जांच एवं उपचार करना है।

मध्यप्रदेश के 51 जिला चिकित्सालय एवं 6 मेडिकल कॉलेज (सागर, शिवपुरी, शहडोल, रीवा, विदिशा एवं रतलाम) में ट्रीटमेंट सेंटर, 4 मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर, मेडिकल कॉलेज (इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर) में स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त भोपाल एम्स एवं BMHRC में भी कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

उपलब्धियां - (अप्रैल 2025- नवम्बर 2025)

- **गर्भवती महिलाओं की जाँच:-** प्रदेश में 9,98,657 गर्भवती महिलाओं की हेपेटाइटिस बी की जाँच की गयी। जिसमें 3,874 महिलाये हेपेटाइटिस की जाँच में पॉजिटिव पाई गयी एवं 3,705 पॉजिटिव महिलाओं का संस्थागत प्रसव हुआ एवं 3,824 नवजात शिशुओं को HBIG का टीका 24 घंटे के अंदर लगाया गया।



- **हेपेटाइटिस बी:-** 13,00,674 व्यक्ति की हेपेटाइटिस बी की जाँच की गयी, जाँच में 10,741 पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के वायरल लोड टेस्ट पश्चात उपचार योग्य पाए गए व्यक्तियों में से 2,098 व्यक्तियों को हेपेटाइटिस बी का उपचार प्रदान किया गया।
- **हेपेटाइटिस सी :-** 12,35,088 व्यक्ति की हेपेटाइटिस सी की जाँच की गयी, जाँच में 2,501 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के वायरल लोड टेस्ट पश्चात उपचार योग्य पाए गए व्यक्तियों में से 986 व्यक्तियों को हेपेटाइटिस सी का उपचार प्रदान किया गया।
- प्रदेश की समस्त जेलों में 53,350 कैदियों की हेपेटाइटिस बी एवं 53,262 की हेपेटाइटिस सी की जाँच की गयी, जिसमें से पॉजिटिव कैदियों के वायरल लोड पश्चात उपचार योग्य पाए गए व्यक्तियों में 86 हेपेटाइटिस बी के एवं हेपेटाइटिस सी के 113 व्यक्तियों को उपचार प्रदान किया गया।
- स्वास्थ्य कर्मचारियों का हेपेटाइटिस बी की तीनों डोज से टीकाकरण किया जा रहा है। PLHIV, Drug Addict, गोदना वाले (tattoo), Dialysis, Thalassemia वाले रोगियों की स्क्रीनिंग एवं उपचार प्रदान किया जा रहा है।

9.4.14 पीएम जनमन कार्यक्रम

भारत शासन द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM JANMAN) का शुभारंभ 06.01.2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। अभियान अंतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा पी.वी.टी.जी ग्रामों के 5 किलोमीटर के भीतर कोई स्वास्थ्य केन्द्र न होने वाले परिवारों को मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है। वर्तमान में 21 पी.वी.टी.जी जिलों में 05 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर बिना किसी स्वास्थ्य सुविधा वाले 1,268 पी.वी.टी.जी ग्रामों में 3,12,246 जनसंख्या हेतु मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है।

Indicators	CY 2025										
	Jan 25	Feb 25	Mar 25	Apr 25	May 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Oct 25	Nov 25
कुल रोगी परामर्शित	33483	76899	93138	89676	88221	86760	85365	86834	88543	90970	90929
कुल पी.वी.टी.जी रोगी	12867	27865	37697	44680	39779	43614	44908	49326	50078	51993	51916
कुल गैर पी.वी.टी.जी रोगी	20616	49034	55441	44996	48442	43146	40457	37508	38465	38977	39013
कुल रोगी फॉलो अप	3580	6853	8990	8020	8519	7564	8424	9581	9332	9697	9896
कुल मरीज रेफर	244	639	844	765	596	704	1169	1043	956	787	886
कुल मरीज को दवा उपलब्ध करायी गयी	21449	34955	57993	89176	86475	84081	85187	86642	88311	90749	90659
कुल लैब परीक्षण	16346	58096	83464	79142	60067	54855	63996	64767	64973	63602	62248
कुल सिकलसेल रोगी की जांच	491	3746	6431	6814	4933	9140	13077	12708	11120	9904	8954
कुल एन.सी.डी रोगी	2087	3676	4990	5539	4996	5328	4685	4834	5233	5444	5567
फिजियोथैरेपी से उपचारित कुल रोगी	1185	3723	6533	6789	4942	4599	4095	4396	4594	4521	4639
कुल टीबी रोगी की जांच	109	507	908	932	957	1388	1666	1971	1935	1884	2063
कुल ANC की संख्या	426	1061	1477	1761	1998	2962	6556	6467	6261	5350	4834
कुल पीएनसी की संख्या	18	73	64	191	395	675	2296	2532	2425	2349	2178
कुल उच्च जोखिम गर्भवती की संख्या	5	5	8	6	29	60	162	124	131	127	275

स्रोत - स्वास्थ्य निदेशालय/एन एच एम म. प्र.

9.4.15 टीकाकरण कार्यक्रम

- **पूर्ण टीकाकरण उपलब्धि :-** माह अप्रैल से नवंबर 2025 तक, एच.एम.आई.एस. रिपोर्ट अनुसार प्रदेश में पूर्ण टीकाकरण की उपलब्धि 95 प्रतिशत है।
- **विश्व टीकाकरण सप्ताह:-** प्रदेश में 24 से 30 अप्रैल 2025 से विश्व टीकाकरण सप्ताह आयोजित किया गया है। जिसके तहत 9,908 टीकाकरण सत्र आयोजित किए गये जिनमें 42,479 बच्चों तथा 33,334 गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया गया।
- **पल्स पोलियो अभियान (अतिरिक्त चरण):-** प्रदेश में “दो बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार” उद्देश्य के साथ प्रदेश के उच्च जोखिम वाले चयनित 18 जिलों में दिनांक 12 से 14 अक्टूबर 2025 तक पल्स पोलियो अभियान का अतिरिक्त चरण आयोजित किया गया। जिसके तहत 0 से 5 वर्ष के लक्षित 39.19 लाख बच्चों के विरुद्ध 38.64 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई।

9.4.16 राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश में क्षय मरीजों के उपचार एवं निदान हेतु वर्तमान में 400 टी.बी. यूनिट 1126 डी.एम.सी. (माइक्रोस्कोपिक सेन्टर) एक IRL एवं 4 C&DST Lab संचालित है। उक्त अभियान के तहत वर्तमान में प्रदेश में 94,795 निक्षय मित्रों का पंजीयन है। वर्तमान में कुल 1,12,364 टी.बी. रोगी उपचारित है। कुल 86,161 टी.बी. रोगियों द्वारा सहयोग प्राप्त किए जाने हेतु सहमति प्रदान की गई है जोकि, कुल रोगियों निक्षय मित्रों द्वारा टी.बी. मरीजों को 1,90,945 पोषण आहार किट का वितरण किया जा चुका है। यह उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश, भारत में अभियान अंतर्गत अग्रणी राज्यों में शामिल है।

तालिका 9. 10 टीबी अधिसूचना

वर्ष	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	%
2025 (01 January to 30 Nov 2025)	1,46,667	1,52,637	104.1%

*स्रोत - निक्षय सॉफ्टवेयर

तालिका 9. 11 DBT से भुगतान

वर्ष	कुल लाभार्थी	कम से कम एक बार भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थी
2025 (01 January to 30 Nov 2025)	1,51,044	92,087 (59%)

*स्रोत - निक्षय सॉफ्टवेयर

- **NTEP कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों में प्राइवेट -** प्रोवाइडर्स को नोटिफिकेशन (TB Case Notification) कराने के लिये राशि रू. 500/-प्रति टीबी. मरीज के नोटिफिकेशन एवं रू. 500/-प्रति टीबी. मरीज के Outcome देने पर राशि 01 अप्रैल, 2018 से DBT के माध्यम से दी जा रही है।
- उपरोक्त के क्रम में प्रोत्साहन राशि को भारत शासन द्वारा पुनरीक्षित करते हुए 01 नवम्बर 2024 से राशि रू.1,000 प्रतिमाह DBT के माध्यम से भुगतान किए जाने के निर्देश प्रदान किए गये है।



मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) 387 टीबी इकाईयाँ के माध्यम से मार्च, 2025 के अंत तक 925 डीएमसी (जिला सूक्ष्म केंद्र) और 30,595 Facility Based डीओटी केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्यों ने कुल अधिसूचना लक्ष्य के मामले में लक्ष्य 1.60 लाख के सापेक्ष 1.45 लाख हासिल किए हैं, इस प्रकार वर्ष 2025 में लक्ष्य का 91% हासिल किया गया है। इन टीबी रोगियों के लिए, प्रति माह 1,000 रुपये के उपचार, निदान और पोषण सहायता का प्रावधान है। अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक निक्षय पोषण योजना (NPY) के तहत टीबी रोगियों को ₹ 52.03 करोड़ वितरित किए गए हैं। क्षयरोग रोगियों के अग्रिम उपचार हेतु भोपाल, इंदौर, उज्जैन सागर, रीवा, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, ग्वालियर एवं जबलपुर में स्थित 09 नोडल डीआरटीबी केन्द्रों के माध्यम से 52 जिला डीआरटीबी केन्द्रों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम में अर्जित उपलब्धियाँ

- राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम की उपलब्धियों की मासिक आधार पर समीक्षा की जा रही है।
- बड़वानी जिले में दिनांक 25.05.2025 को भ्रमण के दौरान 180 फूड बास्केट का वितरण किया गया।
- क्षय रोगियों के पोषण आहार सहयोग हेतु मरीजों को गोद लिया गया है एवं रोगियों को गोद लिये जाने हेतु अन्य विभागों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया जा रहा है।
- NTEP के अंतर्गत टी.बी. मरीजों के बेहतर इलाज एवं उपचार किए जाने हेतु पंचायत विभाग से समन्वय स्थापित किया जा कर सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान के सफल आयोजन उपरांत दिनांक 21 मई 2025 को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी/संस्था/जिलों के प्रतिनिधियों, निक्षय मित्रों को सम्मानित किया गया।

9.4.17 असंचारी रोग कार्यक्रम

- वर्ष 2025-26 में (अप्रैल 2025 से माह नवम्बर 2025) 6,633 रोगियों को डे-केयर कीमोथेरेपी सेवाएं प्रदान की गई हैं।
- जिला अस्पतालों में 42 प्रकार की कैंसर रोधी औषधि उपलब्ध है।
- सर्वाइकल कैंसर, स्तन कैंसर और मुख कैंसर के लिए 30 से 65 वर्ष के आयु वर्ग के जनसंख्या आधारित जांच की जा रही है।

तालिका 9. 12 गैर-संचारी/असंचारी (अप्रैल - नवंबर 2025)

	ओरल कैंसर	ब्रेस्ट कैंसर	सर्वाइकल कैंसर	उच्च रक्तचाप	मधुमेह	स्वस्थ यकृत
स्क्रीनिंग	40.69 लाख	19.86 लाख	8.71 लाख	1.23 करोड़	1.26 करोड़	1.30 करोड़

- सात संभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों में से प्रत्येक में उपचार तथा क्षमता निर्माण के प्रयोजनों के लिए 02 थर्मल एब्लेशन उपकरण और 01 एलईईपी उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।
- जिला अस्पताल स्तर पर 102 थर्मल एब्लेशन डिवाइस (प्रति जिले में 02 डिवाइस) मौजूद हैं।
- जिला अस्पताल स्तर पर 51 कॉल्योस्कोप उपकरण (प्रति जिले में 01 डिवाइस) मौजूद है।

राष्ट्रीय गैर संचारी रोग रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत मध्यप्रदेश में 15-49 वर्ष आयु वर्ग के पुरुषों में उच्च रक्तचाप की व्यापकता महिलाओं की तुलना में कुछ अधिक है। कार्यक्रम की रणनीतियों में मानक उपचार प्रोटोकॉल का उपयोग, दवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना, रोगी केंद्रित देखभाल, कार्य साझा करना और

कार्यक्रम की निगरानी सम्मिलित है। सभी 52 जिलों में सेंट्रल लैब की स्थापना की गई है, जिसमें हार्ट अटैक के अतिरिक्त अन्य दीर्घकालिक असाध्य रोगों के लिए जरूरी लैब टेस्ट की उपलब्धता 24x7 सुनिश्चित की जा रही है।

विभिन्न स्वास्थ्य दिवस जैसे विश्व स्वास्थ्य दिवस (07.04.2023), विश्व हृदय दिवस (29.09.2023), विश्व स्ट्रोक दिवस (29.10.2023), विश्व मधुमेह दिवस (14.11.2023), विश्व उच्च रक्तचाप दिवस (17.05.2023), मदिरा रहित वसा युक्त यकृत रोग दिवस (19.04.2023), एवं दीर्घकालिक श्वसन रोधी फेफड़ा रोग दिवस (COPD) (नवंबर माह के तृतीय सप्ताह) के माध्यम से उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोगों और संबंधित नैदानिक परीक्षणों को आम जनता के लिए सुगम और सुलभ बनाने हेतु शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। समस्त उप स्वास्थ्य केंद्रों पर रेफरल प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

कार्यक्रम अंतर्गत एन.पी.एन.सी.डी के तहत भारत में सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग एवं फॉलो-अप करने में मध्यप्रदेश तीसरे स्थान पर है।

9.4.18 मदिरा रहित वसा युक्त यकृत रोग (एन.ए.एफ.एल.डी)

भारत सरकार द्वारा एन.ए.एफ.एल.डी. स्क्रीनिंग को गैर संचारी रोगों के रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में सम्मिलित करते हुए कार्यान्वयन हेतु उल्लेख किया गया है। भारत में संपादित विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर मदिरा रहित वसा युक्त यकृत रोग (एन.ए.एफ.एल.डी.) की प्रचलित दर 9 से 32 प्रतिशत पायी गई है, जिसमें मोटापा/अत्यधिक भार और मधुमेह पीड़ित/प्री-डायबिटीज में प्रभावित होने की आशंका सामान्य दरों से अधिक पाई गई है। मध्यप्रदेश में 16.6 प्रतिशत महिला एवं 15.6 पुरुष मोटापे ($BMI \geq 25.0 \text{ kg/m}^2$) से ग्रसित हैं। (स्रोत: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5)।

शोधकर्ताओं के अनुसार मधुमेह पीड़ित रोगियों में 40 से 80 प्रतिशत का अनुपात एन.ए.एफ.एल.डी. से प्रभावित पाया गया है। प्रायः अनुवांशिक जोखिम कारक, पारिवारिक इतिहास, मेटाबोलिक सिंड्रोम, पर्यावरण संशोधक जैसे जीवन-शैली में बदलाव, मोटापा, असंतुलित खानपान, निष्क्रिय जीवन शैली, धूम्रपान, तंबाकू का सेवन, मधुमेह, रक्तचाप, अनियंत्रित लिपिड (डिस्लिपिडेमिया) आदि गैर संचारी रोगों के लिये प्रमुख कारण हैं। जीवनशैली में हुए बदलाव का परिणाम शरीर में उपलब्ध महत्वपूर्ण अंग यकृत द्वारा ही वहन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप मदिरा रहित वसा युक्त यकृत रोग (NAFLD) परिलक्षित होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार मदिरा रहित वसा युक्त यकृत रोग (NAFLD) से पीड़ित हो जाने पर उपचार उपलब्ध नहीं है। इस मिशन का उद्देश्य जन-जागरूकता बढ़ाना, जनसंख्या स्तर पर NAFLD स्क्रीनिंग का विस्तार करना तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की तकनीकी क्षमता को सुदृढ़ करना है। समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषाओं में मानकीकृत IEC सामग्री विकसित कर सभी जिलों में वितरित की गई है। यह सामग्री जागरूकता बढ़ाने और व्यवहार परिवर्तन संचार में सहायक है।

राज्य-व्यापी NAFLD स्क्रीनिंग का प्रारंभ 2 जून 2025 को किया गया था, जिसका लक्ष्य 3.3 करोड़ वयस्कों की स्क्रीनिंग करना है। 2 जून 2025 से अब तक कुल 130.2 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। इनमें से 11.4 लाख (11%) व्यक्तियों का BMI 23 से अधिक पाया गया। पुरुषों में 9.7 लाख (15%) व्यक्तियों की कमर 90 सेमी से अधिक मापी गई, जबकि महिलाओं में 11.3 लाख (17%) की कमर 80 सेमी से अधिक दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, 29,087 व्यक्तियों में FIB स्कोर 1.3 से अधिक पाया गया। एन.पी.एन.सी.डी. के तहत (NAFLD) को सक्रिय रूप से अपनाने वाला भारत में पंजाब के साथ मध्यप्रदेश पहला राज्य है।



9.4.19 राष्ट्रीय सर्पदंश प्रबंधन कार्यक्रम

राष्ट्रीय सर्पदंश निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 में (अप्रैल 2025 से नवम्बर 2025) सर्पदंश के कुल 18,995 मरीज दर्ज किए गए। राजस्व, वन, और कृषि विभाग से सर्पदंश के मामलों और आयोजित गतिविधियों की जानकारी साझा करने के लिए आवश्यक समन्वय स्थापित किया गया। अन्य विभागों से सामंजस्य स्थापित कर हितग्राहियों को कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाएं उपलब्ध कराई गई।

9.4.20 राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम

भारत में मुख्यतः कुत्ते, बिल्ली, भेड़िया, गीदड़, नेवला और बंदर के काटने से यह रोग फैलता है। औसतन, 96% रेबीज के मामलों का कारण कुत्ते का काटना होता है। हालांकि, राष्ट्रीय स्तर पर रेबीज से संबंधित मृत्यु और बीमारी के आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश ने पहले पांच शीर्ष राज्यों में शामिल होकर रेबीज हेल्पलाइन नंबर (01206025400) जारी किया।

जानवर के काटने पर घाव प्रबंधन और टीकाकरण: (अप्रैल 2025 से नवम्बर 2025)

- कुल 4.20 लाख पीड़ितों को प्राथमिक देखभाल और घाव प्रबंधन सेवाएं प्रदान की गई।
- कुल 5.50 लाख एंटी रेबीज वैक्सीन की खुराक पीड़ितों को प्रदान की गई।

उपरोक्त के अतिरिक्त, संयुक्त संचालन समिति का गठन, मॉडल एआरसी (एंटी-रेबीज क्लीनिक) का संचालन तथा SAPRE दस्तावेज़ को अंतिम रूप देना और लॉन्च करना गतिविधियों में शामिल है। रेबीज मुक्त शहर पहल अंतर्गत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, और रतलाम में सिटी टास्क फोर्स का गठन एवं अन्य गतिविधियां सुनिश्चित की गई है।

9.4.21 लैब सर्विसेस (उत्तम प्रथा)

प्रदेश के समस्त शासकीय चिकित्सालयों में माह फरवरी 2013 से मुख्यमंत्री निःशुल्क पैथोलॉजी जांच योजना के अंतर्गत आमजन को निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जांच सुविधा जांच व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 2020 में समस्त जिला चिकित्सालयों तथा सिविल अस्पतालों में PPP (Public Private Partnership) आधारित वेट लीज रिएजेंट रेंटल मॉडल की शुरुआत की गई। इसमें शासन द्वारा आमजन को उच्च गुणवत्ता वाली निःशुल्क जांच सुविधा, मरीज का शीघ्र उपचार, समय की बचत एवं इलाज के खर्च में सहयोग प्रदान किया गया है।

वेट लीज रिएजेंट रेंटल मॉडल के अंतर्गत वर्तमान में प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों एवं 35 सिविल अस्पतालों (100 बिस्तर से अधिक) में सेंट्रल पैथालाजी लैब स्थापित कर उच्च तकनीकी फुली ऑटोमेटिक यू.एस.ए.एफ.डी.ए. एप्रूव्ड उपकरणों के माध्यम से उच्च मानक वाली जांचे आमजन को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इस PPP आधारित मॉडल से हितग्राहियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। उच्च शुल्क वाली जांचे जिन की उपलब्धता पहले निजी लैब में थी, उन जांचों को अब शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

उक्त मॉडल में निम्न उच्च तकनीकी फुली ऑटोमेटिक उपकरणों को पैथोलॉजी लैब में स्थापित किया गया है-

1. Automatic Haematology Analyzer (Sysmex, Japan)
2. Automatic Biochemistry Analyzer (Biosystems, Spain)

3. Automatic Urine Analyzer (YD Diagnostic, South Korea)
4. Automatic Hormone (Immunoassay) Analyzer (Siemens, USA)
5. Automatic Coagulation Analyzer (Stago, France)
6. Automatic HPLC Analyzer (Biorad, USA)

तालिका 9. 13 वेट एण्ड लीज रेंटल मॉडल उपलब्धि

	2023-24	2024-25	2025-26 (नवंबर 2025 तक)
कुल जांच संख्या	12104041	13119557	10382225
कुल हितग्राही संख्या	3803429	4169197	3105071

- वेट लीज रिएजेंट रेंटल मॉडल के माध्यम से समस्त मरीजों को उच्च शुल्क वाली विशेष प्रकार की जांचें जैसे- हार्मोन की जाँचे, कैसर मार्कर, मधुमेह की जाँच एवं कोविड-19 के उपचार के लिए आवश्यक जाँचे, सी.आर.पी, सीरम फेरिटिन, एल.डी.एच एवं डी-डायमर इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- समस्त जिलों में सिकल सेल एनीमिया, थैलेसिमिया एवं अन्य रक्त विकारों की जांच हेतु HPLC जांच सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है।
- वर्तमान में प्रदेश में मरीजों को जांच रिपोर्ट प्रिंटेड फॉर्मेट में तथा मोबाइल पर SMS के माध्यम से भी उपलब्ध करायी जा रही हैं।
- वेट लीज रिएजेंट रेंटल मॉडल के अंतर्गत संचालित 35 लैब को NABL (MELT) सर्टिफिकेशन प्राप्त किया गया है।

9.4.22 राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एन.पी.एच.सी.ई)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत एन.सी.डी एवं वृद्धजन स्वास्थ्य क्लीनिक के माध्यम से चिकित्सकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों हेतु निःशुल्क परामर्श दवाओं की उपलब्धता पैथोलोजिकल जाँचे एवं रेफरल सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम अंतर्गत समस्त जिलों में जिला चिकित्सालय सिविल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर समस्त वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएँ प्रदान करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कार्यक्रम की गतिविधियाँ

- एन.सी.डी एवं वृद्धजन स्वास्थ्य क्लीनिक के माध्यम से चिकित्सक एवं नर्सिंग अधिकारी द्वारा वृद्धजनों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा रही है।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए 41 जिला अस्पताल में जिरयाटिक वार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है। शेष 10 जिला चिकित्सालयों के आई पी डी वार्ड में 12 बिस्तर आरक्षित किए गये हैं।
- जिला स्तर पर फिजियोथैरेपी यूनिट का संचालन किया जा रहा है। समस्त जिला चिकित्सालय एवं 135 चिह्नित उप जिला स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाओं में फिजियोथैरेपी यूनिट स्थापित की गयी है एवं इनके माध्यम से फिजियोथैरेपी संबंधित सेवाएँ प्रदान की जा रही है।
- जिलों के वृद्धाश्रमों में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में



एन.सी.डी क्लीनिक के प्रभारी चिकित्सक मेडिसिन विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षित नर्सिंग अधिकारी द्वारा निःशुल्क परामर्श दवाएँ जाँचे एवं रेफरल सुविधा प्रदान की जाती हैं।

- समस्त जिला चिकित्सालयों में वृद्धजन नागरिकों हेतु रैम्प एवं व्हील चेयर की सुविधा प्रदान की जा रही है।
- दवाई वितरण केंद्र में वृद्धजन नागरिकों को प्राथमिकता अथवा पृथक पंक्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।
- नर्सिंग अधिकारी को वृद्धजन स्वास्थ्य के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- इस कार्यक्रम अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 01 अक्टूबर के उपलक्ष्य में जिला चिकित्सालयों एवं विकास खण्ड स्तर पर वृद्धजनों हेतु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है।
- माह अप्रैल 2025 से माह नवंबर 2025 में जिला चिकित्सालय में स्थित एन.सी.डी एवं वृद्धजन स्वास्थ्य क्लीनिक के माध्यम से कुल 3,97,657 वृद्धजन मरीजों को ओपीडी में उपचार प्रदान किया गया। कुल 103,496 मरीजों को आईपीडी सेवाएं उपलब्ध करायी गयी एवं कुल 1,20,375 वृद्धजन मरीजों को फिजियोथैरेपी की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

9.4.23 मलेरिया उन्मूलन प्रगति

वर्ष 2024-25 में माह जनवरी से दिसंबर 2024 तक 1,18,90,682 बुखार के रोगियों की निःशुल्क मलेरिया जाँच की गई। इनकी जाँच में 3,252 मलेरिया रोगी पाये गये, जिन्हें पूर्ण उपचार दिया गया। वर्ष 2025-26 में माह जनवरी से दिसंबर तक 1,05,07,567 बुखार के रोगियों के निःशुल्क मलेरिया की जांच की गई जिसमें कुल 2012 मलेरिया रोगी पाये गये, जिन्हें पूर्ण उपचार दिया गया।

डेंगू एवं चिकनगुनिया नियंत्रण हेतु प्रगति

प्रदेश में डेंगू/चिकनगुनिया के निदान के लिए सभी शासकीय जिला चिकित्सालयों एवं मेडिकल कॉलेज में डेंगू / चिकनगुनिया की कुल 64 संस्थाओं में मेक एलाइजा किट से जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2024 में माह जनवरी से दिसंबर तक 1,24,888 डेंगू जांच में 10,224 डेंगू के एवं कुल 27,354 चिकनगुनिया जांच में 1321 सकारात्मक प्रकरण पाये गये एवं वर्ष 2025 में माह जनवरी से दिसंबर तक कुल 72,593 जांच में 1,629 डेंगू के एवं 10,962 जांच में 524 चिकनगुनिया के प्रकरण पाये गये, जिन्हें उपचार दिया गया।

9.4.24 क्वालिटी एश्योरेन्स शाखा

इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हेतु राज्य द्वारा सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा विकसित कायाकल्प एवं एन. क्यू.ए.एस मापदण्ड अनुरूप विकसित किया जा रहा है:-

- वर्ष 2025-26 में 51 जिला चिकित्सालय, 161 सिविल अस्पताल, 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का कायाकल्प मापदण्ड अनुरूप पीयर मूल्यांकन करवाया जा रहा है।
- माह नवम्बर 2025 से 13 जनवरी 2026 तक कुल 212 स्वास्थ्य संस्थाओं को राष्ट्रीय मानक नेशनल क्वालिटी एश्योरेन्स स्टैंडर्ड (NQAS) प्रमाणीकरण प्राप्त किया है।

9.4.25 टेलीमेडिसिन - ई-संजीवनी योजना

- प्रदेश में संचालित ई-संजीवनी सेवा का विस्तार करते हुए 17 चिकित्सा महाविद्यालयों, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल एवं एम्स भोपाल को हब के रूप में चिन्हित कर जिलों के प्राथमिक

स्वास्थ्य केंद्रों स्पोक से जोड़ा जाकर मरीजों को विशेषज्ञ परामर्श सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

- वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल 2025 से माह नवम्बर 2025) में 22,15,543 सामान्य टेलीपरामर्श तथा 24,317 विशेषज्ञ टेलीपरामर्श कर टेलीमेडिसिन सुविधा प्रदान प्रदान की गई हैं।
- प्रदेश की जेलों एवं उप-जेलों को भी प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और जिला चिकित्सालयों से मैप किया गया है, जिसके माध्यम से विगत एक वर्ष में लगभग 4,000 टेलीपरामर्श कर विचाराधीन बंदियों को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।

9.4.26 शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम

- शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुख्यतः 50 हजार एवं संजीवनी क्लीनिक/पॉलीक्लीनिक (अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी) औसतन 20-25 हजार की जनसंख्या पर संचालित किए जा रहे हैं।
- शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आमजन मुख्यतः मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रदेश में 928 शहरी स्वास्थ्य संस्थाएँ स्वीकृत हैं जिसमें राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत 140 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 04 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 15 वे वित्त आयोग के तहत भारत शासन द्वारा 783 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक/पॉलीक्लीनिक (अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी) की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- समस्त शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं मुख्यमंत्री संजीवनी शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स के रूप में क्रियाशील किए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है।
- जिसमें कुल 592 शहरी स्वास्थ्य संस्थाएँ जिसमें 04 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 140 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 448 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक/पॉलीक्लीनिक (अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी) को हेल्थ एवं वेलनेस के रूप में उन्नयन कर संचालित किए जा रहे हैं। जिसके माध्यम से जन-समुदाय को निम्न प्रमुख सेवाएं प्रदान किए जा रही हैं:-

अ. 12 प्रकार की हेल्थ एण्ड वेलनेस स्वास्थ्य सेवाएँ

आ. 80 प्रकार की निःशुल्क जांचें शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तथा 67 प्रकार की जांचें मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक/पॉलीक्लीनिक (अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी) में ।

इ. 208 प्रकार की निःशुल्क दवा वितरण ।

ई. शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के माध्यम से सामुदायिक आधारित स्वास्थ्य सेवाएँ।

- शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं (शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक/ पॉलीक्लीनिक (अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी) के माध्यम से 01 अप्रैल 2025 से 30 नवम्बर, 2025 कुल 66,27,214 हितग्राहियों को ओ.पी.डी सेवाएं, 1,43,158 गर्भवती महिलाओं का पंजीयन एवं कुल 1,29,053 गर्भवती महिलाओं की 04 ए.एन.सी. जांचें कर परीक्षण किया गया ।
- शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं (शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक (अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी)) के माध्यम से कुल 64,59,496 औषधियां एवं 36,01,431 लैब टेस्ट की सेवाएँ प्रदान की गई ।
- शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं (शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक (अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी) में कुल 14,82,736 हाइपरटेंशन एवं 13,66,110 डायबिटीज के मरीजों को चिह्नित किए जा कर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की गई ।



9.4.27 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एन.एम.एच.पी.)

- कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला चिकित्सालय के अंतर्गत स्थापित मनकक्ष के माध्यम से मनोरोग विशेषज्ञ/प्रशिक्षित चिकित्सक क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट एवं नर्सिंग अधिकारी द्वारा मानसिक रोगियों की स्क्रीनिंग, उपचार एवं काउंसिलिंग की जाती हैं।
- चिकित्सकों एवं नर्सिंग अधिकारी को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण दिया गया ताकि ओ.पी.डी. में आने वाले व्यक्तियों/रोगियों का परीक्षण कर उपचार एवं परामर्श दिया जा सके।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मनोचिकित्सक के माध्यम से स्वास्थ्य ओ.पी.डी. का आयोजन किया जाता है। शिविर में मनकक्ष प्रभारी मनोचिकित्सक/ चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा मनोवैज्ञानिक एवं नर्सिंग अधिकारी द्वारा मानसिक रोगियों की स्क्रीनिंग, उपचार एवं काउंसिलिंग एवं मानसिक स्वास्थ्य पर लोगों में जागरूकता लाने हेतु गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।
- प्रति वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का आयोजन प्रदेश के समस्त जिलों में किया जाता है इस दिन जिला स्तर पर विभिन्न गतिविधियों जैसे निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर रैलियों का आयोजन, व्याख्यान एवं समुदाय में जागरूकता फैलाने हेतु नाटकों का मंचन किया जाता है। प्रत्येक जिले में 10 सितम्बर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर विभिन्न गतिविधियों को आयोजन किया गया है। जिसके माध्यम से आत्महत्या के कारणों और उसकी रोकथाम विषयक जागरूकता आधारित कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।
- फेथ हीलर्स उन्मुखीकरण गतिविधि के अंतर्गत ऐसे लोग जो जादू-टोना, तंत्र-मंत्र के माध्यम से लोगों में होने वाली मानसिक समस्याओं का उपचार करते हैं उन्हें चिह्नित कर मानसिक समस्याओं पर जागरूक किया जा रहा है।
- कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित दवाइयाँ मानसिक रोगियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।
- मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जनमानस में जागरूकता एवं सेवा प्रदान करने हेतु प्रदेश में दो टेलीमानस केन्द्र मानसिक चिकित्सालय इंदौर एवं ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला में प्रारम्भ किए गये हैं तथा एक मेनटरिंग सेल एम्स भोपाल में स्थापित की गई है। इस सुविधा के माध्यम से निःशुल्क 24 x 7 मानसिक एवं भावनात्मक समस्याओं हेतु परामर्श एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध है आज दिनांक तक टेलीमानस के माध्यम से 1.41 लाख हितग्राहियों को परामर्श सुविधाएं उपलब्ध कराई गई

तालिका 9. 14 मनकक्ष OPD स्थिति

वर्ष	ओ.पी.डी. स्क्रीनिंग	कुल पंजीकृत नए (ओ.पी. डी. + आई.पी.डी.)	कुल फॉलो-अप प्रकरण	देखे गए कुल रोगियों की संख्या (नए एवं पुराने)
2025 (April to Nov. 25)	1,97,058	62,831	1,08,466	1,71,297

स्रोत - एनएमएच म. प्र.

तालिका 9. 15 मानव संसाधन

क्र. स.	मनोचिकित्सक	प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी	क्लीनिकल मनोवैज्ञानिक
1	31	18	15

स्रोत - एनएचएम म. प्र.

9.4.28 राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन- 2047

- प्रदेश में “राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन” के अंतर्गत प्रदेश के 89 आदिवासी बाहुल्य विकासखंडों एवं प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के 13 अतिरिक्त जिले (कुल -33 जिले) में स्क्रीनिंग का कार्य किया जा रहा है।
- सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्य योजना के अंतर्गत 40 वर्ष तक के आयु के लोगों के स्क्रीनिंग कार्य निरंतर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मिशन के आरंभ होने से नवम्बर माह तक 1,25,34,062 स्क्रीनिंग की जाकर 35,089 सिकल सेल रोगी चिन्हित किए गए एवं 2,28,831 सिकल वाहक पाए गए।
- हितग्राहियों के स्क्रीनिंग के पश्चात समस्त हितग्राहियों की जेनेटिक काउंसलिंग कर नवम्बर 2025 तक कुल 1,05,60,039 लोगों को काउंसलिंग कार्ड वितरित किए गए।
- प्रदेश में समस्त गर्भवती माताओं, स्कूलों, महाविद्यालयों, एकलव्य आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में स्क्रीनिंग का कार्य निरंतर किया जा रहा है।
- सिकलसेल स्क्रीनिंग जांच की समस्त जानकारी ट्रेकिंग हेतु राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल सिकलसेल पोर्टल में दर्ज की जा रही है।
- प्रदेश में पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट के माध्यम से जांच सुविधा जिला स्वास्थ्य संस्थानों से आयुष्मान आरोग्य मंदिरों तक उपलब्ध करायी जा रही है।
- नवंबर 2025 तक स्क्रीनिंग पश्चात चिन्हित 27,555 सिकल सेल रोगियों को हाइड्रॉक्सीयूरिया द्वारा प्रबंधन सुनिश्चित किया गया।
- नवंबर 2025 तक स्क्रीनिंग पश्चात चिन्हित 15,747 रोगियों का जिला स्तर पर संचालित एकीकृत उपचार केन्द्र में प्रबंधन एवं उपचार किया जा रहा है।
- समस्त रोगियों को निःशुल्क औषधि वितरण तथा आवश्यकता पड़ने पर रक्तदान दिया जा रहा है।
- सिकल सेल रोगियों के जांच एवं उपचार सुविधाओं का सुदृढीकरण हेतु प्रत्येक जिला चिकित्सालयों में एच.पी.एल.सी. मशीन द्वारा सिकल सेल एनीमिया की पुष्टीकरण जांच की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य जाँचे जैसे- सी.बी.सी., टोटल आयरन, सिरम फेरीटिन आदि जांचों की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।
 - » “मोबाइल मेडिकल यूनिट” (MMUs) के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग जांच का कार्य नवंबर माह तक कुल 87,318 स्क्रीनिंग की गयी है।
 - » प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की सिकल सेल स्क्रीनिंग जांच एवं उपचार सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर विशेष मार्गदर्शिका तैयार कर नवंबर माह तक 438873 गर्भवती महिलाओं की जाँच कर 498 सिकल सेल रोगी गर्भवती चिन्हित कर उपचार दिया जा रहा है



- » सिकल सेल रोगियों की गंभीर इन्फेक्शन से बचाने हेतु चिन्हित किए गए रोगियों को न्युमोकोकल वैक्सीन किया जा रहा है।
- » सिकल सेल रोगियों की उपचार के लिए बोनमेरोट्रांसप्लांट सुविधा हेतु प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में बोनमेरोट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना कर 100 से अधिक रोगियों का बोनमेरोट्रांसप्लांट किया गया। इसके अतिरिक्त चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में भी बोनमेरोट्रांसप्लांट यूनिट प्रारंभ कर दिया गया है।
- » सिकल सेल रोग को आने वाली पीढ़ी में होने की संभावना की जाँच हेतु गर्भवती महिलाओं में प्रीनेटल जाँच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए “बिरसा मुण्डा सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस” श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में ‘सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फ़ॉर प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ़ हीमोग्लोबिनोपैथीज़’ प्रारंभ कर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
- » प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया के मरीजों के संपूर्ण प्रबंधन एवं संबंधित रिसर्च हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश के गंभीर मरीजों को पेन क्राइसिस, गंभीर लक्षणों इत्यादि की स्थिति में सुविधा प्रदान करने हेतु दो सेंटर ऑफ़ कॉम्पीटेन्स की स्थापना भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, भोपाल एवं महाराजा यशवंत राव अस्पताल, इंदौर में वर्ष 2024 में की गई।
- » “प्रदेश में चिन्हित समस्त सिकलसेल रोगियों को शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए UDID कार्ड बनाकर विकलांगता/ बहुविकलांगता प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं।

“स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान” अंतर्गत मध्यप्रदेश में सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग कार्य सर्वाधिक कुल स्क्रीनिंग 4,29,574 की जाकर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

- » आमजन में सिकल सेल रोग के प्रति जागरूकता करने हेतु “सिकल मित्र” पहल अंतर्गत नवम्बर माह तक 712 सिकल मित्र बनाये जा चुके हैं।
- » प्रदेश में लोगों को आनुवंशिक बीमारियों एवं उसके प्रभावों की बेहतर समझ प्रदान करने के लिए 19 जून “विश्व सिकल सेल दिवस” के अवसर पर “जेनेटिक काउंसलिंग वीडियो” जारी किया गया।

सिकल सेल योजना में किए गए विशेष योगदान:

1. राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन की स्थापना एवं कार्ययोजना की निरंतर क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग।
2. सिकल सेल स्क्रीनिंग, उपचार एवं प्रबंधन की निरंतर मॉनिटरिंग।
3. सिकल सेल के सम्पूर्ण प्रबन्धन के लिए राज्य मद में बजट का प्रावधान।
4. 100 दिवसीय “सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग एवं जनजागरूकता अभियान” के विशेष प्रयास।
5. सिकल मित्र पहल का शुभारंभ।

9.4.29 राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण

राज्य स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 की धारा 45 अंतर्गत राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, म.प्र की स्थापना की जानी थी। राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, म.प्र की स्थापना 02 सितम्बर 2020 की गई है।

- मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 की धारा 18 से 28 अंतर्गत मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों का प्रावधान स्पष्ट किया गया है, जिसके क्रियान्वन हेतु रु. 40,00,000 राशि रूपये का बजट पूर्व में वर्ष 2020 में प्राप्त हुआ था जिसमें वृद्धि होकर रु. 4,00,00,000 राशि रूपये वर्तमान में उपलब्ध है।
- राज्य स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 की धारा 65 के अंतर्गत मध्यप्रदेश के समस्त मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके क्रियान्वयन में अब तक मध्यप्रदेश में कुल 139 मानसिक स्वास्थ्य स्थापनाओं का पंजीयन राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, म.प्र द्वारा किया गया है।

9.4.30 एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आई.डी.एस.पी.)

प्रदेश में एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आई.डी.एस.पी.) संक्रामक रोगों के मॉनिटरिंग के कार्य संपादन हेतु भारत शासन द्वारा माह नवम्बर 2004 से संचालित है। आई.डी.एस.पी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संक्रामक बीमारियों कि रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग तथा संक्रामक बीमारियों की महामारी की तत्काल सूचना प्राप्त कर त्वरित नियंत्रण व रोकथाम करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में संचालित सभी शासकीय एवं निजी चिकित्सा संस्थाओं से समन्वय कर रिपोर्टिंग तथा सतत निगरानी व रिपोर्टिंग कर एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति की जा रही है। जिसमें संक्रामक बीमारियों के डाटा संधारण विश्लेषण के आधार पर बीमारियों का पूर्वानुमान किया जाता है।

संक्रामक बीमारियों के त्वरित सूचना प्राप्त कर नियंत्रण व रोकथाम के उद्देश्य से भारत शासन द्वारा देश में माह अप्रैल 2021 में Integrated Health Information Platform (IHIP) लॉन्च किया गया है दिनांक 01 अक्टूबर 2021 से संक्रामक बीमारियों की दैनिक रिपोर्टिंग की जा रही है। 35 से भी अधिक संक्रामक लक्षण एवं बीमारियाँ IHIP प्लेटफार्म (IHIP-IDSP) पर सूचीबद्ध किया गया है। प्रदेश में IHIP प्लेटफार्म के माध्यम से लक्षणों के आधार पर, बीमारियों व लेबोरेटरी की जाँच रिपोर्टिंग Real time, Case based, GIS based reporting, Electronic Platform पर की जा रही है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के रोगों की सतत निगरानी का कार्य राज्य एवं जिला स्तर पर किया जा रहा है, संक्रामक बीमारियों की सतत निगरानी करते हुए IHIP प्लेटफार्म पर वर्ष 2025-2026 (अप्रैल 2025 से नवम्बर 2025) में कुल 408 आउटब्रेक व 978 इवेंट दर्ज किए गए, उक्त आउटब्रेकों की जिला एवं राज्य स्तरीय रेपिड रिसपॉन्स टीम (आर.आर.टी.) द्वारा जाँच रोकथाम एवं नियंत्रण गतिविधि संपादित की गई है।

वर्ष 2025-26 जिला-मंदसौर में गुलियन बारी सिंड्रोम, जिला- जबलपुर में ग्लैंडर पशु जन्य बीमारी, जिला- छिंदवाड़ा में संभावित एंथ्रेक्स बीमारी के आउटब्रेक की इन्वेस्टीगेशन, रोकथाम व नियंत्रण की गतिविधि की कार्यवाही स्वास्थ्य विभाग, पशु विभाग, खाद्य विभाग, जलशक्ति विभाग आदि विभागों के समन्वय से की गयी। जिला- खंडवा में माह नवम्बर 2025 में विषाणु संक्रमण रोकथाम अभ्यास 2.0, भारत सरकार व राज्य सरकार के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग, पशु विभाग व अन्य विभागों की भागीदारी से पूर्ण किया गया।

9.4.31 राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 अप्रैल 2024 से 30 नवम्बर 2025 तक राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत 10 से 19 आयु वर्ग के किशोर किशोरियों को परामर्श एवं चिकित्सकीय सेवा प्रदान किए जाने हेतु प्रदेश की 307 शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में उमंग स्वास्थ्य केन्द्रों (Adolescent Friendly Health Centre) का संचालन किया जा रहा है। 1 अप्रैल 2025 से 30 नवम्बर 2025 तक 307 उमंग स्वास्थ्य केन्द्रों (Adolescent Friendly Health Centre) के माध्यम से प्रदेश के 3.74 लाख



किशोर-किशोरियों को पोषण, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक बदलाव, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, नशीले पदार्थ के सेवन से रोकथाम एवं अन्य स्वास्थ्य विषयों में परामर्श प्रदान किया गया है एवं 2.57 लाख किशोर किशोरियों को चिकित्सकीय सेवा प्रदान की गई। आयुष्मान भारत-उमंग स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम अन्तर्गत 9,270 शासकीय एवं शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं में छात्र-छात्राओं को प्रत्येक मंगलवार को हेल्थ एवं वेलनेस से संबंधित शिक्षा प्रदान की गई। साथ ही परामर्शदाता द्वारा प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को सामुदायिक संपर्क (outreach) सत्र के माध्यम से 1 अप्रैल 2025 से 30 नवम्बर 2025 तक लगभग 23,730 सत्र का आयोजन शालाओं में किया एवं इनमें 13.06 लाख किशोर किशोरियों को पोषण, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक बदलाव, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य विषयों पर सही जानकारी प्रदान की। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत 42,505 पीयर एजुकेटर (साथिया) के द्वारा 22,520 गाँवों में लगभग 11.5 लाख किशोर-किशोरियों के साथ पोषण, किशोरावस्था में होने वाले बदलाव, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, नशीले पदार्थ के सेवन से रोकथाम के सम्बन्ध में जागरूकता गतिविधि संचालित की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित Just Ask Chatbot में कुल 1.03 लाख यूजर के द्वारा यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई।

9.5 लोक स्वास्थ्य में पीपीपी मोड - उत्तम प्रथाएं

9.5.1 पीएम श्री एयर एम्बुलेंस

- प्रदेश में गंभीर रोगियों, सड़क दुर्घटना एवं अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में घायल/पीड़ित व्यक्तियों को उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों तक त्वरित एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से “पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा” का संचालन किया जा रहा है।
- “पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा” सेवा 2 मई 2024 को प्रारंभ की गई।
- इस सेवा के अंतर्गत ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट - 01 “हेली एम्बुलेंस” एवं 01 “फिक्स्ड-विंग कनवर्टेड फ्लाइटिंग एम्बुलेंस” के माध्यम से आपातकालीन चिकित्सा परिवहन सुविधा प्रदान कराई जा रही है।
- ट्विन-इंजन हेली एम्बुलेंस का उपयोग विशेष रूप से दुर्गम, दूरस्थ एवं सड़क संपर्क से वंचित क्षेत्रों से रोगियों को शीघ्र निकासी (evacuation) हेतु किया जाता है, जबकि ट्विन-इंजन फिक्स्ड-विंग फ्लाइटिंग एम्बुलेंस का उपयोग लंबी दूरी पर अंतर-राज्यीय अथवा राष्ट्रीय स्तर के सुपर-स्पेशलिटी चिकित्सालयों तक समयबद्ध एवं स्थिर चिकित्सा परिवहन हेतु किया जाता है।
- एयर एम्बुलेंस में उन्नत लाइफ-सपोर्ट मेडिकल उपकरणों, प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ तथा रोगी की निरंतर निगरानी की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध रहती है।
- उक्त के अतिरिक्त रोगियों को एयर एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाया जा रहा है।
- वर्ष 2024-25 की तुलना में फिक्स्ड विंग एम्बुलेंस की औसत उपयोगिता 24 प्रतिशत से बढ़कर इस वर्ष 57 प्रतिशत हुई है तथा हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की उपयोगिता 7 प्रतिशत से बढ़कर 22 प्रतिशत हुई है।
- वर्ष 2025-26 में एम्बुलेंस की उपयोगिता में लगभग 26 प्रतिशत की वृद्धि होना पाया गया। एयर एम्बुलेंस की विगत वर्ष 17 प्रतिशत उपयोगिता से वृद्धि करते हुए वर्ष 2025-26 में 43 प्रतिशत हुई है।
- आपातकालीन स्थिति में रोगी/पीड़ित को उपचार हेतु निकटतम एवं उपयुक्त अस्पताल तक त्वरित एवं सुरक्षित परिवहन की सुविधा।

- यदि रोगी की स्थिति अत्यंत गंभीर हो, तो राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर स्थित उच्च स्तरीय सुपर-स्पेशलिटी चिकित्सालयों में स्थानांतरण की व्यवस्था।
- सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को, आवश्यकता अनुसार, निःशुल्क परिवहन सुविधा का लाभ प्रदान किया जाता है।
- वर्ष 2025-26 (नवंबर 2025 तक) पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से कुल 50 रोगियों को एयर एम्बुलेंस के माध्यम से परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई गई।

9.5.2 पी.पी.पी. मोड पर स्थापित चिकित्सा महाविद्यालय

- प्रदेश में कुल 13 चिकित्सा महाविद्यालयों के लिये टेण्डर प्रक्रिया की गई। जिनमें से 04 जिला बैतूल, पन्ना, कटनी तथा धार के लिए निविदा में सफल निविदाकार पाये जाने पर स्वीकृति जारी की गई है।
- दिनांक 01/08/2025 को स्वामी विवेकानंद शिक्षा धाम फाउंडेशन को बैतूल एवं कटनी में तथा विवेकानंद बौद्धि नॉलेज फाउंडेशन को पन्ना एवं धार हेतु Concession Agreement हस्ताक्षरित किया जाकर LOA भी जारी किया जा चुका है।

9.5.3 डायलिसिस सेवाएँ

- प्रदेश में असंचारी रोगों के निदान व उपचार को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2013 में चिन्हांकित जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस सेवाएँ प्रारम्भ कर लोक निजी भागीदारी के अंतर्गत डायलिसिस सेवाएँ उपलब्ध करायी जा रही है।
- वर्तमान में प्रदेश के सभी 53 जिलों के 53 जिला चिकित्सालयों, 14 सिविल अस्पताल तथा 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, कुल 70 स्वास्थ्य संस्थाओं में डायलिसिस इकाइयाँ क्रियाशील हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में (01 अप्रैल 2025 से 30 नवंबर 2025 तक) कुल 03 नवीन डायलिसिस इकाईयाँ का संचालन प्रारम्भ किया गया है।
- रोगियों को तत्काल डायलिसिस सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान में 365 से अधिक डायलिसिस मशीनों के माध्यम से प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 में (01 अप्रैल 2025 से 30 नवंबर 2025 तक) कुल 151229 डायलिसिस सत्र संपादित किए गये हैं। वर्तमान में प्रतिमाह किए जाने वाले डायलिसिस सत्रों की संख्या औसत 19 हजार हो गई है।
- प्रदेश के 5 जिलों में, पेरियोटियल डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है जिसके अंतर्गत 64 मरीजों को उपचार प्रदान किया जा रहा है।
- वर्तमान में डायलिसिस सेवाओं के सुचारू संचालन हेतु डायलिसिस रैंकिंग, 06 आई.ई.सी., एवं ऑनलाइन वीडियो मॉनीटरिंग नवाचार/बेस्ट प्रैक्टिसेस किए गये हैं। उक्त के अतिरिक्त 64 हीमोडायलाइजर रीप्रोसिसिंग यूनिट की स्थापना की गई है एवं चिन्हित संस्थाओं पर डीफिब्रिलेटर भी उपलब्ध कराए गए हैं।

9.5.4 सी. टी. स्कैन सेवाएँ

- वर्तमान में प्रदेश में समस्त जिलों के कुल 51 जिला चिकित्सालयों एवं चिन्हित 02 सिविल अस्पतालों में कुल 04 सेवा प्रदाताओं के माध्यम से सी. टी. स्कैन मशीन स्थापित कर जांच सुविधाएं प्रदान की जा रही है।
- गरीबी रेखा के नीचे आने वाले एवं आयुष्मान भारत अंतर्गत उपचारित रोगियों को निःशुल्क एवं गरीबी रेखा



के ऊपर जीवन यापन करने वाले रोगियों हेतु निविदा में वर्णित न्यूनतम दरों अनुसार जाँच सुविधाएँ प्रदान की जा रह है।

- निविदा क्रमांक NIT-140 के अंतर्गत संचालित कुल 16 जिला चिकित्सालयों में 16 स्लाइस सी. टी. स्कैन मशीन एवं निविदा क्रमांक T-145 के माध्यम से कुल 37 स्वास्थ्य संस्थाओं में 32 स्लाइस सी. टी. स्कैन मशीन के माध्यम से सी. टी. स्कैन जाँच सेवाएँ प्रदान की जा रही है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 (माह नवंबर 2025 तक)में आवश्यकतानुसार गरीबी रेखा के नीचे आने वाले एवं आयुष्मान भारत अंतर्गत उपचारित रोगियों हेतु कुल 386625 सी. टी. स्कैन जाँच एवं गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले रोगियों हेतु 49961 सी. टी. स्कैन जांच कर सुविधाएँ प्रदान की गई। प्रदेश में माह में औसतन 54537 सी. टी. स्कैन जांच की जा रही है।
- वर्तमान में सी. टी. जांच सेवाएँ अंतर्गत रोगियों की कुल 115 प्रकार की जांच की जा रही है।

9.5.5 एम. आर. आई जांच सेवाएँ - मध्यप्रदेश

- प्रदेश में उपचारित रोगियों को उच्चस्तरीय नैदानिक जांच सुविधा उपलब्ध करने के उद्देश्य से 05 संभागीय मुख्यालय पर स्थित जिला चिकित्सालयों (जिला चिकित्सालय भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन) में आउटसोर्स प्रणाली पर एम. आर. आई. मशीन स्थापित कर, सेवाएँ प्रारंभ की जा रही है।
- जिला चिकित्सालय भोपाल, ग्वालियर एवं इंदौर में एम.आर.आई. मशीन स्थापित कर जांच सुविधा प्रारंभ की जा चुकी है एवं जिला चिकित्सालय जबलपुर एवं उज्जैन में एम.आर.आई. मशीन स्थापित कर जांच सुविधा प्रारंभ करने की प्रक्रिया प्रचलन में है।
- गरीबी रेखा के नीचे आने वाले एवं आयुष्मान भारत अंतर्गत उपचारित रोगियों को निःशुल्क एवं गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले रोगियों हेतु निविदा में वर्णित न्यूनतम दरों अनुसार जाँच सुविधाएँ प्रदान की जा रही है।
- सेवा प्रारंभ होने से माह नवंबर 2025 तक आवश्यकतानुसार गरीबी रेखा के नीचे आने वाले एवं आयुष्मान भारत अंतर्गत उपचारित रोगियों हेतु कुल 10,229 एम. आर. आई. जाँच एवं गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले रोगियों हेतु 6597 एम. आर. आई. जांच कर सुविधाएँ प्रदान की गई। प्रदेश में माह में औसतन 1580 एम. आर. आई. स्कैन जांच की जा रही है।
- वर्तमान एम. आर. आई. जांच सेवाएँ के अंतर्गत रोगियों की कुल 58 प्रकार की जांच की जा रही है।

9.5.6 हब एंड स्पोक मॉडल - जाँच सेवा

प्रदेश के नागरिकों को उनके घर के समीप गुणवत्तापूर्ण लैबोरेटरी जाँच सेवाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्ष 2021-22 में प्रदेश में “हब एंड स्पोक मॉडल” लागू किया गया। इस मॉडल के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (ग्रामीण/ शहरी) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण/ शहरी) एवं सिविल अस्पताल (जहाँ बेड की संख्या 100 से कम है) पर कुल 80 प्रकार की लैब जाँच सेवाएँ जिसमें से 30 प्रकार की लैब जाँच रैपिड कार्ड द्वारा संस्था पर एवं 50 प्रकार की लैब जाँच हब एण्ड स्पॉक मॉडल के तहत और मुख्यमंत्री संजीवनी / पाली क्लीनिक (अर्बन-एच.डब्ल्यू.सी) पर 67 प्रकार की लैब जाँच सेवाएँ जिसमें 17 प्रकार की लैब जाँच रैपिड कार्ड द्वारा संस्था पर एवं 50 प्रकार की लैब जाँच हब एण्ड स्पॉक मॉडल हब पर किए जाने का प्रावधान है। प्रदेश में 324 स्वास्थ्य संस्थाओं को हब के रूप में एवं 1610 संस्थाओं को स्पोक के रूप में चिह्नित किया गया है।

तालिका 9. 16 सेवाओं का विवरण

वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (Till Nov.25)
लैब जाँच	50,856	81,98,836	1,88,56,357	2,87,13,672	2,52,28,908
हितग्राही	38,497	22,27,303	37,18,145	47,11,400	34,63,969

स्रोत - स्वास्थ्य निदेशालय

तालिका 9. 17 मॉडल के तहत की जाने वाली जाँचे

क्र.	जाँच का नाम	क्र.	जाँच का नाम
1	Haemoglobin estimation	26	Serum HDL
2	CBC	27	Serum LDL
3	HbA1C	28	SGPT
4	NS1 For Dengue	29	SGOT
5	Dengue IgG/IgM	30	Alkaline Phosphatase
6	D-Dimer	31	ASO
7	Vitamin D	32	CK-MB
8	TSH	33	Serum Calcium
9	T3	34	G6PD
10	T4	35	PPBS
11	LH	36	RBS
12	FSH	37	Absolute Eosinophil Count (AEC)
13	Chikungunya	38	BLOOD UREA
14	Troponin-I	39	DIFFERENTIAL LEUCOCYTE COUNT
15	Serum Iron	40	PLATELET COUNT
16	FBS	41	Reticulocyte Count
17	GTT	42	SERUM ALBUMIN and A/G RATIO
18	CRP	43	SERUM BILIRUBIN(T)
19	RA Factor	44	SERUM CHLORIDE
20	Serum Bilirubin Direct and Indirect	45	SERUM MAGNESIUM
21	Serum creatinine	46	SERUM POTASSIUM
22	Serum Uric Acid	47	SERUM SODIUM
23	Serum Protein total	48	TOTAL LEUCOCYTE COUNT
24	Serum Triglycerides	49	URINE FOR MICROALBUMIN
25	Serum Cholesterol	50	Urine Microscopy

स्रोत - स्वास्थ्य निदेशालय म. प्र.



9.6 खाद्य एवं औषधि प्रशासन

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा, केन्द्र शासन के द्वारा विनियमित अधिनियम का क्रियान्वयन प्रदेश में कराया जाता है। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किए जाने हेतु खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 विनियम/नियम, 2011 का क्रियान्वयन एवं इसी अनुक्रम में औषधि नियंत्रण सुनिश्चित किए जाने हेतु औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 का क्रियान्वयन / विनियमन राज्य स्तर पर किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय योजनाओं में लक्ष्य की पूर्ति -

तालिका 9. 18 खाद्य सुरक्षा (FSSAI भारत सरकार द्वारा निर्धारित)

विभागीय कार्य	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति	वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति % (अप्रैल - नवंबर 2025)
लीगल नमूना लक्ष्य	12400	11424	92.12 %
सर्विलेंस नमूना	18600	16368	88 %
निरीक्षण	12400	14585	117.6 %

स्रोत: FDA कार्यालय म. प्र.

तालिका 9. 19 औषधि नियंत्रण

विभागीय कार्य	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति	वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति % (अप्रैल - नवंबर 2025)
नमूना लक्ष्य	2672	3040	113.7 %
निरीक्षण	17040	14174	83.18 %

स्रोत: FDA कार्यालय म. प्र.

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन

- प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम विनियम 2011 का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से संपादित किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के समस्त जिलों में 157 खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यरत हैं, जिनके द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम करने के उद्देश्य से खाद्य पदार्थों के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण तथा खाद्य पदार्थों की सेंपलिंग, जांच का कार्य अधिनियम अंतर्गत किया जाता है।
- प्रदेश के भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर में खाद्य प्रयोगशाला संचालित है। इन प्रयोगशालाओं में दूध एवं दूध से बने खाद्य पदार्थ, मसाले, तेल सहित सभी खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया जाता है। FSSAI भारत सरकार के सहयोग से माइक्रोबायोलॉजी का निर्माण किया जा रहा है, जिसका संचालन शीघ्र प्रारंभ करने का लक्ष्य है।
- खाद्य एवं औषधि प्रशासन के सुदृढ़ीकरण हेतु FSSAI भारत सरकार को 109 करोड़ का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिसके आलोक में FSSAI भारत सरकार द्वारा रुपये 41.73 करोड़ का एम.ओ.यू स्वीकृत किया गया।
- इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में 11424 लीगल एवं 16368 सर्विलेंस नमूने जांच हेतु लिये गये।
- खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाकर दीपावली त्यौहार के दृष्टिगत सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध दिनांक 01.10.2025 से 31.10.2025 तक विशेष अभियान अंतर्गत दूध 270, मावा 434, पनीर 279, विभिन्न मिठाइयों के 1270, नमकीन 381 एवं अन्य खाद्य पदार्थों सहित 4103 नमूने जांच हेतु लिये गये हैं। इसके साथ ही 1633 नमूनों की चलित खाद्य प्रयोगशाला के

माध्यम से त्वरित जांच की गई। इस अभियान अंतर्गत रु. 19.95 लाख की 15248 कि.ग्रा. मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त कर 11 फूड लाइसेंस निरस्त किए गये है।

- माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दैनिक दिनचर्या में 10% खाद्य तेल को कम करने संबंधी अनुपालन के संबंध में प्रदेश में विभाग द्वारा चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से आमजन तथा स्कूली छात्र-छात्राओं को जागरूक/प्रशिक्षित किया जा रहा है। अभियान अंतर्गत पूरे प्रदेश में 1036 आमजन तथा स्कूली छात्र-छात्राओं को शपथ दिलाई गई तथा 210 खाद्य कारोबारियों को कम तेल, कम चीनी उपयोग करने हेतु स्वैच्छिक शपथ पत्र भरवाए गए।
- 15 संभागीय चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से आमजन तथा स्कूली छात्र-छात्राओं को खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु 169 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 24397 आमजन सहित खाद्य कारोबारियों को प्रशिक्षित किया गया।
- खाद्य सुरक्षा प्रशासन में नमूनों के जांच की गुणवत्ता एवं औचित्यपूर्ण निरीक्षण हेतु FoSCoS App के माध्यम से रिस्क आधारित निरीक्षण सिस्टम लागू किया गया है।

मानव संसाधन (पदों की स्थिति) :-

- वर्तमान में प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 275 तथा वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 92 पद स्वीकृत है।
- वर्ष 2025-26 में FSO के 67 पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रगतिशील है, जिसकी MPPSC द्वारा परीक्षा दिनांक 14.12.2025 को आयोजित हो चुकी है तथा मार्च 2026 तक नियुक्ति प्रस्तावित है। शेष 57 FSO के पदों की पूर्ति वर्ष 2026-27 में किए जाने का प्रस्ताव है।

9.7 मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण (MPSACS)

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (NACO) के अन्तर्गत निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित है-

Goal 1	वार्षिक नए एचआईवी संक्रमणों को 80% तक कम करना
Goal 2	एड्स से संबंधित मृत्यु दर को 80% तक कम करना
Goal 3	एचआईवी और सिफलिस के माँ से शिशु में होने वाले संचरण को समाप्त करना
Goal 4	संक्रमण की दृष्टि से जोखिम आबादी तक गुणवत्तापूर्ण एसटीआई/आरटीआई की सार्वभौमिक पहुँच
Goal 5	एचआईवी/एड्स से संबंधित कलंक और भेदभाव को खत्म करना

स्रोत - MPSACS/स्वास्थ्य निदेशालय

एचआईवी/एड्स के प्रसार को रोकन, उपचार प्रदान करने और प्रभावित व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम(एनएसीपी) के तहत विभिन्न प्रमुख कार्यक्रम एवं गतिविधियां लागू की जाती है, जिनका विवरण प्रस्तुत किया गया है:-

9.7.1 एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र (आईसीटीसी/ICTC)

मध्यप्रदेश में एच.आई.व्ही. जांच एवं परामर्श की सुविधा जन सामान्य के साथ ही उच्च जोखिम समूहों, गर्भवती महिलाओं, यौन रोगियों एवं क्षय रोगियों को निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए 206 एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र (आई.सी.टी.सी.) संचालित हैं। इसके अतिरिक्त 8 पी.पी.पी. आई.सी.टी.सी. भी संचालित हैं। एनएचएम. के समन्वय से स्क्रीनिंग केन्द्र अन्य शासकीय चिकित्सा संस्थानों में संचालित हैं। इन आई.सी.टी.सी. एवं स्क्रीनिंग केन्द्रों के माध्यम से सम्पन्न जांच का विवरण नीचे तालिका में प्रस्तुत है:-



तालिका 9. 20 ICTC जाँच

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2025-26 (माह नवम्बर 2025 तक)	
	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धियां	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धियां	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धियां
जनसामान्य की कुल जांच	905345	19,57,418	17,94,232	21,18,405	12,23,647	1486332
कुल प्रतिवेदित एच.आई.व्ही. संक्रमित (जनसामान्य)	-	6,078	-	6,560	-	5049

स्रोत - MPSACS/स्वास्थ्य निदेशालय

9.7.2 माता-पिता से बच्चे में संक्रमण रोकथाम (पी.पी.टी.सी.टी) कार्यक्रम -

एच.आई.व्ही. संक्रमित माता-पिता से उनके गर्भस्थ शिशु में होने वाले एच.आई.व्ही. संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन (पी.पी.टी.सी.टी.) कार्यक्रम संचालित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एच.आई.व्ही. संक्रमित गर्भवती महिलाओं को एच.आई.व्ही. परामर्श, जांच, सुरक्षित प्रसव के साथ ही आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। इन आई.सी.टी.सी. एवं स्क्रीनिंग केन्द्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की निम्नानुसार जांचें हुईं:-

तालिका 9. 21 गर्भवती महिलाओं की एचआईवी जाँच

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2025-26 (माह नवम्बर 2025 तक)	
	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धियां	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धियां	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धियां
गर्भवती महिलाओं की कुल जांच	2225030	2098254	2258620	1800169	2285350	1264524
कुल एच.आई.व्ही. संक्रमित प्रकरण- (गर्भवती महिलाएं/प्रसव पश्चात/धात्री महिलाएं सहित)	--	754	--	671		385

स्रोत- MPSACS

9.7.3 एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी केन्द्र (ART):-

मध्यप्रदेश में एच.आई.व्ही. संक्रमित व्यक्तियों के निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने के लिए 33 ए.आर.टी. केन्द्र संचालित हैं, जिनमें एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को ए.आर.टी उपचार निःशुल्क प्रदान किया जाता है। जांच, परामर्श एवं दवाई निःशुल्क प्रदान की जाती है। ए.आर.टी. केन्द्रों में उपचारित एच.आई.व्ही. संक्रमित व्यक्तियों की जानकारी निम्नानुसार है-

एचआईवी उपचार विवरण

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2025-26 (माह नवम्बर 2025 तक)	
	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धियां	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धियां	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धियां
एच.आई.वी. देखभाल सेवा में कुल दर्ज एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्ति	-	41,831	-	45740		48840
निःशुल्क ए.आर.टी. उपचार प्राप्त कर रहे कुल एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्ति	50491	41668	53480	45667		48775

स्रोत- MPSACS/स्वास्थ्य निदेशालय

9.7.4 लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाएं-

प्रदेश में उच्च जोखिम समूहों के बीच एच.आई.वी./एड्स के संक्रमण की रोकथाम हेतु मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के द्वारा अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों (46) में कुल 72 लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।

9.7.5 लिंक वर्कर स्कीम (LWS)-

ग्रामीण क्षेत्रों में एच.आई.वी./एड्स से बचाव एवं संक्रमण की रोकथाम के उपायों की जानकारी, उपलब्ध सुविधाओं से ग्रामीण अंचल के उच्च जोखिम समूहों एवं ब्रिज पापुलेशन के समुदायों को जोड़ने के उद्देश्य से प्रदेश के 09 जिलों क्रमशः बड़वानी, बालाघाट, टीकमगढ़, मण्डला, जबलपुर, मंदसौर, उज्जैन, भिण्ड एवं छिन्दवाड़ा में अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से लिंक वर्कर स्कीम का संचालन किया जा रहा है।

9.7.6 ओ.एस.टी (OST) केन्द्र-

प्रदेश में नीडिल/सिरिंजों के माध्यम से नशा करने वाले उच्च जोखिम समूहों के बीच एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम हेतु ओ.एस.टी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 19 ओ.एस.टी केन्द्र संचालित हैं जिनमें से 14 शासकीय एवं 04 एनजीओ. के माध्यम से संचालित हैं। साथ ही 01 सेटेलाइट ओ.एस.टी. केन्द्र सेंट्रल जेल भोपाल में संचालित है।

9.7.7 संपूर्ण सुरक्षा केन्द्र-

इसमें एचआईवी और एसटीआई के लिए "जोखिम में" लोगों के लिए एकल खिड़की मॉडल के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के लिए संपूर्ण सुरक्षा केंद्र (एसएसके) की स्थापना की गयी है जिसमें रोकथाम, परीक्षण, उपचार, देखभाल निरंतरता शामिल है। वर्तमान में प्रदेश में 19 सम्पूर्ण सुरक्षा केंद्र संचालित हैं।

9.7.8 जेल हस्तक्षेप:-

एच.आई.वी टीवी जेल हस्तक्षेप परियोजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 131 जेल एवं 138 अन्य क्लोज सेटिंग(ОCS) में परियोजना के अंतर्गत कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 में NACO द्वारा दिए गए एच.आई.वी स्क्रीनिंग हेतु वार्षिक लक्ष्य 2,02,241 के मुकाबले 1,24,377 एच.आई.वी स्क्रीनिंग की गई जो कि लक्ष्य के मुकाबले 61% हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम नई दिल्ली द्वारा पूर्व की समीक्षा बैठकों में मध्यप्रदेश के जेल हस्तक्षेप परियोजना के अन्तर्गत किए जा रहे कार्य की सराहना की गई है।



9.7.9 एसटीआई. घटक-

एसटीआई. घटक के अंतर्गत मध्यप्रदेश में कुल 66 एसटीआई/आरटीआई क्लीनिक स्थापित हैं जो कि जिला अस्पतालों, सिविल अस्पताल तथा मेडिकल कालेज के अस्पतालों में संचालित हैं, जिन्हें सुरक्षा क्लीनिक के नाम से जाना जाता है। चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर एवं भोपाल में एसटीआई. स्टेट रेफरेंस सेंटर्स स्थापित हैं। डीएसआरसी केन्द्रों में यौन जनित रोगों की निःशुल्क जाँच, परामर्श एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध है। कुल यौन रोग उपचारित मरीजों का विवरण निम्नानुसार है-

तालिका 9. 22 यौन रोग उपचार विवरण

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2025-26 (माह नवम्बर 2025 तक)	
	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धियां	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धियां	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धियां
एसटीआई. फुटफॉल	425450	491391	468882	500805	541607	376789
यौन रोग उपचार	-	305140	-	320289		244908
गर्भवती महिलाओं की सिफलिस जांच	-	300117	-	303741		1221800

स्रोत- MPSACS/स्वास्थ्य निदेशालय

9.7.10 सूचना शिक्षा एवं संचार कार्यक्रम

सूचना शिक्षा एवं संचार का राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन ए सी पी) में बहुत महत्व है। नए संक्रमणों की रोकथाम के लिए जनसामान्य को जागरूक करना, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध परामर्श जांच एवं उपचार सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करना, ताकि अधिक से अधिक लोग इन सेवाओं का लाभ ले सकें तथा जो लोग एच.आई.वी संक्रमित हैं उनके प्रति समाज में कलंक और भेदभाव की भावना को समाप्त कर सकारात्मक वातावरण का निर्माण सूचना शिक्षा संचार के माध्यम से किया जाता है। समिति द्वारा सतत रूप से मास मीडिया, आउटडोर, ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कला गतिविधि तथा सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता गतिविधियाँ संचालित की जाती है। इसके साथ-साथ समिति द्वारा विशेष अवसरों पर जैसे विश्व एड्स दिवस पर प्रदेश के समस्त जिलों में पखवाड़ा आयोजित किया गया तथा राष्ट्रीय युवा दिवस पर भी कार्यक्रमों का आयोजन महाविद्यालय एवं अन्य संस्थाओं में कराया गया। युवाओं के बीच एच.आई.वी/एड्स जागरूकता एवं स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग की एनएसएस इकाई के समन्वय से प्रदेश के 800 महाविद्यालयों रेड रिबन क्लब संचालित किए जा रहे हैं। इन क्लबों में एच.आई.वी/एड्स जागरूकता, स्वास्थ्य एवं सुरक्षित जीवनशैली से संबंधित विभिन्न गतिविधियां एवं रक्तदान शिविरों के माध्यम से स्वैच्छिक रक्तदान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रयास किए जाते हैं। मेनस्ट्रीमिंग अंतर्गत विभिन्न विभागों के साथ समन्वय एवं HIV के साथ जी रहे व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर शिविर आयोजित कराये गये तथा नियमित रूप से भी इस हेतु कार्यवाही की जाती है। सघन जागरूकता अभियान के अंतर्गत 12 अगस्त 2025 से 12 अक्टूबर 2025 तक प्रदेश के सभी जिलों में सघन जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत महिलाओं एवं युवाओं को जागरूक करने के लिए 11393 गाँवों, 4723 ग्राम सभाओं 702 महाविद्यालयों में एवं 4688 अधिक स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

9.7.11 लैब सर्विसेस -

प्रदेश में एच.आई.व्ही जांच की गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए चार स्टेट रेफरेंस लैब, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, इंदौर व ग्वालियर एवं एन.आई.आर.टी.एच. जबलपुर में स्थापित हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से वर्ष में चार बार एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस के माध्यम से एच.आई.व्ही. जांच की गुणवत्ता को जांचा जाता है। साथ ही लैब टैक्नीशियनों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

- एचआईवी/एड्स उपचार में महत्वपूर्ण है कि यह उपचार आजीवन तथा अनवरत होना आवश्यक है। यदि मरीज बीच में उपचार बंद करते हैं तो उसका विपरीत असर हो सकता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सितम्बर 2025 में विशेष सम्पर्क अभियान संचालित किया गया तथा 4518 LFU में से 1649 मरीजों को खोजकर तथा परामर्श देकर वापस उपचार प्रारंभ कराया गया।

9.8 आयुष

9.8.1 बजट

वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयुष विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में राशि रूपये 727.86 करोड़ का व्यय किया गया इन्ही योजनाओं के क्रियान्वयन में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि रूपये 1117.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

9.8.2 मानव संसाधन

- वर्ष 2025-26 में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के 130 होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के 34 एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के 30 सीधी भर्ती के रिक्त पदों हेतु म.प्र.लोक सेवा आयोग से विज्ञापन जारी किए गये।
- 05 नवीन आयुर्वेद महाविद्यालयों हेतु 1570 नवीन पदों का सृजन किया गया।
- 50 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालय एवं 30 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालय हेतु कुल 1179 पदों का सृजन किया गया।
- जिला ऐलोपैथी चिकित्सालय अंतर्गत 22 आयुष विंग के संचालन हेतु 213 नवीन पदों का सृजन कराया गया। इस प्रकार प्रदेश के समस्त जिला ऐलोपैथी चिकित्सालय में विकल्प के रूप में आयुष चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। प्रदेश में कुल आयुष विंग की संख्या 58 हो गई है।
- म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के 543, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के 35 एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी के 14 तथा 01 विशेषज्ञ होम्योपैथिक के पद के नियुक्ति आदेश जारी किए गये।
- म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयुर्वेद के 68 एवं 03 यूनानी अभ्यर्थियों के व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश जारी किए गये।
- पैरामेडिकल एवं स्टॉफ नर्स कुल 69 तथा 44 संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटरों एवं 12 कम्प्यूटर ऑपरेटर-सह सहायक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की गई है।



9.8.3 अधोसंरचना

- भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत वर्ष 2024-25 में प्राप्त स्वीकृति के अनुक्रम में प्रदेश में 05 नवीन आयुर्वेद महाविद्यालय नर्मदापुरम, मुरैना, शहडोल, बालाघाट एवं सागर के भवन निर्माण हेतु (प्रति महाविद्यालय राशि रू. 70.00 करोड़ केन्द्रांश 60 राज्यांश 40) स्वीकृति जारी की गई है।
- भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 02 अन्य नवीन आयुर्वेद महाविद्यालय झाबुआ एवं शुजालपुर जिला शाजापुर में स्थापना हेतु (प्रति महाविद्यालय राशि रू. 70.00 करोड़ केन्द्र 60 राज्य 40) स्वीकृति प्रदान की गई।
- जिला डिण्डौरी में जिला खनिज प्रतिष्ठान मद से (राशि रूपये 102 करोड़) आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है।
- जिला पन्ना, गुना, भिण्ड, श्योपुर एवं शुजालपुर जिला शाजापुर में 50 बिस्तरीय चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु (प्रति चिकित्सालय राशि रू 15.0 करोड़) स्वीकृति प्रदान की गई।
- बड़वानी में 30 बिस्तरीय चिकित्सालय की स्थापना की स्वीकृति जारी की गई।
- जिला खण्डवा में 50 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालय का निर्माण हेतु (राशि रूपये 15.08 करोड़ राज्य बजट से की स्वीकृति जारी की गई।
- मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग के साथ दिनांक 23/09/2025 को किए गए एम.ओ.यू. के तहत प्रदेश में वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 12 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केन्द्र की स्थापना की जा रही है। (उज्जैन, खजुराहो, 50 बिस्तरीय, 10 बिस्तरीय ओंकारेश्वर, चित्रकूट, पचमढी, दतिया, चंदेरी, ओरछा, मंदसौर, अलीराजपुर, सिंगरौली, अगर मालवा) प्रति 50 बिस्तरीय राशि रूपये 15.00 करोड़ एवं प्रति 10 बिस्तरीय हेतु राशि रूपये 7.50 करोड़ (केन्द्र 60 राज्य 40) की स्वीकृति जारी की गई।
- शासकीय यूनानी महाविद्यालय, भोपाल के 180 सीटर बालिका छात्रावास (निर्माण लागत रूपये 5.16 करोड़) का संचालन प्रारंभ किया गया है।
- 06 आयुष महाविद्यालयों बालक/बालिका छात्रावास का उन्नयन कर 100 सीटर प्रति छात्रावास का निर्माण कराये जाने हेतु राशि रूपये 30.17 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।
- 05 आयुष महाविद्यालयों में 100 सीटर छात्रावास का निर्माण कराये जाने हेतु राशि रूपये 38.50 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।
- शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय इन्दौर के भवन निर्माण हेतु राशि रूपये 39.70 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
- शासकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय शिवाजी नगर भोपाल के भवन निर्माण हेतु राशि रूपये 495.64 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।
- पं.खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल परिसर में प्रशासनिक एवं अकादमिक भवन के उन्नयन कार्य हेतु राशि रूपये 2908.80 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी।
- जिला बालाघाट में राशि 400.00 लाख से शोध केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- प्रदेश में 06 जिला आयुष कार्यालयों का भवन निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

- शासकीय धन्वतरी आयुर्वेद महाविद्यालय उज्जैन में 250 सीट्स बालिका छात्रावास राशि रूपये 1616.15 लाख एवं 250 सीट्स बालक छात्रावास हेतु राशि रूपये 1653.90 लाख नगरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा सिंहस्थ 2028 मद से निधि उपलब्ध कराये जाने के अध्याधीन प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी।
- प्रदेश में जबलपुर, बुरहानपुर, रीवा एवं पण्डित खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद संस्थान में राशि रूपये 20.00 करोड़ से फार्मसी का निर्माण कराया जा रहा है।

9.8.4 औषधि उत्पादन

वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासकीय आयुर्वेद फार्मसी, ग्वालियर द्वारा रु. 1,34,73,514.34 करोड़ तथा शासकीय यूनानी फार्मसी भोपाल में रु. 1,32,11,881.00 करोड़ की औषधियों का उत्पादन किया गया है। विभागीय चिकित्सा संस्थाओं में वितरित किया गया।

9.8.5 आयुष पाठ्यक्रम

शिक्षण सत्र 2025-26 प्रदेश के शासकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालयों में संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की प्रवेश काउंसिलिंग संपन्न की गई। जिसमें स्नातकोत्तर में 331 एवं स्नातक 4670 छात्रों को शासकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालयों में प्रवेश दिया गया है।

9.8.6 शोध कार्य

भारत सरकार सी.सी.आर.ए.एस. के अन्तर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में भिन्न-भिन्न व्याधियों पर रिसर्च कार्य एवं आर.ए. वी. अन्तर्गत सी.एम.ई किए जा रहे हैं। भोपाल आयुर्वेद महाविद्यालय में भारत सरकार, आयुष मंत्रालय ICMR, MPCST, CCRAS, NMAB पतंजलि संस्कृत संस्थान, SCD महाविद्यालय में CCRAS, ग्वालियर महाविद्यालय में महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान रिसर्च प्रोजेक्ट संचालित हो रहे हैं।

9.8.7 जन जागरूकता अभियान

भारत सरकार आयुष मंत्रालय के द्वारा आयोजित देश का प्रकृति परीक्षण अभियान में सभी शासकीय / निजी महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं, स्टॉफ में जन सामान्य को सम्मिलित कर जन-जागरूकता अभियान किया।

अन्य उपलब्धियाँ

- प्रदेश में संचालित 50 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एच.डब्लू.सी.) को एन.ए.बी.एच सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है।
- पंडित खुशीलाल शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल के चिकित्सालय को एन.ए.बी.एच. सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है।
- वर्ष 2024 में राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 238 औषधालयों को उन्नयन कर नवीन आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष एच.डब्लू.सी.) का संचालन प्रारंभ किया गया है। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा दिये गये कुल 800 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लक्ष्य पूर्ण किया गया।
- मुख्य योजनाओं में प्रगति (विगत 01 वर्ष की) आयुष विभाग अंतर्गत संस्थाओं में ओपीडी/आईपीडी-1.4758 करोड़ जनसंख्या को आयुष संस्थाओं एवं शिविरों के माध्यम से आयुष चिकित्सा का लाभ प्रदान किया गया।



- “वैद्य आपके द्वार” योजना अंतर्गत - 23 हजार टेलीमेडिसीन आयुष चिकित्सा परामर्श प्रदान किया गया।
- आयुष आपके द्वार योजना अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश द्वारा प्रदेश के 32 जिलों के जनजातीय क्षेत्रों में चिन्हित 32,675 सिकल सेल एनीमिया ग्रसित व्यक्तियों को एड-ऑन-थैरेपी के रूप में डोर-टू-डोर जाकर आयुर्वेद चिकित्सा परामर्श एवं दवा वितरण किया जा रहा है।
- देश का प्रकृति परीक्षण अभियान में प्रदेश में लगभग 8.5 लाख लोगों का प्रकृति परीक्षण कर प्रदेश देश के प्रथम 05 राज्यों में सम्मिलित हुआ।
- दिनांक 21/06/2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एवं दिनांक 23/09/2025 को आयुर्वेद दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ।
- दिनांक 20/08/2025 को जिला मण्डला में परम्परागत चिकित्सा का स्वास्थ्य संवर्धन में योगदान एवं सिकिल सेल एनीमिया प्रबंधन पर 01 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन माननीय राज्यपाल महोदय के आतिथ्य में संपन्न हुआ जिसमें 800 वैद्य सम्मिलित हुए।
- वर्ष 2025-26 हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत अनुदान राशि 180 करोड़ स्वीकृत की गई।
- राष्ट्रीय आयुष मिशन द्वारा चलाए जा रहे 04 जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों सुप्रजा, आयुर्विद्या, वयोमित्र एवं संधिगत रोगों की रोकथाम कार्यक्रम के अंतर्गत 1,93,000 लाभार्थियों को चिकित्सा सेवा प्रदान की गई।

समृद्ध मध्यप्रदेश@2047

मध्यप्रदेश ने प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल परिणामों में सुधार करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से कार्यबल की भागीदारी का विस्तार हुआ है, कार्यबल उत्पादकता में वृद्धि हुई है एवं स्वास्थ्य देखभाल पर आउट-ऑफ-पॉकेट-व्यय (OOPE) में कमी आई है। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों, मानसिक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन तथा स्वास्थ्य देखभाल व्यय में वृद्धि नए युग की चुनौतियों के रूप में उभर कर आई है। मध्यप्रदेश में विकास को स्थायी रूप देने हेतु एक सुगम एवं सुलभ स्वास्थ्य प्रणाली महत्वपूर्ण है, तदनुसार सक्रिय जीवन शैली तथा निवारक तंत्र पर केंद्रित एक कल्याण-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को निरंतर विकसित करते रहना चाहिए। मध्यप्रदेश ने स्वास्थ्य देखभाल परिणामों में सुधार एवं आबादी की जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कई पहल शुरू की हैं। प्रमुख सूचकांक जिनके 2029 तथा 2047 के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, निम्नलिखित तालिका में इंगित हैं:-

तालिका 9. 23 मैट्रिक 2029 एवं 2047

Metrics to track progress by 2029 and beyond			
Metric	MP in 2024	2029	2047
Children under 5 years who are wasted ¹	19% (2021)	<10%	<5%
Sickle cell anaemia prevalence ²	2.3% (2024)	<1%	0
NQAS certified facilities (No.) ³	<5% (2024)	90%	100%
Institutional deliveries ⁴	90.7% (2021)	100%	100%
Nurses per Lakh population ⁵	187 (2022)	300	>600
% OPE (as % of total health expenditure) ⁶	43% (2021-22)	<30%	<5%
Ayush professionals per 10,000 population ⁷	8 (2020)	10	>12

विकसित मध्यप्रदेश 2047 की परिकल्पना है कि “स्वास्थ्य और खुशहाल नागरिक समाज में सकारात्मक योगदान दे” तथा समाज के सभी वर्गों के लिए एक किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रणाली तंत्र हो। लक्ष्य जैसे जीवन की प्रत्याशा वर्तमान के वर्ष 67 वर्ष से 84 वर्ष, आईएमआर (IMR) वर्तमान में 41 से 5 (प्रति हजार जीवित जन्म) से कम सुनिश्चित करना, एमएमआर (MMR) वर्तमान (SRS 2021-23) 142 से 20 (प्रति लाख जीवित जन्म) से कम तथा डॉक्टर वर्तमान 50 से बढ़कर 250 (प्रति लाख जनसंख्या) सुनिश्चित करने का लक्ष्य सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। कार्यवाही एवं हस्तक्षेप पर केंद्रित हो लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कुछ प्रमुख गतिविधियाँ प्रस्तुत है:-

- चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हवाई अड्डों के निकट सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल तथा आयुष वैलनेस हब।
- आयुष को मुख्यधारा की चिकित्सा शिक्षा, ओपीडी सेवाओं और अनुसंधान से जोड़ते हुए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप क्षमता निर्माण।
- एनसीडी नियंत्रण, सुरक्षित जल, मानसिक स्वास्थ्य, फिटनेस और वृद्धावस्था देखभाल हेतु जनसंख्या-आधारित समग्र कार्यक्रम लागू हों।
- मातृ एवं शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए गर्भावस्था पंजीकरण, जोखिम पहचान और संस्थागत प्रसव।
- सेवा गुणवत्ता सुधारने हेतु प्रदर्शन-आधारित रैंकिंग, प्रोत्साहन प्रणाली और व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रमों।
- दवाओं की उपलब्धता, पीएमजेएवाई कवरेज विस्तार और प्रति पूर्ति समय घटाकर स्वास्थ्य सेवाओं को किफायती बनाना।



- हर जिले में मेडिकल कॉलेज, सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल, ब्राउन फील्ड उन्नयन और मेडिसिटी।
- मानव संसाधन सशक्तीकरण के लिए अपस्किंग, ब्रिज कोर्स, तकनीक-सहायता और पाठ्यक्रम आधुनिकीकरण।
- आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का विस्तार, टेलीमेडिसिन और वितरित देखभाल से अंतिम छोर तक पहुँच।
- एंड-टू-एंड डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना, एआई आधारित निदान और डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली।

उपरोक्त प्रयासों के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक को उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है, ताकि आधुनिक तकनीक के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की सस्ती एवं आसान पहुँच सुनिश्चित कर एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ प्रदेश और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण किया जा सके।

संदर्भ

1. आयुष्मान भारत कार्यालय, मध्यप्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण कार्यालय, FDA कार्यालय मध्यप्रदेश संदर्भित सूचनाएँ स्वास्थ्य निदेशालय मध्यप्रदेश के द्वारा प्रदान जानकारी दिनांक 5 फ़रवरी 2026.
2. National Health Accounts Estimates for India 2021-22 (OOPE related info)
3. NFHS 3, 4 एवं 5 सर्वे प्रतिवेदन (MoHFW)
4. Health Dynamics of India (Infrastructure and HR) 2022-23 (MoHFW)
5. Health Dossier 2021 Reflection on Key Health Indicators – Madhya Pradesh (NHSRC)
6. आयुष विभाग से प्राप्त जानकारी दिनांक 5 फ़रवरी 2026
7. नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस)-भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2021-23
8. समृद्ध मध्यप्रदेश @2047 डाक्यूमेन्ट, मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग
9. <https://dashboard.abdm.gov.in/abdm/> अंतिम अवलोकन तारीख - 9 February 2026.



शिक्षा एवं कौशल विकास

परिचय

शिक्षा एक सशक्त समाज की आधारशिला है, जिसमें उच्च साक्षरता, सभी के लिए समान अवसर, आर्थिक प्रगति, गरीबी और अपराध से मुक्ति तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश ने सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में तीन मुख्य विभागों के माध्यम से कार्य करता है: स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग। स्कूल शिक्षा विभाग प्राथमिक से उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी है; उच्च शिक्षा विभाग का उद्देश्य युवाओं के व्यक्तित्व के बहुआयामी विकास के लिए है तथा तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग युवाओं को एक सक्षम कार्यबल बनाने के लिए सभी तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल पहल पर केंद्रित है। वर्ष 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र के बजट में 9% की वृद्धि हुई है एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में राज्य के कुल बजट का 10.37% आवंटन शिक्षा क्षेत्र में किया गया है।

तालिका 10.1: शिक्षा क्षेत्र का बजट आवंटन

(राशि करोड़ों में)

वित्तीय वर्ष	स्कूल शिक्षा विभाग	उच्च शिक्षा विभाग	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
2025-26	36,582	4,345	2,739
2024-25	33,533	3,866	2,666
2023-24	31,633	3,745	2,997
2022-23	27,792	3,513	1,538

स्रोत: वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन

10.1 स्कूल शिक्षा

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश 2011 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के अंतर्गत किया गया। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप समस्त अपेक्षित कार्यवाहियाँ राज्य शासन ने पूर्ण की हैं। अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बसाहट में 6 से 11 आयु वर्ग के न्यूनतम 40 बच्चे उपलब्ध होने पर 1 किमी की परिधि में प्राथमिक शाला सुविधा तथा 11 से 14 आयु वर्ग के न्यूनतम 12 बच्चे उपलब्ध होने पर 3 किमी की परिधि में मिडिल शाला उपलब्ध कराई जाती है। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रदेश की समस्त बसाहटों में शाला सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है।

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षा के लिए 2025-26 हेतु ₹ 7,027.37 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत हुई है राज्य शिक्षा केन्द्र से सम्बन्धित योजनाओं की वर्ष 2025-26 की वित्तीय उपलब्धि को तालिका 10.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.2: समग्र शिक्षा वित्तीय प्रगति 2025-26

(राशि करोड़ में)

क्र	घटक	स्वीकृत राशि	उपलब्ध राशि	व्यय राशि	% व्यय उपलब्ध राशि से
1	प्राथमिक शिक्षा	4205.31	2102.65	1904.19	90.6%
2	माध्यमिक शिक्षा	1967.26	979.50	654.34	66.8%
3	शिक्षक शिक्षा	217.00	108.50	25.52	23.5%
4	योग (1+2+3)	6389.57	3190.66	2584.05	81.0%
5	प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना- PM-JANMAN	221.80	22.00	22.00	100.0%
6	धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना- DA-JGUA	416.00	100.00	86.00	86.0%
7	महा योग (4+5+6)	7027.37	3312.66	2692.04	81.3%

स्रोत:: राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

10.1.1 नामांकन

प्रदेश के शासकीय तथा निजी शिक्षण संस्थाओं में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूलों में कुल नामांकन की स्थिति तालिका 10.3 में दर्शाई गई है।

तालिका 10.3: प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शालाओं में नामांकन

(संख्या लाख में)

स्तर	वर्ष 2022-23			वर्ष 2023-24			वर्ष 2024-25		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक (कक्षा 1 to 5)	35.36	32.38	67.74	34.39	31.61	66.00	32.80	30.23	63.03
माध्यमिक (कक्षा 6 to 8)	20.98	19.28	40.26	20.46	18.92	39.38	20.23	18.87	39.10
प्रारम्भिक (कक्षा 1 to 8)	56.34	51.66	108.00	54.85	50.53	105.38	53.04	49.09	102.13

स्रोत:: राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

प्रदेश के शासकीय तथा निजी शिक्षण संस्थाओं में सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी में कुल नामांकन की स्थिति तालिका 10.4 में दर्शाई गई है।



तालिका 10.4: सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी स्तर के स्कूलों में नामांकन

(संख्या लाख में)

स्तर	वर्ष 2021-22			वर्ष 2022-23			वर्ष 2023-24			वर्ष 2024-25		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
IX to X	11.59	10.37	21.97	11.51	10.21	21.71	11.14	10.18	21.32	11.11	10.3	21.44
XI to XII	8.67	7.82	16.49	7.86	7.30	15.16	7.01	6.79	13.80	6.84	6.96	13.80

स्रोत: स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

10.1.2 शाला त्याग दर

विभिन्न कारणों से छात्र/छात्रायें अपनी शिक्षा बीच में छोड़कर शाला त्याग देते हैं। राज्य में वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में कक्षा 1 से 5 तक की शाला त्याग दर छात्रों के प्रतिशत में कमी आई है जिसका कुल योग 0.0 प्रतिशत है। इसी प्रकार वर्ष 2024-25 में कक्षा 6 से 8 तक की शाला त्याग दर कम होकर 6.3 प्रतिशत है। शाला त्याग दर का वर्षवार विवरण तालिका 10.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.5: शाला त्याग दर

स्तर	वर्ष 2022-23			वर्ष 2023-24			वर्ष 2024-25		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक (कक्षा 1 से 5)	4.15	4.88	4.50	1.99	1.51	1.76	0.6	0.0	0.0
माध्यमिक (कक्षा 6 से 8)	7.57	9.23	8.37	8.06	7.46	7.78	6.7	5.9	6.3

स्रोत: स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या कम करने और शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच के लिए:

- स्कूल चलें अभियान के तहत प्रवेशोत्सव अप्रैल 2025 के पहले सप्ताह में सभी स्कूलों में मनाया गया।
- शालाओं में सुगमता से प्रवेश एवं नामांकन में सुधार के लिए, राज्य में प्रवेश के समय आवश्यक दस्तावेजों की संख्या कम की है, कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु मानदंडों में शिथिलता दी है, समग्र डेटा का उपयोग करते हुए 6 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी बच्चों की सूची स्कूलों को उपलब्ध कराई है, पात्र छात्रों के लिए सीधे अगली कक्षा में कक्षा उन्नति सुनिश्चित की है तथा प्रधानाध्यापकों को यह अधिकार दिया है कि वे प्राथमिक से माध्यमिक और माध्यमिक से उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सुगम प्रवेश को सुनिश्चित कर सकें।
- चाइल्ड ट्रेकिंग के माध्यम से हर बच्चे तक पहुँच कर उनको शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास निरंतर जारी है।
- 2014-15 से 2024-25 में प्राथमिक स्तर का ड्रापआउट दर 9.10% से घटकर 0.0% एवं माध्यमिक स्तर का ड्रापआउट दर 10.84% से घटकर 6.3% रहा है।

10.1.3 स्कूल शिक्षा विभाग में संचालित प्रमुख योजनाएं तथा उपलब्धियाँ

स्ट्रैथनिंग टीचिंग लर्निंग एण्ड रिज़ल्ट्स फॉर स्टेट्स (STARS) : प्रदेश की 38,854 चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन विषय पर 15 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु मॉड्यूल विकसित किया गया।

सपोर्ट फॉर टीचर परफॉरमेंस हेतु मध्यप्रदेश के 75,598 माध्यमिक शिक्षकों को टैबलेट्स प्रदाय करने की योजना के तहत 42,131 शिक्षकों द्वारा टैबलेट्स का क्रय किया गया है एवं शेष क्रय की कार्यवाही की जा रही है। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हेतु मुंगालिया छाप में 10 एकड़ भूमि का आवंटन कर पर्यावरण नियोजन एवं समन्वयक संगठन (EPCO) द्वारा आर्किटेक्ट का चयन किया जाकर भवन का ले-आउट/ डिजाइन तैयार किया जा रहा है। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भवन निर्माण हेतु बिल्डिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन (BDC) को अधिकृत किया गया।

सांदीपनि विद्यालय योजना : प्रदेश में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु सर्वसंसाधन सम्पन्न सांदीपनि विद्यालय योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2022 से किया जा रहा है। योजना के प्रथम चरण में 274 विद्यालयों को सर्वसंसाधन सम्पन्न विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन विद्यालयों में उच्चस्तरीय अधोसंरचना हेतु राशि रुपये 7316 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई है। वर्तमान तक 92 स्कूल भवन पूर्ण हो चुके हैं एवं मार्च 2026 तक कुल 179 भवन पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालयों में उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षण व्यवस्था के साथ-साथ पाठ्यसहगामी गतिविधियां एवं 21वीं सदी के कौशल के शिक्षण की व्यवस्था की गई है जिसके फलस्वरूप विगत तीन वर्षों में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन : भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खंडों में मॉडल स्कूलों की स्थापना वर्ष 2011-12 में की गई थी। इन स्कूलों को बेंचमार्क के रूप से विकसित किये जाने की योजना है। वर्ष 2015-16 से भारत सरकार द्वारा सहायता बंद करने के कारण अब यह योजना राज्य की योजना के रूप में संचालित है। वर्तमान में 201 मॉडल स्कूलों में से 56 स्कूलों का संचालन सांदीपनि विद्यालय के रूप में किया जा रहा है। अतः अब प्रदेश में 145 ही मॉडल स्कूल शेष हैं। वर्तमान में मॉडल स्कूलों में लगभग 49,873 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इन विद्यालयों में भारत सरकार द्वारा विभिन्न भौतिक अधोसंरचना के सुदृढीकरण, विद्यार्थी स्वास्थ्य परीक्षण, एक्सपोज़र विजिट एवं कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा व्यवस्था की सुविधा हेतु केन्द्रीय विद्यालयों के समान रूपसे 4750 प्रति विद्यार्थी के मान से स्कूल ग्रांट प्रदान किये जाने का प्रावधान रखा गया था जिसे राज्य योजना में भी निरंतर रखा गया है। यह ग्रांट सभी 145 मॉडल स्कूलों में दर्ज विद्यार्थी संख्या के मान से प्रदान किया जाना है। वर्ष 2024-25 में मॉडल स्कूलों में कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 85 प्रतिशत एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम 81.38 प्रतिशत रहा है।

उत्कृष्ट स्कूलों : शासकीय स्कूलों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं विकासखण्ड मुख्यालय पर स्थापित एक शासकीय उ.मा. विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में विकसित किया गया है। वर्तमान में जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों को अधिकतम 14 लाख रुपये प्रतिवर्ष तथा विकासखंड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों को अधिकतम 10 लाख प्रतिवर्ष दिये जाने का प्रावधान है। यह राशि बजट की उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जाती रही है। वर्ष 2024-25 में जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 97.10 प्रतिशत एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम 93.91 प्रतिशत रहा है।

दिव्यांग विद्यार्थियों को सुविधा भत्ता : इस वर्ष एजुकेशन पोर्टल 3.0 से कक्षा 9-12 के 9712 दिव्यांग विद्यार्थियों को सुविधा भत्ता स्वीकृत किया गया, जिनमें से 9095 विद्यार्थियों के खातों में कुल ₹4,40,86,000 जारी किए जा चुके हैं। शेष विद्यार्थियों को राशि स्वीकृत करने की प्रक्रिया जारी है। इस संबंध में लाभार्थियों हेतु निम्नानुसार प्रावधान है:

- 1) परिवहन भत्ता : ₹3000 प्रति दिव्यांग विद्यार्थी (40% से अधिक दिव्यांगता)।
- 2) मार्गरक्षण भत्ता : ₹3000 प्रति दिव्यांग विद्यार्थी (80% या अधिक दिव्यांगता)।



3) वाचक भत्ता : ₹2500 प्रति दिव्यांग विद्यार्थी (80% या अधिक दृष्टिबाधित विद्यार्थी)।

4) बालिका स्टाइपेंड : ₹2000 प्रति बालिका (40% से अधिक दिव्यांगता वाली बालिकाएँ)।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं गणवेश वितरण : निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना अन्तर्गत कक्षा 1 से 8वीं तक प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों, पंजीकृत मदरसों एवं संस्कृत शालाओं में, अध्ययनरत् सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जाती है। इसी तरह कक्षा 1 से 8 तक प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् सभी छात्रों को दो जोड़ी गणवेश हेतु रुपये 600/- का प्रावधान है जो DBT के माध्यम से वितरण की जाती है।

वर्ष 2025-26 में योजनान्तर्गत राशि रुपये 120 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया तथा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी वर्गों के 21,70,598 विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई गई।

इंस्पायर अवार्ड मानक योजना : भारत सरकार की इंस्पायर अवार्ड मानक योजनान्तर्गत शिक्षण सत्र 2025-26 में कक्षा 6वीं से 10वीं तक के लगभग 55,247 विद्यार्थियों के आईडिया भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड कराये गए। गतवर्ष अपलोड किये गए आईडिया में से भारत सरकार द्वारा 2,672 विद्यार्थियों का अवार्ड हेतु चयन किया गया प्रत्येक विद्यार्थी को उनके विचार का प्रोटोटाइप तैयार करने हेतु 10-10 हजार रुपये की राशि विद्यार्थी के खाते में हस्तांतरित की गई। शिक्षण सत्र 2019-20, 2021-22, 2022-23 की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश राज्य द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया।

शिक्षा का अधिकार : शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(सी) के तहत प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक वर्तमान में 8 लाख से अधिक बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। इन बच्चों को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश प्रदान किया जाता है। इस वर्ष कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के 79,658 बच्चों को वर्तमान सत्र में निःशुल्क प्रवेश प्रदान किये गये। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति ऑनलाइन तरीके से बायोमेट्रिक सत्यापन उपरांत सीधे स्कूलों के खातों में ऑनलाइन प्रेषित की जा रही है। इस सत्र में फीस प्रतिपूर्ति हेतु 8.50 लाख बच्चों हेतु, रु. 489 करोड़ प्रदाय किये गए हैं।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय : समग्र शिक्षा अभियान म.प्र. द्वारा 48 एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक में कुल 207 के.जी.बी.वी. छात्रावास संचालित है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की छोटी-छोटी बसाहटों की बालिकाओं को निःशुल्क बोर्डिंग, लॉजिंग, कोचिंग सुविधाएं दी जाती है। 207 छात्रावासों में कुल नामांकन 38,100 (सत्र 2024-25) हैं जबकि पूर्व सत्र 2023-24 में 20,270 थे।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस बालिका छात्रावास : समग्र शिक्षा अभियान म.प्र. द्वारा 52 जिलों में कुल 390 एन.एस.सी.बी छात्रावास संचालित है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा सुविधा से वंचित रहने वाले बालिकाओं के लिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराने तक उन्हें आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 324 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय विद्यालय बालिका छात्रावास संचालित है जिसमें लगभग 23,100 बालिकाएं लाभान्वित हैं।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस बालक आवासीय एवं पलायन छात्रावास : समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत मध्यप्रदेश में 66 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास संचालित है, जिसमें 6,600 बालक आवासीय सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 45 जिलों में 5,150 पलायन करने वाले परिवार के बच्चों के लिये पलायन छात्रावास की व्यवस्था है।

रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण : प्रदेश के 14,901 शासकीय माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 6 से 8), 207 के.जी.बी.वी एवं 324 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस बालिका छात्रावासों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण संचालित किया गया। लगभग 8,35,379 बालिकाओं ने रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उक्त योजना अंतर्गत

मध्यप्रदेश के शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्ड्री विद्यालय की बालिकाओं को 03 माह का आत्मरक्षा प्रशिक्षण चयनित विद्यालयों में दिया जाता है। सत्र 2024-25 में कुल 1,019 विद्यालयों में लगभग 1,50,418 बालिकाओं को एवं 165 छात्रावासों में 16,200 बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया।

सेनिटेशन एवं हाइजीन किट: समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत सत्र 2024-25 में शासकीय माध्यमिक शालाओं में कक्षा 7वीं से 12वीं में अध्ययनरत छात्राओं को सेनेटरी पेड क्रय करने हेतु राशि रुपये 300/- के मान से संबंधित छात्राओं के बैंक खातों में हस्तान्तरित की गयी जिससे 18,64,423 बालिकाएं लाभान्वित हुई थी।

निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना : यह योजना वर्ष 2004-05 से संचालित की जा रही है निःशुल्क साइकिल वितरण योजना अन्तर्गत निर्धारित मापदण्ड अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत विद्यार्थी जो की शासकीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं एवं कक्षा 9वीं में अध्ययनरत हैं तथा उनके ग्राम में शासकीय माध्यमिक/ हाईस्कूल संचालित न होने से वे अन्य ग्राम/शहर के शासकीय शालाओं में पढ़ने जाते हैं, तो ऐसे बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल प्रदाय करने का प्रावधान है।

इस योजना का लाभ कक्षा 6वीं एवं 9वीं में प्रथम प्रवेश पर एक ही बार मिलता है। जो विद्यार्थी ऐसे मजरे/टोले से विद्यालय आते हैं जिनकी शाला से दूरी 2 किमी या उससे अधिक है, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कन्या छात्रावास जिनकी शाला से 2 किमी या अधिक दूरी पर है, ऐसे छात्रावास को साइकिलें आवंटित की जाती हैं और छात्रावास में रहने वाली बालिकाएं इनका प्रयोग कर सकती हैं।

योजना अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 4,90,000 पात्र छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है। योजना अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 215 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

सुपर-100 योजना : योजनांतर्गत प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी को चयन परीक्षा में सम्मिलित हेतु पात्र माना जायेगा। परीक्षा में सम्मिलित होने के उपरांत मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। चयनित विद्यार्थियों को योजनांतर्गत कक्षा 11वीं एवं 12वीं में शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल/शासकीय मल्हाराश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इन्दौर में अध्ययन के साथ-साथ देश के प्रख्यात व्यावसायिक पाठ्यक्रमों यथा इंजीनियरिंग/मेडीकल आदि में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश हेतु आवश्यक कोचिंग प्रदाय की जाने की योजना है। वर्ष 2025-26 में कक्षा 11वीं में गणित संकाय में 152, जीव विज्ञान संकाय में 152, एवं कक्षा 12वीं में गणित संकाय में 152, जीव विज्ञान संकाय में 152, कुल 608 विद्यार्थी प्रविष्ट होकर कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं।

प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना : शैक्षणिक सत्र 2024-25 के दौरान माध्यमिक शिक्षा मण्डल (मध्यप्रदेश) की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 94,300 शासकीय तथा निजी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को कंप्यूटर क्रय करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रति विद्यार्थी 25,000 रुपये की दर से उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 235.75 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है।

समेकित छात्रवृत्ति योजना : समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत राज्य शासन के 06 विभागों (स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति कल्याण, जनजातीय कार्य, विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, सामाजिक न्याय) की लगभग 20 प्रकार की छात्रवृत्तियां एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृत कर विद्यार्थियों की खाते में सीधे अंतरित की जाती है। वर्ष 2025-26 में कुल 61.36 लाख विद्यार्थियों को लगभग 351 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति राशि स्वीकृत की गई है।

मुख्यमंत्री स्कूटी योजना : प्रदेश में संचालित शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्रथम स्थान पाने वाली बालिकाओं एवं बालक को निःशुल्क ई-स्कूटी/आईसीईएस प्रदाय किये जाने हेतु योजना संचालित की जा रही



हैं। इस योजना अंतर्गत ऐसे छात्र-छात्राएँ पात्र होंगी जो प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग अन्तर्गत संचालित शासकीय हायर सेकेण्डरी शाला में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन कर माध्यमिक शिक्षा मण्डल (एम.पी.बोर्ड) की हायर सेकेण्डरी (कक्षा 12वीं) में किसी भी संकाय (समस्त संकाय को सम्मिलित कर) में अपनी शाला में नियमित परीक्षार्थी के रूप में टॉप करने पर पात्र है। विद्यार्थी द्वारा आईसीईएस (मोटरराईज्ड) का चयन किया जाता है तो इसके लिए शासन द्वारा अधिकतम राशि रु.90,000 प्रदान करने का प्रावधान है। विद्यार्थी द्वारा ई-स्कूटी का चयन किया जाता है तो इसके लिए शासन द्वारा अधिकतम राशि रु. 1.20,000/- प्रदान की जाती है। वर्ष 2024-25 में योजना अन्तर्गत 7,832 पात्र छात्र-छात्राओं को ई-स्कूटी/आईसीईएस से लाभान्वित किया गया है। इस हेतु राशि 100 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गतिविधिया : योजनान्तर्गत विद्यार्थियों की सृजनात्मक एवं वैज्ञानिक प्रतिभा को विकसित करने की उद्देश्य से विद्यालय स्तर पर विभिन्न पर्यावरण, देशभक्ति, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, आजादी का अमृत महोत्सव, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय स्कूल बैंड, सिंगल यूज प्लास्टिक, तेज बहादुर जन्मशताब्दी, वीर गाथा प्रोजेक्ट के संबंध में विद्यालय, जिला, संभाग, एवं राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। जिसमें प्रदेश के लगभग 25 लाख विद्यार्थियों द्वारा सहभागिता की गई।

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण : प्रदेश से दो शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हेतु भारत सरकार द्वारा चयन किया गया इन शिक्षकों को माननीय राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा सम्मान निधि एवं रजत पदक से सम्मानित किया गया। वहीं राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार हेतु 14 शिक्षकों का चयन कर शिक्षक दिवस के अवसर पर रुपये 25,000/- की नगद राशि एवं शॉल श्रीफल से सम्मानित किया गया।

अनुगूँज : शिक्षण सत्र 2025-26 राज्य स्तरीय अनुगूँज कार्यक्रम दिनांक 28 अक्टूबर 2025 को शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उ.मा.वि शिवाजी नगर भोपाल में आयोजित किया गया जिसमें वाद्य संगीत, स्वर और साज, भरतनाट्यम, कथक नृत्य, भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी, ओडिसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं लोक कथा आधारित नाटक की नाट्य प्रस्तुतियां का आयोजन किया गया जिसमें राज्य एवं राष्ट्र स्तर के मंच के मार्गदर्शन में प्रदेश में लगभग 600 विद्यार्थियों द्वारा सहभागिता की गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संबंधी कार्यवाही

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्थानीय भाषाओं के समावेश के रूप में राज्य द्वारा कुल 49 पुस्तकों को प्रदेश की 12 भाषाओं में अनुवाद कराते हुए उन पुस्तकों को त्रिभाषा (हिंदी, क्षेत्रीय भाषा एवं स्थानीय भाषा) में तैयार कर प्रदेश के 89 ट्राइबल विकासखंडों की शालाओं में उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) अंतर्गत 4,473 शालाओं में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त 161 PM SHRI शालाओं तथा 102 सांदीपनि शालाओं में भी पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित हैं।
- बुनियादी साक्षरता एवं संख्या-ज्ञान (FLN) के अंतर्गत अभ्यास पुस्तिका एवं शिक्षक मार्गदर्शिका का निर्माण एवं प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं लर्निंग किट और फ्लोर गेम्स उपलब्ध कराए गए हैं। NCERT द्वारा विकसित सहायक शिक्षण सामग्री किट “जादुई पिटारा” को प्रदेश की शालाओं को उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। प्रदेश के लगभग 1.78 लाख शिक्षकों हेतु फेस-टू-फेस प्रशिक्षण आयोजित किया गया। मॉनिटरिंग एप (Shiksha MP App) के माध्यम से प्रतिमाह लगभग 1.5 लाख बच्चों का स्पोर्ट असिसमेंट किया जाता है।
- इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत विभिन्न थीम्स जैसे सेव वाटर, सेव एनर्जी, से नो टू सिंगल यूस

प्लास्टिक एवं “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान के अंतर्गत कुल 27,93,211 वृक्षारोपण किया गया है।

- शिक्षक प्रशिक्षण: NCERT के डिजिटल टीचर्स ट्रेनिंग प्लेटफार्म NISTHA पर लगभग 3 लाख शिक्षक प्रशिक्षित किये गए हैं।
- प्रथम चरण में प्रदेश के 08 DIET का उत्कृष्ट केंद्र के रूप में उन्नयन किया गया है एवं द्वितीय चरण में 10 DIET को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में उन्नयन किया गया है।
- विशेषकर सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। CWSN के लिए कुल 60 छात्रावास संचालित हैं।
- डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में 2.01 लाख प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों तथा 44 हजार हाई तथा हायर सेकेंडरी शिक्षकों को टेबलेट की उपलब्धता, 4,163 माध्यमिक शालाओं में तथा 7,702 हाई तथा हायर सेकेंडरी शालाओं में स्मार्ट क्लास की सुविधा स्वीकृत, 7,884 हाई तथा हायर सेकेंडरी शालाओं में ICT लैब की सुविधा स्वीकृत, वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा अभियान एवं पीएमश्री योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत 3960 आई.सी.टी. लैब एवं 4205 स्मार्ट क्लास की स्थापना की गई है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2030 तक देश को संपूर्ण साक्षर करने के उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वयस्क व्यक्ति जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए एवं औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने की उम्र पार कर चुके हैं, उनकी निरक्षरता उन्मूलन के लिए 01 अप्रैल 2022 से “उल्लास - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम” संचालित किया जा रहा है।
- वर्ष 2025-26 में मध्यप्रदेश में शारीरिक शिक्षा योजनांतर्गत विभिन्न खेलों की राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं, जिनमें वॉलीबॉल, मलखम्ब, एथलेटिक्स, फुटबॉल, शूटिंग, स्क्वैश, सॉफ्ट टेनिस, कराटे, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी, खो-खो, स्केटिंग, बॉक्सिंग और क्रिकेट शामिल रहे। ये प्रतियोगिताएँ नरसिंहपुर, उज्जैन, इंदौर, उमरिया, देवास, सागर, शहडोल, टीकमगढ़, जबलपुर, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी और भोपाल में आयोजित हुईं। विभिन्न आयु वर्गों (U-11 से U-19) के बालक-बालिकाओं ने भाग लिया और कुल 9677 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिससे राज्य में खेलों की व्यापक भागीदारी और उत्साह परिलक्षित हुआ।
- वर्ष 2025-26 में विभिन्न आयु वर्गों (Under-11 से Under-19) के बालक-बालिकाओं ने मध्यप्रदेश से विभिन्न खेलों में कुल 1787 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर सहभागिता की। इसमें एथलेटिक्स (166), फुटबॉल (105), हॉकी (101), स्विमिंग (82), हैंडबॉल (79), बास्केटबॉल व नेटबॉल (72-72), कबड्डी व खो-खो (71-71), वॉलीबॉल (70) जैसे खेलों में सर्वाधिक भागीदारी रही। अन्य खेलों जैसे आर्चरी, बॉक्सिंग, शूटिंग, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, कुश्ती, योगासन आदि में भी उल्लेखनीय संख्या में खिलाड़ी शामिल हुए। यह आँकड़े दर्शाते हैं कि मध्यप्रदेश के शालेय खिलाड़ी विविध खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेकर राज्य की खेल प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत कर रहे हैं।

10.2 उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश के अंतर्गत राज्य में 18 विश्वविद्यालय, 1 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, 54 निजी विश्वविद्यालय, 5 अन्य संस्थान एवं 571 शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं। उक्त के अतिरिक्त राज्य में मध्यप्रदेश के अन्य विभागों के अंतर्गत 8 विश्वविद्यालय, *10 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 3 डीम्ड सरकारी विश्वविद्यालय हैं तथा 1 डीम्ड सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय संचालित है। (*शिक्षा मंत्रालय, AISHE डैशबोर्ड, 10.01.2026 की स्थिति में)



उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों (शासकीय एवं अशासकीय) में प्रवेश का पिछले पाँच वर्षों का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 10.6 : उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत महाविद्यालयों (सरकारी एवं निजी) का पिछले पाँच वर्षों का विवरण

वर्ष	संस्थान की संख्या	सीट			पंजीकरण			प्रवेश		
		UG	PG	Total	UG	PG	Total	UG	PG	Total
2021-22	1,289	9,89,777	2,51,632	12,41,409	5,87,681	2,21,508	8,09,189	4,73,154	1,55,082	6,28,236
2022-23	1,281	7,78,394	2,24,593	10,02,987	4,91,322	1,98,625	6,89,947	4,13,570	1,42,893	5,56,463
2023-24	1,303	7,79,932	2,25,826	10,05,758	5,26,530	2,10,304	7,36,834	4,40,294	1,50,682	5,90,976
2024-25	1,346	8,41,050	2,15,707	10,56,757	4,82,485	1,69,129	6,51,614	3,90,782	1,13,963	5,04,745
2025-26	1,242	7,63,893	2,93,891	10,57,641	5,32,666	2,51,470	7,84,136	4,04,656	1,29,115	5,33,771

स्रोत: उच्च शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन

10.2.1 उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संचालित प्रमुख योजनाएं तथा उपलब्धियाँ

गांव की बेटी : योजना का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत प्रतिभावान छात्राओं की शिक्षा का स्तर बढ़ाने एवं उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु दिनांक 30.11.2025 की स्थिति में कुल राशि ₹. 29.98 करोड़ का आवंटन जारी किया जा चुका है तथा शैक्षणिक सत्र में योजना का लाभ कुल 1,13,648 छात्राओं प्रदान को किया जा चुका है।

प्रतिभा किरण योजना : योजना का उद्देश्य गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली शहर की मेधावी छात्राओं को शिक्षा का स्तर बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु दिनांक 30.11.2025 की स्थिति में कुल राशि ₹. 4.37 करोड़ आवंटित की गई है तथा योजना का लाभ कुल 7048 पात्र छात्राओं को प्रदान किया जा चुका है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग शोधार्थियों को शोध छात्रवृत्ति योजना : योजना का उद्देश्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संवर्ग के विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करना है। योजना अंतर्गत सत्र 2025-26 में कुल राशि ₹. 5.59 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दिनांक 31.03.2025 की स्थिति में योजना का लाभ 324 पात्र विद्यार्थियों को प्रदान किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संवर्ग के विद्यार्थियों को पुस्तकों और स्टेशनरी का निःशुल्क प्रदाय योजना अंतर्गत वर्ष 2025-26 हेतु राशि रूपए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है तथा योजनांतर्गत प्रावधानित राशि में से कुल 1.67 करोड़ आवंटित की जा चुकी है।

प्रयोगशाला उन्नयन एवं पुस्तकालय विकास योजना : वर्तमान परिदृश्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता की वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु राशि रूपए 16 करोड़ का प्रावधान किया गया है, तथा प्रावधानित राशि में से कुल 53.58 लाख का आवंटन जारी कर कुल 41 महाविद्यालयों को लाभ प्रदान किया गया है। पुस्तकालय विकास हेतु सत्र 2025-26 हेतु योजनांतर्गत राशि ₹. 12.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है, तथा सत्र 2025-26 के तृतीय त्रैमास तक राशि कुल 34 महाविद्यालयों को योजना का लाभ प्रदान किया जा चुका है।

प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति : योजना का उद्देश्य अनारक्षित वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन/पाठ्यक्रम में प्रवेशित अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को अध्यापन हेतु वास्वविक व्यय या अधिकतम कुल 40,000 अमेरिकी डॉलर या उसके समतुल्य अन्य देश की करेंसी में प्रदान किया जाता है। योजना हेतु आवेदक विद्यार्थी को प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। वर्ष 2025-26 में उक्त योजना हेतु राशि रूपये 3 करोड़ बजट प्रावधान किया गया है। वर्ष 2025 में राशि रूपये 42 लाख आवंटित कर योजना का लाभ कुल 03 विद्यार्थियों को प्राप्त हो चुका है।

स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत सत्र 2025-26 हेतु योजनांतर्गत कुल ₹30 लाख व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अवधि में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के 4851 विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। यह आँकड़ा दर्शाता है कि योजना न केवल आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही है बल्कि विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ने में भी प्रभावी भूमिका निभा रही है।

निःशक्त विद्यार्थियों को कम्प्यूटर एवं प्रबंध में शिक्षा प्राप्त करने के लिये जीवन निर्वाह एवं परिवहन भत्ता, एकीकृत छात्रवृत्ति योजना एवं संस्कृत छात्रवृत्ति योजना : योजना अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में निःशक्त विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने पर ली जाने वाली फीस की प्रतिपूर्ति एवं राशि रूपये 1500/- प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार स्नातक के पश्चात् शिक्षा प्राप्त करने वाले निःशक्तजन विद्यार्थियों को नगर निगम क्षेत्र में राशि रूपये 500/- एवं निगम पालिका क्षेत्र में रूपये 300/- प्रतिमाह परिवहन भत्ता प्रदान किया जाता है। सत्र 2025-26 हेतु योजनांतर्गत ₹10 लाख का प्रावधान किया गया है। इस राशि के आवंटन के लिए विद्यार्थियों से प्राप्त आवेदनों का परीक्षण वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। राशि स्वीकृत करने की कार्यवाही जारी है और शीघ्र ही पात्र विद्यार्थियों को इसका लाभ प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) : भारत सरकार द्वारा रूसा के नए चरण को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ जोड़ते हुए जून 2023 में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के रूप में दिनांक 31.03.2026 तक अनुमोदित किया गया है। रूसा के चरण 1 एवं 2 के अंतर्गत अब तक कुल 102 संस्थानों को विभिन्न कम्पोनेट्स में राशि ₹. 539 करोड़ का अनुदान अनुमोदित है। योजना के तहत 10 नवीन आदर्श महाविद्यालय एवं 1 व्यावसायिक महाविद्यालय स्थापित किया गया है।

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) : पी.एम. उषा परियोजना को रूसा परियोजना के स्थान पर वर्ष 2023 से लागू किया गया, जिसमें कंपोनेंट GSU (ग्रांट टू स्ट्रेंगदेन यूनिवर्सिटीज़) अंतर्गत 5 विश्वविद्यालय, कंपोनेंट MERU (मल्टी डिसीप्लिनरी एजुकेशन एवं रिसर्च यूनिवर्सिटीज़) अंतर्गत 3 विश्वविद्यालय, कंपोनेंट GSC (ग्रांट टू स्ट्रेंगदेन कॉलेजेज) अंतर्गत 27 महाविद्यालय एवं कंपोनेंट GIEI (जेंडर इन्क्लूसिव एंड इक्विटी इनिटिएटिवेस) अंतर्गत 03 जिलों के संस्थानों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 कुल ₹. 300.00 करोड़ रु का बजट प्रावधान किया गया है, तथा कार्ययोजना अनुसार कार्यवाही प्रचलन में है। 38 संस्थानों में उपरोक्त सभी गतिविधियाँ प्रगतिरत हैं तथा कुल ₹27.28 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया। इसमें पूर्व वर्षों तक का संचयी व्यय ₹6.32 करोड़ रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में वास्तविक व्यय ₹20.96 करोड़ हुआ है। PM-USHA अंतर्गत प्राप्त राशि से विश्वविद्यालय की अनुसंधान, सुदृढीकरण, शैक्षणिक एवं विद्यार्थियों को उद्योगों के लिए तैयार करने संबंधी गतिविधियाँ तेज होंगी।

म.प्र.उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन परियोजना (विश्व बैंक पोषित) - विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत सत्र 2025-26 में कुल ₹1,544 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया है। इस अवधि में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों को अधोसंरचना सुदृढीकरण, स्मार्ट क्लासरूम, कम्प्यूटर लैब, वर्चुअल क्लासेस, डिजिटल गवर्नेंस



सिस्टम, आईसीटी विस्तार तथा फैकल्टी प्रशिक्षण जैसी सुविधाएँ प्रदान की गई।

विशेष रूप से, 10 महाविद्यालयों में डिजिटल स्टूडियो स्थापित किए गए, 57 पीएमसीओई महाविद्यालयों में फर्नीचर (ड्यूल डेस्क) की आपूर्ति की गई, 7 कॉलेजों में वाटर कूलर एवं आरओ सिस्टम उपलब्ध कराए गए तथा 200 महाविद्यालयों में वर्चुअल स्मार्ट क्लासेस स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों और 529 महाविद्यालयों को ई-बुक्स उपलब्ध कराई गई और IEHE भोपाल में सेंट्रल लेब की स्थापना की गई। परियोजना अंतर्गत पूर्व वर्षों तक का संचयी व्यय ₹1,480.65 करोड़ रहा, जबकि वर्ष 2025-26 में वास्तविक व्यय ₹63.35 करोड़ किया गया है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और तकनीकी संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

विभाग की प्रमुख उपलब्धियाँ : मध्यप्रदेश सरकार उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण, कौशल आधारित और रोजगारपरक बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाई है और कई नवाचारों के माध्यम से युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।

- **डिजिटल शिक्षा और नवाचार :** स्वयं पोर्टल पर उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को मॉडल स्टेट घोषित किया गया है। प्रदेश के 10 संभागों में डिजिटल स्टूडियो स्थापित किए गए हैं, जहाँ 800 से अधिक व्याख्यान तैयार कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 15 लाख 59 हजार से अधिक विद्यार्थियों का APAR ID पंजीयन हो चुका है और 5 लाख से अधिक विद्यार्थी स्वयं पोर्टल पर पंजीकृत हैं।
- **प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस :** प्रत्येक जिले से एक महाविद्यालय का चयन कर कुल 55 महाविद्यालयों को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया गया है। इन संस्थानों में अधोसंरचना विकास हेतु ₹336 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इन कॉलेजों में विद्यार्थी पुस्तक सहायता केंद्र और विद्यावन की स्थापना की गई है।
- **शैक्षणिक अधोसंरचना निवेश :** प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के अंतर्गत 8 विश्वविद्यालयों और 27 महाविद्यालयों के लिए ₹565 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। कुल ₹1,153 करोड़ के निवेश से 148 नए भवन, 232 प्रयोगशालाएँ, 589 कक्षाएँ, 116 पुस्तकालय और 58 खेल मैदान एवं योग सुविधाएँ निर्मित की जा रही हैं।
- **नवाचार एवं स्टार्टअप :** प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 47 इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से 174 स्टार्टअप प्रारंभ हुए हैं और 22 पेटेंट दर्ज किए गए हैं।
- **गुणवत्ता मूल्यांकन :** 205 महाविद्यालयों का NAAC मूल्यांकन किया गया है, जिनमें से 6 को A++, 7 को A+ और 23 को A ग्रेड प्राप्त हुआ है। NIRF-2024 में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, IIIT और IIT इंदौर ने राष्ट्रीय स्तर पर 150-200 के बैंड में स्थान प्राप्त किया है।
- **भारतीय ज्ञान परंपरा और भाषाई पाठ्यक्रम :** सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित संस्थान स्थापित किए गए हैं। स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में इसे समाविष्ट किया गया है। राज्य में 22 भारतीय भाषाओं और 4 विदेशी भाषाओं में क्रेडिट आधारित प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं।
- **कौशल आधारित शिक्षा :** सेक्टर स्किल काउंसिल की सहायता से 7 कौशल उन्मुख प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। IIT दिल्ली के सहयोग से 55 महाविद्यालयों में AI एवं FinTech आधारित 90 घंटे के प्रमाणपत्र कोर्स संचालित किए जा रहे हैं।

- नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना : तीन नए विश्वविद्यालय - क्रांतिकारी टंट्या भील विश्वविद्यालय (खरगोन), क्रांतिकारी तात्या टोपे विश्वविद्यालय (गुना), और रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय (सागर) की स्थापना की गई है। शंकराचार्य शुक्ल विश्वविद्यालय (शहडोल) को संबद्धता विश्वविद्यालय में उन्नयन किया गया है।

10.3 तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा संचालनालय के अंतर्गत राज्य में विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक कार्यक्रमों में वर्ष 2025-26 में उपलब्ध 310301 प्रवेश क्षमता के विरुद्ध 191175 प्रवेश ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग के माध्यम से किए गए हैं। प्रदेश में वर्तमान में संचालित 2070 तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं में 2 वर्ष से लेकर 4 वर्षीय डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम संचालित हैं एवं विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 10.7: तकनीकी संस्थानों की संख्या और छात्रों की संख्या

तकनीकी संस्थान	2024-25				2025-26					गत वर्ष की तुलना में
	संस्थाओं की संख्या	प्रवेश क्षमता (AICTE/PCI/COA)	प्रवेश क्षमता (With EWS)	कुल प्रवेश	संस्थाओं की संख्या	प्रवेश क्षमता (AICTE/PCI/COA)	प्रवेश क्षमता (With EWS)	कुल प्रवेश	प्रवेश में प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बैचलर ऑफ़ आर्किटेक्चर	4	220	220	135	4	220	220	162	20.00	
बैचलर ऑफ़ डिजाइन	1	60	75	14	1	60	75	20	42.86	
बैचलर ऑफ़ फार्मसी	191	16340	16340	15402	218	18880	18880	15608	1.34	
बीबीए	सत्र 2024-25 एवं पूर्व में प्रवेश की कार्यवाही उच्च शिक्षा द्वारा की गयी है				239	28168	33232	20598	**	
बीसीए					157	12726	15124	8631		
बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी	142	59381	73637	42923	138	60143	74722	47110	9.75	
बैचलर ऑफ़ होटल मैनेजमेंट & कैटरिंग टेक्नोलॉजी	1	120	150	46	1	120	150	38	-17.39	
बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी (कामकाजी पेशेवर स्कीम)	3	300	300	74	3	270	270	63	-14.86	
डिप्लोमा ऑफ़ आर्किटेक्चर	7	280	280	178	8	320	320	265	48.88	
डिप्लोमा ऑफ़ फार्मसी	230	13800	13800	9060	237	14220	14220	10374	14.50	
डिप्लोमा अम्बेडकर/एकलव्य योजना	6	966	966	672	6	966	966	933	38.84	
डिप्लोमा कोर्सज	124	27800	34621	20368	122	28265	35205	24714	21.34	
डिप्लोमा (कामकाजी पेशेवर स्कीम)	2	120	120	29	3	150	150	50	72.41	
इंटीग्रेटेड एम.बी.ए.	3	240	285	149	3	240	285	205	37.58	
इंटीग्रेटेड एम.सी.ए.	2	120	150	106	2	120	150	99	-6.60	
लेटरल एंट्री (बी. टेक.)	141	24081	24081	10288	137	24379	24379	9635	-6.35	
लेटरल एंट्री डिप्लोमा (आईटीआई/12th पास)	116	11754	11754	2744	118	13896	13896	4908	78.86	
लेटरल एंट्री (बी. फार्मा)	165	2142	2142	351	185	2048	2048	410	16.81	
मास्टर ऑफ़ आर्किटेक्चर	1	18	18	12	1	20	20	7	-41.67	
मास्टर ऑफ़ फार्मसी	65	1885	1885	1698	74	2209	2209	2010	18.37	



तकनीकी संस्थान	2024-25				2025-26					गत वर्ष की तुलना में
	संस्थाओ की संख्या	प्रवेश क्षमता (AICTE/ PCI/COA)	प्रवेश क्षमता (With EWS)	कुल प्रवेश	संस्थाओ की संख्या	प्रवेश क्षमता (AICTE/PCI/ COA)	प्रवेश क्षमता (With EWS)		कुल प्रवेश	प्रवेश में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मास्टर ऑफ़ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन	260	53502	63858	38068	245	48078	57904		37082	-2.59
मास्टर ऑफ़ कम्प्यूटर एप्लीकेशन	53	4930	6055	3703	59	5500	6632		3876	4.67
मास्टर ऑफ़ इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी	101	7204	8812	4050	100	7327	8985		4255	5.06
मास्टर ऑफ़ प्लानिंग	2	48	59	20	2	48	59		20	0.00
मास्टर ऑफ़ इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी (कामकाजी पेशेवर स्कीम)	2	75	90	15	2	75	90		18	20.00
फार्मैसी फार्म डी.	2	60	60	63	3	90	90		64	1.59
फार्म. डी (पोस्ट बैकलौरीएट)	1	10	10	10	2	20	20		20	100.00
कुल योग	1625	225456	259768	150178	2070	268558	310301		191175	27.30

स्रोत: तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन

सत्र 2025-26 में शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु विशेष जागरूकता अभियान चलाकर सकल नामांकन में 21.38% की वृद्धि दर्ज की गई।

10.3.1 तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में संचालित प्रमुख योजनाएँ और उपलब्धियाँ

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना: वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई, इस योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार उन छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा हेतु शुल्क का भुगतान करती है, जिन्होंने मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा में 70% प्रतिशत या उससे अधिक अथवा सीबीएसई/आईसीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा में 85% प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत प्राप्त किए हैं एवं जिनके माता/पिता अभिभावक की वार्षिक आय 8 लाख प्रति वर्ष से कम है। वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) के अंतर्गत 31 दिसंबर 2025 तक कुल 45,668 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया और ₹500 करोड़ की राशि वितरित की गई है।

मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना (वर्ष 2018 से प्रारंभ): अंतर्गत मध्यप्रदेश के श्रम विभाग में पंजीकृत असंगठित कामगारों के पुत्र/पुत्रियों को योजना के अंतर्गत तकनीकी, चिकित्सा एवं उच्च शिक्षा हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 31 दिसंबर 2025 तक योजना अंतर्गत 4000 से अधिक विद्यार्थियों को 04 करोड़ की शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की गई है।

विभाग की प्रमुख उपलब्धियाँ:

- MANIT भोपाल एवं विभाग के मध्य किए गए एमओयू के अंतर्गत 50 मेधावी छात्राओं (रिक्त रहने की स्थिति में छात्रों) को सातवें एवं आठवें सेमेस्टर का अध्ययन पूर्णकालिक रूप से MANIT भोपाल में करने का अवसर प्रदान किया गया।
- IIT इंदौर एवं विभाग के मध्य किए गए एमओयू के अंतर्गत 50 मेधावी छात्र/छात्राओं को सातवें एवं आठवें सेमेस्टर का अध्ययन पूर्णकालिक रूप से IIT इंदौर में करने का अवसर प्रदान किया गया।

- शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय शाजापुर एवं नौगांव इंजीनियरिंग महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 02-02 नवीन ब्रांच प्रारंभ की गई।
- QUEST (Quality, Utility, Efficiency, Sustainability, Timeliness) के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन कर निजी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित किया गया।
- दसवीं के पश्चात तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम को कक्षा 12वीं के समकक्ष मान्यता प्रदान की गई है।
- प्रदेश के शासकीय (स्वशासी) इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के नियमित फैकल्टी को आई.आई.टी. इंदौर से पार्ट टाइम पी.एच.डी. करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।
- सिंगरौली में खनन प्रौद्योगिकी महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर (आरआरयू) का परिसर आरजीपीवी, भोपाल में स्थापित किया जा चुका है तथा इस सत्र से शैक्षणिक कक्षाओं का संचालन प्रारंभ हो गया है। यह विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को सरकारी सेवाओं, रक्षा क्षेत्र, साइबर सुरक्षा, ड्रोन टेक्नोलॉजी एवं शोध जैसे उभरते क्षेत्रों में रोजगार और करियर के उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा।
- शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रीवा में कोडिंग लैब प्रारंभ की जा चुकी है। प्रदेश के अन्य सभी तकनीकी संस्थानों में भी कोडिंग लैब प्रारंभ करने हेतु प्रयास किया जा रहे हैं।
- संचालनालय तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत 10-इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किये हैं, जिनका निरंतर विकास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 9 अन्य इन्क्यूबेशन सेंटर इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में MSME की RAMP (Raising and Accelerating MSME Performance) स्कीम के अंतर्गत चिह्नित किये गए हैं एवं उनका विकास निरंतर जारी है।
- उज्जैन इंजीनियरिंग महाविद्यालय परिसर में आईटी पार्क की स्थापना हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MPIDC) के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है।
- SRIJAN अंतर्गत 34 चयनित प्रोजेक्ट स्टार्टअप के रूप में विकसित किये जा रहे हैं।
- प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुपालन में निम्न बिंदुओं पर कार्यवाही की जा रही है:
 - » एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट
 - » मल्टी एंटी मल्टी एग्जिट प्रणाली
 - » ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा
 - » भारतीय ज्ञान परम्परा एवं वैल्यू एजुकेशन
 - » मातृ भाषा में पुस्तकों का अनुवाद

10.3.2 कौशल विकास

भारत में युवाओं की कार्यशील आयु वर्ग में अधिक भागीदारी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। विकास की गति के साथ आवश्यक क्षेत्रों में जनशक्ति तैयार करने हेतु कौशल विकास की आवश्यकता है। मध्यप्रदेश देश का पाँचवाँ सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जहाँ 15 से 59 वर्ष की कार्यशील आयु वर्ग में 59% आबादी है तथा औसत आयु 23 वर्ष है। कुशल कार्यबल का निर्माण प्रदेश एवं राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार युवाओं के कौशल विकास हेतु विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित कर रही है। कौशल विकास



संचालनालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न योजनाओं पर कुल 134.3 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। वर्तमान में मध्यप्रदेश के 55 जिलों के 313 विकासखण्डों में से 262 विकासखण्डों में कुल 280 शासकीय आईटीआई संचालित हो रही हैं। इनमें से 89 आदिवासी विकासखण्ड हैं, जिनमें से 86 विकासखण्डों में कुल 94 शासकीय आईटीआई कार्यरत हैं। केवल 03 विकासखण्ड-रानापुर (जिला झाबुआ), भैसादेही एवं आठनेर (जिला बैतूल) में शासकीय आईटीआई संचालित नहीं हैं, किंतु वहाँ निजी आईटीआई उपलब्ध हैं। एवं विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 10.8: आई.टी.आई. संस्थानों की संख्या और छात्रों की संख्या

सरकारी आईटीआई							
क्र	सीटों का प्रकार कुल सीट	2024 (कुल शासकीय आईटीआई-285)			2025 (कुल शासकीय आईटीआई-280)		
		कुल प्रवेश	कुल प्रतिशत	कुल सीट	कुल प्रवेश	प्रतिशत	
1	CTS	44,248	38,614	87.27%	48,641	46,191	94.96%
2	IMC	2,688	2,031	75.56%	2,723	2,466	90.56%
3	DST	1,888	1,507	79.82%	884	745	84.28%
Total		48,824	42,152	86.33%	52,248	49,402	94.55%
निजी आईटीआई							
क्र	सीटों का प्रकार	2024 (कुल प्रायवेट आईटीआई-678)			2025 (कुल प्रायवेट आईटीआई-644)		
		कुल सीट	कुल प्रवेश	प्रतिशत	कुल सीट	कुल प्रवेश	प्रतिशत
1	CTS	66,976	40,957	61.15%	61032	45559	74.65%

स्रोत: मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 : प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY 4.0) के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य को 23,500 प्रशिक्षण लक्ष्यों का आवंटन प्राप्त हुआ है, जो राज्य द्वारा किए गए सुविचारित प्रस्ताव, अंतर-विभागीय समन्वय एवं ग्रीन, डिजिटल एवं समावेशी कौशल विकास रणनीति (Skill Next MP) के अनुरूप है। इन लक्ष्यों के अंतर्गत ग्रीन एनर्जी (सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन), इलेक्ट्रिक व्हीकल, आईटी-आईटीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थकेयर, ब्यूटी एवं वेलनेस, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, प्लास्टिक एवं ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग, टेलीकॉम, वॉटर मैनेजमेंट, कैपिटल गुड्स एवं मैनुफैक्चरिंग जैसे विविध उभरते एवं रोजगारोन्मुखी क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। योजना के माध्यम से प्रदेश की 41 शासकीय आईटीआई सहित शासकीय महाविद्यालयों, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा संस्थानों की मौजूदा अवसंरचना, औजार-उपकरण एवं प्रशिक्षक संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो रहा है। इससे न केवल युवाओं की रोजगार योग्यता (Employability) में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय उद्योगों की कुशल मानव संसाधन आवश्यकता, हरित एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था को समर्थन, महिला एवं वंचित वर्गों के लिए अवसर सृजन तथा राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होगा।

संकल्प योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में आईटीआई सिंगरौली हेतु केंद्र से कुल 25,48,699.00 बजट प्राप्त हुआ। इस प्रकार वर्ष 2024-25 में प्राप्त बजट एवं पूर्व में प्राप्त बजट में से वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में क्रमशः 5,68,18,861 एवं 4,95,06,630 का व्यय किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षता प्रोत्साहन योजना (NAPS) : राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (NAPS) के अंतर्गत कुल 27,771 अप्रेंटिस नियुक्त किए गए, जिनमें से 21,408 मध्यप्रदेश में और 6,363 राज्य के बाहर नियुक्त हुए हैं।

प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला (PMNAM) : राज्य के सभी 52 जिलों में अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया। इन मेलों में कुल 80,826 छात्र-प्रार्थियों ने भाग लिया, 1,639 प्रतिष्ठान और 465 टीपीए उपस्थित रहे तथा 30,046 उम्मीदवारों को अनुबंधित अप्रेंटिसशिप के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया

आई.टी.आई. ग्रेडिंग : प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार के द्वारा अकादमिक वर्ष 2025-26 हेतु जारी ड्राफ्ट ग्रेडिंग स्कोर में प्रदेश की आईटीआई की ग्रेडिंग निम्नानुसार रही:-

स. क्र.	स्कोर रेंज	आईटीआई की संख्या		
		शासकीय	निजी	योग
1.	9+	47	0	47
2.	8+	86	109	195
3.	7+	33	161	194
4.	6+	16	146	162
5.	5+	0	120	120
6.	4+	1	81	82
7.	3+	1	44	45
8.	2+	0	24	24
9.	1+	0	17	17
10	<1	0	66	66
	Total	184	768	952

- प्रदेश में सर्वोच्च ग्रेडिंग शासकीय संभागीय आईटीआई, उज्जैन तथा शासकीय आदिवासी महिला आईटीआई, छिंदवाड़ा को प्राप्त हुई है। इन दोनों आईटीआई ने 10 में से 9.30 का ग्रेडिंग स्कोर अर्जित किया है।
- प्रदेश की कुल 800 आईटीआई (शासकीय 183 एवं निजी 617) ने 10 में से 4 या उससे अधिक ग्रेडिंग स्कोर प्राप्त करने में सफलता हासिल की है।

पी.एम. विश्वकर्मा योजना: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसका शुभारंभ 17 सितम्बर 2023 को किया गया। इसका उद्देश्य पारंपरिक पारिवारिक व्यवसायों से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, उपकरण, ऋण और विपणन सहयोग प्रदान कर उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला से जोड़ना है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- योजना में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है, जैसे बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, दर्जी, धोबी, नाई, राजमिस्त्री, टोकरी/झाड़ू निर्माता, मछली जाल निर्माता आदि।
- लाभार्थियों को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड प्रदान किए जाते हैं।
- प्रशिक्षण दो स्तरों पर दिया जाता है -
 1. बेसिक प्रशिक्षण: 5-7 दिन (40 घंटे)
 2. एडवांस प्रशिक्षण: 15 दिन (120 घंटे)



- प्रशिक्षण के दौरान ₹500 प्रतिदिन का अनुदान तथा ₹15,000 का ई-वाउचर टूलकिट हेतु।
- कोलैटरल-फ्री लोन सुविधा –
 1. ₹1 लाख (18 माह पुनर्भुगतान)
 2. ₹2 लाख (30 माह पुनर्भुगतान)
- डिजिटल लेनदेन पर प्रोत्साहन: प्रति लेनदेन ₹1 (अधिकतम 100 लेनदेन प्रति माह)।
- विपणन सहयोग: गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, ई-कॉमर्स लिंकेज, ट्रेड फेयर आदि।

पात्रता एवं पंजीयन:

- न्यूनतम आयु 18 वर्ष।
- लाभार्थी को संबंधित व्यवसाय में संलग्न होना आवश्यक।
- पिछले 5 वर्षों में किसी अन्य क्रेडिट आधारित योजना से ऋण प्राप्त न किया हो।
- एक परिवार से केवल एक सदस्य पात्र।
- सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति एवं उनके परिवार सदस्य अपात्र।
- पंजीयन CSC के माध्यम से MSME विभाग द्वारा किया जा रहा है।

सत्यापन प्रक्रिया निम्न स्तर पर की जाती है:

1. ग्राम पंचायत/यूएलबी स्तर
2. जिला कार्यान्वयन समिति
3. राज्य स्क्रीनिंग समिति

तालिका 10.9: पीएम विश्वकर्मा योजना की स्थिति

क्र.	बिन्दु	जानकारी
1.	वर्तमान में पीएम विश्वकर्मा योजनांतर्गत प्रदेश में प्रशिक्षण केन्द्र की उपलब्धता	259, (Active Training Centre 95)
2.	Vishwakarma Registered for Training	274794
3.	कुल प्रशिक्षण केन्द्र जहां Basic प्रशिक्षण संचालन किया गया है	259
4.	Skill Assessed-0 day	249990
5.	Applicant selected Toolkit and Skill Assessed	232010
6.	Basic Training पूर्ण	215658
7.	दिनांक 29.01.2026 की स्थिति में Running Batches की संख्या	05
8.	उपलब्धि (Basic Training)	देश में 3rd स्थान पर

स्रोत: SIDH Portal पर NSDC का पीएम विश्वकर्मा Dashboard.

परम (PARAM) फाउंडेशन

1. परम फाउंडेशन एक गैर-लाभकारी Special Purpose Vehicle-SPV है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत मध्यप्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग और पैरआईटीआई एलुमनी रीच फॉर इण्डिया फाउंडेशन (PERFI) के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में दिनांक 5 मई 2022 को स्थापित किया गया है।
2. परम फाउंडेशन को शेयर कैपिटल के रूप में एकमुश्त राशि 3.50 करोड़ प्रति आईटीआई प्रदान की जा रही है, जिसका योगदान 25-25 प्रतिशत की दर से 1. मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, 2. मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, 3. मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् एवं 4. मध्यप्रदेश राज्य कौशल एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।
3. परम फाउंडेशन के तहत संचालन हेतु कुल 42 शासकीय आईटीआई का चयन किया गया है।
4. परम फाउंडेशन द्वारा आईटीआई (कौशल कॉलेज) में 'मैन्युफैक्चरिंग (Manufacturing Technician)', 'नर्सिंग (ANM)' और 'कुलीनरी (Commis Chef)' से संबंधित पाठ्यक्रम संचालित किए जाने का उल्लेख किया गया है।
5. परम फाउंडेशन के माध्यम से संचालन हेतु निम्नानुसार 10 शासकीय आईटीआई पूर्णतः हस्तांतरित कर दी गई है:

क्रमांक	आईटीआई का नाम
1.	सरदारपुर जिला धार
2.	मानपुर जिला उमरिया
3.	घोडाडोंगरी जिला बैतूल
4.	रामा जिला झाबुआ
5.	ठीकरी जिला बड़वानी
6.	बिछिया जिला मंडला
7.	तेंदूखेड़ा जिला दमोह
8.	हाटपिपलिया जिला देवास
9.	सोंधवा जिला अलीराजपुर
10.	सेंधवा जिला बड़वानी

6. परम फाउंडेशन के अंतर्गत वर्तमान में शासकीय आईटीआई सरदारपुर, जिला धार में मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है, जिसमें सत्र अगस्त-2025 में प्रवेश हेतु उपलब्ध 120 सीटों के विरुद्ध 112 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रवेश लिया है।
7. इसके अतिरिक्त शासकीय आईटीआई मानपुर (जिला उमरिया), घोड़ाडोंगरी (जिला बैतूल), ठीकरी (जिला बड़वानी), रामा (जिला झाबुआ), बिछिया (जिला मंडला), तेंदूखेड़ा (जिला दमोह), हाटपिपलिया (जिला देवास), सोंधवा (जिला अलीराजपुर) एवं सेंधवा (जिला बड़वानी) में प्रशिक्षण संचालन की प्रक्रिया प्रगतिरत है।



संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क, भोपाल : संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क, भोपाल में 04 अत्याधुनिक ट्रेडों में तकनीकी प्रशिक्षण जुलाई 2024 से प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत निम्नलिखित घटक हैं:

1. सेंटर फॉर आक्युपेशनल स्किल्स एक्विजिशन (COSA)-1 एवं COSA-2
2. सेंटर फॉर एडवांस्ड एग्रीकल्चर ट्रेनिंग (CAAT)
3. TVET प्रेक्टिसर्स डेवलपमेंट सेंटर (CTPD)
4. सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एन्टरप्रेन्योशिप (CIE)
5. सेंटर फॉर स्किल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट (CSRD)

ग्लोबल स्किल्स पार्क के अंतर्गत विश्वस्तरीय कौशल प्रशिक्षण के लिए म.प्र. राज्य की आवश्यकताओं एवं युवाओं के सुनिश्चित नियोजन की दृष्टि से रोजगार /स्वरोजगारोन्मुखी सेक्टर शामिल किए गये हैं, तथा ग्लोबल स्किल्स पार्क की प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

- GSP में अब तक कुल 1035 छात्रों का प्लेसमेंट हुआ है।
- 29 छात्रों को अंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट (अबू धाबी, हंगरी, जापान) औसतन ₹4.8 लाख वार्षिक पैकेज व अन्य सुविधाओं सहित हुआ है।
- पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (2024-25) से कुल 274 छात्र लाभान्वित, जिनमें OBC के 170, अनुसूचित जाति के 63 और अनुसूचित जनजाति के 41 छात्र शामिल हैं। MMJKY योजना से 47 छात्र लाभान्वित हुए हैं।
- ITEES, सिंगापुर COSA-1 प्रोजेक्ट अंतर्गत अकादमिक विकास, उद्योग-आधारित पाठ्यक्रम, प्रशिक्षक क्षमता निर्माण, गुणवत्ता आश्वासन सेवाएँ प्रदान की गई हैं। 9 तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु परामर्श, 4 कॉन्ट्रैक्ट वैरिएशन, 44 प्रशिक्षकों को सिंगापुर एवं 60 को भारत में प्रशिक्षण, छात्रों हेतु अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र प्रोग्राम और नेतृत्व विकास कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं।
- CSRD (Centre for Skills Research and Development) अंतर्गत HARSH पोर्टल का शुभारंभ (277 फेलोशिप), संडावटा ग्राम में 9 ग्राम सभाएँ एवं 30 महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण, विभिन्न विभागों के साथ समन्वय, सामाजिक सहभागिता और प्रत्यक्ष सहायता, एवं QUEST, SARAL, EA, EMBRACING SKILL आदि पहलों में सक्रिय भूमिका रही है।

10.3.3 रोजगार संचालनालय

मध्यप्रदेश में रोजगार संचालनालय के अंतर्गत कुल 52 कार्यालय संचालित हैं। रोजगार पोर्टल पर पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, वर्ष 2024 में 1.75 लाख युवाओं ने पंजीकरण कराया, जबकि वर्ष 2025 (नवम्बर तक) में यह संख्या बढ़कर 6.62 लाख हो गई। वर्ष के अंत में जीवित पंजी पर दर्ज कुल आवेदकों की संख्या वर्ष 2024 में 26.18 लाख थी, जो वर्ष 2025 (नवम्बर तक) में बढ़कर 26.53 लाख हो गई।

रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के रोजगार कार्यालयों द्वारा जॉब फेयर आयोजित किए जाते हैं, जो नियोक्ताओं और आवेदकों को एक साझा मंच प्रदान करते हैं। निजी क्षेत्र में नियुक्ति हेतु 2024-25 में 78,868 आवेदकों को ऑफर लेटर प्राप्त हुए। वर्ष 2024-25 में कुल 654 जॉब फेयर आयोजित किए गए, जबकि वर्ष 2025-26 में नवम्बर वर्ष 2025 तक 541 जॉब फेयर आयोजित हुए। वर्ष 2025-26 (नवम्बर तक) में निजी क्षेत्र में 73,517 आवेदकों को ऑफर लेटर प्राप्त हुए, जिनमें 12,128 महिलाएँ, 14,403 अनुसूचित जाति और

7,999 अनुसूचित जनजाति के आवेदक शामिल थे। पिछले वर्ष 2024-25 में 78,868 थी, आवेदकों को ऑफर लेटर प्राप्त हुआ है जिनमें 12,297 महिलाएँ, 17,359 अनुसूचित जाति और 8,897 अनुसूचित जनजाति के आवेदक सम्मिलित थे।

युवा संगम कार्यक्रम : मध्यप्रदेश शासन द्वारा युवाओं को स्व-रोजगार, रोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसर एक ही मंच पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से युवा संगम कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह पहल रोजगार दिवस, रोजगार मेला और प्रशिक्षुता मेले को एकीकृत करती है तथा जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में अन्य लाभकारी योजनाओं और सामाजिक अभियानों को भी जोड़ती है। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में निर्धारित दिवस पर इसका आयोजन किया जाता है।

नवम्बर 2024 से प्रतिमाह आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम ने युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय अवसर प्रदान किए हैं। नवम्बर 2025 तक कुल 656 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से 99,726 आवेदकों को ऑफर लेटर प्राप्त हुए, 11,713 आवेदक अप्रेंटिसशिप हेतु चयनित हुए और 45,337 आवेदक स्व-रोजगार योजनाओं से लाभान्वित हुए। इस प्रकार कुल 1,56,776 युवाओं को लाभ मिला।

वित्तीय वर्ष 2024-25 (नवम्बर 2024 से मार्च 2025) में 236 कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें 47,109 युवाओं को लाभ मिला। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल से नवम्बर 2025) में 420 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 1,09,667 युवाओं को लाभान्वित किया गया। इस प्रकार युवा संगम कार्यक्रम ने अल्प समय में ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार, अप्रेंटिसशिप और स्व-रोजगार के अवसर प्रदान कर उनके भविष्य को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।

समृद्ध मध्यप्रदेश @2047

मध्यप्रदेश के विज्ञान @2047 को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक शिक्षा है। विकसित मध्यप्रदेश @2047 विज्ञान डॉक्यूमेंट के शिक्षा कार्यसमूह द्वारा प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र से संबंधित निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार है:

संकेतक	वर्तमान	2047 हेतु लक्ष्य	
साक्षरता दर (आयु 7 वर्ष और उससे अधिक)	76.4% (2023-24)	100%	
GER (एलीमेंट्री/ सेकेन्डरी /हायर सेकेन्डरी) %	80.2/67/43.9 (2023-24)	100/100/100	
संकेतक	वर्तमान	2029 हेतु लक्ष्य	2047 हेतु लक्ष्य
ओवरऑल राष्ट्रीय एचीवमेंट स्कोर	53	62.5	76.25
वोकेशनल स्ट्रीम (NSQF) में छात्रों की भागीदारी (कक्षा 9-12)	~14% (2023-24)	25%	40%
NAAC से मूल्यांकित उच्च शिक्षण संस्थान	31% (2023)	80%	100%
NIRF ओवर ऑल रैंकिंग (टॉप 100)	3	5	8
QS वर्ल्ड रैंक 500 में उच्च शिक्षण संस्थान	1	2	3
उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टार्ट-अप की संख्या	295	500	1500
खेल अकादमियों की संख्या	18	20	24
राष्ट्रीय खेलों में रैंक	3rd	2nd	1st



संदर्भ:

- स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन
- उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन
- तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मध्यप्रदेश शासन
- शिक्षा के लिए संयुक्त जिला सूचना प्रणाली (UDISE+) पोर्टल, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
- उच्च शिक्षा का अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) पोर्टल, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत

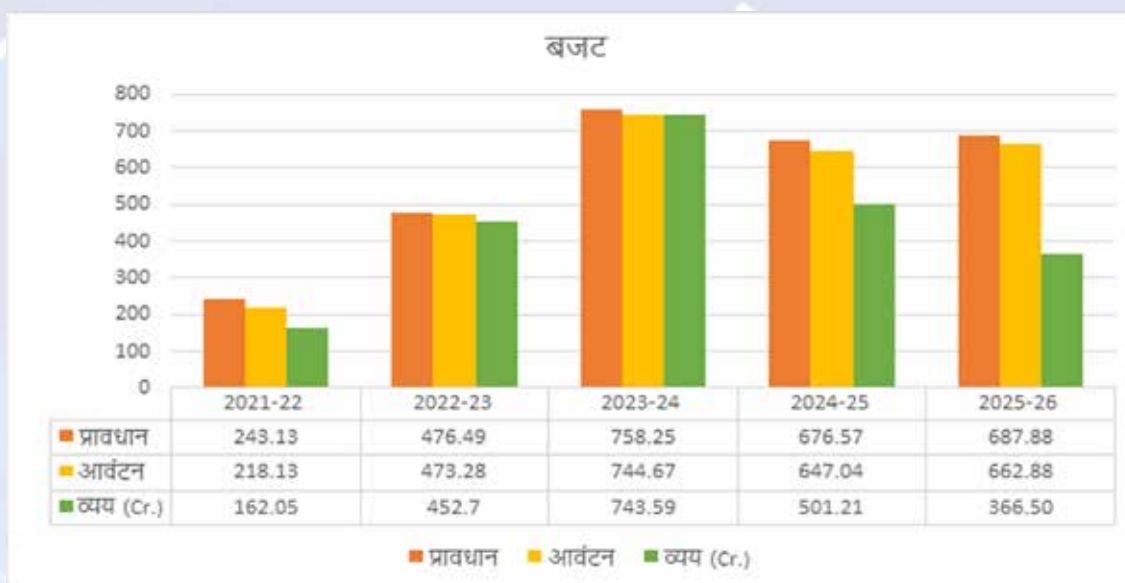


खेल एवं युवा कल्याण

प्रस्तुत अध्याय में खेल एवं युवा कल्याण से संबंधित जानकारी उल्लेखित है। प्रमुखतः खेल एवं युवा कल्याण, राष्ट्रीय सेवा योजना, रेड रिबन क्लब, जन अभियान परिषद तथा युवा मिशन की जानकारी विस्तार से समाहित की गई है। Social impact of sport by UNESCO 2024 की रिपोर्ट दर्शाती है कि खेल और शारीरिक गतिविधियों में निवेश किए गए प्रत्येक 1 डॉलर के बदले समाज को 3 से 124 डॉलर तक का प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। खेलों में सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (SROI) मानव पूंजी के विकास में इसके रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है। खेल एवं युवा कल्याण शिक्षा और सेवा क्षेत्र के विज्ञान का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। युवाओं को खेल शिक्षा प्रदान करना उनके समग्र विकास, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने, टीमवर्क, नेतृत्व और अनुशासन जैसे आवश्यक जीवन कौशलों को प्रोत्साहित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

11.1 खेल और युवा कल्याण

खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में खेल व खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही है, इनमें से खेल अकादमियों का संचालन, खेल अधोसंरचना का निर्माण, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के तहत खेल पुरस्कार, खेलवृत्ति (छात्रवृत्ति), पदक अर्जित करने पर खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार व खेल संघों को खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना प्रमुख है।



स्रोत - संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण भोपाल, (2025-26 व्यय 3 फरवरी 2026)*

चित्र 11.1 बजट विवरण

खेल अकादमियों का संचालन योजना अंतर्गत विभाग द्वारा 18 खेलों की 11 अकादमियां खेल हॉकी (पुरुष व महिला), शूटिंग, घुड़सवारी, वाटर स्पोर्ट्स (रोइंग, क्याकिंग-कैनोइंग, स्लालम व सेलिंग) मार्शल आर्ट अकादमी (जूडो, फेन्सिंग, ताईक्वांडो, बॉक्सिंग, कराते, कुश्ती) एथलेटिक्स, ट्रायथलॉन, बैडमिंटन, क्रिकेट, तीरंदाजी अकादमी व प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है।

विकसित मध्यप्रदेश विजन @2047

खेल और युवा कल्याण का घटक, शिक्षा तथा सेवा क्षेत्र के विजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

तालिका 11.1 विकसित मध्यप्रदेश संदर्भित

कार्यवाही क्षेत्र	कार्यवाही विवरण	2029 (अल्पकालिक)	2047 (दीर्घकालिक)
अन्य सेवाएं: खेल-कौशल और श्रम	चिकित्सा सुविधाओं तथा आवास सहित विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं एवं एकीकृत खेल गांवों का निर्माण करना।		3 सुविधा स्थल और गांव
अन्य सेवाएं: खेल - विपणन और संवर्धन	खेल गंतव्य के रूप में आकर्षित करने हेतु कम से कम 2 खेलों के लिए वैश्विक विश्व कप की मेजबानी करें।		कम से कम 2 विश्व कप
अन्य सेवाएं: खेल - विपणन और संवर्धन	खेलों में पेशेवर करियर को बढ़ावा देने के लिए एक वर्ष में स्काउटिंग कार्यक्रम आयोजित करें।	+10 कार्यक्रम	
अन्य सेवाएं: खेल - साझेदारी	सुविधाओं पर प्रत्यायन तथा मान्यता ढांचे को परिभाषित करने के लिए खेल परिषदों के साथ साझेदारी।	NA	निरंतर
संकेतक	वर्तमान	2030 लक्ष्य	2047 लक्ष्य
स्पोर्ट्स अकादमियों (विश्वविद्यालय) की संख्या	18	20	24
सभी शैक्षणिक संस्थानों के औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाते हुए खेल, कला और कल्याण से जुड़े संरचित कार्यक्रमों को एकीकृत किया जाए।	√	√	
स्पोर्ट्स में राष्ट्रीय रैंक	4	3	2

युवा आबादी को खेल शिक्षा प्रदान करना समग्र विकास, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य तथा टीम वर्क, नेतृत्व और अनुशासन जैसे जीवन कौशल को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। स्टेडियम, सुविधाएं, प्रशिक्षण सहित खेल अधोसंरचना खेल के माध्यम से मध्यप्रदेश को खेलों का प्रमुख स्पोर्ट्स हब बनाना है, जिससे युवा प्रशिक्षण एवं अभ्यास कर कौशल तथा आत्मविश्वास, विकसित कर सकते हैं एवं प्रमुख खेल आयोजनों में भाग ले सकते हैं। नीचे प्रस्तुत किए गए मैट्रिक्स अल्पावधि (2029) और दीर्घावधि (2047) के लिए खेल संबंधी संकेतकों और लक्ष्यों को उजागर करते हैं।



विभाग द्वारा संचालित खेल अकादमियों व फीडर सेन्टर में 1039 खिलाड़ियों को बोर्डिंग व डे-बोर्डिंग योजना अंतर्गत प्रवेश प्रदान कर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल किट, उपकरण, प्रशिक्षण व खेल अधोसंरचना उपलब्ध कराई जा रही है। खेल अकादमियों में 80% खिलाड़ी म.प्र. के तथा अधिकतम 20% खिलाड़ी अन्य राज्यों के खिलाड़ियों को प्रवेश देने का प्रावधान है। उपरोक्त के अलावा जिला नरसिंहपुर में बालक खिलाड़ियों हेतु व्हालीबॉल खेल का छात्रावास संचालित है, जिसमें प्रवेश संख्या 14 है।

खेल अधोसंरचना

भोपाल को स्पोर्ट्स हब बनाने तथा प्रदेश में स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्राम-नाथू बरखेड़ा भोपाल में राशि ₹. 985.76 करोड़ की लागत से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर की खेल अधोसंरचना निर्माण में मध्यप्रदेश राज्य अग्रणी राज्यों की श्रेणी में है। प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 20 सिन्थेटिक हॉकी टर्फ निर्मित है तथा 04 सिन्थेटिक हॉकी टर्फ निर्माणाधीन है इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 10 एथलेटिक्स सिन्थेटिक टर्फ निर्मित तथा 06 निर्माणाधीन है। खेल विभाग के स्वामित्व के 120 स्टेडियम/खेल प्रशिक्षण केन्द्र निर्मित है तथा 23 निर्माणाधीन है।

ओलम्पिक गेम्स फ्रांस (पेरिस)- 2024

फ्रांस (पेरिस) ओलम्पिक गेम्स में मध्यप्रदेश से 02 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभागिता की गई। फ्रांस (पेरिस) ओलम्पिक गेम्स-2024 में भारतीय हॉकी दल द्वारा कांस्य पदक अर्जित किया गया, जिसमें मध्यप्रदेश के हॉकी खिलाड़ी श्री विवेक सागर द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।

पैरा-ओलम्पिक गेम्स फ्रांस (पेरिस)-2024

फ्रांस (पेरिस) पैरा ओलम्पिक गेम्स-2024 में मध्यप्रदेश से 03 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभागिता की गई। राज्य शूटिंग अकादमी के खिलाड़ी द्वारा 1-कांस्य पदक एवं मध्यप्रदेश मार्शल आर्ट अकादमी के खिलाड़ी द्वारा 1-कांस्य पदक अर्जित कर देश एवं प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्जित उपलब्धियां

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में अर्जित प्रमुख उपलब्धियां अधोलिखित तालिका में क्रमवार प्रस्तुत है :-

तालिका 11. 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्जित प्रमुख उपलब्धियाँ

क्र.	प्रतियोगिता	दिनांक	स्थान	विधा	उपलब्धि/ पुरस्कार
1	जूनियर एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप	24 से 27 अप्रैल 2024	दुबई	एकता प्रदीप डे 3000 मी. रन 5000 मी. रन	स्वर्ण पदक रजत पदक
				विनोद सिंह 5000 मी. रन	रजत पदक
				देव मीणा-(पोल वॉल्ट) विकास कुमार बिंद 3000 मी. रन	कांस्य पदक कांस्य पदक
2	वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप	27 से 31 अगस्त 2024	लीमा (पेरू)	एकता डे - 8000 मीटर दौड़	भागीदारी
				देवेश कुमार - पोल वॉल्ट	भागीदारी
3	एशियन क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप	20 अक्टूबर 2024	हांगकांग	विनोद सिंह - 8 कि.मी. दौड़	स्वर्ण पदक
				एकता डे- 6 कि.मी. दौड़	स्वर्ण पदक
4	साउंड रनिंग ट्रैक फेस्ट	11 मई 2024	लास एंजिल्स	दीक्षा - 1500 मीटर दौड़	कांस्य पदक
5	एशियन इंडोर रोइंग चैम्पियनशिप	10 से 11 अगस्त 2024	पेनांग (मलेशिया)	खुशप्रीत कौर - वूमेन डबल	कांस्य पदक
6	एशियन रोइंग चैम्पियनशिप (अंडर-19 / अंडर-23)	11 से 14 सितम्बर 2024	शेनयांग (चीन)	हरिओम ठाकुर - अंडर-19 डबल स्कल	भागीदारी
				जिज्ञासा रेंजर - डबल स्कल	भागीदारी
				संतोष यादव - डबल स्कल	भागीदारी
7	12वीं सुल्तान ऑफ जोहोर कप (हॉकी)	19 से 26 अक्टूबर 2024	जोहोर बहारू (मलेशिया)	अंकित पाल - टीम प्रतिनिधित्व	सहभागिता
				मो. कोनन दाद	कांस्य पदक
8	द्वितीय वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप	29 अगस्त से 08 सितम्बर 2024	हनोवर (जर्मनी)	चेतन हेमंत सपकाल - 10 मीटर एयर पिस्टल	कांस्य पदक
9	द्वितीय वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैम्पियनशिप	29 अगस्त से 08 सितम्बर 2024	हनोवर (जर्मनी)	चेतन हेमंत सपकाल - 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल	कांस्य पदक
				चेतन हेमंत सपकाल - 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल	कांस्य पदक
10	आई.एस.एस.एफ. जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप	26 सितम्बर से 07 अक्टूबर 2024	नई दिल्ली	सूरज शर्मा - 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल (जूनियर पुरुष टीम)	स्वर्ण पदक



क्र.	प्रतियोगिता	दिनांक	स्थान	विधा	उपलब्धि/ पुरस्कार
11	ग्रैंड प्रिक्स राइफल प्रतियोगिता	10 से 21 मार्च 2024	पोलैंड	आशी चौकसे - 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन (सीनियर महिला व्यक्तिगत)	रजत पदक
12	इसास कॉम्पीटीशन राइफल प्रतियोगिता	15 मार्च से 22 मार्च 2024	डोर्टमुंड (जर्मनी)	आशी चौकसे - 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन (सीनियर महिला, व्यक्तिगत)	स्वर्ण पदक
				ऐश्वर्य प्रताप - 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन (सीनियर पुरुष, व्यक्तिगत)	रजत पदक
13	आई.एस.एस.एफ. राइफल वर्ल्ड कप	31 मई से 08 जून 2024	म्यूनिख (जर्मनी)	आशी चौकसे - 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन (सीनियर महिला, व्यक्तिगत)	भागीदारी
				ऐश्वर्य प्रताप - 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन (सीनियर पुरुष, व्यक्तिगत)	भागीदारी
14	ओलंपिक गेम्स राइफल	26 जुलाई से 05 अगस्त 2024	पेरिस (फ्रांस)	ऐश्वर्य प्रताप - 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन (सीनियर पुरुष, व्यक्तिगत)	भागीदारी
15	द्वितीय वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप	31 अगस्त से 07 सितम्बर 2024	हनोवर (जर्मनी)	कुशाग्र सिंह राजावत - 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन (सीनियर पुरुष) एवं 50 मीटर राइफल प्रोन पोजीशन (पुरुष, व्यक्तिगत)	भागीदारी
16	आई.एस.एस.एफ. जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप	26 सितम्बर से 07 अक्टूबर 2024	लीमा (पेरू)	शिवेन्द्र सिंह सिसोदिया - 50 मीटर राइफल प्रोन पोजीशन (जूनियर पुरुष, व्यक्तिगत)	भागीदारी
17	41वीं चुन चेन कोरिया 2024 वर्ल्ड ताइक्वांडो जूनियर चैंपियनशिप	01 अक्टूबर से 06 अक्टूबर 2024	चुन चेन (कोरिया)	हरमन सिंह गिल - 55 कि.ग्रा. भार वर्ग	भागीदारी
18	एशिया एवं दक्षिण एशिया ट्रायथलॉन चैंपियनशिप	—	पोखरा (नेपाल)	दुर्विशा पवार	रजत पदक
19	एशिया एवं दक्षिण एशिया ट्रायथलॉन चैंपियनशिप	—	पोखरा (नेपाल)	अंकुर चहार, अभिषेक मोडवाल	भागीदारी
20	पेंटाथलॉन ट्रायथलॉन बायथलॉन विश्व चैंपियनशिप	—	मिस्र	यश बाथरे	रजत पदक
				यश बाथरे	कांस्य पदक

क्र.	प्रतियोगिता	दिनांक	स्थान	विधा	उपलब्धि/ पुरस्कार
21	कॉमनवेल्थ करांते प्रतियोगिता	20 अक्टूबर 2024	डरबन (दक्षिण अफ्रीका)	धड़कन शाह - जूनियर 52 कि.ग्रा. कुमिटे	स्वर्ण पदक
				अनुज गोस्वामी - जूनियर 60 कि.ग्रा. टीम कुमिटे	स्वर्ण पदक
				अनुज गोस्वामी - जूनियर 60 कि.ग्रा. टीम कुमिटे	स्वर्ण पदक
				आकाश सोलंकी - जूनियर 60 कि.ग्रा. टीम कुमिटे	कांस्य पदक

- मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए वर्ष 2024-25 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण-12, रजत-19, कांस्य-20, कुल 51 पदक अर्जित कर देश एवं प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 में खिलाड़ियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7 स्वर्ण, 10 रजत एवं 6 कांस्य कुल 23 पदक एवं 31 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिनिधित्व कर देश एवं प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया।

38वें नेशनल गेम्स, उत्तराखण्ड

- 38वें नेशनल गेम्स, उत्तराखण्ड में मध्यप्रदेश से 27 खेलों में 335 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभागिता कर 34 स्वर्ण, 25 रजत, 23 कांस्य, इस प्रकार कुल 82 पदक अर्जित कर देश में चौथा स्थान व सर्विसेज की टीम द्वारा अर्जित पदकों को हटाकर राज्यों में तीसरा स्थान अर्जित किया।

राष्ट्रीय स्तर पर अर्जित उपलब्धियां

- मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण 106, रजत 68, कांस्य 60, इस प्रकार कुल 234 पदक अर्जित कर प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया। इसी प्रकार वर्ष 2025-26 में उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में 86 स्वर्ण, 67 रजत एवं 61 कांस्य कुल 214 पदक अर्जित कर मध्यप्रदेश का नाम गौरवान्वित किया।
- पहली बार मध्यप्रदेश के खिलाड़ी श्री रजत पाटीदार को, IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम का कप्तान बनाया गया है।

खिलाड़ियों को सम्मान व पुरस्कार

अर्जुन पुरस्कार -

- सुश्री रुबीना फ्रांसिस (पिस्टल शूटिंग) एवं श्री कपिल परमार (ब्लाइंड जूडो खिलाड़ी) को भारत सरकार द्वारा उनकी उपलब्धियों के आधार पर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

शिखर खेल अलंकरण -

- विभाग द्वारा खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं खेल हस्तियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष चयनित खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं 01 खेल हस्ती को सम्मानित किया जाता है। इसके अंतर्गत 15 जूनियर खिलाड़ियों



को एकलव्य पुरस्कार, 12 सीनियर खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार, 03 प्रशिक्षकों को विश्वामित्र पुरस्कार, तथा जीवन पर्यन्त खेलों में योगदान देने वाली 01 खेल हस्ती को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड एवं मलखंब खेल में 01 स्वर्गीय श्री प्रभा जोशी पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

- वित्तीय वर्ष 2024-25 में विक्रम पुरस्कार प्राप्त 28 खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति प्रदान की गई।

पुरस्कार एवं प्रोत्साहन राशि

- खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक अर्जित करने वाले 1375 खिलाड़ियों को राशि ₹. 116.00 लाख, अधिकृत राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक अर्जित करने वाले 228 खिलाड़ियों को राशि ₹. 153.00 लाख, अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक अर्जित करने वाले 51 खिलाड़ियों को राशि ₹. 37.83 लाख, पेरिस ओलम्पिक 2024 में 03 कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को राशि ₹. 150.00 लाख, प्रतिभागिता करने वाले 03 खिलाड़ियों को ₹. 30.00 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। इसी प्रकार राज्य स्तरीय, अखिल भारतीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु 19-खेल संघ संस्थाओं को राशि ₹. 50.80 लाख प्रोत्साहन राशि स्वीकृति वर्ष 2024-25 में प्रदान की गई है। बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर वर्ल्ड कप 2025 की विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य सुश्री क्रांति गौड़ (छतरपुर) को ₹. 1.0 करोड़ की प्रोत्साहन राशि एवं टी 20 महिला वर्ल्ड कप (ब्लाइन्ड) 2025 में महिला क्रिकेट टीम द्वारा नेपाल को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने पर 03 खिलाड़ियों सुश्री सुनीता सराठे (नर्मदपुरम), सुश्री सुषमा पटेल (दमोह), सुश्री दुर्गा येवले (बैतूल) को सम्मानित कर प्रोत्साहन स्वरूप राशि 25-25 लाख रुपये प्रदान किए गए।
- एशियन गेम्स में पदक विजेता श्री मो0 यूसुफ, श्री समीर दाद, श्री मेहबूब खान, सुश्री मधु यादव, श्री मीर रंजन नेगी, श्री जी. एल. यादव एवं श्री शिवेन्द्र सिंह को प्रति माह राशि ₹. 12,000/- सम्मान निधि प्रदान की जा रही है तथा 02 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी श्री असलम शेरखान एवं श्री इनाम उर रहमान को प्रतिमाह राशि ₹. 10,000/- सम्मान निधि प्रदान की जा रही है।

युवा गतिविधियाँ

- ग्रामीण युवा केन्द्र - युवाओं को सही मार्गदर्शन एवं नेतृत्व प्रदान कर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से 55 जिलों के 313 विकास खण्डों में ग्रामीण युवा केन्द्र स्वीकृत है। प्रत्येक विकास खण्ड के ग्रामीण युवा केन्द्र में संविदा युवा समन्वयक का पद स्वीकृत है। ग्रामीण युवा केन्द्रों के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य दिवस, श्रम दिवस, तम्बाकू निषेध दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, सद्भावना दिवस, अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, हिन्दी दिवस, गांधी जयंती, बाल दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व मानव अधिकारी दिवस, विश्व महिला दिवस, नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती (पराक्रम दिवस) का आयोजन किया जाता है तथा समाज में फैली कुरीतियों जैसे दहेज/बाल विवाह, मृत्यु भोज आदि के क्षेत्र में समाज को जागृत करने संबंधी कार्य किए जाते हैं। प्रदेश के विकास खण्डों पर संचालित ग्रामीण युवा केन्द्रों के माध्यम से युवाओं को खेल प्रशिक्षण हेतु खेल सामग्री यथा-हॉकी स्टीक, हॉकी बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, आदि प्रदान किए जाते हैं।

युवा उत्सव

- युवा उत्सव के तहत प्रतिवर्ष जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर 18 विधाओं में युवा कलाकार प्रतिभागिता करते हैं, तथा राज्य स्तर पर विजेता दल राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 2024-25 में 28वें राष्ट्रीय युवा उत्सव, दिनांक 11 से 12 जनवरी, 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें मध्यप्रदेश के 45 युवाओं द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।

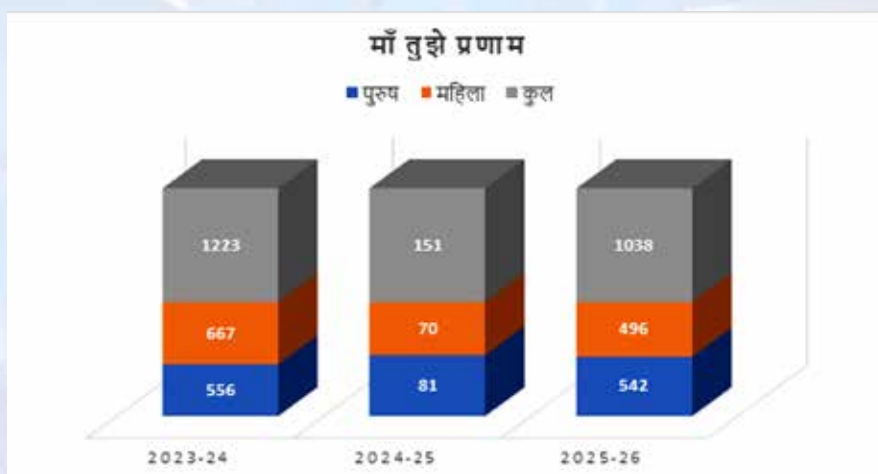
पार्थ योजना

प्रदेश के ऊर्जावान युवाओं को पुलिस एवं आर्मी में देश प्रेम की भावना जागृत करने हेतु Police Army Recruitment Training & Hunar (PARTH) योजना तैयार की गई है, जिसका आरम्भ 08 जनवरी 2025 को भोपाल में किया गया। प्रदेश के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस, पैरा मिलिट्री आदि में रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु शारीरिक व मानसिक रूप से प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु यह योजना संचालित की जा रही है।

युवाओं को शारीरिक दक्षता (फिजीकल टेस्ट), लिखित परीक्षा (सामान्य ज्ञान, गणित, अंग्रेजी आदि) व व्यक्तित्व विकास हेतु प्रशिक्षण विषय विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा। यह पहल राज्य के सात जिला मुख्यालयों में प्रारंभ की गई। 17 से 33 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थी इससे लाभान्वित हो रहे हैं तथा हाल के तीन महीनों की अवधि में पूरे राज्य में लगभग 350 युवाओं (अगस्त 2025) को प्रशिक्षित किया गया है।

मां तुझे प्रणाम योजना

- मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के युवाओं में देश की सीमाओं की सुरक्षा के प्रति जागृति लाने, राष्ट्र के प्रति समर्पण, साहस की भावना जाग्रत करने एवं युवाओं को सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलों के प्रति आकर्षित करने के उद्देश्य से “मां तुझे प्रणाम” योजना वर्ष 2013 में प्रारंभ की गई थी।
- योजनान्तर्गत प्रदेश के 15 से 25 वर्ष की आयु के 10 प्रतिभाशाली युवाओं (05 युवक एवं 05 युवतियों) जिसमें 01 एन.सी.सी., 01 एन.एस.एस, 01 खिलाड़ी, 01 मेधावी छात्र, 01 स्काउट क्षेत्र एवं इसी मान से युवतियों का चयन प्रत्येक जिले के प्रत्येक विकास खण्ड में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जाता है। अनुभव यात्रा हेतु आवेदक से विधिवत् आवेदन पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र तथा फिटनेस सर्टिफिकेट प्रत्येक विकास खण्ड से प्राप्त कर जिला स्तर पर चयन किया जाता है।
- चयनित युवाओं को विभिन्न समूहों में देश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा भ्रमण के लिये ले जाया जाता है एवं कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से सीमावर्ती भूमि में शहीदों को युवाओं द्वारा अपने निवास क्षेत्र से ले जाये गये जल से श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है तथा राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा कर युवाओं के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया गया है। युवाओं द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र के रहवासियों की मदद से उस क्षेत्र के पशुपालन, कृषि, व्यवसाय, उद्योग धंधे, सिंचाई, सुविधाएं, भौगोलिक विशेषताएं, संस्कृति, रीति-रिवाज, मान्यताएं, त्यौहार इत्यादि का भी अध्ययन किया जाता है। विगत तीन वर्षों का विवरण निम्नांकित चार्ट में प्रस्तुत है:-



चित्र 11.2 विगत तीन वर्ष उपलब्धि माँ तुझे प्रणाम



- युवाओं द्वारा सभी शहीदों के रक्त से सिंचित सीमा क्षेत्र की मिट्टी से स्वयं को व अपने ग्राम/नगर वासियों को भी तिलक किया जाता है एवं यात्रा की समाप्ति के पश्चात् अपने रोमांचक अनुभव एवं अर्थपूर्ण जानकारीयां अपने ग्राम/नगर व समाज के अन्य लोगों के साथ उत्साहपूर्वक साझा किए जाते हैं। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित “मां तुझे प्रणाम” योजना में चयनित युवाओं को गृह निवास का यात्रा किराया, दैनिक भत्ता, आवास, भोजन, स्थानीय यातायात व्यवस्था, बोगी का आरक्षण, ट्रेक सूट, टी-शर्ट, किट बैग उपलब्ध कराये जाते हैं। 72 सदस्यीय दल अनुभव यात्रा पर भेजा जाता है, जिसमें 65 युवा, 05 विभागीय अधिकारी/कर्मचारी तथा 02 पुलिस अधिकारियों को सम्मिलित किया जाता है।
- माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के पालन में युवाओं को देश के अलावा प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक स्थानों से परिचय कराने की कार्य योजना तैयार की गई है जिसके अनुसार युवाओं को प्रदेश के 6-जोन में भ्रमण कराया जा रहा है। योजना प्रारम्भ से लेकर वर्तमान (नवंबर 2025) तक 17,343 युवक/युवतियों को भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा/राष्ट्रीय स्मारकों की अनुभव यात्रा कराई जा चुकी है।

प्रमुख उपलब्धियाँ

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘मन की बात’ में उल्लेख के बाद जिला शहडोल के मिनी ब्राजील विचारपुर गांव के फुटबॉल खिलाड़ियों को अब जर्मनी का प्रतिष्ठित क्लब FC Ingolstadt 4 वर्ल्ड-क्लास ट्रेनिंग का अवसर दे रहा है। क्लब द्वारा विचारपुर के 5-खिलाड़ियों और 1 प्रशिक्षक को यह मौका प्रदान किया गया एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु जर्मनी भेजा गया।
- बिरसा मुंडा जयंती 15 नवम्बर 2025 के अवसर पर वर्ल्ड कप 2025 की विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य सुश्री क्रांति गोंड को रू. 1.00 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।
- हॉकी एशिया कप 2025 राजगीर बिहार (07 सितम्बर 2025) श्री विवेक प्रसाद सागर द्वारा हॉकी एशिया कप 2025 में भारतीय हॉकी दल के सदस्य रहते हुए स्वर्ण पदक अर्जित कर देश एवं प्रदेश को गौरवान्वित किया है।
- 16वीं एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप, कजाकिस्तान (दिनांक 18 से 30 अगस्त 2025) - मध्यप्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी, भोपाल के द्वारा 12 स्वर्ण, 03 रजत एवं 02 कांस्य पदक इस प्रकार कुल 17 पदक अर्जित किये, जिसमें रायफल ईवेन्ट 4 स्वर्ण, 01 रजत पदक शॉटगन ईवेन्ट 04 स्वर्ण, 01 रजत, 02 कांस्य एवं पिस्टल ईवेन्ट 04 स्वर्ण, 01 रजत पदक सम्मिलित है।
- खेलो इण्डिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, श्रीनगर (दिनांक 21 से 23 अगस्त 2025) - प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में क्याकिंग कैनोइंग, केनो स्लालम एवं रोइंग विधाओं में मध्यप्रदेश पदक सूची में 10 स्वर्ण, 03 रजत, 05 कांस्य, इस प्रकार कुल 18 पदक अर्जित कर राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
- एशियन केनो स्लालम चैम्पियनशिप जियासी गुइझोउ, चीन में दिनांक 14 से 17 अगस्त 2025 तक आयोजित चैम्पियनशिप में मध्यप्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की खिलाड़ी शिखा चौहान, पल्लवी जगताप एवं रीना सेन ने महिला टीम इवेन्ट वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अर्जित किया।

विकसित भारत यंग लीडर्स चैलेंज प्रतियोगिता 2025

- 45 प्रतिभागी दिनांक 11 एवं 12 जनवरी 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में प्रतियोगिता में शामिल हुए।
- 36 राज्यों से 45 प्रतिभागियों के मान से कुल 1620 प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया।

- 10 टॉपिक के लिए 25 प्रतिभागियों के मान से समूह बनाया गया, जिसमें मध्यप्रदेश के 4 प्रतिभागियों को सम्मिलित किया गया। चयनित प्रतिभागियों ने माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के समक्ष टॉपिक की प्रस्तुति एवं संवाद किया।

नवाचार

- प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजा जा रहा है तथा विदेशी प्रशिक्षकों को भी आमंत्रित किया जा रहा है।

उत्तम प्रथा

अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता के लिए प्रतिभागों को उजागर करना - अत्याधुनिक "खेल विज्ञान केंद्र" (I-SHAPE) -

मध्यप्रदेश में खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने एथलेटिक प्रदर्शन में सुधार के लिए एक उन्नत खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना की है। केंद्र एथलीटों की ताकत, तकनीक तथा कंडीशनिंग का मूल्यांकन करने और बढ़ाने के लिए परिष्कृत उपकरणों एवं वीडियो एनालिटिक्स का उपयोग करता है। इसमें एक पुनर्वास केंद्र भी है। केंद्र को आई-शेप (इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स हाई परफॉर्मेंस एंड फिजिकल एक्सीलेंस) के रूप में पुनः लॉन्च किया गया, जो एथलेटिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए खेल विज्ञान का उपयोग करने के अपने व्यापक उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। केंद्र वर्तमान में 14 पेशेवरों के साथ 10 इकाइयों के साथ काम करता है।

सेवाए - खेल फिजियोथेरेपी तथा पुनर्वास, खेल पोषण, शक्ति और कंडीशनिंग प्रशिक्षण, खेल मनोविज्ञान, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, खेल वीडियो विश्लेषण, बायोमैकेनिकल विश्लेषण, नर्सिंग देखभाल, खेल मालिश एवं कल्याण और योग।

खेलो इंडिया

खेलो इंडिया युवाओं में खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य छात्रवृत्ति, बुनियादी ढांचे के विकास एवं प्रशिक्षण सुविधाओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभागों की पहचान करना तथा उनका पोषण करना है। मध्यप्रदेश खेलो इंडिया पहल में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, जो भारत के खेल परिस्थिति की तंत्र में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभर रहा है। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ-2025 में मध्यप्रदेश ने 32 पदक (10 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य) पदक अर्जित कर अपना साराहनीय प्रदर्शन किया।

11.2 राष्ट्रीय सेवा योजना (रासेयो/NSS)

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में राष्ट्रीय सेवा योजना (रा.से.यो./एन.एस.एस./NSS) इस आशय के साथ प्रारम्भ की गई कि शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों में सामाजिक दायित्व, चेतना, स्वप्रेरित अनुशासन के साथ श्रम के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न हो, विद्यार्थी अवकाश का सदुपयोग करने हेतु समाज सेवा करें तथा अपनी शिक्षा की पूर्णता हेतु वास्तविक परिस्थितियों से साक्षात्कार भी कर सकें।

राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्य

राष्ट्रीय सेवा योजना का मूल उद्देश्य "समाजसेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास" करना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों से अपेक्षा भी की गई है कि वे :-

- जिस समाज के काम करते हैं उसे समझने का प्रयास करें।



- समाज की आवश्यकताओं का अनुभव करें, उनकी कठिनाइयों को समझें एवं यथा संभव समस्या निवारण के लिए सक्रिय हो।
- सामाजिक नागरिक दायित्व बोध की भावना का स्वयं में विकास करें।
- शिक्षा का उपयोग व्यक्ति तथा समाज की कठिनाइयों के व्यवहारिक हल ढूँढने में करें।
- सामाजिक सहभागिता को सक्रिय/सुदृढ़ बनाने के लिए कौशल विकसित करना।
- नेतृत्व के गुण को धारण करें तथा प्रजातांत्रिक अभिवृत्ति स्वीकार करें।
- आपातकाल एवं दैवीय आपदाओं का सामना करने की क्षमता का विकास करें।
- राष्ट्रीय एकता को क्रियात्मक स्वरूप दें।

राष्ट्रीय सेवा योजना के विभिन्न शिविर

- संस्था/इकाई स्तर शिविर
- जिला स्तर शिविर
- विश्वविद्यालय स्तर नेतृत्व शिविर
- राज्य स्तर नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर
- युवा उत्सव
- मेगा शिविर
- राष्ट्रीय एकता शिविर
- साहसिक गतिविधि शिविर
- गणतंत्र दिवस परेड शिविर
- अंतर्राष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम

पुरस्कार

- राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार (भारत सरकार, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रदत्त)
- मध्यप्रदेश राज्य स्तर राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार/प्रशस्ति (म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त)

राष्ट्रीय सेवा योजना (रासेयो) सत्र 2025-26 में भारत सरकार युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय/राज्य शासन द्वारा आवंटित चुनिंदा विशेष कार्य

राष्ट्रीय सेवा योजना की अन्य सभी गतिविधियों के साथ ही मेरा भारत युवा पोर्टल के माध्यम से स्वयंसेवकों व संस्थाओं को ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रदायी हेतु स्वयंसेवकों के पंजीयन के साथ ही आयोजित की जाने वाली गतिविधियों को पूर्व में ही इवेंट क्रीएट कर आयोजन उपरांत रिपोर्ट, फोटोग्राफ अपलोड कर गतिविधियों को वैश्विक स्वरूप प्रदान किया गया है, जिससे संपूर्ण भारत का युवा इससे लाभान्वित हो रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्र, छात्राओं के व्यक्तित्व विकास के लक्ष्य के साथ योजना आगे बढ़ती है जिससे रासेयो गतिविधियां देश के आर्थिक उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके तहत संस्था परिसर/गोद ग्रामों में सफाई अभियान, प्रांगण विकास, वाटिका निर्माण, समग्र स्वच्छता, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान आदि गतिविधियां संचालित की जाती हैं। जल संरक्षण के लिए सोख्ता गड्ढों का निर्माण, स्टॉप

डैम और जल पुनर्भरण जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। सौर ऊर्जा तथा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के प्रति जागरूकता, आपदा प्रबंधन, प्रौढ शिक्षा एवं स्कूल चलो अभियान के माध्यम से शाला त्यागी बच्चों को शाला में प्रवेश के लिए प्रेरित किया जाता है। एड्स जन-जागरूकता, स्वस्थ जीवन शैली, नशा मुक्तिकरण, घटते लिंगानुपात की समस्या का समाधान, बाल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर जन जागरूकता बढ़ाने का कार्य रासेयो स्वयंसेवकों द्वारा किया जाता है। जन जागरूकता संबंधी उक्त समस्त कार्य नुक्कड़ नाटक, रैली, मानव शृंखला, पोस्टर, स्लोगन, फेस पेंटिंग आदि के माध्यम से संचालित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना की इन समस्त गतिविधियों से न केवल स्वयंसेवकों का व्यक्तित्व विकास होता है बल्कि स्व-अनुशासित युवा के साथ सकारात्मक सोच के युवा में नेतृत्व का गुण विकसित होते हुए समाज में जागरूकता और आर्थिक मजबूती का संचार होता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों से संबंधित प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

- प्रदेश में राष्ट्रीय सेवा योजना संबद्ध संस्थाओं द्वारा लगभग 1297 ग्राम गोद लिए गये हैं जिनमें की गई गतिविधियां उस ग्राम के आर्थिक व सामाजिक उन्नयन को गति प्रदान कर रही है।
- गोद ग्रामों में स्वयंसेवकों द्वारा श्रमदान के माध्यम से नाडेप, सोख्ता गड्ढा, मैदान समतलीकरण, तालाब गहरीकरण आदि स्थाई परिसम्पत्ति निर्माण के साथ ही गांव को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का प्रयास किया जाता है।
- राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा किया गया वृक्षारोपण पर्यावरण संवर्धन हेतु अनिवार्य है जो दीर्घकालीन आर्थिक गति का परिचायक है।
- रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण शिविर आदि ग्राम में सामुदायिक सेवा के साथ-साथ आर्थिक मजबूती भी प्रदान करते हैं।
- दो वर्ष में 240 घंटे की सेवा उपरान्त स्वयंसेवकों को दिए जाने वाला बी प्रमाण पत्र तथा उसके उपरान्त सी प्रमाण पत्र निश्चित ही उनके कैरियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार तथा म.प्र. राज्य स्तर राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार युवाओं द्वारा किए गये सेवा कार्यों को प्रमाणित करता है, जिससे अन्य युवा भी प्रभावित होकर पूर्ण ऊर्जा व लगन के साथ कार्य करते हुए देश व समाज को आर्थिक गति प्रदान करते हैं।

तालिका 11.3 रासेयो का विगत तीन वर्षों का भौतिक एवं आर्थिक तुलनात्मक विवरण

क्रं.	विवरण	2023-24	2024-25	2025-26 (30/11/2025)
1	आवंटित विद्यार्थी संख्या	1,56,000	1,56,000	1,56,000
2	बजट अनुदान राशि पात्रता	11,70,00,000	11,70,00,000	11,70,00,000
3	गोद ग्राम	1499	1297	1297
4	वृक्षारोपण; पौधे की संख्या	1,15,200	1,40,233	1,27,305
5	रक्तदान यूनिट	8,700	7,865	5,715



क्रं.	विवरण	2023-24	2024-25	2025-26 (30/11/2025)
6	नेत्र, स्वास्थ्य, टीकाकरण शिविर	800 शिविर, 20,300 स्वयंसेवकों की सहभागिता	732 शिविर, 17,283 स्वयंसेवकों की सहभागिता	327 शिविर, 11,556 स्वयंसेवकों की सहभागिता
7	श्रमदान	46,000 कार्यक्रमों में 4,10,000 स्वयंसेवक घंटे	10,660 कार्यक्रमों में 5,27,874 स्वयंसेवक घंटे	3,590 कार्यक्रमों में 1,46,094 स्वयंसेवक घंटे
8	जन जागरूकता गतिविधि	48,900 कार्यक्रमों में 15,41,100 स्वयंसेवकों की सहभागिता रही	41,868 कार्यक्रमों में 13,94,564 स्वयंसेवकों की सहभागिता रही	6,595 कार्यक्रमों में 2,70,726 स्वयंसेवकों की सहभागिता रही
9	संस्था स्तर विशेष शिविर आयोजन	607	641	13
10	महत्वपूर्ण दिवस गतिविधियाँ	05 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून योग दिवस, 24 सितम्बर रासेयो दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता दौड़, शपथ, 01 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 08 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आदि प्रतिवर्ष संस्था की रासेयो इकाइयों द्वारा पूरी गरिमा से मनाए जाते हैं।		
11	रा.से.यो. युक्त महाविद्यालय	छात्र संख्या के अनुसार 398 पुरुष महाविद्यालय, 195 सह शिक्षा महाविद्यालयों में महिला इकाई, 81 महिला महाविद्यालय, 49 अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 18 पॉलिटेक्निक, 23 चिकित्सा महाविद्यालय, 13 कृषि महाविद्यालय, 12 विधि महाविद्यालय, 13 विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में इकाइयाँ, 05 मुक्त इकाइयों, 01 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, 02 स्कूल आफ सोशल साइंस तथा अन्य छह संस्थानों में इकाइयाँ 1,74,810 स्वयंसेवकों के पंजीयन के साथ संचालित हैं।		
12	रा.से.यो. युक्त विद्यालय	353 पुरुष विद्यालय, 30 सहशिक्षा विद्यालय, 61 महिला विद्यालय, 08 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान एवं 22 नवोदय विद्यालय 03 कृषि विद्यालय में इकाइयाँ संचालित है।		
13	स्व-वित्तीय इकाइयाँ	लगभग 32,000 स्वयं सेवकों के पंजीयन के साथ 312 स्व-वित्तीय इकाइयाँ है।		

विशेष शिविर कार्यक्रम - प्रत्येक रासेयो इकाई अवकाश के दिनों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी के माध्यम में कुछ विशेष परियोजनाओं को लेते हुए गोद ग्राम में 07 दिन का विशेष शिविर आयोजित करती है।

पुरस्कार/प्रशस्ति - रासेयो गतिविधियों के माध्यम से समाज सेवा के क्षेत्र में किए गये उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा तथा राज्य स्तर पर म.प्र. राज्य स्तर राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार/प्रशस्ति पांच श्रेणियों में स्वयंसेवक, संस्था /कार्यक्रम अधिकारी, जिला संगठक, कार्यक्रम समन्वयक विश्वविद्यालय स्तर पर प्रदान किए जाते हैं।

ए, बी, सी पाठ्यक्रम एवं प्रमाण पत्र - मध्यप्रदेश में रासेयो के छात्र-छात्राओं के लिए वर्ष 1990-91 से प्रयोग के रूप में भारत सरकार द्वारा नियमित गतिविधियों के कार्यों को श्रेणीबद्ध करते हुए निर्धारित पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दो वर्ष में 240 घण्टे कार्य पूर्ण करने पर 2 विद्यालय में ए तथा महाविद्यालय के स्वयंसेवकों को बी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। बी प्रमाण पत्र प्राप्त स्वयंसेवकों द्वारा अगले एक वर्ष में चयनित विशेष परियोजना पर 120 घण्टे का निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण करने तथा संबंधित विषय पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखने पर परीक्षणोपरान्त सी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश के प्रमुख नवाचार

- मध्यप्रदेश राष्ट्रीय सेवा योजना नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर
- अनुभवी पूर्व कार्यक्रम अधिकारी की अंशकालीन जिला संगठक के रूप में नियुक्ति।

राष्ट्रीय सेवा योजना का आर्थिक व सामाजिक प्रभाव

राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों के संचालन के लिए भारत सरकार, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा नियमित गतिविधि एवं विशेष शिविर हेतु अनुदान राशि प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियां युवाओं को सामुदायिक सेवा से जोड़ते हुए राष्ट्र निर्माण की ओर प्रेरित करती हैं जिससे युवाओं में स्वयं के व्यक्तित्व व नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। मध्यप्रदेश को 2021-22 में 1,53,700 छात्र संख्या से बढ़ाकर 2022-23 से 1,56,000 विद्यार्थी संख्या आवंटित की गई है; सत्र 2025-26 में उक्त संख्या 1,56,000 से बढ़ाकर 2,00,000 (दो लाख) संख्या कर दी गयी है जिसका संस्थाओं का पंजीयन प्रचलन में है एवं पूर्व संख्या 1,56,000 के अनुसार नियमित गतिविधि एवं विशेष शिविर हेतु कुल रु. 11.70 करोड़ (ग्यारह करोड़ सत्तर लाख रुपये) की पात्रता है। उक्त अनुदान राशि निश्चित ही समाज सेवा गतिविधियों से स्वयंसेवकों को जोड़ने तथा इनके लिए राज्य के समर्पण को दर्शाता है। इन क्षेत्रों में निरंतर निवेश के माध्यम से, मध्यप्रदेश भारत में एक खेल महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है।

तालिका 11.4 मध्यप्रदेश 2025-26 इकाइयों का विवरण

विवरण	वास्तविक रासेयो युक्त संस्थानों की संख्या	रासेयो युक्त इकाइयों (प्रति इकाई 100 स्वयंसेवक)		कुल इकाइयाँ
		महिला	पुरुष	
महाविद्यालय की संख्या	827	296	765	1061
विद्यालय	461	84	415	499
कुल	1,288	380	1,180	1,560

स्रोत-निदेशालय उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

11.3 रेड रिबन क्लब

युवाओं के बीच एच.आई.वी./एड्स जागरूकता एवं स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग की एनएसएस इकाई के समन्वय से प्रदेश के 800 महाविद्यालयों में रेड रिबन क्लब संचालित किये जा रहे हैं। इन क्लबों में एच.आई.वी./एड्स जागरूकता, स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवनशैली से संबंधित विभिन्न गतिविधियां एवं रक्तदान शिविरों के माध्यम से स्वैच्छिक रक्तदान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रयास किये जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा युवाओं के लिए उच्च शिक्षा विभाग NSS के साथ समन्वय से महाविद्यालयों



में रेड रिबन क्लब संचालित किया जा रहे हैं। वर्तमान में 800 रेड रिबन क्लब संचालित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 7 पारंपरिक विश्वविद्यालय स्तरों पर स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए रेड रिबन क्विज तथा महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं हेतु रेड रन आयोजित की गई। विश्वविद्यालय स्तर के विजेताओं हेतु राज्य स्तर पर भी दोनों प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई। जिसमें विजेताओं को पुरस्कार राशि प्रदान की गई। रेड रिबन क्विज की प्रथम विजेता टीम ने हरियाणा में आयोजित रीजनल क्विज प्रतियोगिता में तथा रेड रन के प्रथम एवं द्वितीय विजेताओं (महिला एवं पुरुष श्रेणी) ने राष्ट्रीय स्तर पर दीमापुर, नागालैंड में आयोजित रेड रन में सहभागिता की।

11.4 मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम

मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम मध्यप्रदेश का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जिसमें म.प्र. जन अभियान परिषद् एवं महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के समस्त 313 विकास खण्डों से ओपन एवं डिस्टेंस लर्निंग पद्धति के माध्यम से समाज कार्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत् विकास) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप शैक्षणिक सत्र 2022-23 से संचालित किया जा रहा है।

इस पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य स्वैच्छिकता का भाव रखने वाले नवयुवक नवयुवतियों में ग्राम की स्थानीय आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विकास कार्य की समझ और क्षमता विकसित करना है। इस हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिपादित सतत् विकास लक्ष्यों को आधार मानकर प्रत्येक विद्यार्थी को उसके गांव को सामाजिक प्रयोगशाला मानकर कार्य करना सिखाया जाता है। प्रदत्त कार्यों के रूप में विकास के विविध आयामी और शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार का कार्य किया जाता है।

छात्रों में विकास के प्रमुख आयामों की समझ और सामर्थ्य विकसित करने के लिए पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज, महिला एवं बाल विकास, प्राकृतिक एवं अक्षय कृषि, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, स्वैच्छिकता एवं विकास, आजीविका एवं कौशल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, विधिक विशेषज्ञता, संस्कृति, कला एवं देशज ज्ञान, सामाजिक समरसता के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान की जाती है।

छात्रों में कौशल और स्वरोजगार का भाव विकसित करने के उद्देश्य से कम्प्यूटर कौशल, डेयरी प्रबंधन, पोषण एवं आहार विज्ञान, खाद्य संरक्षण एवं प्रसंस्करण, खुदरा प्रबंधन, डिजिटल मार्केटिंग, प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत, एकाउंटिंग एवं टैली कोर्स, वेब डिजाईनिंग, बिक्री कौशल, योग एवं स्वास्थ्य आदि व्यावसायिक विषय सम्मिलित किये गये हैं।

पाठ्यक्रम का संचालन

समाज कार्य स्नातक (BSW) और स्नातकोत्तर (MSW) पाठ्यक्रम (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत् विकास में विशेषज्ञता सहित) की सत्र 2024-25 की प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा दिनांक 10 से 24 जून 2025 के मध्य आयोजित की गयी। प्रदेश के 10 संभागों के 55 जिलों में 313 विकास खण्डों में स्थित परीक्षा केन्द्रों पर 37,279 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए।

शैक्षणिक सत्र 2025-26 में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित समाज कार्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत् विकास) पाठ्यक्रम की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की संपर्क कक्षाओं के प्रारंभ होने के पूर्व नवीन प्रवेश एवं पूर्व से अध्ययनरत छात्रों के उन्मुखीकरण सत्रों का शुभारंभ समस्त 313 विकास खण्ड मुख्यालयों पर रविवार दिनांक 09 अगस्त 2025 से किया गया। सत्र आरंभ पर्व की इस शैक्षणिक सत्र की थीम जल संचय (बोरी बंधान) के नाम अभियान पर केन्द्रित रही। साथ ही नशे के दुष्प्रभावों से युवा पीढ़ी को दूर रखने के लिए चेतना और आत्मविश्वास जागृति के लिए नशा मुक्ति शपथ भी दिलायी गयी।

शैक्षणिक सत्र 2025-26 में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित समाज कार्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत् विकास) पाठ्यक्रम की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में कुल 40,912 छात्र प्रवेशित हैं, जिनका वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है-

तालिका 11. 4 समाज कार्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र संख्या विवरण

पाठ्यक्रम	बी. एस. डब्ल्यू. प्रथम वर्ष	बी. एस. डब्ल्यू. द्वितीय वर्ष	बी. एस. डब्ल्यू. तृतीय वर्ष	एम. एस. डब्ल्यू. प्रथम वर्ष	एम. एस. डब्ल्यू. द्वितीय वर्ष
छात्र संख्या	10117	3872	3228	14917	8778

इस पाठ्यक्रम के माध्यम से युवाओं में विकास की समझ और नेतृत्व क्षमता का विकास हो रहा है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हैं, यहां के छात्रों को विकास खण्ड मुख्यालय पर ही गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त हो रही है। पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत महिलाएं एवं अन्य वंचित वर्गों के विद्यार्थी भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार पाठ्यक्रम के माध्यम से सामाजिक जागरूकता का विकास होकर समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। पाठ्यक्रम विषयों के प्रशिक्षण से उनमें आत्मविश्वास, संप्रेषण कौशल और शासकीय नौकरियों पर निर्भर न रहकर स्वयं के ग्राम में ही परिश्रम और पुरुषार्थ से आजीविका कौशल बढ़ाने का भाव विकसित हो रहा है तथा स्वरोजगार की ओर रुझान बढ़ रहा है।

ग्राम को सामाजिक प्रयोगशाला मानकर काम करने से गाँवों में विकास मानकों की दृष्टि से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है एवं शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार में भी सहयोग प्राप्त हो रहा है।

11.5 स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन

युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी 2025 को मध्यप्रदेश में 'स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन' लॉन्च किया गया।

युवा मिशन के लक्ष्य

मिशन के लक्ष्य:

- 2030 तक 70% युवाओं की आय न्यूनतम कुशल श्रमिक स्तर के बराबर हो
- 100% युवाओं की शिक्षा (कक्षा 10 - 2028 तक, कक्षा 12 - 2030 तक)
- 2030 तक 70% युवाओं की सामाजिक कार्यों में भागीदारी

'स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन' का लक्ष्य संचार, शिक्षा, क्षमता निर्माण, उद्यमिता/रोजगार, सामाजिक पहल और निगरानी के स्तंभों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना है। मिशन की अब तक की प्रमुख उपलब्धियों इस प्रकार हैं:-

- युवा संगम कार्यक्रम के तहत, जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के बीच कुल 1,68,222 युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप से लाभ हुआ।
- 2025-26 में कुल नामांकित 9,61,910 विद्यार्थियों द्वारा 10वीं कक्षा तक की शिक्षा पूर्ण की गयी।
- 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में प्रदेश के समस्त स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा लगभग 2,415,629 पौधे लगाए गए।



- 12 सितंबर 2025 को उमंग दिवस का आयोजन किया गया। इस पहल के तहत, 8,500 हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों के लगभग 20 लाख छात्रों ने भाग लिया। उमंग स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम ने युवाओं को 10 आवश्यक जीवन कौशल एवं सामाजिक मुद्दे जैसे कि नशामुक्ति, लैंगिक समानता, पोसिटिव मेस्क्युलिनिटी तथा किशोर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गयी।
- नशा मुक्ति केंद्रों में अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक, 2,351 युवाओं ने उपचार उपरांत नशा छोड़ा।
- खेलो एमपी यूथ गेम्स राज्य के सभी जिलों में आयोजित किए गए जिसमें लगभग 1,00,000 युवाओं ने भाग लिया।

मध्यप्रदेश खेलों के क्षेत्र में अग्रणी रहा है तथा तुलनात्मक रूप से निरंतर उच्च श्रेणी में अपना स्थान बनाए हुए है। शूटिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के साथ-साथ केनो एवं पैरा केनो तथा घुड़सवारी जैसे खेलों में भी राज्य ने अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करते हुए वर्ष 2024-25 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं (तालिका 11.1) में स्वर्ण 12, रजत 14 एवं कांस्य 18 सहित कुल 44 पदक अर्जित कर देश एवं प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। मध्यप्रदेश को खेल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। मध्यप्रदेश युवा नीति के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया जा रहा है, जिनमें युवा मिशन युवाओं के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना अपने उद्देश्यों के अनुरूप सामाजिक एवं अन्य जन-सेवी गतिविधियों के माध्यम से प्रदेश को निरंतर लाभान्वित कर रहे हैं। सार्वभौमिक शारीरिक साक्षरता को संस्थागत बनाना, चरणबद्ध और सुलभ खेल अवसरचना विकसित करना तथा पेशेवर मानव संसाधन की सुदृढ़ श्रृंखला तैयार करना आवश्यक है। साथ ही शिक्षा संस्थानों के माध्यम से प्रतिभा पहचान, एकीकृत शासन एवं खिलाड़ी सहायता प्रणाली, समग्र स्वास्थ्य व जीवनरक्षक कौशल, खेल उद्यमिता, स्वयंसेवक सहभागिता और सामाजिक नवाचार को बढ़ावा देना होगा। उपरोक्तानुसार, मध्यप्रदेश में विभागों के समन्वित प्रयास से प्रदेश के युवाओं को निरंतर विभिन्न कार्यक्रमों से जोड़ते हुए उन्हें राष्ट्र हेतु एक जुट कर, उनकी पूर्ण सहभागिता निरंतर सुनिश्चित की जा रही है।

संदर्भ

1. खेल विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी 5 फ़रवरी 2026
2. उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना/एनएनएस संदर्भित प्रेषित जानकारी दिनांक 11 दिसम्बर 2025
3. मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा रेड रिबन क्लब संदर्भित प्रदत्त जानकारी
4. मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद से प्राप्त सूचना दिनांक 2 जनवरी 2026
5. खेल एवं युवा कल्याण वेब पोर्टल (dsywmp.gov.in)
6. Home | National Service Scheme (nss.gov.in)
7. Khelo India website (<https://kheloindia.gov.in/>)
8. <http://mybharat.gov.in>



प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

परिचय

मध्य भारत में स्थित मध्यप्रदेश प्राकृतिक संसाधनों की अपार संपदा से समृद्ध राज्य है, जो इसकी अर्थव्यवस्था और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य की भौगोलिक विविधता में उपजाऊ मैदान, विस्तृत वन क्षेत्र, नदियाँ तथा समृद्ध खनिज भंडार सम्मिलित हैं, जो इसे भारत के संसाधन-सम्पन्न राज्यों में अग्रणी बनाते हैं। मध्यप्रदेश विशेष रूप से कोयला, चूना पत्थर, मैंगनीज अयस्क, बॉक्साइट और लौह अयस्क जैसे खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त, पन्ना जिले में हीरे तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रेफाइट के महत्वपूर्ण भंडार पाए जाते हैं।

राज्य का एक बड़ा भू-भाग वनों से आच्छादित है, जिसके कारण मध्यप्रदेश देश के सर्वाधिक वनाच्छादित राज्यों में से एक है। ये वन न केवल काष्ठ, औषधीय पौधे, बांस और अन्य गैर-लकड़ी वन उत्पाद प्रदान करते हैं, बल्कि विविध वन्यजीवों के लिए भी महत्वपूर्ण आवास उपलब्ध कराते हैं। मध्यप्रदेश की समृद्ध जैव विविधता का प्रमाण इसके प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य हैं, जैसे कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच, जो इसे वन्यजीव संरक्षण और इको-पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाते हैं। राज्य अपनी उल्लेखनीय बाघ आबादी के लिए भी जाना जाता है, जहाँ प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अनेक बाघ अभयारण्य स्थापित हैं। इस प्रकार, प्राकृतिक संसाधन मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और जनजीवन को आकार देने में अहम भूमिका निभाते हैं तथा कृषि, खनन, वानिकी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों के माध्यम से राज्य के सतत् विकास और प्रगति में योगदान देते हैं। सतत् संसाधन प्रबंधन राज्य सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के व्यापक उद्देश्यों, विशेष रूप से, 'भूमि पर जीवन' के लक्ष्य 15 के लिए प्रतिबद्ध है। यह नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 (2023-24) में राज्य के प्रदर्शन में अच्छी तरह से प्रदर्शित होता है, जहां मध्यप्रदेश लक्ष्य 15 में 90 (100 में से) अंकों के साथ देश में छठे स्थान पर है।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के इस अध्याय में मध्यप्रदेश के वनों एवं वन संसाधनों, जल संसाधनों एवं खनिज संसाधनों की स्थिति, राज्य के राजस्व एवं अर्थव्यवस्था में उनके योगदान तथा शासन की प्रमुख योजनाओं की चर्चा की गयी है।

12.1. वन

मध्यप्रदेश में अधिसूचित वन क्षेत्र (94.69 हजार वर्ग किमी) और वनावरण (77.07 हजार वर्ग किमी) की दृष्टि से देश में सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका और जीविका के लिए प्रत्यक्ष रूप से वनों पर निर्भर है। मध्यप्रदेश राज्य के लिए वनों और उनके संसाधनों के संरक्षण और प्रभावी प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना अति आवश्यक हो जाता है।

मध्यप्रदेश सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में वानिकी और संबद्ध क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। लक्षित सरकारी योजनाओं और हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के साथ, पिछले डेढ़ दशक में वनों के लिए बजटीय आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। राज्य संयुक्त वन प्रबंधन को अपनाने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है। यह पेसा अधिनियम को अधिसूचित करने वाले कुछ राज्यों में से एक बन गया है, जो आदिवासी समुदाय को वन संसाधनों का स्वामित्व प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। मध्यप्रदेश वन्यजीव संरक्षण में भी अग्रणी राज्य है, जिसके दो सबसे बड़े उदाहरण प्रदेश में देश की सबसे अधिक बाघों की संख्या और चीतों की आबादी वाला देश का अकेला राज्य है।

12.1.1 महत्वपूर्ण नीतियां और पहल

मध्यप्रदेश ने संरक्षण, वन-आधारित आजीविका, प्राकृतिक संसाधनों के अधिकार-आधारित प्रबंधन, सहभागी वन शासन, जलवायु परिवर्तन शमन, वन्यजीव प्रबंधन और पर्यावरण-पर्यटन में सक्रिय कदम उठाए हैं। वर्तमान में राज्य में संचालित कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

कैम्पा

वित्तीय वर्ष 2024-25:-

कैम्पा अंतर्गत भारत सरकार को राशि रुपये 1533.78 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना प्रेषित की गई, जिसके विरुद्ध भारत सरकार द्वारा राशि रुपये 1396.42 करोड़ वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई। उक्त स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा कैम्पा अंतर्गत विभिन्न बजट मदों में कुल राशि रुपये 1390.59 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई, जिसके विरुद्ध दिनांक 31.03.2025 तक कुल 1245.67 करोड़ की राशि उपयोग में ली गई। कार्य विवरण तालिका 12.1 में प्रदर्शित है। (वन विभाग)

तालिका 12.1 मध्यप्रदेश में कैम्पा अंतर्गत वर्ष 2024-25 का कार्य विवरण

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.	कार्य विवरण	वर्ष 2024-25 में स्वीकृत राशि	उपयोग में ली गई राशि (31 मार्च 2025 की स्थिति में)
1	क्षतिपूर्ति वनीकरण 9664	158.20	140.89
2	जलग्रहण उपचार क्षेत्र 9665	46.19	40.32
3	वन्यप्राणी प्रबंधन 9666	38.33	13.14
4	शुद्ध वर्तमान मूल्य 9667	1137.63	1047.85
5	अन्य	0.02	0
6	ब्याज की राशि 9668	10.22	3.47
7	योग	1390.59	1245.67

स्रोत: मध्यप्रदेश वन विभाग

वित्तीय वर्ष 2025-26:-

कैम्पा अंतर्गत भारत सरकार को राशि रुपये 1478.38 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना प्रेषित की गई, जिसके विरुद्ध भारत सरकार द्वारा राशि रुपये 1443.63 करोड़ वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है। उक्त स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा कैम्पा अंतर्गत विभिन्न बजट मदों में कुल राशि रुपये 1366.96 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई, जिसके विरुद्ध माह नवम्बर 2025 की स्थिति में कुल राशि रु. 537.90 करोड़ उपयोग में ली गई।

वर्ष 2025-26 में क्षतिपूर्ति वनीकरण अंतर्गत रकबा 8706.11 हेक्टेयर में क्षेत्र तैयारी कार्य तथा 4466.30 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य के साथ-साथ 31062.33 हेक्टेयर क्षेत्र में विगत वर्षों के क्षतिपूर्ति रोपण का रखरखाव कार्य तथा एन.पी.व्ही. अंतर्गत रकबा 26092 हेक्टेयर में क्षेत्र तैयारी कार्य तथा 44655 हेक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य के साथ-साथ 183001 हेक्टेयर में विगत वर्षों के वृक्षारोपण कार्यों के रखरखाव कार्य संपादित किया जा रहा है, साथ ही संरक्षित क्षेत्रों में चारागाह विकास अंतर्गत रकबा 20599 हेक्टेयर में कार्य किया जा रहा है।



नदियों के पुनर्जीवन कार्यों के अंतर्गत नर्मदा/यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र उपचार हेतु राशि रुपये 7.00 करोड़ से जल एवं मृदा संरक्षण संबंधी विविध कार्य संपादित किये जा रहे हैं। अविरल निर्मल नर्मदा योजना अंतर्गत नर्मदा नदी के 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले 12 वन मण्डलों (रायसेन, सीहोर, अलीराजपुर, धार, जबलपुर, पूर्व मण्डला, डिण्डौरी, पश्चिम मण्डला, हरदा, खरगौन, बड़वानी, बड़वाह, उत्तर सिवनी, नरसिंहपुर, दमोह एवं दुर्गावती टाईगर रिजर्व) के 5600 हेक्टेयर में से 5222.75 हे. क्षेत्र में रोपण एवं भू-जल संबंधी कार्य किया जा रहा है, जिस हेतु 70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2026 की वर्षा ऋतु में इस क्षेत्र में लगभग 28 लाख पौधे लगाये जाने का लक्ष्य है। (वन विभाग)

जैवविविधता बोर्ड

जैवविविधता अधिनियम, 2002 (यथा संशोधित 2023) के प्रावधान अंतर्गत समस्त स्थानीय निकाय (जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगरपालिका एवं नगर परिषद) स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। जैवविविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देने और इसके दस्तावेजीकरण के लिये बोर्ड द्वारा सेकेंडरी डाटा के आधार पर समस्त स्थानीय निकाय स्तर पर Digital and Dynamic लोक जैवविविधता पंजी (पी.बी.आर.) का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्राइमरी डाटा के आधार पर बोर्ड के तकनीकी मार्गदर्शन में लोक जैवविविधता पंजी का अद्यतनीकरण कार्य प्रदेश में स्थानीय निकाय स्तर पर किया जा रहा है। अद्यतन स्थिति तक प्राइमरी डाटा के आधार पर कुल 438 लोक जैवविविधता पंजी बोर्ड कार्यालय में जमा की जा चुकी है।

ग्रीन इंडिया मिशन

जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत लागू किए गए 8 मिशन में से एक के रूप में ग्रीन इंडिया मिशन वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। मिशन का प्रमुख उद्देश्य वनों की स्थिति में सुधार कर “कार्बन संचयन” में अभिवृद्धि करना, जलागम क्षेत्रों का संरक्षण एवं स्थानीय समुदायों की वन आधारित आजीविकाओं को सुदृढ़ करना है। मिशन की राष्ट्रीय कार्यकारी काउंसिल द्वारा मध्यप्रदेश की कार्य योजना वर्ष 2023-24 के लिए 5000 हेक्टेयर वृक्षारोपण एवं 17154 हेक्टेयर रखरखाव कार्य हेतु 36.43 करोड़ की कार्य आयोजना का अनुमोदन किया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारी काउंसिल द्वारा कार्य योजना वर्ष 2024-25 में 12049 हेक्टेयर के रखरखाव कार्य हेतु राशि रु. 14.41 करोड़ स्वीकृत किये गए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हुये है। (वन विभाग)

बांस मिशन

वित्तीय वर्ष 2024-25:-

मिशन द्वारा बांस मिशन योजना अंतर्गत भारत सरकार से राशि रु. 866.46 लाख प्राप्त कर व्यय की गई। इस वर्ष 3351 हितग्राही कृषकों द्वारा कुल 7360 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस रोपण किया गया है। इस हेतु वन मंडलों द्वारा कृषकों को राशि रुपये 13.12 करोड़ का अनुदान वितरित किया जा रहा है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत वन क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों के माध्यम से कुल 710 हेक्टेयर में बांस वृक्षारोपण कराया गया। साथ ही 512 शिल्पियों एवं कृषकों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया। (बांस मिशन)

वित्तीय वर्ष 2025-26:-

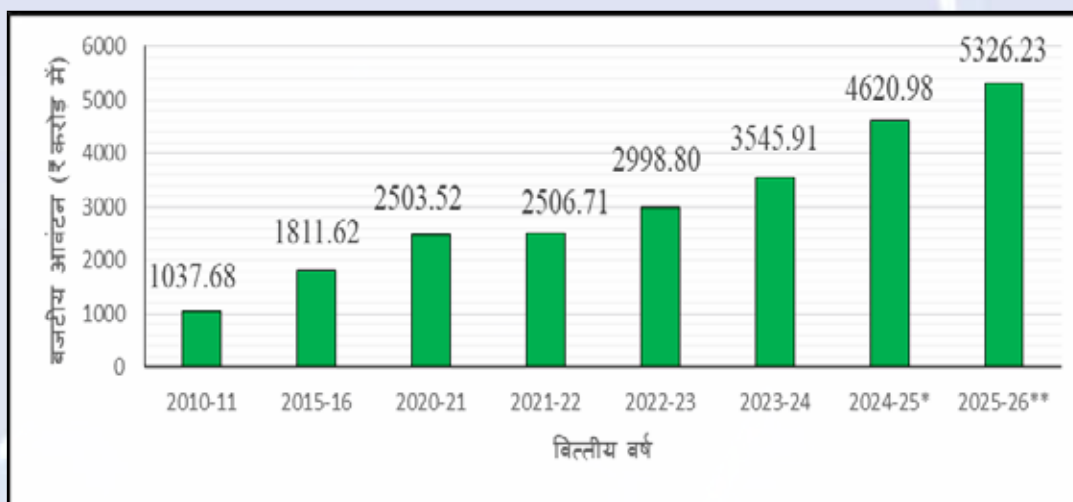
भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिये राशि रु. 2000.00 लाख की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है। इस वर्ष बांस मिशन योजना अंतर्गत कृषि क्षेत्र में 13.70 लाख बांस के पौधों का रोपण कराया गया है, जिसमें कृषकों

को कुल राशि रु. 12.33 करोड़ का अनुदान वितरण प्रगतिरत है। साथ ही 65 बांस शिल्पियों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा NAFED के माध्यम से प्रदेश में धार, बड़वानी, अलीराजपुर, खण्डवा, सतना एवं सीधी जिलों में 6 बांस एफ़.पी.ओ (Farmer Producer Organisations) गठित किए गए हैं। सतना एवं सीधी स्थित एफ़.पी.ओ द्वारा ओरिएंट पेपर मिल, अम्लाई, शहडोल को कुल 1875.20 मीट्रिक टन बांस सप्लाई किया गया, जिसका सीधा लाभ स्थानीय कृषकों को प्राप्त हुआ है।

12.1.2 वन विभाग हेतु बजट आवंटन

वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में वृद्धि परिलक्षित है (चार्ट 12.1)। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 15% प्रतिशत अधिक है।



स्रोत: अनुदानों की माँगें माँग संख्या 010—वन (उपरोक्त वित्तीय वर्षों के लिए), मध्यप्रदेश शासन

टीप: उपरोक्त चार्ट में वित्तीय वर्ष 2010-11, 2015-16, 2020-21 से 2025-26 के बजट लेख के आँकड़े लिए गये हैं।

*वित्तीय वर्ष 2024-25 के वन विभाग के बजट का संशोधित अनुमान।

**वित्तीय वर्ष 2025-26 के वन विभाग का बजट अनुमान।

चित्र 12.1 वित्त वर्ष 2010-11, 2015-16, 2020-21 से 2025-26 के वन विभाग को बजट आवंटन

यह वृद्धि केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएँ जैसे कि जू एवं रेस्क्यू सेन्टर की स्थापना, केम्पा प्रतिपूरक वनीकरण, राष्ट्रीय उद्यान स्थापना, वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास, वन प्रशिक्षण, आदि से जुड़े मुद्दों के बढ़ते महत्व को भी दर्शाता है।

12.1.3 आर्थिक गतिविधियां

राजस्व

मध्यप्रदेश वन विभाग को वित्तीय वर्ष 2025-26 में रूपये 1750.00 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध माह नवम्बर 2025 तक 1027.51 करोड़ रूपये राजस्व लक्ष्य प्राप्त हुआ है। वन विभाग द्वारा विभागीय रूप से काष्ठ एवं बांस के उत्पादन तथा विभाग द्वारा कुल प्राप्त राजस्व की जानकारी तालिका 12.2 में दी गई है।



उत्पादन

तालिका 12.2 काष्ठ बांस उत्पादन (विक्रय एवं प्राप्त राजस्व)

वित्तीय वर्ष	राजस्व लक्ष्य	इमारती लकड़ी (लाख घनमीटर)	जलाऊ चट्टे (लाख नग)	बांस (लाख वि.ई.)	प्राप्त राजस्व (करोड़ रुपये में)
2022-23	1500	2.07	1.28	0.35	1608.37
2023-24	1700	2.82	1.57	0.25	1423.40
2024-25	1650	2.16	1.21	0.28	1646.07
2025-26	1700	-	-	-	914.14

स्रोत: मध्यप्रदेश वन विभाग

टीप - 1. इमारती लकड़ी, जलाऊ चट्टे एवं बांस की जानकारी है। 2. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व की जानकारी 04 नवंबर 2025 की स्थिति में है एवं उत्पादन माह सितंबर 2025 की स्थिति में है।

म.प्र. राज्य वन विकास निगम

निगम का गठन: राष्ट्रीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट (फारेस्ट्री मैन मेड फारेस्ट, 1972) के आधार पर, निम्न कोटि के वन क्षेत्रों को तेजी से बढ़ने वाली बहुमूल्य तथा बहुउपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से की गई थी। निगम की अधिकृत अंशपूजी 40.00 करोड़ तथा प्रदत्त अंश पूंजी रु. 39.32 करोड़ है, जिसमें से केन्द्र शासन का अंशदान रु. 1.39 करोड़ एवं म.प्र. शासन का अंशदान रु. 37.93 करोड़ है। स्थापना वर्ष से ही निगम लाभ की स्थिति में है। वर्ष 2024-25 के लिये शुद्ध लाभ रु. 21.08 करोड़ है (सांविधिक अंकेक्षण के पूर्व)। वर्षवार उत्पादन एवं प्राप्त राजस्व का विवरण तालिका 12.3 में दिया गया है।

तालिका 12.3 मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम द्वारा काष्ठ बांस उत्पादन (विक्रय एवं प्राप्त राजस्व)

वित्तीय वर्ष	इमारती लकड़ी (घनमीटर)	जलाऊ चट्टे (नग)	बांस (नो.टन)	प्राप्त राजस्व (करोड़ रुपये में)
2020-21	68309	57259	3748	181.88
2021-22	60023	32938	2689	199.18
2022-23	59784.32	29641	2226.85	223.05
2023-24*	63993.26	35994	3795.49	181.59
2024-25*	66507.46	30653	3055.16	164.65

स्रोत: मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम

टीप- 1. वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के आंकड़े सांविधिक अंकेक्षण के पूर्व के हैं।

2. बल्लियों के लिये- 100 बल्ली = 1 घन मीटर माना गया है।

3. व्यापारिक बांस के लिये - 500 बांस = 1 नोशनल टन माना गया है।

4. प्राप्त राजस्व (करोड़ रु.) - विक्रय के आंकड़े हैं। वर्ष 2024-25 में प्राप्त राजस्व के आंकड़े वित्तीय वर्ष अनुसार 31 मार्च 2025 की स्थिति में हैं।

5. वर्ष 2024-25 के इमारती लकड़ी जलाऊ चट्टे तथा बांस के आंकड़े वानिकी वर्ष अनुसार 31 अक्टूबर 2025 की स्थिति में हैं।

लघुवनोपज संघ

पेसा नियम 2022 अंतर्गत म.प्र. शासन द्वारा पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 के तहत दिनांक 15 नवम्बर 2022 को मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 अधिसूचित किये गये हैं। इन नियमों के नियम 26(4) में तेन्दूपत्ता संग्रहण एवं विपणन हेतु व्यवस्था दी गई है-

संग्रहण वर्ष 2023 से प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्र की 20 जिलों की 30 जिला यूनियन की ग्राम सभाओं द्वारा तेन्दूपत्ता संग्रहण एवं विपणन स्वयं किया जा रहा है जिसका विवरण तालिका 12.4 में दिया गया है-

तालिका 12.4 ग्राम सभाओं द्वारा तेन्दूपत्ता संग्रहण एवं विपणन विवरण

क्र.	विवरण	वर्ष 2023	वर्ष 2024	वर्ष 2025
1	जिले	20	20	17
2	जिला यूनियन	30	30	24
3	ग्राम सभायें	268	243	224
4	जिला यूनियन जिनकी ग्राम सभाओं 6 में द्वारा स्वयं संग्रहण न करने की सहमति दी गई है।	-	-	6

स्रोत: मध्यप्रदेश वन विभाग

लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र को वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि रुपये 21.31 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि वर्ष 2023-24 में राशि रुपये 17.97 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियां हुई थी। जिससे औषधियों के उत्पादन कार्यों में संलग्न 96 श्रमिक लाभान्वित हुए हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि रुपये 56.91 करोड़ मूल्य की हर्बल औषधियों के आपूर्ति आदेश प्राप्त हुए, जिनके विरुद्ध राशि रुपये 16.45 करोड़ मूल्य की औषधियों की आपूर्ति संबंधित विभागों को दिनांक 31 अक्टूबर 2025 तक की जा चुकी है, शेष औषधियों की आपूर्ति का कार्य प्रगति पर है। (वन विभाग)

तेन्दूपत्ता: मध्यप्रदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियम) अधिनियम, 1964 के माध्यम से तेन्दूपत्ते के व्यापार का विनियम करने एवं व्यापार में राज्य का एकाधिकार स्थापित करने के प्रावधान किये गये हैं। व्यापार से हुए लाभ की अधिकतम राशि संग्राहकों को बोनस के रूप में प्रदान की जाती है। विगत सात वर्षों में प्रदेश में तेन्दूपत्ता संग्रहण एवं निवर्तन की जानकारी निम्नानुसार है। (तालिका 12.5)

तालिका 12.5 तेन्दूपत्ता से आय

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	वित्तीय वर्ष						
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7	8
सकल राजस्व	1148.20	1147.11	889.03	1148.85	1378.80	840.16	1138.98
व्यय	750.25	949.40	615.17	586.17	823.74	625.38	798.48
आधिक्य	397.95	197.71	273.86	562.68	555.06	214.78	340.50

स्रोत: मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज "व्यापार एवं विकास" सहकारी संघ मर्यादित



12.1.4 संरक्षण और आजीविका

वन्यप्राणी संरक्षण:

प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने एवं पारिस्थितिकीय सेवाओं का सतत् संचालन सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास स्थलों की सुरक्षा एवं विकास को सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान एवं 26 अभ्यारण्य है जिसमें 09 टाईगर रिजर्व, 2 खरमोर अभ्यारण्य, 1 सोन चिड़िया अभ्यारण्य, 3 घड़ियाल (एवं अन्य जलजीव) अभ्यारण्य तथा 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण हेतु स्थापित किये गये है तथा एक कजर्वेशन रिजर्व 250.00 वर्ग कि.मी का क्षेत्र अधिसूचित किया गया है। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 11.247 हजार वर्ग किलोमीटर है जिसमें से वन क्षेत्र 9.57 हजार वर्ग किलोमीटर अधिसूचित वनक्षेत्र है। संरक्षण के लिए मानवीय गतिविधियों को समाप्त करने एवं संरक्षित क्षेत्रों के अंदर निवास करने वाले परिवारों को सामाजिक-आर्थिक विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 2023-24 में 7 ग्राम के 100 परिवारों को बाहर पुनर्स्थापित किया गया है। वर्ष 2024-25 में राशि रु. 115.95 करोड़ से 7 ग्रामों के 904 परिवारों का पुनर्स्थापित किया गया। (वन विभाग)

वन्य प्राणी गणना: अखिल भारतीय बाघ आंकलन वर्ष 2022 के परिणाम 29 जुलाई 2023 को घोषित किये गये, जिसके अनुसार मध्यप्रदेश में 785 बाघ अनुमानित (Estimated) है जो कि भारत के कुल अनुमानित बाघों 3167 का लगभग 25 प्रतिशत है। वर्ष 2018 में किये गये आंकलन अनुसार जिसमें मध्यप्रदेश में 526 बाघ अनुमानित (Estimated) थे। विगत वर्षों में किये गये प्रबंधकीय प्रयासों का परिणाम है कि न केवल बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है अपितु बाघों की उपस्थिति वाले वन क्षेत्रों की संख्या में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 में भी पूर्व वर्ष की भांति ही माह फरवरी में गिद्ध गणना प्रदेश स्तर पर की गई जिसमें 9446 गिद्ध पाये गये। वर्ष 2024 के प्रारंभिक शीतकालीन आंकलन अनुसार गिद्धों की संख्या 10845 है। मध्यप्रदेश टाइगर फाउंडेशन समिति द्वारा सी.एस.आर. अंतर्गत वर्ष 2024-25 में विभिन्न वन्यजीव संरक्षण जागरूकता व कर्मचारी कल्याण से जुड़े हुए कार्यों हेतु प्राप्त की गई है। (वन विभाग)

ईको पर्यटन : ईको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये गंतव्य स्थलों का विकास किया जा रहा है, म.प्र.शासन द्वारा आरक्षित वनों में ईको पर्यटन विकास हेतु म.प्र.वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 के तहत माह नवम्बर 2025 तक कुल 148 स्थल अधिसूचित किये जा चुके है। म.प्र. ईको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा 13 ईको पर्यटन गंतव्य स्थलों की आनलाईन बुकिंग की जा रही है, जिनका प्रबंधन एवं संचालन स्थानीय समिति सदस्यों के सहयोग व सहभागिता से किया जा रहा है। बोर्ड के 02 गंतव्य स्थलों का जन निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के माध्यम से संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न वनमंडलों में स्थित 136 ईको पर्यटन गंतव्य स्थलों का भी संचालन स्थानीय समिति सदस्यों के सहयोग व सहभागिता से किया जा रहा है, जिससे उन्हें रोजगार का साधन प्राप्त हो रहा है।

ईको पर्यटन गतिविधियों का मूल उद्देश्य ईको पर्यटन से स्थानीय समुदाय की आजीविका के अवसर विकसित करना भी है, ताकि वनों पर उनकी निर्भरता कम हो सके। इसे ध्यान में रखते हुये वित्तीय वर्ष 2025-26 में ईको पर्यटन स्थलों पर नवीन/कार्यरत स्थानीय समुदाय के सदस्यों के क्षमता विकास एवं कौशल उन्नयन के उद्देश्य से विभिन्न विधाओं जैसे- गाइड प्रशिक्षण- 1060, गाइड हेतु इंग्लिश स्पीकिंग प्रशिक्षण- 234, खानसामा एवं आतिथ्य सत्कार प्रशिक्षण- 22, गंतव्य स्थल प्रबंधन, कैम्पिंग प्रशिक्षण- 49, जलप्रपात पर्यटन के दौरान सुरक्षा एवं प्रबंधन कार्यों का प्रशिक्षण- 48 कुल 1413 का प्रशिक्षण सह क्षमता विकास किया गया है। (वन विभाग)

अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी

मध्यप्रदेश के वनों की उत्पादकता बढ़ाने एवं वन क्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण कार्य किया जाकर वनोपज की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रत्येक कृषि जलवायु प्रक्षेत्र में क्रमशः बैतूल, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खंडवा, रतलाम, रीवा, सागर एवं सिवनी में सामाजिक वानिकी वन वृत्त स्थापित है। इन वृत्तों के अंतर्गत 171 सामाजिक वानिकी रोपणियाँ संचालित है। कैम्पा योजना के लिये वर्ष 2026 के रोपण हेतु 198.32 लाख एवं वर्ष 2027 के रोपण हेतु 181.50 लाख पौधों की तैयारी का कार्य प्रगति पर है। कार्य आयोजना क्रियान्वयन एवं गैर वन क्षेत्रों के लिये विभागीय योजना नर्सरियों में पौधा तैयारी (6397) अंतर्गत 97.00 लाख मिश्रित प्रजाति के पौधों की तैयारी का कार्य प्रगति पर है। सागौन एवं बांस पौधों की तैयारी हेतु सामाजिक वानिकी वन वृत्तों की रोपणियों में विभागीय योजना नर्सरियों में पौधा तैयारी अंतर्गत 46100 मटर बड्स तैयार किये गये है। सामाजिक वानिकी रोपणियों से वर्षा ऋतु 2025 में 5.74 करोड़ पौधे निवर्तित किये गये। वित्तीय वर्ष 2025-26 में गैर वन क्षेत्रों में पौधों के विक्रय से माह अक्टूबर 2025 तक राशि ₹. 4.75 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग दो वर्ष के उपरांत सामाजिक वानिकी वन वृत्त की रोपणियों में पौधों की तैयारी की दरों एवं विक्रय दरों का युक्तियुक्तकरण किया गया।

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशानुसार “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान के अंतर्गत प्रदेश वन विभाग द्वारा विभिन्न स्थलों पर 5.55 करोड़ पौधों का रोपण किया गया।

समस्त सामाजिक वानिकी वन वृत्तों में “स्व सहायता समूहों के माध्यम से रोपणियों में पौधा तैयारी” का कार्य प्रारंभ किया गया। प्रदेश में 4 स्थलों क्रमशः उज्जैन, सतना, छतरपुर एवं भोपाल में सांस्कृतिक वन स्थापित किये गये। बुरहानपुर, टीकमगढ़, मंदसौर में नये सांस्कृतिक वन स्थापना के प्रस्ताव शासन, वन विभाग के माध्यम से एक्को को प्रेषित किये गये। (वन विभाग)

12.2. जल संसाधन एवं पर्यावरण

मध्यप्रदेश जल संसाधनों से सम्पन्न राज्य है। जल एक सीमित संसाधन है जिसकी लगातार मांग बढ़ रही है, अतः जल के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। मध्यप्रदेश का औसत सतही जल प्रवाह 81.5 लाख हेक्टेयर मीटर (75 प्रतिशत निर्भरता) है, जिसका 56.8 लाख हेक्टेयर मीटर प्रदेश द्वारा उपयोग किया जाता है। प्रदेश में नर्मदा, चम्बल, बेतवा, सोन, ताप्ती, पेंच, वैनगंगा एवं माही आदि वर्षा पोषित नदियों का उद्गम हुआ है। राज्य की नदियाँ केवल वर्षा पोषित हैं, क्योंकि इनका उद्गम हिम विहीन पर्वतों से होता है। प्रदेश में भूगर्भीय जल की मात्रा 34,159 मिलियन घन मीटर आंकलित है (जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश)। नदियों के अतिरिक्त, प्रदेश की झीलें, तालाब और वेटलैंड्स (wetlands) भी जल संसाधन तंत्र में शामिल हैं।

प्रदेश में जल संसाधनों के विकास, संरक्षण एवं प्रबंधन में विभिन्न विभागों का योगदान रहता है, जिनमें से जल संसाधन विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग प्रमुख है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत क्रियान्वित प्रमुख योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा अमृत सरोवर योजना आदि के माध्यम से भी जल संसाधनों के विकास एवं जल संरक्षण संबंधी कार्य किये जाते हैं। जल संसाधन विभाग के लिये विभिन्न सब स्कीमों अंतर्गत वर्ष 2025-26 का कुल बजट प्रावधान राशि ₹ 9589.41 करोड़ रहा। वर्ष 2024-25 का पुनरीक्षित अनुमान राशि ₹9841.30 करोड़ रहा (म.प्र. जल संसाधन विभाग)। इसी प्रकार, नर्मदा घाटी विकास विभाग के लिये विभिन्न सब स्कीमों अंतर्गत वर्ष 2025-26 का कुल बजट अनुमान राशि ₹8666.50 करोड़ रहा। वर्ष 2024-25 का पुनरीक्षित अनुमान राशि ₹8378.65 करोड़ रहा (मध्यप्रदेश वित्त विभाग, 2025-26)।



12.2.1 मध्यप्रदेश में भूजल की स्थिति

केंद्रीय भूजल बोर्ड के आंकलन अनुसार वर्ष 2025 में मध्यप्रदेश का कुल वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन 36.07 बिलियन घन मीटर (BCM) है, जिसमें वर्ष 2024 (35.90 BCM) की तुलना में मामूली वृद्धि देखी गयी है। सामान्य तौर पर, वृद्धि का कारण वर्षा पुनर्भरण में वृद्धि और जल संरक्षण संरचनाएँ के कार्यान्वयन को माना जा सकता है। प्रदेश में शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता में भी वर्ष 2024 की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है। वर्ष 2024 में प्रदेश में 33.99 BCM शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्ध था, जो वर्ष 2025 में संवृद्धि होकर 34.15 BCM हो गया।

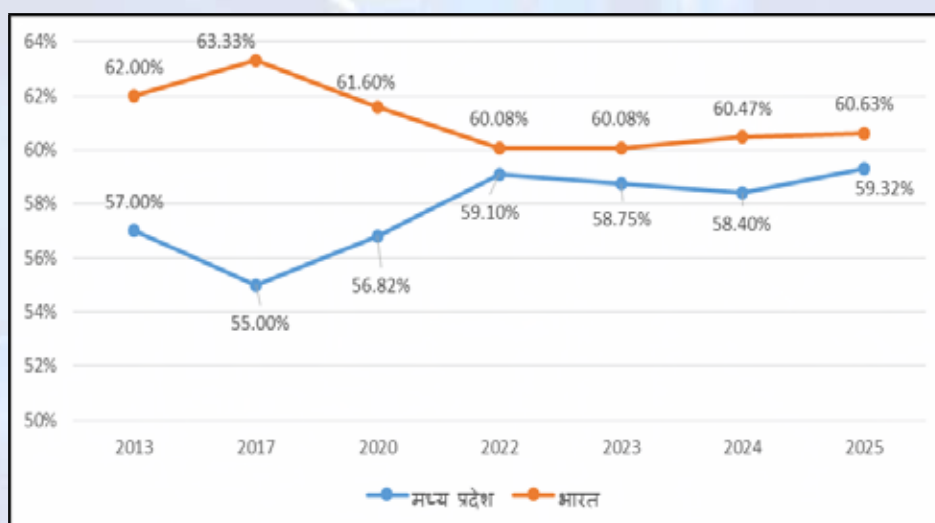
वार्षिक भूजल ड्राफ्ट विभिन्न उपयोगों के लिए प्रतिवर्ष निकाले गए भूजल की मात्रा को कहा जाता है, वर्ष 2025 में प्रदेश का कुल वार्षिक भूजल ड्राफ्ट 20.26 BCM रहा (केंद्रीय भूजल बोर्ड, 2025)। तालिका 12.6 में प्रदेश के भूजल संसाधन का वर्षवार विवरण उपलब्ध है।

तालिका 12.6 मध्यप्रदेश में भूजल संसाधन का सारांश

विवरण	वर्ष 2020	वर्ष 2022	वर्ष 2023	वर्ष 2024	वर्ष 2025
कुल वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन (BCM में)	36.16	35.23	35.47	35.90	36.07
शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता (BCM में)	33.38	32.58	32.85	33.99	34.15
वार्षिक भूजल ड्राफ्ट (BCM में)	18.97	19.25	19.30	19.85	20.26

स्रोत- केंद्रीय भूजल बोर्ड रिपोर्ट - 2020, 2022, 2023, 2024, 2025

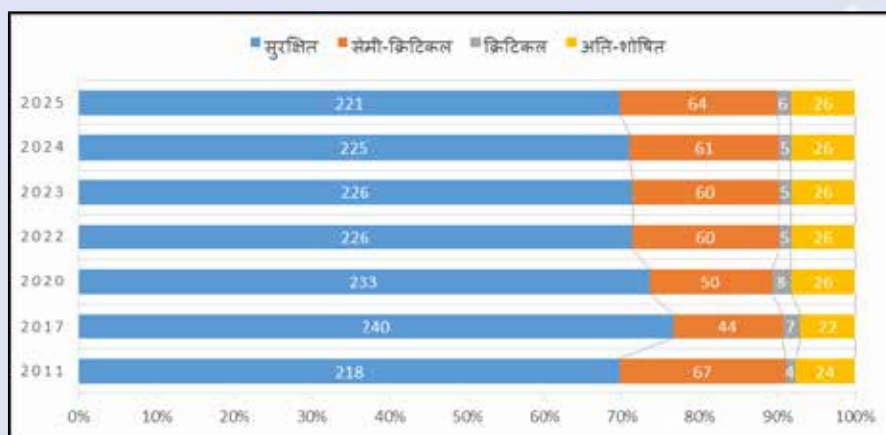
स्टेज ऑफ ग्राउन्ड वाटर डेवलपमेंट, शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता एवं वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल का अनुपात है, जिसे प्रतिशत में आंका जाता है। प्रदेश में स्टेज ऑफ ग्राउन्ड वाटर डेवलपमेंट वर्ष 2025 में 59.32 प्रतिशत रहा। हालांकि, इसी अवधि में देश के स्टेज ऑफ ग्राउन्ड वाटर डेवलपमेंट आंकड़ों से कम है। वर्ष 2013, 2017, 2020, 2022, 2023, 2024 एवं 2025 में भारत में स्टेज ऑफ ग्राउन्ड वाटर डेवलपमेंट क्रमशः 62.00, 63.33, 61.60, 60.08, 60.08, 60.47 एवं 60.63 प्रतिशत रहा (केंद्रीय भूजल बोर्ड, 2025) (चित्र 12.2)।



स्रोत- केंद्रीय भूजल बोर्ड, 2013, 2017, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025

चित्र 12.2 मध्यप्रदेश एवं भारत में स्टेज ऑफ ग्राउन्ड वाटर डेवलपमेंट की तुलना

भूजल विकास के आधार पर आंकलन इकाइयों / विकासखंडों को पांच श्रेणियों नामतः सुरक्षित (Safe), सेमी-क्रिटिकल (Semi-Critical), क्रिटिकल (Critical), अति-शोषित (Over-Exploited) एवं खारा (Saline) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में मध्यप्रदेश में सुरक्षित ब्लॉक की संख्या 225 थी, जो वर्ष 2025 में घटकर 221 (69.72% इकाइयां/ब्लॉक) हो गयी। यह भूजल संसाधनों पर लगातार बढ़ रहे दबाव की ओर इशारा करती है। इसी अवधि में, सेमी-क्रिटिकल इकाइयों/ब्लॉकों की संख्या 61 से बढ़कर 64 (20.19% इकाइयां/ब्लॉक) हो गयी है। वर्ष 2025 के आंकलन अनुसार देश की कुल 6762 आंकलन इकाइयां/ब्लॉकों में से 4946 सुरक्षित (73.14% इकाइयां/ब्लॉक), 758 सेमी-क्रिटिकल (11.21% इकाइयां/ब्लॉक), 201 क्रिटिकल (2.97% इकाइयां/ब्लॉक), 730 अति-शोषित (10.08% इकाइयां/ब्लॉक) एवं 127 खारा (1.88% इकाइयां/ब्लॉक) श्रेणी में वर्गीकृत है। भूजल विकास के आधार पर प्रदेश के ब्लॉकों / इकाइयों के रुझानों को नीचे चित्र 12.3 में दर्शाया गया है।



स्रोत- केंद्रीय भूजल बोर्ड, 2011, 2017, 2020, 2022, 2023, 2024 एवं 2025

चित्र 12.3 भूजल विकास के आधार पर म.प्र. के ब्लॉकों / इकाइयों का वर्गीकरण

मूल्यांकन वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में प्रदेश की चार आंकलन इकाइयों/ब्लॉकों के भूजल में यथावत स्थिति देखी गई है। वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में मध्यप्रदेश के 04 ब्लॉकों / इकाइयों (जिला जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी एवं सतना) में स्थिति बिगड़ी है तथा 313 ब्लॉकों / इकाइयों में यथावत स्थिति देखी गई। (केंद्रीय भूजल बोर्ड, 2025)।

निम्नांकित अंकित तालिका 12.7 अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि प्रदेश में सामान्य वर्षा की तुलना में मानसून वर्षा अनियमित हो रही है।

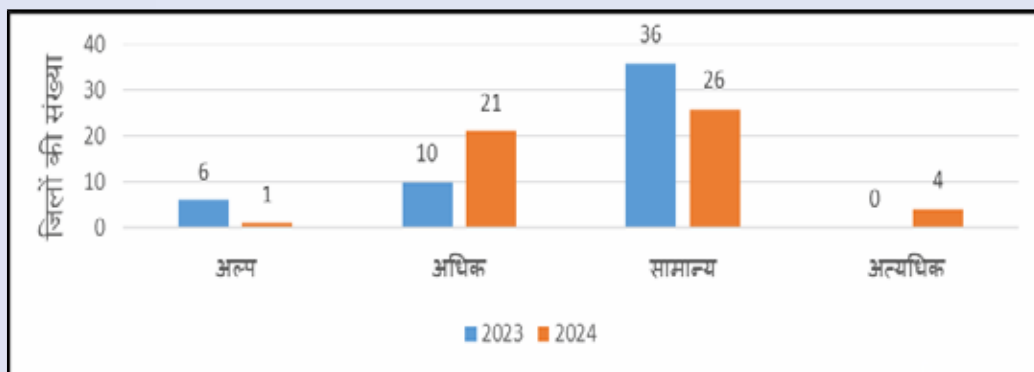
तालिका 12.7 मध्यप्रदेश में मानसून वर्षा का सारांश

मूल्यांकन वर्ष	सामान्य वर्षा (mm)	मानसून वर्षा (mm)	रिमार्क
2017-18	977.5	653.9	25.0% कम वर्षा
2019-20	940.6	1351.1	44% अधिक वर्षा
2021-22	940.6	945.2	सामान्य वर्षा
2022-23	1082.17	1138.6	5.2% अधिक वर्षा
2023-24	1040.4	946.9	8.9% कम वर्षा
2024-25	1040.4	1121.2	7.8% अधिक वर्षा

स्रोत: केंद्रीय भूजल बोर्ड, 2017, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025



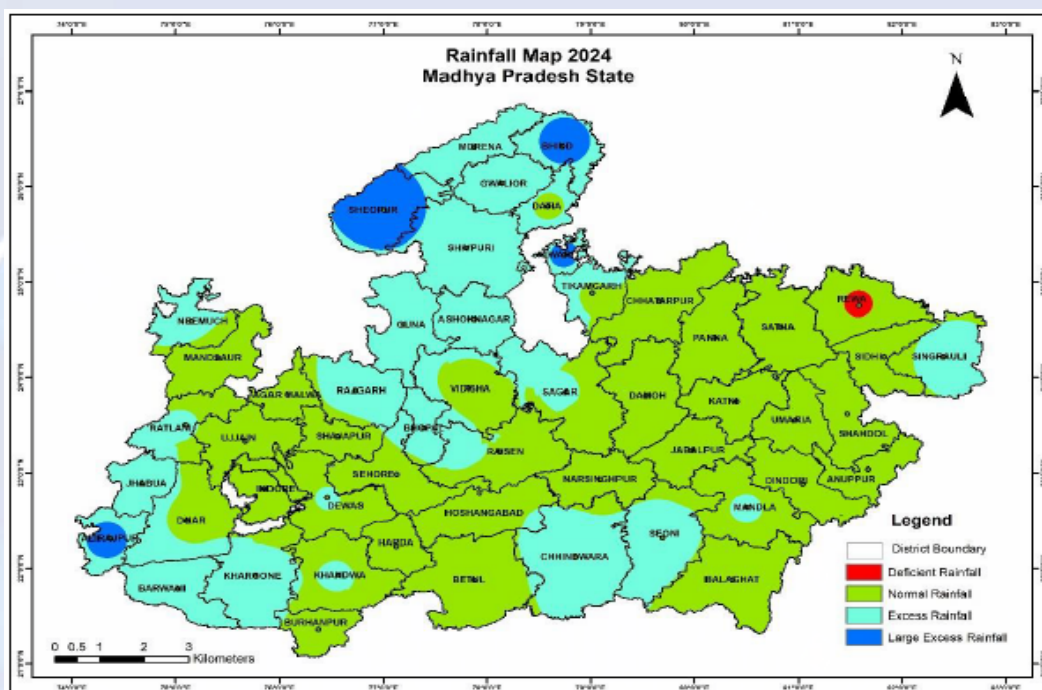
चित्र 12.4 में प्रदेश के जिलों में वर्षा का पैटर्न दर्शाया गया है। वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में अधिक वर्षा वाले जिलों की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि अल्प वर्षा वाले जिलों की संख्या में कमी आई है।



स्रोत: केंद्रीय भूजल बोर्ड रिपोर्ट, बुलेटिन मई 2025

चित्र 12.4 मध्यप्रदेश के जिलों में वर्षा की तुलना

वर्ष 2024 में वर्षा के क्षेत्रीय पैटर्न चित्र 12.5 में दर्शाया गया है।



स्रोत: केंद्रीय भूजल बोर्ड रिपोर्ट, बुलेटिन मई 2025

चित्र 12.5 मध्यप्रदेश का वर्षा मानचित्र, 2024

12.2.2 मध्यप्रदेश के जलाशय

केंद्रीय जल आयोग देश के 166 बड़े जलाशयों की निगरानी करता है। इनमें से 11 जलाशय मध्यप्रदेश के हैं। दिनांक 22 जनवरी, 2026 तक इन जलाशयों के आंकड़ों से पता चलता है कि कुल 11 जलाशयों में से 08 जलाशयों में पूर्ण जलाशय स्तर (FRL) पर उनकी लाइव स्टोरेज क्षमता सामान्य भंडारण से अधिक है। मध्यप्रदेश में प्रमुख जलाशयों के जलस्तर का विवरण तालिका 12.8 पर उल्लेखित है (सेंट्रल वाटर कमिशन)।

तालिका 12.8 मध्यप्रदेश के प्रमुख जलाशयों का सारांश

क्र.	जलाशय का नाम	FRL (m)	वर्तमान जलाशय स्तर (m)	FRL पर लाइव क्षमता (BCM)	मौजूदा लाइव स्टोरेज (BCM)	FRL पर लाइव क्षमता (%) के रूप में स्टोरेज		
						वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष	सामान्य भंडारण
1	गांधी सागर	399.90	397.24	6.827	5.045	73.90	78.53	78.43
2	तवा	355.40	351.65	1.944	1.396	71.80	76.38	53.82
3	बरगी	422.76	418.80	3.180	2.126	66.86	77.92	73.15
4	बाणसागर	341.64	340.02	5.166	4.440	85.95	81.73	77.86
5	इन्द्रासागर	262.13	259.35	9.745	7.127	73.13	67.35	60.19
6	बरना बांध	348.55	347.07	0.456	0.359	78.74	80.09	66.71
7	ओंकारेश्वर	196.60	194.03	0.299	0.030	10.09	22.74	27.88
8	संजय सरोवर	519.38	514.25	0.508	0.197	38.84	41.14	28.08
9	राजघाट बांध	370.89	369.50	1.945	1.625	83.55	68.79	51.96
10	कोलार बांध	462.20	457.63	0.270	0.183	67.76	70.00	37.95
11	अटल सागर	346.25	342.60	0.835	0.620	74.28	70.30	43.92

स्रोत- सेंट्रल वाटर कमिशन, <https://cwc.gov.in/reservoir-level-storage-bulletin> 22.01.2026 की स्थिति में

12.2.3 पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को)

मध्यप्रदेश शासन द्वारा एफ्को में वर्ष 2012-13 से जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केंद्र (SKMCCC) संचालित है। SKMCCC द्वारा प्रमुख रूप से प्रदेश में जलवायु परिवर्तन संबंधी नीतिगत दस्तावेज, शोध कार्य, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास तथा मैदानी क्लाइमेट एक्शन परियोजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है।

जलवायु परिवर्तन विषय पर शोध कार्य

- वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री जलवायु परिवर्तन पी.एच.डी. स्कॉलरशिप योजना अंतर्गत 4 शोधार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान की गयी है।
- जलवायु परिवर्तन जोखिम का आकलन (Risk Assessment) अध्ययन में वर्ष 1970 से 2019 तक दैनिक जिलेवार वर्षा की स्थिति, वितरण एवं मात्रा के आधार पर जिलेवार सापेक्षिक जोखिम (सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि की स्थिति) का आकलन तथा भविष्य का पूर्वानुमान को समावेशित किया गया।

जलवायु परिवर्तन की परियोजनाएँ

यू.एन.डी.पी. नेट जीरो उत्सर्जन परियोजना : अंतर्गत मंदसौर, बैतूल, हरदा, सीहोर एवं विदिशा जिलों की कुल 36 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सौर उर्जा पैनल स्थापित किये गए | उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए बैतूल, सीहोर, सागर एवं भोपाल जिलों की कृषि उपज मंडियों तथा FPOs में 5-5 मीट्रिक टन के 12 सोलर कोल्ड स्टोरेज इकाइयाँ तथा भोपाल में पर्यावरण परिसर, एफ्को में एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है



Partnership for Action on Green Economy (PAGE) परियोजना: पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत UNDP तथा UNITAR के सहयोग से संचालित यह परियोजना SDG-11 (स्थायी शहर और समुदाय) और SDG-13 (जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही) से संबंधित है। परियोजना अंतर्गत शहरी प्रबंधन, जल संसाधन, कृषि और वन प्रबंधन आदि क्षेत्रों में हरित विकास, सर्कुलर इकोनॉमी, प्रकृति-आधारित समाधानों की अवधारणाओं पर विभिन्न हितधारकों की क्षमताओं विकास करना है

पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम

पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से सतत् जीवन शैली कार्यशालाओं का आयोजन विभिन्न पर्यावरणीय प्रतियोगिताएँ अभियान लघु परियोजनाएँ तथा प्रकृति भ्रमण कार्यक्रमों का आयोजन इको क्लब विद्यालय एवं महाविद्यालय के मध्य किया जाता है।

पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण 2.88 करोड़ रु. राशि प्राप्त हुई है, जिसमें प्रथम चरण राशि रुपए 1.80 करोड़ प्रदेश के इको क्लब विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को जारी की गई।

पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर Eco Hackathon कार्यक्रम में पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को), पर्यावरण विभाग मध्यप्रदेश को कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए प्रथम पांच राज्यों की श्रेणी में सम्मान स्वरूप प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया। Eco Hackathon में प्रदेश से लगभग 12,915 प्रतिभागियों द्वारा पंजीयन कर लगभग 6,573 हरित विचार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपलोड किए गए।

प्राकृतिक स्रोतों की संरक्षण-

जलाशयों के उचित रख-रखाव, पर्यावरणीय संरक्षण एवं सुधार को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1990 में शहरी क्षेत्रों के जलीय निकायों के संरक्षण की योजना प्रारम्भ की गयी। जन जागरूकता हेतु इसे “सरोवर हमारी धरोहर” नाम दिया गया। इस योजनान्तर्गत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के जलीय निकायों के संरक्षण एवं पर्यावरणीय उन्नयन के कार्य किये जाते हैं ताकि पर्यावरण एवं जल प्रबंधन के साथ-साथ आमजन के जीवन को उन्नत किया जा सके। इस योजनान्तर्गत स्थल की वस्तुस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार प्रमुख कार्य जैसे तालाब की गाद निकाल कर उनकी जल संग्रहण क्षमता बढ़ाना, बांध का सुदृढ़ीकरण, पिचिंग कार्य, निस्तार हेतु घाट आदि का निर्माण, पानी के प्रवेश द्वार तथा निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ करना, सुरक्षा हेतु फेंसिंग/बाऊण्ड्री वाल के साथ बांध पर वृक्षारोपण/उद्यान का विकास, जल गुणवत्ता में सुधार हेतु कार्य प्रस्तावित किए जाते हैं।

वेटलैण्ड्स संरक्षण एवं प्रबंधन

वेटलैण्ड्स का मानव सभ्यता, संस्कृति और जैव विविधता को समृद्ध बनाने में बड़ा योगदान है। वेटलैण्ड्स के लिए हिंदी में और अन्य भारतीय भाषाओं में अनेक शब्द हैं, जो वेटलैण्ड्स की भौगोलिक, पारिस्थितिकीय विविधता, उद्गम, आकार, गहराई, जल स्रोत के आधार और उपयोग को भी दर्शाते हैं। हम अपने आसपास इन वेटलैण्ड्स को छोटे-बड़े तालाब, सागर, पोखर, झील, ताल, तलैया, आगर और पुष्कर के रूप में पुकारते हैं और देख भी सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों, आस्थाओं, लोक परंपराओं, साहित्य, कहानियों, कविताओं में पानी, तालाब, पोखर, नदी इत्यादि का वर्णन मिलता है। वेटलैण्ड्स जल का एक बड़ा स्रोत होने के साथ-साथ बाढ़ को नियंत्रण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में NPCA योजना अंतर्गत अमृत सागर, रतलाम (राशि रु 2.00 करोड़) एवं सीता सागर, दतिया (राशि रु 1.80 करोड़) की Mother Sanction भारत सरकार से प्राप्त हुई जिसमें अमृत सागर में राशि

रु 16.00 लाख का राज्यांश सहित व्यय हुआ एवं सीता सागर, दतिया परियोजना में राशि का व्यय नहीं हो पाया। भारत सरकार द्वारा उक्त Mother Sanction के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु पुनः अमृत सागर, रतलाम (राशि रु 2.60 करोड़) एवं सीता सागर, दतिया (राशि रु 1.08 करोड़) की Mother Sanction जारी की गयी जिसके विरुद्ध अमृत सागर में राशि रु 72.00 लाख एवं सीता सागर में राशि रु 98.51 लाख राज्यांश सहित व्यय हुआ।

बॉक्स 12.1 पर्यावरण विभाग की विशिष्ट

रामसर संधि सचिवालय, स्विट्ज़रलैंड द्वारा इंदौर शहर को देश के प्रथम वेटलैंड सिटी के रूप में अधिमान्यता प्राप्त हुई।

तवा जलाशय, जिला नर्मदापुरम् को वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश की 5वीं रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ।

मान. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में प्रदेश में स्थित कुल 13,565 वेटलैंड्स के भौतिक सत्यापन एवं सीमांकन में आज दिनांक 30.12.2025 तक 13506 वेटलैंड्स के भौतिक सत्यापन एवं 13243 वेटलैंड्स के सीमांकन का कार्य राजस्व, वन, पर्यावरण विभाग के समन्वय एवं जिला प्रशासन के माध्यम से किया गया जिसमें शेष बचे वेटलैंड्स का भौतिक सत्यापन एवं सीमांकन कार्य किया जाना प्रस्तावित है तथा भौतिक सत्यापन एवं सीमांकन संबंधी जानकारी का परीक्षण एवं मूल्यांकन किया जा रहा है। प्रदेश में स्थित वेटलैंड्स के भौतिक सत्यापन एवं सीमांकन की जानकारी को राजस्व विभाग, म. प्र. शासन के भू-अभिलेख पोर्टल पर खसरे सहित मानचित्र को एकीकृत किया जाना प्रस्तावित है। (पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश)।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अब तक 18 बायोस्फियर रिजर्व चिन्हित किये गये हैं, इनमें निम्नानुसार तीन बायोस्फियर रिजर्व पचमढ़ी, अचानकमार-अमरकंटक (अंतर्राज्यीय) एवं पन्ना बायोस्फियर रिजर्व म.प्र. राज्य में स्थित हैं। म.प्र. में स्थित तीनों बायोस्फियर रिजर्व यूनेस्को के World Network of Biosphere Reserve (WNBR) पर भी चिन्हित है।

12.3. खनिज

प्रदेश की आर्थिक प्रगति एवं औद्योगिक विकास में खनिजों के उत्पादन एवं खनिज आधारित उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। देश में खनिज संसाधनों की दृष्टि से मध्यप्रदेश का चतुर्थ स्थान है। भारतीय संघ में हीरा उत्पादन के संबंध में मध्यप्रदेश राज्य की स्थिति एकाधिकारी है। भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित वित्तीय वर्ष 2024-25 के खनिजवार-राज्यवार उत्पादन के राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार म.प्र. ताम्र अयस्क के उत्पादन में देश में प्रथम, रॉक फास्फेट, मैंगनीज अयस्क एवं चूना पत्थर के उत्पादन में द्वितीय, कोयला उत्पादन में चतुर्थ तथा लौह अयस्क एवं बॉक्साइट उत्पादन में षष्ठम स्थान है। उक्त अतिरिक्त प्रदेश गौण खनिजों के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। गौण खनिजों में प्रमुख खनिज जैसे डोलोमाइट, क्वार्टज, डायस्पोर, पायरोफिलाइट, ग्रेनाइट, सैंड स्टोन एवं अन्य निर्माण सामग्री आधारित खनिजों का उत्पादन प्रदेश में किया जाता है।



बॉक्स 12.2 विभाग की विशिष्ट उपलब्धियाँ माइनिंग समिट (GIS अंतर्गत) एवं कटनी माइनिंग कॉन्क्लेव 2 महत्वपूर्ण आयोजन

1. भारत सरकार द्वारा जारी स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स अंतर्गत ए श्रेणी में मध्यप्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जो प्रदेश के खनन क्षेत्र में निरंतर सुधार, नवाचार एवं बेहतर प्रशासनिक दक्षता का परिणाम है।
2. ओडीशा में आयोजित स्टेट माइनिंग मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जनवरी 2025 में खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मुख्य खनिज की नीलामी में उत्कृष्ट कार्य हेतु मध्यप्रदेश को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।
3. जिला सिंगरौली एवं कटनी में कुल 6 स्वर्ण खनिखण्डों (3 खनिपट्टे एवं 3 समेकित अनुज्ञप्ति) की सफलता पूर्वक नीलामी का निष्पादन हुआ है, जिनमें कुल 7.87 मिलियन टन स्वर्ण उपलब्धता अनुमानतः आंकलित है, जिसमें स्वर्ण की औसत मात्रा 1.03 ग्राम प्रतिटन संभावित है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
4. भोपाल में सम्पन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट अंतर्गत दिनांक 25 फरवरी 2025 को Mining Summit का आयोजन किया गया, समिट में प्रदेश की औद्योगिक नीति अंतर्गत निवेश को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु खनिज क्षेत्र में अधिकाधिक निवेशकों को आमंत्रित कर "Intention to Invest" हेतु प्रोत्साहित किया गया है। समिट में प्राप्त निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन से लगभग दो लाख लोगों के लिए खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अतिरिक्त रोजगार का सृजन होना संभावित है।

12.3.1 महत्वपूर्ण नीतियाँ एवं पहल

प्रदेश एक मात्र हीरा उत्पादक राज्य होने के कारण पन्ना जिले के विश्वविख्यात हीरे को भारत सरकार की भौगोलिक संकेतन (GI) पंजीयन द्वारा GI Tag प्राप्त हुआ है। खनन क्षेत्र में तकनीक, नवाचार एवं अन्वेषण कार्य को बढ़ावा देने हेतु विभाग एवं मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के माध्यम से अनुसंधान हेतु उल्लेखनीय MoU निष्पादित हुए हैं, जिनमें कोल इंडिया लिमिटेड के साथ क्रिटिकल मिनरल की खोज प्रसंकरण एवं संवर्द्धन हेतु, टेक्समिन एवं ISM धनबाद के साथ AI, IoT, ब्लॉक चेन, रिमोट सेंसिंग आदि आधुनिक तकनीकी का खनन क्षेत्र में अनुप्रयोग हेतु संयुक्त कार्य दल एवं संयुक्त उपक्रम के गठन हेतु, हिन्दुस्तान कॉपर लि. के साथ ताम्र अयस्क के अन्वेषण हेतु एवं भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER), भोपाल के साथ रेयर अर्थ और स्वर्ण खनिज की खोज हेतु MoU प्रमुख हैं।

23 अगस्त, 2025 को खनिज संसाधनों से समृद्ध जिला कटनी में Mining Conclave 2.0 का आयोजन कर म.प्र. को देश के उद्यमियों के मध्य खनन क्षेत्र में निवेश हेतु आकर्षक गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। प्रदेश के खनन जगत के विद्यमान उद्यमियों द्वारा भी खनिज संबंधी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने के आशय से प्रस्तुतीकरण दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के प्रमुखों द्वारा भी खनिज संसाधन आधारित उद्योग एवं तकनीकों के बारे में ज्ञान का आदान-प्रदान किया गया।

म.प्र. गौण खनिज नियम 1996

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के तहत गौण खनिजों के अन्वेषण, दोहन एवं संरक्षण का कार्य सतत् रूप से किया जा रहा है। खनिज उद्यमियों की सुविधा को देखते हुए पूर्व में वार्षिक डेडरेंट जमा किये जाने के संबंध में दो किश्तों में प्रावधान किया गया था। विलंब से जमा करने पर ब्याज राशि 24 प्रतिशत के स्थान पर 12 प्रतिशत की गई। खनि रियायतों की Ease of Doing Business को दृष्टिगत रखते हुए समस्त वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त होने के उपरान्त ही खदानों के संचालन हेतु अनुबंध निष्पादन किया जा रहा है। इसके लिए वैधानिक अनुमतियों को प्राप्त किये जाने के संबंध में अंतर्विभागीय कार्यों का उच्च स्तर पर पर्यवेक्षण निरंतर किया जा रहा है। बाजार में खनन संसाधनों के दोहन एवं संरक्षण के साथ मूल्य नियंत्रण एवं निजी एकाधिकार

को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र. शासन के अधीन, म.प्र. राज्य खनिज निगम के माध्यम से खनिजों के पूर्वोक्षण, दोहन एवं व्यापार का कार्य किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश रेत नियम

मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2019 - मध्यप्रदेश राजपत्र प्रकाशन दिनांक 26/05/2023 से किये गये संशोधन अनुसार म.प्र. के समस्त जिलों की स्वीकृत रेत खदानों का उत्खनिपट्टा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के पक्ष में स्वीकृत किया जाकर समस्त वैधानिक अनुमतियों को प्राप्त किये जाने की कार्यवाही निगम स्तर से की जा रही है। मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम स्तर पर रेत खदानों की मॉनिटरिंग एवं पर्यावरणीय मानकों के पालन के लिये टीम गठित की गयी है, जिसके द्वारा प्रदेश स्तर पर विभिन्न जिलों में रेत उपलब्धता एवं नवीन क्षेत्रों के चिन्हांकन का कार्य निरंतर किया जा रहा है। रेत विहीन खदानों को निविदा से पृथक करने, नवीन रेत खदानों का चिन्हांकन कर घोषित किये जाने एवं निविदा में रखे जाने की कार्यवाही निरंतर चल रही है।

वर्तमान में म.प्र. राज्य खनिज निगम द्वारा प्रदेश के 40 रेत धारित जिलों के 47 रेत समूहों की रेत के उत्खनन व विक्रय ई-निविदा सह नीलामी के माध्यम से किया गया है, जिसमें 37 रेत समूह / 34 जिलों में ई-निविदा सह नीलामी के माध्यम से MDO के चयन की कार्यवाही सफल रही है। इन समूहों में प्रारंभिक आधार मूल्य राशि 860.65 करोड़ रुपये के विरुद्ध प्रतिवर्ष लगभग 1148.61 करोड़ रुपये का राजस्व शासन को प्राप्त होना संभावित है। शेष 08 रेत धारित जिलों के 10 समूहों, जिसका प्रारंभिक आधार मूल्य राशि 21.27 करोड़ रुपये है, की ई-निविदा सह नीलामी के माध्यम से MDO के चयन की कार्यवाही गतिशील है साथ ही नदियों से प्राकृतिक रेत की निर्भरता को कम किया जाकर, पत्थर से यांत्रिक क्रिया द्वारा निर्मित रेत (एम-सैंड) को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

पर्यावरण प्रबंधन / पर्यावरण मंजूरी

पर्यावरण प्रबंधन अंतर्गत मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 44 में प्रत्येक उत्खननपट्टा/खनि रियायतधारी को उत्खनन संक्रिया करते समय पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए यथासंभव सावधानियाँ बरतते हुए कार्य किया जाना प्रावधानित है। इसी प्रकार नियम 46 में सार्वजनिक स्थानों की क्षति, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यक सावधानियाँ बरतना भी प्रावधानित है।

नियमों में पर्यावरण प्रबंधन योजना का भी प्रावधान किया गया है। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश की खदानों में पर्यावरणीय मानदण्डों के नियंत्रण हेतु आवश्यक मानक स्थापित किए गए हैं। मानकों के उल्लंघन अथवा सुधारात्मक स्थितियाँ नहीं होने की दशा में परियोजना प्रस्तावकों के ऊपर शास्ति (Penalty) अधिरोपित किए जाने के प्रावधान भी किये गये हैं।

औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु प्रक्रियाओं का सरलीकरण

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 02.08.2024 के अनुसार एक अंतर्विभागीय समिति का गठन किया गया है, इसमें वन, राजस्व और पर्यावरण विभाग के अधिकारी सदस्य हैं। यह समिति समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करती है और ब्लॉक आवंटितियों से संबंधित मुद्दों के शीघ्र समाधान में सहायक होती है। खनिज साधन विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा पत्र दिनांक 24.03.2025 के माध्यम से कोयला एवं प्रमुख खनिजों से संबंधित निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा हेतु एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश द्वारा पत्र दिनांक 21.03.2025 के माध्यम से गौण खनिज ब्लॉकों से संबंधित निवेश



प्रस्तावों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा हेतु एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। विभाग द्वारा सभी कोयला ब्लॉक्स, अन्य प्रमुख खनिजों के ब्लॉक्स तथा लघु खनिज ब्लॉकों के परिचालन की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। (खनिज साधन विभाग)

खनन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग

खनन के क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी का अनुप्रयोग कर खनिजों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित मानव रहित ई-चेकगेट स्थापित करने की परियोजना प्रगति पर है। प्रदेश में ई-चेकगेट परियोजना अंतर्गत खनिज परिवहन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 40 चिन्हांकित स्थानों पर ई-चेकगेट स्थापित कर दिये गये हैं। संचालनालय स्तर पर राज्य कमाण्ड सेन्टर एवं 25 जिलों में जिला कमाण्ड सेन्टर स्थापित कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

ई-गवर्नेंस और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करके एक नवीन एकीकृत पोर्टल, ई-खनिज 2.0 का विकास किया जा रहा है। इस पोर्टल की सहायता से विभाग सिंगल विन्डो प्लेटफार्म के माध्यम से पट्टाधारक/नागरिकों को विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करेगा। इससे पारदर्शिता, राजस्व वृद्धि एवं जवाबदेहिता सुनिश्चित होगी एवं अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर नियंत्रण स्थापित होगा।

अवैध उत्खनन एवं भण्डारण की सम्यक रोकथाम हेतु उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली (Mining Surveillance System-MSS) विकसित कर लागू कर दी गयी है। परियोजना अंतर्गत प्रदेश की लगभग 7000 खदानों को जियोटेग कर सीमांकित किया गया है। खदान क्षेत्र के बाहर उत्खनन होने पर सिस्टम द्वारा क्षेत्रीय अमले हेतु अलर्ट जारी किये जा रहे हैं, जिनका क्षेत्रीय अमले द्वारा वेरीफिकेशन कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। (खनिज साधन विभाग)

12.3.2 राज्य में खनिज भंडार

खनिज भण्डार का आंकलन प्रदेश में उद्योग स्थापित करने हेतु उपयोगी होता है। खनिज भण्डार के सर्वेक्षण/पूर्वक्षण उपरान्त खनिज ब्लॉकों के चिन्हांकन एवं नीलामी द्वारा निर्वतन उपरांत खनिज राजस्व अर्जित किया जाता है। राज्य में खनिज संसाधन, प्रशासकीय दृष्टि से मुख्य खनिज, अनुसूची 5 के नवीन गौण खनिज एवं गौण खनिज के रूपों में वर्गीकृत हैं। मुख्य एवं अनुसूची 5 के महत्वपूर्ण नवीन गौण खनिजों के आंकलित भण्डारों की स्थिति का विवरण तालिका 12.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 12.9 प्रदेश के खनिज भण्डार

मुख्य खनिज	कुल भण्डार (01.04.2020 तक)
हीरा	28.59
आयरन ओर (हेमेटाइट)	356.99
मैंगनीज अयस्क	60.05
कोयला	32219.00
चूनापत्थर	9653.17
रॉक फॉस्फेट	58.45
कॉपर ओर	386.66

मुख्य खनिज	कुल भण्डार (01.04.2020 तक)
बॉक्साइट	186.25
31 नवीन गौण खनिज	कुल भण्डार (01.04.2015 तक)
पायरोफिलाइट	28.55
डोलोमाइट	2311.39
डायस्पोर	7.56

स्त्रोत : इंडियन मिनरल इयर बुक 2022 (वॉल्यूम 3 मिनरल रिव्यू), भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित

नोट:- हीरे के भण्डार की इकाई मिलियन कैरेट है तथा अन्य सभी खनिजों के भण्डार की इकाई मिलियन टन है।

12.3.3 राज्य में खनिज अन्वेषण

खनिज भण्डार का आंकलन प्रदेश में उद्योग स्थापित करने हेतु उपयोगी होता है। खनिज भण्डार के सर्वेक्षण / पूर्वक्षण उपरांत खनिज ब्लॉकों के चिन्हांकन एवं नीलामी द्वारा निर्वतन उपरांत खनिज राजस्व अर्जित किया जाता है।

वर्ष 2025-26 में विभाग द्वारा जिला मैहर में 02 क्षेत्र एवं जिला दमोह में 02 क्षेत्र पर चूना पत्थर खनिज हेतु पूर्वक्षण कार्य किया जा रहा है। उपरोक्त क्षेत्रों पर पूर्वक्षण कार्य प्रक्रियाधीन है। (खनिज साधन विभाग)।

12.3.4 राज्य में खनिज अन्वेषण कार्य की कालक्रम वार प्रगति

वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक प्रदेश के कुछ जिलों में खनिज चूना पत्थर एवं बॉक्साइट के भण्डारों का आंकलन किया गया है। राज्य में आंकलित भण्डार का वर्षवार विवरण तालिका 12.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 12.10 नवीन सर्वेक्षित खनिज भण्डार, आंकलित भण्डार (मि.टन)

क्र.	खनिज का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26
1	चूना पत्थर	361.62	122	174.22	75.23	आंकलन प्रगतिरत
2	बॉक्साइट	0	2.86	4	10.98	आंकलन प्रगतिरत

स्त्रोत : मध्यप्रदेश खनिज साधन विभाग

12.3.5 महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन

वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य खनिजों का उत्पादन मूल्य 32740.50 करोड़ ₹ (अनन्तिम) आंकलित है, जो गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्पादित मुख्य खनिजों के उत्पादन मूल्य 28918.05 करोड़ ₹ से 13.21 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश में विगत वर्षों में महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में हुई कमी/वृद्धि का विवरण तालिका 12.11 में दर्शित है।



तालिका 12.11 प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन

(1) उत्पादन इकाई लाख टन में

(2) हीरा की इकाई कैरट में

क्र.	खनिज	2022-23 (संशोधित)	विगत वर्ष की तुलना में % वृद्धि/कमी	2023-24 (संशोधित)	विगत वर्ष की तुलना में % वृद्धि/कमी	2024-25 (प्रावधिक)	विगत वर्ष की तुलना में % वृद्धि/कमी	2025-26 (नवम्बर 2025 तक)
1	कोयला	1460.29	5.84	1592.28	9.04	1675.73	5.24	1135.51
2	बॉक्साइट	6.02	(-) 1.14	5.82	(-) 3.34	5.56	(-) 4.46	6.49
3	ताम्र अयस्क	21.65	(-) 11.36	25.46	17.59	27.25	7.05	16.08
4	लौह अयस्क	43.65	(-) 40.81	60.47	38.54	68.99	14.09	40.80
5	मैंगनीज अयस्क	8.56	1.31	10.40	21.49	9.91	(-) 4.74	7.68
6	रॉक फॉस्फेट	4.45	291.26	2.37	(-) 46.75	3.65	54.09	2.28
7	हीरा	388.00	45.86	295.61	(-) 23.81	4845.98	1539.32	4846.98
8	चूना पत्थर	505.97	1.59	623.08	23.15	625.59	0.40	413.32

नोट:- (1) उपर्युक्त वित्तीय वर्षवार आंकड़े आई.बी.एम., नागपुर द्वारा प्रकाशित खनिज उत्पादन की मासिक सांख्यिकी, मार्च 2024 एवं मार्च 2025 के आंकड़ों से उद्धरित हैं।

(2) सम्प्रति वर्ष 2024-25 के अंतिम आंकड़े आई.बी.एम. से प्रकाशित नहीं होने की स्थिति में अभी प्रावधिक है।

(3) अनुच्छेद 12.3 में विभिन्न मुख्य खनिजों के उत्पादन के सम्बन्ध में भारतीय संघ में मध्यप्रदेश का स्थान निर्धारण बिन्दु 1 में दर्शित आईबीएम के प्रकाशन, मार्च 2025 के टेबल-4 'खनिज और राज्यवार उत्पादन' के वर्ष 2024-25 के उत्पादन के आंकड़ों को अवरोही क्रम में संयोजित कर प्राप्त किया गया है।

(4) वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह नवम्बर 2025 तक के खनिजवार उत्पादन की मात्रा जिला कार्यालयों से प्राप्त सूचनाओं को एकजाई कर दर्शित है।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2024-25 में वर्ष 2023-24 की तुलना में महत्वपूर्ण खनिजों यथा कोयला, ताम्र अयस्क, लौह अयस्क, हीरा, चूना पत्थर एवं रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में वृद्धि हुई है। प्रतिशत के रूप में वृद्धि क्रमशः 5.24, 7.05, 14.09, 1539.32, 0.40 एवं 54.09 प्रतिशत दर्ज की गयी। इसी अवधि में बॉक्साइट एवं मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में कमी परिलक्षित हुई। प्रतिशत के रूप में कमी क्रमशः 4.46 एवं 4.74 प्रतिशत दर्ज की गयी।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 पर्यंत उत्पादित महत्वपूर्ण खनिजों का मूल्य तालिका 12.12 में प्रदर्शित है।

तालिका 12.12 प्रदेश में उत्पादित महत्वपूर्ण खनिजों का मूल्य

लाख रुपये में

क्र.	खनिज	वित्तीय वर्ष 2022-23 (सं.)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (सं.)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (प्रा.)	वित्तीय वर्ष 2025-26 (नवंबर 2025 तक) (प्रा.)
1	2	3	4	5	6
1	कोयला	2210645.41	2505755.11	2872921.78	1946749.82
2	बॉक्साइट	5525.30	5823.47	6046.74	7064.34

क्र.	खनिज	वित्तीय वर्ष 2022-23 (सं.)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (सं.)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (प्रा.)	वित्तीय वर्ष 2025-26 (नवंबर 2025 तक) (प्रा.)
1	2	3	4	5	6
3	ताम्र अयस्क	53312.64	66325.99	74470.07	43931.56
4	लौह अयस्क	24756.99	37990.34	41890.16	24773.31
5	मैंगनीज अयस्क	74397.59	76356.51	80235.02	62174.08
6	रॉक फॉस्फेट	4832.55	3276.80	4605.35	2873.17
7	हीरा	614.73	151.03	3282.60	3314.79
8	चूना पत्थर	172778.19	196125.94	190595.83	125925.07

स्रोत - इंडियन मिनरल डायरेक्टरी, मार्च 2023, मार्च 2024 भारतीय खान ब्यूरो।

नोट:- (1) स्रोत : कोयला एवं ताम्र अयस्क को छोड़कर खनिजों का मूल्य आई.बी.एम., नागपुर के प्रकाशन खनिज उत्पादन की मासिक सांख्यिकी, मार्च 2024 एवं मार्च 2025 के आंकड़ों से उद्धरित है।

(2) ताम्र अयस्क का मूल्य हिंदुस्तान कॉपर लिमि. की वार्षिक विवरणी अनुसार दर्शित है।

(3) उत्पादित कोयले के कुल मूल्य का परिकलन, प्रेषित कोयले के कुल मूल्य (कुल रॉयल्टी राशि = प्रेषित कोयले के खान मुख मूल्य के 14 % के आधार पर व्युत्क्रम गणना के परिणाम) को प्रेषित कोयले की कुल मात्रा से भाग देकर प्राप्त परिणाम, प्रति टन कोयले के मूल्य को उत्पादित कोयले की मात्रा से गुणा करके किया गया है। गणितीय संकेतन में इस तथ्य को निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं-

उत्पादित कोयले का कुल मूल्य = $\left[\left\{ \left(\frac{\text{प्राप्त कुल रॉयल्टी} \times 100}{14} \right) \div \text{प्रेषित कोयले की कुल मात्रा} \right\} \times \text{उत्पादित कोयले की कुल मात्रा} \right]$

(4) 2024-25 के अंतिम आंकड़े आई.बी.एम. से प्रकाशित नहीं होने की स्थिति में अभी प्रावधिक हैं।

(5) वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह नवंबर 2025 तक के उत्पादित खनिज का कुल मूल्य प्रावधिक रूप से वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रति इकाई मूल्य को उत्पादित मात्रा से गुणा कर प्राप्त परिणाम को दर्शाया गया है।

(6) संकेत:- (सं) = संशोधित, (प्रा)=प्रावधिक।

12.3.6 बजटीय प्रावधान एवं राजस्व

बजट अनुमान 2025-26 के अनुसार योजना 5453 में जिला खनिज निधि के राजस्व अनुभाग के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य एवं अन्य प्रभार पर कुल 200.00 करोड़ तथा पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य एवं उप वृहद निर्माण कार्य पर कुल राशि रु. 1100.00 करोड़ आवंटित किया गया है। इस प्रकार कुल राशि 1300.00 करोड़ प्रावधानित किये गये। तालिका 12.13 पर वर्षवार विभिन्न प्रमुख योजना का बजट वर्णित है।

तालिका 12.13 योजनावार (सब स्कीम) प्रावधानों का विवरण

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र.	योजनावार (सब स्कीम)	वित्तीय वर्ष 2023-24 लेखा	वित्तीय वर्ष 2024-25 पुनरीक्षित अनुमान	वित्तीय वर्ष 2025-26 पुनरीक्षित अनुमान
1	0182 खनिजों का सर्वेक्षण की स्थापना	20.560	62.140	68.71
2	2294 संचालनालय की स्थापना	35.140	46.350	71.480
3	2713 प्रयोगशाला स्थापना	0.880	1.410	0.000



क्र.	योजनावार (सब स्कीम)	वित्तीय वर्ष 2023-24 लेखा	वित्तीय वर्ष 2024-25 पुनरीक्षित अनुमान	वित्तीय वर्ष 2025-26 पुनरीक्षित अनुमान
4	5453 जिला माइनिंग फण्ड	1095.200	1300.000	1400.000
5	6606 खनिज अधिभार का रक्षित निधि में अंतरण	842.910	930.000	980.000
6	अन्य (9545+1091)	0.180	6.640	7.400
	वृहद योग	1994.870	2346.640	2527.590

स्रोत :- IFMIS द्वारा generated report अनुसार 2025-26

वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत मद में राशि ₹. 980.05 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में खनिज राजस्व के लक्ष्य ₹ 9500 करोड़ के विरुद्ध राजकोष में ₹ 10065.73 करोड़ की प्राप्ति हुई। इसी तरह वर्ष 2024-25 में राजस्व लक्ष्य ₹ 12500 करोड़ रखा गया था, जिसके विरुद्ध ₹ 10290.11 करोड़ की प्राप्ति हुई है, जो विगत वित्तीय वर्ष की प्राप्ति से 2.23% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित लक्ष्य ₹ 13079 करोड़ के विरुद्ध माह नवम्बर 2025 तक ₹ 6460.24 करोड़ की प्राप्ति हो चुकी है।

संदर्भ

1. मध्यप्रदेश वन विभाग
2. बांस मिशन, मध्यप्रदेश
3. भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारत सरकार
4. अनुदानों की माँगें (2025-26) माँग संख्या 010 वन, मध्यप्रदेश शासन
5. मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम
6. मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज "व्यापार एवं विकास" सहकारी संघ मर्यादित
7. म.प्र. राज्य वेटलेण्ड्स प्राधिकरण
8. केंद्रीय भूजल बोर्ड रिपोर्ट - 2013, 2017, 2020, 2022, 2023
9. केंद्रीय भूजल बोर्ड- Dynamic Ground Water Resources of India वर्ष 2025
10. सेंट्रल वाटर कमिशन-<https://cwc.gov.in/reservoir-level-storage-bulletin> 22.01.2026 की स्थिति में
11. जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश
12. पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश
13. इंडियन मिनरल इयर बुक, 2023, 2024 एवं monthly statistics of mineral production, मार्च 2024, 2025 भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित
14. खनिज साधन विभाग, मध्यप्रदेश
15. अनुदानों की माँगें 2025-26, माँग संख्या 025 - खनिज साधन विभाग



सामाजिक समावेशन (Social Inclusion)

“स्वदेशी अपनायें, स्वाध्यायी बनें, समय का प्रबंधन करें और हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचें।”

डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री

अनुसूचित जनजाति वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु आयुक्त, जनजातीय कार्य के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। विभागीय कार्यक्रमों में शैक्षणिक योजनाएं प्रमुख हैं। विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में शालाओं के संचालन के साथ-साथ शैक्षणिक प्रोत्साहन देने वाली अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए आर्थिक उत्थान और आर्थिक सहायता के लिए भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जनगणना 2011 अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 153.16 लाख है जो राज्य की कुल आबादी का 21.10 प्रतिशत है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति को विशेष जनजाति समूह के रूप में मान्यता दी गई है। जनजातियों के विकास हेतु एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं संचालित हैं, जिनके अंतर्गत 26 वृहद परियोजनाएं, 05 मध्यम परियोजनाएं, 30 माडा पॉकेट्स एवं 6 लघु अंचल संचालित हैं। प्रदेश में 88 अनुसूचित जनजाति विकासखण्ड हैं।

13.1 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण: वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में संचालित प्रमुख विभागीय योजनाओं का संचालन

जनजातीय कार्य विभाग द्वारा स्वीकृत शैक्षणिक संस्थाएं: मध्यप्रदेश के आदिवासी विकास खंडों में शैक्षणिक संस्थाएं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं। इनमें प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की विभिन्न शालाएं शामिल हैं। विशेष रूप से शिक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं का भी संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए निम्नलिखित संस्थाओं की संख्या निर्दिष्ट की गई हैं: प्राथमिक शालाएं - 22,913, माध्यमिक शालाएं - 6,788, हाई स्कूल - 1,109, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय - 898, विशेष शालाओं में आदर्श आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय - 8, कन्या शिक्षा परिसर - 82 और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय - 63 शामिल हैं। इसके अतिरिक्त क्रीड़ा परिसरों की संख्या 26 है। आश्रम शालाओं की संख्या 1,078 है, जूनियर छात्रावासों की संख्या 197, सीनियर छात्रावासों की संख्या 1,032, उत्कृष्ट सीनियर छात्रावासों की संख्या 210 और महाविद्यालयीन छात्रावासों की संख्या 154 है। इस प्रकार स्वीकृत शैक्षणिक संस्थानों/ केन्द्रों/ छात्रावासों की कुल संख्या 34,558 है। इन आँकड़ों से शिक्षा, खेल और आवासीय सुविधाओं की व्यापकता को समझा जा सकता है।

राज्य छात्रवृत्ति: राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 10 तक के समस्त बालक-बालिकाओं को दस माह के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अनुसूचित जनजाति राज्य छात्रवृत्ति की वार्षिक दरें इस प्रकार हैं: कक्षा 1 से 5 के विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों को ₹ 250/- वार्षिक और बालिकाओं को ₹ 250/- वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 6 से 8 में बालकों को ₹ 200/- और बालिकाओं को ₹ 600/- वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। वहीं, कक्षा 9 से 10 के लिए बालकों को ₹ 600/- और बालिकाओं को ₹ 1300/- वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है उन विद्यार्थियों के लिए केन्द्र प्रवर्तित प्री- मैट्रिक योजना भी संचालित है। साथ ही गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के दिव्यांग

विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 10 तक के अंध दिव्यांग को परिवहन भत्ता, गंभीर रूप से (80 प्रतिशत से अधिक) दिव्यांग को परिवहन भत्ता 1600 रुपये दिया जाता है। मानसिक दिव्यांग के लिए 2400 रुपये भत्ता दिया जाता है एवं अंध दिव्यांग के लिए 1600 रुपये भत्ता दिया जाता है।

पोस्ट मैट्रिक एवं महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति (राज्य योजना मद अंतर्गत):- शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को रुपये 2.50 लाख से अधिक की आय सीमा होने पर निर्वाह भत्ते की पात्रता नहीं होगी, किन्तु केवल पूर्ण शुल्क की पात्रता होगी। अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को, जिनके माता/ पिता/ अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें निर्वाह भत्ते की पात्रता नहीं होगी। रुपये 2.50 लाख से 8.00 लाख तक की आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थियों को शासकीय संस्थाओं से संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु देय निर्धारित शिक्षण शुल्क सहित नॉन-रिफण्डेबल अनिवार्य शुल्क की आधी राशि का भुगतान किया जावेगा।

प्री- मैट्रिक राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 तक राज्य मद: कक्षा 1 से 10 तक प्री- मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आय सीमा का बंधन नहीं है। राज्य छात्रवृत्ति योजना 10 माह हेतु संचालित है। छात्रवृत्ति दरें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूचित जनजाति राज्य/ केन्द्र छात्रवृत्ति की वार्षिक दरें: अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न कक्षाओं में छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) में, विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों हेतु दर रुपये 250 वार्षिक है। बालिकाओं के लिए भी यही राशि निर्धारित है। माध्यमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) में, छात्रों को वार्षिक रूप से 200 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। बालिकाओं के लिए भी यही राशि निर्धारित की गई है। माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 और 10) में, राज्य स्तर पर छात्रों को वार्षिक रूप से 600 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके अलावा, केंद्र स्तर पर कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए 3000 रुपये और छात्रवासी विद्यार्थियों के लिए 6250 रुपये की सालाना छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। ये छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शिक्षा की प्राप्ति में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए संचालित की जा रही हैं, जिससे उनकी शिक्षा में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके।

विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति: अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवा जिनके पालक/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा रुपये 10.00 लाख से अधिक न हो, को विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष 50 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देना प्रावधानित है। वर्ष 2024-25 में राशि रुपये 500.00 लाख का प्रावधान कर राशि रुपये 317.55 व्यय की गई है। वर्ष 2025-26 में बजट प्रावधान राशि रुपये 600.00 लाख में 30 नवम्बर 2025 तक व्यय राशि रुपये 347.58 है।

क्रीड़ा परिसर: जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की खेल प्रतिभा को विकसित करने के लिए प्रदेश में कुल 26 आवासीय क्रीड़ा परिसर स्वीकृत हैं जिसमें 19 बालकों के लिए तथा 07 बालिकाओं के लिए संचालित हैं। इन 26 आवासीय क्रीड़ा परिसरों में से 07 विशिष्ट क्रीड़ा परिसर इन्दौर, जबलपुर, श्योपुर, झाबुआ, कुक्षी, धार एवं खरगौन के लिए स्वीकृत हैं। विशिष्ट क्रीड़ा परिसर इन्दौर में 200 सीट एवं शेष 25 क्रीड़ा परिसरों में 100 सीट स्वीकृत हैं। खिलाड़ियों को निःशुल्क आवास, भोजन, खेल किट एवं खेल सामग्री दी जाती है। विशिष्ट कोच/व्यायाम शिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। खिलाड़ियों को जिला स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताओं में सम्मिलित कराया जाता है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार राशि प्रदाय की जाती है।

अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना: अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/ बस्ती/ वार्ड में मूलभूत सुविधाएँ यथा समुचित पेयजल, विद्युत व्यवस्था, पंप ऊर्जीकरण, आंतरिक क्षेत्रों में पक्की सड़क, नाली निर्माण, मुख्य सड़कें, अनुसूचित जनजाति बस्ती/ ग्राम तक सड़क, पुलिया, रपटा निर्माण एवं सामुदायिक भवनों का निर्माण आदि उपलब्ध कराना है। वर्ष



2024-25 में राशि रुपये 6000.00 लाख प्रावधान के सापेक्ष राशि रुपये 5395.99 लाख व्यय हुआ है। आदिवासी बस्तियों में सी .सी रोड़ एवं विद्युतीकरण के कार्यों हेतु जिले को राशि सीधे आवंटित की जाती है। वर्ष 2025-26 में योजनान्तर्गत राशि रुपये 6000.00 लाख का प्रावधान है। माह नवम्बर, 2025 तक राशि रुपये 704.64 लाख का व्यय हुआ है।

अनुसूचित जनजाति बालिकाओं हेतु नवीन सायकिल प्रदाय योजना: योजनान्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 9 वीं में अध्ययनरत जिन आदिवासी बालिकाओं को साइकिल प्रदाय नहीं की गई तथा जिन्हें कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर घर से विद्यालय तक अथवा एक गांव से दूसरे गांव तक 3 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है, ऐसी बालिकाओं को सायकिल प्रदाय योजना का लाभ दिया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में राशि रुपये 8.00 लाख का प्रावधान कर राशि 7.99 रुपये लाख व्यय की गयी है। वर्ष 2025-26 में 8.00 लाख के प्रावधान के सापेक्ष माह नवम्बर, 2025 तक राशि रुपये 7.15 लाख व्यय की गई।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA): एक संक्षिप्त विवरण

इस महत्वाकांक्षी अभियान का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 02 अक्टूबर 2024 को किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का पूर्ण विस्तार (Saturation) और सामाजिक-आर्थिक सुधार सुनिश्चित करना है।

यह अभियान 5 वर्ष की अवधि (अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2029) के लिए संचालित है। इस हेतु सम्पूर्ण देश के लिए लगभग 80,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

मध्यप्रदेश में व्याप्ति (Coverage):

- मध्यप्रदेश के 51 जिलों के 267 विकासखण्डों के कुल 11,377 ग्रामों को इस अभियान में शामिल किया गया है।
- इसके अंतर्गत प्रदेश की लगभग 93.23 लाख जनजातीय जनसंख्या और 18.58 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।
- इस अभियान के तहत उन ग्रामों का चयन किया गया है जहाँ जनसंख्या 500 या उससे अधिक है और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 50% से अधिक है। आकांक्षी जिलों और विकासखण्डों में 50 से अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले ग्राम भी इसमें शामिल हैं।
- इस अभियान में 17 विभिन्न विभागों की 25 प्रमुख गतिविधियों को समाहित किया गया है। इसमें आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्र प्रमुख हैं।

प्रमुख उपलब्धियाँ (भौतिक प्रगति):

- **आवास (PMAY-G):** प्रदेश में 2,83,474 पक्के मकान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 88,554 (31.14%) कार्य पूर्ण हो चुके हैं।
- **पेयजल (जल जीवन मिशन):** लक्षित 11,309 ग्रामों में से 5302 ग्रामों में 'हर घर जल' की स्थिति रिपोर्ट की गई है एवं 6007 गाँव में कार्य प्रगतिरत है।
- **स्वास्थ्य (PMJAY):** 69.04 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 63.16 लाख (91.48%) आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं।
- **शिक्षा एवं अन्य:** 104 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं और जनजातीय क्षेत्रों में 4G/5G नेटवर्क विस्तार के लिए 309 टावर लगाने की योजना है।
- यह अभियान जनजातीय समुदायों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे उनके जीवन स्तर में व्यापक सुधार की अपेक्षा है।

नोट: उपर्युक्त आँकड़े मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन 26-28 दिसंबर, 2025, दिल्ली हेतु विभाग द्वारा प्रदत्त।

हितग्राही मूलक योजनाएं:- इस योजना में तीन प्रकार के पुरस्कार योजनाएं संचालित हैं:-

शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना: कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की मेरिट में जनजाति विद्यार्थियों में प्रथम तीन स्थान बालक या बालिका तथा अगले तीन स्थान बालिकाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं। कक्षा 10वीं एवं 12वीं के लिए मेरिट सूची में स्थान पाने वाले बालक/ बालिकाओं को प्रथम पुरस्कार राशि रुपये 51,000.00 (इक्यावन हजार), द्वितीय पुरस्कार राशि रुपये 40,000.00 (चालीस हजार) एवं तृतीय पुरस्कार राशि रुपये 30,000.00 (तीस हजार), वितरित किये जाते हैं। इसके पश्चात् राज्य स्तर की मेरिट में आगामी तीन स्थान प्राप्त करने वाली केवल बालिकाओं को क्रमशः राशि रुपये 15,000.00 (पंद्रह हजार), 10,000.00 (दस हजार) एवं 5,000.00 (पांच हजार) दिये जाते हैं।

(ब) मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार योजना: अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने पर मेधावी पुरस्कार योजनान्तर्गत, जिला स्तर पर 50-50 बालक/ बालिकाओं को राशि रुपये 1000/- एवं प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है।

(स) अनुसूचित जनजाति बालिका विज्ञान पुरस्कार योजना: योजना अंतर्गत 12वीं बोर्ड परीक्षा में विज्ञान संकाय में भौतिक, रसायन, जीवविज्ञान एवं गणित के अंकों को ही आधार मानकर इन विषयों के प्राप्तांक को सर्वाधिक अंक से न्यूनतम 90 प्रतिशत की सूची में 10 जनजातीय वर्ग की बालिकाओं को राशि रुपये 50000/- के मान से पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में राशि रुपये 9.00 लाख की प्रावधानित राशि में से राशि रुपये 6.24 लाख व्यय की गयी है। वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि व्यय 9.00 लाख में से नवम्बर 2025 की स्थिति में 5.40 लाख व्यय किया गया है।

विद्यार्थी कल्याण योजना: अनुसूचित जनजाति के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आकस्मिक विपत्ति में, विशेष रोग से पीड़ित होने पर इलाज कराने, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेने एवं विशेष अभिरूचि को प्रोत्साहन देने हेतु सहायता दी जाती है। वर्ष 2024-25 में इस योजना अंतर्गत कुल राशि रुपये 12.00 लाख का प्रावधान कर राशि रुपये 6.15 लाख व्यय की गयी है। वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि रुपये 12.00 लाख में से नवम्बर, 2025 की स्थिति में ₹ 4.49 लाख व्यय की गयी है।

सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना: राज्य शासन ने संघ लोक सेवा आयोग तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया है। योजनांतर्गत विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जाती है:

अ. संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के लिए:

1	प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	रुपये 40,000/-
2	मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	रुपये 60,000/-
3	साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर	रुपये 50,000/-

ब. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए:

1	प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	रुपये 20,000/-
2	मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	रुपये 30,000/-
3	साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर	रुपये 25,000/-



अर्हता हेतु अभिभावकों की वार्षिक आय राशि रुपये 8.00 लाख से अधिक न हो तथा दूसरी बार उत्तीर्ण होने पर 50 प्रतिशत राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2024-25 में राशि रुपये 200.00 लाख का प्रावधान कर राशि रुपये 199.95 लाख माह मार्च तक व्यय कर, कुल 630 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2025-26 में राशि रुपये 100.00 लाख का प्रावधान कर माह नवम्बर, 2025 तक राशि रुपये 55.25 लाख व्यय किया गया है।

अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा हेतु निजी संस्थाओं द्वारा कोचिंग: अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी संघ लोक सेवा आयोग की विभिन्न स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हों, इस हेतु दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से कोचिंग दिलाये जाने हेतु अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा के लिए निजी कोचिंग योजना स्वीकृत की गयी है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे आवेदकों को जो कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों, को उक्त योजनांतर्गत प्राथमिकता दी जाती है। शेष सीटों पर योजना के नियमानुसार अभ्यर्थी का चयन किया जाकर कोचिंग करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि रुपये 214.00 लाख के प्रावधान के सापेक्ष राशि रुपये 127.66 लाख का व्यय कर, कुल 91 अभ्यर्थियों को दिल्ली स्थित कोचिंग संस्थानों में कोचिंग का लाभ दिया गया है। वर्ष 2025-26 में राशि रुपये 214.00 लाख का प्रावधान कर, माह नवम्बर 2025 तक राशि रुपये 1.65 लाख व्यय की गई है।

सांदीपनि विद्यालय योजना: सांदीपनि विद्यालय विकसित करने का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु नवीन शिक्षा नीति के दृष्टिगत सर्व संसाधन सम्पन्न सांदीपनि विद्यालयों की स्थापना के लिए है। शिक्षा विभाग द्वारा जनजातीय विकासखण्डों के लिए सांदीपनि विद्यालयों के स्थापना हेतु योजना बनायी गयी है, जिसका मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है:

- नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के समग्र/ एकीकृत विद्यालय संचालित कर बच्चों की उपस्थिति दर को बढ़ाना तथा ड्रॉपआउट दर को कम करना।
- विद्यार्थियों में आधुनिक 21वीं शताब्दी की क्षमताओं/ दक्षताओं को विकसित करने हेतु विद्यालयों को आधुनिक उपकरणों, प्रविधियों और तकनीक से लैस करना।
- बच्चों के समग्र विकास के लिए खेलकूद, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक आदि पाठ्योत्तर गतिविधियों हेतु विद्यालयों को विकसित कर उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना।
- नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक हिंदी माध्यम के साथ-साथ अंग्रेजी कक्षाएँ संचालित करना।
- विभाग अंतर्गत 94 सांदीपनि विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों के संचालन हेतु वर्ष 2025-26 में राशि रुपये 104.73 करोड़ का बजट प्रावधान है।

एम.पी. सरस: भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय से शत-प्रतिशत अनुदान पर प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में संचालित 63 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित 82 कन्या शिक्षा परिसर एवं 8 आदर्श आवासीय विद्यालय (कुल 153 विशिष्ट आवासीय विद्यालयों) का संचालन मध्यप्रदेश स्पेशल रिसीडेंशियल एण्ड एकेडमिक सोसायटी, भोपाल द्वारा किया जा रहा है। प्रत्येक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में 240 बालक एवं 240 बालिका के मान से कुल 480 सीट्स स्वीकृत हैं। कन्या शिक्षा परिसर में प्रति कक्षा 70 सीट बालिकाओं के मान से कुल 490 एवं प्रत्येक आवासीय विद्यालय में प्रति कक्षा 35 सीट बालक के मान से कुल 245 सीट्स स्वीकृत हैं। इन विद्यालयों में सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम अंतर्गत अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। विद्यालयों के संचालन के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित हैं। सत्र 2025-26 में इन विद्यालयों में कुल 51,658 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

आहार अनुदान योजना: विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से वर्ष 2017 से आहार अनुदान योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह योजना विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य 15 जिलों क्रमशः श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, भिण्ड, दतिया, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट तथा डिण्डौरी में संचालित है। योजना अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा, भारिया और सहरिया) परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में MPTAASC के माध्यम से प्रतिमाह राशि 1000/- रूपए जमा की जाती थी। माह अक्टूबर 2023 से प्रतिमाह 1500/- रूपये राशि जमा की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि रूपए 450.00 करोड़ का बजट प्रावधान था, जिसके सापेक्ष 2,18,322 महिलाओं को लाभान्वित कर राशि रूपए 415.00 करोड़ व्यय किया गया है। वर्ष 2025-2026 में प्रावधानित राशि रूपये 450.00 करोड़ में से माह जनवरी 2026 तक 2,33,550 महिलाओं को लाभान्वित कर राशि रूपये 352.50 करोड़ का व्यय किया गया है।

सिकल सेल एनीमिया: सीसीडी प्लान अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा "Evaluation efficacy of Homeopathy as adjuvant therapy for PVTGs suffering form Sickel Cell Disorder" 03 वर्षीय कार्य योजना आयुष विभाग के अधीन शासकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय, भोपाल के माध्यम से जिला-छिंदवाड़ा, डिंडौरी, मण्डला एवं शहडोल के विशेष पिछड़ी जनजाति के हितग्राहियों हेतु क्रियान्वित की जा रही है। कार्ययोजना की लागत राशि रूपए 358.74 लाख है।

कार्ययोजना के तहत 10893 पुरुष, एवं 12427 महिलाएँ, इस प्रकार कुल 23,320 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

आदिवासी वित्त विकास निगम: आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता मद में 3 योजनाएं संचालित हैं: (1) टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना (2) बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना (3) मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना शासन आदेशानुसार वर्ष सितम्बर 2022 से संचालित है। इन योजनाओं के लिए प्रावधान एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार हैं।

तालिका 13.1: आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा संचालित योजनाएं (वित्तीय वर्ष 2024-25)

(राशि लाख रूपये में)

क्र	योजना का नाम	भौतिक लक्ष्य (हितग्राही संख्या)	भौतिक उपलब्धि (हितग्राही संख्या)	बैंकों द्वारा वितरित राशि	व्यय राशि (ब्याज अनुदान एवं गारंटी फीस का व्यय)
1	टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना	1000	1020	3755.04	182.01
2	भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना	10000	2290	1038.62	18.40
3	मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना	10	0	0	0



**तालिका 13.2: आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा संचालित योजनाएं
(वित्तीय वर्ष 2025-26, 04 फ़रवरी 2026 की स्थिति में)**

(राशि लाख रूपये में)

क्र	योजना का नाम	भौतिक लक्ष्य (हितग्राही संख्या)	भौतिक उपलब्धि (हितग्राही संख्या)	बैंकों द्वारा वितरित राशि	व्यय राशि (ब्याज अनुदान एवं गारंटी फीस का व्यय)
1	टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना	1000	881	3135.63	97.51
2 .	भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना	5000	1825	867.02	7.46
3	मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना	10	0	0	0

13.2 अनुसूचित जाति विकास: आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण

मध्यप्रदेश सरकार राज्य के हर नागरिक को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और उनके संसाधनों व सुविधाओं के अधिकार की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सबसे वंचित वर्गों को उद्यमशीलता योजनाओं, रोजगार के अवसरों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न लाभकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जातियों की सबसे अधिक आबादी है, जो 1.53 करोड़ है और यह राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1% है। यह भारत की कुल जनजातीय आबादी का 14.7% है (जनगणना 2011)। अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 50.6% है (पुरुष: 59.6 %, महिला 41.5 %)। इसके अलावा अनुसूचित जातियां राज्य की कुल जनसंख्या (7.27 करोड़) का 15.6 % (113 करोड़) हिस्सा है (जनगणना 2011)।

यह समझते हुए कि सभी जातियों की भागीदारी के बिना मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं खुशहाल जीवन की संरचना में बड़े परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते, सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान को सुनिश्चित कर रही है।

13.2.1 अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु संचालित विभिन्न योजनाएं एवं गतिविधियाँ

अनुसूचित जाति विकास विभाग को अनुसूचित जाति के विकास एवं हित संरक्षण का दायित्व सौंपा गया है। विभाग इस दायित्व के निर्वहन हेतु शैक्षणिक विकास की योजनाओं के साथ-साथ सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की योजनाएं संचालित कर रहा है। अनुसूचित जाति उप-योजना के तहत विभिन्न विकास विभागों द्वारा तैयार की जाने वाली योजनाओं तथा उनके लिए निर्धारित बजट/आयोजना के नियंत्रण के लिए अनुसूचित जाति विभाग नोडल विभाग है।

अत्याचार निवारण: अनुसूचित जाति/जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के प्रभावी नियंत्रण हेतु लागू अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के क्रियान्वयन के लिए अनुसूचित जाति विकास विभाग नोडल है। योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिले में विशेष थाना स्थापित किया गया है एवं प्रदेश के 43 जिलों में विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। शेष जिलों में जिला न्यायालयों को ही अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज प्रकरणों को सुनवाई हेतु अधिसूचित किया गया है।

अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना : अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का मूल उद्देश्य अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाना है। ऊंच -नीच और छुआ-छूत के विचारों को त्यागकर ऐसे सवर्ण युवक अथवा युवती जो अनुसूचित जाति की युवती अथवा युवक से विवाह करते हैं, ऐसे दम्पतियों को योजनांतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप राशि रुपये 2.00 लाख तथा प्रशंसा पत्र दिये जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2024-25 में 19359 पीड़ितों को राहत राशि रुपये 17732.58 लाख वितरण किया गया एवं 1646 अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन हेतु राशि रुपये 3292.00 लाख वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह नवम्बर 2025 तक 7854 पीड़ितों को राहत राशि रुपये 8478.02 लाख एवं 794 अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन हेतु राशि रुपये 1588.00 लाख का वितरण किया गया।

शिक्षा के क्षेत्र में संचालित योजनाएं एवं गतिविधियां:

छात्रावास एवं छात्रवृत्ति : विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत एवं वितरण करने के साथ-साथ कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु 571 जूनियर छात्रावास तथा कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों हेतु 1153 सीनियर छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त संभाग स्तरीय 10 ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों हेतु 20 छात्रावास एवं महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु 189 छात्रावास संचालित है। इन समस्त छात्रावासों में लगभग एक लाख विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं। छात्रावास में रहने वाले छात्र-छात्राओं को प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि दरों का निर्धारण प्रति वर्ष जुलाई माह में होता है। वर्ष 2024-25 में यह राशि बढ़ाकर बालकों हेतु राशि रु. 1605/- प्रतिमाह एवं बालिकाओं हेतु रु. 1650/- प्रतिमाह हो गयी है। वर्ष 2025-26 में यह राशि बढ़ाकर बालकों हेतु राशि रु. 1650/- प्रतिमाह एवं बालिकाओं हेतु रु. 1700/- प्रतिमाह हो गयी है।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति: यह छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 तक के बालक एवं बालिकाओं को 10 माह हेतु प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 5 तक की बालिकाओं को रु. 250/-, कक्षा 6 से 8वीं तक के बालकों को रु. 200/- बालिकाओं को रु. 600/- तथा कक्षा 9 से 10वीं तक के बालकों को रु. 600/- एवं बालिकाओं को रु. 1,200/- उनके खाते में प्रदाय किये जाते हैं। इसके अंतर्गत कक्षा 11वीं एवं 12वीं के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में विद्यार्थियों के आवेदन 15,05,600 प्राप्त हुए जिसमें से 14,99,501 विद्यार्थियों के आवेदनों को स्वीकृत कर राशि रुपये 9321.80 लाख की छात्रवृत्ति वितरित की गई एवं वर्ष 2025-26 में विद्यार्थियों के आवेदन 12,34,830 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से विद्यार्थियों के 11,16,236 आवेदनों को स्वीकृत कर राशि रुपये 5493.00 लाख की छात्रवृत्ति वितरित की गई। योजनांतर्गत राज्य सरकार 40% तथा भारत सरकार 60% राशि डी.बी.टी के माध्यम से विद्यार्थी के खाते में भुगतान करती है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति: कक्षा 11वीं से लेकर महाविद्यालयीन स्तर के विद्यार्थियों को इस योजना अंतर्गत शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में AFRC/ PURC की दरों पर एवं अन्य पाठ्यक्रमों में शासकीय शिक्षण संस्थाओं की दरों पर प्रदान किया जाता है। वर्ष 2024-25 में विद्यार्थियों के 6,32,727 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से विद्यार्थियों के 6,28,074 आवेदनों को स्वीकृत कर राशि रुपये 75325.00



लाख की छात्रवृत्ति वितरित की गई। वर्ष 2025-26 में विद्यार्थियों के कुल 2,03,415 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से विद्यार्थियों के 1,97,833 आवेदनों को स्वीकृत कर राशि रुपये 67983.00 लाख की छात्रवृत्ति वितरित की गई। योजनांतर्गत राज्य सरकार 40% तथा भारत सरकार 60% राशि डी.बी.टी के माध्यम से विद्यार्थी के खाते के भुगतान करती है।

विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति : योजनांतर्गत राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष 50 विद्यार्थियों का चयन विदेशों में स्नातकोत्तर एवं शोध उपाधि अध्ययन हेतु किया जाता है। जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 8.00 लाख रुपये है वे इस योजना के लिये पात्र हैं। योजना प्रारंभ होने से अब तक 166 अभ्यर्थियों को आस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, इंग्लैण्ड, स्विट्जरलैण्ड, पोलैण्ड, चीन, मलेशिया एवं सिंगापुर, आदि देशों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। वर्ष 2023-24 से योजना में संशोधन किया जाकर इंजीनियरिंग, प्योर एवं एप्लाइड साइंस, एग्रीकल्चर साइन्स, मेडिकल, मैनेजमेण्ट, इंटरनेशनल कॉमर्स एवं अकाउंटिंग फायनेन्स, फारेस्ट्री, नेचुरल साइन्स, लॉ, मानविकी स्नातकोत्तर एवं पीएच.डी. पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क, मेडिकल, इंश्योरेंस, वीजा शुल्क, निर्वाह भत्ता, हवाई यात्रा किराया आदि प्रदान किया जाता है। वर्ष 2024-25 में राशि रुपये 600.00 लाख का बजट प्रावधान के विरुद्ध 24 विद्यार्थी विभिन्न देशों के शिक्षण संस्थाओं से लाभान्वित हुये और राशि रुपये 291.10 लाख व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि रुपये 600.00 लाख का बजट प्रावधान के विरुद्ध राशि रुपये 232.79 लाख व्यय किया गया है, इस वित्तीय वर्ष में चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में विदेशों में 23 विद्यार्थी अध्ययनरत है।

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र: सात संभागीय मुख्यालय- भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, ग्वालियर तथा उज्जैन में अनुसूचित जाति/ जनजाति के युवक/ युवतियों को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के अतिरिक्त बैंक, रेल्वे, पुलिस सेवा, जीवन बीमा निगम आदि द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिये प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2024-25 में बजट प्रावधान राशि रु 639.22 लाख के सापेक्ष राशि रु.459.41 लाख व्यय हुआ है। कुल 1050 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जिसमें से 237 प्रशिक्षणार्थी चयनित हुए हैं। वर्ष 2025-26 में बजट प्रावधान राशि रु. 682.25 लाख के सापेक्ष राशि रु.345.15 लाख हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 925 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना: अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं को शाला में अधिक से अधिक प्रवेश लेने एवं शिक्षा निरन्तर करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर रुपये 3000/- की प्रोत्साहन राशि छात्राओं को दी जाती है। वर्ष 2015-16 से योजना का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है। राशि का वितरण स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। योजनांतर्गत वर्ष 2024-25 में राशि रुपये 2273.00 लाख के सापेक्ष राशि रुपये 1500.09 लाख व्यय किया गया है। उक्त राशि से 46,923 कन्याओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि रुपये 2273.00 लाख के सापेक्ष राशि रुपये 1598.10 लाख का व्यय किया गया। उक्त राशि से कुल 49,366 कन्याओं को लाभान्वित किया गया है।

विद्यार्थी आवास सहायता योजना: योजना वर्ष 2013 से प्रभावशील है। इस योजना के तहत गृह निवास से बाहर महाविद्यालय स्तर पर नियमित प्रवेश लेकर अध्ययनरत विद्यार्थियों को आवास सहायता दिये जाने का प्रावधान किया गया है। पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में सीमित सीट संख्या के कारण प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को योजना का लाभ देय है एवं निर्धारित आय सीमा तक के पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे। भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन नगरों में 2000 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह, जिला मुख्यालयों पर 1250/- रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह, तहसील/ विकास खण्ड मुख्यालयों पर 1000 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह आवास सहायता का प्रावधान है। महाविद्यालयीन विद्यार्थियों हेतु आवास भत्ता योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में राशि

रूपये 15355.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 1,26,780 आवेदन प्राप्त हुये हैं। इनमे से 1,25,000 आवेदन स्वीकृत कर लंबित दायित्वों सहित राशि रूपये 15229.18 लाख का भुगतान किया गया है। वर्ष 2025-26 में राशि रूपये 2000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। इस वित्तीय वर्ष से विद्यार्थियों द्वारा पोर्टल पर कुल 1,25,355 आवेदन प्राप्त हुए जिनमे से 1,23,443 आवेदन स्वीकृत कर लंबित दायित्व सहित राशि रूपये 12108.50 लाख का भुगतान किया गया है।

सैनिक एवं पब्लिक स्कूलों में अध्ययन हेतु सहायता: विभाग द्वारा सैनिक स्कूल, रीवा एवं प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल डेली कॉलेज इन्दौर, देहली पब्लिक स्कूल इन्दौर, देहली पब्लिक स्कूल भोपाल एवं सिंधिया पब्लिक स्कूल ग्वालियर में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं हेतु शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। पब्लिक स्कूलों में प्रतिवर्ष 5 विद्यार्थी नवीन प्रवेशित कराये जाते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पब्लिक स्कूलों में 25 प्रतिशत सीट पर कमजोर वर्ग के छात्रों को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है, इसलिये वर्ष 2018-19 से पब्लिक स्कूलों में नवीन प्रवेशित छात्रों को शिक्षण शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा है, केवल नवीनीकरण छात्रों को ही शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में 80 प्रवेशित विद्यार्थी पर विगत वर्ष के लंबित देयक सहित कुल राशि रूपये 107.11 लाख का भुगतान किया गया है। वर्ष 2025-26 में 83 प्रवेशित विद्यार्थी पर राशि रूपये 181.53 लाख का भुगतान किया गया है।

अनुसूचित जाति छात्रावास/ आश्रम भवनों का निर्माण: बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 10 छात्रावास भवनों में से 03 पूर्ण, 03 छात्रावास भवनों का कार्य प्रगतिरत एवं 04 कार्य प्रारंभ हैं। 52 छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया गया। जिसमें से 28 छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2024-25 में 2 कन्या एवं बालक छात्रावास भवन निर्माण लागत राशि रूपये 422.51 लाख राशि रूपये 422.91 लाख से स्वीकृत किये गये हैं। वर्तमान में कुल 1933 छात्रावास एवं आश्रम संचालित हैं। वर्ष 2024-25 में परिसंपत्ति संधारण मद में राशि रूपये 2479.50 लाख का प्रावधान के सापेक्ष राशि रूपये 1594.51 लाख व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में परिसंपत्ति संधारण मद में राशि रूपये 2479.50 लाख का प्रावधान है, जिसके सापेक्ष राशि रूपये 100.46 लाख का व्यय हुआ है।

अनुसूचित जाति बस्तियों का विकास: प्रदेश की अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों के अधोसंरचनात्मक विकास हेतु ऐसी अनुसूचित जाति बस्तियों, ग्रामों/ वाडों/ मोहल्लों/ मजरे/ टोले/ पारे, जिनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40% एवं उससे अधिक हो, यहाँ सी.सी. रोड, नाली निर्माण, मंगल भवन, छात्रावासों से मुख्य सड़क तक पहुँच मार्ग आदि निर्माण कार्य कराये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 380 विकास कार्य कराये गये जिस पर राशि रूपये 2407.52 लाख का व्यय किया गया। वर्ष 2025-26 में 198 विकास कार्य कराये गये जिस पर राशि रूपये 1071.89 लाख का व्यय किया गया।

मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना: वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद (MPSET) के माध्यम से 8644 प्रशिक्षणार्थियों का लक्ष्य रखा गया है जिसमें 4952 युवाओं का प्रशिक्षण दिया गया एवं 3063 युवाओं को विभिन्न संस्थानों में रोजगार उपलब्ध कराया गया।

संत रविदास स्वरोजगार योजना: इस योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के 18 से 45 वर्ष आयु, न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं रु.12.00 लाख तक की आय सीमा वाले आवेदकों को उद्योग ईकाई हेतु एक लाख से 50 लाख एवं सेवा एवं खुदरा व्यवसाय हेतु 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजना हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण एवं शासन द्वारा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान 7 वर्षों तक दिये जाने का प्रावधान है। इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति वर्ग के 2000 हितग्राहियों का लक्ष्य निर्धारित है जिसमें से 2125 प्रकरणों में बैंक द्वारा राशि रूपये 8633.03



लाख का ऋण वितरित किये गये है। इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति वर्ग के 2000 हितग्राहियों का लक्ष्य निर्धारित है जिसमें से 1473 हितग्राहियों को राशि रूपये 5746.71 लाख का ऋण स्वीकृत हुआ एवं 1350 प्रकरणों में बैंक द्वारा राशि रु 5262.91 लाख का ऋण वितरित किये गये है।

डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना: इस योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के 18 से 55 वर्ष आयु, शिक्षा का बंधन नहीं एवं आयकरदाता न हो वाले आवेदकों को सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु रु.10 हजार से एक लाख तक की परियोजना हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण एवं शासन द्वारा 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्षों तक दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2024-25 में 5000 हितग्राहियों को लाभांशित कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित था, जिसमें से 4690 प्रकरणों में बैंक द्वारा राशि रु 1323.21 लाख का ऋण वितरित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति वर्ग के 2000 हितग्राहियों का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से 2255 हितग्राहियों को राशि रूपये 917.46 लाख का ऋण स्वीकृत हुआ एवं 2165 प्रकरणों में बैंक द्वारा राशि रु 865.73 लाख का ऋण वितरित किये गये हैं।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना: इस योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के समूह/ क्लस्टर को लाईन विभाग के माध्यम से प्राप्त होने वाले विशेष परियोजना प्रस्तावों को रूपये 2 करोड़ तक शत-प्रतिशत अनुदान शासन से दिये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत गत वर्ष एवं वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में राज्य परियोजना क्रियान्वयन समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किये गए।

सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना: भारत सरकार से सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना में विशेष केन्द्रीय सहायता विशेष घटक अंतर्गत व्यय हेतु सहायता अनुदान राशि प्राप्त होती है।

म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम: इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग की 18 से 55 आयु की बी.पी.एल धारी 5 से 10 महिला समूह को विभिन्न उद्यम स्थापित करने हेतु प्रति हितग्राही राशि रु. 2.00 लाख तक बैंक ऋण एवं 10,000/- अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत वर्ष 2024-25 में 500 समूह लक्ष्य में से 490 समूह 3710 हितग्राहियों को 1298.50 लाख ऋण, 129.95 लाख अनुदान वितरित हुआ। योजनांतर्गत वर्ष 2025-26 में 500 समूह लक्ष्य के सापेक्ष 376 समूह में 2256 हितग्राहियों को राशि रूपये 676.80 लाख स्वीकृत हुआ जिसमें 242 समूह 1746 हितग्राहियों को राशि रूपये 415.00 लाख ऋण 174.60 लाख अनुदान वितरित हुआ।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना: प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का क्रियान्वयन अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों में कम से कम 500 की आबादी वाले ग्राम जिसमें अनुसूचित जाति की 50% जनसंख्या निवासरत है, इन जाति के सर्वांगीण विकास हेतु भारत सरकार द्वारा योजना संचालित है। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को नोडल विभाग को घोषित किये जाने के पश्चात योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश का स्थान राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर है। प्रत्येक ग्राम को राशि रु.20.00 लाख विकास कार्य हेतु प्रदाय की जाती है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के कुल 1074 चयनित ग्रामों में विकास कार्य कराये जा रहे है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु प्रदेश के दो जिले गुना एवं सीहोर को राष्ट्रीय स्तर पर क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में चयनित 612 नवीन ग्रामों में सर्वे कार्य एवं 604 ग्राम विकास योजना (VDP) तैयार कर कार्य प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 तक के चयनित 2442 ग्रामों में से 2201 ग्राम विकास योजना तैयार कर उक्त ग्रामों में अंतर-पाटन निधि (Gap Filling Fund) एवं अभिसरण से 5863 विकास कार्य स्वीकृत कर दिनांक 30.11.2025 की स्थिति में कुल 1398 आदर्श ग्राम घोषित किये गये। अब तक कुल राशि रु.17,880.00 लाख का व्यय किया गया है।

अनुसूचित जाति राहत योजना नियम 2015: अनुसूचित जाति राहत योजना नियम 1979 योजनांतर्गत ऐसे

निःशक्तजन जो जीविकोपार्जन में असमर्थ है, निराश्रित वृद्ध, बीमार जिसकी देखभाल करने वाला कोई न हो, दैनिक मजदूर, खेतीहर मजदूर, छोटा रोजगार करने वाला व्यक्ति जो किसी दुर्घटना अथवा दैवीय प्रकोप के कारण काम करने में असमर्थ हो अथवा परिवार के मुखिया का निधन हो जाने के कारण परिवार के भरण पोषण की तत्काल कोई व्यवस्था न होने, चल सम्पत्ति, पशु आदि का नुकसान व ट्यूब-वेल, बिजली मोटर, फलदार वृक्ष एवं अन्य आर्थिक संसाधनों का नुकसान हो जाने पर पात्रतानुसार राहत राशि सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर प्रदाय की जाती है। संभागीय आयुक्त/ आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास- रु.15,000/-, जिला कलेक्टर- रु.10,000/- एवं सहायक आयुक्त/जिला संयोजक को राशि रु. 5,000/- स्वीकृति की पात्रता है। वर्ष 2024-25 में राशि रुपये 6.48 लाख राहत राशि का भुगतान कर 128 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2025-26 में राशि रुपये 1.30 लाख का भुगतान कर 26 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

13.3 पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण

राज्य में वर्तमान में 94 जाति/ उपजाति/ वर्ग समूहों को पिछड़ी जातियों के रूप में शासन द्वारा मान्य किया गया है। इन जातियों के शैक्षणिक उन्नयन, रोजगार मूलक प्रशिक्षण एवं सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की योजनायें क्रियान्वित कर इन्हें लाभान्वित किया जा रहा है।

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण अंतर्गत क्रियान्वित प्रमुख योजना

- राज्य छात्रवृत्ति:-** यह छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 6 से 10 तक निरंतर विद्याध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति दस माह की अवधि के लिए दी जाती है। छात्रवृत्ति की मासिक दरें निम्नानुसार हैं: कक्षा 6 से 8 के लिए बालकों को ₹20.00 प्रतिमाह और बालिकाओं को ₹30.00 प्रतिमाह दी जाती है। वहीं, कक्षा 9 एवं 10 के लिए बालकों को ₹30.00 प्रतिमाह और बालिकाओं को ₹40.00 प्रतिमाह का प्रावधान है। इस योजना का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। राज्य छात्रवृत्ति की पात्रता पिछड़े वर्ग के उन विद्यार्थियों को है जिनके अभिभावक आयकरदाता की सीमा में नहीं आते हैं। इसके साथ ही यह लाभ उन परिवार के विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध नहीं होगा जिनके पास दस एकड़ से अधिक भूमि है। वर्ष 2013-14 से यह योजना स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। गत वर्ष 2024-25 में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 701113 विद्यार्थियों (कक्षा 11वीं एवं 12वीं जोड़कर) को छात्रवृत्ति राशि रुपये 107513 लाख स्वीकृत कर वितरित की गई थी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि रुपये 63960 लाख की राशि स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है, छात्रवृत्ति स्वीकृत कर 446901 विद्यार्थियों को वितरित की कार्यवाही प्रचलन में है।
- पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति:** पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के कक्षा 11वीं, 12वीं स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं को राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों पर प्रदान की जाती है। पात्रता उन विद्यार्थियों को है, जिनके माता-पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय सीमा समस्त स्रोतों से रु. 3.00 लाख से कम हो। गत वर्ष 2024-25 में कुल राशि रुपये 4400 लाख की छात्रवृत्ति स्वीकृत कर 71201 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि रुपये 5840 लाख की छात्रवृत्ति स्वीकृत कर 87650 विद्यार्थियों को वितरित की गई।
- राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र:** प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावान किन्तु साधन विहीन युवक-युवतियों को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा एवं अन्य समकक्ष परीक्षाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण इस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से दिया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु चयनित प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण अवधि में शिष्यावृत्ति रु. 350/- प्रतिमाह, निःशुल्क आवास सुविधा एवं पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रशिक्षण



कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों का चयन पात्रताधारी परीक्षा के प्राप्तांक की वरीयता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से किया जाता है।

- प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से वर्ष 2024-25 में पिछड़ा वर्ग के 160 प्रशिक्षणार्थियों को राज्य सेवा परीक्षा का प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं 58 प्रशिक्षणार्थियों को बैंकिंग/ रेलवे/ कर्मचारी चयन मण्डल एवं अन्य समकक्ष परीक्षाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रशिक्षण केन्द्र को पिछड़ा वर्ग के प्रशिक्षण हेतु रूपये 12.00 लाख का आवंटन जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध केन्द्र द्वारा रूपये 6.21 लाख व्यय किये गये।
- प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से वर्ष 2024-25 में अल्पसंख्यक वर्ग के 08 प्रशिक्षणार्थियों को राज्य सेवा परीक्षा का प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं 05 प्रशिक्षणार्थियों को बैंकिंग/ रेलवे/ एस एस सी/ कर्मचारी चयन बोर्ड एवं अन्य समकक्ष परीक्षाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रशिक्षण केन्द्र को अल्पसंख्यक वर्ग को प्रशिक्षण हेतु रूपये 02.30 लाख का आवंटन जारी किया है, जिसके सापेक्ष केन्द्र द्वारा रूपये 0.03 लाख व्यय किए गए।
- प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछड़ा वर्ग के 79 प्रशिक्षणार्थियों को राज्य सेवा परीक्षा का प्रशिक्षण एवं अन्य समकक्ष परीक्षाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। पिछड़ा वर्ग के 15 प्रशिक्षणार्थियों को आरक्षक संवर्ग (कार्यपालिक) परीक्षा-2025 का प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं वर्तमान में सूबेदार/ उपनिरीक्षक संवर्ग परीक्षा 2025 का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें 49 प्रशिक्षणार्थी पंजीकृत हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रशिक्षण केन्द्र को पिछड़ा वर्ग के प्रशिक्षण हेतु रूपये 12.00 लाख का आवंटन जारी किया गया है जिसके विरूद्ध केन्द्र द्वारा माह नवम्बर 25 तक रूपये 02.32 लाख व्यय किये गये।
- प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से वर्ष 2025-26 में अल्पसंख्यक वर्ग के 01 प्रशिक्षणार्थियों को राज्य सेवा परीक्षा का प्रशिक्षण एवं अन्य समकक्ष परीक्षाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रशिक्षण केन्द्र को अल्पसंख्यक वर्ग के प्रशिक्षण हेतु रूपये 1.50 लाख का आवंटन जारी किया गया है।
- **पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी मेधावी छात्रवृत्ति:** यह योजना वर्ष 2010 से लागू है। योजनांतर्गत 10 वीं बोर्ड में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र/ छात्राओं को रूपये 5,000/-, 12वीं के छात्र/ छात्राओं को 10 हजार का पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र 15 अगस्त, 26 जनवरी को जिला स्तरीय समारोह में दिया जाता है। गत वर्ष 2024-25 में राशि रूपये 12.00 लाख के प्रावधान के सापेक्ष 184 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 111 विद्यार्थियों को राशि रु. 825 लाख छात्रवृत्ति वितरित की गई।
- **राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर प्रोत्साहन:** इस योजना के तहत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोग (PSC) द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के विभिन्न चरणों में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह प्रोत्साहन राशि निम्न प्रकार में स्वीकृत की जाती है।
- प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर संघ लोक सेवा आयोग के लिए ₹25,000 और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए ₹15,000 की राशि प्रदान की जाती है मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर संघ लोक सेवा आयोग के लिए ₹50,000 और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए ₹25,000 की राशि स्वीकृत की जाती है।
- साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर संघ लोक सेवा आयोग के लिए ₹25,000 और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए ₹10,000 की राशि दी जाती है। यह योजना विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने और सफलता प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता व प्रोत्साहन प्रदान करती है। गत वर्ष 2024-25 में

राशि रू. 474 लाख का प्रावधान किया जाकर 1329 अभ्यर्थियों को राशि रू. 465 लाख प्रोत्साहन राशि व्यय की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 826 विद्यार्थियों को राशि रू. 74.40 लाख प्रोत्साहन राशि वितरित की गई।

- पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति:** पिछड़ा वर्ग के चयनित विद्यार्थियों को विदेशों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, शोध उपाधि (पीएच.डी.) एवं शोध उपाधि उपरांत कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिवर्ष 50 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाता है। गत वर्ष 2024-25 में राशि रुपये 150000 लाख के प्रावधान के विरुद्ध नवीन एवं नवीनीकरण सहित कुल 53 विद्यार्थियों हेतु राशि रुपये 11.91 लाख व्यय किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 अंतर्गत प्रावधानित राशि रुपये 160000 लाख के विरुद्ध नवीन एवं नवीनीकरण सहित अप्रैल 2025 से माह नवंबर तक राशि रुपये 1032 लाख व्यय किये जाकर 41 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 33 विद्यार्थियों का चयन किया जाकर शेष रिक्त सीटों हेतु चयन प्रक्रिया की कार्यवाही प्रचलन में है।
- मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना एवं स्वरोजगार योजना (पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए):-** इस योजना का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र हितग्राहियों को उद्यम और स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ब्याज अनुदान सहित कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना है। यह योजना निगम द्वारा संचालित की जाती है और इसके अंतर्गत दो प्रमुख भाग हैं उद्यम योजना और स्वरोजगार योजना। उद्यम योजना के तहत, उद्योग (विनिर्माण) इकाई के लिए ₹1 लाख से ₹50 लाख तक की परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं। सेवा इकाई और खुदरा व्यवसाय के लिए ₹1 लाख से ₹25 लाख तक की परियोजनाएं उपलब्ध हैं। इस योजना के लिए पात्रता में 18 से 40 वर्ष की आयु, न्यूनतम 12वीं पास योग्यता, और परिवार की वार्षिक आय ₹12 लाख से अधिक न होना शामिल है।
- स्वरोजगार योजना में सभी प्रकार के स्वरोजगार के लिए ₹10,000 से ₹1 लाख तक की परियोजनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके लिए पात्र हितग्राहियों की आयु 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए और वे आयकर दाता नहीं होने चाहिए।
- योजना के तहत ब्याज सबवेशन भी प्रदान किया जाता है। नियमित ऋण भुगतान की शर्त पर अधिकतम 7 वर्षों तक 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सबवेशन दिया जाता है। महिला हितग्राहियों के लिए यह ब्याज सबवेशन 5% प्रति वर्ष की दर से उपलब्ध है। योजना का क्रियान्वयन विभागीय समेकित पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उद्यम योजना के तहत 640 हितग्राहियों को ₹3,485 लाख और स्वरोजगार योजना के तहत 470 हितग्राहियों को ₹219 लाख की राशि वितरित की गई। वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में नवंबर 2024 तक उद्यम योजना के तहत 140 हितग्राहियों को ₹883 लाख और स्वरोजगार योजना के तहत 80 हितग्राहियों को ₹24 लाख की राशि वितरित की गई। यह योजना आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार और उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करती है।
- पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना:** योजना अंतर्गत शासकीय/ अर्द्धशासकीय एवं निजी कोचिंग संस्थानों के माध्यम से प्रदेश के पिछड़े वर्ग के युवक-युवतियों को प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का निशुल्क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। गत वर्ष 2024-25 में योजनांतर्गत पिछड़ा वर्ग हेतु राशि रुपये 1500 लाख एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु राशि रुपये 200 लाख का बजट प्रावधान किया गया था। वित्त विभाग द्वारा परिशिष्ट-03 में रखे जाने के कारण वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण योजना का संचालन



नहीं हो सका। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछड़ा वर्ग हेतु राशि रुपये 1500 करोड़ एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु राशि रुपये 200 लाख का प्रावधान किया गया है। योजना संचालन हेतु 02 बार टेंडर के पश्चात भी पात्र एवं योग्य संस्थाएं उपलब्ध न होने से योजना संचालित नहीं। वर्तमान में योजना नियमों में आवश्यक संशोधन किया गया है एवं टेंडर जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता:-** भारत सरकार नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉन्सिल के टेक्निकल इंटरन ट्रेनिंग प्रोग्राम के आधार पर तैयार की गई इस विभागीय योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में पिछड़ा वर्ग के 45 युवाओं को कन्स्ट्रक्शन सेक्टर अंतर्गत एवं 15 युवतियों को केयर वर्कर जॉब रोल के लिए प्रशिक्षित किया गया है। योजनांतर्गत इन प्रशिक्षित युवाओं को रुपये 01 लाख प्रतिमाह के वेतन पर 03 से 05 वर्षों के लिए सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत प्रदेश के 16 युवाओं का प्लेसमेंट जापान स्थित कंपनियों में होने के पश्चात वे जापान प्रस्थान कर चुके हैं।
- योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु राशि रुपये 80.00 लाख का प्रावधान उपलब्ध किया गया था जिससे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लंबित दायित्वों राशि रुपये 9.35 लाख का भुगतान किया गया था।
- योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु राशि रु. 200 लाख का प्रावधान किया गया है। जिससे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लंबित दायित्वों राशि रुपये 3.54 लाख का भुगतान किया गया है। जापान सरकार द्वारा योजना में किये जा रहे सुधार के चलते वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में युवा जापान नहीं जा सके हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के प्रावधानों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- **स्व. रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार:** समाज सेवियों को सम्मान दिये जाने की योजना वर्ष 2001 से प्रारंभ की गई है। पिछड़े वर्ग के उत्थान एवं विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले पिछड़े वर्ग के समाज सेवियों को सम्मानित किया जाता है यह पुरस्कार पिछड़े वर्ग के 8 पुरुष एवं 8 महिलाओं के लिये प्रत्येक समाजसेवी को रुपये एक लाख नगद एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2016-17 हेतु 8 पुरुष एवं 7 महिला समाजसेवियों को ज्यूरी द्वारा चयन कर वर्ष 2018-19 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2017-18-एवं 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 के लिए समाज सेवियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये गये, चयन हेतु ज्यूरी का गठन किया गया है।
- **महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार:** यह पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ किया गया है। यह पुरस्कार प्रदेश के एक पुरुष समाजसेवी को दिया जाता है जिसके द्वारा पिछड़े वर्गों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, अंध विश्वास को दूर करने, सामाजिक समरसता एवं सामाजिक संगठन को सदृढ़ करने हेतु उत्कृष्ट सेवा तथा साहित्य एवं कला का सृजन एवं प्रकाशन आदि कार्य किए हों। इस पुरस्कार से पुरस्कृत एक समाजसेवी को रुपये दो लाख नगद एवं प्रतीक चिन्ह से युक्त प्रशंसा पट्टिका प्रदान की जाती है। आवेदन पत्र प्राप्त किये गये चयन हेतु ज्यूरी का गठन किया गया है। 11 अप्रैल 2022 को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार वर्ष 2017-18 एवं 2018-19, 2019-20 के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तीन समाज सेवियों को जिला दमोह में सम्मानित किया गया।
- **सावित्री बाई फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार:** यह पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ किया गया है। यह पुरस्कार प्रदेश के एक महिला समाजसेवी को दिया जाता है जिसके द्वारा पिछड़े वर्ग की शिक्षा एवं महिला उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, साहित्य एवं कला का सृजन एवं प्रकाशन किए हों। इस पुरस्कार के अंतर्गत रुपये दो लाख नगद एवं प्रतीक चिन्ह से युक्त प्रशंसा पट्टिका प्रदान की जाती है। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19, 2019-20 के लिए समाज सेवियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये गये चयन हेतु ज्यूरी का गठन किया गया है।

- **बजट प्रावधान:-** म.प्र. पिछड़ा वर्ग सेवा पुरस्कार योजना अंतर्गत स्व. रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार, महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार, सावित्री बाई फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार हेतु वर्ष 2023-24 में राशि रुपये 35.00 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध था, जिसके विरुद्ध राशि रुपये 12.00 लाख की राशि व्यय की गई। गत वर्ष 2024-25 में राशि रुपये 35.00 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि रुपये 225.00 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है।
- **छात्रगृह योजना:-** विभागीय छात्रावासों में स्थानाभाव के कारण प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं विभागीय छात्रावासों में प्रवेश की पात्रता रखते हों, के लिए छात्रगृह योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत 2 या अधिक के समूह में किराए के भवन में विद्यार्थियों के रहने पर भवन किराये की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है। तहसील, जिला एवं संभाग स्तर के भवन का मासिक किराया प्रति छात्र रुपये 1000/- की दर से निर्धारित किया गया है। गत वर्ष 2024-25 में राशि रुपये 30.80 लाख के प्रावधान के सापेक्ष राशि रुपये 27.50 लाख व्यय कर 91 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि रुपये 120.80 लाख के सापेक्ष राशि रुपये 4.08 लाख व्यय कर 65 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।
- **पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास निर्माण:** केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत प्रदेश के 51 जिलों में 100 सीटर पोस्टमैट्रिक बालक छात्रावासों के भवनों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018 में जिला उज्जैन में अतिरिक्त रूप से एक 100 सीटर पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है। गत वर्ष 2024-25 में टोकन प्रावधान होने से कोई राशि व्यय नहीं की गई है एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि रूपयें 30 लाख का प्रावधान किया गया है, किंतु भारत सरकार से स्वीकृति अपेक्षित होने से कोई राशि व्यय नहीं की गई है।
- **पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास निर्माण:** प्रदेश के पिछड़े वर्ग की अध्ययनरत कन्याओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में 50 सीटर पोस्ट मैट्रिक जिला स्तरीय कन्या छात्रावास की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त इन्दौर एवं जबलपुर में 500 सीटर कन्या छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण के पश्चात संचालित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि रुपये 2000.00 लाख का प्रावधान किया गया है, किंतु भारत सरकार से स्वीकृति अपेक्षित होने से कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

13.3.1 अल्पसंख्यक वर्ग का कल्याण

- **अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना:-** योजना अंतर्गत शासकीय / अर्धशासकीय एवं निजी कोचिंग संस्थानों के माध्यम से प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के युवक-युवतियों को प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजनांतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग हेतु राशि रुपये 200 लाख का बजट प्रावधान किया गया था। वित्त विभाग द्वारा परिशिष्ट-3 में रखे जाने एवं स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण योजना का संचालन नहीं हो सका। वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग हेतु राशि के 200 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। योजना संचालन हेतु 02 बार टेंडर के पश्चात भी पात्र एवं योग्य संस्थाएं उपलब्ध न होने से योजना संचालित नहीं है। वर्तमान में योजना नियमों में आवश्यक संशोधन किया गया है एवं टेंडर जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- **मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार योजना:-** अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक संस्थाएँ एवं व्यक्तियों को उनकी उत्कृष्ट सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवाओं और

योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को 03 मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा पुरस्कार देने की योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारम्भ की है। प्रत्येक पुरस्कार में रुपये एक लाख नकद एवं प्रतीक चिह्न से युक्त प्रशंसा पट्टिका प्रदान की जाती है। तीन पुरस्कारों का विवरण निम्नानुसार है।

- **शहीद अशफाक उल्लाह खां पुरस्कार:-** अल्पसंख्यक वर्ग की उत्कृष्ट समाज सेवा में योगदान के लिए
- **शहीद हमीद खां पुरस्कार:-** राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता, सामाजिक सद्भाव बढ़ाने वीरता एवं नागरिकों की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का परिचय देने के लिए
- **मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार:-** साहित्य, कला, रंगकर्म एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु
- वर्ष 2017-18 एवं 2018-19, 2019-20 के लिए समाज सेवियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये गये हैं। बजट प्रावधान-मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार योजना अंतर्गत वर्तमान वर्ष 2024-25 में राशि ₹. 46.34 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है। पुरस्कार समारोह आयोजित न होने से राशि व्यय नहीं की गई। वर्ष 2025-26 में राशि ₹ 20.91 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है। समाज सेवियों का चयन न होने से राशि व्यय नहीं की गई।
- **मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी:** भोपाल में सर्वसुविधा युक्त प्रदेश के प्रथम हज हाउस से प्रतिवर्ष हज यात्रा का संचालन किया जाता है। म.प्र. हज कमेटी द्वारा हज-2024-25 में लगभग 10000 हज आवेदकों को हज यात्रा पर भेजे जाने का लक्ष्य था। गत वर्ष 2024-25 में शासन से प्राप्त राशि ₹. 180 लाख के विरुद्ध राशि ₹. 1,79,63,521 का व्यय हुआ। वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 10000 हज आवेदकों को हज यात्रा पर भेजे जाने का लक्ष्य था। शासन से प्राप्त राशि ₹. 45 लाख के विरुद्ध राशि ₹. 74,17,944 का व्यय हुआ है। अतिरिक्त राशि रुपये 29,17,944 का व्यय हज फण्ड (संचित राशि) से लिया जाकर दिनांक 30.11.2025 तक स्थिति में किया गया है। हज-2026 हेतु दिनांक 13 अगस्त, 2025 को Digital Random Selection (Qurrah) के माध्यम से 4567 हज यात्री प्रोविजनल चयनित हुए। तत्पश्चात कैंसिलेशन के सापेक्ष प्रतीक्षा सूची के 2633 हज यात्रियों को भी प्रोविजनल चयनित किया गया। इस प्रकार दिनांक 30 नवम्बर, 2025 तक की स्थिति में कुल 6911 हज यात्रियों का चयन हज-2026 की हज यात्रा हेतु हो चुकी है।

भारत सरकार की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएँ

- **अल्पसंख्यक मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति:** भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के निर्धन एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मेरिट कम मीन्स योजना वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना में अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों जिनके प्राप्तांक 50 प्रतिशत से अधिक है तथा स्वयं/ माता-पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो, को योजना का लाभ प्रदान किया जाता। शैक्षणिक सत्र 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के लिए भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन हेतु ऑनलाइन पोर्टल प्रारम्भ नहीं किया गया है।
- **अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना:** पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2007-08 से प्रारंभ की गई है। इस योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी एवं जैन) के प्रतिभावान विद्यार्थियों को (जिनके प्राप्तांक 50 प्रतिशत से अधिक है तथा स्वयं/माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय ₹. 2.00 लाख से अधिक न हो उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। शैक्षणिक सत्र

2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के लिए भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन हेतु ऑनलाइन पोर्टल प्रारम्भ किया जाना है।

- **अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति:** भारत सरकार की इस योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के निर्धन परिवारों के कक्षा पहली से 10 वीं तक अध्ययनरत प्रति परिवार के अधिकतम दो बच्चों को शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पात्रता उन छात्र-छात्राओं को है जिनके माता-पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय ₹. 1.00 लाख से अधिक न हो शैक्षणिक सत्र 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के लिए भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन हेतु ऑनलाइन पोर्टल प्रारम्भ किया जाना है।
- **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम:** प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत गत वर्ष 2024-25 में राशि रुपये 14000.00 लाख का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 05 परियोजनाओं हेतु राशि रुपये 14000.00 लाख का प्रावधान किया गया है।
- **स्व. रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार:-** समाज सेवियों को सम्मान दिये जाने की योजना वर्ष 2001 से प्रारंभ की गई है। पिछड़े वर्ग के उत्थान एवं विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले पिछड़े वर्ग के समाज सेवियों को सम्मानित किया जाता है यह पुरस्कार पिछड़े वर्ग के 8 पुरुष एवं 8 महिलाओं के लिये प्रत्येक समाजसेवी को रुपये एक लाख नगद एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2016-17 हेतु 8 पुरुष एवं 7 महिला समाजसेवियों को ज्युरी द्वारा चयन कर वर्ष 2018-19 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2017-18-एवं 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 के लिए समाज सेवियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये गये, चयन हेतु ज्युरी का गठन किया गया है।
- **महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार:** यह पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ किया गया है। यह पुरस्कार प्रदेश के एक पुरुष समाजसेवी को दिया जाता है जिसके द्वारा पिछड़े वर्गों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, अंध विश्वास को दूर करने, सामाजिक समरसता एवं सामाजिक संगठन को सदृढ़ करने हेतु उत्कृष्ट सेवा तथा साहित्य एवं कला का सृजन एवं प्रकाशन आदि कार्य किए हों। इस पुरस्कार से पुरस्कृत एक समाजसेवी को रुपये दो लाख नकद एवं प्रतीक चिन्ह से युक्त प्रशंसा पट्टिका प्रदान की जाती है। आवेदन पत्र प्राप्त किये गये चयन हेतु ज्युरी का गठन किया गया है। 11 अप्रैल 2022 को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार वर्ष 2017-18 एवं 2018-19, 2019-20 के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तीन समाज सेवियों को जिला दमोह में सम्मानित किया गया।
- **सावित्री बाई फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार:** यह पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ किया गया है। यह पुरस्कार प्रदेश के एक महिला समाजसेवी को दिया जाता है, जिसके द्वारा पिछड़े वर्ग की शिक्षा एवं महिला उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, साहित्य एवं कला का सृजन एवं प्रकाशन किए हों। इस पुरस्कार के अंतर्गत रुपये दो लाख नकद एवं प्रतीक चिन्ह से युक्त प्रशंसा पट्टिका प्रदान की जाती है। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19, 2019-20 के लिए समाज सेवियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये गये चयन हेतु ज्युरी का गठन किया गया है।
- **बजट प्रावधान:** म.प्र. पिछड़ा वर्ग सेवा पुरस्कार योजना अंतर्गत स्व. रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार, महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार, सावित्री बाई फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार हेतु वर्ष 2023-24 में राशि रुपये 35.00 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध था, जिसके सापेक्ष राशि रुपये 12.00



लाख व्यय किया गया। गत वर्ष 2024-25 में राशि रुपये 35.00 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि रुपये 225.00 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है।

- **मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार योजना:** अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं कल्याण के क्षेत्र में संलग्न सामाजिक संस्थाएँ एवं व्यक्तियों को उनकी उत्कृष्ट सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवाओं और योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को 03 मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा पुरस्कार देने की योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारम्भ की है। प्रत्येक पुरस्कार में रुपये एक लाख नकद एवं प्रतीक चिह्न से युक्त प्रशंसा पट्टिका प्रदान की जाती है। तीन पुरस्कारों का विवरण निम्नानुसार है।
- **शहीद अशफाक उल्लाह खां पुरस्कार:-** अल्पसंख्यक वर्ग की उत्कृष्ट समाज सेवा में योगदान के लिए
- **शहीद हमीद खां पुरस्कार:-** राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता, सामाजिक सद्भाव बढ़ाने वीरता एवं नागरिकों की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का परिचय देने के लिए
- **मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार:-** साहित्य, कला, रंगकर्म एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु।
- वर्ष 2017-18 एवं 2018-19, 2019-20 के लिए समाज सेवियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये गये है। बजट प्रावधान-मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार योजना अंतर्गत वर्तमान वर्ष 2024-25 में राशि रू. 46.34 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है। वर्ष 2025-26 में राशि रू 20.91 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है।

13.4 विकलांगजनों का सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण

13.4.1 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

यह योजना 15 अगस्त 1995 से प्रभावी है। इस योजना को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। राज्य सरकार को भारत सरकार की योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। नवंबर, 2007 से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के स्थान पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत, 13 फ़रवरी 2019 से, 60 से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को केंद्रीय अंश के 200/- रुपये और राज्य अंश के 400/- रुपये सहित 600/- रुपये दिए जा रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के 80 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को भी 600/- रुपये दिए जाते हैं। 500/- रुपये केंद्रीय अंश और 100/- रुपये राज्य अंश सहित 600/- रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है।

तालिका संख्या 13.3: वृद्धावस्था पेंशन योजनांतर्गत व्यय एवं हितग्राहियों की संख्या

(राशि रुपए लाख में)

क्रम संख्या	वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
01	2024-2025	115219.70	115219.70	15,75,079
02	2025-2026	115219.70	76178.81	15,75,079

13.4.2 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

उक्त योजना राज्य में 01 अप्रैल, 2009 से शुरू की गई है। योजनांतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष की विधवा महिलाओं को भारत सरकार के 300 रुपये केंद्र का हिस्सा और 300 रुपये राज्य

का हिस्सा मिलाकर हर महीने 600 रुपये प्रति लाभार्थी पेंशन दी जा रही है। मध्यप्रदेश सरकार, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक /F 3-1/2019/26-2 भोपाल दिनांक 13-02-2019 द्वारा मार्च 2019 से 600 रुपये की दर से मंजूर सभी पेंशन। मार्च से अप्रैल, 2019 तक पेंशन देने के निर्देश हैं।

तालिका संख्या 13.4: विधवा पेंशन योजनांतर्गत व्यय एवं हितग्राहियों की संख्या

(राशि रुपए लाख में)

क्रम संख्या	वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
01	2024-2025	40004.12	40004.12	5,46,920
02	2025-2026	40004.12	26520.96	5,46,920

13.4.3 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना

यह योजना राज्य में 01.04.2009 से प्रभावशील है। योजनांतर्गत पात्र हितग्राही, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और 18 से 79 साल की उम्र के निःशक्त लाभार्थियों को हर महीने 600 रुपये प्रति लाभार्थी पेंशन का प्रावधान है, जिसमें 300 रुपये केंद्र सरकार का हिस्सा और 300 रुपये राज्य सरकार का हिस्सा शामिल है। मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय और दिव्यांग कल्याण मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक /F 3-1/2019/26-2 भोपाल दिनांक 13-02-2019, द्वारा सभी पेंशन मार्च 2019 से रुपये 600/- के मान से स्वीकृत की जाकर मार्च पेड अप्रैल, 2019 से पेंशन प्रदाय किए जाने के निर्देश हैं।

तालिका संख्या 13.5: निःशक्त पेंशन योजनांतर्गत व्यय एवं हितग्राहियों की संख्या

(राशि रुपए लाख में)

क्रम संख्या	वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
01	2024-2025	7416.40	7416.40	1,01,470
02	2025-2026	7416.40	4403.33	84,623

13.4.4 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

यह योजना राज्य में 15 अगस्त 1995 से लागू है। इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य स्त्री-पुरुष, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु के हो, की प्राकृतिक/अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को एक मुश्त राशि रु. 20000/- की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

तालिका संख्या 13.6: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनांतर्गत व्यय एवं हितग्राहियों की संख्या

(राशि रुपए लाख में)

क्रम संख्या	वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
01	2024-2025	5901.20	1911.40	9,557
02	2025-2026	5901.20	1593.40	7,967



13.4.5 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

यह योजना प्रदेश में वर्ष 1981 से प्रभावशील है। इस योजना का लाभ वे प्राप्त कर सकते हैं जो,

- मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों
- 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध हों
- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजनान्तर्गत 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु की विधवा महिलाएं जो आयकर दाता न हों
- 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो
- 6 से 18 वर्ष आयु के दिव्यांग जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा जो आयकर दाता न हो को दी जाने वाली पेंशन दिनांक 1 सितम्बर, 2016 से **“दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि”** के नाम से दी जा रही है।
- दिनांक 1 सितम्बर, 2016 से 18 से 59 वर्ष आयु के दिव्यांगजन जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है, जो आयकर दाता न हो को पेंशन का लाभ प्रदाय किया जा रहा है।
- दिनांक 1 सितम्बर, 2016 से वृद्धाश्रम में निवासरत समस्त अंतःवासी जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो वह अन्य किसी भी प्रकार की पेंशन का लाभ प्राप्त न कर रहे हो को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजनान्तर्गत न्यूनतम 50 वर्ष या अधिक, आयकर दाता न हो, शासकीय अधिकारी/कर्मचारी न हो, शासकीय/अशासकीय कार्यालय में कार्यरत मानदेय कर्मचारी न हो।
- इसके अतिरिक्त बड़वानी जिले के नेत्र संक्रमित 37 हितग्राहियों को रुपये 5,000/- प्रति हितग्राही प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ 3-1/2019/26-2 भोपाल दिनांक 13-02-2019 द्वारा सभी पेंशन माह मार्च 2019 से रुपये 600/- के मान से स्वीकृत की जाकर मार्च पेड अप्रैल, 2019 से पेंशन प्रदाय किये जाने के निर्देश हैं।

तालिका संख्या 13.7: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत व्यय एवं हितग्राहियों की संख्या

(राशि रुपए लाख में)

क्रम संख्या	वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
01	2024-2025	237262.90	229430.98	32,97,653
02	2025-2026	238816.00	153712.61	30,78,051

13.4.6 मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

यह योजना प्रदेश में 1 अप्रैल 2013 से प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत ऐसे दंपति (पति/पत्नी दोनों में से एक की आयु 60 वर्ष होने पर) जिनकी आयु 60 वर्ष हो जो आयकरदाता न हो तथा जिन्हें संतान के रूप में मात्र बेटी/बेटियाँ हो, को रुपये 600/-प्रतिमाह प्रति हितग्राही को पेंशन प्रदाय की जाती है। मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ 3-1/2019/26-2 भोपाल दिनांक 13-02-2019 द्वारा सभी पेंशन माह मार्च 2019 से रुपये 600/- के मान से स्वीकृत की जाकर मार्च पेड अप्रैल, 2019 से पेंशन प्रदाय किये जाने के निर्देश हैं।

तालिका संख्या 13.8: मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजनांतर्गत व्यय एवं हितग्राहियों की संख्या

(राशि रुपए लाख में)

क्रम संख्या	वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
01	2024-2025	5001.58	4394.87	65,324
02	2025-2026	5150.00	3076.67	62,160

13.4.7 बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक सहायता

मध्यप्रदेश के सभी छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म दिव्यांग व्यक्ति को रुपये 600/- (रुपये छः सौ) प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना में आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। यह योजना दिनांक 18.6.2009 से प्रारंभ की गई है।

मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ 3-1/2019/26-2 भोपाल दिनांक 13-02-2019 द्वारा सभी पेंशन माह मार्च, 2019 से रुपये 600/- के मान से स्वीकृत की जाकर मार्च पेड अप्रैल, 2019 से पेंशन प्रदाय किये जाने के निर्देश हैं।

तालिका संख्या 13.9: योजनांतर्गत व्यय एवं हितग्राहियों की संख्या

(राशि रुपए लाख में)

क्रम संख्या	वर्ष	बंटन	व्यय	हितग्राही
01	2024-2025	5027.76	5027.76	82,474
02	2025-2026	6010.25	3799.01	75,030

13.4.7 अंत्येष्टि सहायता योजना

योजनांतर्गत श्रमिक संवर्ग के पंजीकृत हितग्राही अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाने से परिवार का स्थाई आय स्रोत न होने पर उसकी अंत्येष्टि के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें स्थानीय लोगों से दान प्राप्त करना अथवा उधार लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त लावारिश शव जिसकी कोई पहचान नहीं है और उस शव के अंतिम संस्कार हेतु कोई तैयार नहीं होता है। उपरोक्त स्थिति में अंतिम अंत्येष्टि संस्कार हेतु रुपये 2000/- की सहायता उपलब्ध कराई जाती थी। तत्पश्चात शासन आदेश क्रमांक/1592/1778/15/26-2 दिनांक 02.12.2015 के द्वारा अंत्येष्टि संस्कार हेतु रु. 3000/- की सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में प्रदाय किया जाता है।

तालिका संख्या 13.10: अंत्येष्टि सहायता योजनांतर्गत व्यय एवं हितग्राहियों की संख्या

(राशि रुपए लाख में)

क्रम संख्या	वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
01	2024-2025	27.29	20.97	699
02	2025-2026	27.29	11.01	367



13.4.8 मुख्यमंत्री कन्या विवाह/कल्याणी विवाह सहायता योजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” 1 अप्रैल 2006 से प्रारंभ की गई है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजनांतर्गत म.प्र. शासन के आदेश क्र./2-26/2025/246629/1 दिनांक 29.04.2025 से गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की विवाह योग्य कन्या के सामूहिक विवाह हेतु बी.पी.एल. पोर्टल पर सत्यापन अनिवार्य है। प्रति कन्या को डी.बी.टी. के माध्यम से सहायता राशि रुपये 49,000/- कन्या के खाते में तथा रुपये 6000/- आयोजनकर्ता को प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री कल्याणी (विधवा) विवाह सहायता योजना म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 03.05.2018 से यह योजना आरंभ की गई है। कल्याणी 18 वर्ष या उससे अधिक हो, आयकरदाता न हो, कल्याणी शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो, शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी न हो तथा परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो, इसमें योजनांतर्गत बी.पी.एल. का बंधन नहीं है। कल्याणी महिलाओं को विवाह उपरांत रुपये 2 लाख की राशि दिये जाने का प्रावधान है।

सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के अंतर्गत कन्या विवाह/निकाह सहायता की राशि का लाभ प्राप्त करने के लिये आय सीमा का बंधन नहीं है।

तालिका संख्या 13.11: मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजनांतर्गत व्यय एवं हितग्राहियों की संख्या

(राशि रुपए लाख में)

क्रम संख्या	वर्ष	बंटन	व्यय	हितग्राही
01	2024-2025	25000.00	22911.59	39680
02	2025-2026	29500.00	28301.56	50208

नोट: कल्याणी विवाह योजना के अंतर्गत, वर्ष 2025-26 में 948.00 लाख रुपये के व्यय से 474 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है, जिसमें कन्याओं के विवाह और लाभार्थियों पर किया गया खर्च शामिल है।

13.4.9 मुख्यमंत्री निकाह योजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह/निकाह योजना में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु “मुख्यमंत्री निकाह योजना” 2012 से प्रारंभ की गई है।

मुख्यमंत्री निकाह सहायता योजनांतर्गत म.प्र. शासन के आदेश क्र./1/246629 /2025/26-2 दिनांक 29.04.2025 से गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की निकाह योग्य कन्या के सामूहिक निकाह हेतु बी.पी.एल. पोर्टल पर सत्यापन अनिवार्य है। कन्या निकाह योजना में सम्मिलित वधु को डी.बी.टी. के माध्यम से सहायता राशि रुपये 49,000/- कन्या के खाते में तथा रुपये 6000/- आयोजनकर्ता को प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

तालिका संख्या 13.12: मुख्यमंत्री निकाह योजनांतर्गत व्यय एवं हितग्राहियों की संख्या

(राशि रुपए लाख में)

क्रम संख्या	वर्ष	बंटन	व्यय	हितग्राही
01	2024-2025	1725.38	1443.27	2640
02	2025-2026	1897.92	1237.78	2250

13.4.10 अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं

दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना: योजना में दम्पति में कोई एक के दिव्यांग होने पर रूपये 2.00 लाख एवं दोनों दिव्यांग होने पर राशि रूपये 1.00 लाख तक एकमुश्त प्रोत्साहन राशि एवं प्रशंसा पत्र देने का प्रावधान है। पात्रता हेतु दम्पति आयकर दाता नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना दिनांक 18.08.2008 से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2025-26 में माह नवंबर 2025 तक 435 हितग्राही को राशि रु 798,00 लाख से लाभान्वित किया गया।

वरिष्ठजन कल्याण योजना: वरिष्ठजन कल्याण योजना के अंतर्गत, प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण, पुनर्वास, और संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। ये योजनाएं वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन यापन करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वरिष्ठ आश्रमों का संचालन: प्रदेश में अशासकीय संस्थाओं और नगरीय निकायों के माध्यम से 81 वरिष्ठ आश्रम संचालित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इन आश्रमों से 2950 एवं वर्ष 2025-26 में 2573 वरिष्ठजनों को लाभान्वित किया गया। वरिष्ठ आश्रम, वरिष्ठजनों के पुनर्वास और देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र हैं।

Smile Beggary Scheme के तहत पुनर्वास: भारत सरकार की Smile Beggary Scheme के अंतर्गत इंदौर के भिक्षु गृह में कुल 354 वयस्क व्यक्तियों को रेस्क्यू कर सेवाधाम आश्रम भेजा गया एवं लगभग 45 बच्चों को रेस्क्यू कर बाल देखरेख संस्थान (CCI) भेजा गया। यह पहल भिक्षुओं के जीवन को संवारने और समाज में उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए एक सकारात्मक कदम है।

अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY): भारत सरकार की योजना अंतर्गत नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन (NAPSr.C) और वरिष्ठ आश्रमों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹23.34 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया। भारत सरकार द्वारा ₹174.83 लाख की राशि स्वीकृत की गई एवं वर्ष 2025-26 में ₹7.35 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया। भारत सरकार द्वारा ₹253.50 लाख की राशि स्वीकृत कर प्रदाय की गई है।

Smile Beggary Scheme की कार्ययोजना: इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 12 चयनित शहरों इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, अमरकंटक (अनूपपुर), ओरछा (निवाड़ी), महेश्वर (खरगौन), चित्रकूट (सतना), रतलाम, ग्वालियर, खजुराहो (छतरपुर), और ओंकारेश्वर (खंडवा) में स्मॉल भिक्षावृत्ति केन्द्र संचालन स्वीकृति दी गई है। भारत सरकार द्वारा 2024-25 के लिए भोपाल, रतलाम, एवं जबलपुर प्रत्येक शहर के लिए ₹9.00 लाख की राशि प्रदान की गई।



13.4.11 नशा मुक्ति पहल

क्र संख्या	विवरण	विभागीय कार्यवाही
1	नशामुक्ति योजना- प्रदेश में नशामुक्ति के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य समाज में नशीली दवाओं के उपयोग को कम करना, प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास करना और जागरूकता फैलाना है। इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।	• प्रदेश में नशामुक्ति का वातावरण तैयार करने हेतु 04 विशेष नशामुक्ति दिवस- 30 जनवरी मद्यनिषेध संकल्प दिवस, 26 जून अन्तर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस, 31 मई विश्व तम्बाकू निषेध दिवस एवं 02 से 08 अक्टूबर मद्यनिषेध सप्ताह के अवसर पर राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लाक स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नशामुक्ति कार्यक्रमों के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि रुपये 10.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। • उपलब्धि- प्रदेश में नशामुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही अशासकीय संस्थान तथा समाजसेवी को विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार नियम -2010 के तहत दिनांक 13 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्रीजी के आतिथ्य में आयोजित राज्य स्तरीय नशामुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम में वर्ष 2023-24 के लिए संस्थागत पुरस्कार- शहीद भगत सेवा समिति जिला-रीवा तथा व्यक्तिगत पुरस्कार श्री राजीव तिवारी, शब्दि नशामुक्ति केन्द्र भोपाल को राशि रुपये 1-1 लाख तथा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।
2	राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPDDR) की प्रगति वित्तीय वर्ष- 2024-25 के लिए भारत सरकार की राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPDDR) के तहत स्टेट एक्शन प्लान के लिए राशि रुपये 10.27 करोड़ की अनुदान राशि स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। यह राशि नशामुक्ति से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए उपयोग की जाएगी। इसके माध्यम से समाज में नशे की समस्या को नियंत्रित करने के प्रयासों को ओर मजबूती दी जाएगी।	• केन्द्र प्रवर्तित योजना नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमाण्ड रिडक्शन (NAPDDR) स्कीम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार को प्रेषित स्टेट एक्शन प्लान राशि रुपये 10.27 करोड़ में से राशि रुपये 7.45 करोड़ स्वीकृत कर 50 प्रतिशत राशि रुपये 3.72 करोड़ जारी की गई। • वित्तीय वर्ष 2025-26 का स्टेट एक्शन प्लान राशि रुपये 10.87 करोड़ स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया है स्वीकृति अपेक्षित है।

क्र संख्या	विवरण	विभागीय कार्यवाही
		- वित्तीय वर्ष 2025-26 अंतर्गत नशामुक्त भारत अभियान की पांचवी वर्षगांठ के अवसर पर दिनांक 18 नवम्बर 2025 को प्रदेश में राज्य एवं जिला स्तरीय नशामुक्ति जनजागरूकता कार्यक्रम के आयोजन हेतु SNA SPARSH प्रणाली के माध्यम राशि 1.00 करोड़ प्रदाय की गई है। उपलब्धि- - नशामुक्त भारत अभियान अंतर्गत प्रदेश में 12,000 मास्टर वॉलेंटियर्स बनाये गये जोकि मध्यप्रदेश में नशे के दुष्परिणामों से आमजन को अवगत करा रहे है। - नशामुक्त भारत अभियान अंतर्गत भारत सरकार के NMBA App / Weblink पर 5.70 लाख से अधिक जनजागरूकता गतिविधियों की प्रविष्टियां की गई, जो देश में सर्वाधिक। 'विकसित भारत का मंत्र, भारत हो नशे से स्वतंत्र' अंतर्गत देशव्यापी MyGov.in पोर्टल पर e-Pledge (नशामुक्ति संकल्प) में मध्यप्रदेश की सर्वाधिक 33 प्रतिशत (46236) की भागीदारी रही।

13.5 विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू समुदाय का कल्याण एवं विकास

मध्यप्रदेश में वर्ष 1963 की अधिसूचना क्रमांक 6209-25-(GEN)-IK-63 से 21 जातियां विमुक्त एवं 30 जातियां घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू, कुल 51 जातियां विमुक्त, घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू के रूप में अधिसूचित (परिशिष्ट-1) की गई हैं। विमुक्त, घुमन्तू अर्द्धघुमन्तू समुदाय अस्थिर रहवासी स्वभाव के होने एवं शहर या गांव से बाहर डेरों/ मजरो/ टोलो पद्धति में रहने से स्थायी पता न होने के कारण इनके आधारकार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, समग्र आई.डी. जैसे परिचय पत्र की अनुपलब्धता की समस्याएं है। अपर्याप्त प्रमाण पत्रों के अभाव में इनका डाटाबेस राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी उपलब्ध नहीं है। डाटाबेस के अभाव में इन परिवारों व सदस्यों की राज्यवार/ जिलेवार संख्या व सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का आकलन नहीं किया जा सका है, उक्त समुदायों को राज्य/ केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित न कर पाने से इनको सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्तर पर अति पिछड़ापन का दंश सहना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में इनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु इन समुदायों के परिवारों का डाटाबेस तैयार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पंजीकरण के कार्य हेतु प्रथम चरण में बारह जिलों (देवास, कटनी, धार, सीहोर, विदिशा, भोपाल, उज्जैन, मंदसौर, रायसेन, शाजापुर, राजगढ़ एवं इन्दौर) में कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा।

- मध्यप्रदेश राज्य में इनके विकास एवं कल्याण हेतु पृथक से विमुक्त, घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू समुदाय कल्याण विभाग का गठन दिनांक 22.06.2011 को किया गया था विभाग द्वारा इन वर्गों के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनायें संचालित हैं जिनसे संबंधित प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
- मध्यप्रदेश में वर्ष 1963 की अधिसूचना क्रमांक 6209-25- (GEN)- IK-63 से 21 जातियां विमुक्त एवं

30 जातियां घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू, कुल 51 जातियां विमुक्त, घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू के रूप में अधिसूचित की गई हैं, जिनमें से 14 जातियाँ अनुसूचित जाति, 10 अन्य पिछड़ा वर्ग एवं शेष 27 जातियाँ अनारक्षित वर्ग में आती है।

- देश का प्रथम राज्य मध्यप्रदेश है जिसने वर्ष 2011 में "विमुक्त, घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू समुदाय विभाग" का पृथक से गठन किया गया, जिसके अंतर्गत संचालनालय एवं अभिकरण संचालित है।
- विमुक्त, घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू जाति छात्रावास योजनांतर्गत इस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 29 जिलों में संचालित 140 विमुक्त, घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू जाति छात्रावास/ आश्रम/ सामुदायिक कल्याण केन्द्रों के माध्यम से 6550 विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क भोजन एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था है। बालक हेतु 1650 एवं बालिका हेतु 1700 की शिष्यावृत्ति प्रतिमाह प्रदान की जाती है।
- इन वर्गों के शैक्षणिक विकास के लिये प्राथमिक शिक्षा छात्रवृत्ति (कक्षा 1 से 5), राज्य छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 10), पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं कन्याओं के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने हेतु कन्या साक्षरता प्रोत्साहन (कक्षा ग्यारहवीं), आदि विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि रु. 428.24 लाख की छात्रवृत्ति प्रदाय की जाकर 69,711 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।
- विभाग द्वारा विमुक्त, घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू समुदाय के 77 विद्यार्थियों को महाविद्यालय स्तरीय पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि रुपये 11.88 लाख की सहायता राशि प्रदान की गयी है।
- विभाग द्वारा विमुक्त, घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू समुदाय के छात्रों को आवास भाड़ा योजना अंतर्गत छात्रों को कुल राशि रुपये 1.14 लाख की सहायता राशि से 7 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।
- विमुक्त, घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू समुदायों को रोजगार सहायता अंतर्गत "मुख्यमंत्री विमुक्त, घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू स्वरोजगार योजना" अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये 45 हितग्राहियों को स्वयं के रोजगार हेतु शासन की कल्याण कारी योजनाओं का लाभ इन समुदाय को पहुँचाया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये 6 हितग्राहियों को स्वयं के रोजगार हेतु लाभान्वित किया गया है एवं प्रक्रिया प्रचलित है।
- सामुदायिक कल्याण हेतु बस्ती विकास योजनांतर्गत विमुक्त, घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू समुदायों की बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं (जैसे सी.सी. रोड, पक्की नाली, मांगलिक भवन, चबूतरा निर्माण, पेय जल, सार्वजनिक शौचालय) उपलब्ध करायी गयी है। वर्ष 2024-25 में प्रावधानित राशि रुपये 474.21 लाख से 83 लघु निर्माण कार्य कराये गये हैं, आगामी समय में अधिक कार्य करवाये जाने हैं। वर्ष 2025-26 हेतु प्रस्तावों की प्रक्रिया जारी है।
- मध्यप्रदेश शासन विमुक्त, घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू कल्याण विभाग के माध्यम से भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू कल्याण एवं विकास बोर्ड द्वारा संचालित सीड परियोजना के फ्री कौचिंग के अंतर्गत विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग के लिये Buddy 4 Study Portal पर आवेदन कराया गया, जिसमें प्रथम बार मध्यप्रदेश के 93 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। 10 सितम्बर तक 1035 विद्यार्थियों द्वारा आवेदन किया जा चुका है एवं प्रक्रिया प्रचलन में है।
- म.प्र. में निवासरत विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू समुदायों के परिवारों के व्यक्तियों को लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से 72,869 जाति प्रमाण पत्र बनाये गये हैं।
- निजी संस्थाओं द्वारा इन समुदायों के विद्यार्थियों के लिए विमुक्त, घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू कल्याण विभाग एवं सशक्तिकरण सामाजिक संस्था के द्वारा निःशुल्क अंक एवं अक्षर ज्ञान हेतु छात्रावास में निवासरत विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम संचालित है।

- निजी संस्थाओं द्वारा इन समुदायों के विद्यार्थियों के लिए विमुक्त, घुमन्तू और अर्धघुमन्तू कल्याण विभाग एवं विवेकानंद केन्द्र कन्याकुमारी के द्वारा परीक्षा दे हंसते हंसते और संस्कार वर्ग की नियमित गतिविधियां, छात्रावास में निवासरत विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम संचालित है।
- शासन के पत्र क्रमांक 941/ACS/DNT/2024 द्वारा राष्ट्रीय विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्धघुमन्तू समुदायों के कल्याण एवं विकास बोर्ड द्वारा संचालित सीड परियोजना के आवास घटक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण 100 प्रतिशत अनुदान केन्द्र सरकार) अंतर्गत मध्यप्रदेश द्वारा सात जिलों के 3047 पात्र हितग्राहियों की सूची स्वीकृति हेतु भेजी गई है, जिसपर राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा ग्रामीण एवं विकास विभाग म.प्र. शासन के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राशि प्रावधानित किये जाने की दिशा में एम.ओ.यू. पर सहमति बन चुकी है।
- समेकित विकास सर्वेक्षण हेतु मंत्री परिषद द्वारा 18 मार्च 2025 को उक्त योजना के जिला स्तरीय क्रियान्वयन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रथम चरण में 12 जिलों में जनअभियान परिषद के माध्यम से इन समुदायों में सम्मिलित जातियों के परिवारों का डेटा सर्वेक्षण का कार्य पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया जायेगा। प्रथम चरण में बारह जिले भोपाल, देवास, कटनी, धार, सीहोर, विदिशा, उज्जैन, मंदसौर, रायसेन, राजगढ़, शाजापुर एवं इन्दौर में कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। उक्त परियोजना अंतर्गत म.प्र. में निवासरत इस समुदाय के परिवारों के सर्वेक्षण हेतु अनुमानित राशि ₹ 5 करोड़ का परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाकर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।



सुशासन

सुशासन (Governance) किसी भी लोकतांत्रिक समाज का महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह केवल नियमों और कानूनों का अनुपालन नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने, सेवाओं की समयबद्ध और पारदर्शी उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा विश्वास और जवाबदेही का वातावरण बनाने की प्रक्रिया है। प्रभावी शासन समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने, संवेदनशीलता के साथ संसाधनों के उपयोग और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

मध्यप्रदेश में शासन को और अधिक समावेशी, पारदर्शी तथा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा विगत वर्षों में अनेक संरचनात्मक, प्रक्रियागत एवं तकनीकी सुधारों को लागू किया गया है। इन पहलों का मूल उद्देश्य शासन को केवल प्रशासनिक गतिविधि तक सीमित न रखते हुए उसे जन-केंद्रित, परिणामोन्मुख एवं उत्तरदायी व्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। विकास तभी सार्थक होगा जब शासन के सभी प्रयास समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुँच सकें।

शासन के मूल सिद्धांत-जवाबदेही, पारदर्शिता, सहभागिता, दक्षता एवं कानून के शासन को व्यावहारिक स्तर पर लागू किया गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, सेवा प्रदाय में समयबद्धता, शिकायत निवारण तंत्र तथा निगरानी आधारित व्यवस्था के माध्यम से प्रशासन और नागरिकों के बीच की दूरी को कम किया गया है। इससे न केवल सरकारी सेवाओं तक पहुँच आसान हुई है, अपितु निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों का विश्वास भी बढ़ा है।

राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए ई-गवर्नेंस एवं डिजिटलीकरण आधारित पहलों ने पारंपरिक प्रशासनिक जटिलताओं को कम करते हुए पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है। ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन तथा डेटा आधारित निर्णय प्रणाली से सेवा वितरण अधिक कुशल और जवाबदेह बना है। इसके साथ ही, जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु स्थानीय निकायों, स्वयं सहायता समूहों तथा समुदाय आधारित संस्थाओं को शासन प्रक्रिया से जोड़ा गया है, जिससे नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में जमीनी स्तर की आवश्यकताओं का समावेश सुनिश्चित हुआ है।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय, आर्थिक समावेशन और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए लागू की गई योजनाओं ने शासन को अधिक संवेदनशील और समावेशी बनाया है। कमजोर वर्गों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और वंचित समुदायों के लिए लक्षित पहलों के माध्यम से राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँचे। इस प्रकार, मध्यप्रदेश में लागू की गई शासन संबंधी पहलों ने प्रशासनिक सुधारों को नीतिगत संकल्प से वास्तविकता में परिवर्तित किया है।

सरकार द्वारा शासन व्यवस्था को सुदृढ़, उत्तरदायी एवं परिणामोन्मुख बनाने हेतु बहुआयामी सुधारात्मक पहलों को अपनाया गया है। इन पहलों का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना, सेवा वितरण को समयबद्ध बनाना तथा शासन को नागरिकों के प्रति अधिक संवेदनशील एवं जवाबदेह बनाना है।

राज्य में ई-गवर्नेंस और डिजिटल शासन को सशक्त करने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। विभिन्न विभागों की सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराकर आवेदन, स्वीकृति, भुगतान एवं निगरानी की प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है।

समाधान ऑनलाइन, समाधान एक दिवस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नम्बर 181 के माध्यम से जन-शिकायत निवारण एवं नागरिक सहभागिता तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर सीधा संवाद स्थापित करने वाली व्यवस्थाएँ

विकसित की गई हैं। इन तंत्रों के माध्यम से नागरिक अपनी समस्याएँ, सुझाव एवं शिकायतें सीधे शासन तक पहुँचा सकते हैं, जिनका समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त लोक सेवा गारंटी अधिनियम, साइबर तहसील, मध्यप्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, लोक सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र की स्थापना, मुख्यमंत्री जन सेवा, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पोर्टल, आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम इत्यादि सम्मिलित हैं।

14.1 राजस्व के क्षेत्र में सुशासन के अनुप्रयोग

मध्यप्रदेश शासन द्वारा राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, सरल, उत्तरदायी एवं नागरिक-अनुकूल बनाने हेतु व्यापक सुधारात्मक प्रयास किए गए हैं। राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य राजस्व से संबंधित प्रक्रियाओं को तकनीक आधारित बनाकर नागरिकों को समयबद्ध सेवाएँ उपलब्ध कराना, विवादों में कमी लाना तथा राजस्व संग्रह में दक्षता बढ़ाना रहा है। इस दिशा में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार तथा प्रक्रिया सरलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

स्टाम्प एवं पंजीयन व्यवस्था में सुधार करते हुए संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध और पारदर्शी बनाया गया है। ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग, ई-स्टाम्पिंग, डिजिटल भुगतान एवं स्वचालित मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से न केवल नागरिकों की सुविधा बढ़ी है, बल्कि राजस्व संग्रह में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इन पहलों से अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है।

14.1.1 साइबर तहसील

मध्यप्रदेश शासन द्वारा राजस्व प्रशासन को पारदर्शी, समयबद्ध एवं नागरिक-केन्द्रित बनाने के उद्देश्य से “साइबर तहसील” पहल को राज्य-स्तर पर लागू किया गया है। यह पहल भूमि नामांतरण, पंजीयन उपरांत प्रविष्टि एवं भू-अभिलेख अद्यतन जैसी महत्वपूर्ण राजस्व सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन, पेपरलेस एवं फेसलेस बनाती है। शासन का उद्देश्य तहसील स्तर पर नागरिकों की बार-बार उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त करना, मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करना तथा निर्धारित समय-सीमा में सेवा प्रदाय सुनिश्चित करना है। साइबर तहसील प्रणाली को चरणबद्ध रूप से लागू करते हुए वर्तमान में इसे मध्यप्रदेश के सभी 55 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

साइबर तहसील के अंतर्गत 02 तरह से अविवादित नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण किया जाता है, प्रथमतः साइबर तहसील 1.0 के सम्पूर्ण खसरे के अविवादित नामांतरण के प्रकरण, एवं द्वितीय साइबर तहसील 2.0 - आंशिक खसरे के नामांतरण। साइबर तहसील में नामांतरण के प्रकरणों की प्रक्रिया इस प्रकार है:

साइबर तहसील की व्यवस्था -

साइबर तहसील 1.0:

- साइबर तहसील के माध्यम से सम्पूर्ण खसरे के भूमि नामांतरण की प्रक्रिया फेसलेस, पेपरलेस व पूरी तरह ऑनलाइन की गई है।
- प्रकरण के पंजीयन से अंतिम आदेश एवं अमल की प्रक्रिया औसत 15 - 20 कार्य दिवस में पूर्ण की जाती है।
- आज दिनांक तक 2,36,282 लाख से अधिक न्यायालयीन आदेश पारित किये हैं।
- अंतिम आदेश और अद्यतन खसरे की प्रति WhatsApp/ईमेल के माध्यम से नागरिकों को तत्काल उपलब्ध कराई जाती है।



- राज्य स्तरीय नवाचार हेतु साइबर तहसील को भारत सरकार द्वारा PM Excellence Award 2023 प्रदाय किया गया है।
- 19th National Digital Transformation Award 2025 हेतु “Public Service Delivery Transformation Award” category में चयनित।

साइबर तहसील 2.0: आंशिक खसरे के नामांतरण -

- माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 09.08.2024 को प्रदेश के समस्त जिलों में लागू किया गया।
- प्रकरण के पंजीयन से अंतिम आदेश एवं अमल की प्रक्रिया 23-25 कार्य दिवस में पूर्ण की गई है।
- साइबर तहसील 2.0 में आज दिनांक तक 4,12,302 लाख से अधिक न्यायालयीन आदेश पारित किये गए हैं।
- साइबर तहसील के माध्यम से लगभग 08 लाख नामान्तरण प्रतिवर्ष निराकृत होंगे।
- आवेदक को घर बैठे अंतिम आदेश, अद्यतन खसरा, नक्शों की प्रति WhatsApp एवं ई-मेल पर उपलब्ध कराई जाती है।

14.1.2 पुराने भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण

- वर्ष 2012 से समस्त भू-अभिलेखों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराया जा रहा है, उन्हें डिजिटल स्वरूप में ऑनलाइन देखा और डाउनलोड किया जा सकता है, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता और सेवाओं की सुलभता बढ़ी है।
- लगभग 15 करोड़ पुराने भू-अभिलेखों को स्कैन एवं डिजिटल रूप में परिवर्तित कर भू-लेख पोर्टल पर आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- डिजिटलीकरण के इस कार्य का पहला चरण मध्यप्रदेश के जबलपुर एवं नर्मदापुरम संभाग के सभी जिलों के पुराने भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण से शुरू किया गया है।

14.1.3 Web GIS 2.0- नवीन भू-लेख पोर्टल का शुभारंभ

- दिनांक 30 जुलाई 2025 को राजस्व विभाग द्वारा पूरे प्रदेश के समस्त जिलों में नवीन भूलेख पोर्टल का शुभारम्भ किया गया है। यह नया पोर्टल अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और आधुनिक उपकरणों (टूल्स) का उपयोग करता है, जिससे भूमि से संबंधित सेवाएं जनता को सटीकता के साथ शीघ्र प्रदान की जा सकें।
- भू-लेख पोर्टल से ऑनलाइन भू-अभिलेखों की प्रतिलिपि से शासन को प्रति वर्ष लगभग राशि रुपये 45 करोड़ का आय प्राप्त होती है। यह आय राजस्व विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, इसे राज्य के विभिन्न विकास कार्यों एवं तकनीकी सुधारों के लिए निवेश किया जाता है।

14.1.4 वन ग्राम से राजस्व ग्राम

827 वन ग्रामों में से 713 ग्रामों का FRA पॉलीगन डाटा वन विभाग से प्राप्त हुआ। 713 ग्रामों में से 538 ग्रामों की टेंटेटिव बाउंड्री तैयार की जाकर MPSEDC में नक्शा जमा किया जा चुका है। 529 ग्रामों का फीचर एक्सट्रैक्शन कर ग्राउंड टूथिंग हेतु नक्शे जिले को प्रदाय किये गए हैं। ग्राउंड टूथिंग उपरांत 81 मैप MPSEDC में जमा किये गये।

14.1.5 स्वामित्व योजना

स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य - ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी भूमि पर निवासरत व्यक्तियों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है, ताकि वे अपनी संपत्ति का कानूनी दस्तावेज प्राप्त कर सकें।

- वर्तमान में समस्त 55 जिलों के आबादी ग्रामों में ड्रोन फ्लाई का कार्य पूर्ण चुका है। 20 जिलों क्रमशः जिला हरदा, डिंडोरी, सीहोर, बुरहानपुर, खरगोन, शहडोल, आगर मालवा, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, जबलपुर, रतलाम, सागर, झाबुआ, उज्जैन, देवास, खंडवा, मंडला, उमरिया, अशोकनगर में सम्पूर्ण कार्य पूर्ण हो चुका है।
- लक्षित 42055 आबादी ग्रामों में से 39916 आबादी ग्रामों में सम्पूर्ण कार्य पूर्ण किया जा कर प्रदेश में 94.9% कार्य पूर्ण हो चुका है।
- कुल सर्वेक्षित प्लॉट 72.67 लाख हैं। इनमें से 64.89 लाख प्लॉट के अधिकार अभिलेखों का निर्माण किया जा चुका है। इनमें 46.07 लाख निजी प्लॉट हैं एवं 18.81 लाख शासकीय प्लॉट हैं, जिनका ऑनलाइन रिकॉर्ड WEBGIS पर उपलब्ध है। योजना के अंतर्गत पहली बार आबादी भूमि पर निवासरत व्यक्तियों को स्वामित्व अधिकार प्रदान किये गए।
- स्वामित्व योजना अंतर्गत प्राप्त अधिकार अभिलेख पर 1958 लाभार्थियों को विभिन्न बैंक द्वारा लोन स्वीकृत किया गया है।

14.1.6 फार्मर रजिस्ट्री

- फार्मर रजिस्ट्री योजना तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की स्पेशल इंसेंटिव योजना के अंतर्गत समन्वित प्रयासों से न केवल किसान समुदाय को सशक्त बनाया जा रहा है बल्कि भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण भी व्यापक स्तर पर हो रहा है। अनुमान है कि ये प्रयास कृषि क्षेत्र में दक्षता और लाभ वितरण में अभूतपूर्व सुधार लाने में सहायक सिद्ध होंगे।
- फार्मर रजिस्ट्री बनाये जाने हेतु विशेष कैम्प आयोजित कर पटवारी, ग्राम के स्थानीय युवा, सीएससी केन्द्रों के माध्यम से कार्य पूर्ण किया जा रहा है। 21 दिसम्बर 2025 की स्थिति में 96 लाख से अधिक किसानों का फार्मर आईडी जनरेट किया जा चुका है।

पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (Special Assistance to State for Capital Investment)-

- भारत सरकार की Special Assistance to State for Capital Investment (SASCI) योजना के अंतर्गत राजस्व विभाग को वर्ष 2024-25 में कुल ₹1170.73 करोड़ का प्रोत्साहन (incentive) प्राप्त हुआ है। यह योजना राज्यों को पूंजीगत निवेश बढ़ाने एवं उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जाती है। आगामी वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के अंतर्गत ₹1171.05 करोड़ प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
- वर्ष 2024-25 में भारत सरकार से राज्यवार प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने में मध्यप्रदेश द्वितीय स्थान पर है।
- SASCI के तहत फार्मर रजिस्ट्री में मध्यप्रदेश ने विशेष रूप से तीनों निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसका अर्थ है कि मध्यप्रदेश ने फार्मर रजिस्ट्री के सभी पहलुओं जैसे पंजीकरण, सत्यापन, और डेटा अपडेट को सफलतापूर्वक पूरी तरह लागू कर अधिकतम प्रोत्साहन राशि अर्जित की है।



यह उपलब्धि राज्य की दक्षता, तकनीकी सुधार और किसानों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

14.1.7 शहरी बस्तियों के राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण (NAKSHA)

- NAKSHA कार्यक्रम एक अभिनव पहल है, जिसका उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों की भूमि एवं संपत्तियों का सटीक, पारदर्शी और डिजिटल अभिलेख तैयार करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों को उनकी संपत्ति संबंधी जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी, जिससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि भूमि विवादों में कमी आएगी।
- भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग द्वारा संचालित NAKSHA (National geospatial Knowledge-based land Survey of urban Habitations) कार्यक्रम को मध्यप्रदेश शासन द्वारा राज्य में लागू किया गया है। पायलट चरण में इसके अंतर्गत 09 जिलों के 10 नगरीय निकायों का चयन किया गया है।
- इस कार्यक्रम में आधुनिक तकनीकों जैसे GNSS Rover आधारित सर्वेक्षण, GIS आधारित मैपिंग एवं ड्रोन चित्रण एवं उपग्रह डाटा विश्लेषण का उपयोग किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक संपत्ति का सटीक सीमांकन सुनिश्चित किया जा सके।
- 18 फरवरी 2025 को रायसेन (मध्यप्रदेश) में NAKSHA कार्यक्रम का राष्ट्रीय शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर देश के 26 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 152 नगरीय निकायों में पायलट कार्यक्रम के रूप में इस पहल की औपचारिक शुरुआत की गई।
- NAKSHA कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यप्रदेश के 10 नगरीय निकायों को पायलट कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इनमें निम्नलिखित नगरीय क्षेत्र शामिल हैं — शाहगंज, छनेरा (नया हरसूद), रेजीडेंसी एरिया (इंदौर), अलीराजपुर, देपालपुर, मेघनगर, साँची, माखन नगर, उन्हेल तथा विदिशा।
- इन नगरीय निकायों में ग्राउंड ट्रुथिंग, RoR टैगिंग तथा प्रकाशन की कार्यवाही वर्तमान में प्रगति पर है।

14.1.8 डिजिटल फसल सर्वेक्षण (खरीफ 2024 से)

डिजिटल फसल सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से सरकार द्वारा नीतियों को बनाने में सहायता मिलती है जिससे किसानों को मिलने वाले अनुदान और फसल बीमा योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुँचाना आसान और प्रभावी हो जायेगा-

- **प्रारंभ एवं क्षेत्र:** डिजिटल फसल सर्वेक्षण खरीफ 2024 से संपूर्ण प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू किया गया है।
- तकनीकी नवाचार जियो फेंसिंग (Geo-fencing) तकनीक के माध्यम से प्रत्येक खेत में फील्ड वेरिफिकेशन किया जाता है।
- **स्थानीय सहभागिता:** 60,000 से अधिक ग्रामीण स्थानीय युवाओं को इस कार्य में नियोजित किया गया, जिससे रोजगार सृजन में वृद्धि हुई है।
- **नवीन फसलों की पहचान:** कुल 190 नई फसलों की पहचान की गई है।
- सत्यापन रहित ई-उपार्जन पंजीयन।

14.1.9 सी.एम. सिटीज़न केयर (181)

नागरिकों को सुविधा के लिए सी.एम. सिटीज़न केयर के माध्यम से आवेदक द्वारा सी.एम. हैल्पलाइन कॉल सेन्टर पर 181 डायल करने के उपरांत चालू खसरा, खतौनी, नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदाय की जा रही है।

14.1.10 राजस्व विभाग की अन्य सेवायें:

नगरेत्तर सर्वे:

- जिला नर्मदापुरम के 77 ग्राम, जिला छतरपुर के 5, जिला इंदौर के 12 ग्राम, जिला मुरैना के 02 ग्राम, जिला गुना के 78 ग्राम एवं जिला दतिया के 03 ग्रामों, रीवा के 14 ग्रामों की नगरेत्तर सर्वे हेतु अधिसूचना जारी की गई।
- नक्शा विहीन ग्राम: 280 नक्शा विहीन ग्रामों में से 100 ग्रामों के नक्शे डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 91 ग्रामों में GT कार्य प्रगतिरत है।
- मजरा टोला - प्रदेश अन्तर्गत 158 मूलग्रामों एवं 201 मजरा टोलों से कुल 359 ग्रामों का पृथक पृथक अभिलेख तैयार कराये जाने का कार्य जिलों में किया जा रहा है।
- वन विस्थापित ग्राम 35 ग्राम में से 12 ग्राम का राजस्व अभिलेख निर्माण कार्य का अंतिम प्रकाशन किया जा रहा है।

पटवारी भर्ती 2023:

- पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 में कुल 6755 पदों के विरुद्ध 5281 पटवारियों का चयन कर नियुक्त पत्र प्रदान किये गये। चयनित 5281 पटवारियों में से 5071 प्रशिक्षण पर उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है।

पटवारियों को लैपटॉप प्रदाय किया जाना:

- राजस्व विभाग की सेवाओं को प्रभावी एवं बेहतर ढंग से शीघ्र नागरिकों तक पहुँचाने के लिए प्रदेश के 18900 पटवारियों को लैपटॉप क्रय के लिये राशि प्रदाय की गई है। शेष की कार्यवाही प्रचलित है।

(उपरोक्त राजस्व संबंधी जानकारी म.प्र. राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ 2025/90-1-2/सात/शा6- भोपाल दिनांक 2026/1/08 पर आधारित है।)

14.2 नागरिक सेवा प्रदाय

मध्यप्रदेश शासन द्वारा सुशासन की अवधारणा को केंद्र में रखते हुए नागरिक-केंद्रित सेवा प्रदाय व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है।

मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है, जहाँ नागरिकों को अधिसूचित लोक सेवाओं के प्रदाय की विधिक गारंटी प्रदान की गई है। मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 25 सितम्बर, 2010 से प्रभावशील किया गया, जिसका उद्देश्य लोक सेवाओं को समयबद्ध, उत्तरदायी एवं जवाबदेह बनाना है।

अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन तथा प्रदेश में लोक सेवा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा पृथक लोक सेवा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया। विभाग के अंतर्गत वर्ष 2013 में राज्य लोक सेवा अभिकरण की स्थापना की गई, जो नागरिकों को बेहतर लोक सेवा प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है:-

- लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम का क्रियान्वयन
- लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन
- सी.एम. हैल्पलाइन कॉल सेंटर का संचालन



सी.एम. डैशबोर्ड का संचालन

1. प्रदेश के सभी जिलों एवं तहसीलों में लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है। मध्यप्रदेश के समस्त विकासखण्ड, तहसील क्षेत्र में अब कुल 444 लोक सेवा केन्द्र (पी.पी.पी मॉडल अनुसार) संचालित किये जा रहे हैं।
2. वर्तमान में लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत 735 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी है, जिसमें लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से नागरिकों के लिए 414 सेवाएं ऑनलाईन प्रदाय की जा रहीं हैं।
3. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचित सेवा क्रमांक 6.4 “जाति प्रमाण पत्र प्रदाय” अभियान के तहत अब तक लगभग 1.42 करोड़ डिजिटल हस्ताक्षरित रंगीन प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा चुके हैं।
4. लोक सेवा गारंटी अंतर्गत समस्त सेवाओं के अब तक लगभग 11.90 करोड़ से अधिक आवेदनों का निराकरण किया गया है।
5. **समाधान एक दिन-तत्काल प्रदाय सेवा:** नागरिकों को एक दिन में सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से मध्यप्रदेश शासन द्वारा समाधान एक दिन-तत्काल सेवा व्यवस्था फरवरी 2018 से प्रारंभ की गई है। इसके तहत अब तक कुल 3.21 करोड़ से अधिक नागरिक को लाभांवित हुये हैं।
6. **सी.एम. हेल्पलाइन 181 कॉल सेंटर:** मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अपने नागरिकों के लिए सीएम हेल्पलाइन (181) का संचालन वर्ष 2014 से किया जा रहा है। कॉल सेंटर पर नागरिकों द्वारा शासकीय योजनाओं की जानकारी, शिकायत एवं मांग सुझाव हेतु संपर्क किया जाता है। सीएम हेल्पलाइन सेवा के अंतर्गत नागरिकों से प्राप्त लगभग 3.52 करोड़ प्राप्त शिकायतों में से 3.48 करोड़ शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है।
7. **महिला हेल्पलाइन-** महिला उत्पीड़न से बचाव हेतु राज्य में महिला हेल्पलाइन का संचालन 08 मार्च 2020 (महिला दिवस) से प्रारंभ किया गया है। महिला हेल्पलाइन के संचालन के लिए सीएम हेल्पलाइन (181) से एकीकरण किया गया है। अब तक प्राप्त शिकायतों में से 3.13 लाख शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है।

14.2.1 विभाग के सुशासन की दिशा में नवाचार

सीएम जनसेवा: सीएम जनसेवा 181 का शुभारंभ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर 11 जनवरी 2021 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया एवं वर्तमान में इसके माध्यम से 07 प्रमुख सेवाएं क्रमशः (1) स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (2) आय प्रमाण पत्र (3) चालू खसरा की प्रतिलिपियां (4) खतौनी की प्रतिलिपियां (5) चालू नक्शा की प्रतिलिपियां (6) भू-अधिकार पुस्तिका की प्रतिलिपि (7) स्पेसिमेन कॉपी (खसरा खतौनी एवं नक्शा) टोल फ्री नंबर 181 पर एक कॉल कर SMS / WhatsApp के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सीएम जनसेवा की स्थापना के बाद से अब तक लगभग 9.72 लाख से अधिक आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। सीएम हेल्पलाइन को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये वॉयस बॉट और टेक्स्ट विश्लेषण के लिये संबंधित सेवा प्रदाताओं से प्रामाणिकता सिद्ध करने (POC) का कार्य किया जा रहा है।

दिव्यांग हेल्पलाइन: प्रदेश में दिव्यांगजनों की समस्याओं के त्वरित निराकरण किये जाने के उद्देश्य से 10 फरवरी 2023 से दिव्यांग हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक प्राप्त शिकायतों में से लगभग 51722 हजार शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है।

चाइल्ड हेल्पलाईन 1098: किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों (लड़का/लड़की) को सहायता व जानकारी की उपलब्धता हेतु चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 का संचालन महिला एवं बाल विकास, मंत्रालय द्वारा सीएम हेल्पलाईन के माध्यम से किया जा रहा है। त्वरित सहायता हेतु चाइल्ड हेल्पलाइन को महिला हेल्पलाइन, पुलिस 112, एवं जिला स्तरीय जिला बाल संरक्षण इकाई से एकीकरण किया गया है। योजना प्रारंभ से अब तक 60310 बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

सीएम डेशबोर्ड पोर्टल: शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पारदर्शी मॉनिटरिंग व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से सीएम डेशबोर्ड पोर्टल का नवीनीकरण किया जा रहा है।

नवीन सेवाओं को कानून के दायरे में लाना: प्रदेश के नागरिकों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए दैनिक जीवन की बहुउपयोगी सेवाओं को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप 724 नागरिक सेवाएं लोक सेवा गारंटी कानून अंतर्गत सम्मिलित हैं।

लोक सेवा केन्द्रों पर आधार कार्ड व्यवस्था: लोक सेवा केन्द्रों पर नागरिक सुविधा एवं सेवाओं को बेहतर एवं प्रभावी बनाये जाने हेतु आधार पंजीयन एवं सुधार सेवा प्रारंभ की गयी।

लोक सेवा केन्द्रों से ई-कोर्ट की सेवाओं की प्रदायगी: एमपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल एवं ई-कोर्ट सिस्टम के बीच एकीकरण द्वारा लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से ई-कोर्ट की सेवाएं प्रदान की जा रही है। इसके अंतर्गत ई-कोर्ट की प्रमुख सेवा “न्यायिक आदेश की ई-प्रति (हाईकोर्ट एवं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट)” लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।

उपलोक सेवा केंद्र: प्रत्येक जिले में ऐसी ग्राम पंचायत, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 5000 से अधिक है, में उप लोक सेवा केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति की गई है। तदनुसार प्रदेश की कुल 730 ग्राम पंचायतों पर उपलोक सेवा केंद्र खोले जाने के लिए 1 लाख रुपये प्रति ग्राम पंचायत के मान से जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी को राशि जारी की जा चुकी है। प्रदेश में अब तक 505 उप लोक सेवा केंद्र खोले जा चुके हैं।

सिटिजन इंटरफेस के माध्यम से सेवा का प्रदाय: प्रदेश के नागरिकों को घर बैठे ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था सिटिजन इंटरफेस के माध्यम से की गई है। इस व्यवस्था के तहत नवीन सेवाओं को जोड़ा जा रहा है, अब नागरिक लोक सेवा प्रबंधन विभाग के पोर्टल www.mpedistrict.gov.in पर 75 सेवाएं आवेदन सिटिजन इंटरफेस के माध्यम से कर सेवा प्राप्त कर सकते हैं।

WhatsApp चैट-बोट: नागरिकों की सुविधा के लिए सीएम हेल्पलाईन एवं लोक सेवा के लिए WhatsApp चैट बोट सुविधा प्रारंभ की गयी है।



जिसके माध्यम से नागरिक अपने व्हाट्सअप नंबर से विभिन्न योजनाओं की जानकारी एवं अपने आवेदन/शिकायत की स्थिति देख सकते हैं।

(उपरोक्त जानकारी राज्य लोक सेवा अभिकरण म.प्र. (SAPS MP) से प्राप्त पत्र क्रमांक 63/रालोसेअ/समं/2026 भोपाल दिनांक 20.01.2026 पर आधारित है।)

14.3 कानून एवं व्यवस्था तथा विधि एवं विधायी सुधार

कानून व्यवस्था:

सुशासन की प्रभावी स्थापना के लिए सुदृढ़ कानून व्यवस्था अनिवार्य है, जो आर्थिक गतिविधियों, निवेश परिवेश तथा सामाजिक स्थिरता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। मध्यप्रदेश शासन द्वारा राज्य में न्याय, सुरक्षा एवं शांति की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु निरंतर एवं योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे नागरिकों एवं निवेशकों में विश्वास का वातावरण निर्मित हो सके।

न्याय एवं कानून व्यवस्था की पहुँच समाज के सभी वर्गों तक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गृह विभाग द्वारा प्रशासनिक, संस्थागत एवं तकनीकी सुधारों को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। विभाग का प्रमुख फोकस अपराध की रोकथाम एवं नियंत्रण, आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है।

गृह विभाग राज्य में पेशेवर, सक्षम एवं त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं के संचालन के साथ-साथ सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु निरंतर कार्य कर रहा है। “देश भक्ति, जन सेवा” के मूल मंत्र के अनुरूप विभाग द्वारा कानून व्यवस्था, सामाजिक शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने की दिशा में सतत् प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव राज्य की समग्र सामाजिक-आर्थिक प्रगति परिलक्षित होता है।

14.3.1 केन्द्रीयकृत पुलिस कॉल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र (डायल-112):

प्रदेश की जनता को त्वरित आपातकालीन पुलिस सहायता प्रदान करने के लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा 1 नवंबर 2015 को डायल-100 योजना प्रारंभ की गई। योजना की लोकप्रियता को देखते हुये प्रदेश के आम नागरिकों की सुरक्षा एवं उन्हें आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराने हेतु डायल-100 के द्वितीय चरण के लिए राशि रुपये 1565.00 करोड़ की कार्ययोजना शासन द्वारा स्वीकृत है।

वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश की जनता एवं आम नागरिकों की सुरक्षा और उन्हें त्वरित आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराने हेतु डायल-100 के स्थान पर इमरजेंसी नंबर- 112 के साथ इंटीग्रेट किया है। योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि रुपये 348.16 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। योजना का कार्य सुचारु रूप से संचालित की जा रही है।

14.3.2 आंतरिक सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण योजना:

प्रदेश ने आंतरिक सुरक्षा लोक शान्ति एवं कानून व्यवस्था को मजबूत बनाये रखने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा विशेष शाखा में विशिष्ट इकाईयों एटीएस, हॉक फ़ोर्स, एसआईबी, सुरक्षा वाहिनी का गठन किया जाकर इन इकाईयों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को विशिष्ट एवं आधुनिकतम प्रशिक्षण दिये जाने हेतु एक ही स्थान पर एकीकृत सुरक्षा परिसर का निर्माण तथा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में व्यवसायिकता एवं दक्षता उन्नयन हेतु वर्ष 2020 में राशि रुपये 136.30 करोड़ की कार्ययोजना स्वीकृत की है। योजना अंतर्गत अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित इंटीग्रेटेड सिविलोरीटी कॉम्प्लेक्स सेंटर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उक्त भवन में विशेष शाखा प्रशिक्षण संस्थान एटीएस एवं एसटीएफ कार्यालय का संचालन प्रारंभ हो गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 से राशि रुपये 3.53 करोड़ का बजट प्रावधान है। योजनांतर्गत शेष कार्य किये जा रहे हैं।

14.3.3 अपराध एवं अपराधी पतासाजी तंत्र और व्यवस्था:

योजना क्रमांक-7348-अपराध एवं अपराधी पतासाजी तंत्र और व्यवस्था (सी. सी. टी. एन. एस.) अंतर्गत राशि

रु.177.88 करोड़ द्वितीय चरण की शासन स्वीकृति प्राप्त है। प्राप्त स्वीकृति के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि रू. 84.94 करोड़ का बजट प्रावधान हुआ है। प्रावधानित बजट राशि से सी.सी.टी.एन.एस. योजना अंतर्गत कार्य किया जा रहा है।

अपराध एवं अपराधी पतासाजी तंत्र और व्यवस्था (सी.सी.टी.एन.एस.) प्रोजेक्ट अंतर्गत नागरिक सेवाओं (Citizen Services) को मुख्यतः इन प्लेटफार्म से एक्सेस किया जा सकता है।

अ. राज्य नागरिक पोर्टल-www.citizen.mppolice.gov.in,

ब. एमपी पुलिस की वेबसाइट- www.mppolice.gov.in,

स. एमपीईकोप एवं play store से डाउनलोड किया जा सकता है।

(उपरोक्त जानकारी म.प्र. गृह विभाग पत्र क्रमांक -पु.मु./यो./26/आर्थिक सर्वे./165/2025, दिनांक 10/12/2025 पर आधारित है।)



14.4 जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ

जेल सुधार तथा कारागृहों के आंतरिक वातावरण में सुधार, दंड प्रणाली की प्रभावशीलता बढ़ाने, अपराध की पुनरावृत्ति को कम करने तथा समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कारावास एवं स्वतंत्रता से वंचित करने वाले दंडात्मक उपायों का उद्देश्य अपराध नियंत्रण के माध्यम से सार्वजनिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना तथा पुनरावृत्ति दर को न्यूनतम करना है। कारागृहों में व्यतीत अवधि का बंदियों के व्यवहार एवं मानसिक स्थिति पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। अतः कारावास व्यवस्था का सुदृढ़, संतुलित एवं सुधारोन्मुख होना आवश्यक है।

राज्य में बढ़ती बंदी संख्या के परिप्रेक्ष्य में जेलों की क्षमता वृद्धि हेतु नवीन बैरकों के निर्माण तथा कारागृह अवसंरचना के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही, न्यायालयों में बंदियों की पेशी हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी डिजिटल व्यवस्थाओं के उपयोग से प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि हुई है तथा सुरक्षा एवं समय-संसाधनों की बचत सुनिश्चित हुई है। बंदियों की रिहाई, पैरोल एवं अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं को अधिक सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ये सुधार न केवल कारावास प्रणाली की समग्र

प्रभावशीलता को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि बंदियों के सामाजिक पुनर्वास को प्रोत्साहित करते हुए राज्य की विधिव्यवस्था एवं आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक उत्तरदायी एवं सक्षम बनाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

प्रदेश में कारागार व्यवस्था एवं क्षमता स्थिति

- मध्यप्रदेश में वर्तमान में कुल 133 कारागार संचालित हैं, जिनमें 11 केन्द्रीय जेल, 41 जिला जेल, 73 उप-जेल एवं 08 खुली जेलें सम्मिलित हैं। इन कारागारों की कुल अधिकृत आवास क्षमता 30,944 बंदियों की है, जबकि दिनांक 30.10.2025 की स्थिति में प्रदेश की जेलों में कुल 42,595 बंदी परिरुद्ध थे।
- विगत दो वर्षों में कारागारों की आवास क्षमता में वृद्धि की गई है। दिनांक 30.11.2023 की स्थिति में कुल अधिकृत क्षमता 29,875 थी, जो दिनांक 31.10.2025 तक बढ़कर 30,944 हो गई है। इसी अवधि में, दिनांक 30.11.2023 को कुल 45,986 बंदी परिरुद्ध थे, जो नई रिहाई नीति एवं गरीब बंदी सहायता योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप घटकर दिनांक 31.10.2025 को 42,595 रह गए हैं। परिणामस्वरूप, प्रदेश में बंदियों की ओवरक्राउडिंग की स्थिति, जो पूर्व में लगभग 54 प्रतिशत थी, शासन के सतत प्रयासों से कम होकर लगभग 38 प्रतिशत पर आ गई है।
- कारागार क्षमता में आगामी वृद्धि हेतु भिण्ड, छिन्दवाड़ा, इंदौर, बुरहानपुर एवं गैरतगंज में नवीन जेलों का निर्माण तथा उप-जेल मऊगंज का उन्नयन कार्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर प्रदेश में लगभग 3,945 बंदियों की अतिरिक्त आवास क्षमता सृजित होगी।
- इसके अतिरिक्त, प्रदेश में 119 नई बैरकों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है, जिनके पूर्ण होने पर लगभग 2,380 बंदियों की आवास क्षमता में और वृद्धि होगी।

14.4.1 बंदी पुनर्वास एवं कौशल तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण

- (1) आई.टी.आई. प्रदेश की 03 जेलों (उज्जैन, बैतूल एवं धार) में आई.टी.आई संचालित हैं, जिनमें कारपेंट्री, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, मोटर व्हीकल का प्रशिक्षण दिया जाता जो सतत् रूप से जारी है। इसके अतिरिक्त जेलों में विभिन्न प्रकार के उद्योगों में वर्ष 2024 में 2883 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।
- (2) पेट्रोल पम्प की स्थापना बंदियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदौर, दमोह, भोपाल एवं टीकमगढ़ में पेट्रोल पम्प संचालित हैं। दिनांक 26 अगस्त 2024 को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के सहयोग से केन्द्रीय जेल भोपाल में पेट्रोल पम्प का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उदघाटन किया गया है।
- (3) खुली जेलें बंदियों के पुनर्वास की दृष्टि से प्रदेश में 08 खुली जेलें संचालित है। जिनमें 138 बंदियों को उनके परिवार के साथ रखने की सुविधा है। इनमें से उज्जैन में 20 बंदी क्षमता की खुली जेल का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 15.06.2024 को किया गया है। इनमें अच्छे आचरण वाले बंदियों को रिहाई के पूर्व उनके परिवार सहित रहने की सुविधा दी गई है। बंदी अपने रुचि अनुसार रोजगार कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। बंदियों को जेल से रिहा होने पर अपने परिवार के पालन पोषण में कोई कठिनाई नहीं होती है।

14.4.2 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी

बंदियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी समस्त जेलों को उनके संबंधित न्यायालयों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया है। वर्ष 2024 में कुल 4,33,855 पेशी (79.77 %) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तथा शेष पेशियां माननीय न्यायालय के अनुसार पुलिस बल के माध्यम से न्यायालय में भौतिक उपस्थिति के माध्यम से कराई गई।

14.4.3 जेलों की सुरक्षा

- सभी जेलों में सी.सी.टी.वी की स्थापना की गई है। जेल मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम से लगभग 30 जेलों की मॉनीटरिंग की जा रही है। इलेक्ट्रिक फेंसिंग - वर्तमान में 11 केन्द्रीय एवं 03 जिला जेलों एवं 01 सब जेल में इलेक्ट्रिक फेंसिंग स्थापित है, तथा 27 जेलों में इलेक्ट्रिक फेंसिंग की स्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है।
- ई-मुलाकात- प्रदेश की समस्त जेलों में ई-मुलाकात की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त इनकमिंग दूरभाष की सुविधा भी उपलब्ध है।

14.4.4 बंदियों की मुक्ति एवं विशेष रिहाई

- **आजादी के अमृत महोत्सव पर विशेष रिहाई-** भारत सरकार गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत गणतंत्र दिवस 2025 (26 जनवरी 2025) के अवसर पर 150 बंदी तथा स्वतंत्रता दिवस 2025 (15 अगस्त 2025) के अवसर पर 156 बंदी रिहा किए गए।
- 14 अप्रैल 2025 डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर 106 एवं राष्ट्रीय जनजातिय गौरव दिवस 15 नवम्बर 2025 के अवसर पर 32 बंदी रिहा किये गये।
- नई रिहाई नीति 2022 - 02 अक्टूबर 2025 महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर राज्य शासन की नई रिहाई नीति के तहत 111 दंडित बंदियों को रिहा किया गया।

14.4.5 बंदियों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण हेतु कार्ययोजना

- प्रदेश की जेलों में परिरुद्ध बंदियों के मानसिक एवं नैतिक विकास के उद्देश्य से उन्हें आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राज्य शासन द्वारा एक कार्ययोजना अनुमोदित की गई है। इस कार्ययोजना के अंतर्गत आर्ट ऑफ लिविंग, गायत्री परिवार, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट एवं विपश्यना केन्द्र जैसी प्रतिष्ठित धार्मिक एवं आध्यात्मिक संस्थाओं के माध्यम से आध्यात्मिक कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इस प्रशिक्षण से वर्ष 2024-25 में 7412 बंदी एवं वर्ष 2025-26 में दिनांक 14.11.2025 तक 2822 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

14.4.6 कारागारों में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पुनर्वास संबंधी पहल

- **चिकित्सकीय सेवाएँ:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से प्रदेश की जेलों में वर्तमान में 37 संविदा चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 23 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रचलन में है। साथ ही 23 पैरामेडिकल स्टाफ (15 मेल नर्स एवं 08 फार्मासिस्ट ग्रेड-2) की नियुक्ति की जा चुकी है।
- **स्वास्थ्य परीक्षण:** जेलों में निरुद्ध प्रत्येक बंदी का प्रवेश के समय तथा निर्धारित अंतराल पर नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। वर्ष 2024 के दौरान कुल 5,14,651 बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।
- **टेलीमेडिसिन सुविधा:** टेलीमेडिसिन के माध्यम से प्रदेश की 109 जेलों में कुल 5,807 बंदियों को चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराया गया।
- **आयुष्मान भारत योजना:** प्रदेश की 96 जेलों में 6,322 बंदियों के आयुष्मान भारत कार्ड तैयार किए गए हैं, जिससे उन्हें स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त हो रहा है।
- **शिक्षा:** विभिन्न शैक्षणिक कक्षाओं के अंतर्गत 1,657 बंदियों (जिसमें 148 महिला बंदी शामिल हैं) को



निःशुल्क शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई, जिनमें से 1,380 बंदी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए।

- **साक्षरता कार्यक्रम:** साक्षरता कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल 5,924 बंदी (653 महिला बंदी सहित) लाभान्वित हुए।
- **कौशल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण:** विभिन्न प्रशिक्षण इकाइयों के माध्यम से 2,883 बंदियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- **विधिक सहायता शिविर:** वर्ष 2024 के दौरान 2,027 विधिक सहायता शिविर आयोजित किए गए, जिनसे 15,781 बंदियों को लाभ प्रदान किया गया। इसी क्रम में वर्ष 2025 में दिनांक 07.11.2025 तक 1,901 विधिक सहायता शिविरों के माध्यम से 15,176 बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई।

14.4.7 मध्यप्रदेश जेल विभाग में विधिक एवं संस्थागत सुधार

- प्रदेश में कारागार प्रशासन हेतु वर्तमान में कारागार अधिनियम, 1894, बंदी अधिनियम, 1900 तथा बंदी स्थानांतरण अधिनियम, 1950 लागू थे। इन औपनिवेशिक कानूनों के स्थान पर “मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक, 2024” को विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।
- यह विधेयक भारत सरकार द्वारा अधिसूचित Model Prison and Correctional Services Act, 2023 के अनुरूप तैयार किया गया है। इस अधिनियम को विधान सभा से पारित कराने वाला मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है, जिससे कारागार व्यवस्था में सुधारात्मक, पुनर्वास-उन्मुख एवं मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण को सुदृढ़ किया गया है।
- भारत सरकार की गरीब बंदी सहायता योजना (Support for Prisoners) के अंतर्गत अब तक कुल 45 प्रकरणों में ₹10.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 22 प्रकरण मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत लगभग ₹4.50 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के दृष्टिगत मध्यप्रदेश देश में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है।
- इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा गरीब बंदी सहायता योजना के रूप में एक नवीन योजना प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹5.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- डिजिटल न्यायिक सुधारों के अंतर्गत अंतर-संचालित आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो राज्य की ई-गवर्नेंस एवं न्यायिक प्रक्रिया में प्रगति को दर्शाता है।

(उपरोक्त जानकारी म.प्र. जेल विभाग पत्र क्रमांक 26547/भवन/2025 भोपाल दिनांक 21/11/2025 पर आधारित है।)

14.5 समावेशी विकास हेतु राज्य का प्रयास - प्रतिस्पर्धी संघवाद

राज्य सरकार का दृष्टिकोण आर्थिक विकास को समावेशी, संतुलित एवं सतत बनाने पर केंद्रित है, जिससे समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” के सिद्धांत के अनुरूप, राज्य द्वारा केंद्र सरकार की प्रमुख पहलों के साथ अभिसरण के माध्यम से समावेशी विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। इस दिशा में आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम तथा सतत विकास लक्ष्य (SDGs) नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, जो विजन भारत-2047 की प्राप्ति में सहायक हैं।

इन सभी पहल का मूल उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी अभिसरण को सुनिश्चित करना, जिला स्तर पर प्रशासनिक क्षमता एवं सहकारिता को सुदृढ़ करना, तथा जिलों के मध्य परिणाम-आधारित स्वस्थ

प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है। इस प्रतिस्पर्धी संघवाद के माध्यम से संसाधनों के कुशल उपयोग, सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार एवं विकासात्मक परिणामों में उल्लेखनीय प्रगति परिलक्षित हो रही है।

14.5.1 आकांक्षी विकासखंड एवं आकांक्षी जिला प्रोग्राम

- समग्र रूप से आकांक्षी जिला कार्यक्रम एवं आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम ने मध्यप्रदेश के पिछड़े एवं सतत् आकांक्षी क्षेत्रों में सुशासन, सेवा वितरण, मानव विकास एवं आधारभूत संरचना के सुदृढीकरण हेतु एक ठोस आधार प्रदान किया है। राज्य सरकार एवं राज्य नीति आयोग द्वारा नीति आयोग, भारत सरकार के साथ सतत समन्वय, डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया तथा परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के माध्यम से इन कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है, जिससे राज्य के समग्र एवं संतुलित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 18 जनवरी 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम में देश के सर्वाधिक सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित 112 जिलों को शामिल किया गया है। मध्यप्रदेश के आठ आकांक्षी जिलों (बड़वानी, छतरपुर, दमोह, गुना, खंडवा, राजगढ़, सिंगरौली और विदिशा) ने कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से प्रगति दिखाई है। कार्यक्रम ने सभी जिलों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया है।
- आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश प्रारंभ से ही अग्रणी राज्य रहा है। वर्ष 2018 में राज्य के समस्त 313 विकासखंडों का सर्वेक्षण कर 50 विकासखंडों को आकांक्षी विकासखंड के रूप में चिह्नित किया गया था। इसके पश्चात भारत सरकार द्वारा जनवरी 2023 से प्रारंभ किए गए विस्तारित आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 29 जिलों के 42 विकासखंडों को सम्मिलित किया गया है। इन विकासखंडों का चयन स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं सहयोगी सेवाएं, बुनियादी विकास तथा सामाजिक विकास जैसे पांच प्रमुख क्षेत्रों में निर्धारित संकेतकों के आधार पर किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत डेटा-आधारित निगरानी, नियमित समीक्षा एवं स्थानीय स्तर पर समस्या समाधान को प्राथमिकता दी गई, जिससे विकासखंड स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता एवं गति सुनिश्चित हो सकी है।
- आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यप्रदेश के विकासखंडों ने राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। ज़ोन-5 (मध्य भारत) की विभिन्न तिमाही रैंकिंग में प्रदेश के अनेक विकासखंडों ने शीर्ष स्थान अर्जित किए। गोहद विकासखंड, जिला भिण्ड तथा कोलारस विकासखंड, जिला शिवपुरी ने सितंबर 2025 की रैंकिंग में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करते हुए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि अर्जित की। जून 2025 की रैंकिंग में सतना जिले के रामपुर बघेलान तथा झाबुआ जिले के रानापुर विकासखंडों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
- डेल्टा रैंकिंग में भी प्रदेश का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। मई 2025 की डेल्टा रैंकिंग में धार जिले के तिरला विकासखंड ने ज़ोन-5 में पाँचवाँ स्थान प्राप्त किया, जबकि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत छतरपुर जिले ने मार्च 2025 की डेल्टा रैंकिंग में तृतीय स्थान प्राप्त कर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। इन उपलब्धियों के परिणामस्वरूप उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों एवं विकासखंडों को न केवल वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली है।

14.5.2 सतत् विकास के लक्ष्य

सतत् विकास के लक्ष्य (SDG), संक्षेपारित रूप में भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधित लक्ष्यों का समूह हैं। सतत् विकास के लिए इन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाया गया है, इसमें आने वाले वर्षों के लिए (वर्ष 2030 तक) 17 लक्ष्य और 169 टारगेट्स तय किये गए हैं।



एसडीजी (सतत् विकास के लक्ष्य) मूल्यांकन योजना

प्रदेश में 17 SDG का स्थानीयकरण, क्रियान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन, प्रशिक्षण एवं सर्वोत्तम प्रयासों का अध्ययन व दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करने हेतु सतत् विकास के लक्ष्य मूल्यांकन योजना का मंत्रि परिषद् से अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

योजना की मुख्य विशेषताएँ:

1. प्रत्येक जिले की SDG आधारित रैंकिंग।
2. पिछड़े जिलों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना।
3. डैशबोर्ड आधारित डेटा सिस्टम और रिपोर्टिंग टूल्स का विकास।
4. सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों को पुरस्कार राशि वितरण करना।

राज्य/जिला/विकासखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण/ क्षमतावर्धन कार्यक्रम का आयोजन करना।

सर्वोत्तम प्रयासों का अध्ययन एवं संवाद कार्यक्रम (राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय) का आयोजन करना।

वित्तीय प्रावधान

योजना 5 वर्षों (2025-30) के लिए लागू होगी। कुल ₹19.10 करोड़ (₹3.82 करोड़ प्रति वर्ष) का व्यय अनुमानित है।

अपेक्षित परिणाम

1. योजना के अंतर्गत प्रदेश में पिछड़े हुये जिलों को चिन्हांकन कर एवं प्रदेश में चल रही कल्याणकारी योजनाओं की सहायता से विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जायेगा, जो कि प्रदेश के समग्र विकास में सहायक होगा।
2. यह योजना विकसित मध्यप्रदेश@2047 दृष्टिपत्र के अनुरूप सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रदेश के समग्र और सतत् विकास को गति प्रदान करेगी।

14.6 सुशासन हेतु कार्यरत संस्थान

मध्यप्रदेश में सुशासन को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने हेतु विभिन्न राज्य स्तरीय संस्थानों के माध्यम से नीतिगत सुधार, क्षमता निर्माण, अनुसंधान एवं सेवा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है। ये संस्थान प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता तथा नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

राज्य में नीति विश्लेषण, प्रशासनिक सुधार, ई-गवर्नेंस, लोक सेवा प्रबंधन तथा मानव संसाधन विकास से जुड़े विषयों पर कार्य करने वाले संस्थान शासन को साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जिससे विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार सुनिश्चित हो रहा है।

14.6.1 अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान

सुशासन की अवधारणा को प्रशासनिक व्यवस्था में व्यवहारिक रूप से स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 2007 में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान (AIGGPA) की स्थापना की गई। यह संस्थान मध्यप्रदेश शासन के लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है।

AIGGPA राज्य सरकार का अकादमिक थिंक टैंक है, जो नीतिगत सुधार, अनुसंधान एवं प्रभाव मूल्यांकन

अध्ययनों के माध्यम से शासन को परामर्श प्रदान करता है। साथ ही, यह विकास एवं नीति संबंधी विषयों पर शोध, विश्लेषण एवं ज्ञान प्रसार के माध्यम से शासन और समाज के बीच सेतु की भूमिका निभाता है।

मध्यप्रदेश में करियर डेवलपमेंट मॉडल (CDM): रणनीति एवं हस्तक्षेप योजना

- AIGGPA द्वारा युवाओं के करियर से संबंधित विभिन्न शोध किए गए, जिनमें छात्रों के दृष्टिकोण तथा करियर के लिए उनकी तैयारी से जुड़े प्रमुख पहलुओं का आकलन किया गया। इन निष्कर्षों के आधार पर मध्यप्रदेश के लिए करियर डेवलपमेंट मॉडल (Career Development Model-CDM) को एक नवाचारात्मक हस्तक्षेप के रूप में विकसित किया गया।
- CDM का उद्देश्य मध्यप्रदेश में करियर काउंसलिंग, कौशल संवर्धन तथा उद्यमिता विकास से संबंधित मौजूदा और दीर्घकालिक कमियों को दूर करना है। यह मॉडल इस सिद्धांत पर आधारित है कि मानव पूंजी विकास आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख प्रेरक तत्व है।
- यह मॉडल युवाओं के करियर अन्वेषण एवं हैंडहोल्डिंग के लिए एक एकीकृत, AI-सक्षम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के माध्यम से वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को राज्य की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनाने का प्रयास करता है। यह निजी नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए थर्ड-पार्टी सेवा प्रदाताओं को प्लेटफॉर्म पर टूल्स, कंटेंट एवं सेवाएँ विकसित करने का अवसर प्रदान करेगा।
- साइकोमेट्रिक करियर काउंसलिंग, व्यावसायिक कौशल विकास, वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण एवं उद्यमिता सहायता को एकीकृत करते हुए यह प्लेटफॉर्म युवाओं के विकास के लिए एक एंड-टू-एंड समाधान उपलब्ध कराएगा। यह पहल कक्षा 6 से ऊपर के लगभग 65 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लक्षित करती है।

मध्यप्रदेश में जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी (DeGS) की दक्षता का मूल्यांकन:

मध्यप्रदेश ने सुशासन के मूल सिद्धांतों—जवाबदेही, पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता एवं प्रभावी सेवा वितरण—को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ई-गवर्नेंस को प्रारंभिक चरण में ही अपनाया। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2012 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) के अंतर्गत जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी (DeGS) सहित प्रमुख संस्थागत व्यवस्थाएँ स्थापित की गईं। DeGS का गठन वर्ष 2010 में जिला कलेक्टर के अधीन एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में किया गया।

वर्ष 2025 में किए गए अध्ययन में राज्य में ई-गवर्नेंस के विस्तार एवं प्रभावी क्रियान्वयन में DeGS की भूमिका का आकलन किया गया है। अध्ययन के अंतर्गत जिला प्रशासन, जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधकों एवं MPSeDC के दृष्टिकोण से DeGS की संचालन व्यवस्था की समीक्षा की गई, साथ ही इसके राजस्व स्रोतों एवं निधि उपयोग के पैटर्न का विश्लेषण किया गया। जिला कलेक्टरों एवं DeGS कार्मिकों सहित विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर, DeGS के कार्यकरण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु नियमों एवं विनियमों में आवश्यक सुधारों की अनुशंसाएँ प्रस्तुत की गई हैं।

14.6.2 iGOT (Integrated Government Online Training)

- मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के क्षमता निर्माण हेतु iGOT (Integrated Government Online Training) प्लेटफॉर्म को अपनाया गया है। यह प्लेटफॉर्म भारत सरकार की Mission Karmayogi पहल के अंतर्गत विकसित किया गया है तथा राज्य में शासकीय कार्मिकों को भूमिका-आधारित एवं कौशल-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उपयोग में लाया जा रहा है।



विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

“अब ‘R&D’ को केवल अनुसंधान एवं विकास नहीं, बल्कि विकास हेतु अनुसंधान के रूप में परिभाषित करने का समय आ गया है।”

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

15.1 प्रस्तावना

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार आर्थिक विकास, उत्पादकता तथा दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तन को गति देने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। तीव्र गति से विकसित हो रही ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में वैज्ञानिक क्षमताओं, डिजिटल अधोसंरचना और नवाचार प्रणालियों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। मध्यप्रदेश कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य तथा सुशासन जैसे प्रमुख क्षेत्रों के आधुनिकीकरण हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी का निरंतर प्रभावी उपयोग कर रहा है। नीतियों तथा सेवा प्रदाय में नवाचार को मुख्यधारा में शामिल करके राज्य कार्यकुशलता में सुधार कर रहा है, संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ बना रहा है तथा सतत एवं भविष्य-उन्मुख आर्थिक विकास के लिए एक सशक्त आधार तैयार कर रहा है।

मध्यप्रदेश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के लिए संस्थागत ढांचा मध्यप्रदेश शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सुदृढ़ किया गया है, जो तकनीकी प्राथमिकताओं को विभिन्न क्षेत्रों में ठोस परिणामों में परिवर्तित करने हेतु केंद्रीय समन्वयक की भूमिका निभाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सभी विभागों को डिजिटल समाधानों को अपनाने में सहयोग प्रदान कर, वैज्ञानिक क्षमताओं को सुदृढ़ कर तथा शासन एवं सेवा प्रदाय में नवाचार-आधारित दृष्टिकोणों को संस्थागत रूप देकर एक रणनीतिक सक्षमकर्ता के रूप में कार्य करता है। इसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत प्रमुख विशिष्ट एजेंसियाँ इस ढांचे को प्रभावी रूप से लागू करने में सहायता करती हैं। मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पहलों के लिए नोडल क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है तथा डिजिटल अधोसंरचना विकास, उद्योग संवर्धन और प्रमुख ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग करता है। साथ ही मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् राज्य की वैज्ञानिक एवं अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा कर इसे सुदृढ़ बनाती है तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्यों के अनुरूप नीतिगत हस्तक्षेपों पर सरकार को परामर्श प्रदान करती है। शासन में साइबर सुरक्षा को मध्यप्रदेश कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉंस टीम के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है, जो सुरक्षा ऑडिट करती है, साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देती है तथा शासकीय डिजिटल परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करती है। मध्यप्रदेश कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉंस टीम की स्थापना से यह इकोसिस्टम और अधिक सुदृढ़ हुआ है। यह टीम CERT-In तथा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) जैसी राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर साइबर जोखिम के प्रति संस्थागत तैयारियों को मजबूत करती है।

समग्र रूप से यह संगठनात्मक संरचना राज्य के विकसित हो रहे विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार इकोसिस्टम को नीतिगत समन्वय, प्रभावी क्रियान्वयन क्षमता तथा जोखिमों के प्रति सुदृढ़ता प्रदान करती है।

15.2 विजन@2047: समृद्ध मध्यप्रदेश

विजन@2047 मध्यप्रदेश के लिए एक महत्वाकांक्षी विकास पथ को स्पष्ट करता है, जिसमें राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद को वर्तमान लगभग 13.6 लाख करोड़ रुपये के स्तर से बढ़ाकर वर्ष 2047 तक 250 लाख करोड़ रुपये करने की परिकल्पना की गई है। इसके साथ ही वर्ष 2029 के लिए 27.2 लाख करोड़ रुपये का एक स्पष्ट मध्यवर्ती लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इस स्तर के आर्थिक रूपांतरण को हासिल करने के लिए राज्य के विकास कारकों तथा विकास मॉडल में एक मूलभूत बदलाव आवश्यक है। तदनुसार, यह विजन एक संतुलित आर्थिक संरचना पर जोर देता है, जिसमें उद्योग और सेवा क्षेत्रों की ओर क्रमिक एवं प्रगतिशील परिवर्तन को विशेष महत्व दिया गया है। साथ ही, राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्तमान लगभग 36 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 से 53 प्रतिशत के दायरे तक ले जाने की परिकल्पना की गई है, जो उच्च मूल्य संवर्धित गतिविधियों की ओर संरचनात्मक बदलाव को दर्शाती है।

मध्यप्रदेश का विजन@2047 दीर्घकालिक आर्थिक रूपांतरण की रणनीति के केंद्र में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार को रखता है और उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता तथा रोजगार सृजन को बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। जैसे-जैसे भारत की प्रगति ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-आधारित क्षेत्रों की ओर अग्रसर हो रही है, राज्य अपने उभरते शहरी केंद्रों, सुदृढ़ होती अधोसंरचना तथा जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करते हुए स्वयं को राष्ट्रीय नवाचार अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।

इस विजन का एक प्रमुख स्तंभ इंदौर को टियर-2 और टियर-3 शहरों के बीच एक अग्रणी आईटी-आईटीईएस हब एवं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर गंतव्य के रूप में विकसित करना है। यह रणनीति आईटी-आईटीईएस सेवाओं के विकेंद्रीकरण की राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के अनुरूप है, जो लागत दक्षता, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता तथा महानगरों से परे डिजिटल अधोसंरचना के विस्तार से प्रेरित है। इंदौर में प्रौद्योगिकी कंपनियों का बढ़ता आधार, निर्यात गतिविधियों का विस्तार, ग्रेड-ए कार्यालय अधोसंरचना की उपलब्धता तथा प्रौद्योगिकी एसईजेड और एकीकृत कॉरिडोर जैसी नियोजित औद्योगिक एवं शहरी परियोजनाएं इस परिवर्तन के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करती हैं।

विजन@2047 आईटी-आईटीईएस इकोसिस्टम के अंतर्गत भावी विकास क्षेत्रों की भी पहचान करता है, जिनमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, एडज (Edge) डेटा सेंटर्स, विधिक एवं लेखा सेवाएँ तथा भू-स्थानिक अनुप्रयोगों, ड्रोन-आधारित सेवाओं और उन्नत डिजिटल समाधानों जैसे उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र शामिल हैं। मध्यप्रदेश की केंद्रीय भौगोलिक स्थिति, विद्युत एवं जल की प्रचुर उपलब्धता तथा नवकरणीय ऊर्जा क्षमता के विस्तार का लाभ उठाते हुए, राज्य मध्य भारत के लिए एक एडज डेटा सेंटर हब के रूप में उभरने का प्रयास कर रहा है।

इस परिवर्तन को सक्षम बनाने हेतु विजन में लक्षित हस्तक्षेपों पर बल दिया गया है, जिनमें बड़े पैमाने पर आईटी-आईटीईएस टाउनशिप का विकास, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए सहायक नीतियों का त्वरित क्रियान्वयन, स्टार्टअप्स एवं उद्यमों के लिए प्लग-एंड-प्ले अधोसंरचना का सृजन तथा विशिष्ट उत्कृष्टता केंद्रों और इनक्यूबेशन सुविधाओं की स्थापना शामिल है। निवेशक सुविधा, सिंगल-विंडो स्वीकृतियों तथा फास्ट-ट्रैक अनुमोदनों के लिए संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करने की परिकल्पना भी की गई है, जिससे व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार हो सके।

समग्र रूप से, विजन@2047 का ढांचा नवाचार-आधारित विकास की ओर एक रणनीतिक परिवर्तन को रेखांकित करता है, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, औद्योगिक विविधीकरण, उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार तथा सतत् शहरी विकास के प्रमुख सक्षमकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। प्रस्तावित हस्तक्षेपों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि



मध्यप्रदेश न केवल भारत की प्रौद्योगिकी-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर हो रहे परिवर्तन में सहभागी बने, बल्कि दीर्घकाल में उसे सक्रिय रूप से आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।

विजन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने पर केंद्रित कुछ प्रमुख कार्य क्षेत्रों को अनुलग्नक-अ में प्रस्तुत किया गया है।

15.3 नीतिगत पहल

विजन 2047 की दीर्घकालिक आकांक्षाओं को क्रियान्वित करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने राज्य के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई लक्षित नीतिगत पहल की हैं। हाल ही में लागू की गई ये नीतियाँ उन्नत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने, कुशल मानव संसाधन के निर्माण तथा नवाचार-आधारित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करती हैं।

मध्यप्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्पेस टेक नीति 2026 लागू की गई। इस नीति का उद्देश्य उपग्रह विनिर्माण, भू-स्थानिक विश्लेषण तथा कृषि, आपदा प्रबंधन और शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना है, जिससे राज्य के उभरते अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम को सुदृढ़ किया जा सके।

कुल मिलाकर, ये सभी पहल विजन@2047 के लक्ष्यों को अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में मापनीय परिणामों में परिवर्तित करने के लिए आधारभूत साधनों के रूप में कार्य करती हैं।

15.3.1 मध्यप्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) नीति 2025

मध्यप्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) नीति 2025 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। यह नीति मध्यप्रदेश के बढ़ते आईटी-आईटीईएस इकोसिस्टम, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, सुदृढ़ होती शहरी एवं डिजिटल अधोसंरचना तथा इंदौर और भोपाल जैसे टियर-2 शहरों की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने का प्रयास करती है। वित्तीय एवं गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों के समग्र ढांचे, प्लग-एंड-प्ले अधोसंरचना तथा संस्थागत सुविधा प्रदान करने के माध्यम से यह नीति आईटी सेवाओं, एनालिटिक्स, वित्त, इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास तथा उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों सहित उच्च मूल्य वाली विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखती है। यह नीति नवाचार-आधारित विकास, उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार तथा राज्य को वैश्विक व्यावसायिक मूल्य शृंखलाओं से जोड़ने के व्यापक विजन@2047 के अनुरूप है।

नीति के उद्देश्य

- मध्यप्रदेश के उभरते आईटी-आईटीईएस इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को आकर्षित करना।
- रोजगार के अवसर सृजित कर, निवेश को प्रोत्साहित कर तथा नवाचार को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को गति देना।
- वैश्विक व्यवसायों एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए राज्य की प्रतिस्पर्धात्मकता को एक वांछित गंतव्य के रूप में बढ़ाना।

- जीसीसी-आधारित क्षमताओं के माध्यम से आईटी-आईटीईएस, ईएसडीएम, विनिर्माण, ऑटोमोबाइल तथा औषधि उद्योग जैसे फोकस क्षेत्रों का विकास करना।
- विशिष्ट कौशल एवं क्षेत्रीय विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले उच्च गुणवत्ता वाले रोजगारों का सृजन करना।
- प्रशिक्षण, अपस्किलिंग एवं रीस्किलिंग कार्यक्रमों के साथ-साथ ज्ञान हस्तांतरण और नवाचार के माध्यम से स्थानीय पेशेवरों के कौशल विकास को प्रोत्साहित करना।

15.3.2 आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति 2023

उच्च विकासशील प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने, नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन के उद्देश्य से मध्यप्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति 2023 को लागू कर रहा है। यह नीति वर्ष 2016 की पूर्ववर्ती आईटी नीति पर आधारित है तथा विकसित होती उद्योग आवश्यकताओं, उन्नत प्रौद्योगिकियों और नए निवेश अवसरों के अनुरूप महत्वपूर्ण संशोधनों को सम्मिलित करती है। इसका उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना, प्लग-एंड-प्ले अधोसंरचना के विकास को सुगम बनाना, अर्ध-शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आईटी एवं आईटीईएस गतिविधियों के विस्तार को बढ़ावा देना, भूमि की किफायती उपलब्धता सुनिश्चित करना, कौशल विकास को सुदृढ़ करना, अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना तथा विकास के प्रमुख वाहक के रूप में एमएसएमई और स्टार्टअप्स का समर्थन करना है।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल अर्थव्यवस्था के समर्थन में डेटा सेंटर एवं एड्ज डेटा सेंटरों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, इस नीति को उनके निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु लक्षित प्रोत्साहनों के साथ सुदृढ़ किया गया है। इनमें निवेश के आकार से संबद्ध पूंजीगत सहायता, विद्युत टैरिफ प्रतिपूर्ति एवं विद्युत शुल्क में छूट, साथ ही ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क के लिए सहायता शामिल है। विश्वसनीय द्वि-विद्युत आपूर्ति तथा ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के प्रावधान भी किए गए हैं। इसके साथ ही स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, पेटेंट फाइलिंग तथा गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सहायता जैसे अतिरिक्त सहायक उपाय भी शामिल किए गए हैं। कुल मिलाकर, इन प्रोत्साहनों से डेटा सेंटर अधोसंरचना के लिए मध्यप्रदेश की प्रतिस्पर्धी गंतव्य के रूप में आकर्षकता में वृद्धि होने की अपेक्षा है।

15.3.3 मध्यप्रदेश एवीजीसी-एक्सआर नीति, 2025

मध्यप्रदेश एवीजीसी-एक्सआर नीति 2025 को भारत में एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एवं एक्सटेंडेड रियलिटी क्षेत्र के लिए राज्य को एक अग्रणी हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। यह नीति एवीजीसी-एक्सआर उद्योग की तीव्र वृद्धि का लाभ उठाने के लिए रचनात्मक एवं डिजिटल इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने, नवाचार को बढ़ावा देने तथा उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार सृजन का लक्ष्य रखती है। अधोसंरचना विकास, कौशल सृजन एवं लक्षित प्रोत्साहनों के संयोजन के माध्यम से यह नीति मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय एवं वैश्विक एवीजीसी-एक्सआर मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने का प्रयास करती है।

नीति के उद्देश्य

- सहायक इकोसिस्टम को सुदृढ़ कर राज्य को राष्ट्रीय एवीजीसी-एक्सआर हब के रूप में विकसित करना।
- कौशल स्तर को बढ़ाने हेतु कौशल विकास को प्रोत्साहित करना तथा राज्य में डिज़ाइनरों और कलाकारों का एक सशक्त समूह तैयार करना।
- उत्कृष्टता केंद्रों (CoEs) के माध्यम से राज्य में एवीजीसी-एक्सआर अकादमिक व्यवस्था का विकास करना।
- एवीजीसी-एक्सआर इनक्यूबेशन केंद्रों, एनीमेशन लैब्स, प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं, पोस्ट-प्रोडक्शन लैब्स आदि की स्थापना करना।



- वित्तीय एवं राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर नई एवं मौजूदा एवीजीसी-एक्सआर कंपनियों की वृद्धि को प्रोत्साहित करना।
- स्थानीय अधोसंरचना एवं सॉफ्टवेयर के सृजन के माध्यम से राज्य के एवीजीसी-एक्सआर उद्योग को समर्थन देना।
- राज्य में निवेश हेतु वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में एक वार्षिक प्रतिष्ठित एवीजीसी-एक्सआर कार्यक्रम का आयोजन एवं प्रबंधन करना।

15.3.4 मध्यप्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025

मध्यप्रदेश ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 को शासन द्वारा उद्योग तथा सार्वजनिक सेवा प्रदाय में ड्रोन प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी क्षमता का उपयोग करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह नीति सुरक्षित अनुकूलन को बढ़ावा देकर, ड्रोन इकोसिस्टम को सुदृढ़ करते हुए तथा विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन के विनिर्माण, अनुसंधान और अनुप्रयोग को प्रोत्साहित कर मध्यप्रदेश को ड्रोन नवाचार में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास करती है। यह नीति प्रौद्योगिकी उन्नयन, व्यवसाय करने की सुगमता तथा नवाचार-आधारित आर्थिक विकास की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है।

नीति के उद्देश्य

- बेहतर शासन एवं सेवा प्रदाय के लिए शासकीय तथा अन्य क्षेत्रों में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देना।
- ड्रोन संचालन में नागरिकों की सुरक्षा तथा निजता सुनिश्चित करना।
- ड्रोन प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोगों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना।
- ड्रोन उद्योग के लिए कुशल मानव संसाधन का विकास करना।
- ड्रोन विनिर्माण एवं सेवाओं में निवेश आकर्षित करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहनों का सृजन करना।
- ड्रोन विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास, नवाचार तथा ड्रोन उद्यम सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम इकोसिस्टम का निर्माण करना।

15.3.5 मध्यप्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2025

सेमीकंडक्टर नीति 2025 को विनिर्माण, डिज़ाइन तथा नवाचार क्षमताओं को बढ़ावा देकर मध्यप्रदेश को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में एक प्रमुख हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह नीति विश्वस्तरीय अधोसंरचना के निर्माण, भविष्य अनुरूप मानव संसाधन के विकास तथा वैश्विक एवं घरेलू निवेश आकर्षित कर राज्य को राष्ट्रीय और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य शृंखला से जोड़ने पर केंद्रित है।

नीति के उद्देश्य

- सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, सेमीकंडक्टर उत्पादों, सेमीकंडक्टर एवं घटक विनिर्माण तथा डिज़ाइन एवं विनिर्माण दोनों के लिए प्रतिभा विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक सशक्त सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण करना।
- सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, विनिर्माण तथा प्रतिभा सृजन हेतु अधोसंरचना का विकास कर तथा राज्य को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए प्राथमिक गंतव्य के रूप में स्थापित कर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
- अनुकूल नीतियों, अधोसंरचना तथा प्रतिभा आधार का लाभ उठाकर वैश्विक एवं घरेलू सेमीकंडक्टर डिज़ाइन एवं विनिर्माण कंपनियों से निवेश आकर्षित करना।

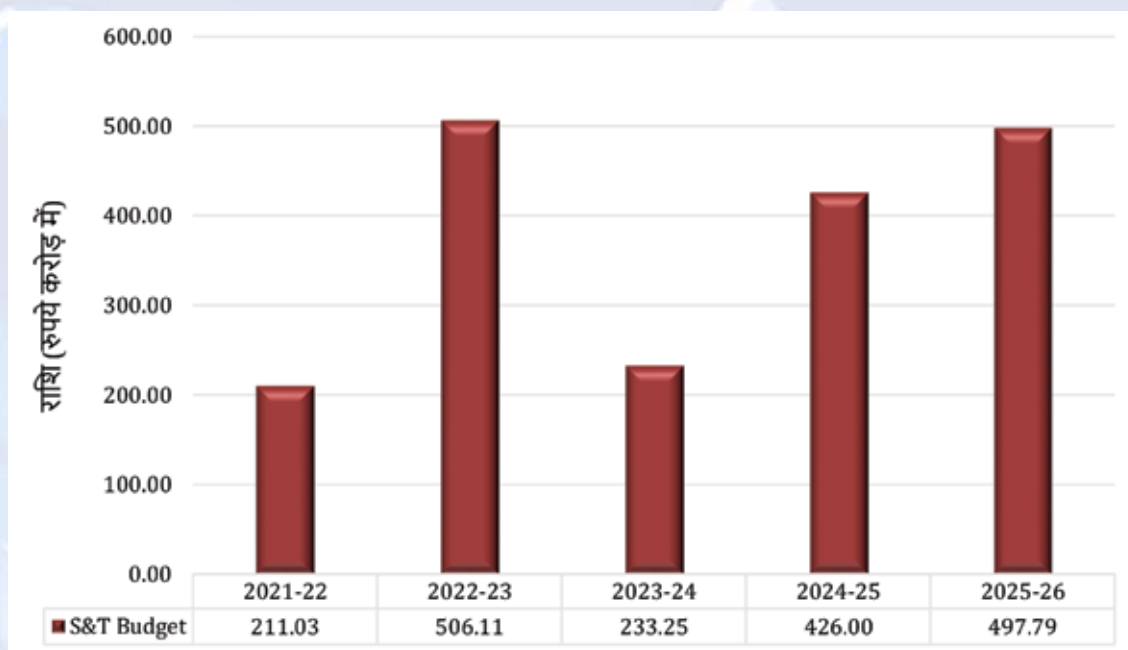
- उद्योग के सहयोग से अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण, कौशल संवर्धन, अपस्किлинг कार्यक्रमों तथा ज्ञान हस्तांतरण के माध्यम से पेशेवरों एवं शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना।

15.4 मध्यप्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग हेतु बजटीय आवंटन

निम्नलिखित भाग में, चित्र 15.1 वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान मध्यप्रदेश शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) को किए गए बजटीय आवंटन की प्रवृत्ति को दर्शाती है। यह आवंटन पिछले पांच वर्षों के बीच उल्लेखनीय परिवर्तन को दर्शाता है, जो बदलती वित्तीय प्राथमिकताओं के साथ-साथ राज्य की विकास रणनीति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विकसित होती भूमिका को प्रतिबिंबित करता है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को किए गए बजटीय आवंटन में लगभग 136 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मध्यप्रदेश का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बजट मुख्यतः डिजिटल एवं भौतिक अधोसंरचना को सुदृढ़ करने, ई-गवर्नेंस एवं आईटी प्रणालियों को समर्थन देने तथा अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने हेतु उपयोग किया जाता है। प्रमुख व्यय मदों में चल रही योजनाओं एवं संस्थानों के लिए अनुदान, स्टेट डाटा सेंटर एवं नेटवर्क जैसी आईटी और डेटा अधोसंरचना की स्थापना एवं उन्नयन, पूंजीगत कार्य, तथा उन्नत प्रौद्योगिकियों और साइबर सुरक्षा पहलों में निवेश शामिल हैं।

कुल मिलाकर, यह प्रवृत्ति हाल के वर्षों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति बढ़ती राजकोषीय प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में आवंटनों में हुई वृद्धि आर्थिक विकास, शासन की दक्षता और दीर्घकालिक विकास के प्रमुख सक्षमकर्ता के रूप में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।



स्रोत: वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन

चित्र 15.1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन का बजटीय आवंटन

नोट: (i) वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 की राशि बजट पुस्तकों के अनुसार लेखा आंकड़े हैं।

(ii) बजट पुस्तकों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 की राशि पुनरीक्षित अनुमान है और वित्त वर्ष 2025-26 बजट अनुमान है।



यह उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़े संशोधित अनुमान को दर्शाते हैं, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आंकड़े बजट अनुमान हैं। ये आंकड़े वित्तीय वर्ष के दौरान संशोधन के अधीन होते हैं तथा वास्तविक व्यय के अंतिम रूप से निर्धारण के पश्चात् अधिक सटीक स्थिति प्रस्तुत करेंगे।

15.5 विज्ञान लोकव्यापीकरण

विज्ञान लोकव्यापीकरण से तात्पर्य वैज्ञानिक ज्ञान, विचारों तथा प्रौद्योगिकी विकास को व्यापक जनसमुदाय के लिए सुलभ, रोचक और सार्थक बनाने की प्रक्रिया से है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास, छात्रों एवं युवाओं में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने तथा विकासात्मक एवं सामाजिक चुनौतियों के समाधान में विज्ञान की भूमिका को समाज द्वारा समझने और सराहने में सहायक है। प्रभावी विज्ञान लोकव्यापीकरण वैज्ञानिक संस्थानों और नागरिकों के बीच की दूरी को कम करने में सहायक होता है, जिससे ज्ञान-आधारित संस्कृति सुदृढ़ होती है।

राज्य में विज्ञान लोकव्यापीकरण को आगे बढ़ाने में मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (MPCST) की केंद्रीय भूमिका है। MPCST विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान मेले, कार्यशालाएँ, व्याख्यान, विज्ञान से जुड़े राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन, छात्र संवाद कार्यक्रम तथा सामुदायिक स्तर की पहल जैसी विविध जनसंपर्क गतिविधियाँ संचालित करता है। इन प्रयासों का उद्देश्य विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा आम जन तक पहुँच बनाना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा जमीनी स्तर पर नवाचार और वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना है। इस संदर्भ में की गई कुछ प्रमुख पहलों को नीचे प्रस्तुत किया गया है।

15.5.1 40वाँ मध्यप्रदेश युवा वैज्ञानिक कांग्रेस

मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा राज्य की युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। परिषद द्वारा अब तक राज्य के विभिन्न भागों में 39 युवा वैज्ञानिक कांग्रेसों का आयोजन किया जा चुका है। 40वीं मध्यप्रदेश युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन 21 मार्च 2025 से 23 मार्च

मध्यप्रदेश शासन द्वारा साइंस सिटी की स्थापना हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को उज्जैन में 31.50 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। यह पहल राज्य में वैज्ञानिक ज्ञान, जनसंपर्क तथा अनुभवात्मक शिक्षा के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित होने की अपेक्षा है।

2025 तक सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन में किया गया। इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की 17 विभिन्न विधाओं में कुल 235 शोधार्थियों द्वारा शोध पत्र प्रस्तुत किए गए तथा 38 युवा शोधकर्ताओं को मध्यप्रदेश युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

15.5.2 विज्ञान मंथन यात्रा

मिशन एक्सीलेंस कार्यक्रम के अंतर्गत एमपीसीएसटी द्वारा 17वीं विज्ञान मंथन यात्रा का आयोजन 21 अप्रैल से 27 अप्रैल 2025 तक कक्षा 10, 11 एवं 12 के मेधावी विद्यार्थियों के लिए किया गया, जिसमें विशेष रूप से कक्षा 11 एवं 12 के विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 288 विद्यार्थियों एवं 31 शिक्षकों ने सहभागिता की तथा वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से दिल्ली और चंडीगढ़ की यात्रा की। इस यात्रा के माध्यम से विद्यार्थियों को उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान परिवेश का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ तथा उन्हें प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों से सीधे संवाद करने का अवसर मिला।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों एवं प्रयोगशालाओं का भ्रमण किया। दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान

संस्थान तथा राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय का भ्रमण कराया गया। चंडीगढ़ में विद्यार्थियों ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), IISER, पंजाब राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का भ्रमण किया, जहाँ उन्होंने वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं के साथ संवाद किया। यात्रा के समापन के पश्चात् सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों के लिए एक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई, जिसके मूल्यांकन के आधार पर 60 उत्कृष्ट विद्यार्थियों का चयन पाँच वर्षों की छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने हेतु किया गया।

15.5.3 सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग

मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् आमजन में वैज्ञानिक अन्वेषण, नवाचार तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से संलग्न है। IIT गांधीनगर के सहयोग से MPCST द्वारा भोपाल में सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग (CCL) की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं व्यापक समुदाय के बीच STEM के प्रति रुचि विकसित करना है। यह केंद्र विज्ञान दीर्घाओं के माध्यम से नियमित रूप से एसटीईएम शो, कार्यशालाएँ एवं इंटरएक्टिव प्रदर्शनों का आयोजन करता है, जिनका लक्ष्य विज्ञान के मूल सिद्धांतों की व्याख्या करना, क्षमता निर्माण करना तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति जिज्ञासा और अधिगम को प्रोत्साहित करना है। भोपाल स्थित सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग में अब तक 100 से अधिक STEM प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है।

15.5.4 क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र

विज्ञान केंद्र आमजन, विशेषकर छात्रों एवं युवाओं के लिए विज्ञान को सुलभ और रोचक बनाकर वैज्ञानिक जागरूकता, जिज्ञासा तथा अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संदर्भ में, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM) द्वारा जबलपुर एवं उज्जैन में उप-क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र (श्रेणी-II) की स्थापना की जा रही है।

15.5.5 सामाजार्थिक विकास के लिए विज्ञान

सामाजार्थिक विकास के लिए विज्ञान योजना के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समावेश के माध्यम से ग्रामीण कौशल विकास और निवेश के लिए स्थानीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकता की पहचान करना है। अनुसूचित जाति/जनजाति, कृषकों, कामगार, शिल्पियों एवं महिलाओं को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रमों में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान, नवाचार तथा किफायती विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों एवं लक्षित समूहों के लिए प्रौद्योगिकी विकास, प्रदर्शन एवं प्रसार को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत उपरोक्त वर्गों हेतु अनुकूल प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना तथा विभिन्न लक्ष्य समूह के लिये क्लस्टर विकास कार्यक्रम क्रियान्वित करना है।

पिछले दो वर्षों में इस योजना के माध्यम से लगभग 4100 कारीगरों, किसानों, नवाचारियों, स्वेच्छिक संगठनों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/विज्ञान मेलों से लाभ प्राप्त किया। इस योजना के द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आजीविका सृजन को समर्थन मिला है तथा समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है।

15.5.6 गुणवत्ता आश्वासन प्रयोगशाला

परिषद् की गुणवत्ता आश्वासन प्रयोगशाला वैज्ञानिक विश्लेषण एवं प्रयोगशाला प्रक्रियाओं में क्षमता निर्माण और कौशल संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्ष 2025 के दौरान प्रयोगशाला द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 85 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, 9 लघु शोध-प्रबंध एवं पीएचडी शोधार्थियों तथा जागरूकता एवं एक्सपोज़र भ्रमण के अंतर्गत लगभग 400 प्रतिभागियों ने इन पहलों से लाभ प्राप्त किया। इन



कार्यक्रमों के अंतर्गत संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों को विभिन्न प्रयोगशाला उपकरणों के संचालन तथा संबंधित विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं से परिचित कराया गया, जिससे उनकी व्यावहारिक समझ एवं अनुसंधान क्षमताओं को सुदृढ़ किया गया।

15.5.7 R&D फैसिलिटेशन योजना

मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (MPCST) की अनुसंधान एवं विकास (R&D) फैसिलिटेशन योजना राज्य में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित एवं समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं एवं शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता तथा संस्थागत सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से एमपीसीएसटी विभिन्न वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में शोधकर्ताओं को सहायता प्रदान करता है, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलता है और मध्यप्रदेश के अनुसंधान इकोसिस्टम को सुदृढ़ किया जाता है। यह योजना सेमिनार/संगोष्ठी, कार्यशालाओं तथा युवा वैज्ञानिक प्रशिक्षण फेलोशिप (FTYS), अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अनुदान आदि जैसी सहयोगात्मक गतिविधियों को भी सुविधा प्रदान करती है, जो अनुसंधान समुदायों में ज्ञान विनिमय एवं क्षमता निर्माण में योगदान देती हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा राज्य में अनुसंधान एवं शैक्षणिक गतिविधियों को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न अनुदान घटकों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई। अनुसंधान एवं विकास (R&D) परियोजना घटक के अंतर्गत मध्यप्रदेश की विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों को कुल 108 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गईं, जिनके लिए 394 लाख रुपये की राशि जारी की गई। इन अनुदानों से विविध वैज्ञानिक विषयों में अनुसंधान पहलों को समर्थन मिला तथा संस्थागत अनुसंधान क्षमता को सुदृढ़ करने में योगदान हुआ।

इसके अतिरिक्त, सेमिनार, संगोष्ठी एवं कार्यशाला (SSW) घटक के अंतर्गत 67 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए तथा शैक्षणिक आदान-प्रदान, अनुसंधान निष्कर्षों के प्रसार एवं क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु 99.75 लाख रुपये की राशि जारी की गई। वर्ष के दौरान 18 अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अनुदान भी स्वीकृत किए गए, जिससे शोधकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक गतिविधियों में सहभागिता का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य के 24 युवा शोधकर्ताओं को युवा वैज्ञानिक प्रशिक्षण फेलोशिप (FTYS) प्रदान की गई है। समग्र रूप से, ये अनुदान राज्य में अनुसंधान संवर्धन, ज्ञान साझा करने तथा शोधकर्ताओं के वैश्विक स्तर पर एक्सपोजर को सुदृढ़ करने हेतु निरंतर संस्थागत समर्थन को दर्शाते हैं।

15.5.8 प्री-कोप (Pre-CoP) 3.0 राष्ट्रीय परामर्श

प्री-कोप (Pre-CoP) 3.0 राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन 28 अक्टूबर 2025 को पर्यावरण एवं जीवनशैली विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल में किया गया। इस कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण संरक्षण पर पैनल चर्चाएँ आयोजित की गईं, जिसमें देशभर से जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे विशेषज्ञों ने सहभागिता की। यह कार्यक्रम परिषद्, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन तथा मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग द्वारा नर्मदा समग्र, पैरवी (PAIRVI) एवं सीकोडीकॉन (Community Economics and Development Consultants Society) के सहयोग से आयोजित किया गया।

यह परामर्श संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिज़ (CoP29) से पूर्व आयोजित किया गया, जो देश में राज्य स्तर की पहली प्री-CoP पहल के रूप में उल्लेखनीय रहा। विचार-विमर्श का मुख्य केंद्र जलवायु

संकट से निपटने तथा सतत विकास को आगे बढ़ाने में राज्यों की भूमिका रही। इस परामर्श की आउटकम रिपोर्ट को बाकू, अज़रबैजान में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में जारी की गई, जिससे वैश्विक जलवायु विमर्श के लिए राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हुआ।

15.5.9 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस (NCSC) 2024-25

31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस (NCSC) 2024-25 का आयोजन 3 से 6 जनवरी 2025 तक रवींद्र भवन, भोपाल में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद (NCSTC) द्वारा, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (MPCST) के सहयोग से किया गया। कांग्रेस का मुख्य विषय “स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए इकोसिस्टम की समझ” था, जिसे आगे पाँच उप-विषयों में विभाजित किया गया, जिनमें इकोसिस्टम, स्वास्थ्य, पोषण, सांस्कृतिक प्रथाएँ तथा प्रौद्योगिकी नवाचार शामिल थे।

इसका मुख्य उद्देश्य 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से स्थानीय सामाजिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए प्रोत्साहित करना, साथ ही उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार एवं समस्या-समाधान कौशल का विकास करना था। यह आयोजन दिव्यांग बच्चों सहित सभी प्रतिभागियों के लिए एक समावेशी मंच प्रदान करता रहा। देशभर से लगभग 650 से अधिक बाल वैज्ञानिकों ने सतत विकास, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य से संबंधित नवाचारी परियोजनाएं प्रस्तुत कीं। इन परियोजनाओं का मूल्यांकन मौलिकता, वैज्ञानिक समझ, डेटा संग्रह, प्रयोगात्मक कार्य तथा समस्या-समाधान दृष्टिकोण जैसे मानकों पर किया गया। समापन सत्र के दौरान सर्वश्रेष्ठ 20 परियोजनाओं को सम्मानित किया गया।

15.6 मध्यप्रदेश कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉंस टीम (MPCERT)

मध्यप्रदेश कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉंस टीम (MP-CERT) साइबर सुरक्षा की तैयारी, प्रतिक्रिया एवं समन्वय के लिए राज्य की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। औपचारिक दायित्व के साथ समर्पित राज्य CERT की स्थापना करने वाला मध्यप्रदेश देश का दूसरा राज्य है। MP-CERT द्वारा साइबर सुरक्षा परामर्श, दिशानिर्देश तथा समन्वय से संबंधित सूचनाओं के प्रसार हेतु अपना आधिकारिक पोर्टल (www.cert.mp.gov.in) संचालित किया जाता है। अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से MP-CERT मध्यप्रदेश शासन में साइबर सुरक्षा शासन, जोखिम के प्रति प्रतिक्रिया क्षमता तथा संस्थागत समन्वय को सुदृढ़ कर रहा है। MP-CERT की प्रमुख पहलें एवं उपलब्धियाँ नीचे प्रस्तुत की गई हैं—

- **प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण:** MP-CERT द्वारा अब तक 27 साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें वर्ष 2025 के दौरान 15 कार्यक्रम शामिल हैं। ये कार्यक्रम जिला-स्तरीय अधिकारियों को कवर करते हुए जमीनी स्तर पर जागरूकता को सुदृढ़ करने पर केंद्रित रहे। NeGD, MeitY के सहयोग से CISO स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आयोजित करने वाला मध्यप्रदेश देश का दूसरा राज्य बना। इसके अतिरिक्त, CERT-In के सहयोग से राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास “Cyber Bharat Setu: Bridging States, Securing Bharat” का सफल आयोजन करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बना।
- **विशिष्ट प्रशिक्षण सहयोग:** राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU), गांधीनगर के सहयोग से MP-CERT द्वारा 27 से 29 अक्टूबर 2025 तक तीन दिवसीय आवासीय साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 25 शासकीय अधिकारियों ने सहभागिता की।
- **उन्नत जोखिम विश्लेषण एवं अनुसंधान:** MP-CERT द्वारा एक परिष्कृत IIS सर्वर समझौते (कम्प्रोमाइज) का रिवर्स इंजीनियरिंग एवं फॉरेंसिक विश्लेषण किया गया, जिसमें एक स्टेल्थ नेटिव मॉड्यूल बैकडोर शामिल



था। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई योग्य IOCs, YARA/Sigma नियम तथा मैलवेयर सिग्नेचर विकसित किए गए और समन्वित राष्ट्रीय शमन (मिटिगेशन) हेतु इन्हें वैश्विक एंटी-वायरस विक्रेताओं (AV Vendors) एवं CERT-In के साथ साझा किया गया।

- **CISO नियुक्ति एवं संस्थागत सुदृढ़ीकरण:** राज्य के विभिन्न विभागों में 136 से अधिक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (CISO) नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जिला स्तर पर 55 जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक CISO के रूप में कार्य कर रहे हैं।
- **CISO पोर्टल का शुभारंभ:** माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 13 नवम्बर 2025 को एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 के दौरान एक समर्पित CISO पोर्टल का शुभारंभ किया गया। यह पोर्टल कमजोरियों की निगरानी, साइबर घटनाओं के अभिलेखीकरण तथा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क अधोसंरचना सहित आईटी परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु एक केंद्रीकृत प्रणाली प्रदान करता है।
- **सॉफ्टवेयर बिल ऑफ मटेरियल्स (SBOM):** MP-CERT द्वारा 250 से अधिक अनुप्रयोगों के लिए SBOM का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया है, जिससे सॉफ्टवेयर घटकों की पारदर्शिता में वृद्धि हुई है तथा कमजोरियों की सक्रिय पहचान एवं शमन संभव हुआ है।
- **सिक््योरिटी एडवाइजरी:** MP-CERT द्वारा शासकीय विभागों के लिए 11 साइबर सिक््योरिटी एडवाइजरी जारी की गई हैं तथा CERT-In की एडवाइजरी एवं दिशानिर्देशों का नियमित रूप से अपने पोर्टल के माध्यम से प्रसार किया जाता है।
- **जोखिम आकलन एवं समन्वय:** MP-CERT द्वारा राज्य सरकार की वेबसाइटों का साप्ताहिक जोखिम आकलन किया जाता है, जिसमें गंभीरता के आधार पर कमजोरियों को प्राथमिकता दी जाती है तथा उनके निवारण एवं समापन तक संबंधित विभागों के साथ समन्वय किया जाता है। इसके अतिरिक्त, MP-CERT CERT-In द्वारा रिपोर्ट की गई साइबर घटनाओं में तकनीकी मार्गदर्शन, अनुशंसाएँ एवं पुनरावृत्ति से बचाव हेतु निवारक उपाय प्रदान कर सहयोग करता है।
- **SSL/TLS प्रमाणपत्र निगरानी:** MP-CERT राज्य सरकार के अनुप्रयोगों के लिए SSL/TLS प्रमाणपत्रों की वैधता की सक्रिय रूप से निगरानी करता है तथा प्रमाणपत्र की समाप्ति के कारण संभावित डाउनटाइम और सुरक्षा जोखिमों को कम करने हेतु संबंधित विभागों को समय पर अलर्ट जारी करता है।
- समग्र रूप से, ये सभी पहल राज्य के डिजिटल इकोसिस्टम में साइबर सुरक्षा लचीलापन, प्रतिक्रिया क्षमता तथा शासन को सुदृढ़ करने में MP-CERT की विस्तारित संस्थागत भूमिका को प्रदर्शित करती हैं।

15.7 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम के स्तंभ

एक सशक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (S&T) इकोसिस्टम के स्तंभ नवाचार, अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, जिससे राज्य की सामाजार्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है।

15.7.1 इनक्यूबेशन केंद्र

इनक्यूबेशन केंद्र नवाचार एवं उद्यमिता के प्रमुख चालाक हैं, जो स्टार्टअप्स को कार्यस्थल, मेंटरशिप, तकनीकी मार्गदर्शन तथा वित्तीय संसाधनों तक पहुँच जैसी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करते हैं। सहयोगात्मक इकोसिस्टम को प्रोत्साहित कर ये केंद्र प्रारंभिक चरण के उद्यमों को अपने विचारों को परिष्कृत करने, व्यवहार्य व्यवसाय मॉडल विकसित करने तथा परिचालन का विस्तार करने में सहायता करते हैं। इनक्यूबेशन केंद्र शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग और सरकार के बीच सेतु के रूप में भी कार्य करते हैं, जिससे ज्ञान विनिमय और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

को बढ़ावा मिलता है। साथ ही, रोजगार सृजन और नवाचारों के व्यावसायीकरण के माध्यम से ये क्षेत्रीय आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। मध्यप्रदेश में, ये केंद्र राज्य के प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

मध्यप्रदेश में इनक्यूबेटरों की कुल संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह विगत वर्ष की तुलना में 72 से बढ़कर 103 हो गई है। इन 103 इनक्यूबेशन केंद्रों में से चार इनक्यूबेशन केंद्र अटल इनक्यूबेशन केंद्र (AICs) के अंतर्गत संचालित हैं। [अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, भारत सरकार के अनुसार], विस्तृत सूची हेतु अनुलग्नक- 'ब' देखें।

मध्यप्रदेश में इनक्यूबेशन केंद्रों की संख्या में वृद्धि के बावजूद उनके वितरण में स्पष्ट क्षेत्रीय असंतुलन विद्यमान है। राज्य के 55 जिलों में से केवल 15 जिलों में ही इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित हैं, जिनमें से लगभग 77 प्रतिशत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों में केंद्रित हैं। प्रमुख शहरी केंद्रों से परे इनक्यूबेशन सहायता का विस्तार राज्य के उद्यमिता परिदृश्य में विविधता लाने, टियर-2 एवं टियर-3 क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा अधिक संतुलित क्षेत्रीय विकास में योगदान देने में सहायक हो सकता है।



चित्र 15.2 जिलेवार इनक्यूबेशन केंद्रों की संख्या

15.7.2 मध्यप्रदेश में स्टार्टअप्स

स्टार्टअप्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम में नवाचार को तीव्र गति देने, नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने तथा व्यावसायिक समाधानों के विकास के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आर्थिक विविधीकरण, उच्च कौशल युक्त रोजगार सृजन तथा अनुसंधान के व्यावसायीकरण में भी योगदान देते हैं, जिससे समग्र नवाचार मूल्य श्रृंखला सुदृढ़ होती है।

मध्यप्रदेश में वर्तमान में 6,645 से अधिक DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स संचालित हैं, जो राज्य के बढ़ते उद्यमिता इकोसिस्टम तथा विस्तारित नवाचार क्षमता को दर्शाते हैं। इनमें से 3,178 से अधिक स्टार्टअप्स महिला-नेतृत्व वाले हैं, जो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा समावेशी विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करते हैं

[स्रोत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, भारत सरकार की वेबसाइट, 16/01/2026 के अनुसार]

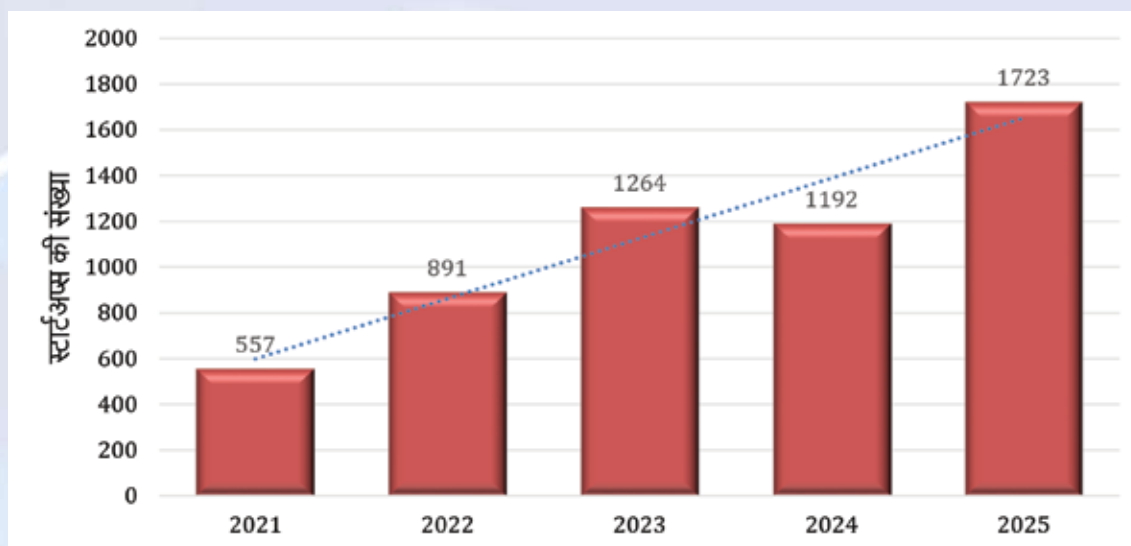
स्टार्टअप गतिविधियों में निरंतर वृद्धि से राज्य के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिदृश्य को मजबूती मिली है तथा संवहनीय आर्थिक विकास में योगदान हुआ है। हाल के वर्षों में मध्यप्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। विगत वर्ष की तुलना में स्टार्टअप पंजीयन में 44.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह प्रवृत्ति राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम में गति और सकारात्मक विकास संकेत करती है।

तालिका 15.1 मध्यप्रदेश में स्टार्टअप्स की प्रवृत्ति (वर्षवार)

(मान संख्या में हैं)

वर्ष	2021	2022	2023	2024	2025
मध्यप्रदेश	557	891	1264	1192	1723

स्रोत: सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम विभाग, मध्यप्रदेश शासन



चित्र 15.3 मध्यप्रदेश में स्टार्टअप्स की प्रवृत्ति (वर्षवार)

15.7.3 अटल टिकरिंग लैब्स

अटल टिकरिंग लैब्स (ATLs) विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (STI) इकोसिस्टम के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो विद्यार्थियों में नवाचार, प्रायोगिक अधिगम, उद्यमशील सोच तथा भविष्य के लिए तैयार STEM कौशल को बढ़ावा देते हैं।

अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत देशभर में स्थापित 10,000 अटल टिकरिंग लैब्स (ATLs) में से दिसंबर 2024 तक मध्यप्रदेश में 601 ATLs स्थापित की गई हैं। [अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, भारत सरकार के अनुसार] उल्लेखनीय रूप से, इनमें से 145 प्रयोगशालाएँ जनजातीय जिलों में स्थित हैं, जबकि 271 प्रयोगशालाएँ शासकीय विद्यालयों

एवं 330 लैब्स निजी विद्यालयों में राज्यभर में स्थापित की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2025-26 के दौरान 50,000 अटल टिकरिंग लैब्स (ATLs) स्थापित किए जा रहे हैं। *स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार*

विद्यालयों में STEM एवं नवाचार अधोसंरचना के इस व्यापक विस्तार से देश की नवाचार पाइपलाइन को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किए जाने की अपेक्षा है। यह पहल प्रारंभिक चरण के नवाचार एवं प्रतिभा विकास को प्रोत्साहित कर मध्यप्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम पर भी सकारात्मक प्रभाव डालने की संभावना रखती है। इस संदर्भ में, मध्यप्रदेश शासन इस राष्ट्रीय पहल का प्रभावी लाभ उठाने तथा राज्य के लिए इसके अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने हेतु एक रणनीतिक दृष्टिकोण विकसित करने पर विचार कर सकता है।

15.7.4 नॉलेज (ज्ञान) आउटपुट

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)

दायर किए गए पेटेंट और डिज़ाइन

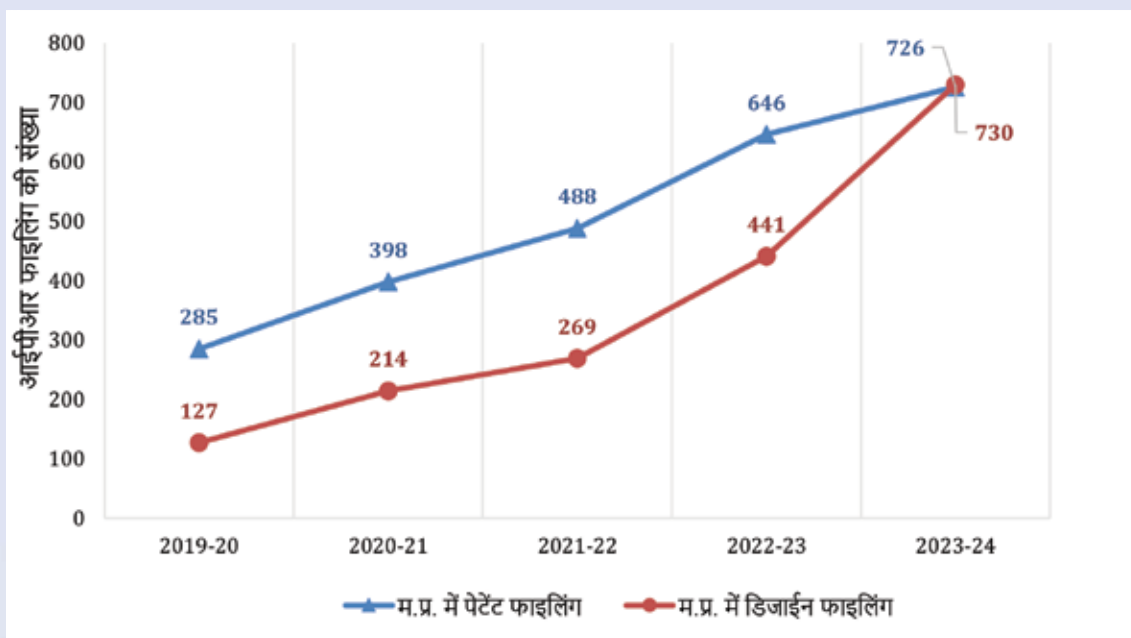
ज्ञान के सृजन एवं नवाचार का परिलक्षण राज्य में IPR फाइलिंग की बढ़ती संख्या में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बौद्धिक संपदा अधिकार, विशेष रूप से पेटेंट एवं डिज़ाइन, अनुसंधान की तीव्रता, प्रौद्योगिकी क्षमता तथा विचारों के व्यावसायीकरण के प्रमुख संकेतक हैं। निम्नलिखित भाग मध्यप्रदेश में दायर किये गए बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) की वर्तमान प्रवृत्तियों का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत करता है, जो राज्य के विकसित होते ज्ञान उत्पादन तथा नवाचार इकोसिस्टम को रेखांकित करता है।

आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान मध्यप्रदेश में IPR फाइलिंग में मजबूत एवं सतत वृद्धि हुई है, जो नवाचार इकोसिस्टम के सुदृढ़ होने तथा बौद्धिक संपदा संरक्षण के प्रति बढ़ती जागरूकता को प्रतिबिंबित करती है।

पिछले पाँच वर्षों में मध्यप्रदेश पेटेंट एवं डिज़ाइन फाइलिंग में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो राज्य की नवाचार एवं डिज़ाइन क्षमताओं का संकेत देती है। दायर हुए पेटेंट वर्ष 2019-20 में 285 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 726 हो गए, जो लगभग 155 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। विशेष रूप से वर्ष 2021-22 के बाद तेज़ वृद्धि देखी गई है, जो अनुसंधान गतिविधियों में वृद्धि तथा नवाचार में शैक्षणिक संस्थानों, स्टार्टअप्स और उद्योग की बढ़ती भागीदारी का संकेत देती है।

इसी अवधि में डिज़ाइन फाइलिंग और भी तीव्र गति से बढ़ी हैं, जो 127 से बढ़कर 730 हो गई, अर्थात् लगभग पाँच गुना वृद्धि दर्ज की गयी। यह प्रवृत्ति विशेषकर एमएसएमई एवं विनिर्माण-उन्मुख उद्यमों के बीच उत्पाद विकास, औद्योगिक डिज़ाइन एवं व्यावसायीकरण पर बढ़ते जोर को दर्शाती है। वर्ष 2023-24 तक डिज़ाइन फाइलिंग की संख्या लगभग पेटेंट फाइलिंग के समकक्ष पहुँच गई, जो एक अधिक संतुलित एवं परिपक्व नवाचार इकोसिस्टम को रेखांकित करता है, जहाँ प्रौद्योगिकी आविष्कार के साथ-साथ डिज़ाइन-आधारित नवाचार को भी समान महत्व दिया जा रहा है। IPR फाइलिंग में हुई वृद्धि वर्तमान नीतिगत पहलों, बेहतर संस्थागत सुविधा तथा नवाचार-आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के राज्य के उद्देश्य के अनुरूप है।





स्रोत : पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क एवं भौगोलिक संकेतक के नियंत्रक महा-नियंत्रक का कार्यालय, भारत सरकार

चित्र 15.4 मध्यप्रदेश में दायर आईपीआर की प्रवृत्ति

मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (MPCST) में स्थापित पेटेंट सूचना केंद्र (PIC) का उद्देश्य राज्य में शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संगठनों, उद्योगों तथा नवाचारकर्ताओं के बीच बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के प्रति जागरूकता एवं समझ को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों तथा जन-जागरूकता पहलों का आयोजन किया जाता है, जिससे IPR साक्षरता सुदृढ़ हो और नवाचारों के संरक्षण को प्रोत्साहन मिले।

PIC द्वारा आविष्कारकों एवं शोधकर्ताओं को पेटेंट योग्यता आकलन, पेटेंट ड्राफ्टिंग, फाइलिंग तथा प्रक्रियात्मक मार्गदर्शन के साथ-साथ पेटेंट से संबंधित आवेदनों की तैयारी हेतु तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल के अंतर्गत की गई विभिन्न गतिविधियों का विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 15.2 वर्ष 2025 में पीआईसी द्वारा की गई गतिविधियाँ

(मान संख्या में हैं)

गतिविधियाँ	संख्या
आविष्कारकों को सेंसिटाइज़ किया गया	18
अस्थायी एवं पूर्ण पेटेंट फाइलिंग	05
IPR जागरूकता कार्यशाला/सेमिनार/वेबिनार/कार्यक्रम आयोजित	16
IPR पर व्याख्यान	15
IPR जागरूकता कार्यशालाओं एवं कार्यक्रमों में प्रतिभागी	2700
PIC, MPCST द्वारा स्वीकृत IPR कार्यशाला/सेमिनार/सम्मेलन आदि	31

स्रोत : मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, मध्यप्रदेश शासन.

भौगोलिक संकेत (GI) टैग

भौगोलिक संकेतक (GI) टैग क्षेत्र-विशेष उत्पादों की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा एवं विशिष्टता को उनके मूल स्थान से जोड़कर उनके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। GI पंजीकरण पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत तथा स्थानीय कौशलों की रक्षा करने में सहायक होता है, साथ ही उत्पादकों को बेहतर बाज़ार पहचान, प्रीमियम मूल्य और दुरुपयोग के विरुद्ध कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। यह ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा पारंपरिक उत्पादों की राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाज़ारों में दृश्यता बढ़ाने में भी योगदान देता है।

वर्ष 2025 तक मध्यप्रदेश में कुल 30 पंजीकृत भौगोलिक संकेतक (GI) हैं, जिनमें तीन पंजीकृत GI logo भी शामिल हैं। यह उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष के दौरान राज्य से 6 नए भौगोलिक संकेतक पंजीकृत किए गए हैं। पंजीकृत भौगोलिक संकेतकों की विस्तृत सूची अनुलग्नक-‘स’ में प्रदान की गई है।

[स्रोत: पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेत महानियंत्रक कार्यालय, भारत सरकार; www.ipindia.gov.in]

15.8 विशिष्ट पहल

मध्यप्रदेश शासन का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राज्य के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न लक्षित पहलें एवं योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

15.8.1 स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (SWAN) कवरेज

स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (SWAN) मध्यप्रदेश में ई-गवर्नेंस के लिए एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में कार्य करता है, जो शासकीय विभागों को सुरक्षित, विश्वसनीय एवं किफायती वॉयस, डेटा तथा वीडियो संचार को सक्षम बनाता है। यह सुदृढ़ ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज कनेक्टिविटी के माध्यम से निर्बाध सेवा प्रदाय को सुगम बनाता है तथा संवेदनशील डेटा और शासकीय लेन-देन की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

राज्य में फैले 401 प्वाइंट्स ऑफ प्रेज़ेन्स (PoPs) से युक्त इस नेटवर्क को सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क (SD-WAN) प्रौद्योगिकी में उन्नत किया गया है, जिससे सुरक्षा, विस्तार-क्षमता तथा नेटवर्क प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 315 शासकीय कार्यालयों को 1 Gbps की उच्च गति कनेक्टिविटी प्रदान की गई है, जबकि 1,500 से अधिक CCTNS लोकेशन को 100 Mbps तक बैंडविड्थ उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में यह नेटवर्क लगभग 10,000 कार्यालयों में कार्यरत 60,000 से अधिक शासकीय उपयोगकर्ताओं को समर्थन प्रदान कर रहा है, जिससे शासन एवं सेवा प्रदाय हेतु डिजिटल अधोसंरचना को महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ किया गया है।

15.8.2 ई-टेंडरिंग

मध्यप्रदेश में ई-टेंडरिंग प्रणाली सार्वजनिक खरीद के लिए एक प्रमुख डिजिटल गवर्नेंस मंच के रूप में निरंतर कार्यरत है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता, दक्षता एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा क्रियान्वित यह मंच टेंडर प्रक्रिया के प्रकाशन, बोली प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन तथा टेंडर आवंटन सहित संपूर्ण प्रक्रिया का एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण सक्षम बनाता है। मैनुअल हस्तक्षेप को कम कर तथा विभिन्न विभागों में प्रक्रियाओं का मानकीकरण कर इस प्रणाली ने जवाबदेही को सुदृढ़ किया है और प्रक्रियागत विलंब एवं अनियमितताओं की संभावनाओं को उल्लेखनीय रूप से सीमित किया है।

प्रारंभ से लेकर नवंबर 2025 तक इस पोर्टल पर कुल 5,25,728 निविदाएँ प्रकाशित की गई हैं, जिनका अनुमानित कुल मूल्य 10,74,465 करोड़ रुपये है। इनमें से 2,49,242 निविदाएँ आवंटित की जा चुकी हैं, जो



शासकीय विभागों एवं एजेंसियों में इस मंच के व्यापक उपयोग को दर्शाता है। संचालन के इस सतत एवं व्यापक स्तर से ई-टेंडरिंग प्रणाली की खरीद दक्षता में सुधार करने तथा निविदादाताओं एवं अन्य हितधारकों के बीच विश्वास को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका परिलक्षित होती है, जिससे राज्य के व्यापक शासन एवं विकास उद्देश्यों को समर्थन मिलता है।

15.8.3 कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT)

कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) मध्यप्रदेश में शासकीय सेवाओं में नियुक्ति के इच्छुक अभ्यर्थियों की कंप्यूटर साक्षरता एवं टाइपिंग कौशल के आकलन हेतु एक मानकीकृत तंत्र के रूप में निरंतर कार्यरत है। राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कंप्यूटर एवं टाइपिंग दक्षता की आवश्यकता वाले पदों के लिए इस परीक्षा को अनिवार्य किया गया है, जिसमें मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम नोडल क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।

CPCT एक कंप्यूटर-आधारित ऑनलाइन परीक्षा के रूप में आयोजित की जाती है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के साथ-साथ हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में टाइपिंग परीक्षा शामिल होती है। आईटी ऑपरेटर, सहायक ग्रेड-III, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर एवं स्टेनो टाइपिस्ट जैसे विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए CPCT में उत्तीर्ण होना एक अनिवार्य शर्त है। इससे मूल्यांकन के समान मानक सुनिश्चित होते हैं तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम शासन के लिए कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता बनी रहती है।

तालिका 15.3 में पिछले पाँच वर्षों के दौरान आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। ये आंकड़े CPCT में निरंतर सहभागिता को दर्शाते हैं, जो मध्यप्रदेश में डिजिटल कौशल पर बढ़ते जोर को प्रतिबिंबित करता है। वर्ष 2021 से वर्ष 2025 की अवधि के दौरान कुल 3,63,856 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया, जिनमें से 3,09,475 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जो 85.05 प्रतिशत उपस्थिति दर को दर्शाता है। परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से 1,53,095 अभ्यर्थी प्रमाणित हुए, जो परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों का 49.46 प्रतिशत है।

तालिका 15.3 सीपीसीटी का वार्षिक समेकित परिणाम सारांश

(मान संख्या में हैं)

परिणाम विवरण	2021	2022	2023	2024	2025	Total
नियत	122325	76806	54947	40057	69721	363856
उपस्थित	104784	66807	46392	33924	57568	309475
प्रमाणित	52785	31535	22139	14329	32307	153095

स्त्रोत: मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड

15.8.4 एमपी कोड पोर्टल

मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (MPSEDC) द्वारा एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल विकसित किया गया है, जो राज्य के अधिनियमों, नियमों एवं विनियमों, स्वायत्त निकायों के नियमों तथा केंद्रीय विधानों के महत्वपूर्ण प्रावधानों तक सरल पहुँच प्रदान करता है। इस पोर्टल को शुद्धता एवं उपयोग में सरलता सुनिश्चित करने हेतु अद्यतन किया गया है तथा इसे विधिक एवं विधायी संदर्भ कार्य को सुगम बनाने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है।

यह पोर्टल न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, वादकारियों, विधि के विद्यार्थियों एवं शोधकर्ताओं के साथ-साथ विधायकों, जनप्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों के लिए एक उपयोगी संसाधन के रूप में कार्य करता है, जिससे खोज समय में कमी आती है और विधिक एवं नीतिगत गतिविधियों में दक्षता में वृद्धि होती है।

तालिका 15.4 एमपी कोड पोर्टल की अद्यतन स्थिति

(मान संख्या में हैं)

संख्या	नाम	महायोग
1	अधिनियम	1327
2	नियम	2007
3	विनियमन	201
4	अधिसूचना	1008
5	निरस्त अधिनियम	33
6	परिपत्र	375
7	आदेश	285
Grand Total		5236

स्रोत: मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड

15.8.5 उचित मूल्य की दुकानों का स्वचालन

मध्यप्रदेश शासन का खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, MPSEDC के तकनीकी सहयोग से राज्य में उचित मूल्य दुकानों (Fair Price Shops) के व्यापक स्वचालन का कार्य कर रहा है। इस पहल के अंतर्गत पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) उपकरणों की स्थापना एवं अनुरक्षण, अनुप्रयोगों का विकास एवं अनुकूलन, हेल्पडेस्क सेवाओं की उपलब्धता, परियोजना प्रबंधन, संभाग-स्तरीय तकनीकी सहायता तथा एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली के क्रियान्वयन को शामिल किया गया है। MPSEDC के अनुसार, मध्यप्रदेश में वर्तमान (31.12.2025 के अनुसार) में कुल 28,075 उचित मूल्य दुकानें इस प्रौद्योगिकी-सक्षम आधुनिकीकरण पहल के अंतर्गत लाभान्वित हो रही हैं।

15.8.6 आधार नामांकन

आधार एक आधारभूत डिजिटल पहचान के रूप में उपयोग किया जाता है, जो नागरिकों को शासकीय सेवाओं एवं कल्याणकारी योजनाओं तक सुगम और प्रभावी रूप से पहुँच प्रदान करता है। सेवा प्रदाय में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, मध्यप्रदेश में आधार नामांकन के लिए मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (MPSEDC) को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। दिसंबर 2025 तक राज्य में आधार कवरेज अनुमानित जनसंख्या के 107 प्रतिशत तक पहुँच चुका है, जिसमें 8,69,37,082 व्यक्तियों का सफलतापूर्वक नामांकन किया जा चुका है, जो आधार प्लेटफॉर्म के सार्वभौमिक अंगीकरण को दर्शाता है। राज्य में MPSEDC रजिस्ट्रार के अंतर्गत जनवरी 2026 में 2,100 से अधिक आधार नामांकन केंद्र सक्रिय रूप से संचालित किए जा रहे हैं, जो नागरिकों के व्यापक नामांकन तथा आधार से संबंधित सेवाओं को समर्थन प्रदान कर रहे हैं।



15.8.7 मध्यप्रदेश राज्य स्थानिक डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (MPSSDI)

मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (MPSEDC) द्वारा मध्यप्रदेश राज्य स्थानिक डेटा अधोसंरचना (MPSSDI) की स्थापना राज्य में जीआईएस प्रौद्योगिकी के कुशल एवं सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इस पहल का उद्देश्य मानकीकृत स्थानिक डेटा का एक केंद्रीकृत भंडार विकसित करना, रिमोट सेंसिंग डेटा को राज्य-विशिष्ट ढाँचों के साथ समन्वित करना तथा विभिन्न शासकीय विभागों को जीआईएस-आधारित सेवाएँ उपलब्ध कराना है। इस अधोसंरचना में एक व्यापक डेटा लाइब्रेरी शामिल है, जिसमें 5.00 लाख से अधिक points of interest, 5.00 लाख हैंडपंप तथा 350 से अधिक GIS Data Layers सम्मिलित हैं, जिन्हें शुद्धता एवं प्रासंगिकता सुनिश्चित करने हेतु नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। इसी दिशा में GIS के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु District GIS planning system तैयार किया गया है, जिसमें 28 ज़िले, 5 नगर निगम, 7 संभागीय GIS लैब एवं पोर्टल तैयार किये गए हैं।

15.8.8 उत्कृष्टता केंद्र

मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (MPSEDC) नवाचारी डिजिटल समाधानों के विकास के माध्यम से राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस क्षमताओं को सुदृढ़ करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य स्थानिक डेटा अधोसंरचना (MPSSDI) तथा सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट जैसी प्रमुख पहलें संचालित की जा रही हैं, जो प्रौद्योगिकी-आधारित शासन एवं सेवा प्रदाय को समर्थन प्रदान करती हैं।

दिसंबर 2025 तक सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस द्वारा 377 से अधिक वेबसाइट, पोर्टल एवं अनुप्रयोग विकसित किए जा चुके हैं तथा सुरक्षा ऑडिट के माध्यम से 1,001 वेबसाइटों एवं अनुप्रयोगों का प्रमाणन किया गया है। यह उपलब्धियाँ सुरक्षित एवं दक्ष डिजिटल शासन में MPSEDC के बढ़ते योगदान को प्रतिबिंबित करती हैं।

15.8.9 स्टेट डाटा सेंटर

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश शासन के सहयोग से डिजिटल शासन एवं डेटा प्रबंधन अधोसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु भोपाल में स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना की गई है। स्टेट डाटा सेंटर के क्रियान्वयन का दायित्व मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (MPSEDC) को सौंपा गया है।

वर्तमान में स्टेट डाटा सेंटर में 50 शासकीय विभागों के 590 से अधिक एप्लीकेशन होस्ट किए जा रहे हैं, जो डिजिटल सेवाओं के प्रदाय हेतु एक सुरक्षित एवं केंद्रीकृत मंच उपलब्ध कराते हैं। डेटा केंद्र का प्रबंधन, संचालन एवं अनुरक्षण पूर्णतः राज्य शासन के नियंत्रण में है, जिससे डेटा सुरक्षा तथा परिचालन स्वायत्तता सुनिश्चित होती है।

प्रणाली की लचीलापन क्षमता को और सुदृढ़ करने हेतु ओडिशा के भुवनेश्वर में एक डिज़ास्टर रिकवरी साइट की स्थापना की गई है तथा सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर (SoC) को क्रियाशील बनाया गया है, जिससे आपदा तैयारी एवं साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूती मिली है।

15.8.10 चुनाव के लिए राज्य स्तरीय एजेंसी (SLA)

मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (MPSEDC) वर्ष 2002 से मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के लिए तथा वर्ष 2015 से राज्य निर्वाचन आयोग के लिए राज्य स्तरीय एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। MPSEDC के अभिलेखों के अनुसार, अब तक कुल 5.24 करोड़ PVC EPIC (मतदाता पहचान पत्र) मुद्रित

किए जा चुके हैं, जिनमें नवंबर 2025 तक लगभग 50 लाख EPIC की अतिरिक्त मुद्रण शामिल है। यह पहल राज्य की निर्वाचन प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

15.8.11 एकल नागरिक डेटाबेस (SAMAGRA)

मध्यप्रदेश शासन द्वारा समग्र (SAMAGRA) नामक एकल नागरिक डेटाबेस का विकास शासन से नागरिकों के बीच संपर्क को सुदृढ़ करने तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक प्रमुख मंच के रूप में किया गया है। यह डेटाबेस श्रमिक वर्ग, निर्धन परिवारों, वृद्धजनों, महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्त व्यक्तियों तथा दिव्यांगजनों जैसे संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों के लक्षित लाभ वितरण को समर्थन प्रदान करता है।

सुव्यवस्थित डेटा शुद्धिकरण तथा डुप्लिकेट एवं अपात्र अभिलेखों को हटाने के परिणामस्वरूप पंजीकृत सदस्यों की कुल संख्या 10.48 करोड़ से घटकर 8.66 करोड़ हो गई है, जिससे लाभार्थियों का डेटाबेस अधिक सटीक, विश्वसनीय एवं प्रभावी बन सका है।

एकल नागरिक डेटाबेस के क्रियान्वयन के अंतर्गत शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं के लिए समग्र आईडी के अनिवार्य उपयोग के निर्देश दिए गए हैं, और वर्तमान में इसका उपयोग राज्य में 108 योजनाओं एवं सेवाओं में किया जा रहा है। एक विशेष E-KYC अभियान के माध्यम से 6 करोड़ से अधिक नागरिकों का E-KYC पूर्ण किया जा चुका है तथा यह प्रक्रिया आगे भी निरंतर जारी है। प्रणाली के प्रदर्शन एवं अभिगम्यता को और बेहतर बनाने के लिए समग्र अनुप्रयोग को उन्नत SDC 2.0 अधोसंरचना पर माइग्रेट किया गया है। साथ ही, नागरिकों को मोबाइल उपकरणों के माध्यम से सुगम पहुँच प्रदान करने हेतु समग्र मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया गया है।

15.8.12 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025: टेक इन्वेस्ट मध्यप्रदेश

भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 (टेक इन्वेस्ट मध्यप्रदेश) का उद्देश्य मध्यप्रदेश को प्रौद्योगिकी-आधारित निवेश के एक उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करना था। इस आयोजन के दौरान लगभग 25,640 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे लगभग 1.83 लाख रोजगार अवसरों के सृजन की संभावना है। आईटी, ईएसडीएम, एवीजीसी-एक्सआर, ड्रोन, डेटा सेंटर तथा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जैसे उभरते क्षेत्रों में उल्लेखनीय रुचि दर्ज की गई, जो प्रौद्योगिकी एवं नवाचार-उन्मुख उद्योगों में राज्य की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाती है।

समिट के दौरान राज्य शासन द्वारा उच्च विकासशील क्षेत्रों के लिए नीतिगत इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने हेतु चार नई नीतियाँ—एवीजीसी-एक्सआर नीति 2025, ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) नीति 2025 तथा सेमीकंडक्टर नीति 2025—जारी की गईं। इसके साथ ही IBM, Microsoft, Barclays, VLSI और L&T Edu-Tech सहित प्रमुख वैश्विक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए, जो प्रमुख उद्योग हितधारकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाते हैं।

समिट में उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर पूर्ण सत्र (प्लेनरी) एवं राउंड टेबल चर्चाएँ आयोजित की गईं तथा Innovest 2025 स्टार्टअप प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम से पूर्व बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी में रोडशो आयोजित कर वैश्विक एवं घरेलू निवेशकों तक व्यापक पहुँच बनाई गई। इस अवसर पर राज्य की तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करती कॉफी टेबल बुक “India’s Rising Tech Powerhouse” का विमोचन भी किया गया।



15.8.13 ड्रोन

मध्यप्रदेश में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अंगीकरण को सुगम बनाने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के अंतर्गत स्थापित ड्रोन यूनिट MPSSDI के माध्यम से तैनात तकनीकी संसाधनों की विशेषज्ञता का उपयोग कर रही है। विगत वर्षों में इस यूनिट द्वारा राज्य शासन के लगभग 19 क्षेत्रों एवं विभागों में 30 से अधिक परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, जिनके अंतर्गत विभागीय पहलों में ड्रोन-आधारित समाधानों के एकीकरण को समर्थन देने हेतु मानकीकृत रिपोर्टें एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। प्रदेश में ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति लागू की गयी है, साथ ही प्रदेश में एकीकृत ड्रोन रिपॉजिटरी का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए Standard Operating Procedure (SOP) भी तैयार की गयी है।

इस प्रौद्योगिकी की बढ़ती प्रासंगिकता को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन के नए प्रौद्योगिकी बजट मद के अंतर्गत ड्रोन सेवाओं के लिए ₹2 करोड़ का वार्षिक बजट आवंटित किया गया है।

15.8.14 टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव

मध्यप्रदेश में निवेश को गति देने तथा प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा अप्रैल 2025 में इंदौर में टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 1.0 का सफल आयोजन किया गया। इस आयोजन के माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान प्राप्त निवेश प्रस्तावों को मात्र 60 दिनों की अवधि में 2,815 करोड़ रुपये के निवेश तथा लगभग 27,760 रोजगार अवसरों में परिवर्तित किया गया।

कॉन्क्लेव के दौरान कुल 20,000 करोड़ रुपये की निवेश संभावनाएँ तथा 75,000 संभावित रोजगार सृजन का आकलन किया गया। इस अवसर पर Ctrl S डेटा सेंटर, पंचशील आईटी पार्क, BEL सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं Cast NEX (ESDM) जैसी प्रमुख परियोजनाओं को आकर्षित किया गया। इसके अतिरिक्त, BEL, Yotta, InfoBeans और Panchshil जैसी अग्रणी कंपनियों के साथ 25 से अधिक निवेशक बैठकें आयोजित की गईं।

इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए नवंबर 2025 में इंदौर में टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का सफल आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 15,896 करोड़ रुपये के साकार निवेश तथा 64,000 से अधिक रोजगार अवसरों का सृजन हुआ। इस आयोजन में उद्घाटन, भूमि आवंटन, समझौता ज्ञापन (MoUs), आशय पत्र (LoAs) एवं निवेश समझौतों सहित कुल 68 प्रमुख गतिविधियाँ संपन्न हुईं।

कॉन्क्लेव के दौरान 22 नई प्रौद्योगिकी इकाइयों का उद्घाटन किया गया, चार परियोजनाओं के लिए 1,346 करोड़ रुपये के भूमि आवंटन किए गए, तथा 9 LoAs और 7 MoUs पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें अनुमानित 800 करोड़ रुपये का निवेश एवं 10,500 रोजगार सृजन शामिल है। इसके अतिरिक्त, थॉमसन सेमीकंडक्टर, एएनएसआर और सोलुजेनिक्स जैसी कंपनियों के साथ आठ से अधिक निवेशक बैठकें आयोजित की गईं।

साथ ही, IISER भोपाल, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जीडीएआई, टीआईई राजस्थान एवं कोडयोगी फाउंडेशन सहित विभिन्न संस्थानों के साथ संस्थागत साझेदारियाँ स्थापित की गईं, जिससे शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग एवं सरकार के बीच सहयोग को सुदृढ़ किया गया।

राज्य में उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को समर्थन देने तथा नवाचार इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए नई पहलों की एक श्रृंखला प्रारंभ की गई। प्रमुख पहलों में ड्राफ्ट स्पेसटेक नीति 2025 की प्रस्तुति, शासकीय विभागों के लिए साइबर सुरक्षा मंच के रूप में CISO पोर्टल का विकास, तथा डेटा-आधारित अनुप्रयोगों और ड्रोन-आधारित

नियोजन को समर्थन देने हेतु ड्रोन डेटा रिपोर्टिंग का सृजन शामिल है।

इसके अतिरिक्त, आगामी प्रौद्योगिकी अधोसंरचना एवं शहरी नवाचार परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं। इनमें भोपाल में 2,000 एकड़ में नॉलेज एवं एआई सिटी की स्थापना, 25 एकड़ में साइंस सिटी परियोजना, तथा उद्यमिता और उच्च-प्रौद्योगिकी गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु इंदौर आईटी पार्क का विस्तार और नए स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स की स्थापना शामिल है।

साथ ही, एआर/वीआर, ब्लॉकचेन, एग्री-ड्रोन और हाई-स्पीड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में नवाचारों को प्रदर्शित करने हेतु प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया, जो भविष्य-उन्मुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर राज्य के बढ़ते फोकस को दर्शाता है।

15.8.15 ई-एचआरएमएस (e-HRMS)

राज्य में पारदर्शिता बढ़ाने तथा कार्मिक प्रशासन के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से एक एकीकृत ई-एचआरएमएस प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। अब तक 49 विभागों के 3.18 लाख कर्मचारियों को इस प्रणाली पर ऑनबोर्ड किया जा चुका है। ई-एचआरएमएस के माध्यम से भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण, उपस्थिति प्रबंधन एवं सेवानिवृत्ति जैसी प्रमुख मानव संसाधन प्रक्रियाओं का मानकीकरण एवं स्वचालन किया गया है, जिससे प्रशासनिक दक्षता में सुधार हुआ है तथा सेवाओं का समयबद्ध प्रदाय सुनिश्चित हुआ है।

15.8.16 ई-सेवा पोर्टल (e-Seva Portal)

एमपी ई-सेवा पोर्टल मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों, संस्थानों एवं संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं तक पहुँच के लिए एकल इंटरफेस उपलब्ध कराने हेतु विकसित किया गया सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म है।

आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर होते हुए, मध्यप्रदेश शासन ने उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग कर विभिन्न विभागों की ऑनलाइन सेवाओं को समाहित करते हुए एक केंद्रीकृत एमपी ई-सेवा पोर्टल विकसित किया है। यह सरल पोर्टल प्रारंभिक चरण में 550 से अधिक नागरिक-केंद्रित सेवाओं को एकीकृत करता है। यह मध्यप्रदेश शासन का आधिकारिक पोर्टल है, जिसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन MPSEDC द्वारा डिज़ाइन, विकसित एवं होस्ट किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य शासकीय सेवाओं को ऑनलाइन सुलभता, सेवाओं तक पहुँच की लागत को कम करना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना तथा जवाबदेही को सुदृढ़ करना है।

15.8.17 ई-ऑफिस (e-Office)

भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत ई-ऑफिस को एक प्रमुख मिशन मोड परियोजना के रूप में चिन्हित किया है, जिसका उद्देश्य पेपरलेस प्रशासन को बढ़ावा देना तथा शासकीय कार्यप्रणाली में दक्षता, पारदर्शिता और सेवा प्रदाय में सुधार करना है। यह पहल फाइलों की आवाजाही, पत्राचार तथा कार्यालयीय प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से निपटान समय में कमी और जवाबदेही बढ़ाने का प्रयास करती है।

मध्यप्रदेश में ई-ऑफिस का क्रियान्वयन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (MPSEDC) के माध्यम से NIC के सहयोग से किया जा रहा है। अप्रैल 2014 में इसके रोल-आउट के बाद से इस प्रणाली ने विभिन्न विभागों में प्रशासनिक कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित किया है। वर्तमान में राज्य के विभिन्न स्तरों पर 383 शासकीय कार्यालय उत्पादकता एवं परिचालन दक्षता में सुधार के लिए ई-ऑफिस का उपयोग कर रहे हैं।



तालिका 15.5 ई-ऑफिस क्रियान्वयन के आंकड़े

क्रम संख्या	उपयोगकर्ता श्रेणी	ई-ऑफिस क्रियान्वित इकाइयों की संख्या
1.	सचिवालय	55
2.	विभागाध्यक्ष और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड आदि	263
3.	जिला स्तरीय प्रशासन	55
4.	संभाग स्तरीय प्रशासन	10

स्रोत: मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड

15.8.18 यूनीपे (UNIPAY)

विभिन्न विभागीय योजनाओं के हितग्राहियों के खाते में डीबीटी (डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के सफल क्रियान्वयन हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यूनीपे (UNIPAY) पोर्टल का निर्माण किया गया है। इसके तहत हितग्राही के बैंक खाते में अथवा उसके आधार लिंक खाते में भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यह पोर्टल एक पेमेंट गेटवे के रूप में भी कार्य करता है जिसके अंतर्गत शासकीय मदों में भुगतान प्राप्त किए जाने की सुविधा है। पोर्टल के माध्यम से आज दिनांक तक 13 विभागों 18 पोर्टल के माध्यम से 70 योजनाओं के अंतर्गत लगभग 76 हजार करोड़ राशि का DBT सफलतापूर्वक किया जा चुका है।

15.8.19 ई-दक्ष (e-Daksh)

मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (MPSEDC) द्वारा ई-गवर्नेंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य के सभी विभागों के शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह प्रशिक्षण जिला स्तर पर स्थापित क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केंद्रों, जिन्हें ई-दक्ष केंद्र कहा जाता है, के माध्यम से प्रदान किया जाता है। वर्तमान में राज्य के 51 जिलों में ई-दक्ष केंद्र कार्यरत हैं तथा मंत्रालय स्थित वल्लभ भवन में एक समर्पित ई-दक्ष कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है।

इन केंद्रों की स्थापना के बाद से अब तक 7.60 लाख से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न आईटी एवं ई-गवर्नेंस परियोजनाओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, जिससे शासकीय प्रणाली में क्षमता निर्माण को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया गया है।

15.8.20 भूमि संसाधनों का भू-स्थानिक निगरानी

मध्यप्रदेश में भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण में होने वाले परिवर्तनों के वैज्ञानिक आकलन हेतु भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC) द्वारा वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए उपग्रह चित्रों के माध्यम से विश्लेषण किया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत वर्ष 2016 से अब तक विभिन्न भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण श्रेणियों में हुए परिवर्तनों का व्यवस्थित विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि दीर्घकालिक स्थानिक एवं कालिक प्रवृत्तियों को समझा जा सके।

विश्लेषित आंकड़े कृषि विकास से संबंधित साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण एवं योजना निर्माण को समर्थन देने हेतु मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् द्वारा भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के साथ साझा किए जा रहे हैं। यह उपग्रह-आधारित आकलन भूमि प्रबंधन, कृषि उत्पादकता तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग से संबंधित निर्णयों को अधिक सूचित एवं प्रभावी बनाने में सहायक होने की अपेक्षा है। इसी प्रक्रिया में उपग्रह चित्र एवं AI/ML की एकीकृत प्रणाली तैयार कर प्रमुख फसलों की पहचान लैंड पार्सल स्तर पर, फसलों की क्षति का आकलन एवं उत्पादकता का पटवारी हल्कावार आकलन भी किया जा रहा है।

15.8.21 IWDP 2.0 के अंतर्गत जलग्रहण विकास की उपग्रह-आधारित निगरानी

एकीकृत जलग्रहण विकास कार्यक्रम (IWDP) 2.0 के अंतर्गत विकासात्मक हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करने हेतु 55 जलग्रहण संरचनाओं की उपग्रह-आधारित निगरानी एवं प्रबंधन किया जा रहा है। यह परियोजना भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC) द्वारा प्रायोजित है।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य के चिह्नित 55 जलग्रहण क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों के परिणामस्वरूप भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करना है। इस उपग्रह-आधारित आकलन से जलग्रहण विकास पहलों की बेहतर योजना, निगरानी एवं मूल्यांकन को समर्थन देने के साथ-साथ भूमि एवं जल संसाधनों के सतत प्रबंधन को प्रोत्साहित करने में सहायक होने की अपेक्षा है।

15.8.22 राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली

राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली (SWRIS) का विकास मध्यप्रदेश शासन के जल संसाधन विभाग एवं मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (MPCST) द्वारा संयुक्त रूप से एक समग्र, जीआईएस-सक्षम, वेब-आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना है। यह प्रणाली राज्य में जल क्षेत्र से जुड़े सभी विभागों से प्राप्त सूचनाओं को एकीकृत करते हुए जल संबंधी डेटा के लिए एक केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करेगी।

इस परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना (NHP) के उद्देश्यों के अनुरूप विभिन्न प्रशासनिक एवं जलग्रहण इकाइयों में जल संसाधन डेटा के सुव्यवस्थित संग्रह, मानकीकरण एवं प्रसार हेतु एक समर्पित प्रणाली विकसित की जा रही है। SWRIS का मुख्य उद्देश्य साक्ष्य-आधारित योजना निर्माण को सुदृढ़ करना तथा राज्य में जल संसाधनों के समग्र प्रबंधन में सुधार लाना है।



अनुलग्नक

अनुलग्नक 'अ': विज्ञान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इस क्षेत्र के प्रमुख कार्य क्षेत्र

स्रोत : समृद्ध मध्यप्रदेश@2047 : विज्ञान डॉक्यूमेंट

Action point No.	Action points/areas	Short term (2029)	Long term (2047)
Innovation and R&D			
41	Augment R&D grants and Innovation Funds.	✓	✓
42	Set up laboratories, COEs and incubation centres in proximity to key manufacturing clusters and revitalize by defining KPIs, facilitating private sector partnership, etc.	✓	
43	Introduce Research-Linked Incentives (RLI) to boost research and innovation in priority sectors.	✓	
44	Encourage R&D collaborations between universities and local industries for research commercialisation.	✓	
45	Establish a State level Research Fund to provide funding and incentives for research & consultancy projects and to catalyze high impact partnerships.		✓
46	Direct the Fund to priority sectors in Madhya Pradesh: pharmaceuticals, non metallic minerals, and automotive (auto & auto components).		✓
IT/ITeS/GCC/Emerging Tech			
Infrastructure & Investments			
124	Build 200+ acres AI & Knowledge city, including IT-ITeS township.	✓	
125	Build IT Parks and create an enabling ecosystem in all towns with population less than 5 Lakhs (estimated as of 2025).	✓	✓
126	Develop shared facilities (ready-to-use office spaces) for startups and GCCs.	✓	
127	Drive emerging technology adoption: e.g. Launch pilots for 5 GIS-based projects, 3 drone enabled and 2 AI enabled projects.	✓	
Skilling & Labour			
128	Potential interventions to promote Madhya Pradesh as an IT-ITeS hub	✓	
128.1	Incentivize export-oriented IT-ITeS firms via rebates on export duties.	✓	

Action point No.	Action points/areas	Short term (2029)	Long term (2047)
128.2	Support on land purchase premium to companies starting operations within the first 2-3 years of development phase.	✓	
128.3	Refund of EPF/ESI amounts to foster talent migration.	✓	
128.4	Inculcate competitive operational cost subsidy/ incentivization policy to drive new business attraction in Tier II cities.	✓	
129	Establish Incubation centres and AI CoEs in partnership with India AI Mission.	✓	
130	Launch government sponsored 6-months training programs on emerging tech.	✓	
131	Policy for freelance IT professionals providing subsidized co-working spaces.	✓	
132	Launch R&D Incentive programme offering tax holidays and grants to firms investing in AI, space tech, drone tech, robotics, IoT, etc	✓	
133	Strong industry-academia partnerships with industry giants providing opportunities for research commercialization, practical trainings and internships	✓	✓
Policy Support			
134	Setup niche IT-ITeS academies in PPP mode	✓	
Marketing & Promotion			
135	Partner with industry stakeholders and analysts to co-develop reports and value proposition brochures for IT-ITeS promotion.	✓	
136	Partner with industry associations to design and conduct an annual global scale event.	✓	
137	Identify other events and prepare annual schedule / calendar.	✓	
Data Centers			
Infrastructure & Investments			
138	Build data centre hubs, e.g. Indore-Ujjain economic cluster (Ujjain, Dhar, Dewas) and Bhopal economic cluster (Vidisha, Raisen, Sehore). » 3 data centre hubs by 2029 » Total 6 data centre hubs by 2047	✓	



Action point No.	Action points/areas	Short term (2029)	Long term (2047)
138.1	Set up 2 solar parks for sustainable and cost-effective energy.	✓	
138.2	Expand Narmada-Kshipra Link project to cover data centre facilities explicitly and upgrade reservoirs like Halali and Barna to ensure consistent water supply	✓	
Media Services			
Infrastructure & Investments			
139	Set up AVGC-XR immersive training labs in government universities (with focus on fine arts).	✓	✓
140	Develop at least one world-class media park. (e.g. in/near Dewas/Indore/Ujjain)	✓	
141	Setup Media and Entertainment Skill Council and MPBSE (Madhya Pradesh Board of Secondary Education) to cocreate media and entertainment curricula.	✓	
142	Build AVGC-XR CoE, incubation centres, animation labs and post-production labs in major locations with budding AVGC-XR startups.	✓	
143	Offer rebates/incentives for production costs on internationally targeted projects.	✓	✓
144	Grant marketing budget support to Indian film producers to reach target international markets.	✓	
Marketing & Promotion			
145	Host an annual marquee AVGC-XR Conclave to attract global investments.	✓	

अनुलग्नक 'ब': मध्यप्रदेश में इनक्यूबेशन सेंटर्स की सूची

[स्रोत: एमएसएमई विभाग, मध्यप्रदेश शासन]

Sr. No.	Name	City
1	एआईसी - आर्टेक सोलोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	रायसेन
2	अनुपम इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर	भोपाल
3	एआईसी - अटल इनक्यूबेशन सेंटर, आरएनटीयू	भोपाल
4	बी-नेस्ट फाउंडेशन, स्मार्ट सिटी भोपाल	भोपाल
5	जेएलयू फाउंडेशन फॉर इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप	भोपाल
6	कलचुरी - एलएनसीटी ग्रुप इनक्यूबेशन सेंटर	भोपाल
7	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई)	भोपाल
8	वीएसपीएल इनिशिएटिव्स प्रा. लि.	भोपाल
9	मैनिट रोल्टा इनक्यूबेशन, भोपाल	भोपाल
10	आईआईसीई, आईआईएसईआर, भोपाल	भोपाल
11	निशंक वर्कस्पेस इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर	भोपाल
12	बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल	भोपाल
13	अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल	भोपाल
14	इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेन्स इन हाइयर एडुकेशन(आईईएचई), भोपाल	भोपाल
15	स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर प्रा. लि.	भोपाल
16	ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भोपाल	भोपाल
17	राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी)	भोपाल
18	आईईएस फाउंडेशन फॉर इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप	भोपाल
19	संत हिरदाराम गर्ल्स कॉलेज	भोपाल
20	स्मार्ट इंडिया एमपीयू इनक्यूबेशन सेंटर	भोपाल
21	पीपल्स यूनिवर्सिटी इनक्यूबेशन सेंटर	भोपाल



Sr. No.	Name	City
22	आईआईएफएम इनक्यूबेशन सेंटर	भोपाल
23	मल्टीफ्रूट पाइयोनियर्स प्रा. लि.	भोपाल
24	आरकेडीएफ	भोपाल
25	आईटीआई इनक्यूबेशन सेंटर; स्टार्टअप आर्मी	भोपाल
26	राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान (एनआईएफटी)	भोपाल
27	राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान	भोपाल
28	एसएसआर ग्लोबल स्किल पार्क (प्रक्रियाधीन)	भोपाल
29	भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज (बीएसएसएस)	भोपाल
30	सीईडीएमएपी (खाद्य प्रसंस्करण इनक्यूबेशन सेंटर)	भोपाल
31	एसवीपीसी-इनक्यूबेशन फाउंडेशन (सेक्शन-8 कंपनी)	भोपाल
32	जीडब्ल्यूपी भोपाल इनक्यूबेशन फाउंडेशन (सेक्शन-8 कंपनी)	भोपाल
33	सीएसआईआर-एएमपीआरआई (पूर्व में आरआरएल)	भोपाल
34	सेज यूनिवर्सिटी इनक्यूबेटर (आगामी)	भोपाल
35	मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय	भोपाल
36	राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय	भोपाल
37	शासकीय गीतांजलि कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय	भोपाल
38	शासकीय एम. एल. बी. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय	भोपाल
39	सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय	भोपाल
40	एआईसी - प्रेस्टीज इंस्पायर फाउंडेशन	इंदौर
41	अटल सेंटर फॉर इनोवेशन, इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (एसीआईआईई), देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	इंदौर
42	सेंटर फॉर इनोवेशन, डिज़ाइन एंड इनक्यूबेशन, एसजीएसआईटीएस	इंदौर
43	सृजन एकेवीएन इनक्यूबेशन सेंटर	इंदौर

Sr. No.	Name	City
44	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) - एसीई फाउंडेशन	इंदौर
45	सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज	इंदौर
46	वर्की	इंदौर
47	इंदौर स्मार्ट सीड, स्मार्ट सिटी इंदौर	इंदौर
48	क्लिक - इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर, आईआईएम इंदौर	इंदौर
49	एक्रोपोलिस (एआईआईएच फाउंडेशन) सेक्शन-8	इंदौर
50	एआईसी पीआई हब, इनक्यूबेशन सेंटर-आरआरसीएटी	इंदौर
51	मेडिकैप्स इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन फाउंडेशन	इंदौर
52	इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल, ओरिएंटल यूनिवर्सिटी, इंदौर	इंदौर
53	शासकीय होल्कर विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर	इंदौर
54	आईआईटीआई दृष्टि सीपीएस फाउंडेशन (डीएसटी समर्थित)	इंदौर
55	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई)	इंदौर
56	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय	इंदौर
57	डॉ. बी. आर. सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय , महु	इंदौर
58	माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय	इंदौर
59	विक्रम विश्वविद्यालय	उज्जैन
60	स्मार्ट सिटी इनक्यूबेटर	उज्जैन
61	अवंतिका विश्वविद्यालय	उज्जैन
62	महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय	उज्जैन
63	शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय	उज्जैन
64	लेदर इनक्यूबेशन सेंटर	देवास
65	जवाहर आरकेवीवाई रफ्तार एग्रीबिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीबिज़नेस मैनेजमेंट, जेएनकेवीवी	जबलपुर



Sr. No.	Name	City
66	जबलपुर इनक्यूबेशन सेंटर, स्मार्ट सिटी जबलपुर	जबलपुर
67	नेटएज इनक्यूबेशन सेंटर, ज्ञान गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस	जबलपुर
68	ज्ञान गंगा इनक्यूबेशन सेंटर	जबलपुर
69	डिज़ाइन इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	जबलपुर
70	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिज़ाइन और विनिर्माण संस्थान	जबलपुर
71	मध्यप्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	जबलपुर
72	शासकीय एमकेबी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय	जबलपुर
73	शासकीय विज्ञान महाविद्यालय	जबलपुर
74	शासकीय एम एच गृह विज्ञान एवं विज्ञान महाविद्यालय	जबलपुर
75	शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय	जबलपुर
76	जी. इनक्यूब, स्मार्ट सिटी ग्वालियर	ग्वालियर
77	आइडियापैड, आईटीएम यूनिवर्सिटी	ग्वालियर
78	प्रौद्योगिकी नवाचार इनक्यूबेशन सेंटर, एबीवीआईआईटीएम, ग्वालियर	ग्वालियर
79	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई)	ग्वालियर
80	अपेरल इनक्यूबेशन सेंटर	ग्वालियर
81	डिज़ायर इनक्यूबेशन सेंटर, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	ग्वालियर
82	सेंटर फॉर एग्रीबिज़नेस इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप	ग्वालियर
83	प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान	ग्वालियर
84	एमिटी विश्वविद्यालय	ग्वालियर
85	शासकीय के. आर. जी. महाविद्यालय	ग्वालियर
86	शासकीय एम. एल. बी. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय	ग्वालियर
87	स्मार्ट सिटी सागर	सागर

Sr. No.	Name	City
88	ओजस्विनी इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स (ओआईआईईएस), सागर	सागर
89	शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय	सागर
90	स्मार्ट सिटी सतना	सतना
91	ए.के.एस. विश्वविद्यालय	सतना
92	महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय	सतना
93	शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय	सतना
94	पं. एसएन शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल	शहडोल
95	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	रीवा
96	शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय	रीवा
97	शासकीय संजय गाँधी स्मृति महाविद्यालय	सीधी
98	महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर	छतरपुर
99	आहुति इनक्यूबेशन सेंटर	दतिया
100	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	दतिया
101	राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय	छिन्दवाड़ा
102	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	छिन्दवाड़ा
103	माधव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	ग्वालियर



अनुलग्नक 'स': मध्यप्रदेश के पंजीकृत भौगोलिक संकेत

स्रोत: कंट्रोलर जनरल ऑफ पैटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क एंड जिओग्राफिकल इंडिकेशन कार्यालय, भारत सरकार; www.ipindia.gov.in

क्रम सं.	आवेदन सं.	भौगोलिक संकेत	श्रेणी	राज्य
1	7	चंदेरी साड़ी	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (चंदेरी, अशोकनगर)
2	97	इंदौर के चमड़े के खिलौने	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (इंदौर)
3	98	बाघ प्रिंट्स	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (धार)
4	102	दतिया और टीकमगढ़ का बेल मेटल उत्पाद	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (दतिया और टीकमगढ़)
5	197	महेश्वर साड़ी और वस्त्र	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (महेश्वर, खरगोन)
6	378	झाबुआ कड़कनाथ चिकन	खाद्य उत्पाद	मध्यप्रदेश (झाबुआ)
7	385	नागपुर संतरा	कृषि	मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र
8	388	दतिया और टीकमगढ़ का बेल मेटल उत्पाद (Logo)	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (दतिया और टीकमगढ़)
9	399	इंदौर के चमड़े के खिलौने (Logo)	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (इंदौर)
10	401	महोबा देसवारी पान	कृषि	मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश
11	434	रतलामी सेव	खाद्य उत्पाद	मध्यप्रदेश (रतलाम)
12	505	बाघ प्रिंट्स (Logo)	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (धार)
13	663	बालाघाट चिन्नौर चावल	कृषि	मध्यप्रदेश (बालाघाट)
14	681	मुरैना गजक	खाद्य उत्पाद	मध्यप्रदेश (मुरैना)
15	697	डिंडोरी की रौट आइरन क्राफ्ट	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (डिंडोरी)
16	699	शरबती गेहूं	कृषि	मध्यप्रदेश (सीहोर)
17	700	उज्जैन बाटिक प्रिंट	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (उज्जैन)
18	701	गोंड पेंटिंग	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (डिंडोरी)
19	707	सुंदरजा आम	कृषि	मध्यप्रदेश (रीवा)

क्रम सं.	आवेदन सं.	भौगोलिक संकेत	श्रेणी	राज्य
20	708	ग्वालियर हस्तनिर्मित कालीन	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (ग्वालियर)
21	709	वारासिवनी हथकरघा साड़ी और वस्त्र	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (बालाघाट)
22	710	जबलपुर स्टोन क्राफ्ट	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (जबलपुर)
23	813	रतलाम रियावन लहसुन	कृषि	मध्यप्रदेश (रतलाम)
24	819	बुंदेलखंड कठिया गेहूं	कृषि	मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश
25.	1427	छतरपुर फर्नीचर	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश (छतरपुर)
26.	1361	खजुराहो स्टोन क्राफ्ट	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश(छतरपुर)
27.	1362	बैतूल भरेवा मेटल क्राफ्ट	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश(बैतूल)
28.	1365	ग्वालियर पेपर मैशे क्राफ्ट	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश(ग्वालियर)
29.	1367	ग्वालियर स्टोन क्राफ्ट	हस्तशिल्प	मध्यप्रदेश(ग्वालियर)
30.	1097	पन्ना हीरा	उत्पादित	मध्यप्रदेश(पन्ना)

संदर्भ

- अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, नई दिल्ली।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।
- जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
- वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
- मध्यप्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, मध्यप्रदेश शासन।
- मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग, मध्यप्रदेश शासन।
- मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, मध्यप्रदेश शासन।
- कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क एंड जिओग्राफिकल इंडिकेशन कार्यालय, भारत सरकार।
- प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार।



सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था

मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक विरासत लंबे समय तक राज्य की पहचान, सामाजिक स्मृति और ऐतिहासिक चेतना के रूप में देखी जाती रही है। मंदिर, तीर्थ, ऐतिहासिक नगर, लोक-परंपराएँ, जनजातीय जीवन-पद्धतियाँ, मेले और उत्सव—इन सभी को मुख्यतः संरक्षण, पुनर्स्थापन अथवा आयोजन के परिप्रेक्ष्य में समझा गया। तथापि, हाल के वर्षों में यह दृष्टिकोण क्रमशः विस्तृत हुआ है और अब संस्कृति को केवल विरासत के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जाने लगा है जो रोजगार, स्थानीय आय, उद्यमिता और क्षेत्रीय विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।

यह परिवर्तन आकस्मिक नहीं है। वैश्विक स्तर पर यह स्पष्ट होता जा रहा है कि संस्कृति और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि संरचनात्मक है। UNESCO, OECD और G-20 जैसे मंचों पर संस्कृति को समावेशी विकास, सतत् शहरों, सम्मानजनक रोजगार और सामाजिक लचीलापन (community resilience) से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी वैश्विक वैचारिक प्रवाह के अनुरूप, मध्यप्रदेश ने भी संस्कृति को उत्पादक आर्थिक क्षेत्र (productive economic domain) के रूप में स्वीकार करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं।

मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का यह अध्याय इसी विकसित दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। यहाँ संस्कृति को केवल परियोजनाओं या संरचनाओं की सूची के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि इसे एक ऐसे जीवंत आर्थिक तंत्र के रूप में समझने का प्रयास किया गया है जो पर्यटन, सेवाक्षेत्र, स्थानीय बाजारों, श्रम, निवेश और सामाजिक समावेशन के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है।

16.1 सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था: अवधारणा, परिभाषा एवं मध्यप्रदेश का दृष्टिकोण

सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था से आशय उन समस्त आर्थिक गतिविधियों से है, जिनका आधार सांस्कृतिक संसाधन होते हैं और जिनके माध्यम से आय, रोजगार तथा सामाजिक मूल्य का सृजन होता है। इसमें धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन, विरासत स्थलों से जुड़ी सेवाएँ, लोक-कला एवं हस्तशिल्प, सांस्कृतिक आयोजन, रचनात्मक उद्योग, अनुभव-आधारित पर्यटन, तथा डिजिटल माध्यमों से जुड़ी सांस्कृतिक सेवाएँ सम्मिलित हैं। यह अर्थव्यवस्था औपचारिक एवं अनौपचारिक—दोनों क्षेत्रों में सक्रिय होती है और विशेष रूप से स्थानीय समुदायों के जीवन-यापन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी रहती है।

मध्यप्रदेश के संदर्भ में सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था की अवधारणा और भी व्यापक हो जाती है, क्योंकि राज्य की सांस्कृतिक विविधता केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से विस्तृत है। प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या का अनुपात लगभग 21 प्रतिशत है, और शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध तथा लोक-परंपराएँ सह-अस्तित्व में विकसित हुई हैं। धार्मिक नगर, ऐतिहासिक स्थल, सांस्कृतिक मार्ग और प्राकृतिक परिदृश्य परस्पर जुड़े हुए हैं। यह बहुआयामी सांस्कृतिक संरचना राज्य को स्थान-आधारित विकास (place-based development) के लिए विशिष्ट अवसर प्रदान करती है।

16.1.1 संस्कृति, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था का अंतर्संबंध

पारंपरिक रूप से पर्यटन को एक स्वतंत्र गतिविधि के रूप में देखा जाता रहा है, जबकि वर्तमान दृष्टिकोण में यह स्पष्ट होता जा रहा है कि पर्यटन स्वयं में एक मांग-उत्पन्न करने वाला आर्थिक तंत्र है, जिसका प्रभाव होटल,

परिवहन, खाद्य सेवाओं, स्थानीय खुदरा व्यापार, हस्तशिल्प और सूक्ष्म उद्यमों तक विस्तृत होता है। विशेष रूप से सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटन के संदर्भ में यह प्रभाव और अधिक गहरा होता है, क्योंकि आगंतुकों की गतिविधियाँ स्थानीय समाज और अर्थव्यवस्था के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया करती हैं।

मध्यप्रदेश में तीर्थ एवं सांस्कृतिक स्थलों के आसपास विकसित हो रहे नगर और ग्राम इस अंतर्संबंध के सशक्त उदाहरण हैं। यहाँ संस्कृति केवल आगंतुकों को आकर्षित नहीं करती, बल्कि स्थायी सेवा-आधारित रोजगार, पारिवारिक उद्यम, महिला सहभागिता और स्थानीय बाजारों को भी गति देती है। इस प्रकार, संस्कृति-पर्यटन-रोजगार के बीच एक ऐसा चक्रीय संबंध बनता है, जिसमें प्रत्येक घटक दूसरे को सुदृढ़ करता है।

16.1.2 परियोजना-केंद्रित दृष्टिकोण से आर्थिक तंत्र की ओर

पिछले वर्षों में सांस्कृतिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों का एक बड़ा हिस्सा भौतिक अवसंरचना, स्मारक विकास, आयोजन एवं उत्सवों के इर्द-गिर्द केंद्रित रहा। इन पहलों ने सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किंतु वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण में इन पहलों को एक व्यापक आर्थिक संदर्भ में देखा गया है। अब प्रश्न केवल यह नहीं है कि कौन-सी परियोजना विकसित की गई, बल्कि यह है कि उस परियोजना से कितने लोगों को रोजगार मिला, स्थानीय आय में क्या परिवर्तन आया और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कितनी सशक्त हुई।

यह दृष्टिकोण संस्कृति को एकल परियोजनाओं के संग्रह के बजाय एक निरंतर आर्थिक प्रक्रिया के रूप में समझने की ओर संकेत करता है। जब सांस्कृतिक निवेश स्थानीय सेवाओं, मानव संसाधन, कौशल विकास और बाजार से जुड़ा है, तब वह दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव उत्पन्न करता है। इसी परिवर्तनशील समझ के साथ ES2025 सांस्कृतिक क्षेत्र का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

16.1.3 सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था, रोजगार और सामाजिक समावेशन

सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह अपेक्षाकृत कम पूंजी निवेश के साथ अधिक मानव श्रम को समाहित कर सकती है। लोक-कलाएँ, हस्तशिल्प, सांस्कृतिक सेवाएँ और पर्यटन आधारित गतिविधियाँ विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं और स्थानीय कारीगरों के लिए आजीविका के अवसर सृजित करती हैं। यह अर्थव्यवस्था औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के रोजगार को समर्थन देती है, जिससे सामाजिक समावेशन को भी बल मिलता है।

मध्यप्रदेश जैसे राज्य में, जहाँ ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था ग्रामीण-शहरी संपर्क को भी सुदृढ़ करती है। सांस्कृतिक परिपथों और अनुभव-आधारित पर्यटन से ग्रामीण क्षेत्रों में मांग उत्पन्न होती है, जिससे क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में सहायता मिलती है।

16.1.4 सतत् विकास लक्ष्यों और “समृद्ध मध्यप्रदेश @2047” के साथ संरेखण

सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय भी है। यह सम्मानजनक रोजगार (SDG-8), सतत् शहर एवं समुदाय (SDG-11) तथा जिम्मेदार उपभोग एवं उत्पादन (SDG-12) जैसे लक्ष्यों के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई है। इस अध्याय में यह संरेखण अप्रत्यक्ष नहीं, बल्कि अंतर्निहित रूप में परिलक्षित होता है।

“समृद्ध मध्यप्रदेश @2047” के दीर्घकालिक दृष्टिकोण में सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उभरती है, जो भौतिक अवसंरचना के साथ-साथ सामाजिक पूंजी, पहचान और जीवन-गुणवत्ता को भी सुदृढ़ करती है। यह राज्य की आर्थिक प्रगति को केवल संख्यात्मक नहीं, बल्कि गुणात्मक रूप से भी समृद्ध बनाती है।



16.1.5 डेटा, संकेतक और विश्लेषण

यह अध्याय यह स्वीकार करता है कि सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था के मापन हेतु अभी समर्पित सांख्यिकीय ढाँचे का विकास आवश्यक है। तथापि, आर्थिक सर्वेक्षण का यह अध्याय इस दिशा में एक वैचारिक एवं नीतिगत आधार प्रस्तुत करता है, जिस पर भविष्य में आगंतुक संख्या, रोजगार सृजन, स्थानीय आय प्रभाव और निवेश जैसे संकेतकों का व्यवस्थित आंकलन किया जा सकेगा।

इसी वैचारिक पृष्ठभूमि के आधार पर, आगामी खंड 16.2 में मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों के राज्य GDP, रोजगार एवं स्थानीय आय पर प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

16.2 धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग : धार्मिक पर्यटन आधारित सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का सुदृढीकरण¹

मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की भूमिका केंद्रीय है, क्योंकि राज्य की धार्मिक परंपराएँ, तीर्थ स्थल, मंदिर, धर्मशालाएँ तथा मेलों-उत्सवों का व्यापक नेटवर्क न केवल आस्था से, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और सेवा क्षेत्र से भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2025-26 के दौरान विभाग द्वारा किए गए संस्थागत, वित्तीय एवं कार्यक्रममात्मक हस्तक्षेप यह संकेत देते हैं कि धार्मिक गतिविधियों को अब केवल संरक्षण या आयोजन के परिप्रेक्ष्य में नहीं, बल्कि एक संगठित आर्थिक तंत्र के रूप में देखा जा रहा है।

शासन संधारित देवस्थानों के बेहतर प्रशासन एवं प्रभावी प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत कदम के रूप में, मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 01 जुलाई 2024 के माध्यम से विभागाध्यक्ष कार्यालय, संचालनालय धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व तथा संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का स्थानांतरण सतपुड़ा भवन, भोपाल से उज्जैन किया गया है। यह स्थानांतरण मात्र प्रशासनिक नहीं है, बल्कि इसका गहरा नीतिगत महत्व है। उज्जैन, जो स्वयं एक प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र है, वहाँ विभागीय मुख्यालय की स्थापना से नीति-निर्माण और क्षेत्रीय वास्तविकताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। इससे निर्णय-प्रक्रिया अधिक क्षेत्र-संवेदनशील, त्वरित एवं प्रभावी होने की संभावना बनी है।

धार्मिक पर्यटन आधारित सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का सबसे सशक्त उदाहरण मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है, जिसे वर्ष 2012 में 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रारंभ किया गया था, जो आयकर दाता नहीं हैं। यह योजना सामाजिक समावेशन का एक विशिष्ट मॉडल प्रस्तुत करती है, जहाँ राज्य द्वारा धार्मिक यात्रा को सामाजिक सुरक्षा एवं सम्मानजनक जीवन के अधिकार से जोड़ा गया है। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है, जिसने धार्मिक पर्यटन को इस स्तर पर संस्थागत स्वरूप प्रदान किया।

वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत कुल 831 विशेष ट्रेनों का संचालन किया गया, जिसके माध्यम से 8,16,624 वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित किया गया। इस अवधि में योजना पर कुल ₹869.5 करोड़ का व्यय किया गया है। यह आंकड़ा इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि योजना केवल सामाजिक कल्याण तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने रेलवे सेवाओं, आतिथ्य, स्थानीय परिवहन, भोजन,

1 धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग - मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण हेतु वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों, शासन नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं उपलब्धियों का वर्ष 2025-26 का प्रगति प्रतिवेदन, दिनांक 19.12.2026

स्वयंसेवी सेवाओं और अन्य सहायक गतिविधियों के माध्यम से महत्वपूर्ण आर्थिक मांग (economic demand) भी उत्पन्न की है। देश के 41 चयनित तीर्थ स्थलों के लिए प्रदेश के समस्त जिलों से यात्रियों की भागीदारी ने इस योजना को एक अखिल-राज्यीय आर्थिक नेटवर्क का स्वरूप प्रदान किया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी इस योजना की निरंतरता और विस्तार स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। वर्ष 2025-26 के लिए कुल 24 तीर्थ दर्शन विशेष ट्रेनों का संचालन प्रस्तावित है, जिसके लिए ₹40.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इनमें से 11 ट्रेनों के माध्यम से लगभग 8,800 से अधिक तीर्थ यात्रियों को पहले ही लाभान्वित किया जा चुका है। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि योजना अब एक स्थिर, अनुमानित और बजट-सपोटेड कार्यक्रम के रूप में स्थापित हो चुकी है, जो सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था में पूर्वानुमेयता (predictability) और निरंतरता दोनों प्रदान करती है।

धार्मिक स्थलों की भौतिक अवसंरचना का सुदृढीकरण भी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु ₹25.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें से दिनांक 12 दिसंबर 2025 तक 111 मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु ₹19.91 करोड़ की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इन कार्यों से न केवल धार्मिक स्थलों का संरक्षण सुनिश्चित होता है, बल्कि निर्माण, शिल्प, पारंपरिक कारीगरी और स्थानीय श्रम के माध्यम से रोजगार सृजन भी होता है। यह निवेश स्थानीय स्तर पर आय सृजन के साथ-साथ दीर्घकालिक पर्यटन आकर्षण को भी सुदृढ करता है।

इसी प्रकार, शासन संधारित मंदिर परिसरों में धर्मशाला निर्माण हेतु वर्ष 2025-26 में ₹1.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत एक धर्मशाला के निर्माण हेतु ₹52.80 लाख की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। धर्मशालाएँ धार्मिक पर्यटन के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक अवसंरचना हैं, क्योंकि वे किफायती आवास प्रदान कर तीर्थ यात्रियों की औसत ठहराव अवधि (average length of stay) को बढ़ाती हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में व्यय का स्तर भी बढ़ता है।

धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण में गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने हेतु एक अन्य महत्वपूर्ण पहल के रूप में, प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार प्रस्तावों के परीक्षण हेतु स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA) के साथ 07 अप्रैल 2025 को समझौता ज्ञापन किया गया है। यह पहल दर्शाती है कि संरक्षण कार्य अब केवल निर्माण गतिविधि नहीं, बल्कि विशेषज्ञ-आधारित, वैज्ञानिक एवं विरासत-संवेदी प्रक्रिया के रूप में अपनाया जा रहा है। इससे दीर्घकाल में राज्य की सांस्कृतिक परिसंपत्तियों का मूल्य और उनकी पर्यटन-आकर्षण क्षमता दोनों बढ़ेंगी।

मध्यप्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण की भूमिका भी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था के विस्तार में उल्लेखनीय है। प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के 110 प्रमुख तीर्थ स्थलों एवं 1,613 प्रमुख मेलों का पंजीकरण किया गया है, जिनमें से 1,548 मेलों का सत्यापन पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2025-26 में प्राधिकरण द्वारा ₹258.75 लाख का अनुदान जारी किया गया है। मेलों और उत्सवों का यह संगठित प्रबंधन स्थानीय व्यापार, अस्थायी रोजगार, परिवहन, खाद्य सेवाओं और सांस्कृतिक उत्पादों के लिए एक व्यापक आर्थिक मंच प्रदान करता है।

यदि विगत वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण से तुलना की जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि पहले धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की गतिविधियों का प्रस्तुतीकरण मुख्यतः योजनाओं और व्यय विवरण तक सीमित था किन्तु वही गतिविधियाँ अब आर्थिक प्रभाव, संस्थागत क्षमता, सामाजिक समावेशन और दीर्घकालिक विकास के संदर्भ में देखी जा रही हैं। यह परिवर्तन स्वयं में इस बात का संकेत है कि राज्य में धार्मिक गतिविधियाँ अब सांस्कृतिक परियोजनाओं से आगे बढ़कर एक सुसंगठित सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का रूप ले रही हैं।

समग्रतः, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 में किए गए प्रयास यह दर्शाते हैं कि मध्यप्रदेश

में धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियाँ अब केवल आस्था तक सीमित नहीं, बल्कि रोजगार, सेवा क्षेत्र, स्थानीय बाजार और क्षेत्रीय विकास की महत्वपूर्ण चालक शक्ति बनती जा रही हैं। यह दृष्टिकोण “समृद्ध मध्यप्रदेश @2047” के लक्ष्य के अनुरूप है, जहाँ सांस्कृतिक विरासत को आर्थिक समृद्धि के साथ संतुलित रूप से जोड़ा गया है।

16.3 राज्य आनंद संस्थान (आनंद विभाग) की गतिविधियां

वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य आनंद संस्थान (आनंद विभाग) द्वारा नागरिकों के सर्वांगीण विकास को केंद्र में रखते हुए मानसिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक उन्नति और सामूहिक प्रसन्नता को राज्य विकास की आधारशिला के रूप में स्थापित करने हेतु व्यापक स्तर पर गतिविधियों का संचालन किया गया। राज्य का यह मानना है कि केवल भौतिक प्रगति के संकेतकों से पूर्ण विकास का आंकलन संभव नहीं है, अपितु नागरिकों के जीवन में आनंद, संतोष और सकारात्मक सामाजिक व्यवहार का संवर्धन भी समान रूप से आवश्यक है। इसी दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा आनंद संस्थान का गठन किया गया, जो वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन के आनंद विभाग के अंतर्गत संचालित होकर राज्य में आनंद-आधारित शासन और सामाजिक सहभागिता का एक अनूठा मॉडल प्रस्तुत कर रहा है।

वर्ष 2024-25 में आनंद संस्थान द्वारा संचालित प्रमुख कार्यक्रमों में ‘अल्पविराम’ कार्यक्रम विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को आत्मचिंतन के माध्यम से अपनी आंतरिक कमियों को पहचानने, सुधारने तथा पारिवारिक, सामाजिक और शासकीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु प्रेरित करना रहा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यमों से कुल 682 अल्पविराम कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 33,375 प्रतिभागियों की सक्रिय सहभागिता रही। इसके साथ ही राज्य में आनंद गतिविधियों को जमीनी स्तर तक पहुँचाने के लिए 5,839 आनंद सहयोगियों तथा 226 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया, जिससे कार्यक्रम की सतत्ता और गुणवत्ता सुनिश्चित हुई।

लोक संस्कृति, संगीत, नृत्य, नाटक एवं खेलकूद को सामूहिक आनंद और सामाजिक एकता का महत्वपूर्ण माध्यम मानते हुए आनंद संस्थान द्वारा ‘आनंद उत्सव’ की परिकल्पना को साकार किया गया। वर्ष 2024-25 में आनंद उत्सव 2025 का आयोजन 14 जनवरी से प्रदेश की समस्त पंचायतों को क्लस्टर में संगठित करते हुए 7,289 से अधिक स्थानों पर किया गया, जिसमें लगभग 15 लाख से अधिक नागरिकों की सहभागिता दर्ज की गई। यह आयोजन सामुदायिक सहभागिता, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और सामाजिक समरसता का एक सशक्त उदाहरण रहा।

डिजिटल माध्यमों के प्रभावी उपयोग की दिशा में संस्थान द्वारा कोरोना काल में प्रारंभ किए गए ऑनलाइन कार्यक्रमों को वर्ष 2024-25 में भी निरंतर जारी रखा गया। इसके माध्यम से भौगोलिक सीमाओं से परे नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की गई। आनंद संस्थान की गतिविधियाँ मुख्यतः स्वैच्छिक सहभागिता पर आधारित हैं, जिसके अंतर्गत अब तक 1 लाख 16 हजार से अधिक आनंदक स्वयंसेवक के रूप में संस्थान से जुड़ चुके हैं, जो इसे विश्व के सबसे बड़े नागरिक आनंद नेटवर्कों में से एक बनाता है।

सामूहिक सामाजिक सरोकारों को बढ़ावा देने हेतु राज्य में 580 आनंद क्लब सक्रिय रूप से कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से रक्तदान, गरीब मरीजों को भोजन, जरूरतमंद छात्रों को पाठ्यपुस्तक वितरण, बुजुर्गों की सेवा तथा कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन जैसी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। ये क्लब आनंद को सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ने का व्यवहारिक मॉडल प्रस्तुत करते हैं।

शासकीय एवं अशासकीय सेवकों में सकारात्मक दृष्टिकोण और परिपूर्ण जीवन की समझ विकसित करने के उद्देश्य से आनंद संस्थान द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग, इनिशिएटिव ऑफ चेंज, ईशा फाउंडेशन तथा हार्टफुलनेस जैसे

प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से आनंद शिविरों का आयोजन किया गया। अब तक आयोजित 5 शिविरों में कुल 209 सेवकों को प्रशिक्षित किया गया, जिससे प्रशासनिक कार्य संस्कृति में संवेदनशीलता और मानसिक संतुलन को बढ़ावा मिला।

वस्तुओं के पुनः उपयोग और सामुदायिक सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के 55 जिलों में 172 स्थानों पर आनंदम केंद्रों की स्थापना की गई है, जहाँ नागरिक अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुएँ छोड़ सकते हैं और जरूरतमंद व्यक्ति उनका उपयोग कर सकते हैं। यह पहल बिना किसी शासकीय वित्तीय सहायता के स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित की जा रही है और सामाजिक विश्वास एवं सहयोग की भावना को सुदृढ़ करती है।

शिक्षा क्षेत्र में मूल्य-आधारित हस्तक्षेप के रूप में आनंद सभा कार्यक्रम विकसित किया गया, जिसका उद्देश्य स्कूली छात्रों में क्षमा, कृतज्ञता, स्वीकार्यता और संकल्प जैसे जीवन मूल्यों को स्थापित करना है। वर्ष 2024-25 में इस कार्यक्रम के संचालन हेतु 457 शिक्षकों को छः दिवसीय आवासीय कार्यशालाओं के छः बैचों में प्रशिक्षित किया गया, जिनके माध्यम से 70 हजार से अधिक छात्रों तक मानवीय मूल्यों का संदेश पहुँचाया गया। वर्ष 2025-26 में इस कार्यक्रम के विस्तार की प्रक्रिया प्रगतिरत है।

आनंद एवं खुशहाली विषय पर अकादमिक शोध को प्रोत्साहित करने हेतु आनंद अनुसंधान, प्रोजेक्ट एवं डॉक्टोरल फैलोशिप की शुरुआत की गई है, जिससे नीति निर्माण और सामाजिक हस्तक्षेपों को साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त, प्रो. राज रघुनाथन द्वारा विकसित “A Life of Happiness and Fulfilment” ऑनलाइन कोर्स को हिंदी में उपलब्ध कराने हेतु आईएसबी हैदराबाद के साथ एमओयू किया गया। मई 2020 से संचालित इस छः-सप्ताह के कोर्स में अब तक 10 हजार से अधिक प्रतिभागी पंजीकृत हो चुके हैं, जो राज्य में डिजिटल माध्यम से मानसिक कल्याण के प्रसार को दर्शाता है।

ग्रामीण स्तर पर आनंद की अवधारणा को समग्र रूप से लागू करने हेतु आनंद ग्राम एवं आनंद बस्ती पहल के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक ग्राम का चयन कर उसे ‘Centre for Happiness’ के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में चयनित आनंद ग्रामों के आनंदकों के लिए दो छः-दिवसीय आवासीय कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिनमें 143 प्रतिभागियों ने सहभागिता की है।

इसके अतिरिक्त, राज्य आनंद संस्थान द्वारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को आनंद से जोड़ते हुए पूरे प्रदेश में जागरूकता एवं संवेदनशीलता बढ़ाने हेतु विभिन्न आयोजन किए गए। इनमें अंतर्राष्ट्रीय मातृ भूमि दिवस, परिवार दिवस, पर्यावरण दिवस, मित्रता दिवस, मानवता दिवस, आत्महत्या निषेध दिवस, वृद्धजन दिवस, हर घर दिवाली अभियान, स्वैच्छिक सेवा दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस सम्मिलित हैं। इन सभी आयोजनों का संचालन संबंधित जिला कलेक्टरों एवं नोडल अधिकारियों के सहयोग से स्वैच्छिक आनंदकों द्वारा किया गया।

वर्ष 2024-25 के दौरान विभाग द्वारा निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं पाई गई तथा उपलब्धियाँ लक्ष्यों के अनुरूप रहीं। विभाग से संबंधित किसी नवीन नीति या योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या पृथक से घोषित नहीं की गई है। विगत दो वर्षों की अवधि में भी कोई केन्द्रीय अथवा विदेशी सहायता प्राप्त योजना संचालित नहीं की गई।

वर्ष 2025-26 के लिए आनंद संस्थान द्वारा गतिविधियों के विस्तार की दिशा में स्पष्ट कार्ययोजना निर्धारित की गई है, जिसके अंतर्गत 20,333 नवीन आनंदक, 395 अल्पविराम कार्यक्रमों के माध्यम से 20,190 प्रतिभागी, 34 आनंद सभाओं के माध्यम से 2,975 छात्र, 8,406 आनंद उत्सव, एक आनंद ग्राम, 30 नवीन आनंद क्लब, 4 आनंद शिविरों के माध्यम से 147 प्रतिभागी तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन प्रस्तावित है। यह दर्शाता है कि राज्य आनंद संस्थान सामाजिक पूंजी, मानसिक कल्याण और नागरिक सहभागिता को राज्य के विकास विमर्श का अभिन्न अंग बनाने की दिशा में निरंतर अग्रसर है।



16.4 आध्यात्मिक विरासत आधारित सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था : प्रमुख केंद्र एवं परिपथ

मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का स्वरूप उसकी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत, प्राचीन धार्मिक परंपराओं और ऐतिहासिक चेतना से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। प्रदेश में विकसित हो रहे प्रमुख आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र—विशेष रूप से उज्जैन—तथा राम गमन परिपथ, कृष्ण पाथेय जैसे विषयगत परिपथ न केवल धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, बल्कि पर्यटन, सेवा क्षेत्र, हस्तशिल्प, लोककलाओं और स्थानीय आजीविका के विस्तार के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों के सशक्त प्रेरक भी बन रहे हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से विरासत संरक्षण को आधुनिक अवसंरचना, आयोजन आधारित पर्यटन और ज्ञान परंपराओं के पुनरुत्थान से जोड़ते हुए प्रदेश में एक ऐसी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, जो समावेशी विकास, क्षेत्रीय संतुलन और सांस्कृतिक पहचान को एक साथ सुदृढ़ करती है।

16.4.1 श्री महाकाल लोक एवं उज्जैन की सांस्कृतिक गतिविधियां ²

श्री महाकाल लोक परियोजना उज्जैन में ₹351 करोड़ ³की लागत से विकसित की गई एक परिवर्तनकारी पहल है, जो इसकी स्थापत्य और सांस्कृतिक भव्यता को संरक्षित और संवर्धित करने का उद्देश्य रखती है। शहर की प्राचीन परंपराओं और धार्मिक महत्व में निहित इस परियोजना का लक्ष्य आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाना, सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा उज्जैन की सांस्कृतिक विरासत का दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित करना है।

श्री महाकाल लोक का यह गलियारा 910 मीटर तक फैला हुआ है, जो सुंदर नक्काशी, मूर्तियों और दीवार चित्रों से सुसज्जित है, जो विभिन्न पौराणिक कथाओं को चित्रित करते हैं। परियोजना इन स्थापत्य चमत्कारों को संवर्धित और संरक्षित करने पर केंद्रित है, उनकी दीर्घायु और सतत् सांस्कृतिक प्रासंगिकता सुनिश्चित करती है।

श्री महाकाल लोक शिव पुराण पर आधारित है। इस परियोजना में 76 मूर्तियां हैं, प्रत्येक शिव से जुड़ी समृद्ध पौराणिकता के एक अनोखे पहलू को दर्शाती हैं। इसके अतिरिक्त, गलियारे के साथ रणनीतिक रूप से 52 चित्रों वाली एक चित्र दीवार स्थापित की गई है, जो इसकी दृश्य आकर्षण को बढ़ाती है। महाकाल लोक में गलियारा 108 सावधानीपूर्वक डिजाइन किए गए स्तंभों से सुशोभित है, जो संरचना की भव्यता और प्रतीकवाद को और बढ़ाते हैं।

श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने वाले भक्तों की सुविधा, मनोरंजन और विश्राम सुनिश्चित करने के लिए आकर्षक मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जो उन्हें शिव, शक्ति और उज्जैन की महिमा से परिचित कराती हैं। ये मूर्तियां भक्तों को मोहित कर रही हैं, जो यहां पहुंचकर एक नया अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। वे न केवल प्रसन्न हैं बल्कि अपना ज्ञान भी विस्तारित कर रहे हैं। इस परिसर में प्रवेश करते ही उन्हें ऐसा लगेगा मानो वे शिव के धाम में पहुंच गए हैं, जहां प्राकृतिक सौंदर्य उनकी यात्रा को सुखद और स्मरणीय बनाता है।

वीर भारत न्यास, विक्रमादित्य शोध पीठ और श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित श्री महाकाल महोत्सव 18 जनवरी 2026 (विक्रम संवत् 2082) तक जारी रहा। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मकर संक्रांति की पवित्र संध्या पर अनुष्ठान किए और श्री महाकाल महोत्सव का

2 <https://www.mpinfo.org/Home/TodaysNews?newsid=%C2%B2%C2%B0%C2%B2%C2%B6%C2%B0%C2%B1%C2%B1%C2%B4%C3%8E%C2%B3%C2%B8%C2%B0&fontname=%C3%86%C3%AF%C3%AE%C3%B4%C3%85%C3%AE%C3%A7%C3%AC%C3%A9%C3%B3%C3%A8&Lo cID=32&pubdate=01/14/2026>

3 <https://www.shrimahakaleshwar.mp.gov.in/mahakal-mahalok>

औपचारिक उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि श्री महाकाल महोत्सव ने उज्जैन की सुंदरता को स्वर्ग के समान रूपांतरित कर दिया है। उन्होंने टिप्पणी की कि आज का उज्जैन कालिदास के साहित्यिक कार्यों में वर्णित अवंतिका के समान दिखता है। सम्राट विक्रमादित्य और राजा भोज के युग से अवंतिका न्याय और प्रशासनिक उत्कृष्टता का प्रतीक रही है। श्री महाकाल लोक में मूर्तियों और दीवार चित्रों के माध्यम से सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज और अवंतिका के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के जीवन, प्रेरक कहानियां और महान योगदान को खूबसूरती से चित्रित किया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य में दो ज्योतिर्लिंग हैं, और दोनों तक पहुंच को सड़क, वायु और रेल नेटवर्क के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है ताकि भक्तों को अधिक सुविधा मिले। उज्जैन में शक्ति पीठ मां गढ़ कालिका और शिप्रा नदी के तट पर एक गुरुद्वारा भी है, जहां श्री गुरु नानक देव जी आए थे और अपने छंदों में उज्जैन का उल्लेख किया है। उन्होंने जोर दिया कि उज्जैन की विविधता और सद्भाव वास्तव में अनोखा है। उन्होंने कहा कि उज्जैन में सावन महोत्सव 2003 के बाद शुरू किया गया था, और अब महाशिवरात्रि से गुड़ी पड़वा तक मेलों और उत्सवों का आयोजन निरंतर किया जाता है। इन विविध आयोजनों और मेलों के माध्यम से पर्यटकों को इतिहास और संस्कृति से जोड़ा जा रहा है, और राज्य को व्यापक आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार उज्जैन और ग्वालियर में आयोजित व्यापार मेलों में वाहनों पर कर रियायत दे रही है। इस परंपरा को और मजबूत करते हुए, भोपाल के साथ-साथ उज्जैन में दशहरा मैदान पर पांच दिवसीय वन मेला का आयोजन किया जाएगा, जो नागरिकों को वन उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला खरीदने में सक्षम बनाएगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि उज्जैन जिला जल्द ही प्रमुख विकास परियोजनाएं प्राप्त करेगा, जिसमें इंदौर-उज्जैन छह लेन सड़क, हरिफाटक पुल का छः लेनिंग, और एक खेल परिसर शामिल है, साथ ही कई अन्य चल रही विकास कार्य। इस अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर की नई आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल लॉन्च की: www.shrimahakaleshwar.mp.gov.in। उन्होंने ₹600 करोड़ की श्री महाकालेश्वर भक्त निवास परियोजना के दाताओं के लिए दान पोर्टल का भी उद्घाटन किया: www.shrimahakaleshwar.mp.gov.in/bhaktniwas।

इस प्रकार, श्री महाकाल लोक न केवल उज्जैन की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करता है, बल्कि प्रदेश को धार्मिक पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर एक विशिष्ट स्थान भी प्रदान करता है।

विक्रमोत्सव-2025 : भारतीय ज्ञान परंपरा, विज्ञान और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समन्वित उत्सव⁴

विक्रमोत्सव-2025 का शुभारंभ 26 फरवरी 2025 (महाशिवरात्रि) को उज्जैन में हुआ तथा यह 30 मार्च 2025 (वर्ष प्रतिपदा/नव संवत्सर) तक आयोजित किया गया। यह अवधि खगोलीय चक्र के प्रारंभ का प्रतीक है। विक्रमोत्सव का केंद्रीय विषय सम्राट विक्रमादित्य का युग, भारत की प्रगति, सांस्कृतिक पुनर्जागरण एवं भारतीय ज्ञान परंपराएँ हैं।

विक्रमोत्सव-2025 के अंतर्गत साहित्यिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक एवं आर्थिक गतिविधियों का समन्वित आयोजन किया गया। इसमें साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ खगोल विज्ञान पर विमर्श, बौद्धिक संगोष्ठियाँ, इतिहास एवं विज्ञान सम्मेलन, विक्रम व्यापार मेला तथा लोक एवं जनजातीय संस्कृति पर आधारित गतिविधियाँ सम्मिलित हुई। इस अवसर पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी ऐप का शुभारंभ, हस्तशिल्प, पारंपरिक

4 <https://www.mpinfo.org/Home/TodaysNews?newsid=20250213N270&fontname=FontEnglish&LocID=32&pubdate=02/13/2025>



व्यंजन, वस्त्र, हथकरघा उपकरणों की प्रदर्शनियाँ तथा क्षेत्रीय एवं पौराणिक फिल्मों का महोत्सव भी आयोजित किया गया।

विक्रमोत्सव के दौरान अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, शोध आधारित पुस्तकों एवं ग्रंथों का विमोचन तथा विक्रम पंचांग का प्रकाशन किया गया। यह महोत्सव विरासत और विकास के समन्वय का प्रतीक है, जो सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को एक मंच पर लाता है। सम्राट विक्रमादित्य, भारत की प्राचीन वैज्ञानिक परंपराओं और देवी अहिल्याबाई पर केंद्रित प्रदर्शनियों के आयोजन, भीली एवं गोंडी जैसी आदिवासी भाषाओं के कवियों की सहभागिता तथा जन-शिक्षा गतिविधियों का संचालन हुआ है।

कार्यक्रमों की श्रृंखला में महाशिवरात्रि पर भव्य उद्घाटन, कलश यात्रा, 84 महादेवों पर प्रदर्शनी, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, विक्रम व्यापार मेला, ऐतिहासिक एवं धार्मिक प्रदर्शनियाँ, अंतर्राष्ट्रीय इतिहास सम्मेलन, वैदिक ज्योतिष सम्मेलन, पौराणिक फिल्म महोत्सव, नाट्य महोत्सव, विज्ञान महोत्सव तथा नव संवत्सर पर सूर्य पूजा, उज्जैनी गौरव दिवस एवं सम्राट विक्रमादित्य अलंकरण समारोह सम्मिलित हैं।

इस प्रकार विक्रमोत्सव-2025 भारतीय ज्ञान परंपरा, विज्ञान, संस्कृति और सुशासन की विरासत को समकालीन संदर्भ में प्रस्तुत करने वाला एक व्यापक एवं बहुआयामी आयोजन है, जो उज्जैन को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक केंद्र के रूप में सुदृढ़ करता है।

श्रीकृष्ण पाथेय एवं जन्माष्टमी आधारित सांस्कृतिक गतिविधियाँ : एक समेकित दृष्टि

प्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी चिरस्मृतियों, लीलास्थलों एवं सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित एवं संवर्धित करते हुए उन्हें तीर्थ के रूप में विकसित करने की दिशा में संगठित प्रयास किए जा रहे हैं। राम वनगमन पथ की तर्ज पर श्रीकृष्ण पाथेय का विकास किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उज्जैन का सांदीपनि आश्रम, धार का जानापाव तथा अमड़ोरा जैसे ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों को तीर्थ स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। इन स्थलों को गोकुल के समान पवित्र मानते हुए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को सुदृढ़ किया जा रहा है।

इसके साथ ही श्रीकृष्ण के जीवन, उपदेशों एवं लीलाओं के माध्यम से कर्मवादी जीवन-दर्शन, सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक चेतना तथा ग्रामीण परंपराओं को पुनर्स्थापित करने पर विशेष बल दिया गया है।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व, हलधर महोत्सव एवं लीलाधर प्रकटोत्सव के अवसर पर प्रदेश के 162⁵ प्रमुख स्थलों पर मंदिर-आधारित भक्तिपरक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के 3,000 से अधिक श्रीकृष्ण मंदिरों में आकर्षक साज-सज्जा एवं श्रृंगार किया गया। इन आयोजनों में धार्मिक अनुष्ठान, पूजा-अर्चना, दीप प्रज्ज्वलन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, भक्तिगीत, लोक संगीत, बाल गोपाल स्वरूप आयोजन तथा सामूहिक सहभागिता के कार्यक्रम शामिल रहे। मंदिरों की सज्जा एवं श्रृंगार को प्रोत्साहित करने हेतु 15 पुरस्कारों की व्यवस्था की गई।

इन गतिविधियों एवं आयोजनों के माध्यम से प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक चेतना, लोक सहभागिता तथा सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में योगदान मिला है। श्रीकृष्ण पाथेय जैसे परिपथों के विकास से धार्मिक स्थलों का एकीकृत स्वरूप उभर रहा है, जिससे पर्यटन, स्थानीय सेवाक्षेत्र, हस्तशिल्प, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों एवं आजीविका के अवसरों में वृद्धि की संभावनाएँ निर्मित हो रही हैं।

5 https://www.mpinfo.org/Home/Frm_Minister_Depart_Info?newsid=%C2%B2%C2%B0%C2%B2%C2%B5%C2%B0%C2%B8%C2%B1%C2%B6%C3%8E%C2%B4%C2%B8&fontname=%C3%8D%C3%A1%C3%AE%C3%A7%C3%A1%C3%AC&LocID=%C2%B3%C2%B2&catId=%C2%B1&pubdate=08/16/2025

सांस्कृतिक आयोजनों ने सामाजिक समरसता, नैतिक मूल्यों, भारतीय ज्ञान परंपरा एवं जनजातीय एवं लोक संस्कृतियों के संरक्षण को भी प्रोत्साहित किया है। इस प्रकार, श्रीकृष्ण केंद्रित गतिविधियाँ प्रदेश की आध्यात्मिक विरासत को आधुनिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक संदर्भों से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन रही हैं।

अन्य गतिविधियाँ : आध्यात्मिक-सांस्कृतिक केंद्रों का समेकित विकास⁶

दमोह (बांदकपुर) - देवश्री जागेश्वरनाथ मंदिर

- मंदिर पुनर्निर्माण को सामूहिक संकल्प के रूप में आगे बढ़ाया गया।
- भारत की पवित्र नदियों के जल एवं प्रमुख तीर्थों की मिट्टी से शिवलिंग का अभिषेक किया गया।
- मंदिर परिसर में लगभग ₹100 करोड़ की लागत से कॉरिडोर निर्माण प्रस्तावित, जिससे भव्यता, सांस्कृतिक पर्यटन एवं स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा।
- ₹10 करोड़ की लागत से कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का कार्य प्रारंभ।

बाबा भैरवनाथ लोक

- बाबा भैरवनाथ लोक में ₹17.13 करोड़ की लागत से विकास परियोजनाओं का उद्घाटन।

मंदसौर - श्री पशुपतिनाथ लोक

- प्रथम चरण में लगभग ₹25 करोड़ की लागत से पशुपतिनाथ लोक का विकास पूर्ण।
- शिवना नदी के तट पर स्थित इस आस्था केंद्र को अधिक भव्य, आकर्षक एवं शांत स्वरूप प्रदान किया गया।
- श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही हेतु चार प्रवेश द्वारों का निर्माण।

चित्रकूट - एकीकृत एवं पर्यावरण-संवेदी विकास

- प्राकृतिक सौंदर्य एवं ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के साथ विकास पर बल।
- मंदाकिनी नदी को स्वच्छ एवं बारहमासी बनाए रखने को प्राथमिकता।
- सड़क चौड़ीकरण, परिक्रमा पथ के सौंदर्यीकरण एवं धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों में तेजी।
- चित्रकूट के एकीकृत विकास हेतु ₹5,000 करोड़ की व्यापक योजना, जिसमें ₹2,800 करोड़ की परियोजनाएं अगले वर्ष अप्रैल तक पूर्ण करने का लक्ष्य।
- शहरी वन, घाटों का निर्माण व सौंदर्यीकरण, सड़क सुधार, नदी स्वच्छता, परिक्रमा पथ विकास तथा मझगांव क्षेत्र में औद्योगिक एवं शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव।
- भगवान श्रीराम आश्रम को धार्मिक एवं ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना।

ओरछा - श्री रामराज लोक

- 'श्री रामराज लोक' के द्वितीय चरण एवं अन्य विकास परियोजनाओं के भूमि पूजन एवं उद्घाटन।
- ओरछा में ₹239 करोड़ से अधिक की विभिन्न निर्माण परियोजनाएं प्रगति पर।

6 <https://www.mpinfo.org/>



एकात्म धाम एवं अद्वैत लोक संग्रहालय

- 'एकात्म धाम' को अद्वैत दर्शन एवं सांस्कृतिक एकता के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने का संकल्प।
- प्रथम चरण में 108 फीट ऊँची बहुधातु 'एकात्मता की प्रतिमा' की स्थापना पूर्ण।
- द्वितीय चरण में लगभग ₹2,195 करोड़ की लागत से 'अद्वैत लोक संग्रहालय' का निर्माण प्रस्तावित।
- परियोजना के अंतर्गत संग्रहालय, शोध केंद्र, शैक्षिक सुविधाएँ तथा तीर्थ एवं सांस्कृतिक पर्यटन से संबंधित आधारभूत संरचना का विकास, जिससे आध्यात्मिक अध्ययन, पर्यटन एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

समग्रतः, अध्याय-16 यह स्पष्ट करता है कि मध्यप्रदेश में सांस्कृतिक विरासत अब केवल संरक्षण अथवा आयोजन तक सीमित न रहकर एक सुसंगठित सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हो रही है। आध्यात्मिक केंद्रों, विषयगत परिपथों, सांस्कृतिक उत्सवों तथा संस्थागत पहलों के माध्यम से संस्कृति को पर्यटन, सेवा क्षेत्र, स्थानीय उद्यमिता, रोजगार और सामाजिक समावेशन से जोड़ा गया है। यह दृष्टिकोण राज्य की सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करने के साथ-साथ क्षेत्रीय संतुलन, सामुदायिक सहभागिता और सतत विकास को भी प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार, सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था "समृद्ध मध्यप्रदेश @2047" के लक्ष्य की प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति के रूप में उभर रही है, जो आर्थिक प्रगति को सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों के साथ संतुलित रूप से आगे बढ़ाती है।

**आर्थिक सर्वेक्षण के निर्माण में भागीदारी करने वाले
मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग की पीमयू दल के सदस्य**

क्र.	अध्याय	मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग प्रलेखन एवं शोध दल
1.	अर्थव्यवस्था की स्थिति	•श्रीमती कोमल मिश्रा
2.	लोक वित्त	•श्री अच्युत राम जोशी
3.	बैंकिंग, बीमा और वित्तीय संस्थान	•डॉ. ईश गुप्ता •श्रीमती कोमल मिश्रा
4.	कृषि एवं ग्रामीण विकास	•डॉ. आकांक्षा चंद •श्री कुमार रतन
5.	उद्योग, एम.एस.एम.ई और बुनियादी ढांचा	•सुश्री सुमिता सोनी •श्री भानु बित्रा •श्री अच्युत राम जोशी
6.	व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी	•श्री अभ्यूदय झा •श्री भानु बित्रा
7.	नगरीय विकास	•श्री असित प्रकाश •श्री भानु बित्रा
8.	सामाजिक एवं आर्थिक विकास	•श्रीमती प्रशंसा दीक्षित •श्री अमिय शंकर •सुश्री सुमिता सोनी
9.	स्वास्थ्य	•श्री अमिय शंकर
10.	शिक्षा एवं कौशल विकास	•डॉ. ईश गुप्ता •श्रीमती प्रशंसा दीक्षित



क्र.	अध्याय	मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग प्रलेखन एवं शोध दल
11.	खेल एवं युवा कल्याण	•श्री अमिय शंकर •श्रीमती प्रशंसा दीक्षित
12.	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	•श्री अभिषेक मालवीय
13.	सामाजिक समावेश	•श्री कुमार रतन •श्री कन्हैया समाधिया
14.	सुशासन	•श्री अभिषेक भार्गव •श्री कन्हैया समाधिया •श्री कुमार रतन
15.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	•डॉ. राजदीप सिंह
16.	सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था	•श्री कन्हैया समाधिया •श्री विपुल सिंघल

आर्थिक सर्वेक्षण के निर्माण हेतु आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के दल के सदस्य :

1. डॉ. व्ही. एस. धपानी, अपर संचालक
2. डॉ. सुनील चौहान, सहायक संचालक
3. श्री राजकुमार कडबे, सहायक सांख्यिकी अधिकारी
4. श्री शंकर तायडे, वरिष्ठ कलाकार
5. श्रीमती गुंजन मिश्रा चतुर्वेदी, अन्वेषक
6. सुश्री अदिति नेमा, अन्वेषक

आर्थिक सर्वेक्षण की सम्पादन दल के सदस्य:

1. डॉ. व्ही. एस. धपानी, अपर संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
2. डॉ. सुनील चौहान, सहायक संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
3. श्री राजकुमार कडबे, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
4. श्री कन्हैया समाधिया, कंसल्टेंट, मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग
5. श्री कुमार रतन, कंसल्टेंट, मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग
6. डॉ. ईश गुप्ता, कंसल्टेंट, मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग
7. डॉ. राजदीप सिंह, कंसल्टेंट, मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग



نوٹ :

نوٹ :





आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश

भूतल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल - 462004

फोन - 0755-2551395

वेबसाइट : <https://des.mp.gov.in> ई-मेल : des@mp.gov.in